



डिजिटलीकरण
सशक्तिकरण
परिवर्तन
....बदलाव की
नई सुबह

DIGITISATION
EMPOWERMENT
TRANSFORMATION
....THE DAWN
OF CHANGE

**वार्षिक
रिपोर्ट**

**ANNUAL
REPORT
2016-17**

Call toll free no. | 1800 22 33 44
6 am - 10 pm | 1800 102 44 55
Web Chat-24X7
www.bankofbaroda.co.in

Follow us on   



**बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda**

India's International Bank

Digitisation Empowerment Transformation ...The Dawn of Change

India is on the cusp of a sea change and the biggest challenge for most Banks is to maintain a high degree of competitiveness and differentiation. Taking the legacy of innovation forward, our bank is embracing a massive transformation exercise, entailing fundamental changes with a focus on customer and employee satisfaction plus a complete overhaul of technological capabilities.

Our Bank is at the forefront of innovation through digitisation. The Bank seeks to handhold and empower the customer by providing digital experiences on a broad base platform by integrating digital villages. These initiatives are part of the transformation journey embarked through 'Project Navoday' to offer a banking experience which is Digitized, Empowered and Transformative to witness

...The Dawn of Change






भारत के गांवों का डिजिटलीकरण 93 डिजिटल गांवों को गोद लिया और डिजिटलीकरण किया



बैंक द्वारा गोद लिए 93 डिजिटल गांवों में डिजिटलीकरण की लहर दिखाई दे रही है. यह गांव बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक सामाजिक और आर्थिक विकास के साक्षी हैं.



Digitising Money for a Cashless Economy With state-of-the-art Digital Products & Services



Bank of Baroda is in the midst of a complete overhaul of its digital capabilities. The digital transformation is aimed at promoting a cashless economy and facilitating the objective of Digital India.



Debit Cards



Mobile Banking



Internet Banking



Mobile Wallet



UPI APP

डिजिटल अनुभव, रूपांतरित जीवन अल्ट्रा स्मॉल डिजिटल शाखाएं



बैंक देश के बैंकिंग से वंचित क्षेत्रों के लिए अल्ट्रा स्मॉल डिजिटल शाखा की अवधारणा लेकर आया है. पूर्व निर्मित अल्ट्रा स्मॉल डिजिटल शाखा में बैंकिंग प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए स्टेट-ऑफ-द-आर्ट मशीन लगी हैं, जो ग्राहकों को सर्वोत्तम बैंकिंग अनुभव प्रदान करती है.

Empowering Rural India

Knowledge and Technology support to Farmers



The Bank is taking various initiatives to harness the emerging opportunities in rural and agricultural lending. Some key initiatives are:


- Imparting technical knowledge to farmers, right from crop selection to marketing
- Tie up with dairy companies to finance farmers
- Training villagers for increased productivity

बैंकिंग सेवा से वंचित और अपर्याप्त बैंकिंग वाले परिवेश का समावेशी बैंकिंग में रूपान्तरण



ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा से वंचित और अपर्याप्त बैंकिंग वाले क्षेत्रों को सुलभ वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना बैंक की प्राथमिकता है. वित्तीय समावेशन न केवल एक सामाजिक प्रतिबद्धता है बल्कि सतत आईसीटी- आधारित डिलीवरी चैनलों के माध्यम से व्यवसाय का एक अवसर भी है.

Transforming Processes into Incredible Experiences Project Navoday



The Bank is embarking on a transformation with 'Project Navoday' and is making several strides in this journey. The core of which revolves around growth through processes, products, platforms and capability building.



बदलाव की नई सुबह

प्रेरणादायी आदर्श
के. श्रीकांत द्वारा ब्रांड एंडोर्समेंट



खेल की तरह बैंक भी, लोगों को हमेशा परस्पर जोड़ने की कोशिश करता रहता है इसलिए हमारा बैंक भारतीय खेल अभियान का समर्थन कर रहा है और श्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी श्री के. श्रीकांत के द्वारा ब्रांड एंडोर्समेंट देश को गौरवान्वित करने की दिशा में एक नई पहल है.

THE DAWN OF CHANGE

Aspirational Icon

Brand Endorsement by P V Sindhu



Sport connects people more than anything else does. So the Bank is supporting sport like no other and the brand endorsement of Olympian Silver Medallist Ms. P V Sindhu is just another step in that glorious direction.

बदलाव की नई सुबह

फीफा अंडर - 17 विश्व कप भारत में प्रथम राष्ट्रीय समर्थक

हम देश में सबसे बड़े खेल आयोजन- फीफा अंडर - 17 विश्व कप के राष्ट्रीय समर्थक के रूप में आगे आने वाले पहले ब्रांड हैं. हमारा बैंक ऐसे आयोजनों से लाभ उठाने के लिए विश्व भर के ब्रांडों द्वारा अपनाई जा रही श्रेष्ठ परिपाटी एवं नवप्रवर्तन को लाने के लिए प्रयासरत है.



NATIONAL SUPPORTER

बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank



जब आप सही टीम का पहरा करेंगे तो
गोल बनाना होगा आसान
GOALS ARE EASIER TO SCORE WHEN YOU
BANK UPON THE RIGHT TEAM



Bank of Baroda on Wheels Branding of Andheri Metro Station



We at Bank of Baroda have acquired the station Branding Rights as a tool to showcase the credentials of the Bank to more than 1.5 Lakh commuters, who travel daily through Bank of Baroda Andheri Metro Station to different locations in Mumbai. Complete Train Branding (Inside & Outside) of one of the Metro trains running on this route is another innovative marketing initiative to reinforce the brand.



बैंक ऑफ़ बड़ौदा की रफ्तार सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन की ब्रांडिंग



हमारा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का पहला ऐसा बैंक है जिसने विभिन्न पहलों में अग्रणी रहने की परंपरा कायम रखते हुए ऐसी अद्वितीय ब्रांडिंग पहल की शुरुआत की है। इस रूट पर चलने वाली मेट्रो रेल में से एक रेल की संपूर्ण ब्रांडिंग (अंदर एवं बाहर), ब्रांड को मजबूत करने के लिए एक और नोवोन्मेषी मार्केटिंग पहल है।



Harnessing Ideas

Sayajirao Gaekwad Fellowship Program



The Bank's Sayajirao Gaekwad Fellowship program is a once in a lifetime opportunity for bright, young minds to sink their teeth into an exciting one year stint. Here they are getting on-ground learning, a hands-on experience of the banking world, sharpen their execution capabilities on a live business project and work on developing their business idea into a workable proposition.

बदलाव की नई सुबह

प्रतिभा को निखारना प्रोजेक्ट पारखी



पारखी, प्रतिभा को सार्थक दिशा देने के अन्य प्रयास के साथ उसे सही अर्थों में उत्कृष्ट बनाने में सहायक है. उत्कृष्टता का एक ऐसा परिवेश जहां क्षमताओं को बढ़ावा दिया जाता है और सर्वोत्कृष्ट बनाया जाता है.

PARAKHI
PRODUCTIVITY | PERFORMANCE | PROGRESS

Empowering those who Create a Better World

Baroda Sun Achievement Awards



- **Baroda Sun Achievement Awards**
Every year, on 20th July – Bank's Foundation Day, the Bank confers the Baroda Sun Achievement Award to eminent personalities for their outstanding contribution to the fields of science, medicine, social work, sports, art & cinema, etc.
- **Sayajirao Gaekwad Rajbhasha Sammaan**
The Bank has created this award to honour people whose work is impacting the Hindi language.



कर्मचारियों का स्वास्थ्य बड़ौदा मैराथन रनर्स क्लब

हम बड़ौदा मैराथन रनर्स क्लब के माध्यम से अपने कर्मचारियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ावा दे रहे हैं तथा मैराथनों में भाग लेने के लिए उन्हें पेशेवर तरीके से प्रशिक्षित कर रहे हैं।

बैंक ने 'अच्छा महसूस करें, अच्छा बनें, अच्छा करें' के मोटो के साथ पावर योगा क्लासेस की शुरुआत भी की है।



Bank's First Green Building At Indore



The Dawn of Change revolves around change that is sustainable. Change that ensures a future. Reason why we now have our First Green Building, registered with Indian Green Building Council (IGBC) and pursuing certification under the Rating Systems "IGBC Green Homes & IGBC Green Interiors". This, recently constructed structure is Bank's Office cum Residential Building at Indore.

BOARD OF DIRECTORS



श्री रवि वेंकटेशन
अध्यक्ष
Shri Ravi Venkatesan
Chairman



श्री पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO



श्री मयंक के. मेहता
कार्यपालक निदेशक
Shri Mayank K. Mehta
Executive Director



श्री अशोक कुमार गर्ग
कार्यपालक निदेशक
Shri Ashok Kumar Garg
Executive Director



श्रीमती पापिया सेनगुप्ता
कार्यपालक निदेशक
Smt. Papia Sengupta
Executive Director

BOARD OF DIRECTORS



श्री मोहम्मद मुस्तफा
निदेशक

Shri Mohammad Mustafa
Director



श्री अजय कुमार
निदेशक

Shri Ajay Kumar
Director



श्री प्रेम कुमार मक्कड़
निदेशक

Shri Prem Kumar Makkar
Director



श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
निदेशक

Shri Gopal Krishan Agarwal
Director



प्रो. बिजू वर्ककी
निदेशक

Prof. Biju Varkkey
Director




डॉ. आर. नारायणस्वामी
निदेशक

Dr. R. Narayanaswamy
Director



श्री भरतकुमार डी. डांगर
निदेशक

Shri Bharatkumar D. Dangar
Director



सुश्री उषा ए. नारायणन
निदेशक

Ms. Usha A. Narayanan
Director



महाप्रबंधक	General Managers
अस्थाना ललित मोहन	ASTHANA LALIT MOHAN
घाग सुरेश शंकर	GHAG SURESH SHANKAR
महाजन विपन	MAHAJAN VIPAN
अग्रवाल संजय	AGARWAL SANJAYA
कक्केरा वेंकटेश्वरलू	KAKKERA VENKATESWARLU
गुप्ता राम कुमार	GUPTA RAM KUMAR
श्रीवास्तव नागेश कुमार	SRIVASTAVA NAGESH KUMAR
शर्मा मुरारी लाल	SHARMA MURARI LAL
भुयां गगन बिहारी	BHUYAN GAGAN BIHARI
उप्रेती नवीन चंद्र	UPRETI NAVIN CHANDRA
अरोरा सतीश कुमार	ARORA SATISH KUMAR
टक्कर एरिक फ्रांसिस	TUCKER ERIC FRANCIS
माथुर राधाकांत	MATHUR RADHAKANT
अनेजा अशोक	ANEJA ASHOK
पोतलापल्ली नरसिम्हा राव	POTALAPALLY NARSIMHA RAO
पटेल महेश सोमाभाई	PATEL MAHESH SOMABHAI
गुप्ता कुल भूषण	GUPTA KUL BHUSHAN
कुमार बिरेंद्र	KUMAR BIRENDRA
सामंत सदानंद राजाराम	SAMANT SADANAND RAJARAM
नरिंदर कुमार पवार	NARINDER KUMAR PAWAR
कौल कृष्ण ओपिंदर	KAUL KRISHEN OPINDER
पंडा गोलक बिहारी	PANDA GOLAK BIHARI
कुमार राजेंद्र	KUMAR RAJENDRA
डुडेजा विनीत कुमार	DUDEJA VINEET KUMAR
मेहरोत्रा प्रकाश नारायण	MEHROTRA PRAKASH NARAYAN
पटेल कमलेश रमणिकलाल	PATEL KAMLESH RAMNIKAL
मुखोपाध्याय देब ब्रत	MUKHOPADHYAY DEB BRATA
शर्मा रजनीश	SHARMA RAJNEESH
सिंघल नरेंद्र कुमार	SINGHAL NARENDRA KUMAR
चौधरी संतोष कुमार	CHOUDHURY SANTOSH KUMAR
परुलकर अरुण देवदत्त	PARULKAR ARUN DEODATTA
राकेश भाटिया	RAKESH BHATIA
महाजन कमल के	MAHAJAN KAMAL K
सिंह नवतेज	SINGH NAVTEJ
कनौजिया कुक्कू राम	KANOJIA KUKU RAM
कुमार संजय	KUMAR SANJAY
ढाका बीरबल सिंह	DHAKA BIRBAL SINGH
गुप्ता अशोक कुमार	GUPTA ASHOK KUMAR
सोलंकी शंकर राम	SOLANKEE SHANKAR RAM
मेहता जयेशकुमार वसंतराय	MEHTA JAYESHKUMAR VASANTRAY
रेड्डी पी वी सुब्बा	REDDY P V SUBBA
नामदेव दिनेश कुमार	NAMDEO DINESH KUMAR
राव पूर्णिमा सतीश	RAO PURNIMA SATISH
एन जथावेथन नम्मूदिरी - मुख्य सतर्कता अधिकारी	N. JATHAVETHAN NAMPOOTHIRI - Chief Vigilance Officer
उप महाप्रबंधक एवं प्रमुख	Dy. General Managers & Head
एम. एल. जैन	M. L. JAIN
जयदीप दत्ता रॉय	JOYDEEP DUTTA ROY
सतीशचंद्र वी हर्डीकर	SATISHCHANDRA V. HARDIKAR
बी. पी. शर्मा	B. P. SHARMA
वेणुगोपाल एन	VENUGOPAL N.



	पृष्ठ		Page
अध्यक्ष का संदेश	04	Chairman's Statement	05
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	08	MD & CEO's Statement	08
निदेशकों की रिपोर्ट	19	Directors' Report	43
कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा परिक्षकों का प्रमाण-पत्र	70	Auditor's Certificate on Corporate Governance	70
कार्पोरेट गवर्नेन्स रिपोर्ट	71	Corporate Governance Report	71
सीईओ द्वारा घोषणा	118	Declaration by MD & CEO	118
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक	119	Key Financial Indicators	119
तुलन पत्र	122	Balance Sheet	122
लाभ व हानि खाता	123	Profit & Loss Account	123
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	135	Significant Accounting Policies	135
नकदी-प्रवाह विवरणी	184	Cash Flow Statement	184
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	186	Auditors' Report	186
अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा	189	Declaration of Audit Report with Unmodified Opinion	189
बासेल III पिलर III प्रकटीकरण	190	Basel III Pillar III Disclosures	190
सीईओ / सीएफओ प्रमाणिकरण	191	CEO / CFO Certification	191
समेकित वित्तीय विवरणियां	192	Consolidated Financial Statements	192
अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा- समेकित	230	Declaration of Audit Report with Unmodified Opinion - Consolidated	230
सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणिकरण	231	CEO / CFO Certification	231
लाभांश संवितरण नीति	232	Dividend-Distribution-Policy	232
नोटीस	233	Notice	233
हरित पहल -शेयर धारकों से अपील	246	Green Initiative-Appeal to Shareholders	246
प्रॉक्सी फॉर्म / उपस्थिति पर्ची / इलेक्ट्रॉनिक	248	Proxy Form / Attendance Slip / Electronic	248
मैन्डेट फॉर्म		Mandate Form	

लेखा परीक्षक / AUDITORS

वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
Wahi & Gupta
Chartered Accountants

रोडी दबीर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
Rodi Dabir & Co.
Chartered Accountant

एस आर गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
S R Goyal & Co.
Chartered Accountants

कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री एल एल पी
सनदी लेखाकार
Kalyaniwalla & Mistry LLP
Chartered Accountant

प्रधान कार्यालय

बड़ौदा हाऊस, माण्डवी, वडोदरा 390 006.

बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर

सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू.),
मुंबई 400 051.

निवेशक सेवाएं विभाग

7वां तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर, सी-26, जी-ब्लॉक,
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051.

रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि.
यूनिट - बैंक ऑफ बड़ौदा

कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट क्र. 31 व 32, गचीबॉवली, फाइनांसियल
डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा, सैरीलिंगमल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032.

हमारे बैंक के डिबेंचर न्यासी

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.
एशियन बिल्डिंग, भू-तल, 17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट,
मुंबई - 400 001

Head Office

Baroda House, Mandvi, Vadodara 390 006.

Baroda Corporate Centre

C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400 051.

Investor Services Department

7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

Registrars & Transfer Agent

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit - Bank of Baroda

Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal,
Hyderabad - 500 032

Debenture Trustees of our Bank

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor, 17, R Kamani Marg,
Ballard Estate
Mumbai - 400 001

नोट: शेयरधारक "व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट" तथा "बासेल-III प्रकटीकरण" को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in पर देख सकते हैं / डाउनलोड कर सकते हैं.

The Shareholders can view/download "Business Responsibility Report" and "Basel-III Disclosures" from Bank's Website www.bankofbaroda.co.in



“बदलाव का वो बीज जिसे हमने पिछले साल बोया था वो अब वृक्ष बनना शुरू हो गया है. अब हम बैंक के ज्यादातर हिस्सों में लोगों की सोच, उत्साह और प्रदर्शन में आए बदलाव को साफ देख सकते हैं.”

– रवि वेंकटेशन, चेयरमैन

“The seeds of transformation that we planted last year are beginning to germinate. We can see evidence of changing mindsets, enthusiasm and performance in most parts of the Bank”

- Ravi Venkatesan, Chairman

अध्यक्ष का संदेश

Chairman Statement

प्रिय हितधारक,

गत वर्ष के अपने वक्तव्य में मैंने, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को ऐसे समकालीन बैंक में रूपांतरित करने के हमारे मिशन का वर्णन किया था, जिसमें विशिष्ट रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जैसे भरोसे के साथ-साथ निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंकों की नवोन्मेषिता, कुशलता और कार्यनिष्पादन का संमिश्रण हो. हवाई यात्रा या ऊर्जा-निर्माण की तरह बैंकिंग को विशुद्ध रूप से बाज़ार की ताकतों एवं निजी क्षेत्र के प्लेयर्स के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता. भारत को सार्वजनिक क्षेत्र के सुचारु रूप से कार्यरत, लाभप्रद बैंकों की आवश्यकता है, क्योंकि ये संस्थाएं समावेशी आर्थिक विकास के वाहक के रूप में सेवाएं प्रदान करती हैं.

सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंकों, साथ ही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती मौजूदा बैंकिंग परिदृश्य में उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धात्मकता एवं वैविध्य को बनाए रखना है. यह चुनौती दबावग्रस्त आस्तियों की प्रमुख चुनौती के सापेक्ष अधिक मूलभूत चुनौती है. हमारे बाज़ार-शेयर एवं उत्तम ग्राहकों के निजी क्षेत्र के हमारे प्रतियोगियों के पास चले जाने के रूप में हुई क्षति की पूर्ति करना भी एक चुनौती है. बैंकों के लिए आवश्यक है कि क्षेत्र के लिए संकट बनी दबावग्रस्त आस्तियों की मौजूदा स्थिति का निर्माण करने वाले व्यवहार एवं पद्धतियों में मूलभूत रूप से उल्लेखनीय बदलाव लाये. बैंकों को चाहिए कि वे 'फिनटेक' फर्मों द्वारा प्रस्तुत उन चुनौतियों का सामना करे, जो पारंपरिक बैंकों के पास महंगे आधारभूत संसाधनों एवं नगण्य लाभप्रद ग्राहकों को रहने देकर उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं.

अपने मिशन को पूरा करने के लिए हमारे बैंक ने एक सर्वांगी रूपांतरण 'प्रोजेक्ट नवोदय' का प्रारंभ किया है, जो बैंक की कार्यनीतियों, उत्पादों के साथ वास्तव में बैंक की प्रत्येक प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन से संबद्ध है. प्रोजेक्ट नवोदय के बारे में अधिक ब्यौरा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के वक्तव्य में तथा निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किया गया है. इस रूपांतरण की सफलता का महत्वपूर्ण बिंदु प्रतिभा, क्षमताओं एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण उन्नयन में निहित है. प्रत्येक व्यवसाय की तरह बैंक भी गहन ज्ञान एवं प्रौद्योगिकीयुक्त उद्यम हो गए हैं.



अध्यक्ष का संदेश Chairman Statement

जोखिम प्रबंधन, परियोजना-मूल्यांकन, ट्रेजरी, ऋण-मूल्यांकन, धोखाधड़ियों का पता लगाना असंख्य सूचना-प्रवाह की वास्तविक समय में निगरानी एवं गहन विश्लेषण जैसे क्षेत्रों पर मजबूत पकड़ रखें। दूसरे शब्दों में बैंकिंग अब एक सूचना-व्यवसाय है, जिसमें प्रौद्योगिकी केन्द्रीय नर्वस सिस्टम बन गई है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वैश्विक स्तर पर बैंक भी आईटी के बड़े प्रयोगकर्ताओं में से एक हैं, जिनमें से उत्तम बैंक, गूगल एवं फेसबुक के साथ कड़ी प्रतियोगिता करते हुए कंप्यूटर विज्ञान, गणितशास्त्र एवं भौतिक शास्त्र के पीएचडीधारियों को नियुक्त कर रहे हैं।

हमारा बैंक अपनी प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल क्षमताओं को पूर्णतः पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में है। हमारी कोर बैंकिंग प्रणाली तथा हमारी इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग क्षमताओं में उल्लेखनीय उन्नयन हुआ है। ऋण प्रबंधन हेतु नयी प्रणालियां, उद्यम जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी का पता लगाना, बड़े डेटा एवं विश्लेषण क्षमताओं में पर्याप्त निवेश, बहुत से नवोन्मेषी फिनटेक स्टार्ट अप के साथ सहबद्धता एवं साझेदारी और मशीन-लर्निंग के उपयोग में अत्याधुनिक पथप्रदर्शी सुविधाएं, ब्लॉक-श्रृंखला एवं रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन आदि प्रक्रियागत पहलों से आईटी के प्रयोग के क्षेत्र में हमारा बैंक अग्रणी होने जा रहा है।

आमूलचूल रुपांतरण के इस मार्ग में हमारा बैंक प्रतिभा और कर्मचारी-क्षमताओं के बारे में सोच रहा है। कर्मचारी-जुड़ाव, कार्यदायित्व को परिभाषित करना, कार्यनिष्पादन तथा प्रतिभा-प्रबंधन, निरंतर लर्निंग, नेतृत्व-विकास एवं उत्तराधिकारी-आयोजन पर व्यापक रूप से अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है।

अंततः, हमने बोर्ड-गवर्नेंस को बेहतर बनाने पर अपना ध्यान निरंतर बनाए रखा है। हमारा सौभाग्य है कि निदेशक मंडल में

दो नये प्रतिभावान निदेशक शामिल हुए हैं। इस वर्ष हमने पहली बार निदेशक मंडल का बाह्य मूल्यांकन आयोजित किया और अपनी निदेशक-मंडल की प्रक्रियाओं में कई सुधारों को कार्यान्वित किया। प्रत्येक निदेशक की अत्यधिक उच्च स्तरीय सहभागिता एवं सक्रिय जुड़ाव हमारे निदेशक मंडल की एक विशिष्ट लाक्षणिकता है।

गत वर्ष जिस रुपांतरण का हमने बीजारोपण किया था, वह अंकुरित होना शुरू हो गया है। हम बैंक के अधिकांश भागों में परिवर्तित मानसिकता, उत्साह और कार्यनिष्पादन के प्रमाण देख सकते हैं। मैं पूर्ण आशावादी हूँ कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा का श्रेष्ठ समय बिल्कुल हमारे सामने हैं।

रवि वेंकटेशन
अध्यक्ष



Dear Stakeholder,

In my letter last year, I described our mission to transform Bank of Baroda into a contemporary Bank that uniquely combines the trust of public sector banks with the innovation, agility and performance of the leading private sector banks. Unlike air travel or power generation, banking cannot be left purely to market forces and private sector players. India needs well-run, profitable public sector banks because these institutions serve as the vehicles for inclusive economic development.

The biggest challenge for most public sector banks, including ours, is maintaining a high degree of competitiveness and differentiation given the evolving banking scenario. This is a more fundamental challenge than the issue of stressed assets that has dominated the discourse. The challenge is to reverse the erosion of market share and our best customers to private sector competitors. Banks need to fundamentally make a significant shift in behaviors and practices that have created the current situation of stressed assets plaguing the sector. Banks need to respond to the challenge posed by “Fintech” firms that are attempting to disrupt legacy banks, leaving them with costly infrastructure and the least profitable customers.

To accomplish its mission, our Bank has embraced a massive transformation called “Project Navodaya” which entails a fundamental change in strategy, products and virtually every process of the Bank. More details about Project Navodaya have been included in the MD & CEO's Statement as well as in the Directors' Report. The key to the success of this transformation lies in a significant upgradation of talent, capabilities and culture. Like every business, banks have become knowledge and technology intensive enterprises. Banking now requires incredible depth in areas such as risk management, project appraisal, treasury, credit assessment, fraud detection, real-time monitoring of millions of streams of data and deep analytics. In other words, banking is

now an information business in which technology becomes the central nervous system.

It is therefore of little wonder that globally, banks are among the biggest users of IT with the best banks competing closely with Google and Facebook to hire PhDs in computer science, mathematics and physics.

Our Bank is in the midst of a complete overhaul of its technology and digital capabilities. A major upgrade to our Core Banking System and our internet and mobile banking capability, new systems for loan management, enterprise risk management, fraud detection, substantial investments in big data and analytics capability, alliances and partnerships with many innovative Fintech startups and cutting-edge pilots in the use of machine learning, Block-chain and robotic process automation are just some of the initiatives underway to catapult our Bank to a leader in the use of IT.

An even more sweeping transformation is underway in the way our Bank thinks about talent and people capability. There is a strong board-led focus on employee engagement, on role definition, performance and talent management, continuous learning, leadership development and succession planning.

Finally, we sustained our focus on improving Board governance. We were fortunate to have two talented new Directors join the Board. This year, we conducted an external Board evaluation for the first time and implemented many improvements to our Board processes. A very high level of participation and active engagement by every director is a distinguishing characteristic of our Board.

The seeds of transformation that we planted last year are beginning to germinate. We can see evidence of changing mindsets, enthusiasm and performance in most parts of the Bank. I am optimistic that the best years for Bank of Baroda lie ahead of us.

Ravi Venkatesan
Chairman



“हमें पूरा विश्वास है कि हमेशा ग्राहकों, आम जनता, प्रक्रियाओं और उपायों को प्रस्तुत करने के अपने नीतिगत लक्ष्यों के साथ बेहतरीन तकनीक का आधार हमें बिज़नेस के उभरते माहौल में अपनी अग्रणी स्थिति को बरकरार रखने में मददगार साबित होगा.”

– पी. एस. जयकुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

“We are confident that our strategic focus on customers, people, processes, solution offerings enabled by the best in class technology will help us retain the leadership position in the emerging business environment.”

– P S Jayakumar, Managing Director and CEO

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

MD & CEO's Statement

प्रिय हितधारक,

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन के प्रमुख बिन्दुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।

हमारी उपलब्धियों तथा प्रारंभ की गई पहलों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न है।

आर्थिक विहंगावलोकन

वित्तीय वर्ष 2016-17 राजकोषीय समेकन, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिल, इंसाॅल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का पारित होना, आधारभूत संरचना विशेष रूप से स्मार्ट सिटी निर्माण हेतु, अक्षय ऊर्जा पर निरंतर गहरी प्रगति, रिकॉर्ड कृषि, खेती की आय को दोहरीकरण जैसे परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना, व्यवसाय करने में निरंतर सुगमता, सीधे अंतरित लाभों का आधार सक्षम भुगतान जैसे पहलुओं को कवर करने वाले आर्थिक सुधारों पर अविरत उल्लेखनीय प्रगति का साक्षी रहा है। भारत में अच्छे मानसून की उम्मीद और वैश्विक आर्थिक संवृद्धि, निकट समय में विकास के अवसर आशाजनक प्रतीत हो रहे हैं।

वर्ष 2016 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.1% की वृद्धि हुई जो वर्ष 2015 के 3.2 प्रतिशत की तुलना में थोड़ी कम रही। वैश्विक विकास की भांति वैश्विक व्यापार की गति 2015 में 2.6% की तुलना में कम होकर 2016 में 2.3% रही। व्यापक वैश्विक क्रम परिवर्तन और अनिश्चितताओं के बावजूद जून 2016 में आयोजित ब्रेक्सिट जनमत-संग्रह में यूके द्वारा यूरोपियन संघ को छोड़ना, जनवरी, 2017 में कार्यभार ग्रहण करने वाली अमेरिका की नव गठित सरकार और व्यापक नीति परिवर्तन एवं उत्पादन को कम करने के लिए ओपेक एवं नॉन-ओपेक देशों के बीच जनवरी 2017 से प्रभावी ऐतिहासिक डील जिसने कच्चे तेल की कीमतों पर प्रभाव डाला है, के बावजूद भी भारतीय समष्टि अर्थव्यवस्था संकेतकों के अनुसार आंतरिक के साथ-साथ बाह्य दोनों पक्षों में स्थिरता दर्शाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को समष्टिगत रूप से समृद्ध करने के अलावा एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के मोचन का कार्य आसानी से हुआ।

नकदी रहित अर्थव्यवस्था के निर्माण में सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयासों और भुगतान के डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देने के लिए नवम्बर 2016 में शुरू किए गए प्रयासों से हमें 'जीवन में एक बार' राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का अनूठा अवसर प्राप्त हुआ। हमारे देश के लोगों के लिए स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हमारे स्टाफ ने निरंतर कार्य किया है।



भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीए की समस्या का निवारण करने के लिए कई उपायों की शुरुआत की है जिससे भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को लाभ होगा. दिवालियापन संहिता ने समयबद्ध निपटान की संरचना उपलब्ध करवायी है और आस्तियों के आर्थिक मूल्य को सुरक्षित रखने और आर्थिक संवृद्धि में तेजी की उम्मीद की जा रही है.

हमारी अर्थव्यवस्था में अनुकूल जनसांख्यिकीय मिश्रण, उद्यमी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के अभियान एवं सरकार की सक्रिय सुधार नीति के समर्थन से अधिक विकास दर प्राप्त करने की अद्भुत संभावनाएं हैं. वैश्विक स्तर पर वृद्धि एवं व्यापार दृष्टिकोण में सुधार से भी भारत के विकास को सहयोग मिलेगा. उच्च स्थिर विकास प्राप्त करने के लिए बैंकिंग व्यवस्था की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना एक प्रमुख क्षेत्र है जिस पर सभी हितधारकों का विशेष ध्यान अपेक्षित है. बैंकिंग व्यवस्था को बासल-III के क्रियान्वयन के लिए भी स्वयं को तैयार करना चाहिए जिसके लिए नकदी कवरेज अनुपात और प्रतिचक्रीय सुरक्षा लागू करने में परिवर्तन आवश्यक होंगे. बैंक की पूंजी आवश्यकता पर अमूल्यांकित एक्सपोजर के जोखिम निर्धारण संबंधित सख्त विनियमनों का प्रभाव भी पड़ेगा. आगे बढ़ते हुए, बैंकिंग क्षेत्र को तकनीक और जीएसटी एवं आईएनडी एस लेखा मानकों के क्रियान्वयन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. डिजिटल भुगतान प्रणालियों को बड़ी मात्रा में अपनाए जाने से, बैंक को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी सुदृढ़ विशेषज्ञता के निर्माण की आवश्यकता होगी.

हमारे समक्ष उभरती हुई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा बैंक अनेक कार्यनीतिक पहलों के निष्पादन की ओर कार्य कर रहा है जिससे हमे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की उम्मीद है. मैं वर्तमान में चल रही कुछ प्रमुख पहलों की झलक आपके साथ साझा करना चाहूंगा.



हमारी व्यापक व्यवसाय रूपांतरण यात्रा, नवोदय परियोजना के तहत कार्यनीतिक पहलों का निष्पादन:

वर्ष के दौरान, हमारे बैंक ने 'नवोदय परियोजना' के नाम से अपनी रूपांतरण यात्रा में अत्यधिक प्रगति की है. और इस यात्रा के दौरान कई मुकाम हासिल किए हैं, जिसके केंद्र का

प्रक्रियाओं, उत्पादों, प्लेटफार्म एवं लोगों की क्षमता निर्माण के माध्यम से विकास कर रहा है. नवोदय परियोजना में भावी पीढ़ी क्षमता निर्माण और संस्थागत प्रतिभा को सामने लाकर हमारे बैंक को कुछ अलग विश्व स्तरीय ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया है.

हम गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में हमारी पूर्ण विकसित शेयर्ड सर्विसेज सेंटर का शुभारंभ करने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं जो डिजिटलीकरण और सहज स्केलिंग-अप के साथ केंद्रीकरण और प्रक्रियाओं, अनुपालन और नियंत्रण के मानकीकरण के माध्यम से हमारे ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे स्टाफ के लिए मददगार होगा और उनके साथ हमारे संबंध गहरे होंगे. ग्राहक संतुष्टि और ब्राण्ड हेल्थ पर हमारे बैंक की गहन मार्केट रिसर्च स्टडी मार्च, 2017 में पूरी हो गई है, जिसमें ग्राहकों के दृष्टिकोण से बहुमूल्य फीडबैक के साथ बैंक से अपेक्षाएं भी हमें दी गई हैं. हमारा कर्मचारी नियोजन सर्वे 2016 बैंक से हमारे कर्मचारियों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिसे अनेक कर्मचारी केंद्रित पहलों को शुरू करने का आधार बनाया गया है. संक्षेप में, वर्ष 2016 में हमारे बैंक द्वारा किए गए दो व्यापक स्वतंत्र प्राथमिक शोध अध्ययनों में हमारे ग्राहकों और हमारे कर्मचारियों पर हमारे दो आयामी फोकस के विवरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

2016- 17 में रूपांतरण के साथ की गई कुछ नई व्यावसायिक पहलें निम्नानुसार हैं:

- रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग में मजबूत उत्पाद प्रस्ताव तैयार करना
- कॉर्पोरेट और रिटेल बैंकिंग के लिए व्यवसाय उत्पत्ति और ऋण प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना
- कृषि और ग्रामीण बैंकिंग में नवाचार और उद्यमशीलता का समर्थन करने के लिए पारिस्थितिकी वित्तपोषण की गठबंधन की अगुवाई वाली रणनीति, और इस प्रकार किसानों को अपनी आय में वृद्धि करने में मदद की
- सम्पूर्ण बैंक में जोखिम एवं स्व-मूल्यांकन अनुपालन, आंतरिक लेखा परीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, नीतियों एवं पद्धतियों पर विशेष ध्यान देते हुए एकीकृत उद्यमी जोखिम प्रबंधन
- हमारे सभी व्यवसायों के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में प्रौद्योगिकी सक्षमता को माना जाता है. बैंक व्यवसाय प्रक्रिया में अधिक कुशलता और पारदर्शिता लाने के लिए



रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ब्लॉक चेन तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रौद्योगिकी नवाचारों को अपनाने पर काम कर रहा है

- डिजिटल रूपांतरण, नगदी-रहित अर्थव्यवस्था को डिजिटल विलेज के प्रोत्साहन जैसे माध्यमों से बढ़ावा देने का लक्ष्य
- लोक रूपांतरण, कर्मचारी अभिप्रेरणा और संलग्नता को बढ़ाने का लक्ष्य
- **वित्तीय समावेशन के माध्यम से सामाजिक रूपान्तरण:** हमारा बैंक लाभकारी व्यवसायी प्रस्तावों को बढ़ाने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन को सामाजिक रूपांतरण करने के लिए एक अवसर के रूप में लेता है। हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीक का उपयोग कर देश के प्रत्येक भू-भाग में बैंकिंग सेवाएं सतत आधार पर उपलब्ध करायी जा सकें। इस दिशा में किए गए कुछ प्रयासों में वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के माध्यम से आधार दर्ज करना और कैम्प लगाना, व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए डैशबोर्ड सृजित करना, वित्तीय साक्षरता शिविर लगाना, व्यवसाय संवाददाताओं और अन्य नवोन्मेषी प्रस्तावों के लिए आंतरिक प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम का आयोजन करना।

ब्रांड को मजबूत बनाना: युवाओं को आकर्षित करने और उनमें पेशे के प्रति समर्पण, एवं निष्ठाभाव और कठिन परिश्रम का भाव स्थापित करने के लिए प्रख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधु एवं के श्रीकांत हमारे ब्रांड विज्ञापनकर्ता हैं। उनकी तरुण्य और उत्साह ग्राहकों को इन खिलाड़ियों की मूलभूत क्षमताओं के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। ग्राहकों के बीच ब्रांड को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2016-17 में सिकंदरपुर एवं अंधेरी मेट्रो स्टेशनो के नाम अपने साथ जोड़ने का अधिकार प्राप्त किया है। साथ ही हमारा बैंक फीफा अंडर - 17 विश्व कप जो अक्टूबर 2017 में आयोजित किया जाएगा, के लिए राष्ट्रीय सहयोगी है जिससे बैंक की पहुंच करोड़ों छात्रों तक स्कूल कार्यक्रम कार्यशालाओं, फुटबॉल उत्सवों के माध्यम से बनेगी। इसके अलावा हमारे बैंक ने ब्रांड को पुनः स्थापित करने के लिए बैनरों को महत्वपूर्ण स्थानों के साथ-साथ सिनेमा घरों में गाने हेतु प्रयास किए हैं।

समष्टि आर्थिक परिदृश्य के पारस्परिक प्रभाव, उभरती चुनौतियां और की गई पहलों ने हमें और मजबूत बनाया है जो कि इस वर्ष के वित्तीय कार्यनिष्पादन में परिलक्षित है। हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2016 में दर्ज घाटे की तुलना में वित्त वर्ष 2017 में शुद्ध लाभ दर्ज किया है। हमारे बैंक का समग्र वैश्विक व्यवसाय ₹10 ट्रिलियन के आंकड़ों को पार कर गया है। वित्त वर्ष 2017 में बैंक के कार्यनिष्पादन के प्रमुख बिंदुओं को मैं आपसे साझा करना चाहूंगा।

वित्तीय कार्यनिष्पादन:

जमाराशियां

वित्त वर्ष 2017 के दौरान सरकार की विमुद्रीकरण पहल के कारण बैंकिंग प्रणाली में जमाराशियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह हमारे बैंक के घरेलू कासा में अप्रत्याशित वृद्धि को परिलक्षित करता है जो वित्त वर्ष 2016 में ₹1,32,539 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2017 में 1,73,594 करोड़ हो गया। विमुद्रीकरण अवधि के बाद, हमारे बैंक ने 9 नवम्बर से 31 दिसम्बर, 2016 तक जमा की गई कम लागत वाली जमाराशियों को बनाए रखने के लिए कई पहलों की हैं। जैसे कि, टर्मिनल आधार पर घरेलू जमाओं में कासा का शेयर जो मार्च, 2016 को 33.57% से बढ़कर दिसंबर, 2016 में 40.16% जिसे मार्च, 17 को 39.44% पर बनाए रखा जा सका। यह ध्यान देने योग्य है कि औसत आधार पर घरेलू जमा राशियों में कासा की हिस्सेदारी मार्च, 2016 में 30.62% से बढ़कर दिसंबर, 16 में 37.08% और उसके पश्चात मार्च, 2017 में 38.79% रही। कासा खण्ड में वृद्धि के अलावा, हमारे बैंक की संपूर्ण जमाराशियां वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) आधार पर 4.84% बढ़कर ₹6,01,675 करोड़ हो गईं। यह खुदरा मीयादी जमाराशियों में बढ़ोत्तरी के लिए थोक और उच्च लागत वाली जमाराशियों को कम करने हेतु हमारे द्वारा किए गए विवेकशील प्रयासों के कारण संभव हुआ जिसके फलस्वरूप जमाराशियों की लागत में कमी आयी। हमारे बैंक की घरेलू जमाराशि मार्च, 2016 की तुलना में 3,94,844 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च, 2017 में 4,40,092 करोड़ रुपये हो गईं, जबकि इसी अवधि के दौरान इसकी अंतर्राष्ट्रीय जमा राशि 1,79,194 करोड़ रुपये से घटकर 1,61,583 करोड़ रुपये हो गईं।



अग्रिम

कम प्रतिफल वाले पोर्टफोलियो को कम करते हुए हमारे बैंक ने उच्च प्रतिफल देने वाली आस्तियों की ओर अपने पोर्टफोलियो को समेकित और पुनः संतुलित किया है। हमारे बैंक का वैश्विक अग्रिम मार्च, 2016 में 3,83,770 करोड़ रुपए की तुलना में मार्च, 2017 में 3,83,259 करोड़ रुपए रहा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय ऋण बही 1,20,502 करोड़ रुपये से घटकर 1,05,735 करोड़ रुपये हो गई, वहीं इसी अवधि के दौरान शेष घरेलू अग्रिम 2,63,268 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,77,524 करोड़ रुपये हो गया। हमारे बैंक ने खुदरा ऋण पोर्टफोलियो के पक्ष में अपने पोर्टफोलियो में विविधता दिखाई जो मार्च, 2016 में 50,850 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च, 2017 तक 57,994 करोड़ रुपये हो गया। इसमें आवास ऋण पोर्टफोलियो ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 20.80% की वृद्धि दर्ज की। हमारा बैंक किसानों की आय में सुधार लाने और ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने हेतु सरकार के उद्देश्य का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु प्रतिबद्ध है। इसका कृषि ऋण पोर्टफोलियो मार्च, 2017 में बढ़कर 47,297 करोड़ रुपये हो गया, जिसने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 28.45% की वृद्धि दर्ज की।

दबावग्रस्त आस्तियां

वर्ष के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र में कई नीतिगत पहलों के बावजूद दबावग्रस्त आस्तियों की समस्या से जूझना जारी रहा जिसके कारण समाधान की गति धीमी रही। दबावग्रस्त आस्तियों को हल करने में सीमित प्रगति उद्योग की एक व्यापक समस्या रही क्योंकि इसमें कंसोर्टियम ऋण देने, कई उद्योगों में अत्यधिक क्षमता, उधारकर्ताओं को अधिकतम ऋण देना और इक्विटी बाजार तक पहुंच बनाने के लिए कंपनियों की सीमित क्षमता से जुड़ी चुनौतियां शामिल थीं। हमारे बैंक को भी इन चुनौतियों ने प्रभावित किया, लेकिन ऋण प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाया जाना सुनिश्चित किया गया जिससे नए स्लिपेज में वृद्धि को कम किया गया और वसूली के लिए केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया। तदनुसार, हमारे बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) मार्च, 2016 को 40,521 करोड़ रुपये से थोड़ा सा बढ़कर मार्च, 2017 को 42,719 करोड़ रुपये हो गई। 31.03.2017 को, पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिथि पर सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए अनुपात क्रमशः 9.99%

और 5.06% की तुलना में 10.46% और 4.72% पर रहा। हमारे बैंक ने लाभ पर सावधानी बरती और अपने प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) को बढ़ाकर अपनी आंतरिक ताकत बढ़ाने के लिए लगातार काम किया। तकनीकी राइट ऑफ (टीडब्ल्यूओ) सहित पीसीआर मार्च, 2016 में 60.09% की तुलना में मार्च, 2017 में 66.83% रहा। हालांकि टीडब्ल्यूओ को छोड़कर भी, हमारे बैंक का पीसीआर मार्च, 2016 में 52.11% की तुलना में मार्च, 2017 में 57.68% रहा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बैंक का मानक पुनर्गठित अग्रिम मार्च, 2015 में 25,905 करोड़ रुपये के स्तर से गिरकर मार्च, 2016 में 13,735 करोड़ रुपये और मार्च, 2017 में 10,785 करोड़ रुपये पर आ गया।

लाभ

स्थायी आय में सुधार तथा अन्य आय में 35.19% की वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष, 2016 में ₹8,816 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष, 2017 में ₹10,975 करोड़ के स्तर को प्राप्त करके आपके बैंक के परिचालन लाभ में 24.49% की वृद्धि दर्ज हुई है। शुद्ध ब्याज आय में वर्ष - दर - वर्ष 6.0% की रिकार्ड वृद्धि के साथ सकारात्मक रुख दिखाई दिया तथा यह ₹13,513 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया। वर्ष के दौरान व्यापारिक लाभ तथा विदेशी मुद्रा लाभ में अच्छी वृद्धि के चलते अन्य आय ₹6,758 करोड़ तक पहुंच गई। वित्तीय वर्ष 2016 में कुल राजस्व ₹17,739 करोड़ रहा था जो वित्तीय वर्ष 2017 में बढ़कर ₹20,271 करोड़ हो गया।

ब्याज व्यय में गिरावट तथा परिचालन व्यय में मामूली वृद्धि के कारण कुल व्यय में 5.62% की गिरावट आई है। ब्याज व्यय में 8.41% की गिरावट आई है जबकि वित्तीय वर्ष 2017 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर परिचालन व्यय में 4.18% की वृद्धि हुई है। परिचालन व्यय में धीमी गति की वृद्धि ने आय अनुपात की लागत को सुधारने में बैंक की सहायता की है जो कि मार्च 2016 में 50.30% से घटकर मार्च 2017 में 45.86% हो गया था। यह बैंक की उच्च परिचालन क्षमता को दर्शाता है।

वर्ष के दौरान नए स्लीपेज के कारण हमारे बैंक ने एनपीए के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹13,766 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 में ₹7,680 करोड़ रुपए का प्रावान दिया। इसके परिणाम स्वरूप हमारा बैंक वित्तीय वर्ष 2016 में ₹5396 करोड़ का शुद्ध हानि दर्ज करने के पश्चात वित्तीय वर्ष



2017 में एक बार पुनः लाभ अर्जित करने की दिशा में लौट आया है. वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान आपके बैंक का शुद्ध लाभ ₹1,383 करोड़ रहा.

पूँजी

हमारा बैंक अपने ग्राहकों और हितधारकों के सशक्त विश्वास के साथ अपने विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से पूंजीगत बना रहा. मार्च 2017 में बासल III के अनुसार हमारे बैंक की पूँजी पर्याप्तता अनुपात 12.24% रहा, जो कि विनियामक आवश्यकता से ऊपर है. 31 मार्च, 2017 को आपके बैंक का टियर 1 पूँजी अनुपात 9.93% तथा सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी - 1) 8.98% रहा. मार्च 2017 की समाप्ति तक समेकित समूह पूँजी पर्याप्तता अनुपात 12.80% रहा.

संक्षेप में हमारे बैंक ने अपने परिचालन को समेकित करने पर ध्यान केन्द्रित किया तथा उच्च विकास पथ पर लौटते हुए अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाकर लाभप्रद व्यवसाय के अवसरों को तलाशने का कार्य किया है.

जैसे-जैसे रूपांतरण की प्रक्रिया संस्थागत होती जाएगी, हमें विश्वास है कि हम ग्राहकों को विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करेंगे तथा साथ ही साथ अपने सभी हितधारकों के मन में उच्चतर मूल्य स्थापित करेंगे. स्थिर तथा बेहतर गुणवत्ता वाली आय अर्जित करने की नींव डाल दी गई है.

हमें विश्वास है कि ग्राहकों, व्यक्तियों, प्रक्रियाओं, उत्पादों तथा सर्वोत्तम तकनीक द्वारा सक्षम समाधान देने पर हमारी गहन दृष्टि ही नए व्यावसायिक परिवेश में अग्रणी बने रहने में हमें मदद करेगी. हमें विश्वास है कि बहुआयामी पहलें हमारे देश के भावी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बैंक के लिए मजबूत नींव बनाएंगी. हम अपने सभी हितधारकों के सतत सहयोग एवं सद्भावना की अपेक्षा रखते हैं.

हमारा भावी प्रयास

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु चर्चा एवं आंतरिक सहमति से विशेष ध्यान देने वाले क्षेत्र होंगे-

- समावेशी, उच्च गुणवत्ता एवं लाभप्रद वृद्धि के साथ हमारे मार्केट शेयर को बढ़ाना
- वसूली एवं संग्रहण के प्रयासों को गतिमान रखना ताकि

दबावग्रस्त आस्तियों के प्रभाव को कम किया जा सके

- ग्राहक केंद्रीयता की वृद्धि के साथ ग्राहक एवं कर्मचारी संतुष्टि को बढ़ाना एवं बहुआयामी डिजिटल रूपांतरण कौशल के माध्यम से वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना
- सभी प्रणालियों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में अनुपालन सुनिश्चित करना
- हमारी अनुषंगियों और सहयोगी संस्थाओं को प्रौद्योगिक उन्नयन, नये उत्पाद एवं प्रतिभा से मजबूती प्रदान करना एवं क्षमता उन्नयन करना ताकि वे सभी प्रकार के उत्पादों एवं सेवाओं से बैंक के समीप बने रहें.
- हमारे व्यापक रूपांतरण कार्यक्रम प्रोजेक्ट नवोदय को कार्यान्वित करते हुए निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होना.
- एनपीए पर कार्रवाई करना लगातार चुनौतीपूर्ण बना हुआ है किंतु हम नये अध्यादेश एवं बैंकप्रेसी कोड के परिप्रेक्ष्य में स्थिति में कुल मिलाकर सुधार की अपेक्षा रखते हैं. हमारा बैंक इसके समाधान हेतु लगातार रचनात्मक भूमिका निभा रहा है किन्तु बड़े एन.पी.ए. खातों में सीमित एक्सपोजर ही दिया है, हम समाधान में बड़े ऋणदाताओं का समर्थन भी कर रहे हैं.

मैं निदेशक मण्डल के अध्यक्ष श्री रवि वेंकटेशन एवं निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों का उनके बहुमूल्य समर्थन तथा हमारे प्रयासों को दिशा देने हेतु अभिवादन करता हूं तथा धन्यवाद देता हूं.

हमारी प्रबंधन टीम को विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयत्न एवं टीम वर्क हमारे लिए मददगार होंगे क्योंकि हम सभी हितधारकों, हमारे ग्राहकों, हमारी जनता एवं हमारे शेयरधारकों की अपेक्षाओं से अधिक हमारी क्षमताओं का उपयोग करेंगे. हम इस यात्रा में आपके सहयोग एवं सद्भावना के उत्सुक हैं.

पी. एस. जयकुमार

पी.एस. जयकुमार



Dear Stakeholder,

I am privileged to present before you the highlights of our Bank's performance during the financial year 2016-17.

The details of the achievements and initiatives taken by us are enclosed in the Annual Report.

Economic Overview

The Financial Year 2016-17 has witnessed continued strong progress on economic reforms covering aspects such as fiscal consolidation, passage of the Goods and Services Tax (GST) Bill, the Insolvency and Bankruptcy Code, infrastructure particularly in building Smart Cities, continued deep progress on renewable energy, record agriculture, focus on outcomes such as doubling farm income, continued ease of doing business, Aadhar enabled payment of direct transfer benefits. Given the expectations of a good monsoon in India and global economic growth, the near term growth opportunities look promising.

The global economy grew by 3.1% in the year 2016, which is marginally lower than 3.2% in 2015. Global trade in consonance with global growth grew at a slower pace of 2.3% in 2016 as compared to 2.6% observed in 2015. Sweeping global order changes and uncertainties notwithstanding - the UK choosing to exit the European Union in the Brexit referendum held in June 2016, a new Government in the US taking charge in January 2017 and making sweeping policy changes and a historic deal between OPEC and non-OPEC countries to curtail production effective January 2017 which has had an impact on crude oil prices. India's macroeconomic indicators reflect stability on both external as well as internal counts. The redemption of FCNR (B) deposits was effected in a smooth manner further contributing to the macroeconomic stability of the Indian economy.

The efforts initiated by the Government on building a cashless economy and giving a fillip to digital modes of payments, that commenced in November 2016

presented a unique 'once in a life-time' opportunity for us to contribute to nation-building. Our staff worked ceaselessly to ease the situation for the people in our country.

The RBI has initiated a slew of measures to address the issue of NPA resolution which would benefit the entire banking system in India. The Bankruptcy Code has provided the architecture for time bound resolution and is expected to preserve the economic value of assets and give an impetus to economic growth.

Our economy has the unique potential to achieve higher growth rates backed by the favourable demographic mix, drive to promote the entrepreneurial spirit and the proactive reform orientation of the Government. The improvement in global growth and trade outlook is also going to support India's growth. Meeting the capital needs of the banking system is one key area which requires focused attention from all stakeholders for achieving higher sustainable growth. The banking system will also have to prepare itself for implementation of Basel-III that would require changes in the applicability of liquidity coverage ratio as well as counter cyclical buffer. The stringent regulations pertaining to risk weighting of the unrated exposures would also have an impact the capital needs of banks. Going forward, the banking sector would have to grapple with technology and accounting challenges emerging from the implementation of GST and IndAS accounting standards. With greater acceptance of digital payment modes, cyber security is another area where banks will have to build deep expertise.

In view of the emerging challenges before us, our Bank is working towards the execution of several strategic initiatives that are expected to give a competitive advantage. I would like to share with you a snap shot of some of the key initiatives currently underway.



Execution of strategic initiatives under Project Navoday, our comprehensive Business Transformation Journey:

During the year, our Bank has embarked on a transformation journey ‘Project Navoday’ and has made several strides in this journey, the core of which has been around growth through processes, products, platforms and people capability building. The thrust of Project Navoday is building the next generation capabilities and unleashing the organizational talent to make our Bank future ready with the ability to deliver a differentiated world-class customer experience.

We are also preparing for the full fledged launch of our Shared Services Center in GIFT City, Gandhinagar which, through digitization and centralization with seamless scaling-up and standardization of processes, compliance and controls would improve efficiencies and help our staff to address the needs of our customers and deepen our relationship with them. Our Bank-wide Market Research Study on Customer Satisfaction and Brand Health completed in March 2017 has provided us with valuable feedback on customer perceptions and expectations from the Bank. Our Employee Engagement Survey 2016 also provided us with valuable insights on our employee needs and expectations from the Bank, which has formed the basis of the rollout of several employee-centric initiatives. In summary, the two extensive, independent primary research studies undertaken by our Bank in 2016 have been instrumental in helping us define the details of our two-pronged focus on our customers and our employees.

Some of the new business initiatives aligned with the transformation that were undertaken in 2016-17 are as below:

- Building strong product propositions across Retail and Corporate Banking
- Strengthening the Business Origination and Credit Processes for Corporate and Retail Banking
- Alliance-led strategy of ecosystem financing to support innovation and entrepreneurship in Agriculture and Rural Banking and thereby help farmers augment their income
- Integrated Enterprise Risk Management with focus on strengthening risk and compliance self-assessment, internal audit and risk management processes, policies and procedures across the Bank
- Optimisation in the use of capital, risk based pricing and extensive use of bureau data
- Technology enablement as the backbone for all businesses we undertake. The Bank is working on adoption of technology innovations such as Robotics Process Automation, Block Chain Technology and Artificial Intelligence to bring more efficiency and transparency in the business process. Digital transformation, aimed at promoting a cashless economy through efforts such as promotion of digital villages and digital-only branches, early participation in Aadhar enabled banking, UPI, Bharat Bill Payment and comprehensive mobile banking
- People transformation, aimed at increasing employee motivation and engagement
- Societal transformation through Financial Inclusion: Our Bank views financial inclusion as an opportunity to bring about societal transformation while pursuing a beneficial business proposition. We have taken a number



of initiatives to ensure that the banking services are extended across the geographic breadth of the country in a sustainable manner by leveraging technology. Some efforts in this direction include Aadhar seeding through alternate delivery channels and organizing camps, creation of dashboards to monitor the performance of BCs, hosting financial literacy camps, organising in-house training and certification programme for Banking correspondents and other innovative propositions

Strengthening our Brand: To attract the youth and instill in them the values of commitment, dedication and hard work to the profession, ace badminton players P V Sindhu and K Srikant endorse our Brand and their youth and zeal inspire our customers to associate with the core strength of these players. In order to increase the Brand recall, our Bank has acquired the naming rights of Sikandarpur and Andheri Metro Stations in the financial year 2016-17. Also, our Bank is a national supporter for FIFA U-17 World scheduled in October 2017 which will help the Bank to reach millions of students through school programs, workshops, football festivals and so on. Further, our Bank has also taken efforts to improve the brand recall by improving the brand visibility at strategic locations as well as in cinemas.

The interplay of the macroeconomic scenario, emerging challenges and the various initiatives underway has made us stronger as revealed from the financial performance this year. Our Bank reported profit in FY 2017 on a net basis as against posting a loss in FY 2016. Our Bank's gross global business crossed the ₹10 trillion milestone. Let me share with you the key highlights of the Bank's performance in FY 2017.

Financial Performance

Deposits

During FY 2017, the deposits in the Banking system increased significantly due to demonetization initiative of Government. This is reflected in the robust growth in the domestic CASA deposits of our Bank that increased from ₹1,32,539 crore in FY 2016 to ₹1,73,594 crore in FY 2017. Post the demonetization period, our Bank took a number of initiatives to retain the low cost deposits garnered during November 9 to December 31, 2016. As such, the share of CASA in domestic deposits on a terminal basis which had increased from 33.57% as of March 2016 to 40.46% in December 2016 could be retained at 39.44% as of March, 2017. It is noteworthy that on average basis the share of CASA in domestic deposits increased from 30.62% as of March 2016 to 37.08% as of December 2016 and then further to 38.79% as of March 2017. Despite the growth in CASA segment, overall deposits of our Bank grew by 4.81% on a year-on-year (y-o-y) basis to ₹6,01,675 crore. This was due to a conscious effort on our part to shed bulk and high cost deposits in favour of retail term deposits thereby lowering the cost of deposits. Our Bank's domestic deposits grew from ₹3,94,844 crore as of March 31, 2016 to ₹4,40,092 crore as of March 31, 2017 while its international deposits contracted from ₹1,79,194 crore to ₹1,61,583 crore over the same period.

Advances

Our Bank sought to consolidate and re-balance its portfolio in favour of high yielding assets while shedding the low yielding portfolios. The Global Advances of our Bank were at ₹3,83,259 crore as of March 31, 2017 as against ₹3,83,770 crore as of March 31, 2016. While the international loan book contracted from ₹1,20,502 crore to ₹1,05,735 crore, the outstanding domestic advances increased from



₹2,63,268 crore to ₹2,77,524 crore, over the same period. Our Bank diversified its portfolio in favour of retail loan portfolio which increased from ₹50,850 crore as of March 2016 to ₹57,994 crore as of March 2017. Within this, the home loan portfolio registered an increase of 20.80% on y-o-y basis. Our Bank is committed to play a meaningful role in supporting the Government's objective to improve the income of farmers and transform the rural ecosystem. Our Agriculture loan portfolio increased to ₹47,297 crore as of March 2017, registering a growth of 28.45% on y-o-y basis.

Stressed Assets

During the year, the banking sector continued to grapple with the problem of stressed assets that saw slow progress in resolution despite several policy initiatives. The limited progress in resolving stressed assets was an industry wide phenomenon as there were challenges associated with consortium lending, excess capacity in many industries, over leveraged borrowers and limited ability of corporates to access the equity markets. Our Bank was also impacted by these challenges, but it sought to limit the growth of fresh slippages by ensuring that its loan origination process is made more efficient and there is a focused approach to recovery. Accordingly, our Bank's Gross Non-Performing Assets (GNPA) slightly increased from ₹40,521 crore as of March 2016 to ₹42,719 crore as of March 2017. As of March 31, 2017, the Gross NPA and Net NPA ratios were at 10.46% and 4.72% as against 9.99% and 5.06% respectively on the corresponding date of the last financial year. Our Bank preferred prudence over profit and has worked continuously to enhance its intrinsic strength by increasing its Provision Coverage Ratio (PCR). The PCR including technical

write offs (TWO) as of March 2017 was 66.83% as against 60.09% as of March 2016. Even excluding TWO, our Bank's PCR stood at 57.68% as of March 2017 as against 52.11% as of March 2016. It is also worth noting that the Standard Restructured Advances of the Bank fell from a level of ₹25,905 crore in March 2015 to ₹13,735 crore as of March 2016 and further to ₹10,785 crore in March 2017.

Profit

Our Bank's Operating Profit registered a growth of 24.49% to touch a level of ₹10,975 crore in FY 2017 as against ₹8,816 crore in FY 2016 due to an improvement in its core earnings and supported by a 35.19% growth in its other income. The Net Interest Income showed a positive traction by recording a growth of 6.07% on y-o-y basis to touch a level of ₹13,513 crore. The Other Income reached a level of ₹6,758 crore supported by good growth in trading gains and forex profits during the year. The Total Revenue increased to ₹20,271 crore in FY 2017 as against ₹17,739 crore in FY 2016.

Total expenses declined by 5.62% driven by the fall in interest expenses and marginal increase in operating expenses. While Interest expenses declined by 8.41%, operating expenses increased by 4.18% on a y-o-y basis in FY 2017. The slow pace of growth in operating expenses helped the Bank to improve upon its cost to income ratio which declined from 50.30% in March 2016 to 45.86% in March 2017, suggesting higher operating efficiency.

During the year, our Bank provided ₹7,680 crore as against ₹13,766 crore in FY 2016 towards NPAs due to decline in fresh slippages. As a result, our Bank returned to generating profits on a net basis in FY 2017 after having posted net loss in FY 2016. The Net Profit of our Bank for FY 2017 stood at ₹1,383 crore.



Capital

Our Bank continues to be well capitalized to meet its growth aspirations on the back of strong franchise it enjoys with our customers and other stakeholders. Capital Adequacy Ratio of our Bank as per Basel III at 12.24% as of March, 2017 continues to be above the regulatory requirement. As of March 31, 2017 the Tier 1 capital ratio of our Bank is 9.93% and Common Equity Tier 1 (CET-1) is 8.98%. The Consolidated group Capital Adequacy Ratio is 12.80% as of March 31, 2017.

In a nutshell, our Bank sought to consolidate its operations and explored profitable business opportunities to return to a high growth trajectory while continuing to build on its internal strengths.

Going forward as these transformation measures get institutionalized, we are confident of providing world class services to our customers as well as generating higher value for all our stakeholders. A strong foundation for a sustainable and better quality of earnings has been put in place.

We are confident that our strategic focus on customers, people, processes, solution offerings enabled by the best in class technology will help us retain the leadership position in the emerging business environment. We believe that the multi-pronged initiatives will provide a strong foundation for the Bank to play a major role in the future growth of our country.

Our Way Forward

Our focus areas as discussed and agreed internally for the financial year 2017-18 include:

- Driving inclusive, high-quality and profitable growth and thereby build our market share

- Continuing to accelerate recovery and collection efforts to minimize the impact of stressed assets
- Enhancing customer and employee satisfaction with increased customer centricity and addressing financial needs through a multi-pronged digital transformation strategy
- Ensuring compliance with all systems, processes and procedures
- Strengthening our Subsidiaries and Associates through technology upgradation, complementary new products, talent and capability upgradation so as to provide alongside with the Bank, a full range of products and services
- Progressing steadily with the execution of our comprehensive transformation Project Navodaya

I would like to acknowledge and thank the Chairman of the Board Mr Ravi Venkatesan and all the Board members for their valuable support and inputs to the Management in all our endeavours.

The Management team is confident that our collective effort and teamwork will help us as we channelize our energies to surpass the expectations of all stakeholders – our customers, our people and our shareholders. We look forward to your continued support and goodwill in this journey.

P S Jayakumar
Managing Director and CEO



निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report

आपके निदेशकगण बैंक की 109 वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 2017) के लेखा परीक्षित तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा और व्यवसाय तथा परिचालन संबंधी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्तीय कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.16	31.03.17	वृद्धि(%)
जमा राशियां	5,74,037.87	6,01,675.17	4.81
जिसमें से- घरेलू जमा राशियां	3,94,843.97	4,40,092.15	11.46
अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियां	1,79,193.90	1,61,583.02	(9.83)
घरेलू जमा राशियां	3,94,843.97	4,40,092.15	
जिसमें से - चालू खाता जमा राशियां	19,285.57	26,761.77	38.76
बचत बैंक जमा राशियां	1,13,253.07	1,46,831.82	29.65
कासा जमा राशियां	1,32,538.64	1,73,593.59	30.98
घरेलू जमा राशियों में घरेलू कासा (%)	33.57	39.44	
अग्रिम	3,83,770.18	3,83,259.22	(0.13)
जिसमें से- घरेलू अग्रिम	2,63,268.38	2,77,523.73	5.42
अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम	1,20,501.80	1,05,735.49	(12.25)
कुल आस्तियां	6,71,376.48	6,94,875.42	3.50
शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई)	12,739.85	13,513.41	6.07
अन्य आय	4,998.86	6,758.06	35.19
जिसमें से- शुल्क आय	3,599.28	3,813.22	5.95
व्यापारिक लाभ	1,178.86	2,618.01	122.05
पीडब्ल्यूओ से वसूली	220.72	326.83	47.96
एनआईआई + अन्य आय	17,738.71	20,271.47	14.27
परिचालनगत खर्च	8,923.14	9,296.40	4.18
परिचालनगत लाभ	8,815.58	10,975.07	24.49
प्रावधान	15,513.64	8,502.37	(45.19)
जिसमें से:	13,765.89	7,679.79	(44.21)
एनपीए एवं बट्टे खाते डाले गए आशोधक ऋण हेतु प्रावधान			
कर पूर्व लाभ	(6,698.06)	2,472.70	-
कर हेतु प्रावधान	(1,302.53)	1,089.56	-
शुद्ध लाभ	(5,395.54)	1,383.14	-
विनियोजन/ अंतरण			
सांविधिक प्रारक्षित निधि	0	345.78	
पूंजीगत प्रारक्षित निधि	0	353.65	
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधि			
I) सामान्य प्रारक्षित निधि	(5,395.54)	0	
II) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (I) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	0	350.92	

विवरण	31.03.16	31.03.17	वृद्धि(%)
III) निवेश प्रारक्षित निधि खाता	0	0	
IV) गत वर्ष के अतिरिक्त नियोजन से अंतरण	7.79	0	
प्रस्तावित लाभांश	0	332.78	
महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक			
निधियों की औसत लागत	5.08	4.82	
औसत आय (%)	7.09	6.85	
औसत ब्याज अर्जक आस्तियां	6,21,234.89	6,15,834.65	
औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं	6,16,002.63	5,95,249.99	
शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	2.05	2.19	
लागत आय अनुपात (%)	50.30	45.86	
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (%)	(0.78)	0.20	
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	(17.64)	4.53	
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	132.74*	132.46*	
ईपीएस (₹)	(23.89)*	6.00	

*विभाजन के बाद शेयर का अंकित मूल्य ₹ 2/-

वित्तीय वर्ष 2016-17 भी अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण रहा. बैंकिंग उद्योग में लगातार आस्ति गुणवत्ता की चुनौतियों के चलते कमजोर कार्पोरेट मांग के कारण वित्त वर्ष 2017 के दौरान ऋण वृद्धि 5.08% के न्यून स्तर पर रही. चुनौतियों के बावजूद भी, बैंक ने अपने खुदरा उत्पादों का लाभ उठाते हुए वर्ष के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया.

बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 6.07% की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2017 को ₹ 13,513.41 करोड़ हो गई जबकि अन्य आय 35.19% की वृद्धि से ₹ 6,758.06 करोड़ हो गई, यह वृद्धि ट्रेजरी आय में 122.05% की वृद्धि के साथ ₹ 2,618.01 करोड़, साथ ही साथ कोर फीस आय में 5.95% की बढ़ोतरी के साथ ₹ 3,813.22 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई. परिचालनगत खर्च 4.18% की वृद्धि के साथ ₹ 9,296.40 करोड़ रहा.

बैंक ने वित्त वर्ष 2017 के दौरान 24.49% की वृद्धि करते हुए ₹ 10,975.07 करोड़ का परिचालनगत लाभ दर्ज किया है. प्रावधान लागत (करों के अलावा) पिछले वर्ष के ₹ 15,513.64 करोड़ की तुलना में 45.19% की भारी गिरावट के साथ ₹ 8,502.37 करोड़ रही और बैंक ने ₹ 2,472.70 करोड़ का कर पूर्व लाभ दर्ज किया. कर हेतु ₹ 1089.56 करोड़ का प्रावधान करने के बाद, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का शुद्ध लाभ ₹ 1,383.14 करोड़ रहा.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए औसत आस्तियों पर प्रतिफल 0.20% रहा जबकि इक्विटी पर प्रतिफल 4.53% रहा. प्रति शेयर अर्जन (एफवी ₹ 2/-) ₹ 6.00 रहा.

पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) :

	31.03.16	31.03.17
पूँजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल III	13.17	12.24
सीईटी-1	10.29	8.98
टियर - I	10.79	9.93
टियर - II	2.38	2.31

बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरआर) 31 मार्च, 2017 को बासेल III के अंतर्गत सांविधिक आवश्यकताओं से अधिक 12.24% पर रहा. बासेल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत टियर-1 अनुपात 9.93% पर तथा सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी-1) 8.98% पर रहा. बैंक ने दिसंबर 2016 तथा मार्च 2017 दोनों में ₹ 1,000 करोड़ के दो भागों में एटी-1 बॉण्ड के रूप में ₹ 2,000 करोड़ की ऋण पूँजी जुटायी.

31 मार्च, 2017 को बैंक की शुद्ध मालियत ₹ 30,519.80 करोड़ रही. इसमें चुकता इक्विटी पूँजी ₹ 462.09 करोड़ और प्रारक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन निधि तथा एफसीटीआर एवं निवल अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) ₹ 30,057.71 करोड़ शामिल है. शेरर का बही मूल्य (एफवी ₹ 2/-) 132.46 रहा.

लाभांश

बैंक के निदेशकों ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹ 1.20 के लाभांश की अनुशांसा की है. लाभांश के रूप में कर सहित कुल ₹ 332.79 करोड़ का व्यय होगा. लाभांश का भुगतान अपेक्षित अनुमोदन के अधीन है.

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण
व्यावसायिक परिवेश

वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2015 में 3.2% के सापेक्ष 2016 में कुछ कम होकर 3.1% रही. वैश्विक ट्रेड वृद्धि धीमी आर्थिक गतिविधियां एवं उत्पादन के साथ, 2015 में 2.6% की तुलना में वर्ष 2016 में 2.3% रही. वित्तीय वर्ष 2017 के ऐसे महत्वपूर्ण अंतराष्ट्रीय परिणाम जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार को एक जगह मिली, वे थे ब्रिक्सिट (Brexit), यूएस में नये प्रशासन द्वारा अंतर्देशीय ट्रेड नीति को अपनाना, ओपेक द्वारा ऐतिहासिक सौदा एवं गैर ओपेक सदस्य देशों द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कमी किया जाना, जिससे तेल की कीमत को स्थिर किया जा सके, चीन में धीमी प्रगति तथा भू-राजनीतिक गतिविधियों में वृद्धि आदि. तथापि वैश्विक ट्रेड एवं वैश्विक वृद्धि में सुधार के संकेत वित्तीय वर्ष 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु बेहतर वृद्धि की संभावना की ओर संकेत करते हैं.

चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण एवं घरेलू अर्थव्यवस्था में क्षणिक व्यवधान के वावजूद वित्तीय वर्ष 17 में भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता लचीली वृद्धि रही. भारतीय अर्थव्यवस्था को लगातार दो वर्षों के सूखे के बाद सामान्य मानसून, मुद्रास्फीति के अपेक्षाकृत न्यूनतम स्तर, चालू खाते में कम घाटा, मजबूत आरक्षित विदेशी मुद्रा एवं सबसे महत्वपूर्ण, सरकार की सुधारोन्मुखता का सहयोग मिला. एफसीएनआर(बी) जमा का सुचारु रूप से मोचन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कुशल चलनिधि प्रबंधन की ओर संकेत करता है.

वित्तीय वर्ष 2017 ₹ 500 एवं ₹ 1000 के संचलित मुद्रा के 86% कुल मूल्य के विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को वापिस लिए जाने तथा ₹ 500 एवं ₹ 2000 के नये नोटों से पुनःपूर्ति किए जाने का साक्षी रहा. कुछ क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में अस्थायी कमी के वावजूद इस विमुद्रीकरण की शुरुआत से जीडीपी को मजबूत आधार प्राप्त होने की अपेक्षा है.

अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार जीएसटी बिल संसद में पास हुआ और 01 जुलाई 2017 को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए गए हैं. जीएसटी को अपनाया जाना संव्यवहार की लागत में कमी, कर के कैस्केडिंग प्रभाव को दूर कराते हुए तथा भारत को “एक भारत-एक बाजार” की ओर ले जाते हुए विकास के लिए गतिवर्धक बनेगा ऐसी अपेक्षा है. इसके अतिरिक्त, विमानन, रक्षा व रेलवे सहित कुछ क्षेत्रों में एफडीआई निवेश की सीमा में छूट, बुनियादी संरचनागत क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु सरकार द्वारा खर्च में वृद्धि जैसे अनेक उल्लेखनीय कदम उठाए गए, जिसने विकास की गति को बनाए रखने में मदद की है.

मई, 2016 में एक और प्रमुख सुधार के रूप में आस्तियों के मूल्यवर्धन हेतु तथा निवेशकों एवं ऋणकर्ताओं के रक्षण हेतु समय-बद्ध तरीके से वसूली एवं निपटान के लिए एक संस्थागत फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने हेतु इन्सोल्वेन्सी एंड बैकरोप्सी कोड, 2016 पारित हुआ.

केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) द्वारा 28 फरवरी, 2017 को जारी द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017 हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.1% की वृद्धि की संभावना है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में खाद्य फसलों का लगभग 270.10 मिलियन टन (एमटी) की भारी मात्रा में उत्पादन हुआ, इस प्रकार विगत वर्ष की तुलना में 6.7% की वृद्धि हुई. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा कम निवेश एवं खपत मांग की मिश्रित प्रवृत्ति दर्शायी गयी. अग्रिम संकेतक, समिश्र पीएमआई जो कि अक्तूबर-दिसम्बर 2016 के दौरान 50 से नीचे आ गया था, फरवरी 2017 में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार का परामर्श देते हुए पुनः 50 का अंक पार कर गया. मार्च 2017 में समिश्र पीएमआई 52.3 की ऊंचाई पर पहुंचा जिससे निजी क्षेत्रों की गतिविधियों में सुधार का संकेत मिला. सेवा क्षेत्र की गतिविधियां जो कि विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान नकदी की कमी से प्रभावित हुई थीं, उनसे सुधार के संकेत के साथ ही रेलवे ट्रैफिक, दूरभाष ग्राहकों, विदेशी यात्री आगमन, यात्री कार की विक्री में भी उच्च वृद्धि दर्ज हुई.

सुधारों का दौर पूरे वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान जारी रहा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित स्थायी वृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा. जीएसटी के अतिरिक्त, कई अन्य महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत हुई जिसमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 की मंजूरी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट मुद्रास्फीति लक्ष्य के साथ मौद्रिक नीति की समिति बनाना, सरकारी राजस्व एवं व्यय की समग्र रूप से प्रस्तुति हेतु रेलवे बजट तथा संघ के बजट का समामेलन, संघ के बजट में योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय के बीच अंतर को हटाना आदि शामिल हैं. इन संरचनागत सुधारों के अतिरिक्त, स्टैन्ड अप इंडिया, प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना, जिसमें बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं, आदि नयी शुरुआत की गई जिससे संवृद्धि की प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाया जा सके.

जिस प्रकार भारत उच्च संवृद्धि की ओर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ यूएस फेडरल रिज़र्व द्वारा मौद्रिक नीति सामान्यीकरण के फलस्वरूप वैश्विक वित्तीय बाज़ार में अस्थिरता, यूएस में संरक्षणवादी झुकाव तथा भू-राजनीतिक जोखिम से नकारात्मक जोखिम भी बढ़ रहे हैं. विभिन्न ताकतों जो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक स्वरूप प्रदान कर रही हैं, को ध्यान में रखते हुए सरकार, साथ ही साथ अंतराष्ट्रीय एजेंसियां जैसे आईएमएफ, विश्व बैंक एवं एडीबी भारत में वित्तीय वर्ष 2018 में 7.5% के आस पास की संवृद्धि की अपेक्षा करते हैं. अभी और उच्च स्थायी वृद्धि दर हासिल करने हेतु वर्तमान परिस्थितियों में समर्थ अर्थशास्त्र की बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान देना होगा. निजी क्षेत्रों में निवेश में गिरावट का रुख, कार्पोरेट्स का कमजोर तुलनपत्र एवं बैंकिंग सेक्टर में उच्च स्तर की दबावग्रस्त आस्तियां जैसी चुनौतियां भारतीय अर्थव्यवस्था की भावी स्थायी वृद्धि को प्रभावित करेंगी.



भारतीय बैंकिंग में विकास

सितंबर 2016 में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के गठन के साथ ही मौद्रिक नीति में भारी परिवर्तन हुए। एमपीसी की स्थापना के साथ ही मुद्रास्फीति के संबंध में अगस्त 2016 से मार्च 2021 तक की अवधि के लिए +/- 2% की रेंज के साथ 4% के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आरबीआई गवर्नर के बजाए समिति अब नीति ब्याज दर का निर्धारण करती है। एमपीसी व्यवस्था के अंतर्गत पहली नीति की घोषणा 04 अक्टूबर 2016 को की गई। आरबीआई द्वारा अक्टूबर 2016 में रेपो रेट में 25 बीपीएस की कटौती की गई लेकिन उसके पश्चात दर की स्थिति को बनाए रखा गया, क्योंकि कोर मुद्रास्फीति लगभग 4.5% पर स्थिर रही और विमुद्रीकरण के कारण चलनिधि सहज स्थिति में रही। यद्यपि आरबीआई ने 08 फरवरी, 2017 को घोषित 6ठी द्विमासिक मौद्रिक नीति में उदारता से उदासीनता की ओर बदलाव किया। 6ठी द्विमासिक नीति की समीक्षा में आरबीआई ने अप्रैल 2017 की अपनी नीति में रिर्वर्स रेपो रेट में वृद्धि करते हुए एलएएफ में कटौती की। इसके वावजूद कि आरबीआई ने वर्ष के अधिकांश समय में रेट को एक समान रखा, बैंकों ने सिस्टम में अधिशेष चलनिधि के कारण एमपीएसएलआर तथा जमा दरों में कटौती की। बैंकिंग सेक्टर ने एसबीएन को वापस लिए जाने के पश्चात उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया।

08 नवंबर से 31 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान पुराने नोटों को नये नोटों से बदलने की परिचालनगत चुनौतियों के साथ-साथ कुछ समय के लिए आस्ति गुणवत्ता कारणों से बैंकों का कार्य निष्पादन मंदा रहा। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2017 में बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट संवृद्धि में वर्ष दर वर्ष आधार पर कई वर्षों की तुलना में 5.1% की गिरावट आई।

खेल परिवर्तक पहल के रूप में दिवालियापन संहिता जिसके अंतर्गत 180 दिनों के उल्लंघन के साथ ही समाधान पर विचार हेतु घोषित उद्देश्य द्वारा, समाधान की दिशा में मूल परिवर्तन लाने की संभावना है। यद्यपि दिवालियापन संहिता के प्रयोग को प्रभावी बनाने हेतु संस्थागत बुनियादी संरचनागत आवश्यकताओं को पूरा होने में अभी कुछ समय लग सकता है, इसकी एक अच्छी दिशा में शुरुआत हुई है, जैसा कि कुछ मामलों की दिवालियापन संहिता के अंतर्गत सुनवाई भी की गई है। दिवालियापन सम्बंधी विधि विकास के अतिरिक्त, 5:25 एसडीआर, एस4ए की वर्तमान योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसे संशोधित किया गया है। आरबीआई ने बड़ी कम्पनियों के मामले में प्रक्रियागत जोखिम को कम करने हेतु बैंक जोखिम को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा ऐसे बॉर्ड पर कूपन के भुगतान में आरक्षित निधियों के प्रयोग की अनुमति प्रदान कर एटी1 बॉर्ड को आकर्षित बनाने हेतु इसके प्रतिबंध में ढील दी गई है। बैंकिंग सिस्टम की दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु बैड बैंक की स्थापना की संभावना पर भी विचार किया गया। एक बैड बैंक द्वारा बैंकिंग सेक्टर की दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की संभावना है लेकिन उसे तार्किक एवं पूंजीगत चुनौतियों का सामना करना होगा।

विमुद्रीकरण ने वैकल्पिक भुगतान प्रणाली को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए अवसर प्रदान किया जिसे सरकार तथा आरबीआई द्वारा भुगतान पर लगने वाले प्रभार एवं संव्यवहार पर लागू लेवी में कटौती करते हुए प्रोत्साहित किया गया। यूएसएसडी सेवाओं पर प्रभार में भी कटौती की गई। इसके अतिरिक्त 31 दिसंबर, 2016 को भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) ऐप की शुरुआत की गई जिसका प्रयोग अन्य यूपीआई ऐप एवं बैंक खातों के साथ किया जा सकता है। भीम की विशेषता यह है कि इसमें भुगतान अथवा निधि अंतरण हेतु बैंक खाते अथवा वर्चुअल भुगतान पते की आवश्यकता नहीं होती। जिस चीज की आवश्यकता होती है वह है सिर्फ पानेवाला का मोबाइल नंबर। यह किसी बैंक विशेष का ऐप नहीं है और इसकी शुरुआत शहर के साथ ही साथ ग्रामीण जनसमुदाय द्वारा नकदी रहित संव्यवहार को बढ़ावा देने हेतु किया गया है।

01 अप्रैल 2017 से एसबीआई के सहयोगी बैंकों एवं भारतीय महिला बैंक के एसबीआई में समामेलन के साथ ही बैंकिंग परिदृश्य में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में समेकन, संबंधित दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में मदद

करेगा, साथ ही सकारात्मक सहक्रिया को मूर्त रूप प्रदान करने में सहायता मिलेगी, जिससे इस क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में सुधार आएगा।

नये भुगतान बैंकों जैसे भारतीय पोस्ट भुगतान बैंक लिमिटेड एवं एयरटेल भुगतान बैंक ने वर्ष के दौरान अपना परिचालन शुरु कर दिया है, जबकि अन्य पेटीएम भुगतान बैंक लिमिटेड, जियो भुगतान बैंक लिमिटेड, एनएसडीएल भुगतान बैंक लिमिटेड व एफआईएनओ भुगतान बैंक लिमिटेड तथा लघु फाईनेंस बैंक अर्थात एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक द्वारा अभी परिचालन शुरु किया जाना है। इसके अतिरिक्त 6 और छोटे फाईनेंस बैंकों ने अपने परिचालन शुरु किए हैं। नये प्रदाताओं के आगमन तथा डिजिटल भुगतान की आदतों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए लगातार प्रयासों से भारत में बैंकिंग में प्रतिस्पर्धात्मक एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं एवं बैंकों को एक नये अंदाज में व्यवसाय मॉडल विकसित कर प्रतिस्पर्धात्मक बने रहने पर दबाव बना रहे हैं।

व्यवसाय कार्य-निष्पादन

हमारे बैंक के व्यवसाय कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

संसाधन संग्रहण एवं ऋण विस्तार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.16	31.03.17	वृद्धि(%)
जमाराशियां	5,74,037.87	6,01,675.17	4.81
जिसमें से- घरेलू जमाराशियां	3,94,843.97	4,40,092.15	11.46
अंतर्राष्ट्रीय जमाराशियां	1,79,193.90	1,61,583.02	(9.83)
घरेलू जमाराशियां	3,94,843.97	4,40,092.15	
जिसमें से - चालू खाता जमाराशियां	19,285.57	26,761.77	38.76
बचत बैंक जमाराशियां	1,13,253.07	1,46,831.82	29.65
कासा जमाराशियां	1,32,538.64	1,73,593.59	30.98
घरेलू जमाराशियों में घरेलू कासा (%)	33.57	39.44	
अग्रिम	3,83,770.18	3,83,259.22	(0.13)
जिसमें से- घरेलू अग्रिम	2,63,268.38	2,77,523.73	5.42
अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम	1,20,501.80	1,05,735.49	(12.25)
कुल आस्तियां	6,71,376.48	6,94,875.42	3.50

हमारे बैंक की कुल जमाराशियां 4.81% की वृद्धि के साथ गत वर्ष के ₹ 5,74,037.87 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,01,675.17 करोड़ हो गईं। घरेलू कासा 30.98% की सुदृढ़ वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2016 के ₹ 1,32,538.64 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2017 को ₹ 1,73,593.59 करोड़ पर पहुंच गईं। इसमें बचत बैंक जमाराशियां 29.65% की वृद्धि के साथ ₹ 1,13,253.07 करोड़ से ₹ 1,46,831.82 करोड़ पर पहुंच गईं। 31 मार्च, 2017 को घरेलू जमाराशियों में कासा जमाराशियों का हिस्सा पिछले वर्ष के 33.57% से बढ़कर 39.44% हो गया। एक विवेकपूर्ण देयता प्रबंधन उपाय के रूप में आपका बैंक लगातार रिटेल सावधि जमाराशियों से थोक अधिमानीय सावधि जमाराशियों को कम कर रहा है। घरेलू रिटेल सावधि जमा अनुपात पिछले वर्ष के 73.96% से बढ़कर 31.03.2017 को 77.55% हो गया। वर्ष के दौरान सितंबर-नवंबर 2013 की विशेष एफसीएनआर (बी) की लगभग ₹ 11,500 करोड़ की जमाराशियां का भुगतान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान कासा जमाराशियों में उल्लेखनीय वृद्धि आंशिक रूप से विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान पुरानी मुद्रा की जमा से हुई। हालांकि विमुद्रीकरण

प्रक्रिया से पहले बैंक ने 16% की सुदृढ़ कासा वृद्धि की जो संपूर्ण बैंक में खातों के सक्रियकरण और संबंधों को गहन करने के लिए शुरु किए कासा अभियानों तथा इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म में सुधार कर डिजिटलीकरण कार्यक्रम को मजबूत बनाने और पीओएस संस्थापन में वृद्धि आदि से हुई.

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान अपने बैंक के कुल अग्रियों में कमी हुई जो प्रमुख रूप से अपनी ऋण बही के पुनः संतुलन पर ध्यान केंद्रित करने और विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय परिचालन में कम आय अर्जन वाली आस्तियों को कम कर उन्हें दीर्घाविधि उच्च आय अर्जन वाले स्थानीय क्रेडिट में परिवर्तित करने के कारण हुई. वर्ष के दौरान सितंबर-नवंबर 2013 की विशेष एफसीएनआर (बी) योजना जमाओं के लगभग ₹ 10,000 करोड़ के ऋण पोर्टफोलियो का परिसमापन किया गया. हालांकि, जहां व्यवसाय रूपांतरण कार्यक्रम चल रहे थे और लाभप्रद परिणाम दे रहे थे, मुख्य रूप से ऐसी कॉर्पोरेट और खुदरा आस्तियों में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान घरेलू ऋण में 5.42% की वृद्धि हुई.

कुल आस्तियों में 3.50% की वृद्धि हुई जो 31 मार्च, 2016 के ₹ 6,71,376.48 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2017 को ₹ 6,94,875.42 करोड़ हो गई.

विमुद्रीकरण

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार - ₹ 500 और ₹ 1000 मूल्यवर्ग के पुराने मुद्रा नोट, जिन्हें विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) कहा गया है, 09 नवंबर, 2016 से कानूनी रूप से वैध नहीं रहे. इन नोटों, जो परिचालन में कुल नोटों का 86% थे, को बैंक काउंटरों पर बदलने की अनुमति दी गई और इन्हें 30 दिसंबर, 2016 तक खाते में जमा करने के लिए बैंक में प्रस्तुत करना अनिवार्य था. एसबीएन के विमुद्रीकरण से आपके बैंक की शाखाओं के काउंटरों पर भारी भीड़ रही और इसने परिचालनगत क्षमताओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया. इस अवसर पर बैंक के सभी कर्मचारियों और समग्र मशीनरी को शाखाओं में भारी भीड़ को सेवाएं प्रदान करने तथा उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए लगाया गया. इस दौरान किए गए ट्रांजेक्शनों की संख्या सामान्य वॉल्यूम से बहुत अधिक थी. बैंक की शाखाओं में 10.11.16 से 30.12.16 तक हुए ट्रांजेक्शनों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	ट्रांजेक्शनों की संख्या (लाख)	राशि (₹ करोड़)
शाखाओं में नकदी जमा	204.48	65,088
शाखाओं में नकदी आहरण	292.77	25,295
एटीएम पर नकदी आहरण	104.35	2,714
बीसी से नकदी आहरण	22.50	354
शाखाओं में पुरानी मुद्रा नोट बदली	30.83	1,078

उपरोक्त अवधि के दौरान 23 मिलियन से अधिक नए ग्राहक बैंक से जोड़े गए और 4 लाख से अधिक निष्क्रिय खाते सक्रिय किए गए.

विमुद्रीकरण की प्रक्रिया ने जहां बैंक की कासा जमाओं को बढ़ाने में मदद की, वहीं इसने डिजिटल और स्व-सेवा चैनलों की ओर ले जाने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया. इसने डेबिट/ क्रेडिट कार्डों के अलावा वैकल्पिक डिजिटल भुगतान प्रणालियों हेतु बाजार में पूर्ण महौल पैदा किया. बैंक ने विभिन्न डिजिटल उत्पादों में वृद्धि की और उन्हें सुदृढ़ बनाया तथा नए उत्पाद भी शुरु किए जिनका अलग से ब्यौरा डिजिटल खंड में दिया गया है.

परिचालन कार्यनिष्पादन:

बैंक के परिचालन कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.16	31.03.17	वृद्धि (%)
अर्जित ब्याज	44,061.27	42,199.92	(4.22)
दिया गया ब्याज	31,321.42	28,686.51	(8.41)
शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई)	12,739.85	13,513.41	6.07
अन्य आय	4,998.86	6,758.06	35.19
जिसमें से-शुल्क आय	3,599.28	3,813.22	5.95
व्यवसायिक लाभ	1,178.86	2,618.01	122.05
पीडब्ल्यूओ से वसूली	220.72	326.83	47.96
एनआईआई + अन्य आय	17,738.71	20,271.47	14.27
परिचालनगत खर्च	8,923.14	9,296.40	4.18
कर्मचारी खर्च	4,978.02	4,637.77	(6.83)
अन्य परिचालनगत खर्च	3,945.12	4,658.63	18.08
परिचालनगत लाभ	8,815.58	10,975.07	24.49
प्रावधान	15,513.64	8,502.37	(45.19)
जिसमें से:			
एनपीए एवं बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान	13,765.89	7,679.79	(44.21)
मानक अग्रियों हेतु प्रावधान	(258.11)	776.58	-
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	341.47	19.29	(94.43)
अन्य प्रावधान	1,664.39	26.71	(98.44)
कर पूर्व लाभ	(6,698.06)	2,472.70	-
कर हेतु प्रावधान	(1,302.53)	1,089.56	-
शुद्ध लाभ	(5,395.54)	1,383.14	-
महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक			
जमाराशियों की औसत लागत (%)	5.05	4.78	
अग्रियों पर औसत लाभ (%)	7.35	7.27	
शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	2.05	2.19	
लागत-आय अनुपात (%)	50.30	45.86	
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (%)	(0.78)	0.20	
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	(17.64)	4.53	

अग्रियों में मंद वृद्धि, एमसीएलआर में गिरावट, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के मद्देनजर एसडीआर तथा एस4ए खातों में ब्याज रिवर्सल के कारण बैंक की कुल ब्याज आय में 4.22% की कमी आई जो वित्त वर्ष 2016 के ₹ 44,061.27 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2017 में ₹ 42,199.92 करोड़ रही. अग्रियों पर औसत लाभ (दैनिक औसत आधार पर) में मामूली गिरावट हुई जो वित्त वर्ष 2016 के 7.35% की अपेक्षाकृत वित्त वर्ष 2017 में 7.27% रहा.

कुल ब्याज खर्च में भी कमी आई जो वित्त वर्ष 2016 के ₹ 31,321.42 करोड़ घटकर वित्त वर्ष 2017 में ₹ 28,686.51 करोड़ रहा. वर्ष के दौरान जमाओं पर ब्याज खर्च में भी 8.41% की भारी कमी हुई. जमाओं की औसत लागत (दैनिक औसत आधार पर) वित्त वर्ष 2016 के 5.05% से घटकर वित्त वर्ष 2017 में 4.78% रही.



तदनुसार, बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) संशोधित आस्ति देयता प्रबंधन के कारण 6.07% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2016 के ₹ 12,739.85 करोड़ के स्तर से बढ़कर वित्त वर्ष 2017 के दौरान ₹ 13,513.41 करोड़ पर पहुंच गई।

ट्रेजरी आय के 122.05% की वृद्धि के साथ ₹ 2,618.01 करोड़ होने तथा कोर शुल्क आय के 5.95% की वृद्धि के साथ ₹ 3,813.22 करोड़ होने के कारण बैंक की अन्य आय 35.19% की वृद्धि के साथ ₹ 6,758.06 करोड़ रही। वर्ष के दौरान बैंक कम ब्याज दर परिवेश का लाभ उठाने में सफल रहा और घरेलू परिचालन में संतुलित ऋण वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में पुनः वृद्धि के चलते कोर शुल्क आय में 5.95% की वृद्धि दर्ज की। बट्टे खाते किए गए खातों में ₹ 326.83 करोड़ की वसूली ने 47.96% की वृद्धि दर्ज की।

परिचालन खर्च 4.18% की वृद्धि के साथ ₹ 9,296.40 करोड़ रहा। जबकि वर्ष के दौरान मूल प्रभाव के कारण कर्मचारी खर्च में 6.83% की कमी हुई जो 4,637.77 करोड़ रुपये रहा, अन्य परिचालन खर्च 18.08% की वृद्धि के साथ ₹ 4,658.63 करोड़ रहा जिसमें विमुद्रीकरण प्रक्रिया के दौरान खर्च किया गया अतिरिक्त व्यय भी शामिल है।

बैंक ने वित्त वर्ष 2017 के दौरान 24.49% की वृद्धि करते हुए ₹ 10,975.07 करोड़ का परिचालनगत लाभ दर्ज किया है। प्रावधान लागत (करों के अलावा) गत वर्ष के ₹ 15,513.64 करोड़ की तुलना में 45.19% की उल्लेखनीय कमी के साथ ₹ 8,502.37 करोड़ रही। एनपीए और बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण हेतु प्रावधानों में भी 44.21% की कमी हुई जो ₹ 7,679.79 करोड़ रहे।

बैंक ने ₹ 2,472.70 करोड़ का कर पूर्व लाभ दर्ज किया। कर हेतु ₹ 1,089.56 करोड़ के प्रावधान किए जाने के बाद 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु शुद्ध लाभ ₹ 1,383.14 करोड़ रहा।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए औसत आस्तियों पर प्रतिफल 0.20% रहा जबकि इक्विटी पर प्रतिफल 4.53% रहा।

व्यवसाय रूपांतरण यात्रा - प्रोजेक्ट नवोदय

वर्ष के दौरान हमारे बैंक ने “प्रोजेक्ट नवोदय” नाम से एक व्यापक व्यवसाय रूपांतरण प्रक्रिया प्रारंभ की है। बैंक का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा के साथ अंतराल को मिटा समयोपरित्वरित और लाभप्रद संवृद्धि करना है। बैंक समसामयिक पूर्ण-सेवा सर्वव्यापी बैंक बनने तथा वैश्विक स्तर का भारत का प्रमुख बैंक बनने के लिए अलग तरह की कार्यनीति बना रहा है जो:

- ‘अंडर सर्ब्ड’ ग्राहक वर्ग पर ध्यान केंद्रित करना (जैसे कि कृषि एवं वित्तीय समावेशन को मिलाकर समेकित ग्रामीण बैंकिंग, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का समर्थन)
- ‘वेल - सर्ब्ड’ वर्ग के लिए ऋण एवं जमा राशियों से परे समाधान उपलब्ध कराना, नकदी प्रवाह एवं संव्यवहारों को कैप्चर करना, विशेषकर कापॉरिट, एमएसएमई तथा रिटेल के लिए।
- महत्वपूर्ण परिवर्तक बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाना, एकल आरएम का प्रस्ताव, नेटवर्क में प्रतिमोच्य सीमा और बहु मौद्रिक वित्तीय पोषित क्षमता को विकसित करना।
- कोर तकनीकी समर्थन को डिजिटल बनाना तथा एक नया डिजिटल प्लेटफार्म निर्मित करना।

बैंक ने सभी व्यवसायिक ईकाइयों तथा कार्यालयों में विभिन्न पहलों के माध्यम से इस परिपलपना को क्रियाविक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है, 5 मूल डायमेंशन्स की संरचना की है।

- दवाबग्रस्त आस्तियों को प्रबंधित करने के दौरान ‘कोर’ व्यवसाय ईकाइयों (रिटेल, कापॉरिट, एमएसएमई, ग्रामीण एवं कृषि तथा अंतर्राष्ट्रीय) का रूपांतरण तथा वृद्धि करना
- भविष्य के लिए क्षमताओं का निर्माण (उदाहरण स्वरूप सप्लाई चेन फाइनेंसिंग जैसे नए उत्पादों नकदी प्रबंधन, डिजिटल, धन संपदा प्रबंधन तथा दक्षता बढ़ाने हेतु परिचालन को केंद्रीकृत करना)
- समर्पित नेतृत्व क्षमता तथा प्रतिभा पहलों के माध्यम से संस्था को ‘पोषित’ करना तथा प्रतिभा को सामने लाना।
- क्रियान्वयन तथा दक्षता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से ‘बड़ा परिवर्तन’ तथा ‘क्रमबद्ध परिवर्तन’ करना।
- नये सहयोगी बनाना तथा नई पहल करना।

बैंक ने सभी व्यवसाय खंडों, कार्यालयों / प्रक्रियाओं में 120 से अधिक नीतिगत पहलों को निर्धारित किया है। इन पहलों को लागू करने के लिए परियोजना प्रबंधन कार्यालय (पीएमओ) की स्थापना की गई है, जिसकी सहायता 100 चेंज लीडर्स के द्वारा की जा रही है जो कि चेंज मैनेजमेंट के विचारों को निचले स्तर की टीम तक पहुंचाएंगे। इस परियोजना का क्रियान्वयन शुरू हुआ तथा बैंक लगातार इस रूपांतरण की यात्रा पर अग्रसर है। इस दिशा में उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी निदेशक रिपोर्ट की संबंधित मद में दी गई है।

कापॉरिट क्रेडिट

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान लार्ज कापॉरिट एवं मिड कापॉरिट विभागों का विलय किया गया। पूरे भारत में 9 कापॉरिट वित्तीय शाखाएं (सीएफएस) एवं 14 मिड कापॉरिट शाखाएं कार्य कर रही हैं तथा कापॉरिट क्रेडिट पोर्टफोलियो के 85% भाग का प्रबंधन कर रही हैं। कापॉरिट क्रेडिट बैंक के कुल घरेलू अग्रिमों में 48% का योगदान कर रहा है। वर्ष के दौरान 117 नए कापॉरिट ग्राहक जोड़े गए।

व्यवसाय रूपांतरण की कड़ी के रूप में आपका बैंक कापॉरिट बैंकिंग मॉड्यूल को पुनःनिर्मित / पुनर्निर्मित तथा पुनः परिभाषित करने की प्रक्रिया में है। ऋण और जमाओं से परे क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि बैंक ज्ञान आधारित, संबंधों को प्रमुखता देने वालों कापॉरिट बैंक बन सके। इसके लिए कई कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं। बैंक ने मानकीकृत ऋण मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ टीम के साथ केंद्रीकृत क्रेडिट वर्टिकल की स्थापना की है। यह लक्ष्य समूह की पहचान करने तथा बैंक के लिए मार्केट उपलब्ध कराने का अनुपूरक है। सीएफएस एवं मिड कापॉरिट शाखाओं द्वारा तकनीकी रूप से दक्ष रिलेशनशिप मैनेजर (आरएम) मॉडल अपनाया गया। समर्पित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के द्वारा इन रिलेशनशिप मैनेजर (आरएमएस) का सहयोग किया जाता है। आपके बैंक ने लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मूल्य निर्धारण नीति स्थायी संबंध बनाने हेतु पुनर्निर्मित किया है तथा अच्छे वॉलेट शेयर एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण तथा प्राप्त करने एवं एवं प्रक्रियाओं लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित किया है एवं संस्थागत खातों को नियोजित किया है। बहु - मौद्रिक सुविधाओं के साथ बहु भौगोलिक क्षेत्रों के ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का लाभ उठाया गया है।

जहाँ उक्त सभी उपाय का उद्देश्य कापॉरिट क्रेडिट डिलिवरी की दिशा में पुर्ननिर्माण करना तथा लक्ष्य बाजारों का निर्धारण करना है, वहीं प्रणाली को सशक्त बनाया गया ताकि ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। बैंक ने वाह्य क्रेडिट एजेंसियों को नियुक्त किया है तथा समुचित सावधानी से वित्तीय / बाजार के लिए क्रेडिट ब्यूरो की सेवाओं का उपयोग कर रहा है। इन उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता में सुधार हुआ है जिसे नीचे दिए गए घरेलू ऋण पोर्टफोलियो की रेटिंग वितरण में भी देखा जा सकता है:

ऋण रेटिंग वितरण	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2017
ए एवं अधिक	29.26%	39.27%
बीबीबी	14.14%	15.77%
बीबीबी से नीचे	19.42%	21.80%
रेटिंग नहीं की गई	36.88%	23.16%

* ₹ 5.00 करोड़ एवं उससे ऊपर के अग्रिमों का वाह्य रेटिंग वितरण.

इन कदमों के साथ ही साथ कार्पोरेट ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नए उत्पाद जैसे सप्लाई चैन फाइनेंसिंग, नकदी प्रबंधन तथा ट्रेड फाइनेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है. इन उत्पादों में से एक उत्पाद यथा सप्लाई चैन फाइनेंसिंग शुभारंभ से पूर्व जाँच की अंतिम अवस्था में है.

कार्पोरेट बैंकिंग विभाग के घरेलू विदेशी व्यवसाय (डीएफबी) प्रभाग भारत के विदेश से/को धनप्रेषण एवं व्यापार की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है तथा विदेशी व्यवसाय करने वाली प्राधिकृत शाखाओं को सहयोग प्रदान करता है.

एमएसएमई ऋण

एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कृषि के बाद लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है. हमारा बैंक 54 एसएमई लोन फैक्ट्रियों तथा शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के जरिये इस क्षेत्र को सहयोग प्रदान करता है. बैंक का 31 मार्च, 2017 के अंत में हमारे बैंक का एमएसएमई अग्रिम ₹ 58,090 करोड़ रहा. 31 मार्च, 2017 को हमारे बैंक के सकल घरेलू अग्रिमों में एमएसएमई अग्रिमों का योगदान 19.50% रहा. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिम का स्तर ₹ 50,413 करोड़ था. हमारा बैंक प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है तथा माइक्रो इंटरप्राइजेज श्रेणी में खातों की संख्या में प्रधान मंत्री टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित 10% के लक्ष्य के सापेक्ष 16% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि हासिल की.

व्यवसाय रूपांतरण की कड़ी के रूप में, बैंक बिक्री तथा संसाधन टीम पर फिनटेक एवं ई कॉमर्स कंपनियों के साथ नीतिगत साझेदारी करते हुए सहवर्ती टाईअप किये हैं. बैंक के एसएमई विभाग की कार्यनीति का मूल तत्व है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (गैर - कृषिगत), तथा सरकारी कार्यक्रमों, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया पारंपरिक लघु एवं मध्यम उद्यमी ग्राहकों के लिए लक्षित उत्पाद कार्यक्रम (भौगोलिक तथा औद्योगिक विशेष) की रूप - रेखा तैयार करना प्राथमिक माइक्रो तौर पर एंटरप्राइज को लक्ष्य करते हुए ग्राहकों को सहयोग देने के लिए बैंक के डेटा (जैसे कि सीए बैलेंसेस, पीओएस संव्यवहार डेटा, एमएसएमई मालिकों द्वारा लिए गए रिटेल ऋण के पुनर्भुगतान के विवरण) का लाभ उठाकर उत्पाद तैयार करना, पूर्ण रूप से ऑनलाइन एमएसएमई ऋण प्लेटफॉर्म का निर्माण कर विकासशील डिजिटल ऋण अवसरों का लाभ लेना, सप्लाई चैन फाइनेंस तथा ई - कॉमर्स सेलर फाइनेंस में मौजूदा एवं उभरते हुए इको सिस्टम को लक्ष्य करते हुए उत्पादों का विकास करना, एसएमई के लिए समर्पित और वर्टिकल बनाते हुए के द्वारा उच्च मूल्य वाले एमएसएमई संबंधों के निर्माण तथा उन्हें मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना, समर्पित बिक्री टीम आदि के माध्यम से एमएसएमई ग्राहकों को एफएक्स की प्रभावी बिक्री करना.

हमारे बैंक ने फिनटेक कंपनियों के साथ टाईअप किया है जिससे एमएसएमई ग्राहकों को बेहतर, त्वरित एवं किफायती सेवाएं प्रदान करने तथा बेहतर व समुचित सावधानी, विपणन के अवसरों एवं त्वरित सेवा प्रदान करने हेतु मूल्यवर्धन करने में बैंक को सहायता प्राप्त हो सके.

खुदरा ऋण

हमारे बैंक में खुदरा ऋण का वितरण मुख्य रूप से 71 स्पेशलाइज्ड मॉर्गेज स्टोर (एसएमएस) तथा शाखाओं के विशाल नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है. बैंक ने वर्ष

के दौरान पणजी, वापी, जबलपुर, उदयपुर तथा गांधीनगर में -5- नये एसएमएस खोले हैं. बैंक ने खुदरा ऋण के उत्पादों जैसे ऋण सीमा में वृद्धि/आय गुणक/एफओआईआर/आवास ऋण का जोखिम आधारित कीमत निर्धारण/ ऑटो लोन/ क्रेडिट ब्यूरो स्कोर के साथ लिंक मॉर्गेज ऋण की समीक्षा और पुनर्संरचना की है, बैंक ने तीन अंचलों के लिए प्रायोगिक आधार पर बड़ौदा (अब गांधीनगर में स्थानांतरित) में केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र(सीपीसी) की स्थापना द्वारा रिटेल क्रेडिट प्रक्रिया का केन्द्रीकरण किया है. बैंक ने आवास ऋण की सोर्सिंग/संयुक्त सोर्सिंग के लिए डीएसए नीति को अपनाया गया है. इसके अतिरिक्त बैंक ने गुणवत्तायुक्त आवास ऋण /व्यक्तिक ऋण व शैक्षणिक ऋण प्रस्तावों को प्राप्त करने के उद्देश्य से चार डिजिटल डीएसए को सूचीबद्ध किया है. बैंक ने नकदी प्रवाह का प्रत्यक्ष समनुदेशन एवं अंतर्निहित प्रतिभूतियों द्वारा रिटेल आस्तियों की बिक्री एवं खरीद हेतु नीति भी बनाई गई है. बैंक ने कुछ नये उत्पाद जोड़े हैं, जैसे टॉपअप सुविधा विकल्प के साथ आवास ऋण का टेक ओवर, गैर वैयक्तिक को संपत्ति के बदले में ओवर ड्राफ्ट, वर्तमान आवास ऋण उधारकर्ताओं एवं देयता ग्राहकों आदि को पूर्व अनुमोदित टॉपअप लोन, जिसकी सहायता से वर्ष के दौरान बैंक के रिटेल लोन पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई है.

वर्ष के दौरान बैंक ने 25 चयनित शहरों में नये उत्पाद 'डेबिट कार्ड धारकों हेतु डेबिट कार्ड ईएमआई' की शुरुआत की है, जिससे कि ग्राहक विभिन्न ऑन-लाइन ई-कॉमर्स पोर्टल स्टोर्स से उत्पाद खरीद सकते हैं.

रिटेल क्रेडिट के अंतर्गत किए गए तथा किए जा रहे नवोन्मेषी कार्यों में प्रतिस्पर्धात्मक दरों के साथ तैयार की गई सरलीकृत ऋण मूल्य निर्धारण कस्टमाइज्ड क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, ग्राहकों की आवश्यकता की पूर्ति करने के अनुरूप तैयार किए गए उत्पाद, बिक्री सभ्यता को विकसित करने हेतु समर्पित बिक्री दल का गठन, आवास ऋण के लिए पूर्व अनुमोदित ऋण सीमा, विश्लेषकों द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत ऋण तथा कार ऋण अभियान, आवास ऋण हेतु टॉप अप एवं सरलीकृत बकाया अंतरण कार्यक्रम, साझेदारियों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को न्यूनतम वित्तीय आवश्यकताओं के साथ एलएपी बढ़ाना, डेबिट कार्ड ईएमआई उत्पाद की शुरुआत तथा व्यवसाय बढ़ाने हेतु डीएसए के साथ साझेदारी शामिल है.

हमारे बैंक की रिटेल ऋण बही में पांच प्रमुख उत्पाद अर्थात आवास ऋण, ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, संपत्ति के पेटे ट्रेडर्स ऋण तथा मार्गेज ऋण शामिल हैं. ये 31 मार्च 2017 को कुल रिटेल ऋणों का 84.71% रहे. 31 मार्च 2017 को गृह ऋण ₹ 5,200 करोड़ (20.83%) की वृद्धि के साथ ₹ 30,168 करोड़ के स्तर पर गया. मार्गेज ऋण ₹ 1,767 करोड़ (92.35 %) की बढ़त के साथ ₹ 3,681 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया. ऑटो ऋण, ट्रेडर्स ऋण तथा शिक्षा ऋण क्रमशः ₹ 4,394 करोड़, ₹ 8,835 करोड़ तथा ₹ 2,054 करोड़ रहे. अन्य खुदरा ऋण उत्पादों में पर्सनल ऋण और अन्य विविध ऋण शामिल हैं.

31 मार्च 2017 को कुल रिटेल ऋण ₹ 57,994 करोड़ रहे जो बैंक के घरेलू अग्रिमों का 19.5% है.

ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के ऋण :

हमारा बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कृषि ऋण के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहा है. इसने अपनी 1812 ग्रामीण शाखाओं एवं 1523 अर्धशहरी शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण बाजार की संभावनाओं पूरा लाभ उठाया है. वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान बैंक द्वारा ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में 62 नई शाखाएं खोली गईं.

हमारा बैंक उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है. भारत के 48 जिलों में बैंक अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी निभा रहा है, जिनमें गुजरात में 14, राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 15 और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं बिहार में 2-2 तथा दिल्ली में 1 जिला शामिल है.



बैंक के प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिम मार्च 2016 के ₹ 1,13,121 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2017 को ₹ 1,27,672 करोड़ रहे जो कि समायोजित शुद्ध बैंक ऋणों (एएनबीसी) का 41.66% थे. बैंक के प्रत्यक्ष कृषि ऋण वर्ष के दौरान ₹ 1,858 करोड़ (6.61%) की शुद्ध वृद्धि के साथ ₹ 29,952 करोड़ रहे. आपके बैंक के कुल कृषि अग्रिमों में ₹ 10,475 करोड़ की वृद्धि हुई जो 31 मार्च, 2017 को ₹ 47,297 पर पहुंच गए. कुल कृषि अग्रिम एएनबीसी का 18.02% रहे.

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 'बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड' के अंतर्गत लगभग 0.70 लाख क्रेडिट कार्ड, जारी किए गए. 12.74 लाख किसानों को बड़ौदा किसान रुपये कार्ड, एटीएम समर्थित स्मार्ट कार्ड वितरित किए गए. वर्ष 2017 के दौरान बैंक ने लगभग 2,33,876 नये किसानों को ₹ 2,832 करोड़ के ऋण मंजूर किए. माइक्रोफाइनेंस पहल के रूप में बैंक ने वित्तीय वर्ष 17 के दौरान ₹ 263 करोड़ के ऋण उपलब्ध करा कर 26,100 स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई.

व्यवसाय रूपांतरण की कड़ी के रूप में, कृषि एवं ग्रामीण कार्यनीति का केंद्रीकृत क्षेत्र किसानों को समर्थ बनाकर उनकी उत्पादकता को बढ़ाने, क्षतिपूर्ति / उगाही को बढ़ाने तथा भागीदारों के साथ मिलकर काम करने पर है. बैंक की समेकित ग्रामीण कार्यनीति के चार स्तंभ हैं (i) बैंक खाते का अधिकतम उपयोग, आधार सीडिंग के माध्यम से त्वरित खाता खोलना, स्वचालित मशीन के माध्यम से पिन जनरेट करना, तुरंत डेबिट कार्ड जारी करना तथा 20,000 बीसी तथा 04 लाख पीओएस टर्मिनल के माध्यम से नकदी लेन-देन के नेटवर्क को विस्तृत करना, (ii) सामान्य क्रेडिट (जैसे कि फसल ऋण) से आगे बढ़कर विविध प्रकार की ग्रामीण ऋण कार्यनीति की ओर अग्रसर होना तथा समग्र ग्रामीण ग्राहक वर्ग में नई उत्पाद श्रेणियों अर्थात फार्म मशीनीकरण, बागबानी ऋण, फसल ऋण, वेयरहाऊस रसीद वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करना और छोटे किसानों एवं समुदायों हेतु समुदाय आधारित ऋण मॉड्यूल अपनाना (iii) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदाताओं, कृषि वित्तपोषण कंपनियों, बीमा कंपनियों, प्राइवेट इक्विटी फर्मों, बीज एवं उर्वरक कंपनियों, वेयरहाऊस एवं कोल्ड स्टोरेजों, ग्रामीण विश्वविद्यालयों, ड्रिप सिंचाई कंपनियों आदि जैसी कंपनियों एवं भागीदारों का इकोसिस्टम विकसित करना (iv) बैंक में एकीकृत ग्रामीण बैंकिंग संगठन स्थापित करना जो ग्रामीण एवं वित्तीय समावेशन संबंधी पहलें करेगा.

ग्रामीण इकोसिस्टम बनाने के लिए आरएमएल एजीटीईसीएच, किसानों को फसल के चयन से लेकर मार्केटिंग तक का तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने वाली तकनीकी कंपनी, सहित प्रमुख एग्री कंपनियों के साथ कार्यनीतिक भागीदारी की गई ताकि किसानों की उत्पादकता एवं लाभप्रदता को सुधारा जा सके, अग्रणी लघु सिंचाई कंपनियों जैसे नेटाफिम इरिगेशन इंडिया प्रा. लि. तथा जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड के साथ समझौता किया ताकि लघु सिंचाई उपकरण खरीदने हेतु किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जा सके, पांच कोलेट्रल मैनेजर्स जैसे कि एडलवेज एग्री वैल्यू चेन लि., श्री शुभम लॉजिस्टिक लिमिटेड, सिद्धिविनायक एग्री प्रोसेसिंग प्रा. लि., सीएक्सएन कोर्पोरेशन लि. तथा आर्य कोलेट्रल वेयरहाउसिंग सर्विसेस प्रा. लि. के साथ समझौता किया गया ताकि डिस्ट्रेट सेलिंग से बचाने के लिए किसानों को वित्तपोषित किया जा सके, दुधारू पशु खरीदने हेतु किसानों को वित्त उपलब्ध कराने हेतु डेयरी कंपनियों अर्थात हेरिटेज फूड लिमिटेड एवं क्वालिटी लिमिटेड के साथ समझौता किया गया, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए गांव वालों को प्रशिक्षण प्रदान करने और अनुसंधान गतिविधियों के आयोजन के लिए पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड साइन्स के साथ समझौता किया गया.

वित्तीय वर्ष 17 के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. को अग्रिम अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय को दिया गया ऋण 31 मार्च, 2016 के ₹ 5,298 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2017 को ₹ 5,312 करोड़ पर पहुंच गया. बैंक द्वारा कमजोर तबकों को प्रदत्त कुल अग्रिमों में अ.जा./अ.ज.जा. को प्रदान किए गए अग्रिमों का हिस्सा 14.19% रहा. इसके अलावा आपके बैंक ने सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका

मिशन (एनआरएलएम) आदि के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय को वित्तपोषित करने पर विशेष बल दिया है.

स्टैण्ड - अप इंडिया : अ.जा./अ.ज.जा. एवं महिला सेगमेंट में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा स्टैण्ड - अप इंडिया की पहल की गई. वित्तीय वर्ष 17 के दौरान बैंक ने स्टैण्ड - अप इंडिया योजना के अंतर्गत कुल 1063 ऋण स्वीकृत किया है. 31 मार्च 2017 तक इस योजना के अंतर्गत कुल ₹ 223.59 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया.

वित्तीय समावेशन (एफआई)

बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों सहित समाज के सभी वर्गों को अल्प लागत पर सामान्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के कार्य को आपके बैंक ने न सिर्फ सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में लिया, बल्कि स्थायी आईसीटी आधारित डिलिवरी चैनलों के माध्यम से व्यवसायिक अवसर तलाशने के रूप में भी लिया.

भारत सरकार के डिजिटल कार्यक्रम के साथ वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु हमारे बैंक ने कई पहलें की हैं. जैसे कि :-

- आधार सीडिंग द्वारा खातों को त्वरित खोलने, स्वचालित मशीन के माध्यम से पिन जनरेट करने और तुरंत डेबिट कार्ड जारी करने की सुविधा के साथ खाता खोलने की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण.
- नकदी को कम करने हेतु समूचे ग्रामीण समुदाय की मदद करने के लिए व्यापक मोबाइल बैंकिंग सोल्यूशन.
- वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों जैसे एटीएम, एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग, बीसी प्वाइंट आदि के माध्यम से आधार नंबर दर्ज करना.
- बीसी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म तथा टेबल - टॉप एटीएम लगाना.
- बीसी मॉडल का अत्यधिक विस्तार
- एसएचजी / जेएलजी - आधारित ऋण वितरण अभियान चलाना
- जमा संग्रहण, एनपीए एवं पीडब्ल्यूओ सहित छोटे ऋण खातों में वसूली एवं फॉलोअप जैसी बीसी सेवाओं के क्षेत्र को बढ़ाना तथा उन्हें वित्तीय रूप से व्यवहार्य रखने हेतु इसके लिए विशेष प्रोत्साहन देना.
- इंटरनेट बैंकिंग एवं एसएमएस इत्यादि के माध्यम से लघु बीमा योजनाओं जैसे पीएमएसबीवाई तथा पीएमजेजेबीवाई में पंजीकरण.

बीसी केन्द्रों पर जो उत्पाद/सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, वे इस प्रकार हैं : अंतर्निहित ओडी सुविधा सहित बेसिक बचत जमा खाते खोलना, तत्काल खाते खोलना/ ई-केवाईसी के माध्यम से खाते खोलना, नकद निकासी, नकद जमा व निधि अंतरण, आधार आधारित नकद निकासी, जमा व निधि अंतरण (ईपीएस), कार्ड आधारित नकद निकासी, आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा), चालू खाते में जमा, नकद ऋण खाता, ओडी खाता, ऋण खाता, सावधि जमा खाता, माइक्रो बीमा - पीएमजेजेबीवाई तथा पीएमएसबीवाई, आधार सीडिंग, मोबाइल सीडिंग, अटल पेंशन योजना इत्यादि.

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु हमारे बैंक ने विभिन्न मॉडल अपनाए हैं, ये इस प्रकार हैं :- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)-पीओएस आधारित बीसी मॉडल, कियोस्क आधारित बीसी मॉडल तथा ब्रिक एवं मोटार शाखा.

शहरी वित्तीय समावेशन : ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों के अलावा शहरी क्षेत्र में भी लोगों का एक गरीब तबका है इसमें गांवों से शहरी क्षेत्र में आकर बसे वे लोग भी शामिल हैं जो अभी भी सामान्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं. इन्हें औपचारिक बैंकिंग

प्रणाली में लाने हेतु हमारे बैंक ने कियोस्क मॉडल के अंतर्गत पूरे देश भर में विभिन्न स्थानों पर 9177 शहरी बीसी तैनात किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान वित्तीय समावेशन के अंतर्गत कार्यनिष्पादन की विशेषताएं:-

- बैंक ने 15,609 बीसी तैनात किए हैं जिसमें से 4931 बीसी एसएसए में तैनात हैं। बैंक को आवंटित सभी 21,895 गांवों को विभिन्न बैंकिंग मॉडलों के माध्यम से कवर किया गया है, जिनमें से 20,080 को बीसी मॉडल के माध्यम से और 1815 को ब्रिक एवं मोटार शाखाओं के माध्यम से कवर किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2017 के लिए कुल बीसी आउटलेट तथा व्यक्तिगत बीसी तैनाती हेतु निर्धारित लक्ष्य को बैंक ने क्रमशः 107.09% व 125.71% की उपलब्धि के साथ प्राप्त किया है।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु बेसिक बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोलने तथा उनमें राशि जमा करने के लक्ष्य के सापेक्ष शाखाओं के माध्यम से क्रमशः 92.19% एवं 126.70% तथा बीसी केन्द्रों के माध्यम से क्रमशः 165.24% एवं 184.72% की उपलब्धि प्राप्त की।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु शाखाओं के माध्यम से खोले गए एफआई खातों में संव्यवहार की संख्या तथा संव्यवहार की राशि के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः 147.17% एवं 145.23% तथा बीसी के माध्यम से क्रमशः 368.60% एवं 421.31% की उपलब्धि प्राप्त की।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017 हेतु ओडी खाते खोलने एवं ऐसे बीएसबीडी खातों में संचित राशि के संबंध में 88.41% तथा 82.48% का लक्ष्य प्राप्त किया।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना : प्रधानमंत्री जन-धन योजना एक विस्तृत वित्तीय समावेशन योजना है इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसका दायरा और बढ़ाया गया है। प्रत्येक परिवार जिसका बैंक खाता हो वह बैंकिंग एवं ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा। यह उन्हें उनकी बचत को एक औपचारिक बैंकिंग सिस्टम में बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने एवं अनौपचारिक स्रोतों से धन जुटाने की आदत से बाहर आने में सक्षम बनाएगा। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खाता खुलवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रूपे डेबिट कार्ड मिलेगा तथा वह ₹ 1 लाख की दुर्घटना बीमा कवर हेतु पात्र होगा। खाते के 6 महीनों तक संतोषजनक संचालन के पश्चात वह ₹ 5000/- की ओवरड्राफ्ट सुविधा हेतु पात्र होगा। जिन खाताधारकों ने 15.08.2014 से 31.01.2015 के बीच खाते खुलवाए हैं, उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम से ₹ 30,000/- का अतिरिक्त मीयादी जीवन बीमा कवर प्राप्त होगा। वित्तीय साक्षरता पीएमजेडीवाई का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत बैंक के पास 31 मार्च 2016 के कुल 125.29 लाख खाते और ₹ 2500 करोड़ राशि की तुलना में 31 मार्च 2017 को कुल 196.40 लाख खाते हैं, जिनमें ₹ 4747 करोड़ राशि जमा है। खातों की संख्या में 56.76% तथा राशि में 89.88% की वृद्धि हुई है। बैंक ने 31 मार्च 2016 को 118.91 लाख रूपे कार्ड जारी किए थे जबकि 31 मार्च 2017 तक बैंक ने पात्र पीएमजेडीवाई खातों में 184.78 लाख रूपे कार्ड जारी किए हैं। 31 मार्च 2017 तक इन खातों में आधार सीडिंग की स्थिति 72.87% है, जो 31 मार्च 2016 में 44.37% थी। 31 मार्च 2017 तक बैंक ने पीएमजेडीबीवाई (जीवन बीमा) के अंतर्गत 15.57 लाख ग्राहकों तथा पीएमएसबीवाई (दुर्घटना बीमा) के अंतर्गत 44.37 लाख ग्राहकों को पंजीकृत किया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

हमारे बैंक ने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं यथा बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक। इन तीन ग्रामीण बैंकों का कुल व्यवसाय 2016 में ₹ 42,347.52 करोड़ के सापेक्ष 17.73% की

वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च, 2017 में ₹ 49,854 करोड़ हो गया। इन तीनों ग्रामीण बैंकों ने सकल रूप में मार्च, 2017 में ₹ 202.31 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष के दौरान ₹ 168.54 करोड़ था। इन तीनों ग्रामीण बैंकों की कुल शुद्ध मालियत ₹ 2,019.56 करोड़ से सुधर कर 31.03.2017 को ₹ 2,221.87 करोड़ हो गई।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

हमारे बैंक ने विश्व के 24 देशों में 107 शाखाओं / कार्यालयों के माध्यम से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज कराई है। 15 देशों में बैंक की 59 शाखाएं हैं जबकि बैंक की 8 विदेशी अनुषंगियों के माध्यम से 47 शाखाएं परिचालित हैं। इसके साथ ही बैंक बैंकों में बैंक का एक प्रतिनिधि कार्यालय भी है। बैंक के पास दो संयुक्त समूह जैसे जांबिया में इंडो जांबिया बैंक लि. है, जिसकी 32 शाखाएं हैं तथा मलेशिया में इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी है, जिसकी एक शाखा है। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान बैंक ने अपने विदेशी अनुषंगियों यूगांडा के लुगाज़ी तथा घाना के खुमासी में दो शाखाएं खोली हैं। अक्टूबर 2016 में हांगकांग में स्थित सिम-शा-सुई (टीएसटी) का विलय हांगकांग की केंद्रीय शाखा में हो गया। बैंक ने विश्व के प्रमुख वित्तीय केंद्रों न्यूयार्क, लंदन, सिंगापुर, हांगकांग, ब्रसल्स तथा दुबई में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बैंक को आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त हो गया है तथा जीआईएफटी एसईजी, गांधीनगर, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय इकाई खोलने की प्रक्रिया में है।

अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारा बैंक भारतीय कॉर्पोरेटों की आवश्यकताओं को पूरा कर, भारतीय तथा स्थानीय निगमित कंपनियों/फर्मों के लिए भारत से जुड़े सीमा पार के व्यापार प्रवाह को सेवाएं प्रदान कर प्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पसंदीदा बैंक बन कर विकास तथा मूल्य संवर्धन की कार्यनीति का अनुसरण कर रहा है। मूल्य का निर्वाह करने हेतु हमारे बैंक ने केंद्रीकृत बैंक ऑफिस की स्थापना करके आंतरिक परिचालन में सुधार करने की योजना बनाया है। नियंत्रण एवं अनुपालन को सशक्त बनाकर व्यवसाय विकास पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भौगोलिक क्लस्टर को अपनाया है, परिचालन के स्थानीय दक्षता में वृद्धि की है तथा लागत दक्षता के लिए डिजिटल क्षमता का निर्माण किया है।

31 मार्च, 2017 तक हमारे बैंक की विदेशी शाखाओं का कुल व्यवसाय ₹ 267,318 करोड़ था जो कि वैश्विक व्यवसाय का 27.14% है। कुल जमाएं ₹ 161,583 करोड़ थी जबकि कुल अग्रिम ₹ 105,735 करोड़ था। यह अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए समेकन का वर्ष था। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय परिचालन का परिचलात्मक लाभ ₹ 2,039 करोड़ तथा कुल लाभ ₹ 560 करोड़ रहा। बैंक ने वैश्विक परिदृश्य में असंशोधित वृद्धि दर्ज की तथा अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन की रणनीति में सुधार किया। हमारे बैंक ने आस्तियों की गुणवत्ता तथा लाभप्रदता में वृद्धि करने के पोर्टफोलियो में संतुलन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस वर्ष विशेष एफसीएनआर (बी) जमा योजना में सितंबर से नवम्बर 2013 की अवधि के अंतर्गत जमाओं के आस्ति पोर्टफोलियो के एवज में लगभग ₹ 10,000 करोड़ का लिक्विडेशन आया है।

31 मार्च 2017 तक, कुल अंतर्राष्ट्रीय ऋण-बही में 48.14% बायर्स क्रेडिट / बीपी/ बीडी पोर्टफोलियो शामिल था जबकि एक्सपोजर बैंक के पास था। ईसीबी/सिडिकेटेड ऋण के रूप में 22.53% एक्सपोजर भारत से संबंधित कॉर्पोरेट के थे। गैर भारतीय एक्सपोजर सिडिकेटेड ऋण के रूप में 4.62% तथा शेष 25.71% एक्सपोजर स्थानीय ऋण के रूप में थे।

वर्ष के दौरान बैंक ने पूंजी का इष्टतम अभियोजन करने के लिए विदेशी शाखाओं से यूएस \$ 138 मिलियन आधिक्य पूंजी निधियों का प्रत्यावर्तन किया।



बैंक की विदेशी अनुषंगियां लगातार बेहतर कार्यनिष्पादन कर रही हैं तथा इनका ध्यान स्वस्थ आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में सुधार करने पर केंद्रित रहता है।

बैंक ने अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को सुदृढ़ एवं पुनर्गठित करने की दिशा में कदम उठाया है। भावी वैश्विक परिदृश्य में यह अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में जोखिमों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। बैंक अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, जिसमें वर्तमान परिवेश में सफल नहीं सिद्ध होने वाले कुछ केंद्रों को बदलना भी शामिल है, पर विचार कर रही है।

यू.के. अनुषंगी

हमारा बैंक यूके में खुदरा व्यवसाय में अपना स्थान बनाने के लिए 100% स्वामित्व वाली अनुषंगी की योजना बना रहा है, जो बैंक के खुदरा व्यवसाय को बढ़ावा देने के साथ ही साथ स्थानीय नियामक के दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी करेगी।

ट्रेजरी परिचालन

हमारे बैंक में ट्रेजरी परिचालन कारपोरेट कार्यालय, मुंबई स्थित अति आधुनिक डीलिंग रूम से किया जाता है। ट्रेजरी, घरेलू ट्रेजरी परिचालन का कार्य संचालित करता है तथा विभिन्न मार्केट कार्यकलापों जैसे विदेशी विनियम, ब्याज दरें, सावधि आय, मनी मार्केट, डेरीवेटिव, इक्विटी, करेंसी, फ्यूचर्स ब्याज दर और अन्य वैकल्पिक आस्ति श्रेणियों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बैंक पूरे भारतवर्ष में विदेशी विनियम हेतु अधिकृत शाखाओं के माध्यम से कई सेवाएं जैसे ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, मुद्रा विकल्प, एडवांस डीलिंग सिस्टम द्वारा फॉरवर्ड कांटेक्ट आदि प्रदान करता है।

31 मार्च, 2017 तक बैंक का घरेलू निवेश बही का आकार कुल ₹ 1,22,169 करोड़ रहा। कुल निवेशों में एसएलआर प्रतिभूतियों का शेयर 89.44% रहा। 31 मार्च, 2017 को एनडीटीएल में एसएलआर प्रतिभूतियों का प्रतिशत 23.57% था।

आपके बैंक ने वर्ष के प्रथम छः महीने में उच्चतर प्रतिफल के द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसर का लाभ उठाया है और पोर्टफोलियो में बॉण्ड को शामिल किया है। बैंक ने अति सक्षम तरीके से पोर्टफोलियो को संभाला है तथा 31.03.2017 को 7.76% का एसएलआर निवेश पर औसत प्रतिफल को कायम रखा है। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान आपके बैंक ने निवेशों के विक्रय तथा विदेशी विनियम से क्रमशः ₹ 2,618 करोड़ तथा ₹ 976 करोड़ लाभ की उगाही की तथा ब्याज / डिस्काउंट के रूप में ₹ 12,656 करोड़ अर्जित किए हैं।

बैंक का ट्रेजरी मिड - ऑफिस बाज़ार ऋण जोखिम तथा बैंक के द्वारा तय की गई ऋण सीमा का वास्तविक समय आधार पर निगरानी करता है। जोखिम प्रबंधन पैरामीटर, जिसमें कि वेल्यू - एट रिस्क (वीएआर) भी शामिल है, का उपयोग सभी पोर्टफोलियो पर बाज़ार के जोखिम का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। मॉडल की शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए नियमित रूप से वीएआर संख्या की जाँच की जाती है। विभिन्न निवेशों एवं मुद्रा स्थिति पर दबाव की जाँच की जाती है।

सरकारी कारोबार

सरकारी कारोबार बैंक की व्यवसाय नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अखिल भारतीय स्तर पर सरकारी मंत्रालयों एवं पीएसयू की अपेक्षाओं/आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा पेंशन भुगतान का कार्य भी करता है। हमारा बैंक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मान्यता प्राप्त बैंकर है। इस वर्टिकल के द्वारा किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्य जिसमें, विभिन्न करों का संग्रहण, गुजरात में ट्रेजरी परिचालन, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना, सुकन्या समृद्धि जैसी जमा योजनाएं, केवीपी, एनएससी एवं लोक भविष्य निधि खाते, सरकारी सोवारेन बांड में निवेश के अवसर, स्वर्ण मुद्राकरण

योजना तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे कि अटल पेंशन योजना एवं एनपीएस, भारतीय रेलवे हेतु कलेक्शन बैंक की भूमिका आदि शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान बैंक ने कुछ राष्ट्रीय महत्ता वाली प्रमुख परियोजनाओं के साथ साझेदारी/संधि की है। बैंक ने सरकारी ई मार्केट पोर्टल (जीईएम पोर्टल) के लिए भुगतान एवं समझौता बैंकर के रूप में अपनी सेवाओं का विस्तृत करने हेतु केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, साथ ही साथ, अपने पुल अकाउंट को मेनटेन करने तथा सलाहकार बैंक के लिए ई बीजीएस प्रक्रियाधीन है। हमारा बैंक भारत सरकार के महत्वाकांक्षी ई-एनएम (E-NAM) पोर्टल के साथ जुड़ा है जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर 7100 + एपीएमसी को पोर्टल के भुगतान एवं समझौता बैंकर के कार्य करने के लिए कवर किया गया है तथा एनएम पर्यावरण प्रणाली में कृषि तथा कृषि से संबंधित गतिविधियों में व्यवसाय की वृद्धि के उभरते हुए अवसरों का लाभ लिया गया है। हमारा बैंक रक्षा मंत्रालय को ई-एलसी (E-LC) की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है तथा नकदी प्रबंधन सेवाएं दे रहा है।

केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मुहिम के अंतर्गत चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों/अभियानों में हमारे बैंक ने सक्रिय रूप से हिस्सेदारी की है। हमारा बैंक कुछ चुनिन्दा बैंकों में से एक है जो माल व सेवा कर (जीएसटी) के संग्रहण हेतु प्राधिकृत है जिसे 01 जुलाई 2017 से प्रभावी किया जाएगा। हमारे बैंक ने गैर कर राजस्व पोर्टल (एनटीआरपी)/लोक निधि प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के अंतर्गत आधिकारिक मान्यता के साथ ही एग्रीग्रेटर का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जिसमें गैर कर राजस्व आय अर्जित करने की अपार संभावनाएं हैं।

हमारा बैंक अखिल भारतीय स्तर पर 2.50 लाख से अधिक पेंशनर्स को सेवाएं दे रहा है। वर्ष के दौरान हमारे बैंक ने 91954 नए पीपीएफ खाते खोले हैं। वर्ष के दौरान 2,03,849 अटल पेंशन योजना (एपीवाय) के खाते खोलने के लिए पीएफआरडीई के द्वारा बैंक को उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन करने वाले बैंक का सम्मान दिया गया।

वर्ष के दौरान इस वर्टिकल से कुल रू. 69 करोड़ की आय हुई।

धन संपदा प्रबंधन सेवाएं

हमारे बैंक ने वित्तीय वर्ष 17 के दौरान मौजूदा पार्टनरों म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा तथा जनरल इन्श्यूरेंस के साथ ही साथ नयी बीमा कंपनियों स्टैंडअलोन हेल्थ इन्श्यूरेंस तथा जनरल इन्श्यूरेंस के साथ टाई अप किया है। इसके साथ ही, अपने ग्राहकों को कागजरहित निवेश करने का अनुभव प्रदान करने हेतु बैंक ने मोबाईल आधारित निवेश एप "बड़ौदा एम-निवेश" को विकसित किया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान 1,25,000 नए एसआईपी को जोड़ा है। जीवन बीमा के क्षेत्र में पीएमजेजेबीवाई योजना के अतिरिक्त 1.79 लाख लोगों को भी बीमा के अंतर्गत कवर किया गया है। हमारे बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान म्यूचुअल फंड तथा बीमा के विक्रय एवं भुगतान के माध्यम से रू. 58.85 करोड़ अर्जित किए हैं।

एनपीए प्रबंधन

गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) एवं अन्य दबावग्रस्त आस्तियों का प्रबंधन भारतीय बैंकिंग उद्योग के समक्ष की सब से बड़ी चुनौतियों में से एक रहा, जिसने बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित किया। दबावग्रस्त आस्तियों के जमाव को सम्हालने के लिए आरबीआई ने कई उपाय किए। इन उपायों में प्रत्याशित दबाव के निर्धारण के लिए एक समर्थ संयुक्त नेतृत्व मंच (जेएलएफ) का निर्माण, नीतिगत ऋण पुनर्गठन योजना (एसडीआर) के अंतर्गत पुनर्गठन मेकेनिज्म का प्रारंभ, 5:25 योजना के अंतर्गत लचीला पुनर्वित्त प्रदान करना, दबावग्रस्त आस्तियों का संधारणीय पुनर्गठन (एस4ए) के मानदंडों

को सरल बनाना और उनकी बिक्री के दिशानिर्देशों का संशोधन का समावेश है।

वित्तीय वर्ष 17 दबावग्रस्त आस्तियों की गुणवत्ता के संदर्भ में आपके बैंक के लिए भी चुनौतिपूर्ण रहा. वर्ष के दौरान दबावग्रस्त बही में मूवमेंट निम्नानुसार रही:

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2017
सकल एनपीए	40,521	42,719
सकल एनपीए अनुपात	9.99%	10.46%
शुद्ध एनपीए	19,407	18,080
शुद्ध एनपीए अनुपात	5.06%	4.72%
एनपीए में वृद्धि	27,828	13,312
वसूली/उन्नयन	2,015	6,766
टीडबल्यूओ सहित बढ़ाकृत	1,554	4,348
बढ़ाकृत खातों में वसूली	221	327
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ सहित)	60.09%	66.83%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ छोड़ कर)	52.11%	57.68%

आपके बैंक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि का अग्रिम पोर्टफोलियो संबंधी आस्तियों के वर्गीकरण के अनुरूप विश्लेषित विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

आस्तियों की श्रेणी (सकल)	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017
मानक	3,64,996	3,65,792
सकल एनपीए	40,521	42,719
कुल	4,05,517	4,08,511
सकल एनपीए समावेशित:		
अवमानक	11,569	8,804
संदिग्ध	25,766	29,186
हानि	3,186	4,729
कुल सकल एनपीए	40,521	42,719

हमारे बैंक ने विभिन्न स्तरों पर वसूली एवं ऋण निगरानी के लिए एक व्यापक संगठनात्मक स्ट्रक्चर विकसित किया है और दबावग्रस्त आस्तियों का प्रबंध करने के लिए प्रणाली एवं प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित का समावेश है:

- वसूली कार्यवाही का वास्तविक समय पर ट्रेकिंग के लिए तथा उच्च स्तर के निर्णयन का समर्थन देने के लिए एक लीगल वॉर रूम स्थापित किया है (140 उच्च मूल्य के खातों की निगरानी की जाती है.)
- बाह्य विशेषज्ञों की भर्ती के माध्यम से बैंक की विधिक और धोखाधड़ी अन्वेषण क्षमताओं को मजबूत करना तथा वसूली मामलों को सम्हालने की क्षमता बढ़ाना.
- इंडियन बैंकरप्सी कोड के तहत कार्रवाई के लिए 39 मामलों का निर्धारण, जिनमें से 13 मामले एनसीएलटी में दर्ज किए गए और वॉर रूम के माध्यम से उन्हें ट्रेक किया गया.
- दबावग्रस्त खातों के लिए रिजोल्यूशन नीतियां उपलब्ध कराने के लिए समाधान आपूर्तिकर्ता कक्ष की स्थापना की गई, जिसके पास इस समय समाधान हो रहे 65 बड़े एनपीए खाते हैं, जिनमें कुल एक्सपोजर ₹ 100 करोड़ है.

- खुदरा ऋणों के लिए ओन ग्राउंड कलेक्शन हेतु बहु-भाषी सपोर्ट के साथ एवं 'फ्रीट ऑन स्ट्रीट' स्टाफ के साथ कलेक्शन कॉल सेंटर (200 एजेंट) स्थापित किए गए.
- एनपीए एवं संभाव्य एनपीए छोटे खातों में वसूली के लिए 900 सदस्यों का सशक्त बैंक कार्यदल नियोजित किया गया.
- फसल ऋण वसूली के लिए व्यवसाय प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई.

इसके अलावा बैंक ने गैर निष्पादक आस्तियों की वसूली के लिए निरंतर आधार पर निम्नानुसार प्रयास किए :

- प्रत्येक डीआरटी में विधिक मामलों के दैनिक आधार पर फोलो अप के लिए एक नोडल अधिकारी को निर्धारित किया गया, ताकि डिब्री प्राप्त करने एवं निष्पादित करने तथा वसूलियों में विलम्ब कम से कम हो.
- सभी डीआरटी वाद दायर खातों में वसूली के लिए बैंक को भारित की गई आस्तियों को ई-नीलामी के द्वारा बेचा गया, जिससे कि अच्छा बाजार मूल्य प्राप्त हो सके.
- आस्तियों एवं अन्य पूर्व/बाद की बिक्री गतिविधियों को कब्जा लेने हेतु सहायता के लिए वसूली एजेण्ट
- अधिकृत परिसमापक (ओएल) के परामर्श के लिए परामर्शदाता ताकि रिकवरियों को वसूल किया जा सके.
- राष्ट्रीय लोक अदालतों में अधिकतम सहभागिता, ताकि वाद दायर एवं गैर-वाद दायर एनपीए खातों में शीघ्र वसूली हो सके.
- आपके बैंक की शाखाओं द्वारा छोटे खातों में लम्बे समय से पेंडिंग वसूलियों को कम करने तथा वसूलियों को तेज करने के लिए वसूली शिविर नियमित रूप से आयोजित किए गए.
- वर्ष के दौरान ₹ 25 लाख तक की राशि वाले छोटे खातों में वसूली के उपायों को और गहन बनाने के लिए "संकल्प X" नामक नयी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 17 के दौरान ₹ 116.88 करोड़ की वसूली हुई.
- ₹ 1 करोड़ एवं अधिक राशि के एनपीए खातों की मानिटरिंग सीधे कार्पोरेट कार्यालय से की जाती है.

एक ओर जहां हमारा बैंक दबावग्रस्त आस्तियों के प्रबंधन के लिए प्रणाली एवं प्रक्रिया को सशक्त कर रहा है. वहीं दूसरी ओर अनर्जक आस्तियों के एवज में प्रावधान करने की दिशा में भी सक्रिय है. बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात, जिनमें तकनीकी की दृष्टि से बढ़े खाते डालना (टीडबल्यूओ) भी शामिल है, 66.83% था, जबकि पीसीआर को छोड़कर टीडबल्यूओ खातों के लिए किया गया प्रावधान 57.68% था. बेहतर प्रावधान कवरेज अनुपात के साथ हमारा बैंक दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान करने के लिए दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करने की दिशा में बेहतर स्थिति में है.

इनसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड, 2016 तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 में संशोधन

एनपीए की समस्या के समाधान हेतु, संसद द्वारा पारित इनसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड, 2016 एवं बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 35ए में संशोधन अध्यादेश के प्रवर्तन ने आरबीआई को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर या ओवरसाइट समिति नियुक्त कर एनपीए की समस्या से निपटने के लिए बैंकों को निदेश देने हेतु सक्षम बनाया. बैंक में एनपीए के मामलों को सुलझाने के लिए सरकार ने नवीनतम महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.



इनसॉल्वेंसी एवं बैंककरप्सी संहिता का उद्देश्य कोर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों एवं वैयक्तियों की पुनर्संरचना एवं दिवालियापन समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित एवं संशोधित करना है। यह परिसमापन से पहले सभी कॉर्पोरेट्स हेतु समयबद्ध कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया उपलब्ध करवाता है जिसके दौरान लेनदारों के पास यह सक्षमता रहती है कि वे कॉर्पोरेट्स की वित्तीय परेशानी के उपाय पर विचार करें और समाधान योजना के रूप में एक संदर्भित योजना के निर्धारण द्वारा व्यवसाय परिचालन को व्यवस्थित एवं संरक्षित कर सकें। समग्र सीआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के उद्देश्य से 180 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है जिसे आपवादिक मामलों में और 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

यह संहिता एनसीएलटी एवं अन्य प्राधिकारियों की कम से कम सहभागिता के साथ समाधान उपलब्ध करवाती है। समग्र समाधान पेशेवरों (दिवालिया पेशेवरों) द्वारा किए जाएंगे एवं लेनदारों की समिति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए समाधान प्रक्रिया की दिशा निर्धारित करेगी। इसके अलावा क्राउन कर्ज (सरकारी कर्ज) पर जमानती लेनदार को प्राथमिकता दी जाएगी। यह संहिता एनपीए के समाधान हेतु समय सीमा को कम करने और आस्तियों हेतु उचित मूल्य प्राप्त करने में बैंकों की सहायता करेगी।

हमारे बैंक ने 39 खातों का निर्धारण किया है जिनमें संहिता के अंतर्गत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी इनमें से 13 मामलों को एनसीएलटी में दर्ज किया जा चुका है।

ऋण निगरानी

हमारे बैंक के पास स्लिपेज को रोकने तथा आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समय से सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु विभिन्न स्तरों (शाखा/क्षेत्र/अंचल एवं कांफ़िरेट) पर अग्रिम खातों की निगरानी प्रक्रिया है। कॉर्पोरेट कार्यालय स्थित ऋण निगरानी विभाग अग्रिम खातों में कमियां/संभावित चूक/आरम्भिक रूपाणता को शुरू में ही पहचानकर एवं अग्रिम खातों में हानि/ऋण खातों की ऋण गुणवत्ता में गिरावट को रोकने हेतु समुचित तथा समय से सुधारात्मक कार्रवाई की पहल करने में सहायता प्रदान करता है। आरंभिक दबाव वाले खातों को विशेष उल्लिखित खातों की (एसएमए) श्रेणी के अंतर्गत एसएमए0, एसएमए1 एवं एसएमए2 के रूप में निर्धारित किया गया है।

सारे एसएमए2 खातों के लिए संयुक्त उधारकर्ता फोरम के गठन हेतु फॉलोअप किया जाता है तथा सुधार, पुनर्संरचना एवं वसूली के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई योजना के अंतर्गत दबाव का समाधान करने हेतु विकल्पों पर विचार किया जाता है। यह विभाग पुनर्संरचना/नीतिगत ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर)/5:25 पुनर्वित्तपोषण/दबावग्रस्त आस्तियों के अविरत पुनर्संरचना हेतु योजना के तहत उचित मामलों के निर्धारण का कार्य भी करता है।

पुनर्गठित आस्तियों एवं एसडीआर तथा एस 4 ए योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

क्र.सं.	आस्ति वर्गीकरण		कुल पुनर्गठित अग्रिम		
			कुल पुनर्गठित अग्रिम		
			एसडीआर के अंतर्गत खाते	एस 4 ए के अंतर्गत खाते	
			31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2017
1	पुनर्गठित अग्रिम मानक	ऋणकर्ताओं की संख्या	11,820	12	9
		बकाया राशि	10,784.53	2,754.18	2,160.15
2	पुनर्गठित एनपीए	ऋणकर्ताओं की संख्या	26,129	24	1
		बकाया राशि	14,914.98	3,977.68	118.44
3	कुल पुनर्गठित अग्रिम	ऋणकर्ताओं की संख्या	37,949	36	10
		बकाया राशि	25,699.51	6,731.86	2,278.59

लचीले पुनर्गठन (5/25 योजना) के अंतर्गत स्थिति निम्नानुसार है (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
लचीले पुनर्गठन को अंतर्गत ऋणकर्ताओं की संख्या	11
लचीले पुनर्गठन के लिए गए ऋणों की राशि	5,932.59
मानक	2,275.00
एनपीए	3,657.59

₹1 करोड़ एवं अधिक के खातों में समय पर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु मासिक निगरानी रिपोर्ट के माध्यम से फॉलो अप किया जाता है। यह निगरानी वेब आधारित प्लेटफॉर्म पर की जाती है जो एमएमआर, अल्प समीक्षा संबंधी जानकारी, अतिदेय राशियों, ऋण टर्नओवर, ऋण रेटिंग, लंबित स्टॉक विवरणी, स्टॉक लेखा परीक्षा एवं ऋण लेखा परीक्षा के अवलोकन, लंबित विधि लेखा परीक्षा, बीमा कवरेज एवं अंतरित साख पत्र तथा बैंक गारंटी से संबंधित विविध मानदंडों के आधार पर की जाती है। खातों की शीघ्र समीक्षा, अनियमितताओं में सुधार, उच्च मूल्य के ऋण खातों में नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फॉलो अप कार्रवाई की जाती है जिससे ऋण पोर्टफोलियो को व्यवस्थित रखा जा सके।

हमारा बैंक पूर्व चेतावनी संकेतक व्यवस्था कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है जो बैंक की आंतरिक व्यवस्था यथा कोर बैंकिंग व्यवस्था, जोखिम रेटिंग व्यवस्था और इंटरनेट, सोशल मीडिया, क्रेडिट ब्यूरो, रेटिंग एजेंसियों एवं अन्य बाह्य स्रोतों से डेटा प्राप्त करके ऋण की निगरानी एवं समय पर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु पूर्व चेतावनी संकेतक उपलब्ध करवाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

हमारे बैंक के पास श्रेष्ठ तकनीकी संरचना एवं स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर उपलब्ध है जो अपटाइम इंस्टीट्यूट टियर 3 मानक एवं ग्राहकों को अनवरत बैंकिंग सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए विभिन्न सिस्मिक जोनों में प्रत्येक असफलता के क्षण में आपदा पुनः स्थापन साईट से समर्थित हैं। आपदा पुनः स्थापन केंद्र के अतिरिक्त आपके बैंक ने अपने व्यवसाय निरंतरता आयोजन एवं आपदा पुनर्स्थापन कार्यनीति के एक भाग के रूप में शून्य डेटा हानि सुनिश्चित करने हेतु आपदा पुनर्स्थापन केंद्र का कार्यान्वयन भी किया है।

बैंक नियमित क्षमता आयोजन करता है और विविध सेवा सुपुर्दगी माध्यमों में व्यवसाय की बढ़ती जा रही मांग के समर्थन के लिए उनका उन्नयन करता है। बैंक ने विकासशील आईटी संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन एवं निगरानी के लिए एंटरप्राइज प्रबंधन व्यवस्था कार्यान्वित की है एवं मॉड्यूल बनाए है।

बैंक ने अपनी सभी घरेलू शाखाओं और 23 विदेशी कार्यालयों के सरल प्रबंधन और निगरानी तथा संसाधनों के आदर्शतम उपयोग के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) एवं अन्य एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीकृत आईटी आर्किटेक्चर नियोजित किया है। बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी डिजिटली चैनलों सहित सीबीएस प्लेटफॉर्म पर हैं। बैंक ने कोर बैंकिंग समाधान का फिनेकल 10.x में तथा ई-बैंकिंग को 11.x में उन्नयन प्रारंभ किया है।

बैंक ने ग्राहकों को नए उत्पाद उपलब्ध करवाने एवं कोर परिचालन प्रक्रियाओं की डिजिटलाइजिंग के लिए निम्नलिखित सॉल्यूशनों को कार्यान्वित करना शुरू किया है:

- कॉर्पोरेट्स के आपूर्ति एवं वितरण माध्यमों का एकीकृत वाणिज्यिक एवं वित्तीय सॉल्यूशन उपलब्ध करवाने के लिए सप्लाय चैन फायनांस। सप्लाय चैन फायनांसिंग, ग्राहकों एवं उनके आपूर्तिकर्ताओं तथा ग्राहकों के बीच वाणिज्यिक संबंध को सहायता प्रदान करेगा।

- खाता सेवाओं एवं सुपुर्दगी चैनलों में एक नया और व्यापक रिटेल इंटरनेट बैंकिंग सॉल्यूशन जिससे डिजिटल इंडिया पहल में सहायता मिलेगी। यह नया इंटरनेट बैंकिंग समाधान ग्राहकों को नये नवीनतम तकनीक युक्त भुगतान एवं संप्रेषण संरचना हेतु एक्सेस उपलब्ध कराएगा।
- ऋण के आरंभ एवं ट्रैकिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए ऋण प्रबंधन प्रणाली। यह सॉल्यूशन प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करने एवं टर्न अराउंड टाइम को सुधारने के लिए इमेज आधारित वर्कफ्लो एवं व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन (बीपीएम) का प्रयोग करके ऋण प्रस्तावों की पूर्ण प्रोसेसिंग करने में सहायक होगा।
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली (एफआरएमएस) सॉल्यूशन, जो ऑनलाइन और/या ऑफलाइन तरीकों के अंतर्गत चैनलों और एप्लिकेशनों की संकेतक-सूची से संबद्ध जोखिमों को कवर करते हुए एंटरप्राइज वार व्यापक धोखाधड़ी का पता लगाएगा और उनका निवारण उपलब्ध कराएगा। यह समाधान सभी प्रकार के संव्यवहारों के लिए निम्नलिखित एप्लिकेशनों और चैनलों की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर धोखाधड़ी का पता लगाने और उनके निवारण को शामिल करता है।
- पूर्व चेतावनी संकेतक व्यवस्था (ईडबल्यूएस) जो बैंक की आंतरिक व्यवस्था यथा कोर बैंकिंग व्यवस्था, जोखिम रेटिंग व्यवस्था और बाह्य स्रोत यथा इंटरनेट, सोशल मीडिया, क्रेडिट ब्यूरो, रेटिंग एजेंसियों एवं अन्य बाह्य स्रोतों से डेटा प्राप्त करके ऋण की निगरानी एवं समय पर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु पूर्व चेतावनी संकेतक उपलब्ध करवाएगी।
- बैंक मार्केटिंग, आयोजना, खुदरा व्यवसाय, जोखिम, धोखाधड़ी, सुरक्षा एवं अनुपालन जैसी विभिन्न व्यवसाय प्रवृत्तियों में विश्लेषणात्मक क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए उत्कृष्टता विश्लेषण केंद्र भी तैयार कर रहा है।
- बैंक ने क्लाउड अंगीकरण की यात्रा का प्रारंभ किया है। इस दिशा में बैंक ने कई संप्रेषणों के लिए पब्लिक एवं हाइब्रिड क्लाउड सेवाओं तथा सहयोग प्रौद्योगिकी सॉल्यूशनों को कार्यान्वित किया है। बैंक ने अनुपालन को मजबूती प्रदान करने के लिए ईमेल संप्रेषण के लिए आर्काइवल समाधान का भी कार्यान्वयन किया है।
- बैंक के ये लगातार प्रयास रहे हैं कि प्रौद्योगिकी नवोन्मेषिता के माध्यम से अपने ग्राहकों को अधिक मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान की जाएं। इस दिशा में बैंक व्यवसाय प्रक्रिया में अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन, ब्लॉक शृंखला प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम इंटेलिजेंस जैसी प्रौद्योगिकी नवोन्मेषिता पर कार्य कर रहा है।

उपर्युक्त के अलावा, आपके बैंक ने एकसमान भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का अनुपालन किया है, जो ऑनलाइन भुगतान संभव बनाने के लिए आर्किटेक्चर और मानक अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) विशिष्टताओं की एक व्यवस्था प्रस्तावित करना है। इसका लक्ष्य सभी एनपीसीआई प्रणालियों को सरल बनाना और एकल इंटरफेस उपलब्ध कराना तथा अंतर-परिचालनात्मकता निर्माण करना और महत्तम ग्राहक अनुभव सृजित करना है।

बैंक ने इंटरनेट भुगतान गेट-वे (आईपीजी) का भी क्रियान्वयन किया है, जो व्यापारियों के लिए उत्पादों और सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए ग्राहकों से भुगतान संग्रहित करने की भुगतान और निपटान प्रणाली है।

देयता खाता खोलने हेतु, हमारे बैंक ने खाता खोलने के लिए फॉर्म की प्रत्यक्ष प्रति भेजने के स्थान पर फार्म स्कैन कर भेजने की प्रक्रिया शुरू की है जिसमें ओमनीस्कैन 3.1 के माध्यम से फार्म एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस परिवर्तन परियोजना का उद्देश्य खाता खोलने की प्रक्रिया की टर्न अराउंड अवधि को कम करना है।

साइबर सुरक्षा

वर्षों से बैंक ने साइबर सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है जिसमें साइबर हमलों से बचने के लिए व्यापक सूचना सुरक्षा उपाय शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, बैंक नेटवर्क सुरक्षा, सर्वर सुरक्षा, एप्लिकेशन सुरक्षा और सुरक्षा विश्लेषण के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी समाधानों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। आपके बैंक का डेटा सेंटर एवं डीआर परिचालन आईएसओ27001 मानक से प्रमाणित है जो सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रक्रिया का मंच है और सभी हितधारकों में हमारे प्रति विश्वास उत्पन्न करता है।

बैंक में एक कैप्टिव सुरक्षा परिचालन केंद्र है जो साइबर सुरक्षा घटनाओं की निगरानी करने के लिए उन्नत उपकरणों से युक्त है। सुरक्षा परिचालन केंद्र 24x7 आधार पर कार्य करता है और सुरक्षा मामलों हेतु सर्वर, नेटवर्क यंत्रों, सुरक्षा यंत्रों, जटिल डेटाबेस पर होने वाली गतिविधियों आदि की लगातार निगरानी करता है। आपका बैंक आंतरिक योग्य पेशेवरों के साथ-साथ बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा आवधिक सुरक्षा मूल्यांकन करवाता है। पाए गए जोखिमों को दूर करने के तत्काल प्रयास किए जाते हैं।

बैंक फिशिंग वेबसाइट और जाली मोबाइल ऐप की निगरानी कर रहा है। किसी फिशिंग साइट या जाली मोबाइल ऐप के पाए जाने पर, उस पर कार्रवाई की जाती है। यह हमारे ग्राहकों को जाली वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर अपनी संवेदनशील जानकारी और विवरण साझा करने से सुरक्षित रखता है।

बैंक सीईआरटी-इन, एनसीआईआईपीसी, आरबीआई-सीएसआईटीई, आईडीआरबीटी आदि जैसी सरकारी एजेंसियों और औद्योगिक निकायों से जुड़ा है और ऐसे निकायों से जोखिम/असुरक्षा परामर्श प्राप्त करता रहता है एवं उस पर तत्काल कार्रवाई करता है। संभावित साइबर जोखिमों के विरुद्ध पूर्वतैयारी सुनिश्चित करने के लिए बैंक सीईआरटी-इन, आईडीआरबीटी, आरबीआई-सीएसआईटीई द्वारा संचालित साइबर सुरक्षा ड्रिलों में सक्रिय सहभागिता करता है।

डिजिटल रूपांतरण :

हमारे बैंक की डिजिटल बैंकिंग टीम, बैंक के डिजिटल रूपांतरण को आगे ले जाने के लिए हमारे प्रयासों के भागरूप महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है जो कि सरकार के स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया एवं मेक इन इंडिया जैसे अभियानों द्वारा विभिन्न विकास प्रोत्साहनों की पृष्ठभूमि में चल रही हैं। हमारी अनुकूल जनसंख्या एवं मोबाइल प्रयोग की अच्छी समझ ने हमारे देश में डिजिटल क्रांति को संचालित करने वाले कारकों का निर्माण किया है, जिसने बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा परिदृश्य का रूपांतरण किया है। चूंकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक भुगतान की नकदीरहित प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, आपका बैंक इस यात्रा में ग्राहकों को सहयोग और मार्गदर्शन देना चाहता है।

हमारा बैंक निम्नलिखित के माध्यम से इस नवोन्मेषिता में सबसे आगे खड़ा है:

डिजिटल पोर्टेबल शाखा :

हमारे बैंक ने पूर्व निर्मित बैंकिंग आउटलेट नामक नवोन्मेषी अवधारणा स्थापित की है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सेल्फ सर्विस मशीनों से युक्त होगी जिसमें प्रत्यक्ष वार्तालाप/व्यवहार के लिए 2-3 अधिकारियों/व्यवसाय प्रतिनिधियों के बैठने के जगह होगी। यह आउटलेट उच्च सुरक्षा युक्त, बदलते मौसम की स्थितियों के अनुकूल हैं एवं 24x7 सुविधाजनक बैंकिंग सुविधाएं देने की अवधारणा पर है। तत्काल खाता खोलना, डेबिट कार्ड प्रदान करना, नकदी आहरण, पासबुक अद्यतनीकरण, निधि अंतरण, उपयोगिता बिल भुगतान, खाता आधारित पूछताछ सेवाएं आदि प्रदान करने के लिए सेल्फ सर्विस मशीनों को बनाया गया है।

हमारे बैंक ने सितम्बर 2016 में उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिले के भागेशरा गांव में पहली डिजिटल पोर्टेबल शाखा का शुभारंभ किया। इस डिजिटल शाखा



में आंतरिक इलाकों में रहनेवाले लोगों के लिए नवीनतम तकनीक युक्त स्वचालित खाता खोलने की मशीन, पासबुक प्रिंटर एवं एक एटीएम उपलब्ध है। आपके बैंक की इस नवोन्मेषी पहल को स्थानीय लोगों द्वारा सराहा गया है और इस वित्तीय वर्ष में इस पहल का और विस्तार किया जाएगा। यह उपलब्धि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंचल, क्षेत्र और शाखा कार्यालय के नेतृत्व, डिजिटल बैंकिंग, सुविधा प्रबंधन एवं तकनीकी विभाग के सहयोग से संयोजित टीम वर्क के कारण हासिल की गई है।

एकाउंट ओपनिंग कियोस्क

प्रौद्योगिकी सुविधा का लाभ उठाकर वैकल्पिक डिलिवरी प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों को बाधारहित तथा सुविधाजनक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आपके बैंक ने डेबिट कार्ड प्रदान करने वाले कियोस्क (एओके एवं डीसीडीके) के साथ नवीन सेल्फ सर्विस कियोस्क, जिसे एकाउंट ओपनिंग कियोस्क कहते हैं, की शुरुआत की है। एकाउंट ओपनिंग कियोस्क ग्राहकों को तत्काल खाता खोलने तथा गैर व्यक्तिगत डेबिट कार्ड जारी करने की सुविधा प्रदान करता है। बैंक के मानकीकृत आवेदन प्रारूप के अनुसार कियोस्क खाता खोलने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने में समर्थ बनाता है तथा ग्राहकों को सेल्फ सर्विस विकल्प उपलब्ध कराकर त्वरित खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध कराता है। ग्राहक ग्रीन पिन सुविधा के साथ गैर व्यक्तिगत डेबिट कार्ड तुरंत प्राप्त कर सकता है जो कि पूर्ण रूप से डिजिटल प्रक्रिया है।

हमारी डिजिटल बैंकिंग टीम निम्नलिखित माध्यमों द्वारा हमारे उत्पादों को और बेहतर बनाने के माध्यम से ग्राहकों को उपलब्ध करवाए जानेवाले डिजिटल एवं वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है:

- एटीएम, जो हमारे ग्राहकों की नकदी आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखेंगे।
- ई-लॉबी जिसे बदलकर अब 'मी लॉबी' कर दिया गया है जिसमें बड़ौदा नॉन-स्टॉप लॉबी का समावेश है, इसमें पांच सेल्फ सर्विस मशीनें यथा कैश रिसाइकलर, एटीएम, मल्टी फंक्शन कियोस्क, पासबुक प्रिंटर एवं 24X7 बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु डिजिटल साइनेज सिस्टम उपलब्ध हैं। आपके बैंक ने "बड़ौदा एक्सप्रेस - 24X7 लॉबी" की सेवाओं का आरंभ किया है जो बड़ौदा नॉन स्टॉप लॉबी का ही छोटा संस्करण है, जिसमें वर्तमान एटीएम केबिन की आंतरिक संरचना में थोड़ा बदलाव करके एटीएम केबिन में ही एटीएम के साथ - साथ कैश रिसाइकलर तथा पासबुक प्रिंटर लगाकर अतिरिक्त सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म बड़ौदा कनेक्ट के माध्यम से हमारे ग्राहकों को प्रयोग में आसानी एवं बेहतर नियंत्रण उपलब्ध करवाने के लिए इसे कई विशेषताओं से युक्त बनाया गया है।
- मोबाइल बैंकिंग - इस वर्ष एक नए अवतार में ग्राहक खातों के 360 डिग्री व्यू के साथ हमारे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एम कनेक्ट प्लस का शुभारंभ किया गया जो ग्राहक खातों से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ-साथ, ग्राहकों को विकसित, सुरक्षित, स्तरीय एवं विशेषताओं से युक्त अनुभव उपलब्ध करवाता है।
- मोबाइल वॉलेट - ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक ने जुलाई 2016 में बैंक के मोबाइल वॉलेट "बड़ौदा एम-क्लिप" का शुभारंभ किया है। ऑनलाइन खरीददारी करने के लिए यह सरल, सुरक्षित एवं आसान मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें निहित विशेषताएं हैं- व्यक्ति से व्यक्ति धन अंतरण, मोबाइल/ डीटीएच/ डाटा रिचार्ज, विभिन्न ब्रांडों के गिफ्ट कार्ड, बिल भुगतान और अन्य ऐसी आवश्यकताएं।
- इंटरनेट पेमेंट गेटवे - क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग का प्रयोग करते हुए भुगतान संग्रहण द्वारा ई-कॉमर्स व्यवसाय हेतु अपने व्यापारियों को बड़ौदा

ई गेटवे नामक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने हेतु हमारा बैंक स्वयं की पूरी इंटरनेट पेमेंट गेटवे संरचना तैयार करने की प्रक्रिया में है।

- भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) - यह राष्ट्रीय महत्ता की एक पहल है जो कि भौगोलिक/ जनसांख्यिकी सीमा के परे ग्राहकों/ऐसे वर्ग जो हमारे ग्राहक नहीं है, को त्वरित बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। बीबीपीएस एक समेकित प्लेटफॉर्म है जहां विभिन्न चैनलों के माध्यम से आपका बैंक भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इकाई (ग्राहक बीबीपीओयू) के प्रतिभागी के रूप में है। बिल भुगतान प्लेटफॉर्म का उपयोग करने हेतु भारत बिल भुगतान प्रणाली सरल, सुरक्षित एवं आसान है जो कि ग्राहकों को अंतः प्रचलनीय एवं सुगम बिल भुगतान सेवाएं प्रदान करती है तथा तत्काल भुगतान की पावती की पुष्टि उपलब्ध कराई जाती है।
- रिटेल भुगतान व्यवस्था हेतु यूपीआई - हमारे बैंक ने बड़ौदा एमपे -यूपीआई का शुभारंभ भी किया है जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की एक नई पहल है जो भारत में सभी मौजूदा रिटेल भुगतान व्यवस्था के लिए सरलीकृत एवं एक सिंगल इंटरफेस उपलब्ध करवा
- ग्लोबल कॉन्टैक्ट सेंटर - हमारे बैंक ने गिफ्ट सिटी तथा बैंगलुरु में नवीनतम तकनीक युक्त कॉन्टैक्ट सेंटर का शुभारंभ किया है। हमारा कॉन्टैक्ट सेंटर भारत एवं विश्व में कहीं से भी टॉल फ्री नंबर के माध्यम से टेलीफोन माध्यम द्वारा अधिकांश बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाता है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) और अन्य वित्तीय समावेशन ग्राहकों के लिए एक अलग टॉल फ्री नंबर भी उपलब्ध करवाया गया है।

फिनटेक संधियां

आपके बैंक ने ऋण, भुगतान, संपदा प्रबंधन, तकनीक, ई-कॉमर्स आदि हेतु वित्तीय सेवाएं जगत में 15+ साझेदारियों की हैं जिससे हमारा बैंक फिनटेक फर्मों के लिए एक वरीयतः साझेदार बन सके।

स्टैंड अप इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया के समर्थन में फिनटेक, एग्रीटेक, ई-कॉमर्स आदि भिन्न क्षेत्रों में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सयाजीराव गायकवाड़ फेलोशिप कार्यक्रम तैयार किया है।

बैंक ऑफिस परिचालन

नियंत्रण एवं अनुपालन में सुधार के दौरान बैंक ऑफिस समर्थन प्रक्रिया में सेवा सुपुर्दगी एवं गुणवत्ता बेहतर बनाने और भविष्य के लिए क्षमताओं के निर्माण की तरफ एक नीतिगत चरण के रूप में प्रक्रियाओं के डिजिटाइजेशन और बैंक ऑफिस परिचालन के केंद्रीकरण के माध्यम से आपके बैंक की परिचालन संरचना परिवर्तित की गई है। इस समय हमारा बैंक गिफ्ट सिटी में कई मंजिलों वाले नवीनतम तकनीक युक्त 'शेयर्ड सर्विस सेंटर' का निर्माण कर रहा है। बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड के रूप में शामिल अनुषंगी, औद्योगिक विशेषज्ञों एवं आंतरिक एवं बाह्य दोनों श्रेष्ठ प्रतिभाओं द्वारा संचालित होगी।

इस नीतिगत पहल की ओर बढ़ते हुए, गिफ्ट सिटी में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचालन से संबद्ध 24X7 केंद्रीकृत संपर्क केंद्र की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। स्कैन आधारित कार्यप्रणाली के साथ केंद्रीकृत मॉर्गेज प्रोसेसिंग का कार्यान्वयन 3 अंचलों में किया गया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने 8 अंचलों में 1300+ शाखाओं में स्कैन आधारित खाता खोलने की प्रक्रिया को कार्यान्वित किया है। व्यापार एवं धनप्रेषण संव्यवहारों पर अनुपालन नियंत्रण की संवृद्धि के साथ गुजरात की शाखाओं के लिए एक ट्रेड फायनांस बैंक ऑफिस भी परिचालित किया गया है।

प्रक्रियाओं को आदर्शतम बनाने और क्षमताओं के निर्माण के साथ धीरे-धीरे और भी परिवर्तन किए जाएंगे। 31 मार्च, 2017 तक 5,375 शाखाओं से जुड़ा मौजूदा रीजनल

बैंक ऑफिस (आरबीओ) भी शेयर्ड सर्विस सेंटर में एक केंद्रीय स्थान से परिचालित होगा।

नकदी प्रबंधन एवं करेंसी चेस्ट:

हमारे बैंक में -96- करेंसी चेस्ट हैं जिसमें से 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान -5- नए करेंसी चेस्ट (ग्वालियर, सामंतनगर, गौरीगंज, दिल्ली रोड, अलवर एवं असिलमेता) खुले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से नकदी उपलब्ध करवाने के अलावा इनका प्रयोग बैंक में प्रभावी नकदी प्रबंधन में होता है। सभी शाखाओं एवं करेंसी चेस्ट को नोट सॉर्टिंग मशीन (एनएसएम) उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जाली नोटों के परिचालन को रोकने के लिए सभी करेंसी चेस्ट में 5 हस्तचालित मुद्रा प्रमाणीकरण यंत्र भी उपलब्ध करवाए गए हैं। हाल ही में हुई विमुद्रीकरण की प्रक्रिया के दौरान पुराने मुद्रा को जमा करने, ग्राहकों को नई मुद्रा वितरित करने एवं नकदीकरण की आपवादािक स्थिति में नकदी का प्रभावी प्रबंधन करने में सभी करेंसी चेस्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मार्केटिंग :

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने बैंक के विविध संपर्क स्तरों पर ग्राहक संतुष्टि का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रतिष्ठित स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि और ब्रांड हेल्थ पर एक सर्वेक्षण करवाया। सर्वेक्षण में सभी स्थानों और उत्पादों जैसे बचत बैंक खाता, कृषि ऋण, व्यापार ऋण, बंधक, एमएसएमई और मिड एवं लार्ज कॉर्पोरेट को शामिल किया गया। आपके बैंक की अभिलाषा बैंकिंग जगत में “सर्वाधिक लोकप्रिय सेवा ब्रांड” बनने की है।

हमारी ब्रांड उपस्थिति को मजबूत बनाने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- अन्य उत्पादों एवं सेवाओं के साथ-साथ हमारे डिजिटल उत्पादों के बारे में जागरूकता लाने के लिए एक सुनियोजित मार्केटिंग पहल शुरू की गई।
- अबव-द-लाइन (एटीएल) गतिविधियों के साथ-साथ बिलो-द-लाइन (बीटीएल) गतिविधियों के लिए विभिन्न मीडिया माध्यमों जैसे कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक (टीवी/ रेडियो) डिजिटल एवं आउट ऑफ होम (ओओएच) का प्रभावी उपयोग।
- प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधु एवं के श्रीकांत, द्वारा ब्रांड समर्थन। इन दोनों खिलाड़ियों का कार्यनिष्पादन उत्कृष्ट रहा है तथा इनके पेशे में समर्पण एवं प्रतिबद्धता का विलक्षण मिश्रण है। इन खिलाड़ियों का व्यक्तित्व व्यवसाय के प्रति बैंक के दृष्टिकोण - धरेलू तथा साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिम्मेदारी, सरोकार एवं सामर्थ्य के समरूप है।
- फीफा अंडर 17 का राष्ट्रीय समर्थनकर्ता - हमारा बैंक देश में पहला ब्रांड है जो कि माह अक्टूबर, 2017 में आयोजित होने वाले फीफा विश्व अंडर 17 के राष्ट्रीय समर्थनकर्ता के रूप में आया है। फीफा वर्ल्ड कप के साथ ही साथ कार्यक्रम, कार्यशाला, फूटबॉल, उत्सवों इत्यादि के माध्यम से XI मिलियन विद्यार्थियों तक पहुंचने के लिए एमएक्सआईएम (मिशन XI मिलियन) गतिविधि भी चलाई गई है। इन कार्यक्रमों में बैंक की उपस्थिति से व्यवसाय को बढ़ाने में तथा भविष्य के ग्राहक वर्ग को तैयार करने के लिए विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यालयों आदि से सीधे जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है।
- ग्राहकों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग :- बैंक नियमित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर्षक विषय वस्तु को पोस्ट करता रहता है तथा इसके अलग-अलग उद्देश्यों जैसे, ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग, निर्दिष्ट लक्ष्य समूह हेतु जागरूकता, व्यवसाय वृद्धि, ग्राहक सेवा की लागत में कमी करने हेतु वैकल्पिक डिलिवरी चैनल का प्रचार-प्रसार आदि को केंद्र में रखते हुए विभिन्न

अभियान चलाए हैं ताकि वांछित लक्ष्य समूह को अपने साथ जोड़ा जा सके। सोशल मीडिया माध्यमों में बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है :-

सोशल मीडिया चैनल	सांख्यिकी (31 मार्च, 2017 तक)
फेसबुक	2,70,750+लाइक्स
ट्वीटर	24500+फॉलोवर्स
यूट्यूब	4065 + सबस्क्राइबर्स

- ब्रांड का एंटेड तथा अन-एंटेड रीकॉल : बैंक ने ब्रांड की रीकॉल को बढ़ाने के लिए समूचे भारतवर्ष में निम्नलिखित अनुकूल स्थानों पर सुसज्जित बाह्य योजना के तहत ब्रांडिंग किया है :-
 - ◆ सिकन्दरापुर तथा अंधेरी मेट्रो स्टेशनों के नामकरण का अधिकार, अमृतसर, चंडीगढ़ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में ब्रांड की विजिबिलिटी, आदि ब्रांड हेतु श्रेष्ठ विपणन स्थान हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे बैंक ने प्रमुख हवाई अड्डों पर बड़ी-बड़ी प्रदर्शन इकाइयां भी लगायी हैं।
 - ◆ मॉल में ब्रांडिंग : शहरों में आजकल नीतिगत स्थानों पर मॉल बनाए जाते हैं जो नवोन्मेषी ब्रांडिंग के लिए सुअवसर प्रदान करते हैं। पहली बार हमारे बैंक ने 11 केंद्रों पर 27 प्रमुख मॉलों में विजिबिलिटी बढ़ाई है।
 - ◆ हमारे बैंक ने ब्रांड बिल्डिंग के लिए सिनेमा विज्ञापन पर भी ध्यान केन्द्रित किया है जहां बड़ी स्क्रीन पर ब्रांड के प्रचार हेतु दर्शकों का बड़ा समूह उपलब्ध हो जाता है।
- ब्रांड बढ़ोतरी : चूंकि शाखा ग्राहकों का प्रथम संपर्क केंद्र है अतः ब्रांड इमेज में सुधार लाने तथा ग्राहकों के साथ संवाद के माध्यम के रूप में बैंक ने शाखा की पुनर्सज्जा आरंभ की है।
- विभिन्न स्थानों पर विज्ञापन के माध्यम से लक्ष्य समूहों के बीच उत्पादों एवं सेवाओं का प्रचार करने के लिए उत्पाद प्रचार अभियान।
- विजिबिलिटी बढ़ाने एवं ब्रांड रिकॉल मूल्य बढ़ाने के लिए एफआईसीसीआई-आईबीए बैंकिंग सम्मलेन 2016, स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मेराथन इत्यादि में सहभागिता।

वित्तीय वर्ष 17 के दौरान, दिनांक 31 अगस्त से 06 सितंबर 2016 को इकोनोमिक टाईम्स द्वारा ब्रांड इक्विटी में भारतीय ब्रांडों के बीच 21 वां स्थान प्राप्त करके हमारा बैंक अग्रणी ब्रांड के रूप में सामने आया।

बैंक का शाखा विस्तार

दिनांक 31 मार्च, 2017 तक बैंक की शाखाओं का विस्तार निम्नानुसार है :

	31.03.2016		31.03.2017	
	शाखाओं की संख्या	कुल शेयर प्रतिशत	शाखाओं की संख्या	कुल शेयर प्रतिशत
धरेलू: क्षेत्र वर्गीकरण (भारत)				
महानगरीय	1008	18.91	1166	21.51
शहरी	933	17.50	921	17.04
अर्द्ध-शहरी	1425	26.74	1523	27.98
ग्रामीण	1964	36.85	1812	33.47
कुल	5330	100.00	5422	100.00
विदेश (अनुषंगियों की शाखाएं एवं प्रतिनिधि कार्यालय सहित)	106	-	107	-

* 31 मार्च, 2016 तक के आंकड़े 2001 की जनगणना एवं 31 मार्च, 2017 के आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुरूप हैं।



वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान बैंक ने -99- नई शाखाएं खोली तथा -7- शाखाओं को बंद / विलग किया। खोली गई नई शाखाएं अत्याधुनिक डिजिटल पोर्टेबल शाखाएं थीं। इस संकल्पना का हमारे ग्राहकों की ओर से अच्छा प्रतिभाव मिला है और वित्तीय वर्ष 2018 में इस और विस्तारित किया जा रहा है।

कांफ़ॉरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

विभिन्न विकास संबंधी गतिविधियों के माध्यम से समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान देने की हमारे बैंक की पुरानी परम्परा रही है। बैंक का यह मानना है कि समाज के कम भाग्यशाली एवं सुविधाओं से वंचित लोगों के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव कल्याण और अन्य सामाजिक गतिविधियां बैंक के प्रमुख केन्द्रित क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से अपने लगातार प्रयासों से समाज में बड़ा परिवर्तन लाया जा सका है।

बैंक द्वारा सीएसआर के क्षेत्र में निरंतर आधार पर जो गतिविधियां की जा रही हैं वे निम्नानुसार हैं:

● बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान -बीएसवीएस (बड़ौदा आर-सेटी)

हमारे बैंक ने देश के छः राज्यों में 49 बीएसवीएस (बड़ौदा आर-सेटी) स्थापित किए हैं। इनमें से 45 हमारे अग्रणी जिलों में तथा 4 गैर-अग्रणी जिलों में हैं। ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्र के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके स्व रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। अभी तक हमारे बड़ौदा स्वरोजगार संस्थानों ने 10,380 कार्यक्रम आयोजित किए हैं तथा 2,92,939 युवकों को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें से 1,97,826 ने या तो रोजगार प्राप्त कर लिया है या अपने उद्यम स्थापित कर लिए हैं। निपटान अनुपात 67.53% है।

● वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी)

सामान्य वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करने तथा वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे बैंक ने देश के आठ राज्यों में 51 एफएलसीसी भी स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों पर वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता, वित्तीय योजना तथा किसी व्यक्ति की कर्ज संबंधी परेशानी में सुधार संबंधी गतिविधियां भी की जाती हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

जोखिम पर ध्यान केंद्रण एवं समर्थक संचालन फ्रेमवर्क में जोखिम से निपटने और उसका प्रबंधन करने हेतु बैंक के विभिन्न भागों की जिम्मेदारियों का निर्धारण करना शामिल है। इसे "रक्षा की तीन पंक्तियां" के रूप में संदर्भित किया जाता है तीनों पंक्तियों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे इस प्रकार हैं:

- I. व्यवसाय पंक्ति- रक्षा की प्रथम पंक्ति- में जोखिम की 'जिम्मेदारी' है, जहां अपनी गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न जोखिम को समझा और प्रबंधित किया जाता है।
- II. प्रथम पंक्ति से भिन्न स्वतंत्र रूप से, रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में जोखिम प्रबंधन कार्य समग्र उद्यम के आधार पर जोखिम निर्धारण, उसकी मात्रा, निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। अनुपालन कार्य भी रक्षा की दूसरी पंक्ति का भाग मानी जाती है।
- III. आंतरिक लेखा परीक्षा रक्षा की तीसरी पंक्ति है जो जोखिम आधारित एवं अन्य लेखा परीक्षा करने का कार्य करती है और निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि जोखिम संचालन फ्रेमवर्क सहित समग्रतः संचालन फ्रेमवर्क प्रभावी है और नीतियां और प्रक्रिया उपयुक्त हैं और लगातार लागू हैं।

व्यवसाय में नियंत्रण - रक्षा की पहली पंक्ति

पूरे संस्थान में आंतरिक नियंत्रण एवं अनुपालन संस्कृति को मजबूत बनाने हेतु, हमारे बैंक ने संस्था की संरचना के पुनर्निर्धारण की शुरुआत की है जिससे (1) व्यवसाय एवं नियंत्रण कार्यप्रणाली के विभाजन एवं (2) ग्राहक अनुभव में वृद्धि करते समय कार्यक्षमता बढ़ाने और नियंत्रण को सशक्त करने हेतु निश्चित परिचालन एवं प्रक्रियाओं को शाखाओं से हटाकर उनको केंद्रीकरण के सिद्धांतों को अपनाने से नियंत्रण एवं अनुपालन मजबूत बनेगा। कांफ़ॉरेट स्तर पर, हमारा बैंक ऋण संबंधों एवं ऋण अनुमोदन कार्यप्रणाली को अलग करने की प्रक्रिया में है। कांफ़ॉरेट संगठन को कांफ़ॉरेट बैंकिंग एवं कांफ़ॉरेट ऋण में विभक्त किया गया है और रिटेल एवं एमएसएमई बैंकिंग में इसी तरह विभाजन करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में स्थित शेयर्ड सर्विस सेंटर (एसएससी) में प्रक्रिया एवं परिचालनों के केंद्रीकरण के माध्यम से अनुपालन आवश्यकताओं का पालन करके बेहतर नियंत्रण करने का कार्य प्रक्रिया में है। इसके अलावा, बैंक ने आपवादिक संव्यवहारों की स्वतंत्र निगरानी एवं एमएल सिस्टम से आने वाले अलर्ट्स की निगरानी एवं उन्हें बंद करने के लिए संव्यवहार निगरानी इकाई (टीएमयू) की स्थापना की है।

बैंक व्यवसाय इकाइयों द्वारा स्व-मूल्यांकन को सशक्त करने पर जोर देते हुए एक प्रक्रिया का निर्माण करने पर भी विचार कर रहा है।

जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन - रक्षा की दूसरी पंक्ति

जोखिम प्रबंधन

जोखिम बैंकिंग व्यवसाय का अविभाज्य हिस्सा है और जोखिम एवं प्रतिफल के बीच एक उपयुक्त ट्रेड-ऑफ प्राप्त करने का बैंक का लक्ष्य है। स्थायी एवं निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए हमारे बैंक ने एक व्यवस्थित जोखिम प्रणाली विकसित की है ताकि बैंक द्वारा अनुमानित जोखिमों का लगातार और व्यवस्थित आकलन व निगरानी की जा सके। बैंक जोखिम सीमाओं एवं बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के भीतर अपनी व्यवसाय गतिविधियां करता है। विभिन्न जोखिमों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए बोर्ड की एक विशिष्ट समिति का गठन किया गया है। बोर्ड ने अपनी एक जोखिम प्रबंधन समिति भी गठित की है जो विभिन्न प्रकार के जोखिमों के बीच परस्पर संबंध को देखती है। प्रत्येक प्रकार के जोखिम के लिए नियंत्रक रूपरेखा बनाने के प्रयोजन से निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल की समिति द्वारा समय-समय पर नीतियां अनुमोदित की जाती है।

हमारे बैंक में विभिन्न जोखिमों के निर्धारण, मूल्यांकन तथा प्रबंधन की प्रक्रिया संक्षेप में निम्नानुसार है।

आस्ति देयता प्रबंधन

हमारे बैंक के आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) का लक्ष्य नीतिपरक योजना, कार्यान्वयन तथा नियंत्रण प्रक्रिया पर केन्द्रित है, जो बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की मात्रा, मिश्रण, परिपक्वता, दर की संवेदनशीलता, गुणवत्ता तथा तरलता को प्रभावित करती है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), जिसमें महाप्रबन्धक तथा कार्यपालक निदेशक शामिल हैं तथा इसका नेतृत्व प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया जाता है, सुनिश्चित करती है कि तरलता एवं ब्याज दर जोखिम की दृष्टि से बैंक का जोखिम प्रोफाइल निदेशक मंडल द्वारा तय की गई जोखिम सीमा के भीतर है।

तरलता जोखिम, अपेक्षित तथा अनपेक्षित नकदी एवं संपार्श्विक दायित्व को उचित लागत पर पूरा करने की एक असमर्थता है। बैंक में, तरलता जोखिम का निर्धारण एवं निगरानी का कार्य प्रवाह दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण एवं अन्य विवेकपूर्ण निर्धारणों के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार

किया जाता है। बैंक ने तरलता मानकों-तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर), तरलता जोखिम मॉनीटरिंग टूल्स और एलसीआर प्रकटीकरण मानकों हेतु बासल III फ्रेमवर्क को कार्यान्वित किया है। एलसीआर मानकों का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि हमारे बैंक के पास 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो उतनी भार रहित उच्च कोटि की आस्तियां हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण गंभीर दबाव परिवेश में नकदी में बदला जा सके। बैंक एकल तथा समेकित आधार पर एलसीआर के निर्धारित स्तर से हमेशा ऊपर रहा है। ब्याज दर जोखिम, संवेदनशील दर वाली आस्तियों और देयताओं के बीच असंतुलन के कारण पैदा होता है, जो बाज़ार में ब्याज दर में परिवर्तन होने पर बैंक के लाभ को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

ब्याज दर जोखिम का आकलन तथा निगरानी पारम्परिक अंतराल तथा आवधिक अंतराल दृष्टिकोण दोनों माध्यमों से किया जाता है। एनआईएम ब्याज दर की गतिविधियों के लघु अवधि प्रभाव का निर्धारण "जोखिम पर आय" दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाता है, इसमें आय वक्र जोखिम, आधार जोखिम तथा अंतःस्थापित विकल्प जोखिम भी शामिल हैं। इक्विटी के बाज़ार मूल्य पर ब्याज दर गतिविधियों के दीर्घकालिक प्रभाव का निर्धारण भी आवधिक अंतराल दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाता है। आधुनिक तकनीक जैसे अनुकरण, संवेदनशीलता तथा परिदृश्य विश्लेषण के रूप में तरलता जोखिम के तनाव की जांच का प्रयोग निरंतर अंतराल पर किया जाता है और आकस्मिक निधियन योजना के तहत इसे जांचा जाता है।

बैंक की व्यापक आकस्मिकता निधियन योजना अस्थायी तथा दीर्घावधि दोनों प्रकार के तरलता जोखिमों के लिए तरलता संकट का पूर्वानुमान लगाने तथा उसे कम करने के लिए बनायी गई है। विश्लेषणात्मक तथा रिपोर्टिंग टूल के एक शक्तिशाली समूह के साथ, प्रभावशाली तरलता तथा ब्याज दर प्रबन्धन को सुगम बनाया गया है, जिससे यह सम्भावित विचलन के विरुद्ध अलर्ट जनरेट करने तथा नीतिगत निर्णय लेने में सहायक बन सके।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम की पहचान, उनका आकलन करना, उनकी निगरानी तथा नियंत्रण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ऋण देना बैंक की अविरत प्रक्रिया है। ऋण जोखिम तब उत्पन्न होता है जब प्रतिपक्षी स्वीकृत नियम व शर्तों के अनुरूप अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है। ऋण जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य स्वीकार्य मानदंडों के भीतर बैंक के जोखिम समायोजित दर को व्यवस्थित रखना है। व्यक्तिगत ग्राहक स्तर के संव्यवहार तथा साथ ही, पोर्टफोलियो स्तर पर प्रभावशाली ऋण जोखिम प्रबंधन हेतु जोखिम प्रबंधन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण तथा बैंक में उसकी दीर्घावधि सफलता आवश्यक है।

ऋण जोखिम का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक सुस्थापित फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप नीतियों का निर्धारण, प्रक्रिया और रिपोर्टिंग शामिल है। नीति बनाने वालों की एवं जोखिम उठाने वालों की गतिविधियों को स्वतंत्र रखने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। हमारे बैंक में सुनियोजित ऋण अनुमोदन प्रक्रिया है, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति के अधीन कार्य करती है।

बैंक में ऋण जोखिम रेटिंग में ऋण प्रस्तावों को उनकी गुणवत्ता और अंतर्निहित विशेषताओं के अनुसार व्यवस्थित वर्गीकरण करने की पद्धति शामिल है। रेटिंग बैंक के लिए तथा अन्य हितधारकों (जैसे नियामकों, विश्लेषकों, लेखा परीक्षकों आदि) के लिए भी ऋण गुणवत्ता का एकल बिन्दु संकेतक है। हमारे बैंक ने वेब आधारित दो आयामी क्रेडिट रेटिंग प्रणाली अपनायी है जिसमें ऋणकर्ता की रेटिंग एवं ऋण सुविधा की रेटिंग भी शामिल है। सुविधा रेटिंग रखे गए संपार्श्व के प्रकार तथा उसके

कवरेज पर निर्भर करता है। ऋणी की समेकित रेटिंग इन दोनों पैमानों को मिलाकर तैयार की जाती है, जिसमें संभावित हानि तथा ऋण के उचित कीमत निर्धारण को शामिल किया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में बैंक ने आंतरिक रेटिंग में अच्छा अनुभव प्राप्त किया है और ऋण रेटिंग माइग्रेशन में डेटा निर्माण कर लिया है। इस महत्वपूर्ण प्लेटफार्म ने हमारे बैंक को दिनांक 31 मार्च, 2013 से बासेल नियम II के अंतर्गत ऋण जोखिम के फाउंडेशन आंतरिक रेटिंग आधार (एफआईआरबी) दृष्टिकोण के तहत समांतर चलने के लिए नियामकों से अनुमोदन प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। आईआरबी दृष्टिकोण में बैंकों को ऋण जोखिम के अंतर्गत पूंजी आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए अपना अनुभव-सिद्ध मॉडल विकसित करने की अनुमति होती है। आईआरबी अनुपालन बैंक के लिए बेहतर ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं कड़ी जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं के साथ सहायक बना है।

बैंक का कार्पोरेट रिसर्च कक्ष जिन उद्योगों में बैंक की निधियां पर्याप्त मात्रा में लगी हुई है उनकी तथा नए विकासशील उद्योगों की पहचान करने के लिए उनमें वर्तमान समय में प्रचलित जोखिमों का उद्योग विशेषज्ञों के माध्यम से अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करता है। अविवेकी जमाव का प्रबंध करने हेतु बैंक ने उद्योगों, सेक्टरों और ऋणकर्ताओं के लिए विवेकशील उच्च सीमाएं तय कर रखी हैं। पोर्टफोलियो समीक्षा कक्ष सेक्टरवार एक्सपोज़र, ऋण संकेन्द्रण, रेटिंग विभाजन तथा माइग्रेशन पर विस्तृत अध्ययन करता है और इन अध्ययनों के आधार पर बैंक की ऋण कार्यनीति तैयार करता है।

हमारे बैंक ने सभी ऋण एक्सपोज़रों के लिए पूंजी पर जोखिम समायोजित रिटर्न (आरएआरओसी) फ्रेमवर्क भी क्रियान्वित किया है। आरएआरओसी पूंजी नियोजन के लिए जोखिम समायोजित रिटर्न के अनुपात के रूप में परिभाषित है। इससे हमें इसकी गणना करने में सुविधा मिलेगी कि क्या ऋण जोखिम आस्तियां पर्याप्त लाभ उत्पन्न कर रही हैं, जिससे शेरधारकों की निधियों के आर्थिक मूल्य में वृद्धि हो।

बाज़ार जोखिम

मार्केट जोखिम का तात्पर्य बाज़ार दरों अथवा मूल्यों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण आर्थिक मूल्य अथवा अर्जन की हानियों से है। विभिन्न बाज़ार उत्पादों के आर्थिक मूल्यों में परिवर्तन मुख्यतः ब्याज दरों, विनिमय दरों, आर्थिक प्रगति, व्यावसायिक विश्वास आदि में परिवर्तन का कार्य है। आपके बैंक ने अपनी ट्रेजरी गतिविधियों को मॉनीटर एवं नियंत्रण करने की स्पष्ट नीतियां बनायी हैं। इन नीतियों में प्रबंधन व्यवहार, प्रक्रियाएं, विवेकशील जोखिम सीमाएं, समीक्षा प्रणाली और रिपोर्टिंग प्रणाली शामिल हैं। इन नीतियों की वित्तीय एवं बाज़ार परिस्थितियों में परिवर्तनों के अनुरूप नियमित समीक्षा की जाती है। बैंक में ब्याज दर जोखिम को ब्याज दर संवेदनशील गैप रिपोर्ट और जोखिम पर आय के माध्यम से नापा जाता है। इसी क्रम में हमारा बैंक दैनिक आधार पर अपने निवेश पोर्टफोलियो की, जिनमें निश्चित आय प्रतिभूतियां शामिल है, उसकी अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01 और जोखिम पर मूल्य की गणना करता है। यह अल्पावधि ब्याज दर जोखिम को एनआईआई (शुद्ध ब्याज आय) से और संभाव्य एवं दीर्घावधि ब्याज दर जोखिम को ईवीई (इक्विटी का आर्थिक मूल्य) से मॉनीटर करता है। इसके अलावा बैंक में निश्चित ब्याज निवेश पोर्टफोलियो के दबाव की जांच, संवेदनशीलता विश्लेषण और इक्विटीज के परिदृश्य विश्लेषण के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। विदेशी मुद्रा जोखिम और इक्विटी मूल जोखिम की भी दैनिक निगरानी की जाती है और उन्हें मार्किंग टू मार्केट, स्टॉप लॉस सीमा, वीएआर सीमा, पोर्टफोलियो आकार सीमा, आईजीएल, एजीएल आदि के माध्यम से नापा जाता है। ट्रेजरी पोजिशन के लिए जोखिम के मूल्य की गणना 10 दिनों की धारण अवधि के लिए पूर्व अनुसरण विधि के माध्यम से 99.0% विश्वास स्तर पर की जाती है।



परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों तथा प्रणालियों अथवा बाहरी घटकों से हानि के कारण होने वाले जोखिम के रूप में परिभाषित है। इसमें विधिक जोखिम भी शामिल है, लेकिन कार्यनीति तथा प्रतिष्ठा सम्बंधी जोखिम इसमें शामिल नहीं हैं। परिचालन जोखिम बैंक की सभी गतिविधियों तथा व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतः इसका प्रबंधन सभी हितधारकों की सक्रिय सहभागिता से किया जाना चाहिए।

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) की जिम्मेदारी परिचालन जोखिम को नियंत्रण में रखने की है ताकि वे बैंक की कार्यप्रणाली पर ज्यादा प्रभाव न डाल सके। बैंक ने प्रक्रियाओं में संशोधन तथा नियंत्रण प्रणाली को सुधारने हेतु नई प्रणाली स्थापित करने के लिए उपाय किए हैं। महत्वपूर्ण जोखिम सूचक प्रोग्राम, जोखिम नियंत्रण एवं स्वयं मूल्यांकन प्रोग्राम तथा चालू वर्ष के दौरान मूल कारण विश्लेषण की शुरुआत की गई है, जो नियंत्रण प्रक्रिया को और मजबूत करेंगे।

पिलर 2 जोखिम

बैंक के पास एक व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया नीति है। पिलर 2 जोखिम जैसे कि तरलता जोखिम, नकदी जोखिम, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम, केंद्रीकरण जोखिम इत्यादि और समग्र जोखिम प्रबंधन अभ्यास साथ ही साथ सामान्य एवं दवाबग्रस्त परिस्थितियों में पूंजी की पर्याप्तता को इस नीति के अंतर्गत मूल्यांकित किया जाता है।

बासल III कार्यान्वयन

भारतीय बैंकों द्वारा 1 अप्रैल, 2013 से बासल III पूंजी विनियमों का कार्यान्वयन किया गया है। इस कार्यान्वयन के लिए एक ओर पूंजी की परिवर्धित गुणवत्ता एवं मात्रा की, वहीं दूसरी ओर अधिक प्रकटीकरण की आवश्यकता है। बैंक की ओर पूंजी में सुधार करने तथा वृद्धि करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च 2016 में एफसीटीआर, डीटीए तथा पुनर्मूल्यन आरक्षित को शामिल करने के लिए नए उपाय किए गए हैं। मार्च 2016 के बाद से बैंक ने चरणबद्ध तरीके से सीसीबी का रखरखाव करना भी शुरू किया है जो नियामक के अनुसार 2.5% पर पहुंचेगा।

तरलता कवरेज अनुपात के संबंध में बैंक ने बासेल एवं आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित अनुपात प्राप्त करने हेतु बैंक पूर्णतया सुसज्ज है। दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एलसीआर नियामक आवश्यकताओं से काफी अधिक रहा।

हमारे बैंक ने कई पहल की हैं, जैसे कि बैंक के जोखिमों की प्रवृत्ति का आकलन एवं निगरानी के लिए अपेक्षित प्रणाली और प्रक्रियाएं विकसित करने हेतु एंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन परियोजनाएं शुरू करना, बैंक के ऋण रेटिंग मॉड्यूल (बॉबरंम) को संशोधित करना जिससे कि मॉड्यूल के विवेकाधीन अधिकारों में वृद्धि हो सके तथा निर्धारित आवास ऋण ग्राहकों के लिए ऋण गारंटी व्यवस्था को शामिल किया जा सके एवं पोर्टफोलियो के जोखिम को कम किया जा सके।

अनुपालन

एक स्वतंत्र अनुपालन-कार्यकलाप बैंक के संरक्षण की द्वितीय पंक्ति का एक प्रमुख घटक है। यह कार्य अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि बैंक एकीकृत रूप से और लागू विधियों, विनियमों एवं आंतरिक पॉलिसियों का अनुपालन करते हुए कार्य करता है।

हमारे बैंक ने अपने अनुपालन-दर्शन को रेखांकित करते हुए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक पालिसी बनाई है। अनुपालन कार्यकलाप बैंक में स्वस्थ अनुपालन

संस्कृति द्वारा समर्थित आंतरिक नियंत्रण एवं अनुपालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया सहित गवर्नंस का एक अंतर्निहित भाग है। अनुपालन कार्यकलाप विभिन्न विधि-विधानों यथा बैंकिंग विनियमावली अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, धनशोधन निवारण अधिनियम में उल्लिखित सांविधिक प्रावधानों तथा विदेशी केन्द्रों में जहां बैंक की शाखाएं/कार्यालय हैं, उन विभिन्न नियामकों के विनियमों की पालना सुनिश्चित करता है। यह बीसीएसबीआई (भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड), आईबीए (भारतीय बैंक संघ), फिडाय (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ) तथा फिमडा (भारतीय नियत मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा निर्धारित मानकों तथा कोड आदि का पालन भी सुनिश्चित करता है।

बैंक अपने अनुपालन कार्यकलाप को और सुदृढ़ बनाने के लिए एक वेब आधारित अनुपालन प्रबंध प्रणाली अपनाने की प्रक्रिया में है।

अनुपालन कार्य-कलाप वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को बैंक द्वारा लागू विधियों, नियमों एवं मानकों के अनुपालन के बारे में सूचित करता है तथा इस क्षेत्र में हुई प्रगति से अवगत कराता है। यह व्यवसाय-स्टाफ सदस्यों एवं नामित अनुपालन अधिकारियों के लिए आवधिक रूप से प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन कर उन्हें अनुपालन के बारे में शिक्षित करने में सहायक होता है। इस प्रयोजन से ज्ञान प्रबंधन टूलस बैंक की साइट पर भी अपलोड किए गए हैं।

अनुपालन कार्य-कलापों की कांफ़रेंस मूल्यांकन, पालिसियों एवं प्रक्रियाओं के समर्थन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि बैंक जिम्मेदारी से कार्यरत है एवं लागू बाध्यताओं को पूरा कर रहा है, यह सुनिश्चित करने में सहायक बनता है।

केवाईसी/ एएमएल अनुपालन

आपके बैंक के पास सुपरिभाषित केवाईसी - एएमएल - सीएफटी नीति है, यह वह आधारशिला है जिस पर केवाईसी मानदंडों का अनुपालन, ए.एम.एल. मानदंडों, सीएफटी उपायों तथा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंक के दायित्वों का कार्यान्वयन टिका हुआ है। बैंक वित्तीय अन्वेषण इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नकद लेनदेन रिपोर्टों (सीटीआर) को जनरेट करता है। ग्राहकों के खातों में संव्यवहारों के आधार पर सिस्टम आधारित एलटर्स जनरेट करने के लिए एएमएल समाधान लागू किया गया है। केन्द्रीय लेन-देन निगरानी इकाई (सीटीएमयू) संव्यवहारों/ एएमएल सोल्यूशन में जनरेट एलटर्स की पूरी तरह से निगरानी करता है और यदि कुछ संदेहजनक पाया जाए तो एसीआर को मुख्य अधिकारी को प्रस्तुत करता है। ग्राहकों के खातों का प्रत्येक छःमाही आधार पर सिस्टम आधारित जोखिम वर्गीकरण (ए एम एल उपायों से) किया जाता है। बैंक, एफआईयू-आईएनडी, नई दिल्ली को प्रत्येक माह जाली करंसी नोटों की रिपोर्ट (सीसीआर) और गैर लाभकारी संगठनों के लेनदेन के बारे में रिपोर्ट (एनटीआर) प्रस्तुत करता है। बैंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट हर माह तैयार करता है और एफआईयू- आइएनडी, नई दिल्ली को प्रस्तुत करता है। सीबीएस सिस्टम में भी इस प्रकार उपयुक्त रूप से सुधार किया गया है जिससे वह पेन फार्म 60/61 न होने पर ₹ 50,000/- तथा इससे अधिक की नकदी को स्वीकार न करे।

केवायसी अनुपालन को और कड़ा बनाने के लिए एनएसडीएल से पेन कार्ड का ऑनलाइन सत्यापन करने के कार्य को परिचालित किया गया है। बैंक ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीआई) के सहयोग से आधार आधारित ई-केवायसी को लागू कर दिया है। सीएफटी के रूप में सभी शाखाओं में तत्काल जांच पड़ताल हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा विनियमावली (यूएनएससीआर) से प्राप्त नामों की सूची उपलब्ध है। पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर खाता खोलते समय और एएमएल अलर्ट जनरेट करते समय अल कायदा / तालीबान या भारत सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट में घोषित व्यक्तिगत नामों / संस्थाओं के नामों के साथ ग्राहक के नाम की ऑनलाइन जांच की

जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक अपने सभी मौजूदा ग्राहकों को यूनिक ग्राहक आईडी आवंटित करने की प्रक्रिया में है।

बैंक ने अपनी सभी घरेलू शाखाओं और छः विदेशी टैरीटरीज़ (यूके, यूईए, दक्षिण अफ्रीका, मोरिशस, होंगकॉंग एवं बहमास) के लिए अपनी केवायसी, एएमएल एवं सीएफटी पालिसी एवं प्रेक्टिस की स्वतंत्र प्रतिष्ठित फर्म के माध्यम से स्वतंत्र समीक्षा करवाई है और जहां आवश्यक हो, समस्त प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के कदम उठाए हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा - संरक्षण की तीसरी पंक्ति

संरक्षण की तीसरी पंक्ति में एक स्वतंत्र एवं प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य का समावेश होता है। अन्य बातों के साथ-साथ यह बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, संरक्षण की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति तथा जोखिम गवर्नेंस फ्रेमवर्क एवं नीतिगत और व्यवसाय आयोजन व निर्णयन की गुणवत्ता एवं प्रभावोत्पादकता के संबंध में स्वतंत्र समीक्षा और निष्पक्ष आश्वासन उपलब्ध कराती है। आंतरिक लेखापरीक्षक जोखिम प्रबंधन कार्यों को विकसित करने, अनुपालन करने या संचालित करने अथवा संरक्षण कार्य-कलापों की प्रथम या द्वितीय पंक्ति के अन्य कार्यों से जुड़े हुए नहीं होते हैं।

हमारा बैंक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य एक केन्द्रीय आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग (सीआईएडी) के माध्यम से करता है। सीआईएडी शाखाओं एवं कार्यालयों की जोखिम आधारित लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के साथ ही, विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षाएं करता है। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी कार्यकलापों की समग्र निगरानी करती है। यह समिति प्रभावी आंतरिक जोखिम आधारित लेखापरीक्षा, संगामी लेखापरीक्षा, आई.एस. लेखापरीक्षा तथा अन्य निरीक्षण व लेखापरीक्षा कार्यों के प्रभावी विकास के लिए मार्गदर्शन देती है। यह समिति बैंक में कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति तथा आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के कार्यों की देखरेख करती है।

बैंक के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्धारित आवधिकता के अनुसार 13 अंचल निरीक्षण केन्द्रों द्वारा शाखाओं/कार्यालयों के निरीक्षण के माध्यम से सीआईएडी अपना संचालन करता है। बैंक की सभी शाखाएं जोखिम आधारित लेखापरीक्षा (आरबीआईए) में शामिल की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 4,566 शाखाओं का निरीक्षण किया गया जिनमें से 3,669 शाखाएं (80.35%) कम जोखिम में, 851 शाखाएं (18.64%) मध्यम जोखिम में तथा 46 शाखाएं (1.01%) उच्च जोखिम श्रेणी में थीं।

वर्ष के दौरान बैंक ने प्रौद्योगिकी, समाधान देने की परिकल्पना तथा डिजिटलाइजेशन का उपयोग करते हुए लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों को केंद्रीकृत प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में एक स्वतंत्र फर्म की सेवाएं ली हैं। प्रौद्योगिकी का समुचित प्रयोग करके, विश्लेषणात्मक, सरलीकृत तथा उन्नत लेखापरीक्षा कार्य-प्रणाली के माध्यम से समूची लेखा-प्रणाली में बदलाव किया जाएगा। इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को प्रौद्योगिकी के माध्यम से पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है।

संगामी लेखापरीक्षा कार्यों को बेहतर अंतर्दृष्टि एवं निरंतरता के दृष्टिकोण के साथ सुव्यवस्थित करने के लिए बैंक ने संगामी लेखापरीक्षा तंत्र को पुनर्स्थापित किया है जिसके अंतर्गत अंचल की सभी शाखाओं में लेखापरीक्षा करने हेतु एक ही फर्म को नियुक्त किया गया है। एक ही फर्म से लेखापरीक्षा करवाए जाने के कारण यह अपेक्षा की गई है कि उनके एक जैसे दृष्टिकोण का लाभ मिलेगा तथा इसकी जवाबदेही अधिक होगी। नियंत्रण एवं अनुपालन, अनियमितताओं के संबंध में टिप्पणी एवं प्रक्रिया, यदि कोई हो, में एकीकृत विचार का लाभ मिलेगा।

ग्राहक सेवा

बैंक ग्राहकों की आवश्यकताओं और संतुष्टि के प्रति सदैव संवेदनशील एवं तत्पर रहा है और उसका यह विश्वास रहा है कि प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाएं, उत्पाद एवं मानव संसाधन को अपने ग्राहकों को उत्तम बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा एक प्रतिष्ठित एजेंसी के माध्यम से समग्र भौगोलिक क्षेत्रों में बचत बैंक, चालू खाता, संपदा प्रबंधन उत्पाद, आवास ऋण, वाहन ऋण, कृषि ऋण, ट्रेडर्स ऋण, मॉर्गेज, एमएसएमई एवं मध्यम-लार्ज कापॉरेट जैसे सभी उत्पादों के संबंध में ग्राहक संतोष एवं ब्रांड स्वास्थ्य पर एक स्वतंत्र अध्ययन करवाया गया है। इस सर्वेक्षण ने समग्र भौगोलिक क्षेत्रों और सभी उत्पादों के संबंध में ग्राहक संतोष का स्तर, निष्ठा-स्तरों एवं अनुभव स्तरों पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराई। बैंक बैंकिंग उद्योग में एक “सर्वाधिक लोकप्रिय ग्राहक सेवा” बनने की प्रेरणा के साथ ग्राहक-संतोष के स्तर में और सुधार करने हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है।

निदेशक मंडल के स्तर पर ग्राहक सेवा संबंधी मामलों के लिए निदेशक मंडल की उप समिति, नीति निर्धारण तथा उनके अनुपालन से संबंधित मुद्दों को देखती है जिससे ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो।

बैंक ने ग्राहक सेवा पर पद्धति एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा संबंधी स्थायी समिति का गठन किया है जिसमें बैंक के सभी कार्यपालक निदेशक और सात महाप्रबंधकों के अलावा दो प्रतिष्ठित जन प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। यह समिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ग्राहक सेवा पर दिए गए निर्देशों का समय पर तथा प्रभावशाली अनुपालन का कार्य देखती है तथा बैंक में प्रवर्तमान ग्राहक सेवा की कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया का भी मूल्यांकन करती है एवं ग्राहक सेवा के स्तर को सुधारने हेतु नियमित रूप से सुधारात्मक कार्रवाई करती है। बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा तिमाही आधार पर शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति की बैठकों से सुझाव प्राप्त किए जाते हैं और उन्हें ग्राहक सेवाओं संबंधी प्रणालियों एवं पद्धतियों की लेखा परीक्षा की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात समिति की बैठक का फीडबैक निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए हमारे बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है और इसे बैंक की वेबसाइट पर रखा गया है। बैंक में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक सुगठित ग्राहक शिकायत निवारण व्यवस्था है जिसके कारण बकाया शिकायतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी हुई है। बैंक से संबंधित ग्राहक शिकायतों के संबंध में परिचालन एवं सेवाएं के महाप्रबंधक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अंचल तथा क्षेत्रीय स्तरों पर संबंधित क्षेत्रीय व अंचल प्रमुख नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। बैंक की सभी शाखाओं में प्रत्येक नोडल अधिकारी का नाम व पता प्रदर्शित किया गया है।

हमारे बैंक प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से देखता है और शिकायत के मूल कारण का पता लगाने पर बल देता है तथा शिकायतों के उचित निपटान हेतु सुधारात्मक उपाय करता है, जिनमें प्रणाली एवं प्रक्रिया को अपडेट करना तथा ग्राहक सेवा को सुधारने के प्रति स्टाफ सदस्यों को जागरूक करना आदि शामिल हैं। आपके बैंक में मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) के नाम से एक वेब आधारित ऑन लाइन शिकायत पंजीकरण एवं निवारण प्रणाली है। इसके माध्यम से ग्राहक अपनी शिकायत ऑन लाइन दर्ज कर सकता है। एसपीजीआरएस में सुझाव / फीडबैक स्वीकार करने की भी सुविधा उपलब्ध है।

बैंक ने मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) के रूप में एक आंतरिक लोकपाल को नियुक्त किया है। बैंक के आंतरिक लोकपाल के रूप में ग्राहकों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने पहले एक मंच उपलब्ध होता है। बैंक द्वारा अस्वीकृत या आंशिक रूप से स्वीकृत सभी शिकायतों की आंतरिक लोकपाल



द्वारा जांच की जाती है। यह ग्राहकों का बैंक की प्रणालियों पर विश्वास को बढ़ाता है और शिकायत निवारण को अधिक पारदर्शी बना कर उस प्रक्रिया को त्वरित बनाता है।

हमारा बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है और बैंक ने बीसीएसबीआई द्वारा निर्धारित “ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता” तथा “माईक्रो एवं लघु उद्यमियों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता” को अपनाया है। इन्हें बैंक की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया है और ग्राहकों हेतु बैंक शाखाओं में भी उपलब्ध कराया गया है। बीसीएसबीआई द्वारा संहिता के अनुपालन की निगरानी के साथ-साथ संहिता के मूलभूत स्तर पर अनुपालन की स्थिति का पता लगाने के लिए शाखाओं के दौरे किए जाते हैं और ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों तथा बैंकिंग लोकपाल/अपील प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों/अवार्ड का अध्ययन किया जाता है, ताकि यह पता लग सके कि क्या कोई प्रणालीगत कमी तो नहीं है। आपके बैंक को 2016 में रेटिंग प्रक्रिया में सभी पीएसबी श्रेणी में “औसत से उपर” की रेटिंग प्राप्त हुई है।

सतर्कता

हमारा बैंक आंतरिक प्रणाली एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन के विषय में जागरूकता लाने के लिए निवारक सतर्कता को महत्व देता है। इस संबंध में धोखाधड़ियों के मूल कारणों के विश्लेषण के बाद, हमारे बैंक के पास निवारक सतर्कता के रूप में अपनी परिचालन-इकाइयों को प्रणालियों एवं पद्धतियों के अनुपालन में पायी गई कमियों के बारे में सूचित करने की एक प्रणाली है। कर्मचारियों को भी सतर्कता न्यूज़ लेटर, परिपत्रों एवं बैठकों आदि के माध्यम से निवारक सतर्कता के बारे में शिक्षित किया जाता है।

व्हीसल ब्लॉअर निवारक सतर्कता का एक और साधन है। हमारे बैंक के पास एक सुव्यवस्थित व्हीसल ब्लॉअर पालिसी है, जो उन कर्मचारियों के लिए निवारण का कार्य करती है, जो दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की संभावना रखते हैं। बैंक के पास एक निर्धारित सोफ्टवेयर भी है जिसका उपयोग कर्मचारियों द्वारा व्हीसल ब्लॉअर पालिसी के अंतर्गत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

स्टाफ सदस्यों में निवारक सतर्कता के विषय में जागरूकता लाने के लिए तथा नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन होने से अपराधिक तत्वों द्वारा धोखाधड़ी के प्रयास किए जा सकते हैं, उन्हें सामने लाने के उद्देश्य के साथ जोखिम के दृष्टिकोण के आधार पर बैंक की संवेदनशील शाखाओं का निर्धारण किया जाता है और निवारक सतर्कता लेखापरीक्षा की जाती है।

बैंक में प्राप्ति और निविदा प्रक्रिया में अत्यधिक पारदर्शिता लाने के लिए निविदा आमंत्रित करने का नोटिस/बैंक द्वारा प्रदान की गई निविदाओं का ब्यौरा तथा संपन्न निविदा/अनुबंधों को बैंक की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्रों में एक समान अनुपालन के लिए एक मानक लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) भी है।

बैंक में सतर्कता का उद्देश्य समुचित न्याय एवं निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना तथा वास्तविक अपराधी को सामने लाने के प्रयासों में निर्दोषों का बचाव- गुणवत्तायुक्त निर्णय का समर्थन करते हुए सत्यनिष्ठा में बाधक हो ऐसे बलों को दूर कर बैंक के लिए हानि का निवारण करना है।

मानव संसाधन

हमारे बैंक का वास्तव में मानना है कि हमारा मानव संसाधन हमारे लिए एक बड़ा निर्णायक बल है जिसका हमारे बैंक के वर्तमान और भावी, दोनों दृष्टि से समग्र कार्यनिष्पादन पर प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हमारे बैंक के पास मानव संसाधन का एक समृद्ध भंडार है, जिसमें 51,000 कर्मचारी हैं। हम जब हमारे हितधारकों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं को महसूस करने की दिशा में बढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि ये हमारे लोग हैं, जो मौजूदा गतिशील और प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में अत्यधिक प्रेरित और प्रतिबद्ध हैं। बैंक में

काफी बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त हो रहे अनुभवी बैंकरों की कमी को पूरा करने के लिए प्रतिभावन कर्मचारियों की भर्ती और ओनबोर्डिंग, परियोजना स्पर्श प्लस के माध्यम से कार्यनिष्पादन प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर ध्यान केन्द्रित करना, प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना, बैंक में मानव संसाधन संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए नेतृत्व विकास, उत्तराधिकार आयोजन एवं पहली बार आयोजित कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण “वाईस ऑफ बड़ौदियन्स” द्वारा समर्थित कर्मचारी जुड़ाव का उच्च स्तर आदि विभिन्न कई पहलों के माध्यम से एचआर टीम परिश्रम से कार्यरत है। हमारा बैंक मानव संसाधन रुपांतरण के प्रयासों की अवधारणा और उन्हें निष्पादित करने हेतु अग्रणी हो कर निरंतर कार्यरत है, जिनमें से कई प्रयासों का वर्ष 2017 के दौरान प्रारंभ करने वाला देश का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है।

“वाईस ऑफ बड़ौदियन्स” सर्वेक्षण, 2016 से कई सकारात्मक तथ्य सामने आये, वहीं कुछ ऐसे क्षेत्र भी पाये गए जहां कई कार्ययोजनाओं के माध्यम से उन्हें और बेहतर बनाने की आवश्यकता थी। इन उपायों में बैंक की रुपांतरण-यात्रा में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च स्तर की क्षमता निर्माण की पहलें भी शामिल हैं। बैंक का आशय यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्तरों पर कर्मचारियों के अनुभव में और सुधार हो, ताकि अधिक आनंददायी कार्य-स्थल का निर्माण किया जा सके। इस दिशा में बैंक ने कर्मचारियों, कि जो बैंक के व्यवसाय के मुख्य वाहक हैं और बैंक के लिए मुख्य ब्रांड एम्बेसेडर हैं, उनके लिए श्रृंखलाओं में कई उपाय प्रारंभ किए, जिनमें निम्नलिखित का समावेश है:

बड़ौदा अनुभूति कार्यक्रम

यह कार्यस्थल पर कर्मचारी अनुभव को बेहतर बनाने और उनके जुड़ाव के स्तर को और बढ़ाने के लिए तैयार किया गया कार्यक्रम है, जिसमें कई पहलें प्रारंभ की गई हैं, जैसे कि माह का कर्मचारी, स्पॉट पर मान्यता- “वॉव क्षण” हेतु समय, शाखा/कार्यालय में फन-ऑवर, कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य स्थानीय सामुदायिक सेवा/ सामाजिक गतिविधियां एवं खेलकूद और स्वास्थ्य गतिविधियां आदि।

वी-लीड - एक व्यापक नेतृत्व कार्यक्रम

हमारे बैंक ने भविष्य के लीडरों का भरपूर और निरंतर सिलसिला बनाए रखने के उद्देश्य के साथ आचरणगत क्षमताओं के आधार पर समग्र नेतृत्व विकास पहल “वी-लीड” का प्रारंभ किया। यह पहल निम्नलिखित -4- विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से की गई :

- बड़ौदा वरिष्ठ नेतृत्व कार्यक्रम: वेतनमान VI एवं VII के अधिकारियों के लिए
- बड़ौदा उभरते हुए लीडर कार्यक्रम: वेतनमान V के अधिकारियों के लिए
- बड़ौदा राईसिंग स्टार्स कार्यक्रम: वेतनमान IV के अधिकारियों के लिए
- सयाजीराव गायकवाड स्कॉलर्स कार्यक्रम: वेतनमान I, II, एवं III के अधिकारियों के लिए

प्रशिक्षण की लाईफ साइकल परिकल्पना का प्रारंभ

प्रशिक्षण की लाईफ साइकल परिकल्पना के प्रारंभ का उद्देश्य कर्मचारी के करियर के विभिन्न स्तर पर विभिन्न भूमिकाओं के साथ सुसंगत विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना है। उसी प्रकार प्रत्येक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम की आवश्यकता के प्रारंभ के साथ प्रशिक्षण को विशिष्ट जॉब की भूमिका के साथ सुसंगत बनाया गया है। हमारा बैंक लर्निंग और विकास के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं के निरंतर उन्नयन के लिए प्रयास करता रहा है और इसके लिए कई नवोन्मेषी प्रयास अपनाता रहा है।

“स्पर्श प्लस” का प्रारंभ

आपके बैंक में कार्यनिष्पादन एवं प्रतिभा प्रबंधन को सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल टूल्स से समर्थित बनाते हुए उसे पुनर्व्यवस्थित करने के उद्देश्य से

स्पर्श-प्लस का प्रारंभ किया गया है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारी लोगों संबंधी प्रक्रियाएं और प्रणालियां हमारे स्टाफ सदस्यों को भूमिका की स्पष्टता उपलब्ध कराएं और उन्हें अपनी भूमिका अधिक प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाएं, कर्मचारियों को उनके विकास के लिए सहायता करें तथा उनके समग्र योगदान को और उत्कृष्ट बनाने में उन्हें समर्थ बनाएं

प्रतिभा की कमी और कार्यक्षमता के बीच के अंतर को भरना

हमारा बैंक अपनी व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष दर वर्ष निरंतर भर्ती करता रहा है। बैंक की जन-बल की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस वर्ष के दौरान भी विभिन्न भर्ती प्रक्रिया की गई, जैसे कि अन्य के साथ-साथ विशेषज्ञ अधिकारियों तथा परीक्षार्थी अधिकारियों की भर्ती।

हमारे बैंक ने भविष्य के लिए तथा बाज़ार/उद्योग की उत्कृष्ट प्रैक्टिस को अपनाने के लिए विभिन्न नीतिगत क्षेत्रों में हमारी आंतरिक टीम की क्षमताएं बढ़ाने हेतु बैंक में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों के लिए कार्यक्षमता, ज्ञान एवं क्षमताएं रखने वाले विशेषज्ञों को बाज़ार से भर्ती किया।

सयाजीराव गायकवाड फेलोशिप कार्यक्रम

हमारे बैंक ने स्टार्ट अप इंडिया तथा स्टैन्ड अप इंडिया पहलों का समर्थन करते हुए मार्च, 2017 में सयाजीराव गायकवाड फेलोशिप कार्यक्रम की स्थापना की। इस फेलोशिप कार्यक्रम में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा उद्योग में एक वर्ष का अनुभव लेने और अपने स्टार्ट अप आइडिया के विकास के लिए संगठनात्मक समर्थन प्राप्त करने के लिए उद्यमी विचारधारा रखने वाले युवा व्यावसायिकों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त चयनित फेलो वर्तमान में बैंक में मार्गस्थ हो ऐसी कई नीतिगत पहलों के कार्यानिष्ठादन के लिए समर्थन कर रहे हैं।

कर्मचारी हेल्प लाइन (एचआर हेल्प लाइन)

हमारे बैंक ने सभी कर्मचारियों के लिए एचआर विषयक उनके प्रश्नों/मामलों के निवारण के लिए, उनके निजी जीवन या व्यावसायिक जीवन संबंधी किसी भी आपातकालीन स्थितियों या अन्य कठिनाइयों में उनको सहयोग देने और सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक केन्द्रीय हेल्प लाइन प्रारंभ की है। कार्पोरेट कार्यालय में एक समर्पित टीम है, जो वास्तविक समय आधार पर हर समय कर्मचारी हेल्प लाइन की निगरानी करती है और से कर्मचारियों के प्रश्नों/शिकायतों/समस्याओं का शीघ्रता से निवारण करती है।

करियर की प्रगति

आपके बैंक ने अपने कर्मचारियों को उनके कार्यानिष्ठादन के लिए रिवाइड देने और साथ ही, कार्पोरेट सीढ़ियों पर चढ़ते हुए संगठन की तथा उनकी निजी- दोनों की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु करियर-प्रगति के अवसर उपलब्ध कराने के सघन उपाय किए। आपका बैंक न केवल पदक्रम में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराता है, बल्कि कर्मचारियों को व्यापक कार्य-अनुभव उपलब्ध कराने और उनके लिए सुनिश्चित करियर मार्ग बनाने के लिए विभिन्न कार्यों में उनकी समांतर मूवमेंट भी सुनिश्चित करता है।

विविधता को महत्व

हमारा बैंक सभी कर्मचारियों के लिए भेदभाव मुक्त एवं समान अवसर नीतियों का अनुसरण करता है। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी की उपलब्ध अवसरों पर समान पहुंच है, चाहे वे करियर में प्रगति, अनुलाभ एवं लाभ हो, कल्याण योजनाएं हों, प्रशिक्षण हों, शिकायत निवारण या अन्य कोई सुविधाएं हों। पदोन्नति, करियर-पथ, नियोजन एवं स्थानांतरण नीतियों को खुला एवं पारदर्शी बनाया गया है और इसके समान अनुपालन के लिए बैंक के सभी कर्मचारियों को इससे अवगत कराया गया है।

कार्य स्थानों में और अधिक विभिन्नता लाने के लिए बैंक पिछले कुछ वर्षों से उत्तरोत्तर अधिक संख्या में महिला कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है। समग्र स्टाफ कंपोजिशन में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत वित्तीय वर्ष 16 के 22.05% से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2017 में 22.70% हो गया है।

सभी स्तर पर महिला कर्मचारियों को बनाए रखने और कार्य, परिवार एवं घर के प्रति महिलाओं के सहामापी उत्तरदायित्वता को मान्यता देने के लिए बैंक ने उनको सहयोग देने हेतु विभिन्न कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जैसे कि विराम अवकाश, स्वास्थ्य-निदान कार्यक्रम इत्यादि।

राजभाषा (ओएल) अनुपालन नीति

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान बैंक ने हमारे भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में उत्कृष्ट प्रगति की। संघ सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुपालन के साथ-साथ हमारे बैंक ने हिंदी को व्यवसाय वृद्धि तथा ग्राहकों के साथ जुड़ने के एक साधन के रूप में प्रवर्तित किया।

वर्ष 2016-17 के लिए भारत सरकार के वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम के तहत निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों तथा हमारी बैंक की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों के निरीक्षण दौरों के समय संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए सुव्यवस्थित वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गयी है। बैंक ने वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम के अधिकांश लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आपके बैंक ने संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए सभी आश्वासनों को निर्धारित समयवधि में पूरा किया है।

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से तिमाही आधार पर आयोजित की गईं। समिति द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान कई नये कदम उठाए गए। हमारे बैंक ने एम-क्लिप सेवाएं हिन्दी में तथा बडौदा एम-कनेक्ट प्लस सेवाएं हिन्दी और गुजराती में उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल की। अपने ग्राहकों को मोबाइल पासबुक सेवाएं हिन्दी तथा अन्य छह क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जा रही हैं। बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए ऑन लाईन शिकायत माड्यूल अर्थात् एसपीजीआरएस सेवाओं को हिन्दी में भी उपलब्ध कराया है। सभी वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों को जैसे- सेल्फ पासबुक प्रिंटिंग मशीन, चेक जमा मशीनें, कैश डिपॉजिट मशीनें, मल्टी फंक्शन कियोस्क, खाते खोलने हेतु कियोस्क आदि को, जो ग्राहक अपनी पसंद की भाषा में इंटरएक्ट करना चाहे उन ग्राहकों की सुविधा हेतु हिंदी यूजर इंटरफेस से युक्त बनाया गया। सभी एटीएम मशीनों को ट्रांजेक्शन स्लिप और मिनी स्टेटमेंट को हिंदी तथा प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट करने हेतु सक्षम बनाया गया। बैंक ने एक बड़ी आईटी समर्थित पहल के रूप में, विश्व हिन्दी दिवस 2017 के अवसर पर संव्यवहार से संबंधित एसएमएस सेवाओं को हिन्दी तथा 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान करने की शुरुआत की।

वर्ष के दौरान, हमारे बैंक ने नई दिल्ली में “विमुद्रीकरण और डिजिटल इंडिया” विषय पर अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन किया जिसमें विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रतिनिधियों/वक्ताओं/प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में “डिजिटल युग में भाषा का महत्व एवं चुनौतियां” विषय पर एक अंतर बैंक सेमिनार का भी आयोजन किया गया जिसमें मुंबई स्थित विविध सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से राजभाषा एवं आईटी विभाग के प्रमुखों/प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार एवं राजभाषा की संसदीय समिति द्वारा इस पहल की सराहना की गई। हमारे बैंक ने जनवरी 2017 में बैंक की ओवरसूज़ टैरीटरीज में ‘विश्व हिंदी दिवस’ का आयोजन किया, जिसमें हिंदी साहित्य से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों, महत्वपूर्ण ग्राहकों एवं भारतीय दूतावासों के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैंक ने अपने संस्थापक महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड-III की स्मृति में ‘महाराजा सयाजीराव भाषा सम्मान’ की शुरुआत की है। इस सम्मान के अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र/



स्मृति चिह्न तथा ₹ 1.51 लाख की नकद राशि शामिल है। वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने यह सम्मान प्रतिष्ठित अभिनेता एवं कवि, श्री आशुतोष राणा को प्रदान किया।

बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय भाषा प्रशिक्षण की महत्वाकांक्षी पहल को विभिन्न भाषायी क्षेत्रों तक विस्तार किया है तकि वे संबंधित क्षेत्रीय भाषा की बुनियादी बातों को सीख सकें, जो उन्हें स्थानीय ग्राहकों के साथ संवाद करते समय अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से निर्वहन में मदद करेगा।

वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने बैंक की माउंट आबू तथा अलवर की शाखाओं/कार्यालयों का दौरा किया। समिति ने बैंक में हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग में प्रगति के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। समिति को दिए गए सभी आश्वासनों को निर्धारित समयावधि में पूरा कर लिया गया है। बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के अंतर्गत 'क' और 'ख' भाषिक क्षेत्रों हेतु द्वितीय पुरस्कार तथा 'ग' क्षेत्र के लिए सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त बैंक की द्विभाषिक गृह पत्रिका 'बॉबमैत्री' को भी तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। बैंक के जयपुर, वाराणसी, गोवा, गुवाहाटी, एवं जोधपुर कार्यालयों को उत्कृष्ट कार्य हेतु भारत सरकार से क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के माध्यम से पुरस्कार प्राप्त हुए। बैंक को महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से भी द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। बैंक ने छात्र समुदाय के बीच हिंदी को लोकप्रिय बनाने हेतु अपनी विशिष्ट योजना 'मेधावी विद्यार्थी सम्मान योजना' को जारी रखा। इस योजना के अंतर्गत उन दो विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं, जिन्होंने एम.ए. (हिंदी) की परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किए हों। वर्तमान में यह योजना देश के 64 विश्वविद्यालयों में लागू है।

वार्षिक कार्यान्वयन योजना के अनुसार भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, स्थानीय स्टाफ सदस्यों के बीच हिन्दी को बढ़ावा देने एवं प्रचार-प्रसार हेतु बैंक द्वारा फीजी, आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड स्थित विदेशी शाखाओं का राजभाषा निरीक्षण किया गया तथा उनके लिए हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। बैंक ने वर्ष के दौरान हिन्दी में पुस्तकों अर्थात् कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा "ग्रामीण विपणन बैंकिंग व्यवसाय", जयपुर द्वारा "बैंकिंग परिदृश्य" बडौदा द्वारा "बैंकिंग के विविध आयाम" पुणे द्वारा "बैंकिंग -नया दौर, नया परिवेश" एवं नई दिल्ली द्वारा "मांग जमा राशियां - बैंकिंग का आधार" का प्रकाशन किया।

घरेलू अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान बैंक की घरेलू अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा।

बॉबकार्ड्स लिमिटेड बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है तथा यह क्रेडिट कार्ड जारी करने एवं मर्चेन्ट एक्वायरिंग व्यवसाय में है। धीरे-धीरे यह लंबे समय तक भुगतान कार्ड उद्योग में अपने प्राप्त कौशल एवं सुविज्ञता के आधार पर अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। बॉब कार्ड्स लिमिटेड ने, हमारे बैंक के डेबिट कार्ड परिचालन में सहायक सेवाएं प्रदान करने की अनुषंगी गतिविधियों का दायित्व ले लिया है।

भारत में कार्ड एवं डिजिटल भुगतान हेतु अवसरों में बड़े पैमाने पर वृद्धि को देखते हुए, कम्पनी, वर्तमान व्यवसाय में सुधार के अतिरिक्त, एनबीएफसी प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत नये व्यवसायिक चरणों का शुभारम्भ करते हुए विकसित बाजार परिदृश्य में उपभोक्ता क्रेडिट एवं भुगतान में अग्रणी बनने जा रही है। बॉबकार्ड्स लिमिटेड का उद्देश्य, क्रेडिट कार्ड (सीसी) तथा वैयक्तिक ऋण (पीएल) व्यवसाय हेतु उपभोक्ता वित्त कम्पनी बनना है। इसके अतिरिक्त, यह उत्पाद एवं पीओएस व्यवसाय हेतु सेवा क्षमताएं प्रदान करेगा तथा बैंक के लिए खुदरा/एसएमई उत्पादों का स्रोत उपलब्ध कराएगा।

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान अपने सम्पूर्ण विकास के लिए कम्पनी द्वारा अनेक पहलें की गई हैं। विमुद्रीकरण के दौर में नकदी रहित संव्यवहार को बढ़ावा देने की दिशा में बैंक द्वारा नवंबर एवं दिसंबर 16 माह के दौरान नये व्यापारियों को पीओएस हेतु नामांकन का राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत 60,000 से अधिक नये पीओएस

का स्थापन किया गया तथा पीओएस का आधार बढ़कर 85,000 हुआ। विमुद्रीकरण के उपरांत, पीओएस संव्यवहार की मात्रा, पहले के रु 8 करोड़ के सापेक्ष रु 30 करोड़ प्रति दिन पर पहुंचा। संव्यवहारों की संख्या भी 25,000 प्रति दिन से बढ़कर 2 लाख संव्यवहार प्रति दिन हुई। मासिक संव्यवहार की मात्रा रु 244 करोड़ से बढ़कर रु 700 करोड़ हुई। बॉबकार्ड्स ने एम-पीओएस (मोबाइल पीओएस टर्मिनल्स) एवं क्यूआर आधारित एक्वायरिंग (एम-वीजा एवं भारत क्यूआर कोड) का योग करते हुए पीओएस उत्पाद की अनुकूलता का सफलतापूर्वक का विस्तार किया। कम्पनी का ध्यान गुणवत्तायुक्त कार्डों को लगातार जारी करने पर है, जिसके परिणामस्वरूप क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के द्वारा संव्यवहार की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। ट्रेवल व्यवसाय खंड में और अधिक ऐसे एजेंटों को जोड़ने के लिए संभावितों के साथ सम्पर्क की प्रक्रिया शुरू की गई है। विमुद्रीकरण के पश्चात पीओएस स्थापन हेतु जोर के बावजूद फरवरी 2017 तक कुल 24,770 नये कार्ड जारी किए जा चुके हैं। बड़े पैमाने पर विपणन पहल के रूप में, बॉबकार्ड्स ने एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के साथ उनके भूतपूर्व छात्रों को सह-ब्रांडेड कार्ड जारी करने हेतु ताल-मेल स्थापित किया।

ग्राहकों को तत्काल एवं शिष्टतापूर्ण सेवा प्रदान करना लगातार कम्पनी की मुख्य शक्ति रही है, जिसने न सिर्फ इसे ग्राहक मित्रवत् संगठन के रूप में स्थापित होने में समर्थ बनाया है बल्कि गुणवत्तायुक्त ग्राहकों को बनाए रखने में मदद भी की है। त्वरित शिकायत निवारण प्रक्रिया उच्च स्तर की ग्राहक संतुष्टि एवं प्रतिक्रिया में परिणत हुई।

बैंक द्वारा 1996 में स्थापित **बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड** पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। बॉबकैप्स का मुख्य व्यवसाय निवेश बैंकिंग (डेब्ट पुनर्चना, प्रोजेक्ट वित्त, एम एवं ए, डेब्ट कैपिटल मार्केट एवं इक्विटी कैपिटल मार्केट), संस्थागत एवं खुदरा इक्विटी ब्रोकिंग तथा वित्तीय उत्पादों का वितरण है। कम्पनी के पास पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) का भी लाइसेंस है। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान, कम्पनी ने अपने मुख्य व्यवसाय में महत्वपूर्ण स्तर पर नयी शुरुआत की है। कम्पनी ने हमारे बैंक की लीवरेज शक्ति को समर्थ बनाने तथा बॉबकैप्स को अग्रणियों में से एक बनाने एवं व्यवसाय में सबसे सम्मानित इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु अपनी टीम को व्यवसाय यथा निवेश बैंकिंग, ब्रोकिंग एवं धन प्रबंधन/वितरण में सफलतापूर्वक सुदृढ़ किया है।

नैनीताल बैंक लिमिटेड को स्वर्गीय भारत रत्न पं गोविन्द वल्लभ पंत और अन्यो द्वारा प्रवर्तित किया गया था जो कि वर्ष 1973 में बैंक ऑफ बडौदा का सहयोगी बैंक बना। नैनीताल बैंक में हमारे बैंक की शेयरधारिता 98.57% है। बैंक का कुल व्यवसाय जो 31/03/2016 को रु 8049.22 करोड़ था, जो बढ़कर 31/03/2017 को रु 10,132.66 करोड़ हो गया, इस प्रकार 25.88% की संवृद्धि हुई। बैंक ने -11- नयी शाखाएं खोली हैं तथा नैनी लोन प्वाइंट्स (एनएलपीएस)के नाम से -5- लोन प्रोसेसिंग इकाईयां स्थापित की हैं। बैंक ने टीसीपीएसएल के साथ सहयोग स्थापित करते हुए 13 व्हाइट लेवेल एटीएम भी स्थापित किए हैं। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान अपने ग्राहकों को 22,688 डेबिट कार्ड जारी किए हैं।

बडौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, पायोनियर ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट एसपीए के साथ एक संयुक्त उद्यम है और यह परिचालन के 8वें वर्ष में है। म्युचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए अच्छे वर्षों को देखते हुए, बडौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कम्पनी भी अपने एयूएम में वृद्धि करने में सक्षम रहा है। वित्तीय वर्ष 2017 हेतु कम्पनी का औसत एयूएम भारतीय रु में ₹ 10,535 करोड़ था। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने अर्थसुलभ कटौती के शेयर तथा उसमें भी जारी स्थायी आय के साथ अपने मिश्रित आस्ति में सुधार किया है। इससे कम्पनी को वर्ष के दौरान अपने बजट मार्जिन को बनाए रखने में मदद मिली है। कम्पनी का ध्यान, वितरण हेतु बैंकिंग एवं आईएफए चैनलों के विकास पर जारी है। इससे स्थायी आय तथा इक्विटी व्यवसाय खंडों को गति देने में मदद मिली है। कम्पनी की एसआईपी बही में भी लगातार संवर्धन हो रहा है तथा देश के 15 से अधिक टॉप शहरों से अंतः प्रवाह देखा गया है। इक्विटी फंड में आस्ति संग्रहण एवं स्थायी आय व्यवसाय खंड में तेजी, कम्पनी के लिए लगातार टॉप एजेंडा रहे हैं। अपनी सेवा में निरंतर सुधार हेतु कम्पनी की वर्धित तकनीकी समाधान सम्बन्धी खोज जारी है।

इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, आन्धा बैंक एवं लीगल तथा जनरल ग्रुप के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसने अपना व्यवसाय परिचालन 16 नवंबर 2009 को शुरू किया एवं पूरे देश में अपने उत्पादों के लिए अच्छा प्रतिसाद प्राप्त कर रही है। इंडियाफर्स्ट सबसे तेज प्रगति करनेवाली जीवन बीमा कम्पनी है जिसने अपने 5 वें वर्ष के परिचालन में अच्छी प्रगति की है एवं 31 मार्च, 2017 में 4.5% के बाजार शेयर एवं ₹ 9061 करोड़ के एयूएम (एसेट अंडर मैनेजमेंट) के साथ निजी प्रतिस्पर्धियों में 8वां स्थान प्राप्त किया है।

इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड (इंफ्राडेब्ट), यह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी संरचना सेटअप के अंतर्गत प्रथम इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड (आईडीएफ) है और इसका प्रवर्तन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बडौदा, सिटीकॉर्प फाईनेंस (इंडिया) लिमिटेड तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा किया गया था, जिसमें बैंक की 30%

घरेलू अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:

हितधारिता है। कंपनी की प्रमुख गतिविधि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की ऋण देयताओं का आंशिक पुनर्वित्त उपलब्ध कराना है, जिसने अपने वाणिज्यिक परिचालन के एक वर्ष पूरे कर लिए हैं। कंपनी ने 31 मार्च, 2017 तक पीपीपी फॉर्मेट के अंतर्गत एनएचएआई द्वारा प्रदत्त 22 सड़क परियोजनाओं, 18 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं तथा दो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं (हॉस्पिटल) को ₹ 4,712 करोड़ का सकल संवितरण किया है। इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड ने 31 मार्च, 2017 तक अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स के माध्यम से कुल ₹ 4205 करोड़ की निधि वर्धित की है।

बडौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस लिमिटेड, हमारे बैंक की नयी स्थापित पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। इस अनुषंगी की स्थापना बैंक ऑफिस की कुछ प्रक्रियाओं का अंतरण कर केंद्रीकृत माध्यम से इन्हें हैंडल करने के उद्देश्य से की गई है। यह कम्पनी अभी परिचालित होनी है।

(₹ लाख में)

इकाई (पंजीकरण की तारीख के साथ)	स्वाधिकृत निधियां	कुल आस्तियां	शुद्ध लाभ	कार्यालय	स्टाफ
बॉब कैपिटल मार्केट लि. (11.03.1996)	16,317	16,554	560	1	57
बॉबकार्ड्स लि. (29.09.1994)	23,647	35,651	2,644	38	135
बडौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि. (05.11.1992)	4,864	6,150	107	3	75
बडौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी लि. (23.12.2011)	8	11	1	1	0
इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (05.11.2009)	55,061	1,11,248	3,517	24	1,294
नैनीताल बैंक लि. (31.07.1922)	56,969	7,699	4,846	353	922
इंडिया इंफ्राडेब्ट लि. (31.10.2012)	42,006	4,93,942	4,810	1	17
बॉब शेयर्ड सर्विसेस लिमिटेड (15.03.2017) अभी परिचालित होनी है	12	-	-	1	-

पुरस्कार एवं सराहना

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान आपके बैंक को व्यवसाय एवं वित्तीय दोनों पैरामीटरों में निम्नलिखित अवार्ड और सराहना प्राप्त हुईं।

तारीख	अवार्ड
15.02.2017	बैंक को पुणे में आयोजित समारोह में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए राजभाषा शीलड योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान राजभाषा अनुपालन के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
14.02.2017	बैंक को मुम्बई में दि. 14 फरवरी, 2017 को बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए 7वां माय एफएम स्टार्स ऑफ इंडस्ट्री अवार्ड में "बैंकिंग में उत्कृष्टता, (सार्वजनिक क्षेत्र)" तथा "शैक्षणिक ऋण में उत्कृष्टता" अवार्ड प्रदान किए गए।
08.02.2017	बैंक को डिजिटल पोर्टल शाखा स्थापित करने वाला प्रथम बैंक होने के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा कैम्पस द्वारा एमिटी कार्पोरेट उत्कृष्टता अवार्ड प्रदान किया गया। यह अवार्ड दि. 08 से 10 फरवरी, 2017 को नोएडा में आयोजित 17वें इंटरनेशनल बिजनेस होरिजोन इनबश एरा वर्ल्ड समिट में प्रदान किया गया।
16.12.2016	बैंक को स्कॉच समूह द्वारा - स्कॉच अवार्ड प्लेटिनम-बैंकिंग श्रेणी; मोबाइल पर नकदी के लिए स्कॉच अवार्ड प्लेटिनम तथा स्कॉच अवार्ड प्लेटिनम - पोर्टेबल शाखा के लिए तीन श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किए गए। ये अवार्ड नयी दिल्ली में दि. 16 दिसंबर, 2016 को आयोजित स्कॉच टेकनोलोजी फोर ग्रोथ अवार्ड, 2016 के दौरान प्रदान किए गए।
26.10.2016	बैंक ने 56वें एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्प्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) अवार्ड में निम्नानुसार -4- अवार्ड प्राप्त किए: 1. बैंक का वॉल कैलेंडर 2016 - कांस्य 2. द्विभाषी प्रकाशन - कांस्य 3. विशेष स्तंभ (अंग्रेजी) - कांस्य 4. फीचर्स (भाषा) - अक्षय्यम् - रजत
23.09.2016	बैंक को मुम्बई में प्रतिष्ठित साहित्यिक संगठन "आशीर्वाद" द्वारा वर्ष 2016 के लिए 'सर्वोत्तम राजभाषा अनुपालन अवार्ड' तथा हिंदी पत्रिका अक्षय्यम् को विशेष अवार्ड प्रदान किए गए।
31 अगस्त से 6 सितम्बर, 2016	बैंक को बेस्ट इंडियन ब्रांड इक्विटी 2016 में 21वां स्थान प्राप्त - इकॉनॉमिक टाइम्स दिनांक 31 अगस्त से 06 सितंबर, 2016।
01.09.2016	बैंक को रनर अप अवार्ड - वर्ष 2013-14 के लिए 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में' फाइनेंशियल एक्सप्रेस (एफई) द्वारा दि. 01.09.2016 को मुम्बई में आयोजित एक समारोह में 'एफ ई इंडिया का बेस्ट बैंक' अवार्ड प्रदान किया गया।



रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण सिस्टम तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक ने निवेशक सेवाएं विभाग की स्थापना की है, जिसके प्रमुख कार्पोरेट कार्यालय, मुम्बई के कम्पनी सचिव हैं, जिसमें समाधान हेतु शेयरधारक नीचे दिए गए पते पर अपने अनुरोध/शिकायत मेल कर सकते हैं। वे अपनी शिकायत एसपीजीएसआर के माध्यम से भी ऑन लाईन दर्ज कर सकते हैं।

लाभांश वितरण नीति

जैसा कि सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अनिवार्यता), 2015 के विनियम 43ए के अंतर्गत आवश्यक है, हमारे बैंक के पास लाभांश वितरण नीति है, जो उन मानदंडों एवं परिस्थितियों को तय करती है, जिसका निदेशक मंडल द्वारा शेयरधारकों को लाभांश के वितरण का निर्धारण करते समय ध्यान रखा जाता है। यह नीति इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है तथा बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com/download/Dividend.pdf पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल (वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/विराम)

नियुक्तियां

श्री बिजू वक्की को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3) (एच) एवं धारा 9 के (3-ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 25.04.2016 से तीन वर्षों के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नामांकन किया गया।

श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3) (जी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 26.07.2016 से तीन वर्षों के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नामांकन किया गया।

श्री अशोक कुमार गर्ग को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 09 अगस्त, 2016 से 30.06.2018 तक की अवधि अर्थात् उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्रीमती पापिया सेनगुप्ता को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 01 जनवरी, 2017 से 30.09.2019 तक की अवधि अर्थात् उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री अजय कुमार को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3) (सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 13 जनवरी, 2017 से आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नामांकन किया गया है।

कार्यकाल समाप्ति

श्री भुवनचन्द्र बी जोशी, कार्यपालक निदेशक, बैंक की सेवा में अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के फलस्वरूप 01 जनवरी, 2017 से कार्यपालक निदेशक नहीं रहे।

श्रीमती सुरेखा मरांडी, निदेशक की जगह श्री अजय कुमार की नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप 13 जनवरी, 2017 से कार्यपालक निदेशक नहीं रहीं।

निदेशक मंडल का मूल्यांकन

बैंक ने निदेशक मंडल की समग्र प्रभावशीलता की स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन एवं समीक्षा करने में सहयोग के लिए एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ परामर्शी की सेवाएं ली हैं। इस उद्देश्य से निदेशक मंडल की समीक्षा हेतु इसकी फार्मस वैश्विक पद्धति को अपनाया गया। इसके अंतर्गत निदेशक मंडल के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभावी मूल्यांकन शामिल रहा (ए) बोर्ड

की कार्यनीति एवं संरचना, (बी) अध्यक्ष द्वारा बोर्ड का प्रबंधन, (सी) निदेशक मंडल की समिति की कार्य प्रणाली, (डी) बोर्ड एवं प्रबंधन टीम के बीच सम्बंध, (ई) बोर्ड प्रक्रिया की गुणवत्ता, (एफ) बोर्ड का विन्यास तथा (जी) मुख्य क्षेत्रों जैसे जोखिम प्रबंधन, प्रतिभा आदि के संबंध में बोर्ड के विचार-विमर्श / निर्णय की गुणवत्ता। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत स्तर पर, बोर्ड के सदस्यों का क्षेत्रों जैसे (ए) सभी प्रकार से सहभागिता तथा संरचना, (बी) उनके योगदान की गुणवत्ता, (सी) फीडबैक लेने एवं सुनने में स्पष्टता, (डी) कठिन निर्णयों आदि को चुनौती देने एवं स्वीकार/विरोध करने संबंधी सक्षमता का मूल्यांकन किया गया।

मूल्यांकन करने के लिए कुल मिलकर तीन पद्धतियों को अपनाया गया। इसमें निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के साथ एक-एक कर गहन साक्षात्कार शामिल थे। इसके अतिरिक्त बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रमुख व्यक्तियों जैसे सीएफओ और कंपनी सचिव के भी साक्षात्कार लिए गए। द्वितीय, प्रत्यक्ष रूप से निदेशक मंडल की गतिविधियों का अवलोकन एवं अध्ययन करने के लिए समीक्षा करने वाली टीम ने निदेशक मंडल की बैठकों तथा समिति की बैठकों में भाग लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मंडल तथा समिति की पिछली बैठकों के कार्यवृत्तों तथा नीतियों को प्रस्तुत करने और निर्णयों का समर्थन करने के लिए उपयोग की गई निदेशक मंडल की सामग्री का भी विश्लेषण किया गया।

समीक्षा परिणामों को एक दिवसीय सत्र के दौरान अध्यक्ष तथा निदेशक मंडल सदस्यों के साथ साझा किया गया। इस सत्र के दौरान उन महत्वपूर्ण पहलों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन के लिए सितम्बर 2016 में एक कार्यशाला आयोजित की गई जिन्हें निदेशक मंडल की समीक्षा में से अपनाने के लिए प्रबंधन ने मंजूरी दी थी। कार्रवाई की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अप्रैल 2017 में एक फॉलो-ऑन सत्र आयोजित किया गया। सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि यह कम समय में की गई महत्वपूर्ण प्रगति है।

कार्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अनिवार्यता) विनियम, 2015 की अनुसूची V के भाग 'ई' के अनुसरण में इस रिपोर्ट के साथ वर्ष 2015-16 के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों का अनुपालन प्रमाण पत्र संलग्न है।

व्यवसाय दायित्व संबंधी रिपोर्ट

सेबी द्वारा आवश्यक, व्यवसायिक दायित्व रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट (www.bankofbaroda.co.in) पर उपलब्ध है। यदि कोई सदस्य उसकी भौतिक प्रति चाहते हैं तो वे बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं।

निदेशकों का दायित्व संबंधी अभिकथन

निदेशक गण, इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक लेखों को तैयार करते समय :

- सामग्री विसंगतियाँ, यदि कोई हो, से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का पूर्णतः पालन किया गया है;
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार तैयार की गई लेखा नीतियों का पालन किया गया तथा निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया और उन्हें विवेकपूर्ण, तर्कसंगत एवं न्यायोचित बनाया गया ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक की सत्य एवं वास्तविक स्थिति तथा उस अवधि हेतु बैंक के लाभ और हानि की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत हो सके;
- निदेशकों ने, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा एवं विभिन्न प्रकार की जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने एवं उनका पता लगाने हेतु बैंक के लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लेखा-अभिलेखों के रखरखाव में समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;
- निदेशकों ने, लेखों को उत्तरोत्तर प्रगति के आधार पर तैयार किया है; और
- निदेशकों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि बैंक द्वारा अपनायी जा रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अनुसरण इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-

निर्देशों के अनुसार किया गया एवं इस प्रकार का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से परिचालित हो रहा है।

स्पष्टीकरण. इस खंड के उद्देश्यों के अनुरूप, टर्म “आंतरिक वित्तीय नियंत्रण” का अर्थ बैंक द्वारा अपने व्यवसाय का व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनायी गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है, इसमें बैंक की नीतियों का अनुपालन, इसकी आस्तियों को सुरक्षित रखना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें रोकना, लेखा रिकार्डों की शुद्धता और संपूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना शामिल है;

एफ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां बनाई थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से परिचालित हो रही हैं.

आभार

निदेशकगण, निर्गामी निदेशकों अर्थात् श्री भुवनचन्द्र बी जोशी एवं श्रीमती सुरेखा मरांडी द्वारा किए गए योगदान हेतु उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं.

निदेशकगण, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, अन्य विनियामक प्राधिकारियों, तथा विदेशी विनियामकों द्वारा निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं.

बैंक इस अवसर पर अपने मूल्यवान क्लाइंट्स एवं ग्राहकों को उनके निरंतर संरक्षण एवं समर्थन हेतु हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है.

निदेशकगण, बैंक के देश-विदेश स्थित समस्त हितधारकों, शेयरधारकों, बैंक तथा वित्तीय संस्थानों, रेटिंग एजेंसियां, स्टॉक एक्सचेंज एवं शुभचिंतकों के द्वारा प्रदत्त सहायता एवं सहयोग की सराहना करते हैं.

निदेशकगण, हमारे बैंक के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत एवं समर्पण की सराहना करते हैं जिसके कारण बैंक को आर्थिक चुनौतियों के बावजूद वर्ष दर वर्ष उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय अर्जित करने में सफलता हासिल हुई और बैंक ने देश के अग्रणी बैंक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,

पी. एस. जयकुमार

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी



निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report

Your Directors have pleasure in presenting the One Hundred and Ninth Annual Report of your Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and operations for the year ended March 31, 2017 (FY 2017)

Financial Performance

The snapshot of our Bank's financial performance is as below:

₹ in crore

Particulars	31.03.16	31.03.17	Growth (%)
Deposits	5,74,037.87	6,01,675.17	4.81
of which- Domestic Deposits	3,94,843.97	4,40,092.15	11.46
International Deposits	1,79,193.90	1,61,583.02	(9.83)
Domestic Deposits	3,94,843.97	4,40,092.15	
of which - Current Account Deposits	19,285.57	26,761.77	38.76
Savings Bank Deposits	1,13,253.07	1,46,831.82	29.65
CASA Deposits	1,32,538.64	1,73,593.59	30.98
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	33.57	39.44	
Advances	3,83,770.18	3,83,259.22	(0.13)
of which- Domestic Advances	2,63,268.38	2,77,523.73	5.42
International Advances	1,20,501.80	1,05,735.49	(12.25)
Total Assets	6,71,376.48	6,94,875.42	3.50
Net Interest Income (NII)	12,739.85	13,513.41	6.07
Other Income	4,998.86	6,758.06	35.19
of which-Fee Income	3,599.28	3,813.22	5.95
Trading Gains	1,178.86	2,618.01	122.05
Recovery from PWO	220.72	326.83	47.96
NII + Other Income	17,738.71	20,271.47	14.27
Operating Expenses	8,923.14	9,296.40	4.18
Operating Profit	8,815.58	10,975.07	24.49
Provisions	15,513.64	8,502.37	(45.19)
of which: Provisions for NPAs & Bad debts written off	13765.89	7679.79	(44.21)
Profit Before Tax	(6,698.06)	2,472.70	-
Provision for Tax	(1,302.53)	1,089.56	-
Net Profit	(5,395.54)	1,383.14	-
Appropriations/ Transfers			
Statutory Reserve	0	345.78	
Capital Reserve	0	353.65	
Revenue and Other Reserves			
I) General Reserve	(5,395.54)	0	
II) Special Reserve u/s 36 (I) (viii) of the Income Tax Act 1961	0	350.92	
III) Investment Reserve Account	0	0	

Particulars	31.03.16	31.03.17	Growth (%)
IV) Transfer from Excess Appropriation of previous year	7.79	0	
Proposed Dividend	0	332.78	
Key Performance Indicators			
Average Cost of Funds	5.08	4.82	
Average Yield (%)	7.09	6.85	
Average Interest Earning Assets	6,21,234.89	6,15,834.65	
Average Interest Bearing Liabilities	6,16,002.63	5,95,249.99	
Net Interest Margin (%)	2.05	2.19	
Cost-Income Ratio (%)	50.30	45.86	
Return on Average Assets (ROAA) (%)	(0.78)	0.20	
Return on Equity (%)	(17.64)	4.53	
Book Value per Share (₹)	132.74*	132.46*	
EPS (₹)	(23.89)*	6.00	

*Post split of face value of the share to ₹ 2/-

The financial year 2016-17 had been a mix of opportunities and challenges. With asset quality challenges in the banking industry continuing, credit growth has been at multi decade low of 5.08% during FY 2017 on account of weak corporate demand. Despite the challenges, Bank performed well during the year leveraging its retail franchise.

The net interest income (NII) of the bank increased by 6.07% to ₹ 13,513.41 crore as of March 31, 2017 while other income increased by 35.19% to ₹ 6,758.06 crore backed by 122.05% rise in treasury income to ₹ 2,618.01 crore as well as 5.95% growth in core fee income to ₹ 3,813.22 crore. Operating expenses increased by 4.18% to ₹ 9,296.40 crore.

Our Bank posted an operating profit of ₹ 10,975.07 crore during FY 2017 registering a growth of 24.49%. The provision cost (other than taxes) declined significantly by 45.19% to ₹ 8,502.37 crore compared to ₹ 15,513.64 crore last year and Bank posted a profit before tax of ₹ 2,472.70 crore. After making provision for tax of ₹ 1,089.56 crore, net profit for the year ended March 31, 2017 was ₹ 1,383.14 crore.

For the year ended March 31, 2017, the return on average assets was 0.20% while return on equity was 4.53%. The earnings per share (FV ₹ 2/-) were ₹ 6.00.



Capital Adequacy Ratio (CAR)

	Ratios in %	
	31.03.16	31.03.17
Capital Adequacy Ratio – Basel III	13.17	12.24
CET-I	10.29	8.98
Tier - I	10.79	9.93
Tier - II	2.38	2.31

Capital Adequacy Ratio under Basel III was well above the regulatory requirements at 12.24% as of March 31, 2017. Tier 1 ratio was at 9.93% and common equity Tier 1 (CET-1) was at 8.98% under Basel III framework. Bank raised ₹ 2,000 crore of debt capital by way of AT-1 bonds in two tranches of ₹ 1,000 crore each in December 2016 and March 2017.

Bank's Net Worth as of March 31, 2017 was ₹ 30,519.80 crore comprising paid-up equity capital of ₹ 462.09 crore and reserves (excluding revaluation reserves, FCTR & Net of Intangible assets) of ₹ 30,057.71 crore. The book value of share (FV ₹ 2/-) was ₹ 132.46.

Dividend

Board of Directors of the bank has recommended a dividend of ₹ 1.20 per share for the financial year ended March 31, 2017. The total outgo in the form of dividend, including taxes, will be ₹ 332.79 crore. The payment of dividend is subject to requisite approvals.

Management Discussion and Analysis

Business Environment

Global economic growth at 3.1% was slightly lower in 2016 compared to 3.2% in 2015. In consonance with the sluggish economic activity and production, global trade growth in 2016 at 2.3% was lower than the 2.6% observed in 2015. The significant international developments which had ramifications for the Indian economy in FY 2017 were Brexit, new administration in US favouring inward looking trade policies, a historic deal by OPEC and non-OPEC members to cut crude oil production so as to stabilize oil price, slowing of China and increased geo-political concerns. However, indications of improvement in global trade and global growth in FY 2018 augur well for the growth prospects for Indian economy.

The defining feature of Indian economy in FY 2017 was resilient growth despite challenging global economic environment and transient disruptions in the domestic economy. India's economic growth was supported by normal monsoon after two consecutive years, relatively low levels of inflation, low current account deficit, robust forex reserves and most significantly, the reform orientation of the government. The smooth redemption of FCNR(B) deposit pointed to the deft liquidity management by the Reserve Bank of India.

FY 2017 witnessed withdrawal ₹ 500 and ₹ 1,000 currency notes (specified bank notes (SBNs) as legal tender, which accounted for 86% of the total value of currency in circulation and subsequent replenishment with new notes of ₹ 500 and ₹ 2,000 denomination. The demonetization initiative is expected to have a base broadening impact for GDP not with standing the transient dip in economic activity in certain sectors.

The biggest reform in the area of indirect tax, the GST Bill, was passed in the parliament and steps have been taken to ensure its implementation on July 1, 2017. Adoption of GST is expected to be a growth booster by reducing transaction cost, removing the cascading impact of taxes and taking India closer to a 'One India-One market'. In addition, major initiatives were taken to relax FDI investment limits in a host of sectors including aviation, defence and railways, stepping up government expenditure to promote infrastructure and the rural economy, which have helped to sustain the growth momentum.

In another major reform, in May 2016, the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 was enacted providing an institutional framework for recovery and resolution in a time bound manner; for maximization of value of assets and for protection of investors and creditors.

As per second advance estimates of central statistical organization (CSO) released on February 28, 2017, the Indian economy is estimated to have grown by 7.1% for FY 2017. Food grains production is estimated at 270.10 million tonnes in 2016-17 registering growth of 6.7% over the previous year. The index of industrial production (IIP) showed a mixed trend reflecting weak investment and consumption demand. The lead indicator, composite PMI which had dropped below 50 during the period from October-December 2016 again crossed the 50 mark suggesting expansion of economic activity in February 2017. The composite PMI touched a high of 52.3 in March 2017 suggesting improvement in private sector activity. The services sector activity which was affected by the cash crunch during demonetization period, showed signs of improvement corroborated by high frequency indicators relating to railway traffic, telephone subscribers, foreign tourist arrivals, passenger car sales.

The pace of reforms was sustained throughout FY 2017 which is expected to have a significant bearing on the sustainable growth prospects of Indian economy. Apart from the passage of GST and Insolvency and Bankruptcy Code, there were many other significant reform initiatives that were undertaken such as introduction of the Monetary Policy Committee with explicit inflation targeting by the Reserve Bank of India, the merger of Railway Budget with Union Budget for holistic treatment of government's revenue and expenses, removing



the distinction between plan and non plan expenditure in the Union Budget. Apart from these structural reforms, new initiatives such as Stand-up India, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana where free LPG connections are provided to women from BPL families were launched to make the growth process more inclusive.

As India charts the path of higher growth, there are downside risks from the volatility in global financial markets owing from Monetary Policy normalization by US Federal Reserve, the protectionism tilt in US, and geo-political risks. Taking into account the various forces that are shaping Indian economy, both the government as well as international agencies such as IMF, World Bank and ADB expect the country to grow by around 7.5% in FY 2018. Achieving still higher sustainable growth rate would require addressing the major macroeconomic challenges facing the Indian economy at the current juncture. These challenges including declining trend in private sector investments, weak balance sheets of corporates and high level of stressed assets in the banking sector will have a bearing on the sustainable growth prospects of Indian economy.

Developments in Indian Banking

Monetary policy making underwent a major transformation with the constitution of the Monetary Policy Committee (MPC) in September 2016. With the institution of MPC, a committee rather than the RBI governor determines the policy interest rate required to achieve the inflation target of 4% with a range of +/- 2% for the period August 2016 to March 2021. The first policy under the MPC dispensation was announced on October 4, 2016. RBI reduced the policy repo rate by 25 bps in October 2016 but there after maintained a status quo on rates as core inflation remained stubborn at around 4.5% and the liquidity remained comfortable due to the demonetization. However, RBI changed its policy stance from accommodative to neutral in the Sixth Bi monthly monetary policy announced on February 8, 2017. In the sixth bimonthly policy review, RBI reduced the LAF corridor by increasing the reverse repo rate in its April 2017 policy. Despite the RBI maintaining a status quo on rates for the most part of the year, the banks reduced their MCLR and deposit rates on the back of surplus liquidity in the system. The banking sector successfully managed the challenges thrown by the unprecedented withdrawal of the SBNs.

The performance of the banks in general continued to remain subdued as it grappled with the operational challenge of exchanging old notes with new ones during demonetization period of November 8, 2016 - December 31, 2016 as well as the asset quality concerns observed for quite some time. Besides, the credit growth from the banking sector in FY 2017 declined to multi year low of 5.1% on y-o-y basis.

On the asset quality issues of banks, a game changer initiative in the form of passage of the Bankruptcy Code which has the avowed objective of striking a resolution with 180 days of default is expected to bring about a fundamental change in the approach to resolution. Though it may take some time to get the requisite institutional infrastructure to make effective use of the Bankruptcy Code, the beginning has been made in right earnest as a number of cases have already been referred under the Bankruptcy Code. Apart from the developments on the Bankruptcy law, the existing schemes of 5:25, SDR, S4A were modified to make them more effective. RBI issued guidelines on banks' exposure to large corporates to reduce systemic risks, relaxing restriction on AT-1 bonds to make them attractive by allowing utilization of reserves to pay coupon on these bonds. The possibility of instituting a bad bank was also debated to address the stressed assets of the banking system. A bad bank is expected to resolve stressed assets of the banking sector but would face logistical and capital challenges.

Demonetization offered an opportunity for widespread adoption of alternate payment channels which was incentivized by the government and RBI by reducing the charges on payments and levies applicable on transactions. The charges on USSD services were also reduced. Further, the BHIM (Bharat Interface for Money) app was launched on December 31, 2016 which is interoperable with other UPI apps and bank accounts. The unique feature of BHIM is that a bank account or virtual payment address is not required for payments or fund transfers. What is required is only the mobile number of the payee. The app is not bank specific and has been launched to promote cashless transaction across the urban as well as the rural population.

The banking landscape also underwent a massive change with SBI merging with its Associate Banks and Bharatiya Mahila Bank with effect from April 1, 2017. It is being considered that consolidation in the banking space would help address the stressed asset concerns as well as help to realise positive synergies that would improve the sector's performance.

New payments banks, Indian Post Payments Bank Ltd and Airtel Payments Bank began operations during the year while others Paytm Payments bank Ltd, Jio Payments Bank Ltd., NSDL Payments Bank Ltd., & FINO Payments Bank Ltd. and one Small Finance Bank i.e AU Small Finance Bank are yet to commence operations. Further, six small finance banks began their operations. With the introduction of the new players and government's incessant effort to promote digital payment habits, the competitive and technology landscape of banking in India is going through a phase of rapid transformation and forcing banks to reinvent their business models to remain competitive.



Business Performance

The highlights of business performance of our Bank is as below:

Resource Mobilization and Credit Expansion

₹ in crore

Particulars	31.03.16	31.03.17	Growth (%)
Deposits	5,74,037.87	6,01,675.17	4.81
of which- Domestic Deposits	3,94,843.97	4,40,092.15	11.46
International Deposits	1,79,193.90	1,61,583.02	(9.83)
Domestic Deposits	3,94,843.97	4,40,092.15	
of which - Current Account Deposits	19,285.57	26,761.77	38.76
Savings Bank Deposits	1,13,253.07	1,46,831.82	29.65
CASA Deposits	1,32,538.64	1,73,593.59	30.98
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	33.57	39.44	
Advances	3,83,770.18	3,83,259.22	(0.13)
of which- Domestic Advances	2,63,268.38	2,77,523.73	5.42
International Advances	1,20,501.80	1,05,735.49	(12.25)
Total Assets	6,71,376.48	6,94,875.42	3.50

Total Deposits of our Bank rose from ₹ 5,74,037.87 crore to ₹ 6,01,675.17 crore, posting a growth of 4.81% over the previous year. Domestic CASA showed a robust growth of 30.98% to a level of ₹ 1,73,593.59 crore as of March 31, 2017 from ₹ 1,32,538.64 crore as of March 31, 2016. Of this, Savings Bank Deposits grew by 29.65% from ₹ 1,13,253.07 crore to ₹ 1,46,831.82 crore. The share of CASA deposits in domestic deposits as of March 31, 2017 increased to 39.44% from 33.57% last year. As a prudent liability management measure, our Bank continues to shed bulk preferential rate term deposits in favour of retail term deposits. Domestic retail term deposits ratio improved to 77.55% as of March 31, 2017 from 73.96% last year. During the year, deposits of around ₹ 11,500 crore of special FCNR (B) deposits scheme of September-November 2013 were paid off.

Significant increase in CASA deposits during FY 2017 was partly driven by deposit of old currency cash during period of demonetization. Even before demonetization exercise, Bank had a healthy CASA growth of 16% driven by launch of a focused CASA campaign for account activation and deepening relationships across the Bank and strengthening of digitization programme by improving internet banking and mobile banking platform, increasing POS penetration, etc.

Total Advances of the Bank marginally declined during FY 2017 mainly on account of focus on re-balancing of its loan book and shedding off low yielding assets particularly in international operations to replace them longer term higher yielding local credit. The year also saw liquidation of around ₹ 10,000 crore of loan portfolio built against special FCNR (B) deposits scheme of September-November 2013. However, domestic credit grew by 5.42% during the year mainly

on account of growth in corporate and retail assets where business transformation programme progressed and started yielding results.

Total assets grew by 3.50% from ₹ 6,71,376.48 crore as of March 31, 2016 to ₹ 6,94,875.42 crore as of March 31, 2017.

Demonetization

In terms of notification issued by Government of India, old currency notes ₹ 500 and ₹ 1,000 denominations called Specified Bank Notes (SBNs) ceased to be legal tender with effect from November 09, 2016. These notes, which constituted 86% of notes in circulation, were allowed to be exchanged at bank counters subject to a ceiling or deposited in banks for credit to accounts upto December 30, 2016. The demonetization of SBNs led to unprecedented rush at counters of branches of our Bank and put a severe test on the operational capabilities. All the employees and entire machinery of Bank rose to the occasion in extending service to large footfalls in the branches as well as extending handholding support to them. The number of transactions carried was manifold to the normal volumes. Details of cash transactions undertaken at Bank's branches from 10.11.16 to 30.12.16 are as under:

Particulars	No. of Transactions (lakh)	Amount (₹ crore)
Cash Deposited at the Branches	204.48	65,088
Cash Withdrawn at Branches	292.77	25,295
Cash Withdrawn at ATMs	104.35	2,714
Cash Withdrawn from BCs	22.50	354
Old Currency Notes Exchanged at Branches	30.83	1,078

During the above period, over 23 million new customers were added to Bank's fold and over 4 lakh dormant accounts were activated.

While demonetization exercise helped increase CASA deposits of the Bank, it also brought into sharp focus, the need for moving to digital and self-service channels. It has created perfect market conditions for alternative digital payment systems, in addition to debit/credit cards. Bank accelerated and strengthened its presence in various digital product offerings and also added new products separately detailed under digital section.

Operating Performance:

The highlights of operating performance of Bank are as below:

₹ in crore

Particulars	31.03.16	31.03.17	Growth (%)
Interest Earned	44,061.27	42,199.92	(4.22)
Interest Expended	31,321.42	28,686.51	(8.41)
Net Interest Income (NII)	12,739.85	13,513.41	6.07



Other Income	4,998.86	6,758.06	35.19
of which-Fee Income	3,599.28	3,813.22	5.95
Trading Gains	1,178.86	2,618.01	122.05
Recovery from PWO	220.72	326.83	47.96
NII + Other Income	17,738.71	20,271.47	14.27
Operating Expenses	8,923.14	9,296.40	4.18
Employee Expenses	4,978.02	4,637.77	(6.83)
Other Operating expenses	3,945.12	4,658.63	18.08
Operating Profit	8,815.58	10,975.07	24.49
Provisions	15,513.64	8,502.37	(45.19)
of which:	13765.89	7679.79	(44.21)
Provisions for NPAs & Bad debts written off			
Provision for Standard Advances	(258.11)	776.58	-
Provision for Depreciation on Investment	341.47	19.29	(94.43)
Other Provisions	1,664.39	26.71	(98.44)
Profit Before Tax	(6,698.06)	2,472.70	-
Provision for Tax	(1,302.53)	1,089.56	-
Net Profit	(5,395.54)	1,383.14	-
Key Performance Indicators			
Average Cost of Deposits (%)	5.05	4.78	
Average Yield on Advances (%)	7.35	7.27	
Net Interest Margin (%)	2.05	2.19	
Cost-Income Ratio (%)	50.30	45.86	
Return on Average Assets (ROAA) (%)	(0.78)	0.20	
Return on Equity (%)	(17.64)	4.53	

Total Interest income of the bank decreased by 4.22% from ₹ 44,061.27 crore in FY 2016 to ₹ 42,199.92 crore in FY 2017 mainly on account of almost flat growth in advances, reduction in MCLR, and reversal of interest in SDR and S4A accounts in view of RBI guidelines. The average yield on advances (based on daily average) slightly decreased from 7.35 % in FY 2016 to 7.27% in FY 2017

Total interest expenses also decreased from ₹ 31,321.42 crore in FY 2016 to ₹ 28,686.51 crore in FY 2017. Interest expenses on deposits during the year declined by a higher percentage of 8.41%. The average cost of deposits (based on daily average) decreased from 5.05% in FY 2016 to 4.78% in FY 2017

Accordingly, net interest income (NII) of the Bank increased by 6.07% to ₹ 13,513.41 crore during FY 2017 from a level of ₹ 12,739.85 crore in FY 2016 on improved asset liability management.

Other income of the bank increased by 35.19% to ₹ 6,758.06 crore backed by 122.05% rise in treasury income to ₹ 2,618.01 crore as well as 5.95% growth in core fee income to ₹ 3,813.22 crore. During the year, bank has been able to capitalize on the benign interest rate environment and also registered 5.95% growth in core fee income in the background of moderate credit growth in domestic operations and de-growth in international operations. Recovery from written off accounts was ₹ 326.83 crore registering increase of 47.96%.

Operating expenses increased by 4.18% to ₹ 9,296.40 crore. While employee cost decreased by 6.83% during the year to ₹ 4,637.77 crore due to base effect, other operating expenses increased by 18.08% to ₹ 4,658.63 crore which included additional expenses incurred during demonetization exercise.

Bank posted an operating profit of ₹ 10,975.07 crore during FY 2017 registering a growth of 24.49%. The provision cost (other than taxes) declined significantly by 45.19% to ₹ 8,502.37 crore compared to ₹ 15,513.64 crore last year. Provisions for NPAs & Bad debts written off also decreased by 44.21% to ₹ 7,679.79 crore.

Bank posted a profit before tax of ₹ 2,472.70 crore. After making provision for tax of ₹ 1,089.56 crore, net profit for the year ended March 31, 2017 was ₹ 1,383.14 crore.

For the year ended March 31, 2017, return on average assets was 0.20% while return on equity was 4.53%.

Business Transformation Journey- Project Navodaya

During the year, our Bank embarked upon a comprehensive Business Transformation Exercise christened "Project Navodaya". Bank aims to drive accelerated and profitable growth by bridging the gap with competition and over time, leapfrog past them. Bank is pursuing a differentiated strategy to build a contemporary full-service universal bank and become India's premier Bank with global standing which:

- Provide a thrust to the 'under-served' customer segments (e.g. integrated rural banking comprising agriculture and financial inclusion, supporting government-sponsored programs)
- Offer solutions beyond credit & deposits for the 'well-served' segments, capturing the cash flows & transactions, especially for Corporates, MSME and Retail
- Build the international network to be a significant differentiator, offering single RMS, fungible limits across the network and multi-currency financing capability
- Digitize the core technology backbone and building new digital platforms

Our Bank has undertaken to execute this vision through initiatives across business units and functions, structured along 5 key dimensions:

- Transform and grow 'core' business units (Retail, Corporate, MSME, Agri & rural and the international), while managing the stressed assets
- Building the capabilities for the future (e.g. new products like Supply chain financing, Cash Management, Digital, Wealth Management and centralization of operations to improve efficiency)
- 'Nurture' the organization and 'unleash' the talent pool through dedicated leadership and talent initiatives



- ‘Embed change’ and ‘sequence’ change through focused efforts on execution and capability building
- Building new alliances and undertaking new acquisitions

Bank has identified over 120 strategic initiatives cutting across all segments of businesses, functions/processes. To drive these initiatives Project Management Office (PMO) has been set up supported by 100 Change Leaders for cascading the Change Management to ground level team. The execution of the project started during the year and Bank is progressing steadily on course in this transformation journey. Details of the steps taken are mentioned at the respective item of this Directors Report.

Corporate Credit

Large Corporate and Mid Corporate departments were merged during FY 2017. 9 Corporate Financial Branches (CFS) and 14 Mid Corporate branches are functioning pan India and are managing 85% of Corporate Credit portfolio of our Bank. Corporate credit contributes 48% of the total domestic advances of the Bank. During the year, 117 new corporate customers were added.

Capabilities beyond credit and deposits to become a knowledge-based, relationship-led corporate Bank. For this, number of measures have been undertaken or are underway. Bank has established centralized corporate credit vertical with specialist teams to standardize credit assessment. This is supplemented with identification of target sectors and markets for the Bank. A tech-enabled Relationship Manager (RM) model was adopted at CFS and Mid-Corporate branches. These RMs are supported by dedicated capability building programs. Bank also revamped the pricing policy and processes to focus on profitability and institutionalized account planning to identify and capture greater wallet share and deep relationships. International business is being leveraged as competitive advantage to serve clients in multiple geographies with multi-currency facilities.

While the above measures aim towards revamp in approach towards corporate credit delivery and identification of target markets, systems are strengthened to ensure improvement in the quality of loan portfolio. The Bank has onboarded external agencies and also utilized the services of credit bureau for financial / market due diligence. As a result of these measures, the credit quality of the portfolio improved during the year as observed by the rating distribution of domestic credit portfolio as detailed below:

Credit Rating distribution*	FY 2016	FY 2017
A & above	29.26%	39.27%
BBB	14.14%	15.77%
Below BBB	19.42%	21.80%
Unrated	36.88%	23.16%

*External rating distribution of advances above ₹ 5.00 crore.

Along with steps, new products like supply chain financing, cash management and electronic platform for trade finance are being designed to meet the needs of corporate customers. One of these products viz. supply chain financing is under final stage of testing before final rollout.

Domestic Foreign Business (DFB) division of Corporate Banking vertical takes care of the requirements of cross border remittances and trade from / to India and supports Authorized branches dealing with Forex business.

MSME Credit

MSME is a vital sector to the nation’s economy in providing employment to millions of people. Our Bank supports credit to this sector through 54 SME Loan factories and wide network of branches. MSME advances of Bank were ₹ 58,090 crore as of -March 31, 2017. The MSME advances as of March 31, 2017 contributed 19.50% to the gross domestic advances of our Bank. The advances to Micro & Small enterprises were at the level of ₹ 50,413 crore. Our Bank is participating actively in the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) scheme and has achieved 16% YOY growth in number of accounts under Micro Enterprises category as against the target of 10% stipulated by Prime Minister’s Task force.

As a part of business transformation, Bank is in the process of revamping the structure of SME credit with clear focus on Sales and Processing teams, concomitantly tied up strategic partnership with Fin-tech and e-commerce players for end to end solutions and credit. Key elements of our Bank’s strategy are MSME vertical to focus on priority sector loans (non-agriculture) and handle Government programs such as Stand Up India; design targeted product programs (specific to particular geographies and industries) for traditional small and medium enterprise customers; build products leveraging the Bank’s data (e.g. CA balances, POS transaction data, repayment history of retail loans taken by MSME owners) to underwrite clients primarily targeting micro enterprises; tap into the growing digital lending opportunity by building a completely online MSME lending platform; develop products to specifically target current and emerging ecosystem-based opportunities in the space of supply chain finance and e-commerce seller finance; focus on acquisition of and deepening of high-value MSME relationships by creating a dedicated RM vertical for MSME; driving FX sales to MSME clients through dedicated sales teams etc.

Our Bank has entered into tie up with Fintech companies as these partnerships will help our Bank to create better, faster, cheaper services to the MSME customers and open windows for value additions in terms of better due diligence, marketing opportunities and speedier service delivery.

Retail Credit

Retail Credit of our Bank is primarily dispensed through 71 Specialized Mortgage Stores (SMSs) and wide network of



branches. During the year, the Bank opened 5 new SMSs at Panaji, Vapi, Jabalpur, Udaipur and Gandhinagar. Bank carried out review and redesign of Retail Loan Products such as increase in loan limits/Income Multiplier/FOIR/Risk based pricing of home loan/auto loan/mortgage loans linked to Credit Bureau score, Centralization of Retail credit process through setting up a Centralized Processing Center (CPC) at Baroda (since relocated at Gandhinagar) on Pilot basis for three Zones of the Bank. The Bank has put in place a policy for sourcing / joint sourcing of home loans through DSAs. In addition, Bank empanelled four Digital DSAs for purpose of canvassing quality Home Loan/ Personal Loan & educational loan proposals. The Bank also put in place a policy for sale & purchase of retail assets through direct assignment of cash flows & underlying Securities. Bank also added few more products like takeover of home loans with an option of top up facility, Overdraft against property to non-individuals, pre-approved top up loan to existing home loan borrowers as well as liability customers etc. which has helped in increasing the retail loan portfolio of the Bank during the year.

During the year, Bank also launched new product 'Debit Card EMI for Debit Card Holders' in 25 identified cities under which customers can purchase products from various online e-commerce portal stores.

Major innovations thus undertaken and underway under retail credit were building customized credit scoring models, supported by simplified loan pricing policy designed with competitive rates; tailored products launched to cater to customer needs; dedicated sales team being deployed to build sales culture; pre-approved limits for home loans, personal loans and car loans driven by analytics; top-up and simplified balance transfer program for Home Loans; LAP extended to partnerships, private limited companies with minimum financial requirements; Debit Card EMI product being rolled out and partnerships being forged with DSAs to drive business

Our Bank's retail loan book consists of five key products viz. home loan, auto loan, education loan, traders loan against property and mortgage loan. These constituted 84.71% of total retail loans portfolio as of March 31, 2017. Home loans grew by ₹ 5,200 crore (20.83%) reaching a level of ₹ 30,168 crore and mortgage loans grew by ₹ 1,767 crore (92.35%) reaching a level of ₹ 3,681 crore as of March 31, 2017. Auto loan, traders loans and education loans were at a level of ₹ 4,394 crore, ₹ 8,835 crore and ₹ 2,054 crore respectively. The other retail loan products included personal loan and other miscellaneous loans.

Total Retail Loans stood at ₹ 57,994 crore as of March 31, 2017 and constituted 19.5% of the Bank's domestic advances.

Rural and Agricultural Lending

Our Bank has always been a front runner in the area of Priority Sector and Agriculture lending. It has been harnessing the

potential of the rural market through its wide network of 1,812 rural branches and 1,523 semi-urban branches. During FY 2017, our Bank has opened 62 new branches in rural and semi urban areas.

Our Bank is the Convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in the states of Uttar Pradesh and Rajasthan. Bank shoulders the Lead Bank responsibility in 48 districts of India comprising of 14 in Gujarat, 12 in Rajasthan, 15 in Uttar Pradesh, 2 each in Uttarakhand, Madhya Pradesh and Bihar and 1 in Delhi.

Priority Sector Advances of our Bank increased from ₹ 1,13,121 crore as of March 31, 2016 to ₹ 1,27,672 crore as of March 31, 2017 and formed 41.66% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC). The Direct Agriculture advances of our Bank increased to ₹ 29,952 crore with an absolute growth of ₹ 1,858 crore (6.61%) during the year. The total agriculture advances of our Bank has grown by ₹ 10,475 crore and reached ₹ 47,297 crore as of March 31, 2017. The Total Agricultural Advances were at 18.02% of ANBC.

Under 'Baroda Kisan Credit Card', our Bank issued as many as 0.70 lakh Credit Cards during the financial year. Baroda Kisan RuPay Card, an ATM enabled smart card, was issued to 12.74 lakh farmers. Bank financed as many as 2,33,876 new farmers during FY 2017 granting them loans worth ₹ 2,832 crore. As a part of its microfinance initiatives, Bank credit linked 26,100 Self Help Groups by granting loans amounting to ₹ 263 crore during FY 2017.

As a part of business transformation, the focus areas under the Agriculture and Rural Strategy are to enable farmers to increase their productivity, increased remuneration/realization and to work with full set of alliance partners. Four Pillars of our Bank's Integrated Rural Banking Strategy are (i) Enable increased utilization of bank accounts; Instant account opening enabled by Aadhar seeding, PIN generation through automated machines and spot debit card issuance and Expansive cash-in cash-out network comprising 20,000 BCs and 4 lakh POS terminals (ii) Move beyond simple credit (e.g., crop loans) to a more diversified rural lending strategy and focus on new product categories across rural customer segments, namely, farm mechanization, horticulture loans, crop loans, warehouse receipt financing and adopting a community based lending model for the small farmers and communities (iii) developing an ecosystem of alliances and partnerships to better serve the rural economy like financial services providers: Agri finance companies, insurance companies, private equity firms; seed and fertilizer companies, warehouses and cold-storages, Agri universities, drip irrigation companies etc. and (iv) set-up an integrated rural banking organization within the Bank, that caters to the agri and financial inclusion initiatives



Strategic partnerships entered with key agri players for building the rural ecosystem include RML AGTECH, a technology company for providing technical knowledge to the farmers right from crop selection to marketing, so as to improve the productivity and profitability of the farmers; leading micro irrigation companies viz. Netafim Irrigation India Pvt. Ltd and Jain Irrigation Systems Limited to provide credit to farmers to purchase micro irrigation equipments; tie-up with five collateral managers viz. Edelweiss Agri. Value Chain Ltd, Shree Shubham Logistics Limited, Sidhivinayak Agri Processing Pvt. Ltd, CNX Corporation Ltd and Arya Collateral Warehousing Services Pvt. Ltd to finance farmers to prevent distress selling; tie-up with dairy companies viz. Heritage Foods Limited & Kwaliti Limited to finance the farmers for purchase of milch animals. Tie-up with PSG College of Arts & Science for conducting research activities and also providing training to the villagers for increasing productivity of the farmers.

Advances to SC/ST Communities during FY 2017: The outstanding advances to SC/ST communities went up from ₹ 5,298 crore as of March 31, 2016 to ₹ 5,312 crore as at March 31, 2017. SC/ST communities accounted for a share of 14.19% in the total advances granted to weaker sections by the Bank. Furthermore, a special thrust is laid by our Bank in financing SC/ST under various government sponsored schemes namely National Rural Livelihood Mission (NRLM) etc.

Stand-Up India: The Stand-Up India initiative of the Government is aimed at promoting entrepreneurship among SC/ST and Women segment. In FY 2017, the Bank sanctioned a total number of 1,063 loans under "Stand Up India" scheme. Total amount sanctioned under the scheme as of March 31, 2017 was ₹ 223.59 crore.

Financial Inclusion (FI)

To provide universal banking services to all sections of the society including deprived ones at an affordable cost, our Bank has taken it as not just a social commitment, but also to tap the business opportunities through sustainable ICT based delivery channels.

Towards promoting financial inclusion along with digital programme of the Government, our Bank has taken a number of initiatives which include among others:

- Digitized account opening by instant opening of accounts enabled by Aadhar seeding, with PIN generation through automated machines and spot debit card issuance;
- A comprehensive mobile banking solution supporting the entire rural community to eliminate cash;
- Seeding of Aadhaar through alternative delivery channels like ATM, SMS, Internet, BC points;

- Deployment of micro and table-top ATMs in rural areas through BCs;
- Massive expansion of the BC model;
- Driving SHG/ JLG-based lending;
- Expanding the scope of services of BCs like mobilizing deposits, follow up & recovery in small loan accounts including NPA & PWO accounts and providing special incentives for same to enable them to remain financially viable;
- Enabling enrolment of micro insurance schemes viz. PMSBY & PMJJBY through internet banking and SMS etc.

The products/services offered at BC Points are basics savings bank deposit account opening with in-built Overdraft facility, instant account opening / E-KYC account opening, cash withdrawal, cash deposit and funds transfer, Aadhaar based cash withdrawal, deposits and fund transfer (AEPS), Card based cash withdrawals, IMPS (Immediate Payment Service), deposit in current account, cash credit account, overdraft account, loan account, term deposit account, micro insurance – PMJJBY and PMSBY, Aadhaar Seeding, Mobile Seeding, Atal Pension Yojana etc.

Our Bank has adopted various models for providing banking services under financial inclusion viz. Information and Communication Technology (ICT)-POS based BC model, Kiosk based BC Model and Brick and Mortar branch.

Urban Financial Inclusion: Besides people living in rural areas, large population of urban poor including migrants from villages to urban areas who have no access to formal banking services. In order to bring them under the purview of formal banking system, our Bank has deployed 9,177, urban BCs under Kiosk Model at various locations across the country.

Highlights of performance under Financial Inclusion during the year

- Our Bank has deployed 15,609 BCs out of which 4,931 BCs are deployed in SSAs. All 21,895 villages allocated to the Bank have been covered through various models out of which 20,080 are covered through BC model, 1815 through brick and mortar branches.
- Bank surpassed target set for FY 2017 in respect of total BC outlets and individual BC deployed with achievement 107.09% & 125.71% respectively.
- Bank achieved 92.19% and 126.70% of the targets for 2016-17 for opening of Basic Saving Bank Deposit (BSBD) accounts and amount in such accounts through branches and 165.24% and 184.72% of such targets through BC points.



- Bank achieved 147.17% and 145.23% of the targets for 2016-17 for number of transactions and amount of transactions in FI accounts opened through branches and 368.60% and 421.31% of such targets through BC points.
- Bank achieved 88.41% and 82.48% of the targets in respect of Overdraft accounts opened and amount disbursed in such BSBD accounts.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY): PMJDY is a comprehensive financial inclusion plan wherein the ambit of financial inclusion is enlarged to make it more meaningful. Every household having a bank account gets access to banking and credit facilities which helps in enabling them to secure their savings in a formal banking system and also to come out from the habit of raising funds from informal sources. Every person who opens the account under PMJDY gets a RuPay debit card and is eligible for accidental insurance cover of ₹ 1,00,000/-. After six months of satisfactory conduct of account, the account holder becomes eligible for an overdraft facility up to ₹ 5,000/-. The account holders who opened account between 15.08.2014 to 31.01.2015 got additional term life insurance of ₹ 30,000/- from LIC. Financial Literacy is another important aspect of PMJDY.

Bank has 196.40 lakh accounts under PMJDY as of March 31, 2017 with deposit balance of ₹ 4,747 crore as against 125.29 lakh accounts with balance of ₹ 2,500 crore as of March 31, 2016, showing an increase of 56.76% in number of accounts and 89.88% in deposit balances. Bank has issued 184.78 lakh RuPay cards to eligible PMJDY account holders as of March 31, 2017 as against 118.91 lakh card issued as of March 31, 2016. The position of Aadhaar seeding of such accounts as of March 31, 2017 was 72.87% as against 44.37% on March 31, 2016. As of March 31, 2017, Bank has enrolled 15.57 lakh customers under PMJJBY (life insurance) and 44.37 lakh under PMSBY (accidental insurance).

Performance of RRBs Sponsored by Bank of Baroda

Our Bank has sponsored three Regional Rural Banks (RRBs) viz. Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, and Baroda Gujarat Gramin Bank. The aggregate business of these three RRBs rose to ₹ 49,854 crore as of March 31, 2017 from ₹ 42,347 crore as of March 31, 2016, registering a growth of 17.73%. The three RRBs together posted a Net Profit of ₹ 202.31 crore during FY 2017 against ₹ 168.54 crore the previous year. The Net Worth of these RRBs put together improved from ₹ 2,019.56 crore as of March 31, 2016 to ₹ 2,221.87 crore as of March 31, 2017.

International Operations

Our Bank has international presence across 24 countries through 107 branches/offices. Bank's has 59 branches in 15 countries while 47 branches operate through Bank's 8 Overseas

Subsidiaries. In addition, Bank has one Representative Office in Bangkok. Bank has two Joint Ventures viz. Indo Zambia Bank Ltd. in Zambia having 32 branches and India International Bank (Malaysia) Bhd. in Malaysia having one branch. During FY 2017, the Bank opened two new branches in its overseas subsidiary in Uganda at Lugazi and in Ghana at Kumasi. In October 2016, Tsim Sha Tsui (TST) branch in Hong Kong was merged with Central Branch in Hong Kong. Bank has presence in world's major financial centers in New York, London, Singapore, Hong Kong, Brussels and Dubai. Bank has received the license from RBI and is in the process of opening an International Business Unit (IBU) branch in India at GIFT SEZ in Gandhinagar, Gujarat.

In the international arena, our Bank pursues strategy of driving growth and value by meeting the international banking requirements of Indian corporates; catering to India-linked cross-border trade flows for Indian and locally incorporated companies/firms and being preferred Bank for NRIs/ persons of Indian origin. To drive value, our Bank has plans to improve internal operations by initiatives such as setting up of a centralized back-office; realigning the structure into geographic clusters focused on business development while strengthening controls and compliance; boost local talent in geographies of operations and building digital capabilities for cost efficiency.

As of March 31, 2017, our Bank's total business from international branches was ₹ 2,67,318 crore and constituted 27.14% of the global business. Total deposits were ₹ 1,61,583 crore while net advances were ₹ 1,05,735 crore. It was a year of consolidation for the international operations. The operating profit of international operations stood at ₹ 2,039 crore and net profit at ₹ 560 crore in FY 2017. Bank has calibrated the growth and reoriented its strategy of its international operations in line with the new global environment. It focused on rebalancing the portfolio with a view to shed the low yielding assets and increasing profitability. The year also saw liquidation of around ₹ 10,000 crore of asset portfolio built against special FCNR (B) deposits scheme in the period from September to November 2013.

As of March 31, 2017, of the total International loan-book, 48.14% comprised of Buyers' Credit/BP/BD portfolio where the exposure was on the banks. 22.53% of the exposure was India related corporate by way of ECB/ Syndicated Loans. Exposure to non-Indian entities by way of syndicated loans was at 4.62% and remaining 25.71% exposure was by way of local credit.

During the year, Bank repatriated surplus capital funds to the tune of US\$ 138 million from the overseas branches for optimum deployment of the capital.

Bank's overseas subsidiaries continued to perform well and have focused on sustaining healthy asset quality and improved profitability.



The Bank has initiated steps for consolidating and re-organizing its International operations. It continued to sharpen its focus on managing the risks in international operations in the emerging global environment. Bank is also considering rationalizing its overseas operations including exiting from some centres which are not strategic in the current environment.

UK Subsidiary

Our Bank is planning to carve out retail business in UK in the form of a 100 % owned subsidiary, which will give boost to the retail business of the Bank as well as comply with the local regulatory guidelines.

Treasury Operations

Our Bank operates its Treasury operations from state of art dealing room at its Corporate Office in Mumbai. Treasury handles domestic treasury operations and is a prominent player in various markets e.g. Foreign Exchange, Interest rates, Fixed Income, Money Market, Derivative, Equity, Currency and Interest Rate Futures and other alternate asset classes. Bank is offering various services like interest rate swaps, currency swaps, and currency options, forward contracts through advanced dealing systems and through Authorized branches dealing in Foreign exchange across India.

Total size of the Bank's Domestic Investment Book as of March 31, 2017 stood at ₹ 1,22,169 crore. The share of SLR securities in total investments was 89.44%. The per cent of SLR Securities to NDTL at March 31, 2017 was at 23.57%.

Bank has been able to capitalize on the opportunity offered by higher yields in the first half of the year and has added bonds to the portfolio. Bank managed its portfolio efficiently and maintained average yield on SLR investment as of March 31, 2017 at 7.76 %. During FY 2017, Bank's realized profit on Sale of Investment and Foreign exchange earnings are ₹ 2,618 crore and ₹ 976 crore respectively and earned ₹ 12,656 crore as Interest/ Discount.

Bank's Treasury mid-office monitors market exposures and limits fixed by the Bank on real time basis. The Risk management parameters, including Value-at Risk (VAR) are used to measure market risk on all portfolios. The VAR numbers are regularly back tested for evaluating the strength of the model. Stress testing is done on various investments and currency positions.

Government Business

Government Business forms an important part of the business strategy of the Bank which caters to the needs /requirements of Govt Ministries & PSU besides payment of Pension on pan India basis. Our Bank is an accredited banker to the Ministry of Health and Family Welfare. Some important functions

undertaken by the vertical include collection of various Taxes, Treasury operations in Gujarat, deposit schemes like senior citizens savings scheme, Sukanya Samridhi Yojana, KVP, NSC & Public Provident Fund Accounts, investment opportunities in Government Sovereign Bonds, Gold Monetization Schemes and social security schemes like APY & NPS, collection bank role for Indian Railway etc.

Bank has entered into partnership / alliances with some key projects of national importance in FY 2017. The Bank received approval from Union Government for extending its services as payment & settlement banker for Government e-Market Portal (GeM Portal), maintaining their pool account and advising bank for e-BGs, implementation of which is under progress. Bank is also getting associated with Government of India's prestigious e-NAM portal covering pan India 7100+ APMCs to act as payment & settlement banker to the portal and also to tap the emerging business opportunities in agri & allied activities in NAM eco system. Bank is set to offer its services of e-LC and Cash Management Services to the Ministry of Defence.

Bank actively participated in various drives/ campaigns under Union Government's Digital India initiative. Bank is one of the few banks authorized to undertake Goods & Service Tax (GST) collection which is scheduled to be implemented from July 01, 2017. Bank has received accreditation as well as aggregator status under Non Tax Revenue Portal (NTRP) / Public Funds Management System (PFMS).

Bank is serving more than 2.50 Lakh pensioners. During the year, Bank opened 91,954 new PPF accounts. Our Bank was adjudged as the Best Performing PSU Bank by PFRDA for opening 2,03,849 Atal Pension Yojana (APY) accounts during the year.

Total earnings from this vertical were ₹ 69 crore during the year.

Wealth Management

During FY 2017, our Bank added two new tie-up partners in standalone health insurance and general insurance each in addition to existing partners in mutual fund, life insurance and general insurance. In addition, Bank developed Baroda m-invest; a mobile based investment App for mutual funds for providing paperless investment experience to the customers. Bank added 1,25,000 new SIPs during FY 2017. In life insurance, apart from PMJJBY policies, 1.79 lakh lives were covered under insurance coverage. Bank earned ₹ 58.85 crore during the year through sales and distribution of mutual fund and insurance products.

NPA Management

Management of non performing assets (NPAs) and other stressed assets continues to be one of the biggest challenges facing the Indian banking industry impacting the profitability



of the banks. To tackle the mounting stressed assets, RBI has undertaken several initiatives. These include creating an empowered Joint Lenders' Forum (JLF) for identification of incipient stress, introducing restructuring mechanism under the Strategic Debt Restructuring (SDR) scheme, enabling flexible refinancing under 5:25 scheme, easing norms around sustainable structuring of stressed assets (S4A), and revising guidelines for their sale.

FY 2017 had been a challenging year for our Bank also in terms of stress in asset quality. The movement in stressed book of the Bank during the year was as under:

₹ in crore

	FY 2016	FY 2017
Gross NPA	40,521	42,719
Gross NPA Ratio	9.99%	10.46%
Net NPA	19,407	18,080
Net NPA Ratio	5.06%	4.72%
Additions to NPAs	27,828	13,312
Recovery / Upgradations	2,015	6,766
Write offs including TWOs	1,554	4,348
Recoveries in Written off Accounts	221	327
Provision Coverage Ratio (Including TWO)	60.09%	66.83%
Provision Coverage Ratio (Excluding TWO)	52.11%	57.68%

The breakup of advances portfolio of our Bank as per asset classification as of March 31, 2017 was as under-

₹ in crore

Asset Category (Gross)	March 31, 2016	March 31, 2017
Standard	3,64,996	3,65,792
Gross NPA	40,521	42,719
Total	4,05,517	4,08,511
Gross NPA comprising of:		
Sub-Standard	11,569	8,804
Doubtful	25,766	29,186
Loss	3,186	4,729
Total Gross NPA	40,521	42,719

Our Bank has developed a comprehensive organizational structure for recovery and credit monitoring across different levels and taken a number of measures to strengthen systems and processes to manage stressed assets which include:

- Set up of legal war-room for real-time tracking of recovery proceedings and to aid accelerated decision making (~140 high value suit-filed accounts being monitored)
- Strengthening Bank's legal/ fraud investigation capabilities and ability to handle recovery cases enhanced through onboarding of external experts

- 39 accounts identified for action under Indian Bankruptcy Code (IBC), of which, 13 cases have been filed in NCLT and tracked through war-room
- 'Solution provider' cell setup to provide resolution strategies for stressed accounts, with currently 65 large NPA accounts with exposure above ₹ 100 crore under process of being resolved
- Collections call center setup (~200 agents) for retail loans with multi-lingual support and augmented with feet-on-street staff to drive on-ground collections
- 900-member strong Bank taskforce deployed for NPA and potential NPA recovery in small accounts
- Business Correspondents incentivized for crop loan collections

In addition Bank has in place the following measures on ongoing basis towards recovery of non performing assets:

- Assigning Nodal Officer at each of DRT for follow-up of legal cases on daily basis so as to minimize the delay in obtaining decrees and execution and maximize recoveries.
- For recoveries in all DRT Suit filed NPA accounts, the assets charged to the Bank are sold through e-auction to get fair market value.
- Recovery Agents for assisting in taking possession of assets & other pre/post sale activities
- Consultants to liaise with Official Liquidators (OL) to get the recoveries realized by OLs.
- Maximum participation in National Lok Adalats is ensured to expedite recovery in suit filed & non suit filed NPA accounts.
- Recovery Camps were regularly conducted by our Bank's branches to recover & reduce long pending cases and expedite recoveries in small accounts.
- Special incentive scheme named "Sankalp-X" Scheme was launched during the year to intensify recovery efforts of smaller value accounts with an outstanding up to ₹ 25 lacs. Cash recovery made during FY 2017 under the scheme was at ₹ 116.88 crore.
- Monitoring of large value of NPA accounts of ₹ 1 crore and above directly from Corporate Office.

While our Bank has taken steps to strengthen systems and processes to manage stressed assets, it has been proactive in providing against non performing assets. Provision Coverage Ratio (PCR) of the Bank including provision held for technically written off (TWO) accounts was 66.83% while PCR excluding provision for TWO accounts was 57.68%. With better provision coverage ratios, our Bank is better positioned to take decisive actions for resolution of stressed assets issue.



The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and amendment of Banking Regulation Act, 1949

Enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 by the Parliament and promulgation of the NPA ordinance amending Section 35 A of Banking Regulation Act and empowering the RBI to direct banks to tackle the NPA problem by either intervening directly or by appointing oversight committees are latest important steps taken by the Government to address the issue of NPAs in the banks.

The Insolvency and Bankruptcy Code aims to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals. It provides for a time bound Corporate Insolvency Resolution (CIR) Process for all corporates prior to liquidation, during which creditors have the ability to consider measures to resolve the financial distress of the corporates and to maintain and preserve its continued business operations by framing a plan referred to as a resolution plan. A period of 180 days has been prescribed for the purpose of completion of the entire CIR process with a further extension of 90 days in exceptional cases.

The code provides resolution with minimum involvement of NCLT and other authorities. The entire resolution will be carried out by the professionals (Insolvency Professionals) and the committee of creditors will have pivotal role who will decide the direction of resolution process. Further, the secured creditors will have priority over Crown Debts (Government Dues). The Code will help the banks to reduce time frame for resolution of NPAs and getting fair value for assets.

Our Bank has identified 39 accounts where Insolvency Resolution Process can be initiated under the Code of which, 13 cases have been filed in NCLT.

Credit Monitoring

Our Bank has the system of monitoring of advance accounts at various levels (Branch/Region/Zone and Corporate) to prevent slippages and to take timely corrective actions to improve asset quality. Credit Monitoring vertical at the Corporate Office enables early identification of weakness/potential default/incipient sickness in the advance accounts for initiating suitable and timely corrective actions for preventing impairment in advance accounts / deterioration in credit quality. Accounts with incipient stress are identified under Special Mention Accounts (SMA) categories of SMA0, SMA1 and SMA2.

All SMA2 accounts are followed up for the formation of the Joint Lenders Forum (JLF) and options to resolve stress under Corrective Action Plan are explored by way of rectification, restructuring and recovery. The vertical also undertakes identification of suitable cases under restructuring/ Strategic Debt Restructuring (SDR)/ 5:25 refinancing/ Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A).

The Position of Restructured Assets and SDR and S4A Scheme are as under:

₹ in crore

Sr No.	Asset Categorization		Total Restructured advances	Of the total restructured advances	
				Accounts under SDR	Accounts under S4A
			March 31, 2017	March 31, 2017	March 31, 2017
1	Restructured Standard Advances	No.of Borrowers	11,820	12	9
		Amount Outstanding	10,784.53	2,754.18	2,160.15
2	Restructured NPAs	No.of Borrowers	26,129	24	1
		Amount Outstanding	14,914.98	3,977.68	118.44
3	Total Restructured Advances	No.of Borrowers	37,949	36	10
		Amount Outstanding	25,699.51	6,731.86	2,278.59

The position of Assets under Flexible restructuring (5/25 scheme) are as under:

₹ in crore

Particulars	Year ended March 31, 2017
Number of borrowers under flexible structuring	11
Amount of loans taken up for flexible structuring	5,932.59
-Standard	2,275.00
-NPA	3,657.59

Follow up of accounts of ₹ 1 crore and above is done by way of Monthly Monitoring Reports for taking timely corrective actions. The monitoring is carried on line web based platform. Based on the MMRs, various parameters like information on short reviews, overdues, credit turnovers, credit ratings, pending stock statements, observations in stock audits and credit audits, pending legal audits, insurance coverage and LC's devolved and Bank guarantees invoked are monitored. Follow up actions are taken for ensuring expeditious review of accounts, rectification of irregularities, compliance of terms and conditions in high value advance accounts for maintaining the health of credit portfolio.

Bank is in the process of implementing Early Warning Signals System solution which would receive data from Bank's internal systems viz. core banking system, risk rating system as well as external sources like internet, social Media, credit bureaus, rating agencies and other external sources to provide early warning signals for monitoring of credit and taking timely remedial actions.

Information Technology (IT)

Our Bank has best of technology infrastructure and a state-of-the-art Data Centre conforming to Uptime Institute Tier-3 standard and a Disaster Recovery Site in different seismic zone with redundancy built in every single point of failure to ensure uninterrupted banking service delivery to customers. In addition to the Disaster Recovery Centre, Bank has also



implemented the Near Disaster Recovery Centre to ensure Near Zero Data Loss as part of its Business Continuity Planning and Disaster Recovery strategy.

Bank has been undertaking regular capacity planning and upgrades to support growing demand of business at various service delivery channels. Bank has implemented Enterprise Management System and modules have been deployed to effectively manage and monitor Bank's growing IT infrastructure.

Bank has deployed a centralized IT architecture to provide the Core Banking Solution (CBS) and other application platform to all its domestic branches and 23 overseas territories, providing ease of management & monitoring and optimization of resources. Bank's Regional Rural Banks (RRBs) are also on the CBS Platform with delivery channels. Bank has initiated the upgradation of Core Banking Solution (CBS) to Finacle 10.x and e-banking upgradation to 11.x.

Bank has initiated implementation of following solutions to provide new products to the customers and digitizing the core operating processes:

- Supply chain finance solution to provide integrated commercial and financial solutions to the supply and distribution channels of corporates. Supply chain financing would support to the commercial relationship between the clients and their suppliers and customers.
- A new and comprehensive retail Internet Banking Solution across account services and delivery channels which will help in driving the Digital India initiative. The solution would provide the customers with access to the new state-of-the-art payment and communication infrastructure.
- Loan Management System to streamline loan origination and tracking process. The solution will enable end to end processing of loan proposals using image based workflow and Business Process Management (BPM) to digitize the processes and improve TAT.
- Fraud Risk Management System (FRMS) solution which will provide enterprise wide fraud detection and prevention covering the risks associated with indicative list of channels and applications under online and/or offline mode. The solution covers prevention and detection of frauds at different process stages of the below mentioned applications and channels for all types of transactions.
- Early Warning Signals System (EWS) solution which would receive data from Bank's internal systems viz. core banking system, risk rating system as well as external sources like internet, social Media, Information from credit bureaus, rating agencies and other external sources to provide early warning signals for monitoring of credit and taking timely remedial actions.

- Bank is also creating analytics center of excellence to reap benefits of analytics capabilities across various line of businesses such as marketing, planning, retail business, risk, fraud, security and compliance.
- Bank has embarked upon the journey of cloud adoption. In this direction Bank has implemented public and hybrid cloud services for many communication and collaboration technology solutions. Bank has also implemented archival solution for email communication to strengthen the compliance.
- Bank has continuous endeavor to bring more value to its customers by way of implementing technology innovations. In this direction, Bank is working with technology innovations such as Robotics Process Automation, Block Chain Technology and Artificial Intelligence to bring more efficiency and transparency in the business process.

In addition to the above, Bank implemented Unified Payments Interface (UPI) which offers architecture and a set of standard Application Programming Interface (API) specifications to facilitate online payments. It aims to simplify and provide a single interface across all NPCI systems besides creating interoperability and superior customer experience.

Bank has also implemented Internet Payment Gateway (IPG) which is a payment and settlement system for a merchant to collect payment from their customer for online sale of products or services.

For liabilities account opening, our Bank has implemented scan based account opening which scan forms and exports through Omniscan 3.1 instead of sending the physical copy of the same. The purpose of this migration project is to bring down the TAT of account opening process.

Cyber Security

Over the years, Bank has built a strong foundation of cyber security comprising a comprehensive set of information security measures to counter against cyber-attacks. To further strengthen security posture, Bank is in process of implementing advanced technology solutions in the area of Network Security, Server Security, Application Security and Security Analytics. Bank's Data Centre and DR operations are certified to ISO27001 standard which is a set of international best practices in the field of information security and provides assurance to all the stakeholders.

Bank has captive Security Operations Centre, which is equipped with advanced tools to monitor Cyber security events. Security operations centre operates on 24X7 basis and continuously monitors activities on Servers, Network devices, Security devices, Critical databases etc. for security violations. Periodic security assessments are conducting through in-house qualified professionals as well as outside auditors. Identified vulnerabilities are quickly closed.



Bank monitors phishing websites and fraudulent mobile apps. In case of observance of any phishing site or fraudulent mobile app, the same is taken down. This protects our customers from sharing their sensitive information and credentials on fake websites and on rogue mobile applications.

Bank is in touch with Governmental agencies and industrial bodies such as Cert-In, NCIIPC, RBI-CSITE, IDRBT etc. and receiving threat/vulnerability advisories from such bodies and quickly acting upon it. To ensure preparedness against probable cyber threats, Bank is actively participating in the cyber security drills conducted by Cert-In, IDRBT, RBI-CSITE.

Digital Transformation

Our Bank's Digital Banking team has been making significant progress as part of our efforts to take forward the Bank's Digital Transformation which is taking place against the backdrop of several growth stimuli being driven by the Government such as Start up India, Digital India and Make in India. Our favourable demographic dividend along with deepening of mobile penetration has created the enabling factors to usher in the Digital Revolution in our country, which has disrupted the banking and financial services landscape. As more and more of our customers look to transition to cashless modes of payment, Bank seeks to handhold and guide the customers through this journey.

Bank has been at the forefront of innovation through the following:

Digital Portable Branch

Our Bank has evolved an innovative concept of pre-fabricated banking outlet equipped with Self Service machines to meet routine customer requirements and space for 2-3 officials/BCs for a face to face interaction/ handholding. These outlets are highly secure, conducive to varying weather conditions and are conceptualized to offer 24x7 convenient banking facilities. Self Service machines are designed to offer Instant Account opening, Debit Card dispensation, Cash withdrawal, Passbook updation, Funds transfer, Utility Bill payment, Account based enquiry services etc.

Bank opened the First Digital Portable Branch in September 2016 at Bhagesara Village in Pratapgarh District, located in the Sultanpur Region in the state of Uttar Pradesh. This Digital Branch has the state-of-the art digital technology available for usage of the residents in the hinterland - an Automatic Account Opening Machine, a Pass Book Printer and an ATM. This innovative initiative of our Bank has been lauded by the local people and is being expanded further in this financial year. This was achieved on the back of well co-ordinated team work given the leadership of our Zonal, Region and Branch office in Eastern UP, supported by the Corporate Office departments including Digital Banking, Facilities Management and Technology.

Account Opening Kiosk

In order to provide hassle free and convenient banking services through alternate delivery channels to our customers by leveraging technology, our Bank has launched an innovative Self Service Kiosk called Account Opening Kiosk with a Debit Card Dispensing Kiosk. Our Account Opening Kiosk is a complete digital process which facilitates instant account opening and issuance of Non personalized debit card to our customers. The Kiosk enables digitization of the account opening process as per our standard application format with a self-service option provided to our customers to open the account instantly and thereafter avail of the non-personalized debit card instantly with Green PIN facility.

Our Digital Banking team continues to focus on strengthening digital and alternate delivery channels to our customers through the revamp of our proposition through the following channels:

- ATMs, which will continue to support the cash needs of our customers
- E-Lobbies which are being christened as 'Me Lobby' having upgraded facilities, which includes Baroda Non-Stop Lobby comprising five self-service machines viz. Cash Recycler, ATM, Multi-Function Kiosk, Passbook Printer and Digital Signage System for providing 24x7 banking services. Our Bank has also introduced "Baroda Express – 24X7" lobby, which is a lean version of the Baroda Non-Stop Lobby for smaller centers by refurbishing the existing ATMs and providing additional services such as Cash Recycler and Passbook Printer
- Internet Banking platform Baroda Connect, which has been enriched with multiple features to provide ease of use and better control for our customers
- Mobile Banking - Our completely revamped Mobile Banking application M-connect Plus with a 360 Degree view of Customer Accounts, has been launched this year which provides a robust, secure, scalable and feature rich innovative experience to our customers.
- Mobile Wallet - In our pursuit to enhance customer convenience, our Bank has launched "Baroda M-CLIP", our Bank's Mobile Wallet in July 2016. This is a simple, secure and easy to use mobile application for Online Purchases. Features are Person to Person (P2P) fund transfer, Mobile/DTH/Data Recharge, Gift cards of various brands, bill payments and other such needs.
- Internet Payment Gateway - Our Bank is in the process of owning the entire Internet Payment Gateway infrastructure, to provide an electronic payment platform Baroda E Gateway to its merchants for e-commerce business by enabling payment collection using credit card/ debit card and net banking.



- Bharat Bill Payment System (BBPS) - This is an initiative of national importance which offers real time bill payment service to customers/ non customers across geographic and demographic lines. BBPS is a tiered platform wherein our Bank participates as Customer Bharat Bill Payment Operating Units (Customer BBPOU) through various channels. BBPS is a simple, secure and easy to use bill payment platform which offers interoperable and accessible bill payment services to customers with instant confirmation of receipt of payment.
- UPI for retail payment systems – Our Bank has also launched Baroda MPAY- UPI, which is a new initiative of National Payments Corporation of India (NPCI) that aims to simplify and provide a single interface across all existing retail payment systems in India.
- Global Contact Center - Our Bank has also operationalized state-of-the-art Contact Centers at GIFT City as well as at Bengaluru. Our Contact Centre provides most of the banking services through the telephone channel through a Toll Free Number from anywhere in the country and globe. A dedicated Toll free number has been provided for Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and other Financial Inclusion customers.

Fintech Alliances

Our Bank has forged 15+ partnerships across the financial services spectrum: Lending, payments, wealth management, technology, e-commerce etc., with the intent to make our Bank of Baroda the preferred partner for Fintech firms.

The Sayajirao Gaekwad Fellowship Program instituted by our Bank seeks to promote Entrepreneurs in diverse fields of Fintech, Agritech, E- Commerce etc. in support of Standup India and Startup India initiatives

Back Office Operations

To improve its service delivery and quality in the back office support processes while improving controls and compliance and as a strategic step towards building capabilities for the future, our Bank's operating architecture is being revamped through digitization of processes and centralization of back-office operations. Our Bank is currently building a state-of-the-art 'Shared Services Centre' at GIFT City with multiple floors. Incorporated as a subsidiary Baroda Global Shared Services Limited, it is led by industry experts and top-notch talent both in-house and external.

Towards this strategic initiative, a 24x7 centralized contact center catering to domestic & international operations has already been established in GIFT City. Centralized mortgage processing with scan-based workflow has also been implemented for 3 zones and operational. In addition, Bank has implemented scan-based account opening process

across 1,300+ branches in 8 zones. A Trade Finance Back Office for Gujarat branches is also operational with enhanced compliance controls on trade and remittance transactions.

More geographies would be added gradually with the optimization of processes and building up of capabilities. Existing Regional Back Offices (RBOs) mapped to 5,375 branches of our Bank as of March 31, 2017 would also operate from a central place at Shared Service Center.

Cash Management & Currency Chest

Our Bank has -96- Currency Chests of which -5- currency chests (at Gwalior, Samtanagar, Gaurigunj, Delhi Road Alwar & Asilmetta) have been opened during the financial year ended March 31, 2017. These are used for effective cash management in the Bank besides vaulting cash on behalf of Reserve Bank of India. All the currency chests as well as branches are provided Note Sorting Machines (NSMs). In addition, 5 nos. of hand held currency authenticating devices have also been provided to all Currency Chests for preventing circulation of counterfeit currency notes. During recent demonetization exercise, all Currency Chests played pivotal role in handling receipt of old currency; distribution of new currency to customers and efficient management of cash in times of exceptional build up of liquidity.

Marketing

During the year, our Bank carried out a survey on Customer Satisfaction and Brand Health through a reputed independent agency to assess the customer satisfaction level at different touch points of the Bank. The survey covered all the geographies and products like savings bank accounts, current accounts, wealth management products, home loans, auto loans, agri loans, trader's loan, mortgages, MSME and mid and large corporates. Our Bank's aspiration is to be the "Most admired Service Brand" in the banking Industry.

Steps undertaken during the year to strengthen our brand presence are:

- A well designed marketing initiative rolled out to increase the awareness about our digital products along with different other products and services.
- Effective utilization of different media vehicles such as Print, Electronic (TV / Radio), Digital and Out of Home (OOH) for Above-The-Line (ATL) activities as well as to support the Below-The-Line (BTL) activities.
- Brand endorsements by Ms. P V Sindhu and Mr. K Srikanth, well known badminton players. These two players symbolize performance and bring a rare combination of dedication and commitment to their profession. The personality of these players is in close sync with Bank's approach to business – Care, Concern and Competence in domestic as well as International markets.



- National Supporter of FIFA U-17: our Bank is the first Brand in the country to come onboard as the National Supporter of FIFA U-17 World scheduled to be organized in the month of October 2017. Along with the FIFA World Cup a MXIM (Mission XI Million) activity has been rolled out to reach XI Million students through school program, workshops, football festivals etc. Bank's presence in these programs provides an opportunity to tap business and future mind space as it creates direct connect with students, parents, teachers, schools etc.
- Social Media for engaging customers: Bank has been regularly posting engaging content in the Social Media platforms and undertook various campaigns to serve different objectives e.g. online brand building, awareness with defined target segments, business acquisition, promote Alternate Delivery Channels to reduce cost of customer service etc to engage with the desired target audience. The performance of Bank in Social Media Channels is given below:

Social Media Channel	Statistics (as of March 31, 2017)
Facebook	2,70,750+ Likes
Twitter	2,4,500+ Followers
YouTube	4,065+ Subscribers

- Aided and Un-aided Recall of the Brand: In order to increase the Brand recall, Bank has put in place well designed outdoor medium plan at strategic locations across India which are as under:
 - o The naming rights of Sikandarpur & Andheri Metro Stations, brand visibility at Amritsar, Chandigarh and other international airports, are high end marketing properties created for the brand. Keeping this objective into consideration, our Bank is also having visibility at prominent Airports with large number of display units.
 - o Branding in Malls: Malls in the city today are strategically located and provide good opportunity for innovative branding and for the first time our Bank has visibility at 27 prominent malls in 11 Centres.
 - o Cinema Advertising has also been explored by our Bank for brand building wherein a captive set of audience is available for the Brand communication on the big screen.
- Brand Enhancement: Since branch is the primary customer touch point, Bank has initiated Branch facelift and utilize this as a medium to communicate with the customers and improve on the brand image.

- Product promotion campaigns to promote its products and services amongst target audience through advertising across different geographies.
- Participation in events such as FICCI-IBA Banking Conference 2016, Standard Chartered Mumbai Marathon 2017 etc for increasing visibility and brand recall value.

During FY 2017, our Bank was recognized as a leading brand when it was ranked 21st amongst best Indian Brands 2016 in Brand Equity by Economic Times dated 31st August to 6th September, 2016.

Branch Network of the Bank

As of March 31, 2017, the branch net work of our Bank was as under:

	March 31, 2016		March 31, 2017	
	No. of Branches	% Share in Total*	No. of Branches	% Share in Total*
Domestic: Area Classification (India)				
Metro	1,008	18.91	1,166	21.51
Urban	933	17.50	921	17.04
Semi-urban	1,425	26.74	1,523	27.98
Rural	1,964	36.85	1,812	33.47
Total	5,330	100.00	5,422	100.00
Overseas (including branches of subsidiaries and one representative office)	106	-	107	-

* Data as of March 31, 2016 is as per 2001 census while data as of March 31, 2017 is as per 2011 census

During FY 2017, Bank opened-99- new branches and merged/ closed -7- branches. Two of the new branches opened were state of art digital portable branches. The concept has been well received by our customers and is being expanded further in FY 2018.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Our Bank has a legacy and tradition of contributing actively to the social and economic development of the community through various developmental activities. Bank believes that we owe a solemn duty to the less fortunate and underprivileged members of the society to make sustainable social change in their lives. Education, health, human welfare and other social activities are Bank's main focus areas in its continued efforts to make a difference to the society at large. Some of the activities undertaken by the Bank under CSR on ongoing basis are:

- **Baroda Swarojgar Vikas Sansthan - BSVS (Baroda R-SETI):** Our Bank has established 49 BSVS in six states of the country. 45 of these BSVSs are in our lead districts and 4 are in non- lead districts. By imparting



vocational skills training to youth from rural and semi urban areas, they help in generating self employment among them. Till date these BSVs have conducted 10,380 training programmes and imparted training to 2,92,939 youth, out of which 1,97,826 have already secured either employment or setup their own venture. The settlement ratio is at 67.53%.

- **Financial Literacy & Credit Counseling Centres (FLCC):** our Bank has set up 51 FLCCs in eight states of the country for providing financial counseling services and to educate the people in rural and urban area to various financial products and services available from the formal financial sector. These centers also take up activities that promote financial literacy, awareness about banking services, financial planning and amelioration of debt-related distress of an individual.

Internal Control Systems

The increased focus on risk and the supporting governance framework includes identifying the responsibilities of different parts of the Bank for addressing and managing risk. Often referred to as the “three lines of defence”, each of the three lines has an important role to play. These are:

- i. The business line – the first line of defence – has “ownership” of risk, whereby it acknowledges and manages the risk that it incurs in conducting its activities.
- ii. The risk management function is responsible for further identifying, measuring, monitoring and reporting risk on an enterprise-wide basis as part of the second line of defence, independently from the first line of defence. The compliance function is also deemed part of the second line of defence.
- iii. The internal audit function is charged with the third line of defence, conducting risk-based and other audits and reviews to provide assurance to the Board that the overall governance framework, including the risk governance framework, is effective and that policies and processes are in place and consistently applied.

Controls in Business - The First Line of Defence

For strengthening internal controls and improving compliance culture across the organization, our Bank has initiated the realignment of structure of the organization to sharpen the controls and compliance following principle of (i) segregation of business and control functions and (ii) centralization of certain operations and processes which could be taken out of branches to increase efficiency and strengthen controls while enhancing customer experience. At corporate level, our Bank is in the process of segregating credit relationship and credit approval functions. The corporate organization has been segregated into corporate banking and corporate credit and steps have been initiated for similar segregation in retail and MSME banking.

The centralization of processes and operations at Shared Service Center (SSC) at GIFT City, Gandhinagar, Gujarat enabling better controls over adherence to compliance requirements is in progress. Besides, Bank has set up a Transaction Monitoring Unit (TMU) for independent monitoring of exceptional transactions and monitoring and closure of alerts thrown out of AML system.

Bank is also considering building a process with emphasis on strengthening self-assessment by the business units.

Risk Management and Compliance - The Second Line of Defence

Risk Management

To ensure sustainable and consistent growth, our Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. Bank undertakes business activities within the risk appetite limits and policies approved by the Board of Directors of the Bank. Specific committees of the Board have been constituted to facilitate focused oversight on various risks. The Board has also constituted a Risk Management Committee of Board which oversees the inter linkages between different type of risks. Policies approved from time to time by the Board of Directors or committees of the Board form the governing framework for each type of risk.

A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks within our Bank is as follows.

Asset Liability Management

Our Bank's Asset Liability Management (ALM) is aimed at strategic planning, implementation, and control processes that affect the volume, mix, maturity, rate sensitivity, quality and liquidity of the Bank's assets and liabilities. Asset Liability Management Committee (ALCO), which comprises of functional heads and Executive Directors and is headed by the Managing Director & CEO, ensures that the risk profile of the Bank, in terms of Liquidity Risk and Interest Rate Risk, is within the risk tolerance limits.

Liquidity Risk is the inability to meet expected and unexpected cash and collateral obligation at reasonable cost. In our Bank, the liquidity risk is measured and monitored through Flow Approach and Stock Approach and other prudential stipulations as per the latest guidelines of the RBI. Bank has implemented Basel III Framework on Liquidity Standards – Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. The LCR standard aims to ensure that banks maintain an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets that can be converted into cash to meet liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by the RBI. Bank has always been well above the stipulated level of LCR on solo basis as well as on consolidated basis.



Interest Rate Risk arises due to mismatch between rate sensitive assets and liabilities which adversely impact the earnings of the Bank with the change in rate of interest in the market. For measurement and monitoring of Interest rate risk, both Traditional Gap and Duration Gap approaches are followed. The short-term impact of interest rate movements on NIM is worked out through “Earnings at Risk” approach taking into consideration Yield curve risk, Basis risk and Embedded Options Risk. The long-term impact of interest rate movements on Market Value of Equity is also worked out through Duration Gap approach. Advanced techniques such as stress testing of liquidity risk by way of simulation, sensitivity and scenario analysis are used at regular intervals and tested against the contingency funding plan.

Bank’s comprehensive contingency funding plan has been formalized to foresee and mitigate liquidity crisis both for temporary and long-range liquidity disruptions. With a powerful suite of analytical and reporting tools, an efficient liquidity and interest rate risk management has been facilitated, enabling strategic decision-making and generating alerts against potential deviations.

Credit Risk

Lending is a continuous activity in the Bank with due focus on identification, measurement, monitoring and control of credit risk. Credit risk is risk arising due to uncertainty in counterparty’s ability to meet its obligations in accordance with agreed terms. The goal of credit risk management is to maximize Bank’s risk-adjusted rate of return by maintaining credit risk exposure within acceptable parameters. The effective management of credit risk at the individual customer level transactions as well as at the portfolio level is a critical component of a comprehensive approach to risk management and essential to the long-term success of the Bank.

Credit Risk is managed in our Bank through a Board approved framework that sets out policies, procedures and reporting which are in line with international best practices. Adequate attention is given to the independence of the risk evaluators and policy framers for addressing sound credit process culture. our Bank has a well structured credit approval process, which functions within the defined Board approved credit policy.

Credit Risk Rating involves a method of systematically classifying credit proposals according to their quality and inherent risk characteristics. Rating is an important single point indicator of credit quality to the Bank as also to other stakeholders (viz. regulators, analysts, auditors etc.). Our Bank has adopted a robust web based two dimensional credit rating system which consists of borrower rating as well as facility rating. Facility rating depends on type of collateral offered and its coverage. The combined rating of the borrower is arrived at by the combination of these two dimensions

depicting expected loss and is used for determining the appropriate pricing of the loans.

Over the years Bank has gained good experience in internal rating and has thus built up data on credit rating migration. This robust platform has enabled Bank to get an approval of regulator for a parallel run under Foundation Internal Rating Based (FIRB) approach of Credit Risk under Basel II rules from March 31, 2013. Under the IRB approach the banks are allowed to develop their own empirical model to quantify required capital for credit risk. IRB implementation has helped the Bank with improved risk management systems and strong risk assessment processes.

Bank’s Corporate Research Cell prepares industry report studies through industry experts to assess the risk prevalent in industries where the bank has sizable exposure and also for the identification of sunrise industries. To manage imprudent concentration, Bank has also put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers. The Portfolio Review Cell carries out detailed studies on sectoral exposure, credit concentration, ratings distribution and migration, and charts out credit strategy of the Bank based on these studies.

Our Bank has also implemented the Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) Framework for corporate credit exposures. RAROC is defined as the ratio of risk adjusted return to capital employed. It facilitates us to evaluate whether the credit risk asset generates adequate profit to add economic value to shareholders’ funds.

Market Risk

Market Risk implies the “risk” of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices. The change in economic value of different market products is largely a function of change in interest rates, exchange rates, economic growth, business confidence etc. Our Bank has clearly articulated policies to control and monitor its treasury functions which undertake Market Risk positions. These policies comprise management practices, procedures, prudential risk limits, review mechanisms and reporting systems. These policies are reviewed regularly in line with changes in financial and market conditions. The Interest Rate Risk in the Bank is measured through Interest Rate Sensitivity Gap Reports and Earning at Risk. Furthermore, Bank calculates Duration, Modified Duration, PV01, Value at Risk for its investment portfolio consisting of fixed income securities on daily basis. It monitors the short-term Interest rate risk from the NII (Net Interest Income) perspective and long-term interest rate risk from the EVE (Economic Value of Equity) perspective. Moreover, the stress testing of fixed interest investment portfolio through sensitivity analysis and equities through scenario analysis is regularly conducted in the Bank. The Foreign Exchange Risk and Equity Price Risk is monitored too and measured through daily marking to market, Sop Loss Limits, VaR limits, portfolio size limits,



IGL, AGL etc. The Value at Risk for the treasury positions is calculated through historical simulation method for a ten days holding period, at 99.0% confidence level.

Operational Risk

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This includes legal risk but excludes strategic and reputational risks. Operational Risk is integral part of all activities and business of the banks. Hence it is required to be managed with active engagement from all stakeholders.

Operational Risk Management Committee (ORMC) of our Bank has the responsibility of controlling the operational risk losses so that they do not cause material impact to the banks functioning. Bank has initiated measures to modify the processes and install new systems to improve the control environment. Roll out of Key Risk Indicators programme, Risk Control and Self Assessment Programme and Root cause analysis during the current year will further strengthen the control environment.

Pillar 2 Risk

The Bank has a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process Policy. The Pillar 2 risks, such as Liquidity Risk, Interest Rate Risk in Banking Book, Concentration Risk etc and overall Risk Management practices as well as adequacy of Capital under both normal and stressed conditions are assessed as per the Policy.

Basel III Implementation

The Basel III capital regulations have been implemented by Indian banks with effect from April 1, 2013. This implementation requires enhanced quality and quantity of capital on one side and more elaborate disclosure on the other. For augmenting and improving Core Capital of Bank, new measures for the inclusion of FCTR, DTA and Revaluation Reserves were introduced by RBI in March 2016. Also from March 2016 onwards Bank has started maintaining Capital Conservation Buffer (CCB) in a phased manner and will reach 2.5% by FY 2019.

As regards liquidity coverage ratio, Bank is fully geared up to achieve the prescribed ratios as per Basel and RBI guidelines. For the financial year ended March 31, 2017, LCR was well above regulatory requirements.

Our Bank has taken several initiatives such as driving an Enterprise wide Risk Management project for development of required system and processes for measuring and monitoring the trends of the risks of the Bank, engaging in the development of application scorecard of retail advances portfolios and Implementation of centralized decision management system for program lending, recalibrating Bank's Credit Rating Model (BOBRAM) to include parameters which would further increase the discrimination power of the

model and entering into a credit guarantee arrangement for certain pool of home loan borrowers, reducing the risk of default of the portfolio.

Compliance

An independent compliance function is a key component of the bank's second line of defence. This function is responsible for, among other things, ensuring that the bank operates with integrity and in compliance with applicable laws, regulations and internal policies. The Board of Directors of the Bank oversees the management of the Bank's compliance risk.

Our Bank has put in place a Board approved compliance policy outlining the compliance philosophy of the Bank. Compliance function in the Bank is an integral part of governance along with internal control and compliance risk management process. It ensures observance of regulatory / statutory provisions contained in various legislations viz. Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Securities and Exchange Board of India Act and Prevention of Money Laundering Act and also the regulations of the various regulators where the Bank is having its offices / branches in overseas centers. It also ensures standards and codes prescribed by BCSBI (Banking Codes and Standard Board of India, IBA (Indian Banks Association), FEDAI (Foreign Exchange Dealers Association of India), FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India).

Bank is in the process of putting up a web based compliance management system to further strengthen the compliance function in the Bank.

The compliance function advises senior management and the Board on the Bank's compliance with these applicable laws, rules and standards as well as keeping them informed of developments in the area. It also helps educating employees about compliance issues by conducting periodic trainings and workshops for business staff as well as designated compliance officers. Knowledge management tools for this purpose have also been uploaded on the Bank's site.

Compliance function has an important role in supporting corporate values, policies and processes that help ensure that the Bank acts responsibly and fulfils all applicable obligations.

KYC/ AML Compliance

Our Bank has well defined KYC-AML-CFT Policy, which is the foundation on which the Bank's "Implementation of KYC norms, AML standards, CFT measures and obligation of the Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002" is based. Bank electronically generates Cash Transaction Reports (CTRs) for submission to Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND). AML Solution for generating system-based alerts on the basis of transactions in the



accounts of the customers is in place. A central transaction monitoring unit (CTMU) also monitors of the transactions/alerts generated in AML Solution and escalation of STRs, if found suspicious, to the Principal Officer. System-based risk categorization of Bank's customers' accounts is done on half yearly basis. Bank files Counterfeit Currency Reports (CCRs) and Non Profit Organizations Transaction Reports (NTRs) to FIU-IND, New Delhi every month. It generates cross border wire transfer reports every month through electronic mode for submission to FIU-IND, New Delhi. CBS system has been modified suitably so as not to accept cash deposits of ₹ 50,000/- and above in absence of PAN / Form No. 60/61.

For further strengthening KYC compliance, online verification of PAN from NSDL has been operationalised. Bank has implemented Aadhaar based e-KYC in collaboration with UIDAI. Real-time checking of names from UNSCR list is available in all the branches as a step towards CFT. Online scanning of the customer's name with the names of the individuals/ entities appearing in the sanctions list or any other blacklist issued by Govt. Authorities, while opening of accounts has been put in place which generates the AML Alerts on predefined criteria. The Bank is in the process of allotting Unique Customer Identification Code (UCIC) to all its existing customers as per the RBI guidelines.

Bank has also carried out an independent review of its KYC, AML, & CFT policy and practices for the domestic branches and six overseas territories (UK, UAE, South Africa, Mauritius, Hong Kong and Bahamas) through independent reputed consultancy firms and taken steps to stream line the processes where required.

Internal Audit – The Third Line of Defence

The third line of the defence consists of an independent and effective internal audit function. Among other things, it provides independent review and objective assurance on the quality and effectiveness of the Bank's internal control system, the first and second lines of defence and the risk governance framework as well as strategic and business planning and decision-making processes. The internal auditors are not involved in developing, implementing or operating the risk management function or other first or second line of defence functions.

Our Bank carries internal audit function through a Central Internal Audit Division (CIAD). CIAD administers various streams of audits besides Risk Based Internal Audit (RBIA) of branches and offices. Audit Committee of the Board oversees overall internal audit function of the Bank. The committee guides in developing effective internal audit, concurrent audit, IS Audit and all other audit functions of the Bank. The committee monitors the functioning of the Audit Committee of Executives and internal audit department in the Bank.

CIAD operates through thirteen Zonal Internal Audit Divisions to carry out internal audit of branches/offices as per the periodicity decided by the Risk Based Internal Audit Policy. All branches of the Bank are covered under Risk Based Internal Audit. Out of 4,566 branches audited during 2016-17, 3,669 branches (80.35%) were in Low Risk, 851-branches (18.64%) were in Medium Risk and 46 branches (1.01%) were in High Risk category.

During the year, Bank engaged an independent firm as a knowledge partner for comprehensive review of the Audit function in line with the processes focusing on centralization of activities by use of technology, imaging solutions and digitization. The whole gamut of audit approach will undergo a change with extensive use of technology, analytics, sampling and advanced audit methodology. Internal audit processes thus are being revamped aided by technology.

For streamlining the concurrent audit function with the objective of improved oversight and consistency in approach, Bank has revamped this mechanism whereby a single firm is appointed to conduct concurrent audit of all branches in a Zone. A single audit firm would bring in the benefits of uniformity of approach and with more accountability. It will bring in benefits of unified view on control & compliances, observations of irregularities and patterns if any.

Customer Service

Our Bank is sensitive and responsive to the customer needs and believes that technology, products, processes and human resources must be leveraged for delivering superior banking experience to its customers.

During the year, an independent study on Customer Satisfaction and Brand Health across all products lines was commissioned by the Bank through an independent reputed agency. The survey covered all the geographies across products like savings bank, current account, wealth management products, home loans, auto loans, agri loan, traders loan, mortgages, MSME and mid-large corporates. The findings of the survey provided valuable insights on customer satisfaction levels, loyalty levels and experience levels across the product lines and geographies. Bank is taking necessary steps to further improve the customer satisfaction levels with an aspiration to be the "Most Admired Service Brand" in the banking industry.

At the Board level, the sub-committee of Board for customer service addresses the issues relating to the formulation of policies and assessment of their compliance with the aim of consistent improvement in the quality of customer service.

Our Bank has also set up a Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services, comprising of two eminent public personalities as members along with all the Executive Directors and seven General



Managers of Bank. This Committee oversees timely and effective compliance of the RBI instructions on Customer Service and also reviews the practices and procedures prevalent in Bank and takes necessary corrective steps on an ongoing basis. The suggestions emanating from the Branch Level Customer Service Committee meetings, which are held every month, are placed before the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Customer Services on quarterly basis. The feedback of the committee meetings is then put up to the Customer Service Committee of the Board of Directors.

For redressal of customer complaints, Our Bank has a policy in place on customer grievance redressal and the same is placed on the Bank's website. Bank is also having a well structured Customer Grievance Redressal Mechanism, due to which the outstanding complaints have also come down significantly. The General Manager, Operations & Services, is designated as Principal Nodal Officer for customer complaints in our Bank. Moreover, all Zonal Heads and Regional Heads are designated as Nodal Officers for their respective Zones and Regions. Further, the names of all Nodal Officers along with their contact numbers are displayed in all the branches of our Bank.

Our Bank views each complaint seriously and undertakes root cause analysis of the complaints for suitable remedial measures including updation of the systems, procedures and sensitization of employees. Our Bank has a web based online complaint registration and redressal portal named as Standardized Public Grievance Redressal System (SPGRS) for lodgment of complaint by the customers online. SPGRS also has a facility to capture suggestions/ feedbacks.

Our Bank has appointed an Internal Ombudsman designated as Chief Customer Service Officer (CCSO). The Bank's internal ombudsman is a forum made available to customers for grievance redressal before they approach the Banking Ombudsman. All complaints, which are rejected or partially accepted by the Bank, are examined by the Internal Ombudsman. It enhances the confidence of the customers in the Bank's systems and hastens the process of grievance redressal, making it more transparent.

Our Bank is also a member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and has adopted the "Code of Commitment to the Customers" and the "Code of Bank's Commitment to MICRO and Small Enterprises" prescribed by the BCSBI. These have been placed on our Bank's website and also made available to customers at the branches. BCSBI monitors the implementation of the codes inter-alia by visits to branches to find out the status of ground-level implementation of codes and studies complaints received from customers and orders / awards issued by Banking Ombudsmen / Appellate Authority to find out whether there

is any system-wide deficiency. During the rating exercise in 2016, our Bank has been rated "above average" in overall PSB category.

Vigilance

Our Bank gives importance to preventive vigilance to inculcate awareness on the compliance to internal systems and processes. In this connection, after root cause analysis of incidents of frauds, Bank has a system of conveying to the operating units about the deficiencies observed in observance of systems and procedures as a preventive vigilance measure. The employees are also sensitized about preventive vigilance through vigilance newsletter, circulars, meetings etc.

The concept of whistle blower is another effective tool for preventive vigilance. Our Bank has a well-defined whistle blower policy which acts as a deterrent for employees who may be prone to carrying out malicious activities. Bank has designed software which is used for lodgments of complaints online by the employees under whistle blower policy.

With the objective of bringing awareness among the staff about preventive vigilance and also to put forth consequences of flouting the rules and regulations which may lead to perpetration of frauds by unscrupulous elements, sensitive branches of the Bank are identified on the basis of risk perception and preventive vigilance audits are conducted.

To bring about greater transparency in procurement and tendering processes in the Bank, notice inviting tenders/ details of tenders awarded by the Bank and summary of tenders/ contracts concluded are put on the Bank's website. Standardized Public Grievance Redress System (SPGRS) for uniform implementation in PSBs is also operational.

Vigilance in the Bank aims at ensuring proper justice and fair play in the organization, protecting the innocent; supporting quality decisions and striving to bring the real offenders to book thereby eliminating forces that thwart integrity and cause loss to the Bank.

Human Resources

Our Bank truly believes that our human resources is our biggest differentiator having a direct and significant impact on our Bank's overall performance, both current and future. Our Bank has a rich reservoir of human resources comprising over 51,000 employees. As we march forward to realize the rising expectations of our stakeholders, it is imperative that our employees are motivated and fully engaged in the present dynamic and competitive environment. Bank's HR team has been working hard to address the challenges from a human resources standpoint through a plethora of initiatives viz. recruitment and onboarding of talent in the wake of a



large number seasoned bankers who are superannuating, focus on strengthening performance management through Project SparshPlus, addressing training needs, leadership development across the Bank, succession planning and higher levels of employee engagement aided by our first ever formally conducted employee engagement survey “Voice of Barodians”. Our Bank continues to take the lead in the conceptualization and execution of various HR transformation efforts, many of which have begun during FY 2017 and mark a first for Public Sector Banks in the country.

There were several positives that emerged from the “Voice of Barodians” Survey 2016 and also some areas that need to be strengthened further through a variety of action plans. These measures also include capability building initiatives to take on higher order challenges in the Bank’s transformation journey. Bank’s intent is to ensure that the employee experience across all levels is further enhanced so as to create a fun and happy place to work in. Towards this end, the Bank launched a series of initiatives for the employees, who are the main drivers for the Bank’s Business and the chief brand ambassadors for the Bank. These include:

Baroda Anubhuti Programme

This is an Employee Engagement programme for enhancing the employee experience at the workplace with initiatives such as Employee of the Month, Spot recognition – capturing “WoW” moments, “Zero Hour” (Fun hour) at all our branches/offices, local “community service / social activity” by employees, sports and wellness activities

WELEAD – A comprehensive Leadership Programme

Our Bank has introduced a comprehensive Leadership Development Initiative ‘WeLead’, based on behavioural competencies with the objective of building a robust and sustainable pipeline of leaders for the future. This is through the following 4 distinctive programmes:

- Baroda Senior Leadership Programme – for Officers in Scales VI & VII
- Baroda Emerging Leaders Programme – for Officers in Scales V
- Baroda Rising Stars Programme – for Officers in Scales IV
- Sayaji Rao Gaekwad Scholars Programme – for Officers in Scales I, II & III

Introduction of the Life Cycle Concept of Training

The Bank has introduced the Life Cycle Concept of Training which aims at imparting specific training programs at different levels which are aligned to the role requirements of employees at different stages of their career. Training has been aligned to specific job roles by introducing the concept

of mandatory courses required for each critical role. Our Bank has been continuously upgrading our capabilities in the area of Learning and Development and has adopted several innovative efforts for this.

Launch of ‘Sparsh Plus’

The Bank has also unveiled ‘Sparsh Plus’ with the objective of revamping the performance and talent management systems in our Bank, aided by the best-in-class technology and digital tools. Our intent is to ensure that our people processes and systems provide our staff with role clarity and empower them to perform their role more effectively, help employees in their development and enable them to enhance their overall contribution.

Bridging the talent deficit and augmenting skillsets

While our Bank has been undertaking hiring on a sustained basis year on year, to cater to business requirements, various recruitment exercises were undertaken during the year to address the emerging manpower needs of our Bank such as recruitment of specialist officers and probationary officers among others.

Our Bank has also on-boarded specialists from the market having skill sets, knowledge and competencies for various critical positions in the Bank with the objective of augmenting our internal team’s capabilities in various strategic areas for the future and for adopting the best practices in the Market/Industry.

Sayajirao Gaekwad Fellowship Programme

Our Bank has instituted the Sayajirao Gaekwad Fellowship Programme in March 2017 in support of Startup India and Standup India initiatives. The Fellowship Programme seeks to encourage young professionals with entrepreneurial ideas to gain a one year experience in the banking and financial services industry and obtain organizational support in development of their start up idea. In addition, the selected Fellows are supporting the execution of several strategic initiatives currently underway in the Bank.

Employee Helpline (HR-Helpline)

Our Bank has launched a central HR helpline for all the employees for resolving their queries/ issues on HR matters, support them in times of distress and help them tide over any emergency situation or any other hardship, which may impede their personal or professional life. There is a dedicated team at corporate office which monitors the Employee Helpline on real time basis and resolves the issues/grievances/queries promptly.

Career Progression

Concerted efforts have been taken by our Bank for fostering career progression of employees to reward them for their



performance and also to motivate them further to progress in their careers by fulfilling both the organizational as well as personal aspirations. Our Bank not only provides opportunities for upward movement in the hierarchy but also ensures horizontal movement of Officers across different functions to provide them wider exposure and carve out a definite career path for them.

Thrust on Diversity

Our Bank follows non-discriminatory and equal opportunity policies for all employees. Every employee in the organization has equal access to the available opportunities – whether they concern career progression, perquisites and benefits, welfare schemes, training, grievance redressal or other amenities. Promotion, career path, deployment and transfer policies are made open and transparent and all employees in the Bank are made aware of the same for uniform implementation.

In order to create a more diverse workplace, our Bank has been progressively increasing its recruitment of women employees over the last few years. The percentage of women in the overall staff composition has increased to 22.70% in FY 2017 from 22.05% in FY 2016.

In order to retain women employees at all levels and in recognition of the concomitant responsibilities of women, our Bank has put in place various facilities to support women employees such as sabbatical leave, health check program for women employees and other initiatives.

Implementation of Official Language (OL) Policy

During the year FY 2017, our Bank made outstanding progress in implementing the Official Language Policy of Government of India. Besides compliance of various statutory requirements under Official Language Policy of the Union Government and directives issued by Reserve Bank of India, our Bank promoted Hindi as a tool for business development and connecting with the customers.

Our Bank adopted a well-structured Annual Action Plan for Official Language in order to achieve various targets set by the Government of India under its Annual Action Plan 2016-17 and the assurances given to the Committee of Parliament on Official Language during its visits to various offices/branches of the Bank. Our Bank has made significant progress in achieving many of the major targets of the Annual Action Plan. Our Bank has fulfilled all the assurances given to the Committee of Parliament on Official Language within the stipulated time frame.

The Meetings of Central Official Language Implementation Committee were organized regularly on quarterly basis. Under the guidance received from the Committee, several new initiatives were taken during FY 2017. Bank took important initiatives of providing M-Clip Services in Hindi and Baroda

M-Connect Plus services in Hindi and Gujarati. Mobile Pass book services are being extended to our customers in Hindi and six other Regional Languages. The Bank also provided Online complaint module i.e. SPGRS services in Hindi for convenience of the customers. All alternate delivery channels viz. Self passbook printing machines, cheque deposit machines, cash deposit machines, Multi function Kiosks, Account Opening Kiosks etc. were equipped with Hindi user interface for the convenience of customers. All ATMs of the Bank were enabled for printing of transaction slips and mini statements in Hindi and major regional languages for the convenience of customers selecting Hindi or the language concerned as the language of their choice for interaction with the machine. As a major IT enabled initiative, Bank launched transactional SMS services in Hindi and 11 other Regional Languages on the occasion of World Hindi Day 2017.

During the year, our Bank organized an All India Seminar on “**Demonetization and Digital India**” in New Delhi wherein representatives/speakers/participants from different Public Sector Banks took part. An Inter Bank Seminar was organized at Corporate Office, Mumbai on “**Importance and Challenges of Language in Digital Era**”, which was attended by the Heads/representatives of OL and IT Departments of various PSBs/FIs in Mumbai. This initiative earned accolades from the RBI and Government of India and Parliamentary Committee on Official language. Our Bank celebrated **World Hindi Day** in January, 2017 at its overseas territories which was attended by eminent personalities related to Hindi Literature and valued customers and officials of Indian Embassies.

Our Bank has instituted an award namely “Maharaja Sayajirao Bhasha Samman” in memory of its founder Maharaja Sir Sayaji Rao Gaekwad-III. The award consists of a Citation/Memento and cash award of ₹ 1.51 lakh. During the year, Bank honoured Shri Ashutosh Rana, the eminent Actor and poet with this award.

Bank has expanded the ambitious initiative of regional language training to its employees across various linguistic regions so that they learn the basics of the concerned regional languages which would help them in discharging their duties well while dealing with the local customers.

The Third Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language visited Bank's branches/offices at Mount Abu and Alwar during the year. The Committee appreciated the efforts put in by the Bank for progressive use of Hindi. All the assurances given to the Committee have been fulfilled within the prescribed time frame. Our Bank was awarded Second prize for 'A' and 'B' linguistic Regions and consolation prize for Region 'C' by Reserve Bank of India (RBI) under the RBI Rajbhasha Shield Competition. Besides, Bank's bilingual house journal Bobmaitri also received Third Prize. Jaipur, Varanasi, Goa, Guwahati, and Jodhpur offices of our Bank



received awards from Govt. of India through its Regional Implementation Offices for their outstanding work. Bank also received Second Prize from Maharashtra State Level Bankers Committee. Bank continued with its unique scheme “Medhavi Vidyarthi Samman Yojana” for popularising Hindi amongst the students’ community. Under this scheme, cash prizes and commendation certificates are given to the two of the students securing First and Second positions in M.A. (Hindi) examinations. This scheme, at present, is applicable in 64 universities of the country.

In compliance to the directives of Government of India as per Annual Action Plan, Bank carried out Official Language inspection of overseas branches at Fiji, Australia and New Zealand to promote and propagate Hindi amongst local staff members and conducted Hindi Workshop for them. Our Bank published books in Hindi during the year viz. “Grameen Viprananam Banking Vyavasay” by Corporate Office, “Banking Paridrishya” by Jaipur, “Banking ke Vividh Aayam” by Baroda, “Banking – NayaDaur, NayaParivesh” by Pune and “Maangjama Rashayan – Banking ka Aadhar” by New Delhi offices for providing qualitative/informative reading material in Hindi language.

Domestic Subsidiaries and Joint Ventures

The performance of the Bank’s Domestic Subsidiaries and Associates was satisfactory during FY 2017.

BOB CARDS Limited is a wholly owned subsidiary of the Bank and is into the business of issuance of Credit Cards and Merchant Acquiring. Gradually, widening its scope of work based on the skill-sets and expertise acquired in the payment card industry over a period of time, Bobcards Ltd. undertook ancillary activity of providing support services to our Bank’s debit card operations.

Envisaging huge growth opportunities for cards and digital payments in India, the Company is gearing up to be a consumer credit and payment leader in the evolving market landscape by introducing new business lines under the NBFC domain besides revamping the existing businesses. Bobcards Ltd. aims to be a consumer finance company for Credit Card (CC) and Personal Loans (PL) business. In addition, it will provide product and servicing capabilities for POS business and sourcing of Retail/SME products for the Bank.

FY 2017 witnessed various initiatives undertaken by the company for its overall growth. In the wake of demonetization, in order to promote cashless transactions, Bank launched a nationwide campaign for enrollment of new POS merchants during November and December 16 whereby more than 60,000 new POS installations were carried out and POS base increased to over 85,000. Post-demonetization, the POS transaction volumes scaled up to ₹ 30 crore per day as against earlier volume of ₹ 8 crore. The number of transactions also increased from 25,000 per day to 2 lakh transactions per

day. The monthly transaction volume increased from ₹ 244 crore to ₹ 700 crore. Bobcards has successfully expanded its POS Product Suite by adding m-POS (Mobile POS Terminals) and QR based acquiring (m-VISA& Bharat QR Code). The company continued to focus on issuance of quality cards, resultant to which transaction volumes through Credit Card Business increased significantly. The process of tapping the potential in the travel segment has been initiated to bring more such agents to our fold. Total 24,770 new cards have been issued till February 2017 despite the shift in thrust for POS installation after de-monetization. As a mass marketing initiative, Bobcards has tie-up with XLRI, Jamshedpur for issuance of Co-branded cards to its alumni.

Providing prompt and courteous service to customers continued to be the major strength of the Company, which not only enabled it to emerge as a customer friendly organization but also helped in retaining quality customers. Quick grievance redressal approach resulted in high level of customer satisfaction and response.

BOB Capital Markets Limited is a wholly owned subsidiary established by Bank in 1996. Main businesses of BOBCAPS are Investment Banking (Debt Restructuring, Project Finance, M&A, Debt Capital Markets and Equity Capital Markets), Institutional & Retail Equity Broking and Distribution of Financial Products. The Company also has a license for Portfolio Management Services (PMS). During FY 2017, the Company has embarked on a significant scale up in its key businesses. The company has successfully strengthened its teams in businesses such as Investment Banking, Broking and Wealth Management / Distribution- to be able to leverage strengths of our Bank and establish BOBCAPS as one of the leading and most respected player in its businesses.

The Nainital Bank Limited was promoted by Late Bharat Ratna Pandit Govind Ballabh Pant and others became an Associate Bank of Bank of Baroda in the year 1973. Shareholding of our Bank in Nainital Bank Ltd. is 98.57%. The Total Business of Bank which was ₹ 8,049.22 crore as of March 31, 2016 has increased to ₹ 10,132.66 crore as of March 31, 2017, showing growth of 25.88%. Bank has opened 11 new branches & established 5-Loan processing units by the name Naini Loan Points (NLPs). Bank also installed 13 white label ATMs with collaboration with TCPSSL. Bank issued 22,688 debit cards to its customers during FY 2017.

Baroda Pioneer Asset Management Company Limited, a Joint Venture with Pioneer Global Asset Management SpA, is in its eighth year of operation. In light of a good year for the Mutual Fund Industry, Baroda Pioneer Asset management Company has also been able to increase its AUM. The average AUM of the company for FY 2017 was ₹ 10,535 crore. Further, the company has improved its asset mix, with share of liquid reducing and that of fixed income going up. This helped the company to maintain its budgeted margins during the year. The company continued to focus on developing



the banking and IFA channels for distribution. This helped in getting the flows in the fixed income and equity segments. The company's SIP book is also growing steadily and has seen inflows from beyond the top 15 towns of the country. Gathering assets in equity funds and building the momentum in fixed income segment continues to be the top agenda for the company. The company continues to explore enhanced technological solutions to continuously improve its service delivery.

IndiaFirst Life Insurance Company Ltd a joint venture company with Andhra Bank and Legal & General group, commenced its business operations on November 16, 2009 and has received an overwhelming response for its products across the country. IndiaFirst is amongst the fastest Life Insurance Company to break even in the 5th year of operation and its industry ranking is 8th among the private players with market share of 4.5% and AUM (Asset under Management) at ₹ 9,061 crore as of March 31, 2017.

India Infradebt Limited (Infradebt) It is the first Infrastructure Debt Fund (IDF) under a non-banking finance company structure set up and was promoted by ICICI Bank Limited, Bank of Baroda, Citicorp Finance (India) Limited and Life Insurance Corporation of India in which Bank is holding 30% stake. The Company's principal activity is to re-finance part of the debt liabilities of the Infrastructure Projects which have completed one year of commercial operations. The Company has made aggregate disbursements of ₹ 4,712 crore to 22 road projects under PPP format awarded by NHAI, 18 renewable energy projects and two other Infrastructure projects (Hospitals) as of March 31, 2017. As of March 31, 2017, India Infradebt Ltd. has raised a total of ₹ 4,205 crore of funds through Non-Convertible Debentures.

Baroda Global Shared Services Ltd. It is a newly formed wholly owned subsidiary of our Bank. The subsidiary is formed with the objective of migrating some of the back-office processes to handle through a centralized set up. The Company is yet to be operationalised.

A brief synopsis of domestic subsidiaries, associates and Joint Ventures is as below:

(₹ in lakh)

Entity (with date of registration)	Owned Funds	Total Assets	Net Profit	Offices	Staff
BOB Capital Markets Ltd. (11.03.1996)	16,317	16,554	560	1	57
BOBCARDS Ltd. (29.09.1994)	23,647	35,651	2,644	38	135
Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. (05.11.1992)	4,864	6,150	107	3	75
Baroda Pioneer Trustee Co Pvt Ltd. (23.12.2011)	8	11	1	1	0
IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd. (05.11.2009)	55,061	1,11,248	3,517	24	1,294
The Nainital Bank Ltd. (31.07.1992)	56,969	7,699	4,846	353	922
India Infradebt Ltd. (31.10.2012)	42,006	4,93,942	4,810	1	17
BOB Shared Services Ltd. (15.03.2017)	12	-	-	1	-
Operations yet to be started					

Awards and Accolades

During FY 2017, our Bank has won following awards and accolades on both business and financial parameters.

Date	Awards
15.02.2017	Bank was awarded 2 nd prize by Maharashtra State Level Bankers Committee in the area of Official Language Implementation during 2015-16 under Rajbhasha Shield Yojana under Public sector Category held in Pune.
14.02.2017	Bank was awarded for "Excellence in Banking, (PSU Sector)" and "Excellence in Education Loan" at 7 th My FM Stars of the Industry awards for Excellence in Banking, Insurance and Financial Services held in Mumbai on 14 th February, 2017.
08.02.2017	Bank was awarded Amity Corporate Excellence Award for being the First Bank to Launch Digital Portal Branch by Amity University, Noida & Greater Noida Campus. The Award received during 17 th International Business Horizon Inbush Era World Summit 2017 on 8 th to 10 th February 2017 held at Noida.

16.12.2016	Bank was awarded in three categories: Skoch Award Platinum- Banking Category; Skoch Award Platinum for Cash on Mobile and Skoch Award Platinum for Digital Portable Branch by Skoch Group. The Award received during Skoch Technologies for Growth Award 2016 held at New Delhi on 16 th December, 2016.
26.10.2016	Bank won -4- Awards at the 56 th Association of Business Communicators of India (ABCI) Awards as under: 1. Bank's Wall Calendar 2016 – Bronze 2. Bilingual Publications – Bronze 3. Special Column (English) – Bronze 4. Features (Language) – Akshayyam - Silver
23.09.2016	Bank received 'The Best Official Language Implementation' award and special award for Bank's Hindi Magazine 'Akshayyam' for the year 2016 by reputed Literary Organization "Aashirwad" at Mumbai.
31 st Aug to 6 th Sept. 2016	Bank ranked 21 st amongst Best Indian Brands 2016 in Brand Equity – The Economic Times dated 31 st August to 6 th September, 2016.
01.09.2016	Bank was awarded runner-up-award - 'Public Sector Bank' category for the year 2013-14 at 'FE India's Best Bank' by The Financial Express (FE) a function held in Mumbai on 01.09.2016



Registrar & Share Transfer Agent, Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances

Bank has established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai wherein Shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also lodge their complaints online through SPGSR.

Dividend Distribution Policy

As required under Regulation 43A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, our Bank has a dividend distribution policy in place which sets out the parameters and circumstances that will be taken into account by Board in determining distribution of dividend to its shareholders. The policy is given in this Annual Report and is also available on the Bank's website at www.bankofbaroda.com/download/Dividend.pdf

Board of Directors (Appointment /Cessation of Directors during the year)

Appointments

Prof. Biju Varkkey was nominated as a Part Time Non-Official Director w.e.f. 25.04.16 by the Central Government u/s 9(3)(h) and (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

Shri Gopal Krishan Agarwal was nominated as Part-time Non-Official Director w.e.f. 26.07.16 by the Central Government u/s 9(3)(g) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, under Chartered Accountant category for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

Shri Ashok Kumar Garg was appointed as Executive Director by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f. 9th August, 2016 for a period upto 30.06.2018 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Smt. Papia Sengupta was appointed as Executive Director by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f. 1st January, 2017 for a period upto 30.09.2019 i.e. the date of her attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Shri Ajay Kumar was nominated as Director by the Central Government u/s 9(3)(c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f. 13th January, 2017 to hold the post until further orders.

Cessations

Shri Bhuwanchandra B Joshi, Executive Director, ceased to be Executive Director w.e.f. 1st January, 2017 on his attaining the age of superannuation from the Bank's service.

Smt. Surekha Marandi, Director, ceased to be a Director w.e.f. 13th January, 2017 on the appointment of Shri Ajay Kumar in her place.

Board Evaluation

Bank engaged the services of a reputed external specialist firm to conduct an independent Board evaluation and review of overall effectiveness of the Board. The firm's global methodology for conducting board reviews was followed for this purpose. This entailed effectiveness assessment of the following areas of the Board - a) Board strategy and alignment, b) Management of the Board by the Chairperson, c) Functioning of the Board committees, d) Relationship between the Board and the management team, e) Quality of the Board processes, f) Board composition and g) Quality of discussions/decisions taken by the Board in key areas like risk management, talent etc. In addition, at an individual level, members of the Board were assessed in areas like a) Overall engagement and alignment, b) Quality of their contribution, c) Openness in listening and receiving feedback, d) Ability to challenge and take/oppose tough decisions etc.

For conducting the assessment a combination of three methods was followed. This included in depth structured one on one interviews with all members of the Board. In addition, key personnel of the Bank such as the CFO and Company Secretary were also interviewed. The review team attended Board meetings and committee meetings to observe and study the Board dynamics in a live environment. The minutes of the previous Board and committees meetings and the Board materials used to present policies and support decisions were analyzed.

The results of the review were shared with the Chairman and the Board members in a daylong session. As part of this session a workshop was conducted in September 2016 to determine and align on key next steps and actions that the Board and management agreed to undertake following from the Board review. A follow on session was conducted in April 2017 to assess the effectiveness of the actions. It was unanimously concluded that significant progress had been made in a short span of time.

Auditors' Compliance Certificate on Corporate Governance:

The Auditors Compliance Certificate regarding the compliance of the conditions of Corporate Governance for the year 2015-16 is annexed with this report pursuant to "Part "E" of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.



Business Responsibility Report

Business Responsibility Report as required by SEBI has been hosted on the website of the Bank (www.bankofbaroda.co.in). Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary of the Bank.

Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended March 31, 2017:

- a) the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures if any;
- b) the accounting policies framed in accordance with the guideline of Reserve Bank of India were followed and the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;
- c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws to the Bank for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- e) the directors had ensured that internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

Explanation. For the purposes of this clause, the term "internal financial controls" means the policies and procedures adopted by the Bank for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information;

- f) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Acknowledgements

The Directors place on record their appreciation for the contributions made by the outgoing Directors viz. Shri Bhuwanchandra B Joshi and Smt. Surekha Marandi.

The Directors express their sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, other regulatory authorities and overseas regulators for their continued co-operation, guidance and support.

Bank would like to take this opportunity to express sincere thanks to its valued clients and customers for their continued patronage and support.

The Directors acknowledge with deep appreciation of the cooperation extended by all shareholders, banks and financial institutions, rating agencies, stock exchanges and all the well wishers in India and abroad.

The Directors also take this opportunity to place on record deep appreciation for the hard work and dedication of the employees of our Bank which enabled our Bank to record growth with quality year after year despite economic challenges and consolidate its position as one of the premier banks in the country.

For and on behalf of the Board of Directors,

P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

**कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र- 2016-17 :****Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance – 2016-17 :**

प्रति

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण,

हमने सेबी (सूचीयन दायित्व करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के अंतर्गत बैंक द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक अपनायी गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो कोई लेखा-परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के बारे में आश्वासन है।

To:

The Members of Bank of Baroda,

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Baroda, for the year ended 31st March 2017, as stipulated in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Regulations.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263N
For Wahi & Gupta
Chartered Accountants
FRN : 002263N

कृते एस आर गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537C
For S R Goyal & Co
Chartered Accountants
FRN : 001537C

कृते रोडी दबीर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846W
For Rodi Dabir & Co.
Chartered Accountants
FRN : 108846W

कृते कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:
For Kalyaniwalla & Mistry LLP
Chartered Accountants
FRN : 104607W/W100166

(वाय. के. गुप्ता)
भागीदार
एम नं. 016020
Y. K. Gupta
Partner
M No. : 016020

ए. के. अटोलिया
भागीदार
एम नं. 077201
A. K. Atolia
Partner
M No.: 077201

आशीष बाडगे
भागीदार
एम नं. 121073
Aashish Badge
Partner
M No.: 121073

डैराइस फ्रेजर
भागीदार
एम नं. 042454
Daraius Fraser
Partner
M No.: 042454

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18 मई, 2017
Place: Mumbai
Date: 18th May 2017



कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2016-17 Corporate Governance Report 2016-17

1. गवर्नेंस संहिता के बारे में बैंक का दर्शन

बैंक, उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करते हुए, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा बल्कि स्वेच्छापूर्वक कड़ी कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को निष्पादित करते हुए उनका पालन भी करेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा, अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है। बैंक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुपालन के प्रति भी प्रतिबद्ध है। बैंक अपने सभी हितधारकों, जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार, कर्मचारी, लेनदार और व्यापक तौर पर जनता भी शामिल है, को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सघन प्रयास करता रहेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 अर्थात् बैंककारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत निकाय कार्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः बैंक सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा, जहां तक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रि. जर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक मंडल

(ए) निदेशक मंडल का स्वरूप

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मण्डल का स्वरूपनिम्नानुसार है:

1.	श्री रवि वेंकटेशन	- गैर- कार्यपालक अध्यक्ष	Shri Ravi Venkatesan	- Non-Executive Chairman
2.	श्री पी.एस. जयकुमार	- प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.	Shri P. S. Jayakumar	- Managing Director & CEO
3.	श्री मयंक के. मेहता	- कार्यपालक निदेशक	Shri Mayank K. Mehta	- Executive Director
4.	श्री अशोक कुमार गर्ग	- कार्यपालक निदेशक	Shri Ashok Kumar Garg	- Executive Director
5.	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	- कार्यपालक निदेशक	Smt. Papia Sengupta	- Executive Director
6.	श्री मोहम्मद मुस्तफा	- निदेशक (गैर कार्यपालक- भारत सरकार के प्रतिनिधि)	Shri Mohammad Mustafa	- Director [Non-Executive - Representing GOI]
7.	श्री अजय कुमार	- निदेशक (गैर कार्यपालक- आरबीआई के प्रतिनिधि)	Shri Ajay Kumar	- Director [Non-Executive - Representing RBI]

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels and maximizing returns with optimal use of resources in pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best international practices. The Bank shall strive hard to serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, government, employees, creditors and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

(a) Composition of the Board

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2017 is as under:



8.	श्री प्रेम कुमार मक्कड़	- निदेशक (गैर- कार्यपालक प्रतिनिधि) - निदेशक (गैर- कामगार प्रतिनिधि)	Shri Prem Kumar Makkar	- Director [Non-Executive - Representing Non-workmen]
9.	श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल	- निदेशक (गैर कार्यपालक-धारा 9(3) (पी)-सीए के तहत)	Shri Gopal Krishan Agarwal	- Director [Non-Executive - under Section9(3)(g)-CA]
10.	प्रो. बिजू वरुकी	- निदेशक (गैर कार्यपालक-धारा 9(3)(एच) के तहत)	Prof. Biju Varkkey	- Director [Non-Executive - under Section 9(3)(h)]
11.	डॉ. आर. नारायणस्वामी	- निदेशक (गैर कार्यपालक - शेयरधारकों के प्रतिनिधि)	Dr. R. Narayanaswamy	- Director [Non-Executive - Representing Shareholders]
12.	श्री भरतकुमार डी. डांगर	- निदेशक (गैर कार्यपालक - शेयरधारकों के प्रतिनिधि)	Shri Bharatkumar D. Dangar	- Director [Non-Executive - Representing Shareholders]
13.	श्रीमती उषा ए. नारायणन	- निदेशक (गैर कार्यपालक - शेयरधारकों के प्रतिनिधि)	Smt. Usha A. Narayanan	- Director [Non-Executive - Representing Shareholders]

क्र. सं Sr. No.	नाम Name	श्रेणी / पदनाम Category / Position Held	31.03.2017 को बैंक ऑफ बडौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03. 2017	बैंक की उप समितियों की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub -Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों / संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशक के रूप में हैं No. of Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप- समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2017 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Entities) (As on 31.03.2017)
1	श्री रवि वेंकटेशन Shri Ravi Venkatesan	अध्यक्ष (गैर-कार्यपालक) Chairman (Non-Executive)	1750	5	6	-	<p>(उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 93 (एच) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 14082015 से 3 वर्ष के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंशकालिक अशासकीय निदेशक के साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त.</p> <p>वह निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 इंफोसिस लि. 2 यूएसएफ एडवाइजर एलएलपी 3 रॉकफेलर फाउंडेशन 4 एसवीपी फिलांथ्रोपी इंडिया फाउंडेशन - संस्थापक अध्यक्ष 5 सीआरईएटीई.ओआरजी (सेंटर फॉर रेस्पेन्सिबल एन्टरप्राइज एण्ड ट्रेड)- वारिंगटन डीसी 6 अलाएस फॉर पीसबिल्डिंग- वारिंगटन डीसी <p>Appointed as a Part Time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman by the Central Government u/s 9(3)(h) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 14.08.2015 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.</p>



क्र. सं Sr. No.	नाम Name	श्रेणी / पदनाम Category / Position Held	31.03.2017 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03. 2017	बैंक की उप समितियों की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub -Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों / संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशक के रूप में हैं No. of Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank	अन्य कम्पनियों के बोर्ड की उप- समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक / अन्य कम्पनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2017 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Entities) (As on 31.03.2017)
							He is also on the Board of: 1. Infosys Ltd. 2. USF Advisors LLP 3. Rockefeller Foundation 4. SVP Philanthropy India Foundation – Founder Chairman 5. CREATE.org. (Centre for Responsible Enterprise and Trade) –Washington DC 6. Alliance for Peacebuilding – Washington DC
2	श्री पी एस जयकुमार Shri P S Jayakumar	प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. (कार्यपालक) Managing Director & CEO (Executive)	14500	12	4	-	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 13.10.2015 से 3 वर्ष के लिए या आगामी अदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. के रूप में नामित पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त. वह निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी हैं- 1 बॉब कैपिटल मार्केट्स लि. 2 इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्यूरेंस कं. लि. 3 बॉबकार्ड्स लि. 4 इंडिया इन्टरनेशनल बैंक मलेशिया बेरहद (जेवी) Appointed as Whole Time Director designated as Managing Director & CEO by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 13.10.2015 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier. He is also on the Board of: 1. BOB Capital Markets Ltd. 2. India First Life Insurance Co. Ltd. 3. BOBCARDS Ltd. 4. India International Bank Malaysia Berhad (JV)



क्र. सं Sr. No.	नाम Name	श्रेणी / पदनाम Category / Position Held	31.03.2017 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03. 2017	बैंक की उप समितियों की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub -Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों / संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशक के रूप में हैं No. of Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप- समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2017 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Entities) (As on 31.03.2017)
3	श्री मयंक के मेहता Shri Mayank K. Mehta	कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Executive Director (Executive)	शून्य NIL	8	6	शून्य Nil	<p>बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 22.01.2016 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे 30.09.2018 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे.</p> <p>वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि. 2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि. 3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि. 4. इंडो जाम्बिया बैंक लि. 5. बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कं. लि. 6. नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया <p>Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 22.01.2016 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office up to 30.09.2018 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.</p> <p>He is also on the Board of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank of Baroda (Ghana) Ltd. 2. Bank of Baroda (Botswana) Ltd. 3. Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. 4. Indo Zambia Bank Ltd. 5. Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. 6. National Payment Corporation of India
4	श्री अशोक कुमार गर्ग Shri Ashok Kumar Garg	कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Executive Director (Executive)	250*	8	3	शून्य NIL	<p>बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 09.08.2016 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे 30.06.2018 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे.</p> <p>वे वह निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गयाना) लि. 2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो) लि. 3. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्स सर्विसेज लि.



क्र. सं Sr. No.	नाम Name	श्रेणी / पदनाम Category / Position Held	31.03.2017 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03. 2017	बैंक की उप समितियों की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub -Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों / संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशक के रूप में हैं No. of Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank	अन्य कम्पनियों के बोर्ड की उप- समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक / अन्य कम्पनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2017 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Entities) (As on 31.03.2017)
							Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 09.08.2016 by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period upto 30.06.2018 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. He is also on the Board of: 1. Bank of Baroda (Guyana) Ltd. 2. Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd. 3. Baroda Global Shares Services Ltd
5	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता Smt. Papia Sengupta	कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Executive Director (Executive)	शून्य NIL	12	NIL	शून्य NIL	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 01.01.2017 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे 30.09.2019 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगी. Appointed as Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 01.01.2017 by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period upto 30.09.2019 i.e. the date of her attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.
6	श्री मोहम्मद मुस्तफा Shri Mohammad Mustafa	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Central Government	शून्य NIL	7	1	शून्य NIL	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (बी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 25.11.2014 से निदेशक के रूप में नामित. वे आगामी आदेशों तक अपने पद पर रहेंगे. वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी हैं- 1. द न्यू इंडिया एश्यरेंस कं. लि. Nominated as a Director w.e.f. 25.11.2014 by The Central Government u/s 9 (3) (b) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders. He is also on the Board of: 1. The New India Assurance Company Ltd.



क्र. सं Sr. No.	नाम Name	श्रेणी / पदनाम Category / Position Held	31.03.2017 को बैंक ऑफ बडौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03. 2017	बैंक की उप समितियों की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub -Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों / संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशक के रूप में हैं No. of Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप- समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2017 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Entities) (As on 31.03.2017)
7	श्री अजय कुमार Shri Ajay Kumar	निदेशक (गैर कार्यपालक) भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Reserve Bank of India	शून्य NIL	5	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 13.01.2017 से निदेशक के रूप में नामित. वे अगले आदेशों तक अपने पद पर रहेंगे. Nominated as a Director w.e.f. 13.01.2017 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.
8	श्री प्रेम कुमार मक्कड Shri Prem Kumar Makkar	निदेशक (गैर कार्यपालक) गैर वर्कमैन कर्मचारियों के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Non-Workmen employees	5	6	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एफ) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 19.09.2014 से अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त. वे तीन वर्ष की अवधि के लिए या बैंक के अधिकारी रहने या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे. Nominated as Officer Employee Director w.e.f. 19.09.2014 by the Central Government u/s 9 (3) (f) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or till he ceases to be an Officer of the Bank or until further orders, whichever is earlier.
9	श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल Shri Gopal Krishan Agarwal	निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non- Executive)	शून्य NIL	3	5	2	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (जी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 26.07.2016 से चार्टर्ड एकां उन्टेड श्रेणी के तहत अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में 3 वर्षों या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नामित. वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी हैं:- 1. प्रोफेशनल डाटा सिस्टम प्रा. लि. 2. गंगोत्री ओवरसीज प्रा. लि. 3. जेनुयिन क्रिएसंस प्रा. लि. 4. नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लि. 5. जलाधिकार फाउंडेशन Nominated as Part-time Non-official Director w.e.f. 26.07.2016 by the Central Government u/s 9(3)(g) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of



क्र. सं Sr. No.	नाम Name	श्रेणी / पदनाम Category / Position Held	31.03.2017 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03. 2017	बैंक की उप समितियों की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub -Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों / संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशक के रूप में हैं No. of Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप- समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2017 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Entities) (As on 31.03.2017)
							Undertakings) Act, 1970, under Chartered Accountant category for a period of three years or until further orders, whichever is earlier. He is also on the Board of: 1. Professional Data System Pvt. Ltd. 2. Gangotri Overseas Pvt. Ltd. 3. Genuine Creations Pvt. Ltd. 4. North Eastern Electric Power Corporation Ltd. 5. Jaladhikar Foundation
10	प्रो. बिजू वार्ककी Prof. Biju Varkkey	निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non-Executive)	शून्य NIL	4	3	3	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एच) तथा 9 (3- ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 25.04.2016 से अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में 3 वर्षों या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नामित. वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी हैं- 1. पश्चिम गुजरात विज कंपनी लि. 2. कनेक्ट सीएसआर इंपैक्टर्स प्रा. लि. 3. हसीस कंसल्टिंग लि. Nominated as a Part Time Non-official director w.e.f. 25.04.2016 by the Central Government u/s 9(3)(h) and 9(3-A) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier. He is also on the Board of: 1. Paschim Gujarat Vij Company Ltd. 2. Konnect CSR Impactors Pvt. Ltd. 3. Husys Consulting Ltd.
11	डॉ. आर. नारायणस्वामी Dr. R. Narayanaswamy	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों में से निर्वाचित	500	4	1	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत शेयरधारक निदेशक के रूप में 24.12.2014 से 23.12.2017 तक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित. वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी हैं- 1. मेंबर ऑन द बोर्ड ऑफ़ रिसर्च स्टडीज ऑफ़ इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नै.



क्र. सं Sr. No.	नाम Name	श्रेणी / पदनाम Category / Position Held	31.03.2017 को बैंक ऑफ़ बडौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03. 2017	बैंक की उप समितियों की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub -Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों / संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशक के रूप में हैं No. of Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप- समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2017 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Entities) (As on 31.03.2017)
		Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government					Declared elected as Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 24.12.2014 to 23.12.2017. He is also on the Board of: 1. Member on the Board of Research Studies of the Indian Maritime University, Chennai
12	श्री भरतकुमार डी. डांगर Shri Bharatkumar D. Dangar	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	500	7	2	-	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत शेयरधारक निदेशक के रूप में 24.12.2014 से 23.12.2017 तक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित. वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी हैं- 1. इन्टरनेशनल एंड डोमेस्टिक आरबीट्रेशन सेंटर 2. विश्वामित्री रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. Declared elected as Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 24.12.2014 to 23.12.2017. He is also on the Board of: 1. International and Domestic Arbitration Centre 2. Vishwamitri River Front Development Corporation Ltd.
13	श्रीमती उषा ए. नारायणन Smt. Usha A. Narayanan	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	500	4	1	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत शेयरधारक निदेशक के रूप में 12.12.2015 से 11.12.2018 तक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित. वे निम्नलिखित निदेशक मंडल में भी हैं: 1. सोशल वेंचर एसवीपी फिलांथ्रोपी फाउंडेशन Declared elected as Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 12.12.2015 to 11.12.2018. She is also on the Board of: 1. Social Ventures SVP Philanthropy Foundation.



(बी) वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / कार्यसमाप्ति

नियुक्तियां :

प्रो. बिजू वकर्की बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एच) तथा 9 (3-ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 25.04.2016 से 3 वर्ष के लिए या आगामी अदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंशाकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह मानव संसाधन के व्यक्ति हैं तथा मौजूदा समय में आईआईएम अहमदाबाद के संकाय सदस्य हैं।

श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (जी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 26.07.2016 से 3 वर्ष के लिए या आगामी अदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंशाकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें सनदी लेखाकार का व्यापक अनुभव है।

श्री अशोक कुमार गर्ग बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 09.08.2016 से 30.06.2018 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उन्हें बैंक ऑफ़ बड़ौदा में बैंकिंग परिचालन, ऋण प्रबंधन, प्रोजेक्ट प्रबंधन, अनुपालन, प्रशिक्षण एवं विकास, अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन आदि में 38 वर्षों का बैंकिंग अनुभव प्राप्त है।

श्रीमती पापिया सेनगुप्ता बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 01.01.2017 से 30.09.2019 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। उन्हें एसबीआई ग्रुप में महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे आईटी सुरक्षा, एएलएम, एचआर, ट्रेजरी प्रबंधन आदि में व्यापक बैंकिंग अनुभव प्राप्त है।

श्री अजय कुमार बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 13.01.2017 से अगले आदेशों तक निदेशक के रूप में नामित किए गए हैं। वे भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

कार्यसमाप्ति

श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, कार्यपालक निदेशक, बैंक की सेवा से अधिवर्षिता की उम्र प्राप्त करने पर 01.01.2017 से कार्यपालक निदेशक नहीं रहे।

श्रीमती सुरेखा मरांडी के स्थान पर श्री अजय कुमार की नियुक्ति होने के कारण 13.01.2017 से निदेशक नहीं रहीं।

(सी) 20वीं वार्षिक सामान्य बैठक

वि.व. 2015-16 के लिए बैंक की शेयरधारकों की 20वीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, 24 जून, 2016 को वडोदरा में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेशक मौजूद थे।

(b) Appointments / Cessation of Directors during the Year:

Appointments:

Prof. Biju Varkkey has been nominated as a Part Time Non-official director w.e.f. 25.04.2016 by the Central Government u/s 9(3)(h) and 9(3-A) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier. He is person of Human Resources and currently a faculty member at IIM Ahmedabad.

Shri Gopal Krishan Agarwal has been nominated as Part-time Non-official Director w.e.f. 26.07.2016 by the Central Government u/s 9(3)(g) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, under Chartered Accountant category for a period of three years or until further orders, whichever is earlier. He is Chartered Accountant with rich experience.

Shri Ashok Kumar Garg has been appointed as Executive Director by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 09.08.2016 for a period upto 30.06.2018 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. He has banking experience with Bank of Baroda of over 38 years in diverse banking operations, credit management, project management, compliance, training & development, international operations etc.

Smt. Papia Sengupta has been appointed as Executive Director by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 01.01.2017 for a period upto 30.09.2019 i.e. the date of her attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier. She has rich banking experience with SBI group across various key areas such as IT Security, ALM, HR, Treasury Management etc.

Shri Ajay Kumar has been nominated as Director by the Central Government u/s 9(3)(c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 13.01.2017 to hold the post until further orders. He holds the position of Regional Director, Reserve Bank of India, Lucknow.

Cessations:

Shri Bhuvanchandra B Joshi Executive Director, ceased to be Executive Director w.e.f. 01.01.2017 on his attaining the age of superannuation from the Bank's service.

Smt. Surekha Marandi, Director, ceased to be a Director w.e.f. 13.01.2017 on the appointment of Shri Ajay Kumar in her place.

(c) 20th ANNUAL GENERAL MEETING

The 20th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank for FY 2015-16 was held on Friday, 24th June 2016 at Vadodra, where the following Directors were present.



1	श्री रवि वेंकटेशन	अध्यक्ष	Shri Ravi Venkatesan	Chairman
2	श्री पी.एस. जयकुमार	प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.	Shri P. S. Jayakumar	Managing Director & CEO
3	श्री बी.बी. जोशी	कार्यपालक निदेशक	Shri B. B. Joshi	Executive Director
4	श्री मयंक के. मेहता	कार्यपालक निदेशक	Shri Mayank K. Mehta	Executive Director
5	श्री प्रेम कुमार मक्कड	निदेशक (गैर-वर्कमैन)	Shri Prem Kumar Makkar	Director (Non-workmen)
6	डॉ. आर. नारायणस्वामी	निदेशक (शेयरधारक) - एसीबी के अध्यक्ष	Dr. R. Narayanaswamy	Director (Shareholder)- Chairman ACB
7	श्री भारतकुमार डी. डांगर	निदेशक (शेयरधारक)	Shri Bharatkumar D Dangar	Director (Shareholder)
8	प्रो. बिजू वर्की	निदेशक	Prof. Biju Varkkey	Director
9	श्रीमती उषा ए. नारायणन	निदेशक (शेयरधारक)	Smt. Usha A Narayanan	Director (Shareholder)

(डी) निदेशक मंडल की बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की -15- बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खण्ड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम -6- बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है।

(d) Board Meetings

During the Financial Year 2016-17, total -15 - Board Meetings were held on the following dates as against minimum of -6- meetings prescribed under Clause 12 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

12.05.2016	13.05.2016	24.06.2016	20.07.16	10.08.2016
11.08.2016	21.09.2016	18.10.2016	11.11.2016 (11.30 a.m.)	11.11.2016 (4.30 p.m.)
21.12.2016	17.01.2017	23.01.2017	10.02.2017	16.03.2017

निदेशक मण्डल की उपयुक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है, जो उनके कार्यकाल से संबद्ध है:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री रवि वेंकटेशन	Shri Ravi Venkatesan	01.04.2016 to 31.03.2017	15	15
श्री पी.एस. जयकुमार	Shri P. S. Jayakumar	01.04.2016 to 31.03.2017	15	15
श्री बी.बी. जोशी	Shri B.B. Joshi*	01.04.2016 to 31.12.2016	11	10
श्री मयंक के. मेहता	Shri Mayank K. Mehta	01.04.2016 to 31.03.2017	15	13
श्री अशोक कुमार गर्ग	Shri Ashok Kumar Garg	09.08.2016 to 31.03.2017	11	9
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.01.2017 to 31.03.2017	4	4
श्री मोहम्मद मुस्तफा	Shri Mohammad Mustafa	01.04.2016 to 31.03.2017	15	3
श्रीमती सुरेखा मरांडी*	Smt. Surekha Marandi*	01.04.2016 to 12.01.2017	11	10
श्री अजय कुमार	Shri Ajay Kumar	13.01.2017 to 31.03.2017	4	4
श्री प्रेम कुमार मक्कड	Shri Prem Kumar Makkar	01.04.2016 to 31.03.2017	15	14
डॉ. आर. नारायणस्वामी	Dr. R Narayanaswamy	01.04.2016 to 31.03.2017	15	15
श्री भरतकुमार डी. डांगर	Shri Bharatkumar D. Dangar	01.04.2016 to 31.03.2017	15	15
श्रीमती उषा ए. नारायणन	Smt. Usha A. Narayanan	01.04.2016 to 31.03.2017	15	15
प्रो. बिजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	25.04.2016 to 31.03.2017	15	14
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल	Shri Gopal Krishan Agarwal	26.07.2016 to 31.03.2017	11	11

*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

*Ceased to be member during the year.

(ई) आचार संहिता :

निदेशक मण्डल तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिक अर्थात कोर प्रबन्धन टीम, जिसमें सभी महाप्रबन्धक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं, के लिए सेबी

(e) Code of Conduct

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team



(सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के अनुपालन में, आचार संहिता निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। उक्त आचार संहिता बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in पर भी देखी जा सकती है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों ने वर्ष 2016-17 के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है और उसका अनुपालन सतत करने के लिए वचनबद्ध हैं।

3. निदेशकों / कार्यपालकों की समिति/ उपसमिति

बैंक के निदेशक मण्डल ने कार्पोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबन्धन प्रणाली पर बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970, तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 यथा संशोधित, के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक / सेबी / भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और/या कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। निदेशक मण्डल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं:

- 3.1 निदेशक मण्डल की प्रबन्धन समिति (एमसीबी)
- 3.2 निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)
- 3.3 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
- 3.4 निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति
- 3.5 हितधारक संबंधपरक समिति
- 3.6 नामांकन समिति
- 3.7 ग्राहक सेवा समिति
- 3.8 बड़ी राशि की धोखाधड़ी सम्बन्धी समिति
- 3.9 निदेशक मण्डल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति संबंधी समिति
- 3.10 मानव संसाधन पर नीतिपरक सलाहकार समिति
- 3.11 निदेशकों की समिति
- 3.12 वसूली निगरानी समिति
- 3.13 शेयर/ बांड अंतरण समिति
- 3.14 पारिश्रमिक समिति
- 3.15 बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को समर्थन देने संबंधी समिति

3.1 निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

- ए. गठन: यह समिति वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के क्लॉज 13 के तहत गठित की गई है।
- बी. प्रयोजन: व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण मामलों जैसे उच्च मूल्य के ऋण प्रस्ताव, समझौता/बट्टे खाते वाले प्रस्ताव पूंजीगत एवं राजस्व संबंधी खर्च, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करने के लिए।
- सी. संरचना: इस समिति में सरकार द्वारा धारा 9(3) (सी) के तहत नामित प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) की उप धारा (ई) (एफ) (एच) तथा (आई) के तहत नियुक्त किए गए निदेशकों में से तीन निदेशक होते हैं।

comprising all General Managers and Departmental Heads, has been approved by the Board of Directors in compliance of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct is posted on Bank's website i.e. www.bankofbaroda.co.in. All the Board Members and Senior Management Personnel have since affirmed the compliance of the Code for the year 2016-17 and undertaken continued compliance of the same.

3. COMMITTEE / SUB-COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance in terms of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended and guidelines from Reserve Bank of India / SEBI / Government of India from time to time. The important Committees are as under:

- 3.1 Management Committee of the Board (MCB)
- 3.2 Credit Approval Committee of the Board (CACB)
- 3.3 Audit Committee of the Board (ACB)
- 3.4 Risk Management Committee of the Board
- 3.5 Stakeholders Relationship Committee
- 3.6 Nomination Committee
- 3.7 Customer Service Committees
- 3.8 Committee on High Value Frauds
- 3.9 IT Strategy Committee
- 3.10 Strategic Advisory Committee of the Board on HR
- 3.11 Committee of Directors
- 3.12 Committee for Monitoring of Recovery
- 3.13 Shares/Bonds Transfer Committee
- 3.14 Remuneration Committee
- 3.15 Committee to support candidates for election of Shareholder Directors for Banks & FIs

3.1 Management Committee of the Board (MCB)

- a. Constitution: Constituted under Clause 13 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India from time to time.
- b. Purpose: To consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.
- c. Composition : The Committee consists of Managing Director & CEO, Executive Director (s) and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.



डी. 31.03.2017 को समिति के सदस्य

क्र.सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
1.	श्री पी. एस. जयकुमार	अध्यक्ष
2.	श्री मयंक के. मेहता	सदस्य
3.	श्री अशोक कुमार गर्ग	सदस्य
4.	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	सदस्य
5.	श्री अजय कुमार	सदस्य
6.	श्री प्रेम कुमार मक्कड़	सदस्य
7.	श्री भरतकुमार डी. डांगर	सदस्य

ई. बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी) की 33 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं

11.04.2016	09.05.2016	18.05.2016	22.06.2016	27.06.2016
08.07.2016	28.07.2016	05.08.2016	25.08.2016	15.09.2016
21.09.2016	26.09.2016	28.09.2016	15.10.2016	22.11.2016
30.11.2016	03.12.2016	07.12.2016	15.12.2016	21.12.2016
28.12.2016	04.01.2017	11.01.2017	16.01.2017	27.01.2017
04.02.2017	15.02.2017	28.02.2017	06.03.2017	14.03.2017
23.03.2017	27.03.2017	30.03.2017		

एफ. उपस्थिति:

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	Name of The Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री पी.एस. जयकुमार	Shri P. S. Jayakumar	01.04.2016 to 31.03.2017	33	32
श्री बी.बी. जोशी*	Shri B. B. Joshi*	01.04.2016 to 31.12.2016	21	16
श्री मयंक के. मेहता	Shri Mayank K. Mehta	01.04.2016 to 31.03.2017	33	27
श्री अशोक कुमार गर्ग	Shri Ashok Kumar Garg	09.08.2016 to 31.03.2017	25	21
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.01.2017 to 31.03.2017	12	10
श्रीमती सुरेखा मरांडी*	Smt. Surekha Marandi*	01.04.2016 to 12.01.2017	23	19
श्री अजय कुमार	Shri Ajay Kumar	01.04.2016 to 31.03.2017	10	08
श्री प्रेम कुमार मक्कड़	Shri Prem Kumar Makkar	01.04.2016 to 14.07.2016	06	06
श्री प्रेम कुमार मक्कड़	Shri Prem Kumar Makkar	15.01.2017 to 31.03.2017	10	04
श्री भरतकुमार डी. डांगर	Shri Bharatkumar D. Dangar	15.07.2016 to 14.01.2017	17	17
श्री भरतकुमार डी. डांगर	Shri Bharatkumar D. Dangar	16.03.2017 to 31.03.2017	3	3
प्रो. बिजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	15.07.2016 to 14.01.2017	17	13
श्रीमती उषा ए. नारायणन	Smt. Usha Narayanan	01.04.2016 to 17.06.2016	3	3

*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

d. Members as on 31.03.2017:

Sr. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1	Shri P. S. Jayakumar	Chairman
2	Shri Mayank K. Mehta	Member
3	Shri Ashok Kumar Garg	Member
4	Smt. Papia Sengupta	Member
5	Shri Ajay Kumar	Member
6	Shri Prem Kumar Makkar	Member
7	Shri Bharatkumar D. Dangar	Member

e. Meeting :

During the Financial Year 2016-17, the Management Committee of the Board (MCB) met on -33- occasions on the following dates:

f. Attendance :

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:



3.2 निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)

- ए. गठन: इसका गठन भारत सरकार के दिनांक 5 दिसंबर 2011 के गजट अधिसूचना सं. 13/1/2006 के नियमानुसार किया गया है।
- बी. प्रयोजन: समिति रु. 400/- करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों के संबंध में निदेशक मंडल की शक्तियों का प्रयोग करेगी. ऐसे ऋण प्रस्ताव जो प्रबंध निदेशक व सीईओ की प्रायोजित शक्तियों से अधिक है तथा अब तक जो निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति द्वारा मंजूर किए जाते थे, उन्हें अब सीएसीबी द्वारा मंजूर किया जाएगा.

सी. 31.03.2017 तक समिति के सदस्य

क्र.सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
1.	श्री पी. एस. जयकुमार	अध्यक्ष
2.	श्री मयंक के. मेहता	सदस्य
3.	श्री अशोक कुमार गर्ग	सदस्य
4.	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	सदस्य
5.	श्री संजय कुमार - सीएफओ	सदस्य
6.	प्रमुख/ महाप्रबंधक/को- संबंधित क्रेडिट/ट्रेजरी कार्यों को देखने वाले	सदस्य
7.	प्रमुख/ महाप्रबंधक- जोखिम प्रबंधन	सदस्य

डी. बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) की निम्नलिखित तारीखों में 30 बैठकें हुईं:

29.04.2016	19.05.2016	23.05.2016	23.06.2016	08.07.2016
02.08.2016	09.08.2016	16.08.2016	23.08.2016	14.09.2016
27.09.2016	04.10.2016	20.10.2016	08.11.2016	19.11.2016
28.11.2016	05.12.2016	15.12.2016	22.12.2016	29.12.2016
04.01.2017	11.01.2017	20.01.2017	27.01.2017	04.02.2017
15.02.2017	27.02.2017	17.03.2017	27.03.2017	31.03.2017

ई. उपस्थिति:

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

नाम	Name	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें / Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया / Meetings Attended
श्री पी. एस. जयकुमार	Shri P. S. Jayakumar	01.04.2016 से / to 31.03.2017	30	30
श्री बी.बी. जोशी*	Shri B. B. Joshi*	01.04.2016 से / to 31.12.2016	20	15
श्री मयंक के. मेहता	Shri Mayank K Mehta	01.04.2016 से / to 31.03.2017	30	24
श्री अशोक कुमार गर्ग	Shri Ashok Kumar Garg	09.08.2016 से / to 31.03.2017	23	15
श्री पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.01.2017 से / to 31.03.2017	10	8
श्री संजय कुमार	Shri Sanjay Kumar	11.02.2017 से / to 31.03.2017	5	5
श्री भास्कर शर्मा	Shri Bhaskar Sharma	01.04.2016 से / to 31.03.2017	19	16

*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

3.2 Credit Approval Committee of the Board (CACB)

- a. Constitution: Constituted in terms of Government of India Gazette Notification No.13/1/2006 dated 5th December, 2011.
- b. Purpose: The Committee shall exercise the powers of the Board with regard to credit proposals upto Rs 400.00 crores. The credit proposals which exceed the powers delegated to Managing Director & CEO and which were hitherto considered by the Management Committee of the Board, will now be sanctioned by the CACB.

c. Members as on 31.03.2017:

Sr. No.	Name of Director/Member	Member/ Chairman
1	Shri P. S. Jayakumar	Chairman
2	Shri Mayank K. Mehta	Member
3	Shri Ashok Kumar Garg	Member
4	Smt. Papia Sengupta	Member
5	Shri Sanjay Kumar - CFO	Member
6	Head /General Manager/s – Dealing with respective credit / treasury functions	Member
7	Head/ General Manager – Risk Management	Member

d. Meeting :

During the Financial Year 2016-17, the Credit Approval Committee of the Board (CACB) met -30- times on the following dates:

e. Attendance :

The details of attendance of the Directors / Executives at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

*Ceased to be member during the year



3.3 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

- ए. गठन: इसका गठन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 26.09.1995 तथा 20.01.1997 और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के तहत किया गया है.
- बी. प्रयोजन: लेखा परीक्षा समिति का मुख्य कार्य अन्य बातों के साथ-साथ बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति का निर्धारण एवं समीक्षा करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं साख्योग्य है. यह तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है तथा अनुमोदन हेतु बोर्ड को उनके प्रस्तुतीकरण से पहले प्रबंधन को संस्तुत करती है.
- सी. लेखा परीक्षा समिति निदेश प्रदान करती है तथा समग्र बैंक के लेखा परीक्षा संबंधी कार्यों का परिचालन देखती है जिसमें आन्तरिक लेखा परीक्षा का संगठन, परिचालन एवं गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक के अंदर आंतरिक नियंत्रण, कमजोरियां तथा निरीक्षण एवं बैंक के सांविधिक/बाहरी लेखा परीक्षा को तथा भारतीय रिज़र्व बैंक निरीक्षणों के सुझाव तथा फॉलो-अप शामिल है.
- डी. समिति आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ पद्धति की समीक्षा करती है तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों/निरीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण निष्कर्षों तथा उन पर फॉलो-अप कार्रवाई पर विचार विमर्श करती है. यह फिर बैंक की वित्तीय एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है.
- ई. सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा समिति तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम तथा रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों से विचार विमर्श करती है. यह लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर फॉलो अप करती है.
- एफ. संरचना: कुल पांच सदस्य हैं जिसमें शामिल हैं (i) भारत सरकार के निदेशक (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक (iii) बैंक के कार्यपालक निदेशक- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों के प्रभारी (iv) सीए निदेशक तथा (v) एक गैर कार्यपालक निदेशक.
- जी. 31.03.2017 तक समिति के सदस्य

क्र.सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
1.	श्रीमती उषा ए. नारायणन	अध्यक्ष
2.	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	सदस्य
3.	श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा	सदस्य
4.	श्री अजय कुमार	सदस्य
5.	श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल	सदस्य

3.3 Audit Committee of the Board (ACB)

- a. Constitution: Constituted under RBI guidelines issued vide Circulars dated 26.09.1995 and 20.01.1997 and further instructions from RBI/GOI from time to time.
- b. Purpose: The main functions of Audit Committee, inter-alia, include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the Management the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board for approval.
- c. The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External Auditors of the Bank and RBI inspections.
- d. The Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.
- e. As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).
- f. Composition: Total 5 Members comprising of (i) GOI Director, (ii) RBI Nominee Director, (iii) Bank's Executive Director – In charge of Internal Audit Function (iv) CA Director and (v) One Non-Executive Directors.
- g. Members as on 31.03.2017:

Sr. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1	Smt. Usha A Narayanan	Chairperson
2	Smt. Papia Senguputa	Member
3	Shri Mohammad Mustafa	Member
4	Shri Ajay Kumar	Member
5	Shri Gopal Krishan Agarwal	Member



एच. बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) की 12 बैठकें निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित की गईं-

12.05.2016	12.05.2016	13.06.2016	28.07.2016	10.08.2016	22.08.2016
17.10.2016	11.11.2016	06.12.2016	30.12.2016	10.02.2017	15.03.2017

आई. उपस्थिति:

की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	Name of The Director	Period	Meetings Held During Their Tenure	Meetings Attended
डॉ. आर नारायणस्वामी*	Dr. R. Narayanaswamy*	01.04.2016 से / to 06.01.2017	10	10
श्री बी.बी. जोशी*	Shri B.B. Joshi*	01.04.2016 से / to 13.06.2016	3	2
श्री मयंक के. मेहता*	Shri Mayank K. Mehta*	01.04.2016 से / to 22.08.2016	6	6
श्री अशोक कुमार गर्ग*	Shri Ashok Kumar Garg*	17.10.2016 से / to 30.12.2016	4	4
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt.Papia Sengupta	10.02.2017 से / to 31.03.2017	2	2
श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा	Shri Mohammad Mustafa	01.04.2016 से / to 31.03.2017	12	1
श्रीमती सुरेखा मरांडी*	Smt. Surekha Marandi*	01.04.2016 से / to 30.12.2016	10	10
श्री अजय कुमार	Shri Ajay Kumar	13.01.2017 से / to 31.03.2017	2	2
श्रीमती उषा ए नारायणन	Smt. Usha A. Narayanan	01.04.2016 से / to 31.03.2017	12	11
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल	Shri Gopal Krishan Agarwal	10.08.2016 से / to 31.03.2017	8	5

*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

h. Meetings:

During the Financial Year 2016-17, the Audit Committee of the Board (ACB) met on -12- occasions on the dates given below:

i. Attendance :

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

*Ceased to be member during the year.

3.4 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति:

ए. गठन: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2002/ सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियम 21, में ऋण जोखिम प्रबंधन पर जारी किए गए दिशानिर्देश नोट के तहत गठन किया है.

बी. प्रयोजन: बैंक द्वारा पूर्वानुमानित संपूर्ण जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करना. बैंक ने जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण और जोखिम लेखा परीक्षा को शामिल कर समुचित जोखिम प्रबंधन सभी के लिए संरचना इस दृष्टि से तैयार की है कि विभिन्न श्रेणियों के जोखिमों पर अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिमों का निर्धारण, प्रबंधन, निगरानी तथा नियंत्रण किया जा सके. इसका निहित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के परिचालन में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप में सतत स्थायित्व तथा दक्षता बनी रहे.

सी. 31.03.2017 तक समिति के सदस्य

क्र.सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
1.	श्री रवि वेंकटेशन	अध्यक्ष
2.	श्री पी. एस. जयकुमार	सदस्य
3.	श्री मयंक के. मेहता	सदस्य
4.	श्री अशोक कुमार गर्ग	सदस्य
5.	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	सदस्य
6.	श्रीमती उषा नारायणन	सदस्य

3.4 Risk Management Committee of the Board:

a. Constitution: Constituted under RBI's guidance note on Credit Risk Management issued in the year 2002 / Regulation 21 of SEBI (LODR) Regulations.

b. Purpose: To review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. The Bank has set up an appropriate risk management architecture comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank, nationally and internationally.

c. Members as on 31.03.2017:

Sr. No.	Name of Director/Member	Member/ Chairman
1	Shri Ravi Venkatesan	Chairman
2	Shri P. S. Jayakumar	Member
3	Shri Mayank K. Mehta	Member
4	Shri Ashok Kumar Garg	Member
5	Smt. Papia Sengupta	Member
6	Smt. Usha Narayanan	Member



डी. बैठकें:

वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर 4 बैठकें आयोजित की गईं-

12.05.2016	03.08.2016	10.11.2016	17.01.2017
------------	------------	------------	------------

ई. उपस्थिति:

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री रवि वेंकटेशन	Shri Ravi Venkatesan	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
श्री पी. एस. जयकुमार	Shri P. S. Jayakumar	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
श्री बी. बी. जोशी*	Shri B. B. Joshi*	01.04.2016 to 31.12.2016	3	3
श्री मयंक के मेहता	Shri Mayank K. Mehta	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
श्री अशोक कुमार गर्ग	Shri Ashok Kumar Garg	09.08.2016 to 31.03.2017	2	2
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.01.2017 to 31.03.2017	1	1
श्री भरतकुमार डी. डांगर*	Shri Bharatkumar D. Dangar*	01.04.2016 to 12.05.2016	1	1
श्रीमती उषा नारायणन	Smt.Usha Narayanan	13.05.2016 to 31.03.2017	3	3

* वर्ष के दौरान समिति के सदस्य नहीं रहे.

d. Meeting :

The Committee met – 4 - times during the Financial Year on the following dates:

e. Attendance :

The details of attendance of the directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

*Ceased to be member during the year.

3.5 हितधारक संबंधपरक समिति

ए. गठन: सेबी (एलओडीआर) नियामक, 2015 के विनियम 20 के अनुपालन में गठित.

बी. उद्देश्य: समिति इस आशय की मॉनिटरिंग करती है कि अंतरण, उपविभाजन, समेकन, नवीकरण, विनिमय अथवा मांग/आवंटन राशि के परांकन की प्रस्तुति तारीख से -15- दिनों के भीतर सभी प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएं. समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है.

सी. संरचना: इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- (i) कार्यपालक निदेशक (गण) एवं
- (ii) दो गैर कार्यपालक निदेशक इसके सदस्य तथा एक गैर कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं.

डी. 31 मार्च, 2017 को समिति के सदस्य :

क्र.सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
1.	श्री भरत कुमार डी डांगर	अध्यक्ष
2.	श्री मयंक के. मेहता	सदस्य
3.	श्री अशोक कुमार गर्ग	सदस्य
4.	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	सदस्य
5.	श्री प्रेम कुमार मक्कड	सदस्य

3.5 Stakeholders Relationship Committee

a. Constitution: Constituted pursuant to Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

b. Purpose: The Committee monitors the issuance of share certificates within a period of -15- days of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal, exchange or endorsement of calls / allotment money. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

c. Composition : The Committee includes following members :

- (i) Executive Director (s) and
- (ii) Two Non-Executive Directors as its members with a Non-Executive Director as its Chairman.

d. Members as on 31.03.2017:

Sr. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1	Shri Bharatkumar D. Dangar	Chairman
2	Shri Mayank K. Mehta	Member
3	Shri Ashok Kumar Garg	Member
4	Smt. Papia Sengupta	Member
5	Shri Prem Kumar Makkar	Member



ई. बैठक: वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गईं:

13.05.2016	10.08.2016	11.11.2016	16.03.2017
------------	------------	------------	------------

एफ. उपस्थिति : निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	Name of The Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें / Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री भरत कुमार डी डांगर	Shri Bharatkumar D. Dangar	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
श्री बी.बी. जोशी*	Shri B.B.Joshi*	01.04.2016 to 31.12.2016	3	3
श्री मयंक के. मेहता	Shri Mayank K. Mehta	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
श्री प्रेम कुमार मक्कड	Shri Prem Kumar Makkar	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
श्री अशोक कुमार गर्ग	Shri Ashok Kumar Garg	09.08.2016 to 31.03.2017	2	2
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.01.2017 to 31.03.2017	1	1

*वर्ष के दौरान समिति के सदस्य नहीं रहे.

e. Meeting : The Committee met – 4 - times during the Financial Year 2016-17 on the following dates

f. Attendance : The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

*Ceased to be member during the year.

जी. अन्य विवरण: वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों / निवेदनों की संख्या का सारांश नीचे दिया गया है:

01.04.2016 को लंबित Pending as on 01.04.2016	वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the year	वर्ष के दौरान निवारण Resolved during the year	31.03.2017 को लंबित Pending as on 31.03.2017
2	4528	4530	0

g. Other Details: The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

श्री एम. एल. जैन, उप महाप्रबन्धक- बोर्ड सचिव एवं कम्पनी सचिव को सेबी (सूचीयन करार और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के नियम 6 के तहत बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है.

Shri M. L. Jain, Deputy General Manager – Secretary to Board & Company Secretary has been designated as the “Compliance Officer” of the Bank under Regulation 6 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

3.6 नामांकन समिति

3.6 Nomination Committee

ए. गठन: भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.03.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 के साथ पठित सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 में जारी दिशानिर्देशों के तहत गठित.

a. Constitution: Constituted in terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India, Notification No. DBOD No. BC No 46 and 47/29.03.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011.

बी. उद्देश्य: बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में चयन किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए तथा इस श्रेणी के अंतर्गत मौजूदा निदेशकों हेतु वार्षिक आधार पर 'फिट एण्ड प्रोपर' स्टेटस सुनिश्चित करना.

b. Purpose: To ascertain 'Fit and Proper' status of persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and also on annual basis for existing directors under this category.

सी. 31 मार्च, 2017 को समिति के सदस्य :

c. Members as on 31.03.2017:

क्र. सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
1	श्री रवि वेंकटेशन	अध्यक्ष
2	श्री मोहम्मद मुस्तफा	सदस्य
3	श्री प्रेम कुमार मक्कड	सदस्य
4	प्रो. बिजू वरुकी	सदस्य

Sr. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1	Shri Ravi Venkatesan	Chairman
2	Shri Mohammad Mustafa	Member
3	Shri Prem Kumar Makkar	Member
4	Prof. Biju Varkkey	Member

डी. बैठक: मौजूदा शेयरधारक निदेशकों अर्थात् डॉ. आर. नारायणस्वामी, श्री भरतकुमार डी. डांगर और श्रीमती उषा नारायणन के 'फिट एण्ड प्रोपर' स्थिति की पुष्टि करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 13.05.2016 तथा 20.07.2016 को समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं.

d. Meeting : During the Financial Year 2016-17, the Committee met twice on 13.05.2016 & 20.07.2016 to confirm the 'Fit and Proper' status of the existing shareholder directors i.e. Dr. R Narayanaswamy and Shri Bharatkumar D. Dangar and Smt. Usha Narayanan.



ई. उपस्थिति : निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान-समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

e. Attendance : The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name of The Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें / Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री रवि वेंकटेशन	Shri Ravi Venkatesan	01.04.2016 to 31.03.2017	2	2
श्री मोहम्मद मुस्तफा	Shri Mohammad Mustafa	01.04.2016 to 31.03.2017	2	0
श्रीमती सुरेखा मरांडी*	Smt. Surekha Marandi*	01.04.2016 to 13.05.2016	1	1
श्री प्रेम कुमार मक्कड	Shri Prem Kumar Makkar	01.04.2016 to 31.03.2017	2	2
श्री बिजू वक्की	Shri Biju Varkkey	13.05.2016 to 31.03.2017	1	1

* वर्ष के दौरान समिति के सदस्य नहीं रहे.

*Ceased to be member during the year.

3.7 ग्राहक सेवा समितियां

3.7 Customer Service Committees

(ए) निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति

(A) Customer Service Committee of the Board

ए. गठन: समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार किया गया है (संदर्भ मास्टर परिपत्र : सं.डीबीआर सं.लीग.बीसी. 21/09.07.006/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015).

a. Constitution: The Committee is set up as per the directives of RBI. (Ref: Master Circular : No.DBR No.Leg. BC. 21/09.07. 006/ 2015-16 dated July 1, 2015)

बी. उद्देश्य: समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफॉर्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों के लिए ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा संतुष्टि स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित का समावेश है:

b. Purpose: The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना.
- अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक बीत जाने पर भी लागू न किए गए बकाया अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना.
- मृत जमाकर्ताओं / लॉकर किराएदारों / सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं से सम्बन्धित निपटान हेतु 15 दिनों की अवधि से अधिक समय से बकाया दावों की संख्या की स्थिति सम्बन्धी समीक्षा करना.

- Oversee the functioning of the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services and also compliance with the recommendation of the Standing Committee on Customer Services.
- Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing Banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- Review the status of the number of deceased claims remaining pending / outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors / locker hirers / depositor of safe custody articles.

सी. 31 मार्च, 2017 को समिति के सदस्य :

c. Members as on 31.03.2017:

क्र. सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
1	श्री पी. एस. जयकुमार	अध्यक्ष
2	श्री मयंक के. मेहता	सदस्य
3	श्री अशोक कुमार गर्ग	सदस्य
4	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	सदस्य
5	श्री प्रेम कुमार मक्कड	सदस्य
6	प्रो. बीजू वक्की	सदस्य

Sr. No.	Name of Director/Member	Member/ Chairman
1	Shri P. S. Jayakumar	Chairman
2	Shri Mayank K. Mehta	Member
3	Shri Ashok Kumar Garg	Member
4	Smt. Papia Sengupta	Member
5	Shri Prem Kumar Makkar	Member
6	Prof. Biju Varkkey	Member



डी. बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गईं:

13.05.2016	10.08.2016	17.10.2016	09.02.2017
------------	------------	------------	------------

ई. उपस्थिति :

निदेशकों की उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक/सदस्य का नाम	Name of the Director/Member	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें / Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री पी. एस. जयकुमार	Shri P. S. Jayakumar	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
श्री बी. बी. जोशी*	Shri B.B. Joshi*	01.04.2016 to 31.12.2016	3	3
श्री मयंक के. मेहता	Shri Mayank K Mehta	01.04.2016 to 31.03.2017	4	3
श्री अशोक कुमार गर्ग	Shri Ashok Kumar Garg	09.08.2016 to 31.03.2017	3	2
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.01.2017 to 31.03.2017	1	1
श्री प्रेम कुमार मक्कड़	Shri Prem Kumar Makkar	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
प्रो. बीजू वक्की	Prof. Biju Varkkey	13.05.2016 to 31.03.2017	3	1
श्री भरतकुमार डी. डांगर*	Shri Bharatkumar D. Dangar*	01.04.2016 to 13.05.2016	1	1

*वर्ष के दौरान से समिति के सदस्य नहीं रहे.

d. Meeting :

During the Financial Year 2016-17, the Committee met -4- times on the following dates:

e. Attendance :

The details of attendance of the Directors are as under:

(बी) ग्राहक सेवा सम्बन्धी स्थायी समिति

समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार किया गया है (संदर्भ मास्टर परिपत्र : सं.डीबीआर सं.लीग.बीसी. 21/09.07.006/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015). इस समिति का गठन विशेष रूप से जन समान्य को उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित करने तथा (i) सेवा के मौजूदा स्तर के बेंचमार्क (ii) आवधिक प्रगति की समीक्षा (iii) समयबद्धता एवं गुणवत्ता को बढ़ाने (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन के मद्देनजर प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने (v) क्रमिक आधार पर परिवर्तन को सुचारू बनाने के लिए समुचित सुझाव देने हेतु किया गया है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -02- बैठकें आयोजित की गईं:

08.07.2016	02.02.2017
------------	------------

*Ceased to be member during the year.

(B) Standing Committee on Customer Service

The Committee is set up as per the directives of RBI. (Ref: Master Circular : No.DBR No.Leg.BC. 21/09.07.006/ 2015-16 dated July 1, 2015). This Committee has been set up to focus on the banking services available to the public at large and focusing on the need to (i) benchmark the current level of service, (ii) review the progress periodically, (iii) enhance the timelines and quality, (iv) rationalize the processes taking into account technological developments, (v) suggest appropriate initiatives to facilitate change on an ongoing basis.

During the Financial Year 2016-17, the Committee met -2- times on the following dates:

3.8 बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति

ए. गठन: भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक आरबीआई/2004.15/डीबीएस.एफजीवी(एफ) नं.1004/23.04.01ए/ 2003-04 दिनांक 14 जनवरी, 2004 के अनुसार गठन किया गया है.

बी. उद्देश्य: हमारे बैंक में ₹. 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी सम्बन्धी मामलों की मॉनिटरिंग करना ताकि: धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय किए जा सकें धोखाधड़ी के पता लगाने में विलम्ब के कारणों की पहचान तथा बैंक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबन्धकों को उसकी रिपोर्टिंग

3.8 Committee on High Value Frauds

a. Constitution: Constituted as per RBI circular no. RBI/2004.15/.DBS.FGV(F) No.1004/23.04.01A/2003-04 dated 14th January, 2004.

b. Purpose: To monitor high value frauds of Rs.1.00 crore and above in our Bank so as to:

- identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same
- identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI



सीबीआई / पुलिस जांच पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, अविलम्ब हो
धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण के लिए की गई सुधारात्मक कार्यवाही की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना और
धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए यथावश्यक अन्य उपाय करना.

- monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position
- ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time
- review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and
- put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

सी. 31.03.2017 को समिति के सदस्य

c. Members as on 31.03.2017:

क्र.सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
1	श्री रवि वेंकटेशन	अध्यक्ष
2	श्री पी. एस. जयकुमार	सदस्य
3	श्री मोहम्मद मुस्तफा	सदस्य
4	डॉ. आर. नारायणस्वामी	सदस्य
5	श्री प्रेम कुमार मक्कड	सदस्य
6	श्रीमती उषा नारायणन	सदस्य

Sr. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1	Shri Ravi Venkatesan	Chairman
2	Shri P. S. Jayakumar	Member
3	Shri Mohammad Mustafa	Member
4	Dr. R. Narayanaswamy	Member
5	Shri Prem Kumar Makkar	Member
6	Smt. Usha A Narayanan	Member

डी. बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -05- बैठकें आयोजित की गईं:

d. Meeting :

The Committee met - 5- times during the Financial Year 2016-17 as per the details below:-

12.05.2016	03.08.2016	16.09.2016	10.11.2016	08.02.2017
------------	------------	------------	------------	------------

ई. उपस्थिति :

निदेशकों की उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

e. Attendance :

The details of attendance of directors are as under:-

निदेशक का नाम	Name of the Directors	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें / Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री रवि वेंकटेशन	Shri Ravi Venkatesan	01.04.2016 to 31.03.2017	5	5
श्री पी. एस. जयकुमार	Shri P. S. Jayakumar	01.04.2016 to 31.03.2017	5	5
श्री मोहम्मद मुस्तफा	Shri Mohammad Mustafa	01.04.2016 to 31.03.2017	5	1
डॉ. आर. नारायणस्वामी	Dr. R. Narayanaswamy	01.04.2016 to 31.03.2017	5	5
श्री प्रेम कुमार मक्कड	Shri Prem Kumar Makkar	01.04.2016 to 31.03.2017	5	5
श्रीमती उषा नारायणन	Smt. Usha A. Narayanan	13.05.2016 to 31.03.2017	3	3

3.9 बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी नीति समिति

ए. गठन: भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना सुरक्षा / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबन्धन तथा साईबर फ्रॉड पर वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के अनुरूप बैंक ने 27 फरवरी, 2012 को आयोजित बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी नीति समिति का गठन किया है.

3.9 IT Strategy Committee of the Bank

a. Constitution: In accordance with the recommendations of Reserve Bank of India Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, constituted an IT Strategy Committee.



बी. 31.03.2017 को समिति के सदस्य:

क्र. सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
1	श्री रवि वेंकटेशन	अध्यक्ष
2	श्री पी. एस. जयकुमार	सदस्य
3	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	सदस्य
4	श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल	सदस्य
5	श्री कृष्ण सुदर्शन (बाह्य विशेषज्ञ)	सदस्य
6	डॉ. दीपक बी. फाटक (बाह्य विशेषज्ञ)	आमंत्रित

सी. बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर पांच बैठकें आयोजित की गईं:

01.06.2016	03.08.2016	10.11.2016	20.12.2016	08.02.2017
------------	------------	------------	------------	------------

डी. उपस्थिति:

निदेशकों/ सदस्यों का उक्त बैठकों में उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नानुसार है.

निदेशक का नाम	Name	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें / Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री रवि वेंकटेशन	Shri Ravi Venkatesan	5	5
श्री पी. एस. जयकुमार	Shri P. S. Jayakumar	5	4
श्री मयंक के मेहता*	Shri Mayank K. Mehta*	5	5
श्री अशोक कुमार गर्ग*	Shri Ashok Kumar Garg*	3	2
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt Papia Sengupta	1	1
श्री कृष्ण सुदर्शन	Shri Krishna Sudarshan	5	4
डॉ. दीपक बी. फाटक	Dr. Deepak B. Phatak	5	4

*वर्ष के दौरान से समिति के सदस्य नहीं रहे.

3.10 मानव संसाधन पर बोर्ड की नीतिपरक सलाहकार समिति

ए. गठन: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मानव संसाधन संबंधी मामलों पर खंडेलवाल समिति की सिफारिशों के अनुरूप बैंक ने वर्ष 2012 में "मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति का गठन किया था. (13.02.2016 को नाम बदल कर "मानव संसाधन पर बोर्ड की नीतिपरक सलाहकार समिति कर दिया गया).

बी. उद्देश्य: मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/मुद्दों पर चर्चा करना.

सी. 31.03.2017 को समिति सदस्य:

क्र.सं.	निदेशक/ सदस्य का नाम	सदस्य/ अध्यक्ष
1	प्रो. बिजू वरककी	अध्यक्ष
2	श्री पी. एस. जयकुमार	सदस्य
3	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	सदस्य

b. Members as on 31.03.2017:

Sr. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1	Shri Ravi Venkatesan	Chairman
2	Shri P. S. Jayakumar	Member
3	Smt. Papia Sengupta	Member
4	Shri Gopal Krishna Agarwal	Member
5	Shri Krishna Sudarshan (External Expert)	Member
6	Dr. Deepak B. Phatak (External Expert)	Invitee

c. Meeting:

The Committee met five times during the Financial Year 2016-17 as per the details below:

d. Attendance :

The details of attendance of Directors / Members are as under:

* ceased to be member during the year

3.10 Strategic Advisory Committee of the Board on HR

a. Constitution: Constituted in terms of recommendations of Khandelwal Committee on HR Issues of PSBs, the Bank constituted a "Steering Committee of the Board on HR" in the year 2012. (renamed as "Strategic Advisory Committee of the Board on HR" on 13.02.2016).

b. Purpose: To discuss various matters/issues related to Human Resources.

c. Members as on 31.03.2017:

Sr. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1	Prof. Biju Varkkey	Chairman
2	Shri P. S. Jayakumar	Member
3	Smt. Papia Sengupta	Member



4	श्री प्रेम कुमार मक्कड	सदस्य
5	श्री संजीव सचर (बाह्य विशेषज्ञ)	सदस्य
6	श्री कृष शंकर (बाह्य विशेषज्ञ)	सदस्य

डी. बैठक:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर चार बैठकें आयोजित की गईं:

20.07.2016	15.10.2016	20.12.2016	08.02.2017
------------	------------	------------	------------

3.11 निदेशकों की समिति

ए. गठन: भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार गठित की गई है।

बी. उद्देश्य: वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.10.1990 के अनुरूप यह समिति सतर्कता सम्बन्धी अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य करती है।

सी. 31.03.2017 को समिति के सदस्य:

क्र. सं.	निदेशक/ सदस्य का नाम	सदस्य/ अध्यक्ष
1	श्री पी. एस. जयकुमार	अध्यक्ष
2	श्री मोहम्मद मुस्तफा	सदस्य
3	श्री अजय कुमार	सदस्य

डी. बैठक:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -05- बैठकें आयोजित की गईं:

13.05.2016	16.05.2016	10.08.2016	10.12.2016	16.03.2017
------------	------------	------------	------------	------------

ई. निदेशकों/ सदस्यों की उपस्थिति का विवरण:

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें / Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री पी एस जयकुमार	Shri P S Jayakumar	01.04.2016 to 31.03.2017	5	5
श्री मोहम्मद मुस्तफा	Shri Mohammad Mustafa	01.04.2016 to 31.03.2017	5	2
श्रीमती सुरेखा मरांडी	Shri Surekha Marandi	01.04.2016 to 12.01.2017	4	4
श्री अजय कुमार	Shri Ajay Kumar	13.01.2017 to 31.03.2017	1	1

3.12 वसूली की मॉनिटरिंग के लिए समिति

ए. गठन: वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ.नं.7/2/2015-रिकवरी दिनांक 1 जनवरी, 2016 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

बी. उद्देश्य: वसूली कार्यनिष्पादन की निगरानी करना

4	Shri Prem Kumar Makkar	Member
5	Shri Sanjeev Sachar (External Expert)	Member
6	Shri Krish Shankar (External Expert)	Member

d. Meeting :

This committee met on four times during the year 2016-17 as per details given below:

3.11 Committee of Directors

a. Constitution: Constituted as per GOI guidelines.

b. Purpose: This Committee deals with review of vigilance / non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries vide MOF letter dated 24.10.1990.

c. Members as on 31.03.2017:

Sr. No.	Name of Director/Member	Member/ Chairman
1	Shri P. S. Jayakumar	Chairman
2	Shri Mohammad Mustafa	Member
3	Shri Ajay Kumar	Member

d. Meeting :

The Committee met -5-times during the Financial Year 2016-17 on the following dates :

e. Details of attendance of Directors/Members:

The details of attendance of directors are as under :



सी. 31.03.2017 को समिति सदस्य:

क्र. सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
1	श्री पी. एस. जयकुमार	अध्यक्ष
2	श्री मयंक के. मेहता	सदस्य
3	श्री अशोक कुमार गर्ग	सदस्य
4	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	सदस्य
5	श्री मोहम्मद मुस्तफा	सदस्य
6	श्री भरतकुमार डी. डांगर	सदस्य
7	श्री नागेश श्रीवास्तव	सदस्य
8	श्री एन के सिंघल	सदस्य
9	श्री एम एल शर्मा	संयोजक

डी. बैठक :

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -07- बैठकें आयोजित की गईं:

07.04.2016	01.06.2016	27.07.2016	27.09.2016
30.11.2016	03.02.2017	27.02.2017	

ई. उपस्थिति:

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of Director/Member	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें / Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री पी. एस. जयकुमार	Shri P. S. Jayakumar	01.04.2016 to 31.03.2017	7	5
श्री बी. बी. जोशी*	Shri B. B. Joshi*	01.04.2016 to 31.12.2016	5	3
श्री मयंक के. मेहता	Shri Mayank K. Mehta	01.04.2016 to 31.03.2017	7	5
श्री अशोक कुमार गर्ग	Shri Ashok Kumar Garg	01.09.2016 to 31.03.2017	4	3
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.01.2017 to 31.03.2017	2	2
श्री मोहम्मद मुस्तफा	Shri Mohammad Mustafa	01.04.2016 to 31.03.2017	7	1
श्री भरतकुमार डी. डांगर	Shri Bharatkumar D. Dangar	01.04.2016 to 31.03.2017	7	6
श्री के. एन. मानवी*	Shri K. N. Manvi*	01.04.2016 to 30.09.2016	4	3
श्री एम. वी. देशपांडे*	Shri M. V. Deshpande*	01.04.2016 to 31.07.2016	3	3
श्री नागेश श्रीवास्तव	Shri Nagesh Srivastava	01.10.2016 to 31.03.2017	2	1
श्री रजनीश शर्मा	Shri Rajnish Sharma	01.01.2017 to 31.03.2017	1	1
श्री एन के सिंघल	Shri N. K. Singhal	01.08.2016 to 31.03.2017	4	3
श्री जी. बी. पांडा* (संयोजक)	Shri G. B. Panda* (Convener)	01.04.2016 to 31.07.2016	1	1
श्री आर. एल. गुत्तीकर* (संयोजक)	Shri R. L. Guttikar* (Convener)	01.04.2016 to 30.11.2016	5	4
श्री एम. एल. शर्मा* (संयोजक)	Shri M. L. Sharma (Convener)	01.01.2017 to 31.03.2017	2	2

* वर्ष के दौरान समिति के सदस्य नहीं रहे.

3.13 शेयर / बांड अंतरण समिति

- ए. गठन: सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन में गठित की गई है.
- बी. उद्देश्य: शेयरों/ बांडों के अंतरण/ हस्तांतरण का अनुमोदन तथा अन्य मामलों जैसे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करना, नाम हटाना, स्टेटस बदलना आदि पर विचार करना.

c. Members as on 31.03.2017:

Sr. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1	Shri P. S. Jayakumar	Chairman
2	Shri Mayank K. Mehta	Member
3	Shri Ashok Kumar Garg	Member
4	Smt. Papia Sengupta	Member
5	Shri Mohammad Mustafa	Member
6	Shri Bharatkumar D. Dangar	Member
7	Shri Nagesh Srivastava	Member
8	Shri N. K. Singhal	Member
9	Shri M. L. Sharma	Convener

d. Meeting :

This committee met on seven times during the year 2016-17 as per details given below:

e. Attendance :

*Ceased to be member during the year.

3.13 Shares/Bonds Transfer Committee:

- a. Constitution: Constituted pursuant to SEBI (LODR) Regulations, 2015.
- b. Purpose: To consider and approve transfer / transmission of Shares / Bonds and other issues like issue of duplicate share certificate, deletion of name, change of status, etc.



सी. 31.03.2017 को समिति सदस्य:

क्र. सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
1	श्री पी. एस. जयकुमार	अध्यक्ष
2	श्री मयंक के. मेहता	सदस्य
3	श्री अशोक कुमार गर्ग	सदस्य
4	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	सदस्य
5	श्री एस के चौधरी	सदस्य
6	श्री कमल के महाजन	सदस्य
7	श्री एन वेणुगोपाल	सदस्य

डी. बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -50- बैठकें आयोजित की गईं:

07.04.2016	18.04.2016	25.04.2016	03.05.2016	10.05.2016	17.05.2016
24.05.2016	01.06.2016	10.06.2016	20.06.2016	21.06.2016	23.06.2016
02.07.2016	11.07.2016	14.07.2016	26.07.2016	02.08.2016	08.08.2016
16.08.2016	24.08.2016	02.09.2016	12.09.2016	15.09.2016	19.09.2016
27.09.2016	03.10.2016	07.10.2016	21.10.2016	28.10.2016	07.11.2016
17.11.2016	24.11.2016	03.12.2016	08.12.2016	16.12.2016	22.12.2016
28.12.2016	05.01.2017	13.01.2017	23.01.2017	30.01.2017	03.02.2017
09.02.2017	14.02.2017	22.02.2017	28.02.2017	06.03.2017	14.03.2017
18.03.2017	27.03.2017				

ई. उपस्थिति:

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of Director/ Member	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें / Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री पी. एस. जयकुमार	Shri P. S. Jayakumar	01.04.2016 to 31.03.2017	50	36
श्री बी. बी. जोशी*	Shri B. B. Joshi*	01.04.2016 to 31.12.2016	37	27
श्री मयंक के. मेहता	Shri Mayank K Mehta	01.04.2016 to 31.03.2017	50	38
श्री अशोक कुमार गर्ग	Shri Ashok Kumar Garg	09.08.2016 to 31.03.2017	29	25
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.01.2017 to 31.03.2017	12	9
श्री वी. एस. नारंग*	Shri V. S. Narang*	01.04.2016 to 30.09.2016	25	22
श्री एस. के. चौधरी	Shri S. K. Choudhury	07.09.2016 to 31.03.2017	26	21
श्री कमल. के. महाजन	Shri Kamal K. Mahajan	13.10.2016 to 31.03.2017	22	19
श्री आर. के. माथुर*	Shri R. K. Mathur*	13.04.2016 to 31.08.2016	17	10
श्री एन. वेणुगोपाल	Shri N. Venugopal	01.04.2016 to 31.03.2017	50	41

* वर्ष के दौरान समिति के सदस्य नहीं रहे.

*ceased to be member during the year.

3.14 पारिश्रमिक समिति

क. गठन: भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. एफ नं. 20/1/2005-बीओआई दिनांक 9 मार्च, 2007 के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन सह प्रोत्साहन की घोषणा की जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया

3.14 Remuneration Committee

a. Constitution: Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO.I dated 9th March, 2007 and amended from time to time, the last letter dated 18.08.2015



तथा दिनांक 18.08.2015 के अंतिम पत्र ने पिछले पत्रों का स्थान ले लिया है। यह प्रोत्साहन विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों पर आधारित लक्ष्यों एवं बेंचमार्क के अनुरूप कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, जिसमें गुणवत्ता व मात्रा दोनों का समावेश है, पर आधारित है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया।

बी. उद्देश्य: बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना और निर्णय लेना।

सी. 31.03.2017 को समिति सदस्य:

क्र. सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
1	श्री रवि वेंकटेशन	अध्यक्ष
2	श्री मोहम्मद मुस्तफा	सदस्य
3	श्री अजय कुमार	सदस्य
4	डॉ. आर. नारायणस्वामी	सदस्य
5	श्री भरतकुमार डी. डांगर	सदस्य

डी. बैठक:

विगत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लाभ की अपर्याप्तता को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.15 बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में शेयर धारक निदेशकों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के समर्थन संबंधी समिति

ए. गठन: वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ.नं.16/11/2012-बीओ-आई दिनांक 03 अप्रैल, 2012 के माध्यम से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गई है।

बी. उद्देश्य : वित्तीय संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों को सहयोग प्रदान करना।

सी. 31.03.2017 को समिति के सदस्य:

क्र. सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
1	श्री पी. एस. जयकुमार	अध्यक्ष
2	श्री मयंक के. मेहता	सदस्य
3	श्री अशोक कुमार गर्ग	सदस्य
4	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	सदस्य
5	डॉ. आर. नारायणस्वामी	सदस्य
6	श्री भरतकुमार डी. डांगर	सदस्य

डी. बैठक:

समिति को वर्ष के दौरान कोई भी मामला नहीं भेजा गया।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर कार्यपालक निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित

in supersession of the earlier letters. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the Statement of Intent (SOI) on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee of the Board was constituted.

b. Purpose: To evaluate and decide upon the performance of Whole Time Directors of the Bank.

c. Members as on 31.03.2017:

Sr. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1	Shri Ravi Venkatesan	Chairman
2	Shri Mohammad Mustafa	Member
3	Shri Ajay Kumar	Member
4	Dr. R. Narayanaswamy	Member
5	Shri Bharatkumar D. Dangar	Member

d. Meeting:

During the Financial Year 2016-17, no meeting of Remuneration Committee was held in view of inadequacy of profit for preceding F. Y. 2015-16.

3.15 Committee to support candidates for election of Shareholder Directors for Banks & FIs

a. Constitution: Constituted under the guidelines received from Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi, vide letter No.16/11/2012-BO-I dated 3rd April, 2012

b. Purpose: For supporting candidates for election of Share Holder Directors in Financial Institutions and Public sector Insurance Companies.

c. Members as on 31.03.2017:

Sr. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1	Shri P. S. Jayakumar	Chairman
2	Shri Mayank K. Mehta	Member
3	Shri Ashok Kumar Garg	Member
4	Smt. Papia Sengupta	Member
5	Dr. R. Narayanaswamy	Member
6	Shri Bharatkumar D. Dangar	Member

d. Meeting :

No case was referred to the Committee during the year.

4 REMUNERATION OF DIRECTORS

The remuneration including travelling and halting expenses to Non-Executive Directors are being paid as stipulated by the Central Government in consultation

शर्तों के अनुरूप समय - समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशकों) को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाता है. इस समय बैंक में कोई स्टॉक ऑप्शन योजना नहीं है. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक/कों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नानुसार है:

ए. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान वेतन का भुगतान

क्र.सं.	नाम	पदनाम	राशि (रू.)
1	श्री पी. एस. जयकुमार	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	30,78,225
2	श्री बी. बी. जोशी*	कार्यपालक निदेशक	21,65,205
3	श्री मयंक के. मेहता	कार्यपालक निदेशक	26,20,322
4	श्री अशोक कुमार गर्ग (09.08.2016 से प्रभावी)	कार्यपालक निदेशक	16,01,143
5	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता (01.01.2017 से प्रभावी)	कार्यपालक निदेशक	6,04,537

* 31.12.2016 से सेवा में नहीं रहे.

बी. वर्ष 2016-17 के दौरान कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन का भुगतान: (वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए): शून्य

सी. गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक सहभागिता शुल्क का भुगतान: राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित, के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल समितियों में सहभागिता करने हेतु गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक सहभागिता शुल्क दिया गया. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दिए गए बैठक सहभागिता शुल्क का विवरण निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है):

क्र.सं.	निदेशक का नाम	राशि (रू.)
1	श्री रवि वेंकटेशन	4,60,000
2	श्री प्रेम कुमार मक्कड	5,60,000
3	श्री भरतकुमार डी डांगर	6,60,000
4	डॉ. आर. नारायणस्वामी	4,70,000
5	श्रीमती उषा ए. नारायणन	5,20,000
6	प्रो. बीजू वरककी	4,70,000
7	श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल	2,80,000

with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (whole time directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. At present the Bank has no Stock Option Scheme. The details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Director/s are detailed below:

A. Salary paid during the Financial Year 2016-17:

Sr. No.	Name	Designation	Amount (Rs.)
1	Shri P. S. Jayakumar	Managing Director & CEO	30,78,225
2	Shri B.B. Joshi *	Executive Director	21,65,205
3	Shri Mayank K. Mehta	Executive Director	26,20,322
4	Shri Ashok Kumar Garg (w.e.f. 09.08.2016)	Executive Director	16,01,143
5	Smt. Papia Sengupta (w.e.f. 01.01.2017)	Executive Director	6,04,537

*Ceased on 31.12.2016

B. Performance Linked Incentives paid during 2016-17: (for FY 2015-16): Nil

C. Sitting Fee paid to Non-executive Directors:

The Sitting Fee is paid to the Non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2016-17 are as under (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Directors representing Government of India & RBI):

Sr. No.	Name of the Director	Amount (Rs.)
1	Shri Ravi Venkatesan	4,60,000
2	Shri Prem Kumar Makkar	5,60,000
3	Shri Bharatkumar D. Dangar	6,60,000
4	Dr. R. Narayanaswamy	4,70,000
5	Smt. Usha A. Narayanan	5,20,000
6	Prof. Biju Varkkey	4,70,000
7	Shri Gopal Krishan Agarwal	2,80,000



5. सामान्य सभा की बैठकें

सामान्य सभा की गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

5. GENERAL BODY MEETINGS

The details of General Body Meetings held during the last three years are given below:

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
18वीं वार्षिक सामान्य बैठक 18th Annual General Meeting	25 जून, 2014 प्रातः 10.30 बजे 25th June, 2014 at 10.30 a.m	सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा - 390020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020	बैंक के 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश घोषित करना. इसमें विशेष संकल्प लेने के लिए कोई एजेंडा नहीं था. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2014, Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2014 the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare dividend for the year 2013- 14. There was no agenda requiring Special Resolution.
असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting	26 मार्च, 2015 प्रातः 10.00 बजे 26th March, 2015 at 10.00 a.m.	सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा - 390020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020	सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारत सरकार को प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य पर रु. 195.59 प्रति शेयर पर 6,44,20,471 के इक्विटी शेयर सृजित, ऑफर, जारी करने और आबंटित करने के लिए विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना. To seek approval of the Shareholders by Special Resolution to create, offer, issue and allot upto 6,44,20,471 equity shares of the face value of Rs. 2/- each @ Rs. 195.59 per share to Government of India on preferential basis in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009.



<p>19 वीं वार्षिक सामान्य बैठक 19th Annual General Meeting</p>	<p>24 जून, 2015 प्रातः 10.30 बजे 24th June, 2015 at 10.30 a.m</p>	<p>सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा - 390020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020</p>	<p>बैंक के 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश घोषित करना. इसमें विशेष संकल्प लेने के लिए कोई एजेंडा नहीं था. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2015, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare dividend for the year 2014-15. There was no agenda requiring Special Resolution.</p>
<p>असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting</p>	<p>28 सितम्बर, 2015 प्रातः 10.30 बजे 28th September 2015 at 10.30 a.m.</p>	<p>सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा - 390020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020</p>	<p>सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारत सरकार को प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य पर रु. 192.74 प्रति शेयर पर 9,26,63,692 के इक्विटी शेयर सृजित, ऑफर, जारी करने और आबंटित करने के लिए विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना. To seek approval of the Shareholders by Special Resolution to create, offer, issue and allot upto 9,26,63,692 equity shares of the face value of Rs. 2/- each @ Rs. 192.74 per share to Government of India on preferential basis in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009.</p>



<p>20 वीं वार्षिक सामान्य बैठक 20th Annual General Meeting</p>	<p>24 जून, 2016 दोपहर 12.00 बजे 24th June, 2016 at 12.00 Noon</p>	<p>सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वड़ोदरा - 390020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020</p>	<p>बैंक के 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना. इसमें विशेष संकल्प लेने के लिए कोई एजेंडा नहीं था. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2016, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2016, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts. There was no agenda requiring Special Resolution.</p>
--	---	--	---

6. संप्रेषण के साधन

बैंक मौजूदा संचार साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से सम्बद्ध जानकारियों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता समझता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मण्डल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। ये परिणाम कम से कम एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, जिसका प्रसार पूरे भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र उस राज्य की भाषा, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है अर्थात् गुजरात (गुजराती में), में प्रकाशित करवाए जाते हैं। बैंक छमाही आधार पर अपने शेयरधारकों को परिणामों की प्रति प्रेषित करता है। बैंक अपने वित्तीय परिणामों तथा भावी योजनाओं की घोषणा करने के लिए एनेलिस्ट बैठकें, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि भी आयोजित करता है।

बैंक के तिमाही / ईयर टू डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ एनेलिस्ट को दी गई प्रेजेंटेशन की प्रति तथा अन्य आधिकारिक समाचार बैंक की वेबसाइट <http://www.bankofbaroda.co.in> पर उपलब्ध रहते हैं। एनेलिस्ट बैठक में की गई प्रस्तुति के वेबकास्ट का सीधा प्रसारण देखने हेतु वेबसाइट में लिंक उपलब्ध कराया जाता है और संग्रहित वेबकास्ट भी 30 दिनों तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है।

6. MEANS OF COMMUNICATION

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in at least one English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. Gujarat (in Gujarati). The Bank furnishes results to the Shareholders on Half Yearly basis. The Bank also organizes analysts'-meets, press conferences etc. for announcing Bank's financial results and its future plans.

The Quarterly / Year to Date / Annual Financial Results of the Bank as well as the copy of presentation made to Analysts and other official news are posted on the Bank's Website – <http://www.bankofbaroda.co.in>. The live web cast of presentation made to Analysts' Meet is made accessible from links uploaded in the website and the archived webcast is also available in the website for 30 days.



7. वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष Financial Year	1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 1st April, 2016 to 31st March, 2017
खातों (एकल एवं समेकित) पर विचार विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक Board Meeting for considering of Accounts (Standalone & Consolidated)	18 मई, 2017 18th May, 2017
21 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय एवं स्थान Date, Time & Venue of the 21st AGM	दिनांक 30 जून, 2017 सुबह 10.15 बजे Date 30 th June 2017 At 10.15 a.m. सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1 एफ. पी.549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा - 390020 Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P - 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara - 390 020
बहियां बन्द करने की तारीख Book Closure Dates	24 th June 2017 to 30 th June 2017 (Both days Inclusive)
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last Date for receipt of Proxy Forms	25 th June 2017
लाभांश भुगतान की तारीख Dividend Payment Date	10 th July 2017

7. FINANCIAL CALENDAR

1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 1st April, 2016 to 31st March, 2017
18 मई, 2017 18th May, 2017
दिनांक 30 जून, 2017 सुबह 10.15 बजे Date 30 th June 2017 At 10.15 a.m. सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1 एफ. पी.549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा - 390020 Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P - 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara - 390 020
24 th June 2017 to 30 th June 2017 (Both days Inclusive)
25 th June 2017
10 th July 2017

8. शेयरधारकों से संबद्ध सूचना

बैंक के शेयर भारत में निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

बीएसई लिमिटेड,

फिरोज जीजीभाई टॉवर्स,

25 वां तल,

दलाल स्ट्रीट, फोर्ट,

मुंबई 400 001

बीएसई कोड : 532134

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.

“एक्सचेंज प्लाजा”

बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बान्द्रा (पूर्व),

मुंबई - 400 051

एनएसई कोड : BANKBARODA

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में 31.03.2017 तक के वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.

9. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य और इंडेक्स डाटा

ए. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य (01.04.2016 से 31.03.2017 तक) (प्रत्येक रू. 2/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर)

8. SHAREHOLDERS' INFORMATION

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

B S E Ltd.,

Phiroze Jeejeebhoy Towers

25th Floor,

Dalal Street, Fort,

Mumbai - 400 001

BSE CODE : 532134

National Stock Exchange of India Ltd.,

“Exchange Plaza”

Bandra Kurla Complex,

Bandra, (East),

Mumbai - 400 051

NSE CODE : BANKBARODA

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till 31.03.2017.

9. SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED IN STOCK EXCHANGES AND INDEX DATA

a. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2016 to 31.03.2017) (Equity Share of the Face Value of Rs.2/- each)



		नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) National Stock Exchange of India Limited (NSE)			बीएसई लि. (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) BSE LTD. (Bombay Stock Exchange)		
		उच्चतम (₹) Highest (₹)	न्यूनतम (₹) Lowest (₹)	सौदों की मात्रा (संख्या) Volume Traded (Nos.)	उच्चतम (₹) Highest (₹)	न्यूनतम (₹) Lowest (₹)	सौदों की मात्रा (संख्या) Volume Traded (Nos.)
अप्रैल 2016	APR 2016	163.90	141.60	15,50,82,572	163.70	141.75	1,50,58,638
मई 2016	MAY 2016	160.15	128.25	22,40,23,708	160.15	128.40	2,24,05,367
जून 2016	JUN 2016	156.00	137.45	17,80,47,141	156.05	137.10	1,90,13,878
जुलाई 2016	JUL 2016	168.80	148.90	15,86,04,251	168.70	149.05	2,94,16,157
अगस्त 2016	AUG 2016	165.70	144.55	22,62,79,907	165.55	144.70	3,31,03,828
सितंबर 2016	SEP 2016	177.65	159.55	14,36,33,633	177.40	159.80	1,60,19,338
अक्तूबर 2016	OCT 2016	173.20	150.10	11,77,33,463	173.10	150.25	1,97,24,794
नवंबर 2016	NOV 2016	179.60	135.25	28,78,52,194	179.30	136.00	3,19,02,515
दिसंबर 2016	DEC 2016	165.80	146.00	13,97,98,082	165.80	146.00	1,58,34,310
जनवरी 2017	JAN 2017	170.30	146.70	14,34,79,571	170.25	146.80	1,63,23,484
फरवरी 2017	FEB 2017	191.70	162.75	23,85,30,103	191.65	162.60	2,34,60,621
मार्च 2017	MAR 2017	176.20	157.35	23,23,63,181	176.20	157.45	6,02,70,346

बी. अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक इंडेक्स डेटा (मासिक अंतिम मूल्य)

b. Index Data from April 2016 to March 2017 (Monthly Closing Values)

दिनांक Date	निफ्टी/ NIFTY 50	बैंक निफ्टी NIFTY BANK	बीओबी एनएसई (प्रत्येक 2 रु पए के एफवी की इक्विटी शेयर BOB NSE (Equity Share of FV of ₹ 2/- each)	एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स S & P BSE SENSEX	एस एंड पी बीएसई बैंकेक्स S & P BSE BANSEX	बीओबी बीएसई (प्रत्येक 2 रु पए के एफवी की इक्विटी शेयर BOB BSE (Equity Share of FV of ₹ 2/- each)
29.04.2016	7849.80	16795.00	157.90	25606.62	19114.83	158.00
31.05.2016	8160.10	17620.90	142.80	26667.96	20111.74	142.70
30.06.2016	8287.75	17935.40	153.95	26999.72	20531.2	154.00
29.07.2016	8638.50	18953.15	151.70	28051.86	21678.51	152.20
31.08.2016	8786.20	19787.60	162.95	28452.17	22656.58	162.85
30.09.2016	8611.15	19285.70	167.40	27865.96	22045.62	167.30
30.10.2016	8625.70	19523.55	155.65	27930.21	22368.28	155.75
30.11.2016	8224.50	18627.80	164.15	26652.81	21316.01	164.25
30.12.2016	8185.80	18177.20	153.40	26626.46	20748.74	152.85
31.01.2017	8561.30	19515.15	165.15	27655.96	22311.97	165.10
28.02.2017	8879.60	20607.25	165.30	28743.32	23482.44	165.05
31.03.2017	9173.75	21444.15	172.95	29620.50	24420.77	172.95



10. रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयर ट्रांसफर पद्धति तथा निवेशकों की शिकायतों का निपटारा

बैंक ने कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि. को अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर/बॉण्ड अंतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान को प्रोसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर/बॉण्ड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों/कार्यों को सुनिश्चित करना है. निवेशक अपने अंतरण विलेख/ अनुरोध/ शिकायतें निम्नलिखित पते पर आरटीए को भेज सकते हैं :-

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि.

(यूनिट:बैंक ऑफ़ बड़ौदा)

कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32

गचिबोवली, फायनैसियाल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा,

सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500008

फोन:- (040) 67161500

फैक्स :- (040) 23420814

ई मेल :- einward.ris@karvy.com

निजी रूप से रखे गए बॉण्डों के लिए बैंक ने डिबेंचर न्यासी की भी नियुक्ति की है जिसका पता नीचे दिया गया है :-

आईडीबीआई ट्रस्टशीप सर्विसेस लि.

एशियन बिल्डिंग, भू - तल,

17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट

मुंबई - 400001

टेलीफोन :- (022) 40807000

फैक्स :- (022) 66311776 / 40807080

ई मेल :- itsl@idbitrustee.com

बैंक ने कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में निवेशक सेवाएं विभाग की स्थापना भी की है, जिसके प्रभारी उप महाप्रबंधक स्तर के कंपनी सचिव हैं, जहां शेयरधारक अपने अनुरोधों / शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं. वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, बड़ौदा को निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

निवेशक सेवा प्रभाग

सातवीं मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर

सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स

बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

दूरभाष : (022) 6698 5812/5846

ई-मेल: investorservices@

bankofbaroda.com

(उपरोक्त ई-मेल विशेष रूप से सेबी सूचीयन करार

एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015

के नियम 6(2)(डी) के आधार पर निवेशकों की

शिकायतों के लिए स्थापित की गई है.

जो शेयरधारक निदेशक मंडल से किसी प्रकार का

प्रश्न पूछना चाहते हैं वे अपने प्रश्न निम्नलिखित

मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं -

shareholderdirectors@

bankofbaroda.com

बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों के स्थानांतरण, जारी किये जाने के 15 दिन की अवधि के भीतर प्रभावी होते हैं. बोर्ड ने साधारण शेयरधारकों एवं निवेशकों की समस्याओं की निगरानी एवं त्वरित समाधान की प्रगति की समीक्षा

10. REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT, SHARE TRANSFER SYSTEM AND REDRESSAL OF INVESTORS' GRIEVANCES

The Bank has appointed Karvy Computershare Private Limited as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of Shares / Bonds, dividend / interest payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares / Bonds. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at following address:

Karvy Computershare Private Limited

(Unit: Bank of Baroda)

Karvy Selenium Tower B, Plot No.31 & 32

Gachibowli, Financial District

Nanakramguda, Serilingampally,

Hyderabad - 500 008

Phone: (040) 67162222; Fax: (040) 23420814

E Mail: einward.ris@karvy.com

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

IDBI Trusteeship Services Ltd.

Asian Building, Ground Floor,

17, R Kamani Marg, Ballard Estate

Mumbai - 400 001

Tel: (022) 40807000; Fax: (022) 66311776 / 40807080

Email: itsl@idbitrustee.com

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary in the rank of Dy. General Manager at Corporate Office, Mumbai wherein Shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/requests at the address given below at Head Office, Vadodara:

Bank of Baroda
Investors' Services Department
7th Floor, Baroda Corporate Centre
C-26, G-Block, Bandra-Kurla
Complex

Bandra (East), Mumbai - 400 051

Telephone : (022) 6698 5812/5846

E - mail : investorservices@

bankofbaroda.com

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Further, Shareholders who wish to ask questions to the Board of Directors of the Bank can mail their questions at - shareholderdirectors@bankofbaroda.com

Bank of Baroda
Deputy General Manager,
Customer Service,
1st Floor, Suraj Plaza - I, Sayajiganj,
Vadodara 390 005

Telephone : (0265) 2307880

Fax No. : (0265) 2362914

E-mail: cmcs.ho@bankofbaroda.com

The Bank ensures that all transfers of Shares are duly affected within a period of -15- days from the date of their lodgment. The Board has constituted Stakeholders' Relationship Committee to monitor and review the progress in redressal of general



हेतु हितधारक सम्पर्क समिति का गठन किया है और शेयर / बॉन्ड स्थानांतरण एवं अन्य विषयों के लिए शेयर / बॉन्ड स्थानांतरण समिति का गठन किया गया है। समितियों की बैठकें नियमित रूप से होती हैं और निवेशकों की समस्याओं के समाधान की समीक्षा की जाती है।

shareholders' and investors' grievances and Shares/Bonds Transfer Committee to consider transfer of Shares and Bonds and other related matters. The Committees meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances.

11. शेयरधारिता का वितरण

ए. 31 मार्च 2017 तक का शेयरधारिता का पैटर्न:

11. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

a. Shareholding Pattern as on 31st March 2017

क्रमांक Sr. No.	विवरण	Description	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयर Shares	इक्विटी का प्रतिशत % to Equity
1	भारत सरकार	GOVERNMENT OF INDIA	1	1,36,49,40,578	59.24%
2	बीमा कम्पनियां	INSURANCE COMPANIES	43	24,60,96,128	10.68%
3	म्यूचुअल फंड / यूटीआई	MUTUAL FUND & UTI	202	22,47,72,557	9.76%
4	एफआईआई / एफपीआई	FII & FPI	214	27,20,47,194	11.81%
5	निवासी वैयक्तिक	RESIDENT INDIVIDUALS	299131	11,47,33,667	4.97%
6	कार्पोरेट निकाय	BODIES CORPORATES	1981	3,47,61,589	1.51%
7	समाशोधन सदस्य	CLEARING MEMBERS	320	2,32,09,284	1.01%
8	न्यास	TRUSTS	33	1,01,14,346	0.44%
9	अनिवासी भारतीय	NON RESIDENT INDIANS	4659	96,25,637	0.42%
10	बैंक, एनबीएफसी एवं इंडिया फिनांसियल इंस्टीट्यूट	BANKS, NBFC & India Financial Insti.	33	36,24,432	0.16%
11	वैकल्पिक निवेश फंड	ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	1	1,19,186	0.00%
12	विदेशी कार्पोरेट निकाय	OVERSEAS CORPORATE BODIES	3	1,10,000	0.00%
	विदेशी नागरिक	FOREIGN NATIONALS	1	5,000	0.00%
			306622	2,30,41,59,598	100.00%

बी. शेयरधारकों का वितरण -31 मार्च 2017 तक का श्रेणीवार

b. Distribution of Shareholders – Category Wise as on 31st March 2017

क्रम संख्या Sr. No.	श्रेणी Category	मामलों की संख्या No. of Cases	मामलों का प्रतिशत % of Cases	राशि No. of Shares	राशि का प्रतिशत Percentage (%)
1	1 - 5000	304666	99.36	10,76,01,810	4.67
2	5001 - 10000	861	0.28	64,75,068	0.28
3	10001 - 20000	391	0.13	56,87,114	0.25
4	20001 - 30000	123	0.04	30,92,635	0.13
5	30001 - 40000	71	0.02	24,73,375	0.11
6	40001 - 50000	55	0.02	25,92,268	0.11
7	50001 - 100000	121	0.04	88,55,191	0.38
8	100001 and above	334	0.11	216,73,82,137	94.07
	कुल: TOTAL:	306622	100.00	230,41,59,598	100.00

सी. 31 मार्च 2017 को शेयरधारकों का भौगोलिक (राज्यवार) दृष्टि से आबंटन सम्बंधी विवरण

c. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as on 31st March 2017



क्रम संख्या Sr. No.	राज्य	STATE	मामले CASES	शेयर SHARES
1	आंध्र प्रदेश	ANDHRA PRADESH	4817	1951370
2	अरुणाचल प्रदेश	ARUNACHAL PRADESH	19	7036
3	असम	ASSAM	1287	389350
4	बिहार	BIHAR	3747	1079257
5	चंडीगढ़	CHANDIGARH	1081	387706
6	छत्तीसगढ़	CHHATTISGARH	1891	885211
7	दिल्ली	DELHI	15044	1373996050
8	गोवा	GOA	2070	1501875
9	गुजरात	GUJARAT	64866	26884753
10	हरियाणा	HARYANA	5021	1732245
11	हिमाचल प्रदेश	HIMACHAL PRADESH	665	151561
12	जम्मू एवं कश्मीर	JAMMU AND KASHMIR	557	162617
13	झारखण्ड	JHARKHAND	3080	740710
14	कर्नाटक	KARNATAKA	15093	5219276
15	केरल	KERALA	6184	2331655
16	मध्य प्रदेश	MADHYA PRADESH	7386	2587078
17	महाराष्ट्र	MAHARASHTRA	80764	832120216
18	मणिपुर	MANIPUR	103	123389
19	मेघालय	MEGHALAYA	141	71996
20	मिजोरम	MIZORAM	36	87300
21	नागालैण्ड	NAGALAND	127	121530
22	उड़ीसा	ORISSA	2637	696224
23	अन्य	OTHERS	4784	7822834
24	पंजाब	PUNJAB	3545	1495760
25	राजस्थान	RAJASTHAN	15344	6315496
26	तमिलनाडु	TAMIL NADU	19822	14781358
27	तेलंगाना	TELANGANA	7311	3599477
28	त्रिपुरा	TRIPURA	208	95169
29	उत्तर प्रदेश	UTTAR PRADESH	18561	7156346
30	उत्तराखण्ड	UTTARAKHAND	2803	1110730
31	पश्चिम बंगाल	WEST BENGAL	17628	8554023
	कुल	Total	306622	2304159598

डी. प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण

बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से सेबी की डीमेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं एवं बैंक ने नेशनल सिक्क्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्क्यूरिटी लि.(सीडीएसएल) के साथ बैंक के शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए समझौता किया है. शेयरधारक अपने अभौतिकीकृत शेयर एन.एस.डी.एल अथवा सी.डी.एस.एल. से प्राप्त कर सकते हैं.

31 मार्च 2017 तक बैंक के पास निम्नलिखित संख्या के शेयर भौतिक एवं अभौतिक रूप से हैं -

d. Dematerialization of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2017 the Bank has following number of Equity Shares in physical and dematerialized form, as per the detail given below:

क्रम संख्या Sr. No.	धारिता का प्रकार	Nature of holding	मामलों की संख्या No. of Cases	शेयरों की संख्या No. of Shares	प्रतिशत Percentage %
1	भौतिक	Physical	43,678	3,37,23,547	1.46
2	एन.एस.डी.एल.	NSDL	1,70,551	87,55,15,891	38.00
3	सी.डी.एस.एल.	CDSL	92,393	1,39,49,20,160	60.54
	कुल	Total:	3,06,622	2,30,41,59,598	100.00



बैंक ने वर्ष 2003 में 1,36,91,500 शेयर जब्त किए (27,38,300 शेयर उप-विभाजन से पूर्व) जिनमें से 24000 शेयर (4800 उप-विभाजन से पूर्व) 31 मार्च 2017 तक रद्द कर दिये गए।

The Bank had forfeited 1,36,91,500 equity shares (27,38,300 shares before sub-division) in the year 2003 and out of the same 24000 equity shares (4800 shares before sub-division) were annulled up to 31st March 2017.

12. 31 मार्च 2017 तक एस्करो / उचंत खातों में उपलब्ध शेयरों की स्थिति:

12. STATUS OF SHARES LYING IN ESCROW/SUSPENSE ACCOUNT AS ON 31st MARCH, 2017

ए) उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (भौतिक शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

a. Status of shares lying in Suspense A/c (Physical Shares – returned undelivered)

प्रारम्भिक शेष 01.04.2016 को Opening Balance as on 01.04.2016		वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2016-17	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान नामे किए गए शेयर Shares debited during the Financial Year 2016-17	31 मार्च 2017 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2017		
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares
70	86000	0	0	0	70	86000

बी) एस्करो / उचंत खातों में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (डीमेट शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

b. Status of shares lying in Escrow / Suspense A/c (Demat Shares – returned undelivered)

दि. 01.04.2016 को प्रारम्भिक शेष Opening Balance as on 01.04.2016		वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2016-17	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान जमा किए गए शेयर Shares credited during the Financial Year 2016-17	31 मार्च, 2017 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2017		
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares
159	94100	1	1	150	158	93950

जब तक उक्त शेयरों के वास्तविक दावेदार इनके लिए दावा नहीं करते तब तक अंतिम कॉलम (ए) तथा (बी) के शेयरों के लिए मताधिकार पर रोक जारी रहेगी।

The voting rights on the shares stated at the last column of table (a) and (b) above shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

13. लाभांश / ब्याज का इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान:

13. DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

बैंक निवेशकों को, जहां निवेशकों द्वारा मैसेज दिए गए हैं, शेयरों पर लाभांश / बॉण्डों पर ब्याज का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कर रहा है, इस उद्देश्य के लिए बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस), इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस), आरटीजीएस, एनईएफटी तथा सीधे जमा आदि की सेवाओं का प्रयोग कर रहा है।

The Bank is paying Dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by the investors. For the purpose, the Bank is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT & Direct Credit etc.



निवेशक अपने मंडेट बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट अर्थात कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्रा. लि. के पास इस रिपोर्ट में दिए पते पर दर्ज करा सकते हैं.

Investors may lodge their mandate with Bank's Registrar & Share Transfer Agent i.e. Karvy Computershare Pvt. Ltd., at the address given in this report.

14. प्रकटीकरण :

1. यहां भौतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण पार्टी संव्यवहार नहीं होता है जिसका बड़े रूप में बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो, इस सम्बंध में पार्टी सम्बंधी सभी संव्यवहारों का खुलासा भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन करते हुए खाते के विवरणों में किया गया है.
2. बैंक पर पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बंध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात स्टॉक एक्सचेंज और / अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया और न ही किसी प्रकार की कोई भर्त्सना की गई है.
3. बैंक भारत सरकार के जनहित प्रकटीकरण एवं सूचना प्रदाता की सुरक्षा सम्बंधी संकल्प (पीआईडीपीआई) की "सचेतक नीति" का पालन करता है, इस (विहिसल ब्लोअर पॉलिसी) के दिशा निर्देश बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. इस सम्बंध में किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति से अलग नहीं किया गया है.
4. हम सेबी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस सूचीबद्ध नियमों की अनुसूची V के उपभाग (2) से (10) के अनुपालन की पुष्टि करते हैं.
5. सभी निदेशकों द्वारा ये घोषणा की गई है कि 31 मार्च 2017 तक उनका परस्पर किसी भी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं है.
6. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कॉमोडिटी में व्यापार नहीं किया है, अतः "कॉमोडिटी कीमत जोखिम एवं कॉमोडिटी बचाव गतिविधियां" शून्य हैं.
7. निम्नलिखित घोषणाएं सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनियम, 2015 के अनुसार हैं अर्थात सेबी सूचीयन करार शेयरधारकों द्वारा निम्नलिखित लिंक पर देखे जा सकते हैं - <http://www.bankofbaroda.com/fin/SEBI.asp>
 - I. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम की घोषणा
 - II. सचेतक नीति (विहिसल ब्लोअर पॉलिसी)
 - III. महत्वपूर्ण अनुषंगियों एवं पार्टी लेनदेन सम्बंधी पॉलिसी

15. अनिवार्य एवं गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं

बैंक द्वारा सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनियमन, 2015 के तहत उपलब्ध कराई गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है.

14. DISCLOSURES

1. There is no materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large. The Related Party Transactions are disclosed in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.
2. There is no non-compliance by the Bank in respect of Regulations/ Guidelines issued by SEBI / Stock Exchanges / any Statutory Authority on any matter related to capital markets during the last 3 years and as such no penalties / strictures imposed on the Bank.
3. The Bank follows "Whistle Blower Policy Guidelines" of Govt. of India Resolution on Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI). The said Policy Guidelines are available on the Bank's website. No personnel has been denied access to the audit committee.
4. We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations
5. All the Directors have disclosed that they have no relationship inter-se as on 31st March 2017.
6. The Bank has not traded in commodities during the F. Y. 2016-17 and hence the information on "Commodity price risks and commodity hedging activities" is NIL.
7. Following disclosures pursuant to Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 i.e. SEBI Listing Regulations, can be viewed by the shareholders at the link: <http://www.bankofbaroda.com/fin/SEBI.asp>
 - i. Disclosures about familiarization programme for the Independent Directors
 - ii. Whistle Blower Policy
 - iii. Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries

15. MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.



गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन का विवरण निम्नानुसार हैं :

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

क्रम संख्या Sr. No.	गैर- अनिवार्य आवश्यकताएं Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
1	<p>बोर्ड</p> <p>सूचीबद्ध कम्पनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यभार सम्भालने के लिए गैर कार्यपालक अध्यक्ष अधिकृत किए जा सकते हैं और उनके ड्यूटी सम्बन्धी खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है.</p> <p>The Board A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.</p>	<p>अनुपालन किया गया. Complied with.</p> <p>भारत सरकार ने (रिपोर्ट के पैरा 2 (ए) देखें) श्री रवि वेंकटेशन की नियुक्ति बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में दिनांक 14.08.2015 से की है.</p> <p>बैंक इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करता है.</p> <p>The Government of India has appointed Shri Ravi Venkatesan as Non-Executive Chairman of the Board w.e.f.14.08.2015. (Ref Para 2(a) of the Report). The GOI has also issued guidelines in this regard which Bank complies with.</p>
2	<p>शेयरधारकों के अधिकार</p> <p>गत छः माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की छमाही घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जाए.</p> <p>Shareholder Rights A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders</p>	<p>अनुपालन किया गया. Complied with.</p> <p>30.09.2016, (वित्तीय वर्ष 2016-17) को समाप्त छमाही के लिए बैंक ने गत छः माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य निष्पादन के छमाही परिणाम प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पत्र के साथ डाक / ई-मेल से प्रत्येक शेयरधारक को भेज दिये है, इसके अतिरिक्त बैंक के वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट पर प्रस्तुत किए गए हैं.</p> <p>The Bank has already sent communication of MD & CEO along with the copy of half-yearly financial results for the half year ended 30.09.2016 (FY 2016-17) including summary of significant developments during last six months to each shareholder by post / e-mail. The financial results are also posted on Bank's website.</p>
3	<p>लेखा परीक्षा अहर्ता</p> <p>कम्पनी को अनक्वालिफाईड वित्तीय विवरणों की व्यवस्था को अपनाना चाहिए.</p> <p>Audit Qualifications Company may move towards a regime of unqualified financial statements.</p>	<p>बैंक की लेखा रिपोर्ट में इस सम्बंध में कोई अहर्ता नहीं है. There is no qualification in Auditors report of the Bank.</p>
4	<p>अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग अलग पद सूचीबद्ध कम्पनी अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पदों पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है.</p> <p>Separate posts of chairperson and chief executive officer The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.</p>	<p>अनुपालन किया गया. Complied with.</p> <p>बैंक के निदेशक मंडल की संरचना बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के माध्यम से नियंत्रित की जाती है. जैसा कि पैरा - 1 में कहा गया है, भारत सरकार ने (रिपोर्ट के पैरा 2 (ए) देखें) दिनांक 14.08.2015 से श्री रवि वेंकटेशन, मंडल के गैर कार्यपालक अध्यक्ष तथा दिनांक 13.10.2015 से श्री पी.एस. जयकुमार, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पूर्ण कालिक निदेशक) के रूप में नियुक्त किया है.</p>



क्रम संख्या Sr. No.	गैर- अनिवार्य आवश्यकताएं Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
		The composition of the Board of Directors of the Bank is governed through "Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as stated above at Sr.No.-1. The Government of India has appointed Shri Ravi Venkatesan as Non-Executive Chairman of the Board w.e.f.14.08.2015 and Shri P. S. Jayakumar as MD & CEO (Whole-time Director) w.e.f. 13.10.2015. (Ref Para 2(a) of the Report.
5	आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं . Reporting of Internal Auditor The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना एवं इसकी संदर्भ शर्तें सदैव विनियामकों अर्थात् रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए निर्देशों एवं परिपत्रों के माध्यम से नियमित की जाती है , जिनका बैंक अनुपालन करता है. The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board inter-alia covering Internal Audit function is governed through the guidelines / circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India, which the Bank comply.

16. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन की घोषणा : 16. DISCLOSURE OF THE COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE REQUIREMENTS

नियम क्र. Regu No.	संक्षिप्त विवरण Title / Brief description	अनुपालन स्थिति Compliance Status
17	निदेशक मंडल Board of Directors	<p>बैंक के निदेशक मंडल की संरचना बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के अधीन है. यहां कम्पनी एक्ट 1956/2013 में किया गया संशोधन इस सम्बंध में लागू हीं होता है. शेरधारकों द्वारा चयनित तीन निदेशकों के अतिरिक्त सभी निदेशकों की नियुक्ति / नामांकन, केंद्र सरकार द्वारा एक्ट में सेक्शन 9(3) में किए गए संशोधन के मुताबिक किया जाता है. बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमित है. (संदर्भ. रिपोर्ट का पैरा 2 (ए))</p> <p>बोर्ड का मूल्यांकन:</p> <p>बैंक ने बोर्ड की समग्र प्रभावशीलता की स्वतंत्र समीक्षा करने के लिए सलाहकार फर्म मेसर्स इगोन झेन्डर की सेवाएं ली है. इगोन झेन्डर की बोर्ड की समीक्षा संबंधी वैश्विक पद्धति का प्रयोग बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बोर्ड की समीक्षा के लिए किया गया. इससे बोर्ड के निम्नलिखित कार्यक्षेत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन आवश्यक हो गया- (क) बोर्ड की कार्यनीति एवं सुनियोजन (ख) अध्यक्ष द्वारा बोर्ड का प्रबंधन (ग) समितियों की कार्यप्रणाली (घ) बोर्ड तथा प्रबंधन टीम के बीच संबंध (ङ) बोर्ड प्रक्रिया की गुणवत्ता (च) बोर्ड का गठन एवं (छ) जोखिम प्रबंधन, प्रतिभा इत्यादि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय पर की गई चर्चा की गुणवत्ता. इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर, बोर्ड के सदस्यों का मूल्यांकन, (क) समग्र सहभागिता एवं सुनियोजन, (ख) उनके योगदान की गुणवत्ता (ग) सुनने और अभिमत प्राप्त करने में खुलापन, (घ) चुनौती देने तथा कठिन निर्णयों को स्वीकार करने/उनका विरोध करने की क्षमता आदि प्रमुख क्षेत्रों के अन्तर्गत, किया गया.</p> <p>मूल्यांकन प्रक्रिया के अन्तर्गत तीन तरह की पद्धतियों के समूह का पालन किया गया. इगोन झेन्डर टीम के सदस्यों ने बोर्ड के सभी सदस्यों का 1-2 घंटे का गहन व सुव्यवस्थित साक्षात्कार लिया. बोर्ड के सदस्यों के अलावा प्रमुख प्रबंधन कर्मी जैसे सीएफओ तथा कंपनी सचिव का भी साक्षात्कार लिया गया. दूसरी ओर, समीक्षा करने वाली टीम ने बोर्ड की बैठकों तथा समिति की बैठकों में सहभागिता की ताकि वे बोर्ड की गतिविधियों को मूर्त रूप से देख और समझ पाएं. अंततः बोर्ड एवं समिति की पूर्व में आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त तथा नीतिगत प्रस्तुति एवं निर्णयों के समर्थन के लिए प्रयुक्त बोर्ड संबंधी सामग्री का भी विश्लेषण किया गया.</p>



नियम क्र. Regu No.	संक्षिप्त विवरण Title / Brief description	अनुपालन स्थिति Compliance Status
		<p>The Composition & terms of reference of Board of Directors of Bank of Baroda is governed through "Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970" i.e. the Act, meaning thereby the provision of the Companies Act, 1956/2013 in this regard are Not Applicable. All the Directors, except 3 directors elected amongst the Shareholders' other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / Nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India.(Ref. para 2(a) of the Report).</p> <p>Evaluation of Board:</p> <p>The Bank has engaged the services of the consultancy firm M/s Egon Zehnder to conduct an independent review of overall effectiveness of the Board.</p> <p>Egon Zehnder's global methodology for conducting board reviews was followed for reviewing Bank of Baroda board. This entailed effectiveness assessment of the following areas of the board – a) board strategy and alignment, b) management of the board by the chairperson, c) functioning of the committees, d) relationship between the board and the management team, e) quality of the board processes, f) board composition and g) quality of discussions/decisions taken by the board in key areas like risk management, talent etc. In addition, at an individual level, members of the board were assessed in areas like a) overall engagement and alignment, b) quality of their contribution, c) openness in listening and receiving feedback, d) ability to challenge and take/oppose tough decisions etc.</p> <p>For conducting the assessment a combination of three methods was followed. The members of the EZ team conducted 1-2 hour in depth structured 1-1 interviews with all members of the board. In addition to the board members key management personnel like the CFO and Company Secretary were also interviewed. Second, the review team attended board meetings and committee meetings to observe and study the board dynamics in a live environment. Finally, the minutes of the previous board and committees meetings and the board materials used to present policies and support decisions were also analyzed. The results of the review were shared with the chairman and rest of the board in a daylong session. As part of this session a workshop was conducted in September 2016 to determine and align on key next steps and actions that the board and management agreed to undertake following from the board review. A followon session was conducted in April 2017 to assess the effectiveness of the actions. It was unanimously concluded that significant progress had been made in a short span of time.</p>
18	लेखा परीक्षा समिति Audit Committee	<p>बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के गठन एवं इसके संदर्भ की शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अधिशासित होती है, जिनका अनुपालन किया गया है. (रिपोर्ट का पैरा 3.3 देखें)</p> <p>The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board of Bank of Baroda is governed through RBI's directives / guidelines, which are complied with. (Ref. para 3.3 of the Report).</p>

नियम क्र. Regu No.	संक्षिप्त विवरण Title / Brief description	अनुपालन स्थिति Compliance Status
19	नामांकन एवं पारितोषिक समिति Nomination and remuneration committee	बैंक में दो अलग-अलग समितियां, नामांकन समिति एवं पारितोषिक समिति है, जिनकी सरचना एवं संदर्भ शर्तें क्रमशः भारत सरकार के निर्देशों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार अधिशासित होती हैं. (नामांकन समिति तथा पारितोषिक समिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट का पैरा क्रमशः 3.6 तथा 3.14 देखें) The Bank has 2 separate committees namely Nomination Committee and Remuneration Committee, the composition and terms of reference of which are governed through RBI directives and GOI directives respectively. (Ref. para 3.6 and 3.14 of the Report for Nomination Committee and Remuneration Committee respectively)
20	हितधारक सम्बंध समिति Stakeholders Relationship Committee	अनुपालन किया गया है. Complied with
21	जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	अनुपालन किया गया है. Complied with
22	सतर्कता प्रणाली Vigil Mechanism	अनुपालन किया गया है. Complied with
23	सम्बंधित पार्टी लेनदेन Related party transactions	अनुपालन किया गया है. Complied with
24	सूचीबद्ध इकाइयों की सब्सिडी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	अनुपालन किया गया है. Complied with
25	स्वतंत्र निदेशकों के सम्बंध में कर्तव्य Obligations with respect to independent directors	विनियम 17 के अनुसार - यथा उपर्युक्त As per Regulation 17, as above.
26	निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सम्बंध में कर्तव्य Obligations with respect to directors and senior management	अनुपालन किया गया है. Complied with
27	अन्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताएं Other corporate governance requirements	अनुपालन किया गया है. Complied with
46 (2) (b) से/ to(i)	वेबसाइट Website	अनुपालन किया गया है. Complied with

17. पर्यावरण संरक्षण - भारत सरकार की नवोन्मेषी पहल को समर्थन

(ए) भारत सरकार की पर्यावरण संरक्षण संबंधी पहल को समर्थन देने के लिए सभी शेयरधारकों से, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल आईडी हमारे पास या हमारे रजिस्ट्रार के पास जिसका पता इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है, के पास पंजीकृत करवा दें ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, सम्प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट आदि ई-मेल के माध्यम से भेज सकें.

ऐसे शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि वे भौतिक शेयरधारिता को डीमैट में रूपांतरित करवा लें ताकि हम उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में उन्हें बेहतर सेवा, संबंधित सुरक्षा तथा त्वरित सेवा दे सकें.

17. GREEN INITIATIVE - A CALL TO SUPPORT GOI INITIATIVES

a. To support GOI's green initiatives, shareholders having shares in physical form are requested to register their e-mail ids with us or our Registrars, at the address given elsewhere in this report, to enable us to serve any document, notice, communication, annual reports etc. through e-mail.

Such shareholders are also requested to convert their physical holdings in Demat form to enable us to serve them better and provide enhanced security and prompt service in respect of their holdings.



(बी) इसके अलावा वे शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं और जिन्होंने अभी तक अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है, उनसे अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपने ई-मेल आईडी सम्बन्धित डिपोजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत करवा दें.

18. पारदर्शिता और अनुपालन अधिकारी

इसके अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य हमारे बैंक के कार्पोरेट मेकेनिज्म के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रकटीकरण एवं अनुपालन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को और भी व्यापक बनाते हैं:

18.1 पारदर्शिता अधिकारी

केन्द्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के निर्देशों के अनुसार बैंक ने फरवरी 2011 से अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है. यह पारदर्शिता अधिकारी निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं:

- लोक प्राधिकारियों के ब्यौरे से सम्बद्ध सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 4 के क्रियान्वयन की स्थिति की संवीक्षा करना और उसमें हुई प्रगति से उच्च प्रबन्धन को अवगत कराना.
- आरटीआई अधिनियम के अनुपालन में प्रगति के विषय में सीआईसी के लिए इंटरफेस के रूप में कार्य करना.
- केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ), मानद केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) द्वारा आरटीआई अनुरोधों के सम्बन्ध में सकारात्मक और समय पर उत्तर देने हेतु अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग प्रदान करना.
- आरटीआई से सम्बद्ध सभी मामलों में जनता के लिए एक सम्पर्क बिन्दु होना. बैंक के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में समस्त जानकारी बेबसाइट पर अपलोड की गई है और यह जानकारी समय समय पर अद्यतन की जाती है.

18.2 अनुपालन सम्बन्धी कार्य

बैंक की अनुपालन नीति को दर्शाते हुए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक अनुपालन नीति बनाई है, जो बैंकों में अनुपालन संबंधी कार्यों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित है. यह नीति वह आधार है जिस पर बैंक के अनुपालन संबंधी सभी कार्य आधारित हैं. बैंक में सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति द्वारा समर्थित अनुपालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और आंतरिक नियंत्रण के साथ बैंक में अनुपालन संबंधी कार्य संचालन प्रणाली का महत्वपूर्ण कार्य है.

अनुपालन विभाग विभिन्न विधायी संस्थाओं जैसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम तथा धनशोधन निवारण अधिनियम आदि के विविध सांविधिक प्रावधानों का और विभिन्न विदेशी केन्द्रों, जहां बैंक के कार्यालय/ शाखाएं स्थित हैं, नियामकों के नियमों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करता है. यह बीसीएसबीआई (भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड), आईबीए (भारतीय बैंकिंग संघ), फेडआई (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ), एफआईएमएमडीए (फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरीइवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया), द्वारा निर्धारित किए गए मानकों एवं संहिताओं का भी अनुपालन सुनिश्चित करता है.

b. Further the shareholders holding shares in Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with their respective Depository Participant to support GOI's green initiatives..

18. TRANSPARENCY & COMPLIANCE OFFICER

Further following additional functions also enhance Bank's commitment to more & more disclosures and compliance under corporate Governance mechanism of the Bank.

18.1 Transparency Officer

As per the directions of Central Information Commissioner (CIC), Bank has appointed one of the Senior Officers as Transparency Officer since February 2011. The Transparency Officer is responsible for the following.

- To oversee the implementation of the Section 4 of Right to Information (RTI) Act detailing with obligations of public authorities and to apprise the top management of its progress.
- To be the interface for the CIC regarding the progress in implementation of RTI Act
- Help promote congenial conditions for positive and timely response to RTI-request by Central Public Information Officers (CPIOs), deemed-CPIOs.
- To be a contact point for the public in all RTI-related matters.

The Bank has uploaded all the information as directed in the specified format on its website and this information is updated from time to time.

18.2 Compliance Function

The Bank has put in place a board approved Compliance Policy outlining the compliance philosophy of the Bank based upon the directions of Reserve Bank of India on Compliance Function in Banks. The said Policy is the foundation on which all Compliance Function of the Bank is based. Compliance Function in the Bank is an integral part of governance along with internal control and compliance risk management process supported by a healthy compliance culture in the Bank.

Compliance Function ensures observance of statutory provisions contained in various legislations viz. Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Securities and Exchange Board of India Act and Prevention of Money Laundering Act and also the regulations of the various Regulators where the Bank is having its Offices / Branches in overseas centers. It also ensures Standards and Codes prescribed by BCSBI (Banking Codes and Standard Board of India), IBA (Indian Banks Association), FEDAI (Foreign Exchange Dealers Association of India), FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India).



19. कार्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग

बैंक ऑफ़ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र का पहला ऐसा बैंक है जिसे रेटिंग एजेंसी, आईसीआरए लि. द्वारा बैंक की कार्पोरेट गवर्नेंस कार्य पद्धति को रेटिंग प्रदान की गई है. आईसीआरए ने जूलाई 2004 में सीजीआर 1 से सीजीआर 6 के मापदंड पर 'सीजीआर2' (सीजीआर 2 के रूप में उच्चरित) की रेटिंग प्रदान की जहां सीजीआर 1 सर्वोच्च रेटिंग मानी जाती है. बैंक को यही रेटिंग अर्थात सीजीआर 2 रेटिंग पुनः क्रमशः फरवरी 2006, सितंबर 2007, अप्रैल 2010, मार्च 2011, अप्रैल 2013 , मार्च 2014, जून 2015 एवं जून 2016 में भी प्रदान की गई और अभी लागू है. सीजीआर 2 रेटिंग से अभिप्राय है कि रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की राय में बैंक ने उन पद्धतियों, परंपराओं एवं संहिताओं को अपनाया है तथा उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कार्पोरेट गवर्नेंस का आश्वासन प्रदान करता है. यह रेटिंग बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यस्थित कार्यपालक प्रबंधन पद्धतियों , बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियों में पारदर्शिता , विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि, जो निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखा फर्मों द्वारा अपनाई जाती है, को दर्शाती है.

20. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय

1 (प्रो.) श्री बिजू वकर्की

नाम	प्रो. बिजू वकर्की
पता	हाउस नं. 303, आईआईएम कैम्पस, वस्त्रापुर, अहमदाबाद
जन्म तिथि	22 दिसंबर , 1965 -
आयु	51 वर्ष
योग्यता	1. एमए (पीएमआईआर) 2. एनआईबीएम, पुणे से प्रबंधन में फेलोशिप
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (एच) तथा धारा 9 के तहत दिनांक 25.04.2016 से 03 वर्षों या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए अंशकालिक गैर - सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
अनुभव	प्रो. बिजू वकर्की महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर डिग्री प्राप्त की और साथ ही एनआईबीएम, पुणे से प्रबंधन में उपाधि प्राप्ति की है. उनका व्यावसायिक अनुभव उद्योग, सलाहकार तथा प्रमुख प्रबंधन स्कूलों का रहा है. उन्होने आईआईएम, लखनऊ और एमडीआई, गुडगांव में अध्यापन कार्य किया है. आपने बहुपक्षीय जैसे आईएलओ, आईओएम, यूएनडीपी तथा संगठनों यूएनआईटीईएस और आईटीयूसी जैसे संस्थानों के साथ घनिष्ठता से कार्य किया है. वर्तमान में आप आईआईएम, अहमदाबाद के मानव संसाधन प्रबंधन में संकाय सदस्य हैं. इसके अतिरिक्त आप आईआईएम की ई-पीजीपी टास्क फोर्स के प्रमुख रहे हैं जिसे जल्द ही आईआईएम में लंबी अवधि के लिए वर्चुअल शिक्षण कार्यक्रम के लिए अनिवार्य किया जा रहा है.

19. CORPORATE GOVERNANCE RATING

Bank of Baroda is the first Public Sector Bank having been assigned a rating to its Corporate Governance Practices by ICRA Limited. The ICRA had assigned the rating of 'CGR2' (pronounced as CGR 2) on a rating scale of CGR1 to CGR6 where CGR1 denotes the highest rating, in July 2004, which has been reaffirmed in February 2006, September 2007, April 2010, March 2011, April 2013, March 2014, June 2015 and June 2016 respectively and presently is in force. The CGR2 rating implies that in ICRA's current opinion, the Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The rating reflects Bank's transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Division and independent audit firms.

20. PROFILE OF DIRECTORS APPOINTED DURING THE FINANCIAL YEAR 2016-17

1. (Prof.) Shri Biju Varkkey

Name	Prof. Biju Varkkey
Address	House No.303,IIM Campus,Vastrapur Ahmedabad
Date of Birth	22nd December, 1965
Qualifications	1. MA (PMIR) 2. Fellowship in Management from NIBM, Pune
Nature of appointment as Director	Nominated as a Part Time Non-official director w.e.f. 25.04.16 by the Central Government u/s 9(3)(h) and (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.
Experience	Prof. Biju Varkkey obtained masters degree in Human Resource Management from Mahatma Gandhi University, Kerala and Fellow title in Management from NIBM, Pune. His professional experience spans industry, consulting and leading management schools, having taught at IIM Lucknow and MDI Gurgaon. He works closely with multilateral organizations like ILO, IOM, UNDP and organizations like UNITES and ITUC. Currently he is faculty member at IIM Ahmedabad with the Human Resource Management. Additionally he heads the e-PGP task force of IIMA, which is mandated to lounge long duration virtual learning programs from IIMA soon.



	<p>आपकी शैक्षणिक अभिरुचि के क्षेत्रों में शामिल है- नीतिपरक मानव संसाधन प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, नए सार्वजनिक प्रबंधन, नेतृत्व विकास, संस्थाओं के लिए एचआर संरचना, कार्यनिष्पादन प्रबंधन और सुधार, लचीला कार्य स्थल, रोजगार संबंध, स्टार्टअप और पारिवारिक व्यवसाय रूपांतरण आदि.</p> <p>आपने राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क की कोर समिति - दिल्ली चैप्टर (1998-1999), भारत युवा मानव संसाधन सम्मेलन की आयोजन समिति में मनोनीत सदस्य के रूप में सेवा की है और आप एनआईपीएम केरल(2015) के वार्षिक मानव संसाधन कॉन्क्लेव के लिए तकनीकी समिति के अध्यक्ष और भारत की नीतिपरक प्रबंधन फोरम के संस्थापक शासी निकाय के सदस्य रहे हैं.</p>		<p>Areas of academic interest include Strategic Human Resource Management, Change Management, New Public Management, Leadership Development, HR Architecture for firms, Performance Management & Improvement, Flexible Work places, Employment Relations, Startups and Family Business transformation.</p> <p>He has served as nominated member in the Core Committee of the National HRD Network – Delhi Chapter (1998-1999), organizing committee for India Young HR Conference, Chair of Technical Committee for Annual HR Conclave of NIPM Kerala (2015) and was member of the founding governing body of the Strategic Management Forum of India.</p>
अन्य कम्पनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. पश्चिम गुजरात विज्ञ कंपनी लि. 2. कनेक्ट सीएसआर इंपैक्टर्स प्रा.लि. 3. हसिज़ कंसल्टिंग लि. 	Directorship or Committee positions held in other Companies	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paschim Gujarat Vij Company Ltd. 2. Konnect CSR Impactors Pvt. Ltd. 3. Husys Consulting Ltd.
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	शून्य	No. of shares of Bank of Baroda held	- Nil

2 श्री अशोक कुमार गर्ग

2. Shri Ashok Kumar Garg

नाम	श्री अशोक कुमार गर्ग	Name	Shri Ashok Kumar Garg
पता	बी - 303 प्रेरणा, प्लॉट नं. 13, सेक्टर- 10, द्वारका, नई दिल्ली- 110075	Address	B-303 Prerana, Plot No.13, Sector 10, Dwaraka New Delhi - 110075
जन्म तिथि	14 जून, 1958	Date of Birth	14th June, 1958
आयु	58 वर्ष	Age	58
योग्यता	एम. कॉम, एलएलबी, सीएआईआईबी	Qualifications	M.Com LLB CAIIB
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत दिनांक 9 अगस्त, 2016 से 30 जून, 2017 तक अर्थात् उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है.	Nature of appointment as Director	Appointed as Executive Director by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 9th August, 2016 for a period upto 30.06.2018 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier



<p>अनुभव</p>	<p>श्री अशोक कुमार गर्ग को 09 अगस्त, 2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है. इससे पहले वे बैंक के यूएस परिचालन के मुख्य कार्यपालक थे.</p> <p>श्री गर्ग का जन्म 1958 में हुआ.आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक डिग्री तथा वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है. आप श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स (एसआरसीसी) के छात्र रहे हैं. आपने भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान से सीएआईआईबी भी की है.</p> <p>श्री गर्ग ने 1979 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा की सेवा ग्रहण की. अपने साढ़े तीन दशक से अधिक के पूरे कार्यकाल में आपने विभिन्न प्रकार के बैंकिंग परिचालनों, ऋण प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, अनुपालन, प्रशिक्षण एवं विकास, अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों आदि में गहन अनुभव प्राप्त किया है.</p> <p>श्री गर्ग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी बैंकर है जिन्होंने बैंक ऑफ़ बड़ौदा की भारत में स्थित शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालयों तथा कार्पोरेट कार्यालय में तथा तीन महाद्वीपों यूरोप (लन्दन), अफ्रीका (कम्पाला) एवं उत्तरी अमेरिका (न्यूयार्क) में फैले बैंक के कार्यालयों/ अनुषंगियों में कार्य किया है.</p> <p>बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लि. के प्रबंध निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री गर्ग बड़ौदा कैपिटल मार्केट (युगांडा) लि. के अध्यक्ष तथा युगांडा सिक्कूरिटीज़ एक्सचेंज (यूएसई) एवं युगांडा बैंकिंग एण्ड फायनैसियल सर्विसिज लि. के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है. श्री गर्ग बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी., जॉर्ज टाउन तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबेगो) लि., पोर्ट ऑफ स्पेन के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं .</p>	<p>Experience</p>	<p>Shri Ashok Kumar Garg has been appointed as Executive Director of Bank of Baroda on 09th August 2016. Prior to this, he was the Chief Executive of the Bank's US Operations.</p> <p>Born in 1958, Shri Garg holds a Masters Degree in Commerce and a Bachelor's Degree in Law from Delhi University. He is an alumni of Shri Ram College of Commerce (SRCC). He is also a certified Associate of Indian Institute of Banking & Finance (CAIIB).</p> <p>Shri Garg joined Bank of Baroda as a Probationary Officer in 1979. During his career spanning over three and half decades, he acquired rich experience of diverse Banking Operations, Credit Management, Project Management, Compliance, Training & Development, International Operations, etc.</p> <p>Shri Garg is an internationally accomplished banker having worked in Bank of Baroda Branches, Regional Office, Zonal Office and Corporate Office in India and with Bank's offices / Subsidiary spread over three continents, Europe (London), Africa (Kampala) & North America (New York).</p> <p>During his tenure as the Managing Director of Bank of Baroda (Uganda) Ltd., Shri Garg also served as the Chairman of Baroda Capital Markets (Uganda) Ltd., and as a Director on the Board of Uganda Securities Exchange (USE) and Uganda Banking and Financial Services Ltd. Shri Garg is also a Director on the Board of Bank of Baroda (Guyana) Inc., George Town and Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd., Port of Spain.</p>
<p>अन्य कम्पनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) लि. 2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबेगो) लि. 3. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्स सर्विसेज लि. 	<p>Directorship or Committee positions held in other Companies</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank of Baroda (Guyana) Ltd. 2. Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd. 3. Baroda Global Shares Services Ltd
<p>बैंक ऑफ़ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या</p>	<p>250 (पत्नी के नाम पर है)</p>	<p>No. of shares of Bank of Baroda held</p>	<p>250 (held in spouse name)</p>

3 श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल

3. Shri Gopal Krishan Agarwal

<p>नाम</p>	<p>श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल</p>	<p>Name</p>	<p>Shri Gopal Krishan Agarwal</p>
<p>पता</p>	<p>डी- 109, सेक्टर- 36, नोएडा - 201303</p>	<p>Address</p>	<p>D-109, Sector-36 Noida - 201303</p>
<p>जन्म तिथि</p>	<p>01 जून , 1962</p>	<p>Date of Birth</p>	<p>1st June, 1962</p>
<p>आयु</p>	<p>54 वर्ष</p>	<p>Age</p>	<p>54 years</p>



योग्यता	बी. कॉम (ऑनर्स) सीए	Qualifications	B.Com (H) CA
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (जी) के तहत 26.07.2016 से 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक सनदी लेखाकार की श्रेणी में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किए गए हैं.	Nature of appointment as Director	Nominated as Part-time Non-official Director w.e.f. 26.07.16 by the Central Government u/s 9(3)(g) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, under Chartered Accountant category for a period of three years or until further orders, whichever is earlier
अनुभव	<p>श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के सहयोगी सदस्य हैं, जिन्हें वित्तीय बाजार और आर्थिक मामलों में व्यापक अनुभव है. वह पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं. वे भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की केंद्रीय परिषद (आईसीएसआई) के सरकारी नामित और उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (नीपको) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं. वह भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय संरचना पर गठित कार्य-दल के भी सदस्य हैं.</p> <p>अपने पूर्व कार्यदायित्वों में वे एसोचेम की विभिन्न समितियों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट की सार्वजनिक वित्तीय समिति और सेबी की द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति के सदस्य थे. श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे जलाधिकार, नागरिक मंच, श्री जी गौसदन और दुग्ध सहकारी आंदोलन के साथ अन्य परियोजनाओं की शुरुआत की है. वे समाचार पत्रों, वित्तीय पत्रिकाओं में बड़े पैमाने पर लिखते हैं तथा इन विषयों पर सेमिनारों और सम्मेलनों में भाषण करते हैं. वे टीवी चैनलों पर आर्थिक हित के विभिन्न विषयों पर विचार रखते हुए भी देखे जा सकते हैं.</p> <p>वे देश के दो प्रमुख अनुसंधान संस्थानों डॉ. मुखर्जी स्मृति न्यास और इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन (आईपीएफ) के ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष हैं.</p>	Experience	<p>Shri Gopal Krishan Agarwal is a fellow member of the Institute of Chartered Accountant of India (ICAI) having vast experience in financial markets and economic issues. He is a Member of the Managing Committee of PHD Chamber of Commerce. He is govt nominee of the Central Council of Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and Independent Director on the Board of North Eastern Electric Power Co. (NEEPCO). He is also a member of the Task Force on Financial Architecture of MSME Sector set up by the Ministry of Finance, Government of India.</p> <p>In his previous roles he was member of various committees of Assocham, Public Finance Committee of the Institute of Chartered Accountant (ICAI) and Secondary Market Advisory Committee (SMAC) of SEBI.</p> <p>Shri Gopal Krishan Agarwal has initiated various public welfare projects like Jaladhikar, Nagrik Manch, Shree Ji Gausadan and Milk Cooperative Movement among many others. He extensively writes for newspaper, financial journals and delivers lectures in seminars & conferences on these subjects. He is also seen on television channels holding forth on different topics of economic interest.</p> <p>He is Trustee and Treasurer of Dr Mookherjee Smruti Nyas and India Policy Foundation (IPF), two premier research organizations in the country.</p>
अन्य कम्पनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रोफेशनल डाटा सिस्टम प्रा. लि. 2. गंगोत्री ओवरसीज प्रा. लि. 3. जेनुयिन क्रिएसंस प्रा. लि. 4. नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लि. 5. जलाधिकार फाउण्डेशन 	Directorship or Committee positions held in other Companies	<ol style="list-style-type: none"> 1. Professional Data System Pvt. Ltd. 2. Gangotri Overseas Pvt. Ltd. 3. Genuine Creations Pvt. Ltd. 4. North Eastern Electric Power Corporation Ltd. 5. Jaladhikar Foundation
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	शून्य	No. of shares of Bank of Baroda held	Nil



4 श्रीमती पापिया सेनगुप्ता

4. Smt. Papia Sengupta

नाम	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Name	Smt. Papia Sengupta
पता	फ्लैट नं. 14, जी-ब्लॉक, विनस कॉ. हा. सो. लि., डॉ. आर. जी. थडानी मार्ग, वर्ली सीफेस साउथ, वर्ली, मुंबई- 400 018	Address	Flat No.14, G-Block, Venus Co-op Hsg. Ltd., Dr. R.G. Thadani Marg, Worli Seaface South, Worli, Mumbai – 400 018
जन्म तिथि	27 सितंबर, 1959	Date of Birth	27th Sept. 1959
आयु	57 वर्ष	Age	57 years
योग्यता	बी.एस.सी, सीएफए, सीएआईआईबी	Qualifications	B.Sc., CFA, CAIIB
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत दिनांक 1 जनवरी, 2017 से 30 सितंबर, 2019 तक अर्थात् उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है.	Nature of appointment as Director	Appointed as Executive Director by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 1st January, 2017 for a period upto 30.09.2019 i.e. the date of her attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.
अनुभव	<p>श्रीमती सेनगुप्ता सीएफए और सीएआईआईबी की अतिरिक्त योग्यता के साथ, विज्ञान में स्नातक हैं. आपने 1983 में एसबीबीजे में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में सेवाग्रहण की और एसबीबीजे, एसबीआई और एसबीपी के विभिन्न कार्यालयों में जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है.</p> <p>हमारे बैंक ज्वाइन करने से पहले, आपने स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला(एसबीपी) में अप्रैल 2016 तक मुख्य महाप्रबंधक (रिटेल बैंकिंग) और जून 2015 तक मुख्य महाप्रबंधक (दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह) का पदभार संभाला. श्रीमती सेनगुप्ता ने स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर और जयपुर(एसबीबीजे) के दिल्ली नेटवर्क में महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है.</p> <p>अपने कार्यकाल के दौरान आपने विभिन्न संगठनों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे आईटी सुरक्षा, एएलएम, एचआर, ट्रेजरी प्रबंधन आदि में कार्य किया है. आपने दो दशकों से अधिक समय तक शाखा परिचालन का कार्यभार संभाला. आपको क्रेडिट तथा विदेशी मुद्रा परिचालन में भी व्यापक अनुभव है.</p>	Experience	<p>Smt. Sengupta is a Science Graduate, with additional qualification of CFA and CAIIB. She joined SBBJ in 1983 as Probationary Officer and has handled responsibilities in several offices of State Bank of Bikaner and Jaipur (SBBJ), State Bank of India (SBI) and State Bank of Patiala (SBP).</p> <p>Prior to joining our Bank, she held the position of Chief General Manager (Retail Banking) since April 2016 and Chief General Manager (Stressed Assets Management Group) since June 2015 at State Bank of Patiala. Smt. Sengupta also served as General Manager of the Delhi network at State Bank of Bikaner and Jaipur.</p> <p>During her tenure at the various organisations she had worked across various key areas such as IT Security, ALM, HR, Treasury Management etc. She has also handled branch operations for more than two decades and possess experience in Credit and Forex operations</p>
अन्य कम्पनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य	शून्य	Directorship or Committee positions held in other Companies	Nil
बैंक ऑफ़ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	शून्य	No. of shares of Bank of Baroda held	Nil



5 श्री अजय कुमार

5. Shri Ajay Kumar

नाम	श्री अजय कुमार	Name	Shri Ajay Kumar
पता	एन-4 टॉवर-ई, शालीमार ग्राण्ड, 10- जॉपलिंग रोड, लखनऊ	Address	N-4, Tower-E, Shalimar Grand, 10-Jopling Road, Lucknow
जन्म तिथि	20 मई 1969	Date of Birth	20th May, 1969
आयु	47 वर्ष	Age	47
योग्यता	एमए (अर्थशास्त्र), सीएआईआईबी, एमएस (बैंकिंग)	Qualifications	MA (Economics), CAIIB, MS (Banking)
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (सी) के तहत दिनांक 13 जनवरी 2017 से पदधारिता तक या अगले आदेशों तक केंद्र सरकार द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।	Nature of appointment as Director	Nominated as Director by the Central Government u/s 9(3)(c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 13th January, 2017 to hold the post until further orders.
अनुभव	<p>श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, लखनऊ को 13 जनवरी, 2017 से बैंक के निदेशक मंडल में भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।</p> <p>श्री अजय कुमार ने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और बैंकिंग में एमएस की डिग्री प्राप्त की है। वे भारतीय बैंकिंग संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट सदस्य (सीएआईआईबी) भी हैं।</p> <p>आपका जन्म 20 मई 1969 को हुआ। उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक में 1991 में सेवा ग्रहण की और उन्हें मुद्रा प्रबंधन, ग्रामीण ऋण एवं आयोजना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर कार्य करने का 25 वर्षों का व्यापक अनुभव है। उन्होंने एचडीएफसी बैंक तथा कोटक महिन्द्रा बैंक के वरिष्ठ पर्यवेक्षण प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है। वे इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक तथा यूको बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के लिए प्रिंसिपल निरीक्षणकर्ता अधिकारी (पीआईओ) भी थे और उन्होंने अपने नेतृत्व में यूको बैंक की व्यापक आस्ति गुणवत्ता समीक्षा भी की थी। इसके अलावा, उन्हें भारत में स्थित विदेशी बैंकों के संचालन की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्र में उन्होंने बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश तैयार करने तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति तैयार करने में नेतृत्व प्रदान किया। इससे पहले, उन्होंने अपने ग्रामीण ऋण एवं आयोजना विभाग के कार्यकाल के दौरान 4 ग्रामीण बैंकों के नामिती निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।</p>	Experience	<p>Shri Ajay Kumar, Regional Director, Reserve Bank of India, Lucknow, has been nominated as a Director on the Bank's Board representing Reserve Bank of India w.e.f. 13th January, 2017</p> <p>Shri Ajay Kumar has done his Masters in Economics and MS in Banking. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Banking (CAIIB).</p> <p>Born on 20th May, 1969, Shri Ajay Kumar joined Reserve Bank of India in December 1991 and has had a wide experience of 25 years of working in various capacities in the areas of currency management, rural credit and planning, foreign exchange management and banking supervision. He has worked as the Senior Supervisory Manager for the HDFC Bank and the Kotak Mahindra Bank. He was also the Principal Inspecting Officer (PIO) for the annual supervisory process of the Allahabad Bank, the United Bank and the UCO Bank, also conducted the comprehensive Asset Quality Review of the latter under his stewardship. Further, he was also assigned the responsibility of monitoring the conduct of foreign banks in India. In the area of foreign exchange management, he has been at the helm of formulating Risk Management Guidelines for banks and also Foreign Direct Investment Policy Framework. Earlier, he has also served as Nominee Director in four Regional Rural Banks during his stint in rural credit and planning.</p>
अन्य कम्पनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य	शून्य	Directorship or Committee positions held in other Companies	Nil
बैंक ऑफ़ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	शून्य	No. of shares of Bank of Baroda held	Nil



घोषणा

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 की अनुसूची V – भाग (डी) के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का घोषणा-पत्र

यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं बैंक के उच्च प्रबंधन कार्मिक, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियम 26 (3) के अनुसार “बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक हेतु निर्धारित आचार संहिता” के अनुपालन हेतु वचनबद्ध हैं। यह आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

पी. एस. जयकुमार

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान :- मुंबई
दि. :- 18 मई 2017

DECLARATION

Declaration of the Managing Director & CEO pursuant to Schedule V – Part (D) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the “Bank of Baroda - Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel” for the Financial Year Ended on 31st March, 2017 in accordance with Regulation 26(3) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of conduct has been posted on the Bank’s website.

For Bank of Baroda

P. S. Jayakumar

P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 18th May 2017



महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

Key Financial Indicators

S. No.	विवरण (प्रतिशत में) Particulars (In Percentage)	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) Interest Income / Average Working Funds (AWF)	7.34%	6.76%	6.62%	6.31%	6.27%
2	ब्याज व्यय / एडब्ल्यूएफ Interest expenses / AWF	4.98%	4.69%	4.59%	4.49%	4.26%
3	शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) Net Interest Margin (NIM)	2.66%	2.36%	2.31%	2.05%	2.19%
4	ब्याज विस्तार / एडब्ल्यूएफ Interest spread / AWF	2.36%	2.08%	2.03%	1.83%	2.01%
5	गैर-ब्याज आय / एडब्ल्यूएफ Non-Interest Income / AWF	0.76%	0.78%	0.68%	0.72%	1.00%
6	परिचालन व्यय / एडब्ल्यूएफ Operating expenses / AWF	1.24%	1.24%	1.18%	1.28%	1.38%
7	लागत-आय अनुपात Cost Income Ratio	39.79%	43.44%	43.63%	50.30%	45.86%
8	सकल (परिचालन) लाभ / एडब्ल्यूएफ Gross (Operating) profit / AWF	1.88%	1.61%	1.53%	1.26%	1.63%
9	शुद्ध लाभ / एडब्ल्यूएफ Net profit / AWF	0.93%	0.79%	0.52%	-0.77%	0.21%
10	शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ Return on Net Worth	14.59%	13.00%	9.21%	-17.64%	4.53%
11	आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets	0.82%	0.69%	0.48%	-0.80%	0.20%
12	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Average Assets	0.90%	0.75%	0.49%	-0.78%	0.20%
13	अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advances	8.90%	8.32%	8.11%	7.35%	7.27%
14	जमा राशियों की लागत Cost of Deposits	5.80%	5.38%	5.18%	5.05%	4.78%
15	लाभांश भुगतान अनुपात (कार्पोरेट लाभांश कर सहित) Dividend payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)	23.65%	23.86%	25.06%	0.00%	24.06%
16	ऋण-जमा अनुपात Credit -- Deposit Ratio	82.03%	86.15%	84.82%	78.29%	71.86%
17	ऋण + गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) / जमा अनुपात Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) / Deposit Ratio	86.17%	90.00%	89.10%	80.82%	73.98%
18	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल II Capital Adequacy Ratio - BASEL II	13.30%	12.88%	13.33%	14.20%	-
	टीयर - I Tier - I	10.13%	9.54%	10.14%	11.21%	-
	टीयर - II Tier - II	3.17%	3.34%	3.20%	2.99%	-
19	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल II Capital Adequacy Ratio - BASEL II		12.28%	12.60%	13.17%	12.24%
	टीयर - I Tier - I		9.28%	9.87%	10.79%	9.93%
	टीयर - II Tier - II		3.00%	2.73%	2.38%	2.31%



क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017
1	कर्मचारी (संख्या) Employees (number)	43108	46001	49378	52021	52420
2	शाखाएं (संख्या) Branches (number)	4336	4934	5250	5390	5481
3	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में) Business per employee (₹ in crore)	16.89	18.65	18.89	16.80	17.49
4	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (₹ करोड़ में) Average Business per employee (₹ in crore)	15.71	17.48	18.48	18.90	17.91
5	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाखों में) Gross Profit per employee (₹ in lakh)	20.88	20.20	20.08	16.95	20.94
6	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाखों में) Net Profit per employee (₹ in lakh)	10.39	9.87	6.88	-ve	2.64
7	प्रति शाखा व्यवसाय (₹ करोड़ में) Business per branch (₹ in crore)	184.98	195.76	199.17	177.70	179.70
8	प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड़ में) Gross Profit per branch (₹ in crore)	2.08	1.88	1.89	1.64	2.00
9	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में) Net Profit per branch (₹ in crore)	1.03	0.92	0.65	-ve	0.25
10	प्रति शेयर आय (₹) Earnings per share (₹)	108.84	107.38	15.83*	-ve	6.00*
11	प्रति शेयर बहीमूल्य (₹) Book Value per share (₹)	729.11	813.50	166.83*	132.74*	132.46*

स्रोत: विभिन्न वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (जहां उपयुक्त लगा, पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुनर्समूहीकृत / पुनःवर्गीकृत किया गया है) @ ₹ 2/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर
Source: Annual Reports of various years. (previous year's figures are regrouped and reclassified, where appropriate)*@ face value of ₹ 2/- per share



परिभाषाएं / Definitions

औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	: कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत;	Average Working Funds (AWF)	: Fortnightly / Daily Average of Total Assets
औसत जमाराशियां	: कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत;	Average Deposits	: Fortnightly / Daily Average of Total Deposits
औसत अग्रिम	: कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत;	Average Advances	: Fortnightly / Daily Average of Total Advances
औसत व्यवसाय	: औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग;	Average Business	: Total of Average Deposits & Average Advances
औसत निवेश	: कुल निवेशों का पाक्षिक औसत;	Average Investments	: Fortnightly / Daily Average of Total Investments
ब्याज आय/(एडब्ल्यूएफ)	: कुल ब्याज आय का औसत विभाजित करें कार्यशील निधियों से;	Interest Income/AWF	: Total Interest Income Divided by AWF
ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ	: कुल ब्याज व्यय भाग दें एडब्ल्यूएफ;	Interest Expenses/AWF	: Total Interest Expenses Divided by AWF
ब्याज विस्तार/एडब्ल्यूएफ	: (कुल ब्याज आय घटाएं : कुल ब्याज व्यय) विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;	Interest Spread/AWF	: (Total Interest Income minus Total Interest Expenses) Divided by AWF
गैरब्याज आय/एडब्ल्यूएफ	: कुल गैर ब्याज आय विभाजित करें औसत कार्यशील निधि से;	Non-Interest Income/AWF	: Total Non-Interest Income Divided by AWF
परिचालन व्यय	: कुल खर्च घटाएं ब्याज खर्च	Operating Expenses	: Total Expenses minus Interest Expenses
परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ	: कुल परिचालन व्यय विभाजित करें औसत कार्यशील निधि से;	Operating Expenses/AWF	: Operating Expenses Divided by AWF
लागत आय अनुपात	: परिचालन व्यय विभाजित करें (गैरब्याज आय + ब्याज स्प्रेड) से;	Cost Income Ratio	: Operating Expenses Divided by (Non Interest Income plus Interest Spread)
सकल (परिचालन) लाभ/एडब्ल्यूएफ	: परिचालन लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;	Gross (Operating) Profit/AWF	: Operating Profit divided by AWF
शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;	Net Profit/AWF	: Net Profit Divided by AWF
शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें शुद्ध मालियत से (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि को छोड़कर);	Return on Net Worth	: Net Profit Divided by Net Worth (excluding Revaluation Reserves, FCTR & Deferred Tax Assets)
आस्तियों पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें कुल आस्तियों से;	Return on Assets	: Net Profit Divided by Total Assets
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें औसत आस्तियों से;	Return on Average Assets	: Net Profit Divided by Average Assets
अग्रिमों पर प्रतिफल	: अग्रिमों पर अर्जित ब्याज विभाजित करें औसत अग्रिम से;	Yield on Advances	: Interest Earned on Advances Divided by Average Advances
जमाराशियों की लागत	: जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज विभाजित करें औसत जमाराशियों से;	Cost of Deposits	: Interest paid on Deposits Divided by Average Deposits
लाभांश भुगतान अनुपात (कारपोरेट लाभांश कर सहित)	: लाभांश, कारपोरेट लाभांश कर सहित; विभाजित करें शुद्ध लाभ से;	Dividend Payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)	: Dividend including Corporate Dividend Tax Divided by Net Profit
ऋण जमा अनुपात	: कुल अग्रिम विभाजित करें ग्राहकों की जमाराशियों से (अर्थात् कुल जमाराशियां - घटाएँ अंतर बैंक जमा राशियां)	Credit - Deposit Ratio	: Total Advances Divided by Customer Deposits (i.e., Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) - जमाराशि अनुपात;	: (कुल अग्रिम + गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश - घटाएँ अनुषंगी इकाइयों में निवेश) विभाजित करें ग्राहकों की जमाओं से;	Credit + Non SLR Investments (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio	: (Total Advances Plus Non-SLR Investments minus Investments in Subsidiaries) Divided by Customer Deposits
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	: समग्र जमाराशियां + कुल अग्रिम विभाजित करें, कर्मचारियों की कुल संख्या से	Business Per Employee	: Core Deposits plus Total Advances Divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	: औसत जमाराशियां + औसत अग्रिम/विभाजित करें कर्मचारियों की कुल संख्या से	Average Business Per Employee	: Average Deposits plus Average Advances divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	: सकल लाभ को विभाजित करें, कर्मचारियों की कुल संख्या से;	Gross Profit Per Employee	: Gross Profit Divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ को विभाजित करें कर्मचारियों की कुल संख्या से;	Net Profit Per Employee	: Net Profit Divided by Total No. of Employees
प्रति शाखा कारोबार	: कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम को विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	Business Per Branch	: Total Deposits plus Total Advances divided by No. of Branches
प्रति शाखा सकल लाभ	: सकल लाभ को विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	Gross Profit Per Branch	: Gross Profit Divided by No. of Branches
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	Net Profit Per Branch	: Net Profit Divided by No. of Branches
प्रति शेयर आय	: शुद्ध लाभ को विभाजित करें अंकित मूल्य हेतु समायोजित बकाया शेयरों की संख्या से	Earning Per Share	: Net Profit divided by number of outstanding shares adjusted for face value
प्रति शेयर बही मूल्य	: शुद्ध मालियत {पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि + एफसीटीआर + डीटीए (वित्तीय वर्ष 15, 16 एवं 17 के लिए) अंकित मूल्य हेतु समायोजित बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित}	Book Value Per Share	: Net Worth {excluding Revaluation Reserves + FCTR + DTA (for FY 2015, 2016 & 2017 divided by number of outstanding shares adjusted for face value)}

*जहां भी दैनिक औसत का उल्लेख हुआ है, वे मार्च 2016 एवं मार्च 2017 से संबद्ध हैं.

*Wherever daily average are mentioned, they relate to March 2016 & March 2017.



31 मार्च, 2017 का तुलन-पत्र

Balance Sheet as on 31st March, 2017

		(₹ in 000's)	
	अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016
पूंजी और देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES		
पूंजी	Capital	462,09,31	462,09,31
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves and Surplus	39841,16,02	39736,89,22
जमाराशियां	Deposits	601675,17,29	574037,87,22
उधार ली गई राशियां	Borrowings	30611,44,00	33471,70,02
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	22285,55,73	23667,91,92
कुल	T O T A L	694875,42,35	671376,47,69
आस्तियां	ASSETS		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम	Cash and Balances with Reserve Bank of India	22780,21,33	21672,41,54
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	127689,69,92	112227,93,45
निवेश	Investments	129630,53,96	120450,52,10
अग्रिम	Advances	383259,22,31	383770,18,03
अचल आस्तियां	Fixed Assets	5758,37,34	6253,77,56
अन्य आस्तियां	Other Assets	25757,37,49	27001,65,01
कुल	T O T A L	694875,42,35	671376,47,69
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	252518,96,05	228977,16,33
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection	37599,41,85	32343,74,34
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17	
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18	

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

निदेशक		लेखा परीक्षक	
रवि वैकटेशन अध्यक्ष	पी एस जयकुमार प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.	उषा ए नारायणन निदेशक	कृते वाही एण्ड गुप्ता सनदी लेखाकार एफआरएन: 002263N
मयंक के मेहता कार्यपालक निदेशक	अशोक कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक	पापिया सेनगुप्ता कार्यपालक निदेशक	(अनुज गुप्ता) भागीदार एम नं. 076560
अशोक उंगायच उप महाप्रबंधक कार्पो. लेखा एवं कराधान स्थान: मुंबई दिनांक: 18 मई, 2017	संजय कुमार महाप्रबंधक (एस पी एवं पी बी) तथा सीएफओ	कृते रोडी दबीर एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन: 108846W (सुधीर दबीर) भागीदार एम नं.039984 स्थान: मुंबई दिनांक: 18 मई, 2017	कृते एस आर गोयल एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन: 001537C (निकीता गोयल) भागीदार एम नं. 142555 कृते कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री एलएलपी सनदी लेखाकार एफआरएन: 104607W/W100166 (डेराइस फ्रेजर) भागीदार एम नं. 042454



31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2017

(₹ in 000's)

	अनुसूची SCHED- ULE	31 मार्च 2017 को Year Ended 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को Year Ended 31 st March 2016
I. आय	I. INCOME		
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	42199,92,98
अन्य आय	Other Income	14	6758,06,09
कुल	TOTAL		48957,99,07
II. व्यय	II. EXPENDITURE		
खर्च किया गया ब्याज	Interest Expended	15	28686,51,91
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	9296,40,23
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions and Contingencies		9591,93,33
कुल	TOTAL		47574,85,47
III. लाभ/हानि	III. PROFIT / LOSS		
अवधि का शुद्ध लाभ/हानि	Net Profit / (Loss) for the period		1383,13,60
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	Available for Appropriation		1383,13,60
विनियोजन/अंतरण	Appropriations / Transfers		
क) सांविधिक प्रारक्षित निधि	a) Statutory Reserve		345,78,39
ख) पूंजीगत प्रारक्षित निधि	b) Capital Reserve		353,64,92
ग) राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	c) Revenue and Other Reserves		
I) सामान्य प्रारक्षित निधि	I) General Reserve		0
II) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	II) Special Reserve u/s 36 (1) (viii) of the Income Tax Act 1961		350,91,51
III) निवेश प्रारक्षित निधि खाता	III) Investment Reserve Account		0
IV) गत वर्ष के अतिरिक्त विनियोजन से अन्तरण.	IV) Transfer from Excess Appropriation of previous year		0
घ) प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	d) Proposed Dividend (including Dividend Tax)		332,78,78
कुल	TOTAL		1383,13,60
प्रति शेयर मूल एवं न्यून अर्जन (₹)	Basic & Diluted Earnings per Share (₹)		6.00
(सांकेतिक मूल्य प्रति शेयर ₹ 2)	(Nominal value per share ₹ 2)		(23.89)
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17	
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18	

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं.
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

DIRECTORS

Ravi Venkatesan Chairman	P S Jayakumar Managing Director & CEO	Usha A. Narayanan Director
Mayank K Mehta Executive Director	Ashok Kumar Garg Executive Director	Papia Sengupta Executive Director
Ashok Dangaich Dy General Manager Corp. A/Cs & Taxation Place: Mumbai Date: 18 th May 2017	Sanjay Kumar General Manager (SP & PB) and CFO	

AUDITORS

For Wahi & Gupta Chartered Accountants FRN : 002263N	For S R Goyal & Co Chartered Accountants FRN : 001537C
(Anuj Gupta) Partner M No. : 076560	(Nikita Goyal) Partner M No.: 142555
For Rodi Dabir & Co. Chartered Accountants FRN : 108846W	For Kalyaniwalla & Mistry LLP Chartered Accountants FRN : 104607W/W100166
(Sudhir Dabir) Partner M No.: 039984 Place: Mumbai Date: 18 th May 2017	(Daraius Fraser) Partner M No.: 042454



तुलन पत्र की अनुसूचियां
Schedules to Balance Sheet

		(₹ in 000's)	
		31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016
अनुसूची -1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी	AUTHORISED CAPITAL		
प्रति ₹ 2/- के 1500,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 1500,00,00,000/- प्रति शेयर ₹ 2/- के)	1500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each (previous year 1500,00,00,000/- shares of ₹. 2/- each)	3000,00,00	3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL		
प्रति ₹ 2/- के 231,78,27,098 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 231,78,27,098 इक्विटी शेयर प्रति ₹ 2/- के)	231,78,27,098 Equity Shares of ₹ 2/- each (previous year 231,78,27,098 shares of ₹. 2/- each)	463,56,54	463,56,54
मांगी गई पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL		
प्रति ₹ 2/- के 230,41,59,598 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 230,41,59,598 शेयर) जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 272.99 करोड़ राशि के 136,49,40,578 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 136,49,40,578 शेयर) शामिल हैं.	230,41,59,598 (previous year 230,41,59,598) Equity Shares of ₹ 2 each including 136,49,40,578 Equity Shares (previous year 136,49,40,578 Shares) amounting to ₹ 272.99 crores held by Central Government	460,83,19	460,83,19
जोड़ें : जब्त किए गए शेयर जोड़	Add : Forfeited Shares TOTAL	1,26,12 <u>462,09,31</u>	1,26,12 <u>443,56,04</u>
अनुसूची-2 प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS		
I सांविधिक प्रारक्षित निधियां	I Statutory Reserves		
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	8968,97,29	8968,97,29
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	345,78,39	-
		9314,75,68	8968,97,29
II प्रारक्षित पूंजी	II Capital Reserves		
(₹ 3575.96 करोड़ की पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित निधि सहित (पिछले वर्ष ₹ 4126.21 करोड़))	(including Revaluation Reserve of ₹ 3575.96 crores (previous years ₹ 4126.21 crores))		
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	5125,77,32	1986,86,27
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	353,64,92	3241,31,50
अवधि के दौरान समायोजन	Adjustments during the period	(32,13,64)	(96,79)
		<u>5447,28,60</u>	<u>5227,20,98</u>
कटौतियां:	Deductions:		



(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017		31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016	
लाभ-हानि खाते में अंतरित पूनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यांश	Depreciation on revalued fixed assets transferred to Profit & Loss account	(518,10,87)	4929,17,73	(101,43,66)	5125,77,32
III शेयर प्रीमियम	III Share Premium				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	10729,00,93		8961,54,21	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	-	10729,00,93	1767,46,72	10729,00,93
IV राजस्व और अन्य प्रारक्षित / निधियां	IV Revenue and other Reserves				
ए) सांविधिक प्रारक्षित निधियां (विदेशी)	a) Statutory Reserve (Foreign)				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	106,39,92		106,39,92	
अवधि के दौरान समायोजन	Adjustments during the period	-		-	
		106,39,92		106,39,92	
बी) आयकर अधिनियम 1960 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	b) Special Reserve u/s 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	4415,20,52		4415,20,52	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	350,91,51		-	
		4766,12,03		4415,20,52	
सी) विदेशी मुद्रा रु पान्तरित प्रारक्षित निधियां	c) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	2238,55,01		1952,80,04	
अवधि के दौरान समायोजन	Adjustments during the period	(545,17,98)		285,74,97	
		1693,37,03		2238,55,01	
	Foreign Currency Translation Reserve (Realised)	193,36,44		-	
		1886,73,47		2238,55,01	
डी) निवेश प्रारक्षित लेखा	d) Investment Reserve Account				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	130,46,31		130,46,31	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	-		-	
		130,46,31		130,46,31	
ई) अन्य प्रारक्षित निधियां	e) Other Reserves				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	8022,51,92		12869,54,16	
अवधि के दौरान परिवर्धन/ (कटौती)	Additions / (Deductions) during the period	-		(53,955,373)	
अवधि के दौरान समायोजन	Adjustments during the period	(44,01,97)		548,51,49	
		7978,49,95		8022,51,92	
जोड़ - IV (ए, बी, सी, डी और ई)	TOTAL - IV (a, b, c, d & e)		14868,21,68		14913,13,68
जोड़ (I से IV)	TOTAL (I to IV)		39841,16,02		39736,89,22



(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016
अनुसूची-3 जमाराशियां		SCHEDULE - 3 DEPOSITS	
क. I मांग-जमाराशियां	A. I Demand Deposits		
i) बैंकों से	i) From Banks	2231,67,62	1374,23,13
ii) अन्य से	ii) From Others	40287,59,33	42519,26,95
II बचत बैंक जमाराशियां	II Savings Bank Deposits		
		150976,49,13	116705,40,95
III मीयादी जमाराशियां	III Term Deposits		
i) बैंकों से	i) From Banks	66084,78,25	82455,97,87
ii) अन्य से	ii) From Others	342094,62,96	408179,41,21
जोड़ (I से III)	TOTAL (I to III)	601675,17,29	574037,87,22
ख. I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	B. I Deposits of branches in India	440092,15,23	394843,96,82
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	II Deposits of branches outside India	161583,02,06	179193,90,40
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)	601675,17,29	574037,87,22
अनुसूची - 4 उधार ली गयी राशियां		SCHEDULE - 4 BORROWINGS	
I. भारत में उधार ली गयी राशियां	I Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	-	-
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	544,91,52	387,98,49
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	961,01,21	193,22,47
iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	4911,70,00	1911,70,00
v) बांडों के रूप में जारी हाय ब्रिड ऋण पूंजी लिखत	v) Hybrid Debt Capital Instruments issued as bonds	3310,00,00	5230,00,00
vi) गौण बांड	vi) Subordinated Bonds	4190,00,00	4190,00,00
जोड़ (I to VI)	TOTAL (I to VI)	13917,62,73	11912,90,96
II. भारत के बाहर उधार ली गयी राशियां (300 मिलियन यूएस डॉलर अर्थात ₹ 1945.50 करोड़ के एमटीएन बांड सहित) (पिछले वर्ष 300 मिलियन यूएस डॉलर अर्थात ₹ 1987.65 करोड़)	II Borrowings outside India (includes MTN Bonds of USD 300 mn, INR equivalent of ₹ 1945.50 crores (previous year USD 300mn ₹ 1987.65 crores))	16693,81,27	21558,79,06
जोड़-उधार ली गई राशियां (I एवं II)	Total - Borrowings (I & II)	30611,44,00	33471,70,02
उपरोक्त में शामिल जमानती उधार राशियां	Secured Borrowings included in above	1235,42,50	1595,38,45



(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016
अनुसूची - 5 अन्य देयताएं और प्रावधान :	SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I देय बिल	I Bills Payable	2140,21,45	1675,58,78
II अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	II Inter Office Adjustments (Net)	1257,40,63	393,84,59
III उपचित ब्याज	III Interest Accrued	3358,55,74	3927,99,71
IV मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान	IV Contingent Provision against Standard Advances	3517,67,03	2751,23,49
V अन्य (प्रावधानों सहित) जोड़ (I से V)	V Others (including provisions) TOTAL (I to V)	12011,70,88 <u>22285,55,73</u>	14919,25,35 <u>23667,91,92</u>
अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)	2955,36,49	3756,44,51
II भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाते में शेष राशि जोड़ (I और II)	II Balances with Reserve Bank of India in Current Account TOTAL (I & II)	19824,84,84 <u>22780,21,33</u>	17915,97,03 <u>21672,41,54</u>
अनुसूची -7 बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I भारत में	I In India		
i) बैंकों के पास शेष राशि	i) Balances with Banks		
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	685,17,63	2149,68,02
ख) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	811,49,85	1496,67,48
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	ii) Money at call and short notice with		
क) बैंकों के पास	a) Banks	23300,00,00	600,00,00
ख) अन्य संस्थानों के पास जोड़ (i और ii)	b) Other institutions TOTAL (i and ii)	68,34,01 24865,01,49	- 4660,20,20
II भारत से बाहर	II Outside India		
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	16722,82,92	13388,57,06
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	62692,13,93	59387,13,14
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि जोड़ (i, ii और iii)	iii) Money at Call and Short Notice with Banks TOTAL (i, ii and iii)	23409,71,58 102824,68,43	34792,03,05 107567,73,25
कुल जोड़ (I और II)	TOTAL (I and II)	<u>127689,69,92</u>	<u>112227,93,45</u>



(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016
अनुसूची-8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS		
I भारत में निवेश (सकल)	I Investments in India (Gross)	122169,17,10	111693,35,83
घटाये : मूल्यांश के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	771,31,23	808,18,79
भारत में शुद्ध निवेश	Net Investments in India	121397,85,87	110885,17,04
अलग-अलग विवरण	B R E A K - U P		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	110984,66,89	100428,36,43
(क्विलयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में लॉज किए गए ₹ 1043.07 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹ 657.00 करोड़) के ₹ 996.80 करोड़ सहित (पिछले वर्ष ₹ 626.70 करोड़) शामिल है	[Includes ₹996.80 crores (Previous year ₹ 626.70 crores) face value of ₹1043.07 crores (Previous year ₹657.00 crores) lodged with Clg. Corp. of India]		
[एमसीएक्स के साथ लॉज किए गए ₹ 2.00 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹ 2.00 करोड़) के ₹ 0.95 करोड़ सहित (पिछले वर्ष ₹ 1.90 करोड़)]	[Includes ₹0.95 crores (Previous year ₹ 1.90 crores) face value of ₹2.00 crores (Previous year ₹ 2.00 crores) lodged with MCX]		
[एनएसई के पास लॉज किए गए ₹ 10.00 करोड़ अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹ 10.00 करोड़) के ₹ 9.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 9.50 करोड़)] शामिल है	[Includes ₹9.50 crores (Previous year ₹9.50 crores) face value of ₹ 10.00 crores (Previous year ₹10.00 crores) lodged with NSE]		
[बीएसई के पास लॉज किए गए ₹ 1.00 करोड़ अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹ 1.00 करोड़) के ₹ 0.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.95 करोड़)] शामिल है	[Includes ₹ 0.95 crores (Previous year ₹0.95 crores) face value of ₹ 1.00 crores (Previous year ₹1.00 crores) lodged with BSE]		
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	1,28,00	1,28,00
iii) शेयर	iii) Shares	1704,42,88	1259,89,15
iv) डिबेंचर और बांड	iv) Debentures and Bonds	2927,41,25	2558,59,53
v) अनुषंगी इकाइयां और / या संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures	922,56,40	901,11,37



(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016
vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक पत्रों, यूटीआई व अन्य म्यूचुअल फंड की यूनिटें, पास-थ्रू प्रमाण पत्र आदि)	vi) Other Investments (Commercial Papers, Units of UTI & Other Mutual Funds, Pass Through Certificates etc.)	4857,50,45	5735,92,56
		<u>121397,85,87</u>	<u>110885,17,04</u>
II भारत के बाहर निवेश (सकल)	II Investments Outside India (Gross)	8549,50,56	9892,22,39
घटायें : मूल्यों के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	<u>316,82,47</u>	<u>326,87,33</u>
भारत के बाहर शुद्ध निवेश	Net Investments Outside India	8232,68,09	9565,35,06
अलग-अलग विवरण	B R E A K - U P		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (Including Local Authorities)	3166,13,78	3223,43,08
ii) विदेशों में अनुषंगियां तथा / अथवा संयुक्त उद्यम	ii) Subsidiaries and/or joint ventures abroad	800,10,78	800,10,78
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर्स, बॉण्ड्स आदि)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	<u>4266,43,53</u>	<u>5541,81,20</u>
		<u>8232,68,09</u>	<u>9565,35,06</u>
जोड़ (I और II)	TOTAL (I and II)	<u>129630,53,96</u>	<u>120450,52,10</u>



(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016
अनुसूची-9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES		
क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	46973,23,31	49979,88,52
ii) नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	158480,50,77	167987,44,83
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	177805,48,23	165802,84,68
जोड़ क (i से iii)	TOTAL A (i to iii)	383259,22,31	383770,18,03
ख. i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूतित (बही-ऋण की एवज में अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	264267,38,12	270152,65,07
ii) बैंक/सरकारी गारंटी से रक्षित	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	58712,81,49	68401,47,15
iii) गैर-जमानती	iii) Unsecured	60279,02,70	45216,05,81
जोड़ ख (i से iii)	TOTAL B (i to iii)	383259,22,31	383770,18,03
ग. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India		
i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i Priority Sector	104076,65,09	92178,01,69
ii सार्वजनिक क्षेत्र	ii Public Sector	14868,85,55	16324,94,94
iii बैंक	iii Banks	1278,77,70	5738,67,21
iv अन्य	iv Others	157299,45,27	149026,74,48
		277523,73,61	263268,38,32
II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India		
i बैंकों से प्राप्य	i Due from Banks	54645,62,20	63346,54,91
ii अन्य से प्राप्य	ii Due from Others		
a) खरीदे और भुनाए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	3989,68,67	2823,71,96
b) सिंडीकेट ऋण	b) Syndicated Loans	18170,87,06	20554,50,59
c) अन्य	c) Others	28929,30,77	33777,02,25
जोड़ ग (I और II)	TOTAL C (I & II)	383259,22,31	383770,18,03



(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017		31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016	
अनुसूची-10 अचल आस्तियां	SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS				
I परिसर	I Premises				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31 st March of the preceding year	6229,39,60		2887,52,35	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन (पुनर्मूल्यांकित राशि सहित)	Additions/adjustments during the year (Includes revalued amount)	231,27,46		3341,87,25	
		6460,67,06		6229,39,60	
वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Deductions/adjustments during the year	166,28,21		-	
		6294,38,85		6229,39,60	
घटाएं - आज की तारीख तक मूल्यांश/परिशोधन	Less:- Depreciation/Amortisation to date	1768,88,40	4525,50,45	1231,91,14	4997,48,46
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर को मिलाकर)	II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31 st March of the preceding year	4265,37,18		3653,96,35	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions/adjustments during the year	500,66,70		674,99,56	
		4766,03,88		4328,95,91	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less:- Deductions/adjustments during the year	105,17,45		63,58,73	
		4660,86,43		4265,37,18	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यांश	Less:- Depreciation to date	3427,99,54	1232,86,89	3009,08,08	1256,29,10
जोड़ (I से II)	TOTAL (I to II)		5758,37,34		6253,77,56
अनुसूची -11 अन्य आस्तियां	SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS				
I उपचित ब्याज	I Interest Accrued		5005,56,76		5346,70,34
II अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	II Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)		2857,68,97		5360,76,75
III लेखन सामग्री और स्टाम्प	III Stationery & Stamps		9,05,43		9,90,42
III अन्य	III Others		17885,06,33		16284,27,50
जोड़ (I से IV)	TOTAL (I to IV)		25757,37,49		27001,65,01



(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016
अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं	SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES		
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें देनदारी नहीं माना गया	I Claims against the Bank not acknowledged as Debts	188,10,57	371,95,10
II आंशिक चुकता निवेशों के लिये देयता	II Liability for partly paid Investments	99,61,78	28,00
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	157820,04,07	142320,13,27
IV संघटकों की ओर से दी गयी गारंटियां :	IV Guarantees given on behalf of Constituents :		
क) भारत में	a) In India	19998,53,92	21006,79,67
ख) भारत से बाहर	b) Outside India	5144,52,46	25143,06,38
V स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations	18179,51,09	16679,37,90
VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है,	VI Other items for which the Bank is Contingently liable	51088,62,16	37067,94,34
जोड़ (I से VI)	TOTAL (I to VI)	252518,96,05	228977,16,33



लाभ व हानि लेखा की अनुसूचियां
Schedules to Profit & Loss Account

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को Year Ended 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को Year Ended 31 st March 2016	
अनुसूची-13 अर्जित ब्याज		SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED		
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	I Interest / Discount on Advances / Bills	27523,92,82	29796,23,23
II	निवेशों पर आय	II Income on Investments	10596,33,49	10673,22,27
III	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष रकम और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	1990,85,98	1305,92,32
IV	अन्य	IV Others	2088,80,69	2285,89,92
	जोड़ (I से IV)	TOTAL (I to IV)	<u>42199,92,98</u>	<u>44061,27,74</u>
अनुसूची -14 अन्य आय		SCHEDULE - 14 OTHER INCOME		
I	कमीशन, विनिमय और दलाली	I Commission, Exchange and Brokerage	1566,10,06	1501,48,55
II	निवेशों के विक्रय पर लाभ	II Profit on sale of Investments	2681,48,83	1202,78,80
	घटाएं : निवेशों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Investments	<u>63,48,07</u>	<u>23,92,85</u>
III	भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	III Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	79,71,46	4,38,69
	घटाएं : भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	<u>1,72,69</u>	<u>2,22,78</u>
IV	विनिमय लेन-देन पर लाभ	IV Profit on Exchange Transactions	975,97,39	1256,28,49
	घटाएं : विनिमय लेन-देन पर हानि	Less: Loss on Exchange Transactions	<u>7,89</u>	<u>3,97,32</u>
V	विदेशों/भारत में अनुषंगी इकाइयों कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V Income Earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/ in India	51,47,92	45,56,38
VI	विविध आय	VI Miscellaneous Income	1468,59,08	1018,48,20
	जोड़ (I से VI)	TOTAL (I to VI)	<u>6758,06,09</u>	<u>4998,86,16</u>



लाभ व हानि लेखा की अनुसूचियां
Schedules to Profit & Loss Account

		(₹ in 000's)	
		31 मार्च 2017 को Year Ended 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को Year Ended 31 st March 2016
अनुसूची-15	SCHEDULE - 15		
खर्च किया गया ब्याज	INTEREST EXPENDED		
I जमाराशियों पर ब्याज	I Interest on Deposits	26783,50,65	29200,11,00
II भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank Borrowings	314,82,59	345,02,56
III अन्य	III Others	1588,18,67	1776,29,01
जोड़ (I से III)	TOTAL (I to III)	<u>28686,51,91</u>	<u>31321,42,57</u>
अनुसूची-16	SCHEDULE - 16		
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES		
I कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees	4637,77,19	4978,02,55
II किराया, कर और बिजली	II Rent, Taxes and Lighting	939,97,81	862,02,31
III छपाई और लेखन सामग्री	III Printing and Stationery	83,20,88	81,91,65
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity	99,08,47	75,94,90
V बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यांकन	V Depreciation on Bank's Property	1029,45,78	602,76,38
घटायें : अचल सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण प्रारक्षित पूंजी से समायोजित मूल्यांकन	Less Depreciation adjusted from capital reserve on account of revaluation of immovable properties	<u>518,10,87</u>	<u>101,43,66</u>
VI निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses	99,69	69,18
VII लेखा परीक्षकों की फीस और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्च सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)	57,37,35	57,69,92
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges	62,54,77	54,61,24
IX डाक, टेलीफोन आदि	IX Postages, Telephones etc.	166,91,17	154,32,23
X मरम्मत और रखरखाव	X Repairs and Maintenance	612,83,13	539,77,94
XI बीमा	XI Insurance	505,86,13	490,08,58
XII अन्य खर्च	XII Other Expenditure	1618,48,73	1126,70,49
जोड़ (I से XII)	TOTAL (I to XII)	<u>9296,40,23</u>	<u>8923,13,71</u>



अनुसूची 17 - मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां
Schedule 17 - Significant Accounting Policies for the year ended March 31, 2017

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण-पत्र, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार की गई हैं। ये भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी)के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणाली का अनुपालन किया गया है।

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने में वित्तीय विवरण-पत्र की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कतिपय अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं। भावी परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी परिवर्तन/संशोधन वर्तमान एवं भावी अवधि से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

3. निवेश

3.1 वर्गीकरण

बैंक के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार किया गया है, जिसमें:

- (ए) “परिपक्वता तक धारित” (एचटीएम) में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (बी) “व्यापार हेतु धारित” (एचएफटी) में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (सी) “बिक्री हेतु उपलब्ध” (एएफएस) में वे निवेश शामिल हैं, जो उपरोक्त (क) तथा (ख) में शामिल नहीं हैं, अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।

3.2 अधिग्रहण लागत

निवेश की अधिग्रहण लागत में प्रोत्साहनों एवं प्रारंभिक शुल्क राशि घटाकर है।

3.3 मूल्यांकन का आधार

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक हो, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की

1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3 INVESTMENTS

3.1 Classification

The Investment portfolio of the Bank is classified, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, into:

- a. “Held to Maturity” (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.
- b. “Held for Trading” (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade.
- c. “Available for Sale” (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

3.2 Acquisition Cost

Cost of acquisition of Investments is net of incentives and front-end fees.

3.3 Basis of Valuation

Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.



शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है।

परिपक्वता तक धारित' के रूप में वर्गीकृत निवेशों में डिबेंचर/बॉण्ड, जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है, शामिल हैं (जिनके लिए आस्ति वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं)।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिलों, कमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाण-पत्रों पर किए गए निवेश शामिल हैं और जिनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया गया है।

संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगियों में (भारत तथा विदेश दोनों में), अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

वीसीएफ इकाइयों में दिनांक 23.08.2006 के बाद किए गए बैंक निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि के लिए 'परिपक्वता तक धारित' संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। संवितरण के तीन वर्ष पश्चात् इसे 'बिक्री के लिए उपलब्ध' में अंतरित कर दिया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 'बाजार' के रूप में चिन्हित किया जाता है।

'व्यापार के लिए धारित' एवं 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत निवेश, स्क्रिप्ट बाजार के रूप में चिन्हित किये जाते हैं और तुलन पत्र में घोषित परिणामी शुद्ध मूल्यांकन यदि कोई हो, को 'लाभ हानि खाते' के हिसाब में लिया जाता है, जबकि यदि कोई मूल्य वृद्धि हो तो उसे छोड़ दिया जाता है। तथापि लिखतों पर रूपांतर रूप में अधिग्रहित मूल्यांकन चाहे वह मानक के रूप में या एमपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, उस एएफएस श्रेणी के अंतर्गत धारित अन्य प्रतिभूति में मूल्यांकन के पेटे ऑफसेट नहीं किया जाता है।

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा व्यापार के लिए धारित संवर्ग के अन्तर्गत ट्रेजरी बिलों में निवेश का मूल्यांकन मूल्यांकन के अनुसार रखाव लागत पर किया जाता है।

'व्यापार के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए, बाजार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरें, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई)/फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए)/फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीएआई) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें/उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यन भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :

- ए) सरकारी/अनुमोदित - "परिपक्वता प्रतिफल" के आधार पर प्रतिभूतियां
- बी) इक्विटी शेयर, पीएसयू - नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार और ट्रस्टी शेयर - विश्लेषित मूल्य (पूनमूल्यांकन आरक्षित निधियां, यदि कोई है, को ध्यान में लिए बिना) (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य पर अन्यथा ₹ 1/- प्रति कंपनी।
- सी) अधिमानी शेयर - समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर

Investments classified as HTM includes debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the RBI prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit, have been valued at carrying cost.

Investments in subsidiaries and joint ventures (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of VCFs made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

Investments classified as HFT and AFS are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation if any, in each category disclosed in the Balance Sheet, is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored. However, Depreciation on the Instruments acquired by way of conversion, whether classified as Standard or NPA, is not offset against the appreciation in any other securities held under the AFS category.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category have been valued at carrying cost.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

- a Government - on Yield to Maturity basis. / Approved securities
- b Equity Shares, - at break-up value (without PSU and Trustee considering 'Revaluation Reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise ₹1 per company.
- c Preference Shares - on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.



- डी) पीएसयू बांड - समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर.
- इ) म्यूचुअल फंड की यूनिटें फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/एन.ए.वी. पर
- एफ) उद्यम पूंजी लेखापरीक्षित तुलनपत्र, जो कि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, के अनुसार घोषित एनएवी या अलग-अलग एनएवी. यदि, लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हो तो प्रति वीसीएफ ₹ 1/-.
- जी) प्रतिभूति प्राप्तियां भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप आरिस्ट पुर्ननिर्माण कम्पनी द्वारा घोषित शुद्ध आरिस्ट मूल्य

- d PSU Bonds - on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
- e Units of Mutual Funds - at the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
- f Venture Capital - Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at ₹ 1/- per VCF.
- g. Security Receipts Declared NAV by the Asset Reconstruction Company as per RBI / SEBI guidelines.

3.4 निवेशों का निस्तारण

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ/हानि को, निवेश से संबंधित भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ/हानि लेखे में लिया जाता है. तथा “परिपक्वता तक धारित” वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर समतुल्य लाभ के समान राशि पूंजीगत प्रारक्षित खाते में समायोजित की गई है.

‘बिक्री के लिए उपलब्ध’ और व्यापार के लिए धारित निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को लाभ हानि खातों में प्रभारित किया जाता है.

- 3.5 निपटान तारीख आधार पर किए गए निवेश के लिए बैंक एकरूप लेखांकन पद्धति अपनाता है.
- 3.6 विदेशी शाखाओं के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा उस देश के दिशा-निर्देशों को, जो भी ज्यादा सख्त हों, का पालन किया गया है. विदेशों में स्थित उन शाखाओं के मामले में जहां पर दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट नहीं हैं, वहां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है.
- 3.7 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की जाती है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप आए मूल्यों, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया जाता है.
- 3.8 गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय को मान्यता नहीं दी गई है और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार उपयुक्त प्रावधान किया गया है.
- 3.9 रेपो / रिवर्स रेपो
बैंक ने रेपो तथा रिवर्स रेपो लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है. (भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2016-17/एफएमओडी. एमएओज पी.नं.116/01.01.001/2016-17 दिनांक 10-11-2016 के अनुरूप चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को शामिल करते हुए रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों

3.4 Disposal of Investments

Profit/ loss on sale of Investments classified as HTM is recognized in the Profit and Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/ loss on sale of Investment in AFS/ HFT category is recognized in Profit and Loss Account.

- 3.5 The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis.
- 3.6 In respect of investments at overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the RBI are followed.
- 3.7 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- 3.8 In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation in the value of such securities as per RBI guidelines.
- 3.9 REPO / Reverse REPO
The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions [including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/FMOD. MAOG.No.116/01.01.001/2016-17 dated 10-11-



को संपार्श्विक उधार/ऋणदान के अंतर्गत माना जाता है जिसमें सहमत शर्तों पर रेपो का करार किया जाता है. रेपो के अन्तर्गत बिक्री की प्रतिभूतियों को निवेश के अन्तर्गत दर्शाया जाता है और रिवर्स रेपो प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता. लागत एवं राजस्व को ऋण ब्याज व्यय/आय को यथास्थिति लेखाकृत किया जाता है.

3.10 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है. बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वैप, विनिमय ट्रेडेड रुपए ब्याज दर फ्यूचर्स तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं. बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैपस और विनिमय ट्रेडेड मुद्रा फ्यूचर हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (ट्रेडिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं. व्यवस्था बचाव के रूप में नामित डेरिवेटिव्स अनुबंधों का व्यवस्था बचाव के रूप में तब तक चिन्हित नहीं किया जाता है जब तक उनकी अन्डरलाईनिंग आस्तियों को मार्केट-टू-मार्केट के रूप में चिन्हित नहीं की जाती. व्यवस्था के बचाव के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव्स अनुबंध जहां की जाती है और जहां मार्केट-टू-मार्केट नहीं है उपचय-आधार पर रिकॉर्ड किया जात है. ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन्स मार्केट टू मार्केट (एमटीएम) हैं तथा किसी भी प्रकार की हानि, यदि कोई हो लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है. लाभ, यदि कोई हो, को दर्ज नहीं किया जाता. ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय दैनिक आधार पर दर्ज होता है. ट्रेडिंग स्वैप्स की समाप्ति पर लाभ/हानि समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज की जाती है.

मूल्यांकन के लिए, कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि हों, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है.

तुलन पत्र की तिथि को 'फेडराल' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

4. अग्रिम

4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है. विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हो, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है.

2016]. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralised Borrowing / Lending Operations with an agreement to Repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.10 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Exchange Traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency swaps and Exchange Traded Currency Future.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/ non-hedge (Trading) transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market. Derivative contracts classified as hedge and where underlying is not marked to market are recorded on accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on daily basis. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4. ADVANCES

4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.



- 4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचंचत ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा एवं प्राप्त दावा राशि का निवल है.
- 4.3 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान विद्यमान मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए किया जाता है.
- 4.4 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) /प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है, वर्तमान में बैंक द्वारा अनुपालन किये जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य से कम मूल्य पर की गई हो (अर्थात बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) तो हानि (कमी) को दो वर्षों की अवधि के लाभ हानि खाते में नामे किया जाता है. यदि बिक्री मूल्य बही मूल्य से ज्यादा है तो जिस वर्ष के दौरान राशि प्राप्त होती है, अधिक्य प्रावधान राशि लाभ हानि खाते में प्रत्यावर्तित कर दी जाती है, आधिक्य प्रावधान राशि लाभ हानि खाते में प्रत्यवर्तित कर दी जाती है.
- 4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.
- 4.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for dimunition in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines.
- 4.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account spread over a period of two years. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.
- 5. अचल आस्तियां**
- 5.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, सामान्यतः परम्परागत मूल्य पर ली गयी हैं. पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है तथा इस पर मूल्यांकन को इसमें से घटाया जाता है.
- 5.2 परिसरों में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है.
- 5.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except revalued premises which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted therefrom.
- 5.2 Premises include land and building under construction.
- 6. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष**
- राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है.
- 6. RESERVES AND SURPLUS**
- Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.
- 7. राजस्व का निर्धारण**
- 7.1 आय (पैराग्राफ 7.2 में दिए गए संदर्भ को छोड़कर) को उपचय आधार पर सामान्यतः लेखांकित किया गया है. विदेशी कार्यालयों के मामले में आय / व्यय की गणना उस देश के कानून के अनुसार की गई है, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है.
- 7.2 सरकारी कारोबार, गारंटियों, साख पत्रों, विनिमय, दलाली आदि पर कमीशन, अग्रिम बिलों पर ब्याज तथा कर रिफंड पर अर्जित ब्याज को छोड़कर शुल्क, कमीशन के माध्यम से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है. अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी कंपनियों के शेयरों पर लाभांश वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं.
- 7.3 गैर निष्पादित आस्तियों / निवेशों पर आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है.
- 7.4 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 19 (पट्टे) के अनुसार लीज शर्त पर लीज भुगतानों को, जिसमें परिचालन लीज पर ली गई आस्तियों की लागत वृद्धि शामिल है, लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.
- 7.1 Income (other than item referred in Paragraph 7.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- 7.2 Income by way of Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.
- 7.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.
- 7.4 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

8. कर्मचारियों को लाभ

8.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि अंशदान योजना एक सांविधिक दायित्व है और बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

8.2 उपदान

बैंक ऑफ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनियमों के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और बैंक ऑफ बड़ौदा उपदान निधि न्यास इसका प्रबंधन करता है।

8.3 पेंशन

8.3.1 बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता बाध्यता के रूप में व्याख्या की गई है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। यह उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 31.3.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन फंड न्यास द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है।

8.3.2 जिन कर्मचारियों ने बैंक सेवा 1.4.2010 को या उसके बाद ग्रहण की है उनके लिए नई पेंशन योजना पारिभाषित अंशदान आधार पर लागू है। बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदान लाभ तथा हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

8.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थिति यथा उपाजित अवकाश (पीएल) और चिकित्सा अवकाश का बीमांकिक मूल्यांकन संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

8.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ यथा छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, अतिरिक्त सेवांत लाभ आदि के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए संबंधित देश में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभों का आकलन किया जाता है।

9. मूल्यांकन

9.1 भारत में अचल आस्तियों के लिए पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को छोड़कर (निम्न वर्णित अनुच्छेद 9.3 व 9.4 के अलावा) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में उल्लिखित मूल्यांकन मूल्य

8 EMPLOYEE BENEFITS

8.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

8.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

8.3 PENSION

8.3.1 Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

8.3.2 New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

8.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

8.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

9 DEPRECIATION

9.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 9.3 and 9.4] is provided on the written down value method in accordance with Schedule II to the Companies



पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है। इसमें पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर अधिक मूल्यांश का प्रावधान किया जाता है।

- 9.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे अनुच्छेद 9.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यांश स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
- 9.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग है पर मूल्यांश भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% की दर से प्रदान किया गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।
- 9.4 एटीएम पर मूल्यांश का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है।
- 9.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यांश खरीद / उपयोग की तारीख से आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।
- 9.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है।

10. आस्तियों का मूल्यांश

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर मूल्यांश हानियों (यदि कोई हो) को, आस्तियों के मूल्यांश के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 28 ("आस्तियों का मूल्यांश") के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

11. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- 11.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन (विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव) संबंधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक एएस 11 के अनुरूप किया गया है।
- 11.2 लेखा मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - ए) एकीकृत परिचालनों एवं
 - बी) पृथक परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को पृथक परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है।
- 11.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण :
 - (ए) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गई साप्ताहिक औसत दरों पर रिकार्ड किया जाता है।
 - (बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है।
 - (सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकित किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति

Act, 2013, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

- 9.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 9.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.
- 9.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Computer software not forming part of an intergral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.
- 9.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.
- 9.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.
- 9.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease.

10 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

11 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

- 11.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI.
- 11.2 As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as
 - a) Integral Operations and
 - b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.
- 11.3 Translation in respect of Integral Operations
 - a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.
 - b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
 - c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss

देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है।

- (डी) व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर एवं वायदा संविदाओं के तुलन पत्र की तिथि को 'फेडार्ड' द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपोलेट' दरों पर बाजार को चिन्हित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त की गई एमटीएम मूल्य को, एमटीएम के मौजूदा मूल्य पर भुनाया जाता है। इस एमटीएम का पीवी आधार पर हाजिर एवं वायदा संव्य-वहारों के पुनर्मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है।

11.4 गैर समाकलित परिचालनों के संबंध में अंतरण :

- (ए) आस्तियों एवं देयताओं को फेडार्ड द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित की गई क्लोजिंग स्पाट दरों पर अंतरित किया गया है।
- (बी) तुलनपत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा हाजिर एवं वायदा आकस्मिक देयताओं को 'फेडार्ड' द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर व वायदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपोलेटड' दरों पर अंतरित किया जाता है।
- (सी) आमदनी एवं खर्चों को फेडार्ड द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित की गई औसत तिमाही दरों पर अंतरित किया गया है।
- (डी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है तथा इसे सम्बद्ध विदेशी शाखाओं में शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा अंतरण निधि" में रखा जाता है।

11.5 वायदा विनिमय करार

लेखा मानक एएस 11 तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडार्ड) के दिशानिर्देशों के अनुसार तुलनपत्र की तिथि पर बकाया एवं व्यापार हेतु धारित विदेशी मुद्रा हाजिर (स्पॉट) एवं वायदा संविदाओं को फेडार्ड द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदाओं एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को इन्टरपोलेट दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है।

12. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित

Account. Any reversals / payment of foreign currency assets and liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in Profit and Loss Account.

- d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

11.4 Translation in respect of Non Integral Operations

- a) Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- b) Foreign Exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities
- c) Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

11.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS 11, Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss is included in the Profit and Loss Account.

12 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with



कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

13. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एएस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है। आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारत औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गई है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारत औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गई है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणियों में प्रभारित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका परिणाम ऐसी आय के निर्धारण के रूप में निकल सकता है जिसकी कभी वसूली संभव न हो।

AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

13 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

14 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.



अनुसूची 18 - लेखों पर टिप्पणियां
Schedule 18 - Notes on Accounts

ए. भारतीय रिजर्व बैंक को अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण

A. Disclosure in terms of RBI requirements

ए-1. पूंजी

A-1 Capital

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		Current Year		Previous Year	
		बासेल II BASEL II	बासेल III BASEL III	बासेल II BASEL II	बासेल III BASEL III
i) कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	--	8.98%	10.66%	10.29%
ii) टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	Tier 1 Capital Ratio (%)	--	9.93%	11.21%	10.79%
iii) टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	Tier 2 Capital Ratio (%)	--	2.31%	3.00%	2.39%
iv) कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	--	12.24%	14.20%	13.17%
v) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Government of India		59.24%		59.24%
vi) अर्जित इक्विटी पूंजी की राशि	Amount of Equity Capital Raised		--		1786.00
vii) अर्जित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि जिसमें से	Amount of Additional Tier 1 capital raised, of which				
पीएनसीपीएस	PNCPS		-		-
पीडीआई	PDI		2000		-
viii) अर्जित अतिरिक्त टियर 2 पूंजी की राशि जिसमें से	Amount of Additional Tier 2 capital raised, of which				
ऋण पूंजी लिखत	Debt Capital Instrument		-		-
अधिमान्य शेयर पूंजी लिखत	Preference Share Capital Instruments		-		-

ए-2. निवेश

A-2 Investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
(1) निवेशों का मूल्य	(1) Value of Investments				
(i) निवेशों का सकल मूल्य	(i) Gross Value of Investments				
(क) भारत में	(a) In India		122169.17		111693.36
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India		8549.51		9892.23
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(ii) Provisions for Depreciation				
(क) भारत में	(a) In India		777.31		808.19
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India		309.06		326.87
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	(iii) Net Value of Investments				
(क) भारत में	(a) In India		121397.86		110885.17
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India		8240.45		9565.36
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन	(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments				
(i) प्रारम्भिक शेष	(i) Opening balance		1135.06		824.23
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(ii) Add: Adjustment in opening balance		0.00		3.13
सुधारे गए प्रारम्भिक शेष	Corrected Opening Balance		1135.06		827.36
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	(ii) Add: Provision made during the year		26.29		347.85
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	(iii) Less: Write-back of excess provisions		80.98		40.15
(iv) अंतिम शेष	(iv) Closing balance		1080.37		1135.06



ए-2.1 रेपो संव्यवहार (अंतिम मूल्य के संदर्भ में)

A-2.1 Repo Transactions: (in face value terms)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2017 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2017
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	213.13	22087.39	1345.15	313.02
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	921.83	921.83	921.83	921.83
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	67.59	56950.91	10353.54	23368.34
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	NIL	NIL	NIL	NIL

ए-2.2 गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

A-2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) गैर-एसएलआर निवेशों के जारीकर्ता घटक

ii) Issuer composition of Non SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. नं. S. No.	जारीकर्ता	Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड के नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' securities	'अनरेटेड प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(i)	पीएसयू	PSUs	911.25	493.40	50.94	0.00	397.95
(ii)	एफआई	FIs	3008.43	831.92	263.22	0.00	25.00
(iii)	बैंक	Banks	4334.87	503.13	534.71	114.00	64.85
(iv)	निजी कार्पोरेट	Private Corporate	2466.12	1261.26	369.08	165.61	14.75
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	Subsidiaries/ Joint Ventures *	1742.15	1742.15	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	Others #	7269.91	3838.98	0.00	172.16	64.85
(vii)	मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान	Provision held towards depreciation	1080.37	0.00	31.43	133.82	19.90
	कुल	Total	18652.36	8670.84	1186.52	317.95	547.50

*₹. 800.11 करोड़ का विदेशी अनुषंगियों में निवेश शामिल है।

*Includes Investments in Overseas Subsidiary of ₹ 800.11 Crore.

#₹. 20.41 करोड़ भारत सरकार के गैर-एसएलआर ऑयल बॉण्ड में निवेश शामिल है जिसे एनडीएस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडेड व सूचीबद्ध तथा एफआयएमएमडीए दरों पर उपलब्ध माना गया है।

#Includes Investments in GOI Non SLR oil bond of ₹ 20.41 crore considered as listed as traded on NDS platform and FIMMDA rates available.

ii) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

ii) Non performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
प्रारंभिक शेष	Opening balance	735.35	577.65
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	216.70	184.77
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौतियां	Reductions during the year	72.55	27.07
अंतिम शेष	Closing balance	879.50	735.35
कुल धारित प्रावधान	Total provisions held	589.13	550.07



ए-2.3 वर्ष के प्रारंभ में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही-मूल्य के 5% से अतिरिक्त के एचटीएम में रखे गए निवेशों की बिक्री एवं अंतरण

A-2.3 Sales and transfer of Investment held under Held to Maturity (HTM) Category in excess of 5% of the Book value of the investment held in HTM category at the beginning of the year

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

निवेश का आरंभिक शेष (एचटीएम) 01.04.2016 Opening Bal. of investment (HTM) 01.04.16	वर्ष के दौरान बिक्री/अंतरण Sale/ transfer during the year	परिवर्द्धन Addition	निवेशों (एचटीएम) का समाप्ति शेष 31.03.2017 Closing Bal. of Investment (HTM) 31.03.17	निवेश (एचटीएम) श्रेणी का बाजार मूल्य 31.03.2017 Market value of investment (HTM) category 31.03.17
-	-	-	-	-

ए-2.4 एसएलआर निवेश

A-2.4 SLR Investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
		बही मूल्य Book value	मार्केट मूल्य Market value	बही मूल्य Book value	मार्केट मूल्य Market value
सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर (सीजी, एसजी व टीबी)*	Govt. sec SLR(CG,SG,&TB) *	110984.67	110984.67**	100428.36	100428.36**
अनुमोदित प्रतिभूतियां - एसएलआर	Approved sec-SLR	1.28	1.28	1.28	1.28

* इसमें सीसीआईएल/एमसीएक्स/यूएसई/एनएसई के पास रखी एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल हैं.
** एसएलआर की गणना के लिए बाजार मूल्य में वृद्धि को ध्यान में नहीं किया गया है.

* incl. SLR Securities kept with CCIL/ MCX / USE / NSE
** Appreciation in market value is ignored for SLR calculation

ए-2.5 एसजीएल फॉर्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

A-2.5 Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

समाप्त वर्ष Year ended	एसजीएल फॉर्म लौटाने की तारीख Date of bouncing SGL form	राशि Amount	टिप्पणी Remarks
2017	-	-	-
2016	-	-	-

ए-2.6 डेरीवेटिव्स

A-2.6 Derivatives

ए-2.6.1 फारवर्ड दर समझौते / ब्याज दर स्वैप

A-2.6.1 Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
i) स्वैप समझौते की कल्पित मूल राशि	The notional principal of swap agreements	26080.89	33201.14
ii) समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	230.69	513.09
iii) स्वैप में आने पर बैंक के लिए अपेक्षित कोलैटरल	Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	Concentration of credit risk arising from the swaps	490.97	862.20
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	The fair value of the swap book	114.43	350.49



ए-2.6.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

A-2.6.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. क्र. S. No.	विवरण	Particulars	राशि Amount
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की कल्पित मूल राशि (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	
	ए. ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ)	A. Interest Rate Future (IRF)	17063.65
	बी. करेंसी फ्यूचर्स	B. Currency Futures	79375.79
(ii)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की 31 मार्च, 2017 के अनुसार (लिखतवार) बकाया कल्पित मूल राशि	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2017 (instrument-wise)	
	ए. ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ)	A. Interest Rate Future (IRF)	92.04
	बी. करेंसी फ्यूचर्स	B. Currency Futures	0.00
(iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की बकाया कल्पित मूल राशि तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" न हो (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL
(iv)	बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की मार्क-टु-मार्केट मूल्य तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" न हो (लिखतवार)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL

ए-2.6.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की ट्रेजरी नीति में डेरीवेटिव्स लेन देन के कार्यों के लिए सभी प्रकार की वित्तीय डेरीवेटिव्स लिखतों के प्रकार, विस्तार एवं उपयोग, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट तथा काउन्टर पार्टी एक्सपोजर लिमिट जैसी सीमाएं निर्धारित की गई हैं. बैंक अपने तुलन पत्र में दर्शाए गए अथवा दर्शाए न गए जोखिमों की हेजिंग के लिए तथा बाजार आधार तैयार करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेन देनों का उपयोग करता है. मूलतः ये उत्पाद, जोखिम के प्रति बचाव व्यवस्था, लागत कम करने तथा ऐसे लेन देनों में प्रतिफल बढ़ाने एवं प्रोपराइटी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं.

बैंक में जिन जोखिमों की सम्भावना बनी रहती है, वे हैं : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम. बैंक में जोखिम प्रबंधन नीतियां (बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं, जो एमटीएम जोखिम पर कीमत, (वीएआर) तथा पीवी01 के माध्यम से नियमित आधार पर व्यापार बही में लेन-देनों की वित्तीय जोखिमों के आंकलन तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गई हैं. इनको बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा मॉनीटर किया जाता है तथा इस बारे में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाता है.

लेन देनों की काउन्टर पार्टियां, बैंक तथा कार्पोरेट प्रतिष्ठान हैं. अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत व्यवहार किए जाते हैं. डेरीवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम आकलित करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है, जिसके अनुसार बैंक कुल प्रतिस्थापन लागत का योग, (सभी संविदाओं को सकारात्मक मूल्य सहित मार्क-टु-मार्केट द्वारा प्राप्त करने अर्थात् जब बैंक को काउन्टर पार्टी से धन

A-2.6.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

(i) Qualitative Disclosure

The Treasury Policy of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and counter party exposure limits for undertaking derivative transactions. The Bank uses financial derivative transactions for hedging; it's on or off balance sheet exposures as well as for market making. Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk. The Bank has risk management policies (approved by Board of Directors of the Bank), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by way of MTM, Value at Risk (VaR) and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, appraises the risk profile to the Risk management Committee of Directors, which is presided over by the Bank's Chairman and Managing Director.

The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market of all its contracts with positive value i.e. when the bank has to receive money from the counter party) and an amount for potential future changes in credit exposure calculated on the



प्राप्त करना है) तथा ऋण जोखिम में भविष्य में होने वाले संभाव्य परिवर्तनों की राशि, जिसकी गणना संविदा की कुल कल्पित मूल राशि शेष परिपक्वता के अनुसार संबंधित ऋण रुपांतरण घटकों के साथ गुणा करके परिकलित की जाती है, निम्नानुसार है :-

कल्पित मूल राशि पर लागू किया जाने वाला रुपांतरण घटक

अवशिष्ट परिपक्वता	Residual Maturity	ब्याज दर संविदा Interest Rate Contract	विनिमय दर संविदा Exchange Rate Contract
एक वर्ष से कम	Less than one year	0.50%	2.00%
एक वर्ष और अधिक	One year - Five years	1.00%	10.00%
पांच वर्ष से अधिक	Over five years	3.00%	15.00%

हेज तथा गैर-हेज (ट्रेडिंग) लेन-देनों को अलग से दर्ज किया जाता है. हैजिंग डेरिवेटिव्स उपचय आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं. ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पोजिशन (एमटीएम) को मार्क की जाती है और परिणामस्वरूप लाभ-हानि खाते में यदि कोई हानि हो, हिसाब में ली जाती है. लाभ, यदि कोई हो, नहीं माना जाता है. ब्याज दर स्वैप्स से संबंधित आय और व्यय निपटान की तारीख पर हिसाब में लिए जाते हैं. ट्रेडिंग स्वैप के समाप्त होने पर लाभ / हानि समाप्ति की तारीख पर आय / व्यय के रूप में दर्ज किए जाते हैं.

basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under:-

Conversion factor to be applied on notional principal amount

The hedge/ non-hedge (trading) transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying is marked to market. Derivative contracts classified as hedge and where underlying is not marked to market are recorded on accrual basis. Trading derivative positions are marked to market and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is ignored. Interest income/ expense on interest rate swaps are recognized on daily basis. Gains/ Losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.

(ii) Quantitative Disclosures

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. क्र. S. No.	विवरण	Particular	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव्स (कल्पित मूल राशि)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	ए) हैजिंग के लिए	a) For hedging	566.82	14224.94
	बी) ट्रेडिंग के लिए	b) For trading	827.12	11381.17
(ii)	मार्केड टू मार्केट स्थितियां	Marked to Market Positions		
	ए) आस्तियां (+)	a) Asset (+)	83.53	155.37
	बी) देयताएं (-)	b) Liability (-)	-35.57	-88.78
(iii)	ऋण जोखिम	Credit Exposure	145.16	363.74
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत होने वाले परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	ए) हैजिंग डेरिवेटिव्स पर	a) on hedging derivatives	2.56	208.02
	बी) ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर	b) on trading derivatives	0.00	7.16
(v)	वर्ष के दौरान पाए गए न्यूनतम तथा अधिकतम 100*पीवी01	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	ए) हैजिंग पर	a) on hedging	0 & 0	175.05 & -4.53
	बी) ट्रेडिंग पर	b) on trading	2.37 & 0	33.69 & 0.30

ए-2.6.4 ऋण चूक स्वैप (सीडीएस)

मूल्यांकन प्रणाली- सीडीएस पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 23.05.2011 के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को अपनी सीडीएस संविदाओं के मूल्यांकन हेतु फिमडा द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व अथवा इससे अधिक संरक्षित मूल्यांकन होने पर किसी अन्य स्वामित्व मॉडल का उपयोग करना आवश्यक है. अपनी सीडीएस स्थितियों के मूल्यांकन के लिए हमारा बैंक फिमडा कर्व का ही उपयोग करता है, सीडीएस मूल्यांकन के लिए बैंक किसी आंतरिक स्वामित्व मॉडल का उपयोग नहीं करता है. वर्ष के दौरान इसमें सीडीएस स्वैप नहीं हुआ है.

A.2.6.4 Credit Default Swaps (CDS)

Valuation Methodology- As per RBI guidelines on CDS dated 23rd May, 2011 the banks are required to value their CDS contracts by using daily CDS curve published by FIMMDA Or any other proprietary model if it results in a more conservative valuation. Our Bank uses the FIMMDA curve for valuing our CDS positions, we do not use any internal proprietary model for CDS valuation. No CDS swaps have been entered into during the year.



ए-2.7 आस्ति गुणवत्ता

A-2.7 Asset Quality

ए-2.7.1 गैर निष्पादक आस्तियां

A-2.7.1 Non Performing Assets

ए. गैर निष्पादक आस्तियों का संचलन

A. Movement of NPAs

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs (Opening Balance)	40521.04	16261.44
वर्ष के दौरान जुड़े (नए एनपीए)	Additions (Fresh NPAs) during the year	13311.63	27828.38
उप जोड़ (क)	Sub-total (A)	53832.67	44089.82
घटाएं :	Less:-		
(i) अपग्रेडेशन	(i) Up-gradations	2510.68	533.91
(ii) वसूलियां (अपग्रेड किए गए खातों से हुई वसूलियों को छोड़कर)	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	4087.72	1480.72
(iii) बट्टे खाते डाली गई राशि (विनिमय अंतर को शामिल करके)	(iii) Write-offs (including exchange differences)	4515.57	1554.15
उप जोड़ (ख)	Sub-total (B)	11113.97	3568.78
सकल एनपीए (अंतिम शेष) (क-ख)	Gross NPAs (Closing Balance) (A-B)	42718.70	40521.04

बी. गैर निष्पादक आस्तियां

B. Non-Performing Assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	Net NPAs to Net Advances (%)	4.72	5.06
(ii) एनपीए का संचलन (सकल)	Movement of NPAs (Gross)		
(ए) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	40521.04	16261.44
(बी) वर्ष के दौरान जोड़े गए	(b) Additions during the year	13311.63	27828.38
(सी) वर्ष के दौरान घटाए गए	(c) Reductions during the year	11113.97	3568.78
(डी) अंतिम शेष	(d) Closing balance	42718.70	40521.04
(iii) शुद्ध एनपीए का संचलन	Movement of Net NPAs		
(ए) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	19406.46	8069.49
(बी) वर्ष के दौरान जोड़े गए	(b) Additions during the year	9619.24	16372.75
(सी) वर्ष के दौरान घटाए गए	(c) Reductions during the year	10945.52	5035.78
(डी) अंतिम शेष	(d) Closing balance	18080.18	19406.46
(iv) एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(ए) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	21114.58	8191.95
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(b) Provisions made during the year	8460.70	14483.15
(सी) तकनीकी/विवेक सम्मत अपलिखित	(c) Technical / Prudential write offs	4936.76	1560.52
(डी) अपलिखित राशि (उपरोक्त के अलावा)	(d) Write off (Other than above)	0.00	0.00
(ई) अंतिम शेष	(e) Closing balance	24638.52	21114.58
(एफ) तकनीकी अपलिखितों का संचलन	(f) Movement of Technical Write offs		
तकनीकी/विवेकसम्मत अपलिखित की गई राशियों का प्रारंभिक शेष	Opening Balance of Technical / Prudential written-off account	8132.15	6790.81
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत अपलिखित राशि	Add : Technical / Prudential write-off during the year	4118.37	1560.52
उप योग (ए)	Sub Total (A)	12250.52	8351.33
घटाएं : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत अपलिखित राशियों की वसूली (बी)	Less : Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year (B)	459.63	219.18
अन्तिम शेष (ए-बी)	Closing Balance (A-B)	11790.89	8132.15



सी) क्षेत्रवार एनपीए

C. Sector-wise NPAs

क्रमांक क्षेत्र S. No.	Sector	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	11.26	10.74
2	उद्योग (माइक्रो एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	19.84	19.10
3	सेवाएं	3.96	8.06
4	वैयक्तिक ऋण	4.04	5.01

डी) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

D. Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
कुल आस्तियां	Total Assets	202474.79	227495.36
कुल एन पी ए	Total NPAs	9033.58	8376.72
कुल राजस्व	Total Revenue	5170.45	5085.60



ए-2.7.2. सेक्टरवार अग्रिम
A-2.7.2. Sector-wise advances

क्र. सं. Sl. No.	सेक्टर Sector	चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs
					उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
ए.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector				
1	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	43271.85	5138.60	33677.58	3617.16
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उधार हेतु पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	23574.80	3656.07	25965.12	3508.47
3	सेवाएं Services	31206.49	3775.14	22765.75	2856.88
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	14377.72	793.73	14302.68	716.59
	उपजोड़ (क) Sub - Total (A)	112430.86	13363.54	96744.13	10699.10
बी	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector				
1	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	3520.19	128.65	0.00	0.00
2	उद्योग Industry	75528.32	16012.58	68549.15	14544.85
3	सेवाएं Services	105031.85	5374.77	114441.61	8202.92
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	1244.01	54.97	1213.58	61.38
	उपजोड़ (ख) Sub - Total (B)	185324.37	21570.97	184204.34	22809.15
	कुल (A+B) Total (A + B)	297755.22	34934.51	280915.47	33508.25
					उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector



ए-2.7.4. प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कम्पनी अथवा आस्ति पुनर्गठन के लिए बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

A-2.7.4. Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company or Asset Reconstruction.

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) खातों की संख्या	No. of accounts	-	-
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का नेट)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	-	-
(iii) कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	-	-
(iv) आरंभिक वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-
(v) शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ / हानि	Aggregate gain/(loss) over net book value	-	-

ए-2.7.5. प्रतिभूति रसीदों में निवेशों के बही मूल्य का ब्यौरा

A-2.7.5. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित	1. Backed by NPAs sold by the bank as underlying	703.47	709.53
2. अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित	2. Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions/ non banking financial companies as underlying		
		703.47	709.53

ए-2.7.6. खरीदी गई / बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण

A-2.7.6. Details of non-performing financial assets purchased/sold

ए. खरीदी गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण:

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	1. (a) No. of accounts purchased during the year	-	-
(बी) समग्र बकाया	(b) Aggregate outstanding	-	-
2. (ए) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	-	-
(बी) समग्र बकाया	(b) Aggregate outstanding	-	-

बी. बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. बेचे गए खातों की संख्या	1. No. of accounts sold	-	-
2. समग्र बकाया	2. Aggregate outstanding	-	-
3. समग्र प्राप्त प्रतिशत	3. Aggregate consideration received	-	-



सी. प्रतिभूतिकरण कंपनियों को बेचे गये गैर निष्पादक खाते

C. Non Performing Accounts sold to Securitization Companies

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण Particulars	एनपीए के कारण बैंक द्वारा बिक्रय की गई अन्तर्निहित आस्तियां Backed by NPA sold by the Bank as underlying		एनपीए के कारण अन्य बैंकों/वित्तीय/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्रय की गई अन्तर्निहित आस्तियां Backed by NPAs sold by Other banks/ financial / non-banking Financial companies underlying		कुल Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
प्रतिभूतियों में निवेश का बही मूल्य Book Value of Investment in Security Receipts	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

ए-2.7.7. मानक आस्तियों पर प्रावधान

A-2.7.7. Provisions on Standard Assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
आरबीआई मानदण्डों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets as per RBI norms	3517.67	2751.24

ए-2.7.8. जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा एनपीए का संकेन्द्रण

A-2.7.8. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(ए) जमाओं का संकेन्द्रण	(a) Concentration of Deposits		
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएं	Total Deposits of twenty largest depositors	33748.96	33815.47
बैंक की कुल जमाओं में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	5.61%	5.89%
(बी) अग्रिमों का संकेन्द्रण	(b) Concentration of Advances		
बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए कुल ऋण	Total Advances to twenty largest borrowers	55572.63	38038.19
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	13.48%	9.33%
(सी) एक्सपोजर का संकेन्द्रण	(c) Concentration of Exposures		
बीस सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	73301.98	52293.22
बीस सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	12.35%	8.56%
(डी) एनपीए का संकेन्द्रण	(d) Concentration of NPAs		
चार बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	Total Exposure to top four NPA accounts	5446.82	5642.70
(ई) प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)	(e) Provision Coverage Ratio (PCR)	66.83%	60.09%



ए-2.7.9. इंद्रा गुप एक्सपोजर

A-2.7.9. Intra Group Exposures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total
इंद्रा गुप एक्सपोजर की कुल राशि	Total Amount of Intra Group Exposures	328.93	446.56	775.49
20 सर्वाधिक इंद्रा गुप एक्सपोजर वाले खाते	Total amount of Top 20 Intra Group Exposures	328.93	446.56	775.49
ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को दिये गये बैंक के कुल एक्सपोजर में इंद्रा गुप एक्सपोजर का प्रतिशत	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.06	0.08	--
इंद्रा गुप एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन का विवरण तथा उसपर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	-	-	-

ए-2.8 व्यवसायिक अनुपात

A-2.8 Business Ratios

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	Interest Income as a percentage to Average Working Funds	6.27	6.31
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	Non-interest income as a Percentage to Average Working Funds	1.00	0.72
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	Operating Profit as a percentage to Average Working Funds	1.63	1.26
आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	0.20	-0.78
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (कोर जमा तथा अग्रिम) (₹ करोड़ में)	Business (Core Deposits plus advances) per employee (₹ in Crores)	17.49	16.80
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	Profit per employee (₹ in Crores)	0.26	-0.10



ए-2.9 आस्तियों और देयताओं का प्रबंधन आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप

A-2.9 Asset Liability Management Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		1 दिन 1 Day	2 से 7 दिनों 2 to 7 Days	8 से 14 दिनों 8 to 14 Days	15 से 30 दिनों 15-30 Days	31 दिनों-2 माह 31 Days - 2 Months	2 माह से अधिक - 3 माह Over 2 M - 3 Months	3 माह से अधिक - 6 माह Over 3 M - up to 6M	6 माह से अधिक - 12 माह Over 6 M - up to 12 M	1 वर्ष से अधिक - 3 वर्ष Over 1 Yr - up to 3 years	3 वर्ष से अधिक - 5 वर्ष Over 3 years - Upto 5 years	5 वर्षों से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा राशियां	Deposits	8632.95 (12411.44)	27279.51 (33924.15)	17755.04 (13281.78)	27272.18 (22275.39)	28059.87 (32673.17)	37383.07 (29118.12)	59433.47 (72080.36)	89630.24 (123394.96)	150610.93 (117271.30)	32437.4 (17545.6)	123180.51 (100061.62)	601675.17 (574037.87)
अग्रिम	Advances	9930.32 (4822.64)	7549.48 (6283.94)	7824.28 (8605.81)	13932.56 (19864.15)	11702.71 (24496.75)	27253.58 (37345.50)	32004.29 (36737.28)	27779.29 (28793.82)	119103.93 (143351.73)	41493.34 (36151.89)	84655.44 (37316.66)	383259.22 (383770.18)
निवेश	Investments	72.42 (108.98)	1241.03 (1806.91)	1086.65 (701.40)	642.69 (612.22)	1248.50 (1544.17)	3534.11 (2890.78)	2628.31 (1505.30)	5218.08 (3206.12)	16971.49 (14899.71)	24563.83 (18147.32)	72423.43 (75027.6)	129630.54 (120450.52)
उधार	Borrowings	552.37 (714.2)	0.00 (891.71)	557.84 (0.01)	0.00 (662.72)	2350.69 (1668.49)	1023.94 (1431.08)	971.57 (4961.68)	1827.75 (1691.39)	15020.10 (4619.24)	2711.61 (14224.76)	5595.57 (2606.41)	30611.44 (33471.69)
विदेशी मुद्रा आस्तियां	Foreign Currency assets	23327.21 (25788.64)	11011 (11412.59)	7597.54 (9015.65)	18066.65 (16551.34)	22949.67 (29477.51)	37187.60 (23579.28)	31224.97 (38240.34)	23799.30 (32268.26)	20622.93 (26883.24)	7297.76 (11429.67)	8206.96 (8047.17)	211291.6 (232693.69)
विदेशी मुद्रा देयताएं	Foreign Currency liabilities	7197.03 (10871.29)	20260.95 (29278.73)	9735.03 (7978.17)	20078.81 (16747.62)	20146.34 (19421.05)	20218.29 (12998.72)	26811.86 (32861.74)	35254.63 (50660.59)	28590.05 (34643.28)	2497.79 (10877.73)	9523.59 (7448.00)	200314.36 (233786.92)

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की संख्याएं हैं।
Figures in bracket denote previous year numbers
- आस्तियों एवं देयताओं का विभाजन "समूह आस्ति देयता प्रबंधन एवं समूह जोखिम नीति 2016" के अनुसार किया गया है।
The distribution of Assets and Liabilities has been done as per the "Group Asset Liability Management Policy 2016" of the Bank
- शुद्ध अग्रिमों की गणना करते समय प्रावधानों एवं अन्य कटौतियों का विभाजन सकल मानक अग्रिमों के अनुपात में किया गया है।
The Distribution of provisions and other deductions, while arriving at the net advances, has been done in proportion to the gross Standard Advances.



ए-2.10 एक्सपोजर

A-2.10 Exposure

ए-2.10.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

A-2.10.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

श्रेणी	Category	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ए) प्रत्यक्ष एक्सपोजर	a) Direct exposure		
(i) आवासीय बंधक -	(i) Residential Mortgages -		
आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में है / होगी या किराए पर है, को बंधक रखते हुए पूर्ण सुरक्षित कर्ज,	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	36021.58	29698.11
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों में शामिल करने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण	Of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector	(14540.81)	(13878.16)
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट -	(ii) Commercial Real Estate -	8786.49	13414.86
वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा प्रत्याभूत कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु-उद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार कमर्शियल परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस स्पेस, होटल, जमीन, अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि). एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल हो सकती हैं.	Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;		
(iii) बंधक युक्त प्रतिभूतियों (एम बी एस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures -		
ए आवासीय	a. Residential	0.58	0.00
बी वाणिज्यिक रियल एस्टेट	b. Commercial Real Estate	0.00	0.00
बी. अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	b. Indirect Exposure		
निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर	Fund based and non-fund based exposures		
(i) नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी)	(i) National Housing Bank (NHB)	2.79	0.00
(ii) आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	(ii) Housing Finance Companies (HFCs)	3286.63	8836.16
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	Total Exposure to Real Estate Sector	48098.07	51949.13



ए-2.10.2 पूंजी बाजार में ऋण जोखिम

A-2.10.2 Exposure to Capital Market

		(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)	
विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) इक्विटी शेयर्स, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों, जिनके कॉरपस कार्पोरेट ऋण में अलग से निवेश नहीं किए गए हों, में प्रत्यक्ष निवेश.	(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1108.98	1078.19
(ii) शेयर्स/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की एवज में अग्रिम अथवा शेयर्स (आईपीओ/ईएसओपी), परिवर्तनशील बॉण्डों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को निर्बंध आधार पर दिए गए अग्रिम.	(ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	10.80	7.38
(iii) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयर्स अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.00	4.53
(iv) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जोकि शेयर्स, परिवर्तनशील बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति से संरक्षित है; अर्थात् जहां कि शेयर्स/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों के अलावा ली गयी प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है.	(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds ₹ does not fully cover the advances;	906.96	130.68
(v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती तथा गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां.	(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	2.74	50.62
(vi) कार्पोरेट को शेयर्स/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी को प्रोमोटर के अंशदान के लिए निर्बंध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम.	(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii) संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण.	(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	9.74	12.97
(viii) शेयर्स अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं.	(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना.	(ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	0.31	0.25
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत दोनों) का समग्र जोखिम.	(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) ;	794.47	797.38
पूंजी बाजार में कुल जोखिम	Total Exposure to Capital Market	2834.00	2082.00

पूंजी बाजार में ₹ 2834.00 करोड़ का एक्सपोजर ₹ 12234.20 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात् दिनांक 31.3.2016 को बैंक की ₹ 30585.51 करोड़ की शुद्ध मालियत का 40%) है. पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष एक्सपोजर ₹ 1914.56 करोड़ है और यह ₹ 6117.10 करोड़ की सीमा के अंतर्गत अर्थात् दि. 31.3.2016 को बैंक की ₹ 30585.51 करोड़ की शुद्ध मालियत का 20% है.

The exposure to Capital Market of ₹ 2834.00 Crores is within the limit of ₹ 12234.20 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth of ₹ 30585.51 Crores as on 31.03.2016). The direct exposure to Capital Market is ₹ 1914.56 Crores and is within the limit of ₹ 6117.10 crores i.e. 20% of the Bank's net worth of ₹ 30585.51 crores as on 31.03.2016.



ए-2.10.3 जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

A-2.10.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

श्रेणी	Category	31 मार्च 2017 को एक्सपोजर (शुद्ध) Exposure (net) as on 31 st March 2017	31 मार्च 2017 को प्रावधान Provision held as on 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को एक्सपोजर (शुद्ध) Exposure (net) as on 31 st March 2016	31 मार्च 2016 को प्रावधान Provision held as on 31 st March 2016
महत्वहीन	Insignificant	71599.01	52.49	82776.42	68.24
न्यून	Low	48729.00	39.66	48874.14	37.06
मध्य	Moderate	3238.59		3292.46	
उच्च	High	1553.17		1872.43	
अधिक उच्च	Very High	8.13		7.80	
सीमित	Restricted	0.00		0.63	
ऋण से इतर	Off-credit	0.00		0.16	
अ-मूल्यांकित	Not Rated	288.60		347.65	
कुल	Total	125416.50	92.15	137171.69	105.30

ए-2.10.4 बैंक द्वारा पार की गई एकल ऋणी सीमा (एसबीएल)/ समूह ऋणी सीमा (जीबीएल)

A-2.10.4 Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of Borrower	एकल कर्जदार एक्सपोजर सीमा Single Borrower Exposure limit	कुल निर्धारित सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on 31 st March
2016-17	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of Group	समूह कर्जदार एक्सपोजर सीमा Group Borrower Exposure limit	कुल निर्धारित सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on 31 st March
2016-17	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-

ए-2.10.5 गैरजमानती अग्रिम राशि

A-2.10.5 Amount of Unsecured advances

ऐसे अग्रिमों की राशि जिनके लिए अधिकारों, लायसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के दि. 1 जुलाई 2015, के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी संख्या 23/21.04.018/2015-16 के अनुसार ली गई मूर्त प्रतिभूतियां शून्य हैं।

The amount of advances, for which intangible securities, such as charge over the rights, licenses, authority etc. have been taken as tangible security is Nil as per RBI Circular No. DBR.BPBC No.23/21.04.018/2015-16 dated 01st July 2015.

ए-2.11 विविध

A-2.11 Miscellaneous

ए-2.11.1 वर्ष के दौरान कराधान हेतु किए गए प्रावधान की राशि

A-2.11.1 Amount of Provisions for Taxation during the year

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
संपत्ति कर एवं आस्थगित कर सहित करों हेतु प्रावधान	Provision for Tax including Wealth tax & deferred tax	1348.14	-1146.18
घटाएं - पिछले वर्षों से संबंधित कर प्रावधानों का रिवर्सल	Less : reversal of Tax Provisions relating to previous years	258.58	156.35
कर के लिए शुद्ध प्रावधान	Net provision for Tax	1089.56	-1302.53



ए-2.11.2 भारतीय रिजर्व बैंक/विदेशी विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात के संबंध में बैंक द्वारा फेमा के उल्लंघन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ₹ 5,00,00,000/- की पेनल्टी लगाई; पकेट में गंदे / जाली नोटों के लिए करंसी चेस्ट पर ₹ 40,51,869/- की पेनल्टी लगाई गई.

केन्या अनुषंगी पर आस्तियों के जोखिम वर्गीकरण संबंधी विवेकपूर्ण दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए ₹ 6,67,000/- की पेनल्टी लगाई गई. ओमान टैरीटरीज पर यूरो मास्टर विजा (ईएमवी) उन्नयन परियोजना में विलंब के लिए ₹ 8,70,000/- की पेनल्टी लगाई गई. युगांडा अनुषंगी पर देश के अंतर्गत प्राथमिक डेटा सेंटर एवं डिजास्टर रिकवरी साइट की स्थापना न करने के लिए ₹ 57,04,000/- की पेनल्टी लगाई गई.

A-2.11.2 Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

During the year penalty of ₹ 5,00,00,000/- was levied by Reserve Bank of India for FEMA violations related to Import of Goods & Services, penalty of ₹ 40,51,869/- was levied by RBI for forged/soiled notes in currency chest.

Penalty of ₹ 6,67,000/- was levied on Kenya subsidiary for violation under prudential guidelines for risk classification of Assets and provisioning and violation of prudential guidelines on outsourcing. Penalty of ₹ 8,70,000/- was levied in OMAN territory due to delay in Euro Master Visa (EMV) up-gradation project. ₹ 57,04,000/- was levied as penalty in Uganda subsidiary for not establishing an in country primary data center and Disaster Recovery Site.

ए-2.11.3 प्रायोजित तुलनपत्रोत्तर (ऑफ-बैलेंस शीट) एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करना अपेक्षित है)

A-2.11.3 Off-balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored	
घरेलू / Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य / Nil	शून्य / Nil

ए-2.11.4 प्रतिभूतीकरण

A-2.11.4 Securitization

क्र. सं. / S.No.	विवरण	Particulars	संख्या / राशि (₹ करोड़ में) / No. / Amount (₹ in crores)
1.	प्रतिभूतीकरण संव्यवहार के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	No. of SPVs sponsored by the bank for Securitization transaction	NIL
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बही के अनुसार प्रतिभूतीकरण आस्तियों की कुल राशि	Total amount of Securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the Bank	
3.	तुलनपत्र की तिथि को न्यूनतम धारण आवश्यकता (एमआरआर) के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित जोखिम की कुल राशि	Total amount of exposures retained by the bank to comply with minimum retention requirement (MRR) as on the date of Balance Sheet	
	ए) तुलनपत्रेतर जोखिम प्रथम हानि अन्य	a) Off-balance sheet exposures First Loss Others	
	बी) तुलनपत्र का जोखिम प्रथम हानि अन्य	b) On balance sheet exposures First Loss Others	
4.	एमएमआर के अलावा प्रतिभूतीकरण अंतरण से जोखिम की राशि	Amount of Exposures to securitization transactions other than MRR	
	ए) तुलनपत्रेतर जोखिम	a) Off-balance sheet exposures	
	i) अपने प्रतिभूतीकरण से जोखिम प्रथम हानि हानि/अन्य	i) Exposures to own securitizations First Loss Loss/Others	
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतीकरण से जोखिम प्रथम हानि अन्य	ii) Exposures to third party securitizations First Loss Others	



क्र. सं. विवरण S.No.	Particulars	संख्या / राशि (₹ करोड़ में) No. / Amount (₹ in crores)
बी) तुलनपत्र का जोखिम	b) On-balance sheet exposures	
i) अपने प्रतिभूतीकरण से जोखिम प्रथम हानि हानि/अन्य	i) Exposures to own securitizations First Loss Loss/Others	
ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण से जोखिम प्रथम हानि अन्य	ii) Exposures to third party securitizations First Loss Others	

ए-2.12 दबावग्रस्त आस्तियों संबंधी प्रकटीकरण

A-2.12 Disclosure on Stressed Assets

ए-2.12.1 मौजूदा ऋणों के लचीले पुनर्गठन का प्रकटीकरण

A-2.12.1 Disclosure of flexible structuring of Existing loans

अंचल Zones	अवधि Period	लचीले पुनर्गठन हेतु लिए गए ऋणकर्ताओं की संख्या No. of borrowers taken up for flexibly structuring	लचीले पुनर्गठन हेतु लिए गए ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीले पुनर्गठन हेतु लिए गए ऋणों की एक्सपोजर वेटेड औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
			मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीले पुनर्गठन लागू करने से पहले Before applying flexible structuring	लचीले पुनर्गठन लागू करने के बाद After applying flexible structuring
बैंगलुरु Bengaluru	पिछला वित्तीय वर्ष Previous Financial Year	2	371.33	0.00	11.92 years, 12.83 years	18 years, 13.50 years
	चालू वित्तीय वर्ष Current Financial Year	0	0.00	0.00	0.00	0.00
भोपाल Bhopal	पिछला वित्तीय वर्ष Previous Financial Year	1	193.15	0.00	7.73 years	14.75 years
	चालू वित्तीय वर्ष Current Financial Year	0	0.00	0.00	0.00	0.00
मुंबई Mumbai	पिछला वित्तीय वर्ष Previous Financial Year	2	437.15*	0.00	7.07 years, 14.19 years	17.42years, 18.30 years
	चालू वित्तीय वर्ष Current Financial Year	2	217.49	0.00	7.50years, 8.50 years,	12.33years, 15.50 years
नई दिल्ली New Delhi	पिछला वित्तीय वर्ष Previous Financial Year	3	1015.30**	0.00	10.50 years, 4.13 years, 9.75 years	20 years, 25 years, 18.75 years
	चालू वित्तीय वर्ष Current Financial Year	1	210.12	0.00	10.46 years	20 years
कुल Total	पिछला वित्तीय वर्ष Previous Financial Year	8	2016.93	0.00	0.00	0.00
	चालू वित्तीय वर्ष Current Financial Year	3	427.61	0.00	0.00	0.00
कुल Total	पिछला वित्तीय वर्ष + चालू वित्तीय वर्ष Previous Financial year + Current Financial year	11	2444.54	0.00	0.00	0.00

*बाद में रुपए 455.12 करोड़ की राशि का -1- खाता वित्तीय वर्ष 15-16 में एनपीए हो गया.

*Subsequently -1- account amounting to ₹ 455.12 crores has been turned into NPA in FY 15-16

*बाद में रुपए 713.14 करोड़ की राशि के -2- खाते वित्तीय वर्ष 15-16 में एनपीए हो गए.

** Subsequently -2- accounts amounting to ₹ 713.14 crores has been turned into NPA in FY 15-16



ए-2.12.2 कार्यनीतिगत ऋण पुनर्गठन योजना पर प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड स्टील अवधि में हैं।

A-2.12.2 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

अंचल Zones	ऐसे खातों की संख्या, जहाँ एसडीआर सक्रिय किया गया है. No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जहाँ ऋण का इक्विटी में रुपांतरण लंबित है ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		जहाँ ऋण का इक्विटी में रुपांतरण हो गया है ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
बड़ौदा Baroda	1	0.00	227.30	0.00	0.00	0.00	227.30
बैंगलुरु Bengaluru	2	23.79	56.32	0.00	56.32	23.79	0.00
भोपाल Bhopal	2	105.76	219.19	105.76	219.19	0.00	0.00
मुंबई Mumbai	21	3007.21	2765.02	0.00	2763.35	3007.21	0.00
चेन्नई Chennai	2	0.00	109.99	0.00	109.99	0.00	0.00
कोलकाता Kolkata	5	65.72	407.31	0.00	407.31	65.72	0.00
नई दिल्ली New Delhi	2	0.00	243.67	0.00	243.67	0.00	0.00
अंतर्राष्ट्रीय International	1	0.00	305.26	0.00	305.26	0.00	0.00
कुल Total	36	3202.48	4334.06	105.76	4106.76	3096.72	227.30



ए-2.12.3 एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड स्टील अवधि के अंतर्गत हैं)

A-2.12.3 Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(राशि भारतीय ₹ में (करोड़ में) Amount in INR Crore)

अंचल Zones	ऐसे खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन लागू करने का निर्णय लिया है. No. of accounts where banks have decided to Effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जहाँ ऋण का इक्विटी में रूपांतरण / इक्विटी शेयरों के गिरवी को सक्रिय करना लंबित है उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		जहाँ ऋण का इक्विटी में रूपांतरण / इक्विटी शेयरों के गिरवी को सक्रिय करना हो गया है उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		जहाँ नए शेयर जारी कर या प्रवर्तक की इक्विटी के विक्रय द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन हो गया है उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
बैंगलुरु Bengaluru	1	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46	0.00
भोपाल Bhopal	1	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.28	0.00
कुल Total	2	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.74	0.00

ए-2.12.4 अनुपालन के अंतर्गत परियोजना के स्वामित्व का प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड स्टील अवधि के अंतर्गत हैं)

A-2.12.4 Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(राशि भारतीय ₹ में (करोड़ में) Amount in INR Crore)

अंचल Zones	ऐसे परियोजना ऋण खातों की संख्या, जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन लागू करने का निर्णय लिया है. No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	मानक पुनर्गठित के रूप में वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
कुल Total	0	0.00	0.00	0.00

ए-2.13 दबावग्रस्त आस्तियों के संधारणीय गठन की योजना पर प्रकटीकरण (एस4ए) दिनांक 31.03.2017

A-2.13 Disclosure on the scheme for sustainable structuring of Stressed Assets (S4A) as on 31.03.2017

जहाँ एस4ए लागू किया गया है ऐसे खातों की संख्या Number of accounts where S4A has been applied	बकाया समग्र राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding		रखा गया प्रावधान Provision held
		भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	2199.69	75.94	62.22	383.06
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	118.44	0.00	0.00	42.26
कुल TOTAL	2318.13	75.94	62.22	425.32



ए-3. प्रावधानों व आकस्मिकताओं का विश्लेषित विवरण

A-3 Break up of Provisions and Contingencies

ए-3.1 लाभ व हानि खाते में आने वाले प्रावधान व आकस्मिकताओं का विश्लेषित विवरण इस प्रकार है:

A-3.1 Break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (शुद्ध प्रलेखित तथा बट्टे खाते डाले गए सहित)	Provision for depreciation on investment (net of written back and including write off)	29.31	341.46
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान (शुद्ध प्रलेखित)	Bad debts written off / Provision made towards NPA (net of written back)	8006.95	14007.73
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	776.58	-258.11
कर हेतु प्रावधान आस्थगित करों, और संपदा कर सहित (प्रावधानों के प्रत्यावर्तन का शुद्ध)	Provision for taxes including deferred taxes, and Wealth tax (net of reversal of provisions)	1089.56	-1302.53
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	Other Provision and Contingencies		
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के परित्याग हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts	-327.16	-241.82
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management	-13.15	-12.81
कर्मचारी कल्याण खर्च हेतु प्रावधान	Provision for staff welfare expenses	25.00	25.00
अन्य (इसमें धोखाधड़ियों, बैंक के विरुद्ध दावों, उच्चन्त खातों आदि प्रावधान शामिल हैं).	Others (includes provision for fraud, claim against bank, sensitive accounts etc.)	4.84	1652.20
कुल	Total	9591.93	14211.12

ए-3.2 अस्थायी प्रावधान - व्यापक प्रकटीकरण

A-3.2 Floating Provisions – Comprehensive Disclosures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ए. अस्थायी प्रावधान खाते में आरम्भिक शेष	a. Opening balance in the floating provisions account	425.35	425.35
बी. लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	b. The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
सी. लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	c. Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
डी. अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	d. Closing balance in the floating provisions account	425.35	425.35

ए-3.3 अरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम पर प्रावधान

A-3.3. Provision on Unhedged Foreign Currency Exposure–

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ए. प्रारंभिक शेष प्रावधान खाता	a. Opening balance provisions account	79.02	69.09
बी. लेखा वर्ष में किये गये प्रावधान की राशि	b. The quantum of provisions made in the accounting year	--	9.93
सी. लेखा वर्ष के दौरान रिवर्स की गई राशि	c. Amount Reverse during the accounting year	-6.07	--
डी. प्रावधान खाते का अंतिम शेष	d. Closing balance in the provisions account	72.95	79.02



बैंक ने करेन्सी इंड्यूस्ड क्रेडिट रिस्क की कोई नीति तैयार नहीं की है तथापि बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है।

31.3.2017 के गैर हैज्ड विदेशी मुद्रा उधारियों की एवज में बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की राशि 80बीपीएस पर प्रावधान राशि पर 6128.02 करोड़ थी। अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता राशि ₹ 921.38 करोड़ की एवज में अतिरिक्त आरडब्ल्यूए ₹ 94.44 करोड़ है।

ए-3.4 आरक्षित निधियों में गिरावट (ड्रा डाउन)

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आरक्षित निधियों में कोई गिरावट (ड्रा डाउन) नहीं हुई है।

ए- 4. शिकायतों का प्रकटीकरण

I. ग्राहक शिकायत (एटीएम की शिकायतें छोड़कर)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(ए) वर्ष के शुरु में लंबित शिकायतों की संख्या	a. No. of complaints pending at the beginning of the year	121	94
(बी) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	b. No. of complaints received during the year	48504	25236
(सी) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	c. No. of complaints redressed during the year	48323	25209
(डी) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	d. No. of complaints pending at the end of the year	302	121

* इनमें से 302 शिकायतें (गत वर्ष 121 शिकायतें) 30 दिनों से कम पुरानी हैं।

The Bank has not prepared any policy with regard to Currency induced Credit Risk. However, the Bank is following regulatory guideline issued by the Reserve Bank of India.

As on 31.03.2017, the amount of bank's credit exposure against Unhedged Foreign Currency Exposure of borrowers attracting 80 bps provisions was ₹ 6128.02 Crores. The additional RWA on this exposure is ₹ 921.38 crores against this additional minimum capital requirement is ₹ 94.44 crores.

A-3.4 Draw Down from Reserves

During the Financial Year 2016-17, there has been no draw down from the reserves.

A-4 Disclosure of complaints

I. Customer Complaints (Other than ATM)

II. एटीएम संबंधी शिकायतें

II. ATM Complaints

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(ए) वर्ष के शुरु में एटीएम से संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या	a. No. of ATMs complaints pending at the beginning of the year	2338	5215
(बी) वर्ष के दौरान एटीएम से संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या	b. No. of ATMS complaints received during the year	277300	280627
(सी) वर्ष के दौरान एटीएम से संबंधी निपटाई गई शिकायतों की संख्या	c. No. of ATMs complaints redressed during the year	277571	283504
(डी) वर्ष के अंत में एटीएम से संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या	d. No. of ATMs complaints pending at the end of the year	2067	2338

III. बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय

III. Awards passed by the Banking Ombudsman

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(ए) वर्ष के शुरु में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	a. No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
(बी) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णयों की संख्या	b. No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	11	6
(सी) वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	c. No. of Awards implemented during the year	9	6
(डी) वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	d. No. of unimplemented Awards at the end of the year	2	0

ए-5. चुकौती आश्वासन पत्र की स्थिति
(I) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

बैंक ने चालू वर्ष के दौरान विदेशी/देशीय नियामकों द्वारा अपनी अनुषंगियों की स्थापना करने/शाखाओं को खोलने के लिए अपना अनुमोदन प्राप्त करते समय आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया।

(II) 31.03.2017 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति

बैंक ने निम्नलिखित आश्वासन पत्र जारी किया है।

- वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान विदेशी/देशी विनियामकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुषंगियों की स्थापना / शाखाएं खोलने हेतु उनसे अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का उस देश में बैंक की अनुषंगी के लिए चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया गया था. दि.31.03.2017 के लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार अनुषंगी की जमाएं ₹ 228.56 करोड़ एवं बाहरी देयताएं ₹ 3.36 करोड़ हैं. तथापि 31.03.2017 को इस अनुषंगी की शुद्ध मालियत ₹ 208.50 करोड़ है, इसलिए यह संपूर्ण जमा राशि और बाहरी देयताओं को कवर करती है.
- वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने संयुक्त उद्यम बैंक - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आईआईबीएमबी) में बैंक के 40% शेयरधारिता की सीमा तक बैंक ऑफ़ नेगारा मलेशिया को आश्वासन पत्र जारी किया है. दिनांक 31.03.2017 को आईआईबीएमबी की कुल जमा राशि ₹ 198.55 करोड़ एवं अन्य देयताएं ₹ 2.09 करोड़ अर्थात कुल ₹ 200.65 करोड़ है. दिनांक 31.03.2017 को इस अनुषंगी की निवल मालियत ₹ 466.79 करोड़ है

A-5. Status of Letters of Comfort
I Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year

During the current financial year, the Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas/domestic regulators while seeking their approval for establishing subsidiaries / opening of branches.

II Cumulative position of LOC's outstanding as on 31.03.2017

The Bank has issued the following Letter of Comforts

- During financial year 2008-09 to meet the requirements of the overseas/ domestic regulators while seeking their approval for establishing subsidiaries/ opening of branches, the Letter of Comfort was issued to Reserve Bank of New Zealand for the Bank's subsidiary in that country. As on 31.03.2017, the deposits of the Subsidiary are ₹ 228.56 Crores and outside liabilities are ₹ 3.36 Crores. However, the net worth of the Subsidiary as on 31.03.2017 is ₹ 208.50 Crores and therefore it covers the entire deposits and outside liabilities.
- During financial year 2010-11, the Bank has issued Letter of comfort to the Bank Negara Malaysia to the extent of the Bank's 40% shareholding in the joint venture Bank – India International Bank (Malaysia) Bhd' (IIBMB). As on 31.03.2017, the deposits of IIBMB are ₹ 198.55 Crores and other liabilities are ₹ 2.09 Crores i.e. total of ₹ 200.65 Crores. The net worth of the Subsidiary as on 31.03.2017 is ₹ 466.79 crores.



ए-6 तीसरी पार्टी के उत्पादों के विपणन से अर्जित आय

A-6 Income earned for marketing third party products

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

आय की प्रकृति	Nature of Income	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling life insurance policies	28.72	18.75
गैर जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling non life insurance policies	18.56	13.29
म्यूच्यूल फंड प्रोजेक्टों की बिक्री हेतु	For selling mutual fund products	5.79	3.36
इक्विटी ब्रोकिंग उत्पाद	Equity broking product	0.00	0.30

ए-7 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण

A-7 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	Opening balance of amount transferred to DEAF	316.60	268.10
जोड़े: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	Add: Amount transferred to DEAF during the year	87.63	48.50
घटाये: डीईएएफ द्वारा दावों के पेटे प्रतिपूर्ति की गई राशि	Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.45	0.00
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष	Closing Balance of amounts transferred to DEAF	403.77	316.60

ए-8. चलनिधि कवरेज अनुपात
ए-8.1. मात्रात्मक प्रकटीकरण

A-8 Liquidity Coverage Ratio
A-8.1 Quantitative Disclosure



चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण - मार्च 2017
Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure - March 2017

बैंक का नाम: बैंक ऑफ़ बड़ोदा

Name of the Bank : Bank of Baroda

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण	मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष का तिमाही औसत (एकल आधार पर)	मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष का तिमाही औसत (समेकित आधार पर)	मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय तिमाही के लिए दैनिक औसत (समेकित आधार पर)	मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय तिमाही के लिए दैनिक औसत (समेकित आधार पर)	मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय तिमाही के लिए दैनिक औसत (समेकित आधार पर)
	Quaterly Averages of Financial Year Ending March 2017 (Solo Basis)	Quaterly Averages of Financial Year Ending March 2017 (Consolidated Basis)	Daily Averages of Q4 Ending March 2017 (Solo Basis)	Daily Averages of Q4 Ending March 2017 (Consolidated Basis)	Daily Averages of Q4 Ending March 2017 (Consolidated Basis)
	Total Unweighted Value	Total Weighted Value	Total Unweighted Value	Total Weighted Value	Total Unweighted Value
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां					
High Quality Liquid Assets					
1 रिटेल जमा एवं छोटे व्यावसायिक ग्राहकों की जमा राशियां, जिनमें से स्थिर जमा राशियां	365325.67	32827.83	368980.85	33074.63	356482.61
Retail deposit and deposits from small business customers, of which: Stable Deposits					
2 घटाएं: स्थिर जमा राशियां	74094.64	3704.73	76468.69	3823.43	78345.78
Less Stable Deposits					
(i) अप्रत्यामृत थोक वित्तीय, जिनमें से परिचालनगत जमा राशियां (सभी काउंटर पार्टियों को)	291231.02	29123.10	292511.95	29251.20	280136.83
(i) Unsecured wholesale funding, of which: Operational deposits (all counterparties)					
(ii) अप्रत्यामृत ऋण	119893.71	78933.74	121765.76	80599.13	142387.89
(ii) Non-operational deposits (all counterparties)					
3 रेप परिचालनगत जमा राशियां (सभी काउंटर पार्टियों को)	119893.71	78933.74	121765.76	80599.13	142387.89
3 Non-operational deposits (all counterparties)					
(i) अप्रत्यामृत ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(i) Unsecured debt					
(ii) प्रत्यामृत थोक वित्तीय	1271.30	1271.30	8.93	8.93	8.93
(ii) Secured wholesale Funding					
(iii) अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से रेपेविटिव एक्सपोजर तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बाह्य प्रवाह	61869.43	22035.94	110963.23	28120.99	45190.56
(iii) Additional requirements, of which Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements					
4 ऋण उत्पादों पर निधियों की हानि संबंधित बाह्य प्रवाह	1638.50	1638.50	1497.86	1497.86	1213.80
4 Outflows related to loss of funding on debt products					
5 ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Credit and liquidity facilities					
(i) अन्य संवित्तगत निधियन संबंधी बाध्यताएं	60230.93	20397.44	61888.03	21021.98	43068.59
(i) Other contractual funding obligations					
(ii) अन्य आकांक्षिक निधियन संबंधी बाध्यताएं	2920.86	2920.86	3022.47	3022.47	2489.58
(ii) Other contingent funding obligations					
(iii) कुल नकदी बाह्य प्रवाह	56948.73	1716.80	57543.20	1735.47	58838.15
(iii) TOTAL CASH OUTFLOWS					
6 कुल नकदी अंतर्प्रवाह	139706.47	139706.47	146561.62	136825.66	145567.92
6 Cash Inflows					
7 सुरक्षित ऋण (जैसे, रिवर्स रेपो)	11153.08	257.39	11495.68	361.89	28191.11
7 Secured lending (e.g. reverse repos)					
8 पूर्णतः अर्जक एक्सपोजर्स से अंतर्प्रवाह	97321.90	91020.91	98815.48	91817.63	217244.76
8 Inflows from fully performing exposures					
9 अन्य नकदी अंतर्प्रवाह	8072.77	7317.20	8312.22	7540.29	10125.67
9 Other cash inflows					
10 कुल नकदी अंतर्प्रवाह	116547.75	98595.50	118623.38	99719.81	255561.54
10 TOTAL CASH INFLOWS					
11 कुल एचक्यूएलए	105846.12	105846.12	107222.13	107222.13	129108.86
11 TOTAL HQLA					
12 कुल शुद्ध नकदी बाह्य प्रवाह	81782.33	81782.33	83390.26	83390.26	75227.32
12 TOTAL NET CASH OUTFLOWS					
13 कुल नकदी अंतर्प्रवाह	129.42%	129.42%	128.56%	128.56%	171.62%
13 LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)					
14 कुल नकदी अंतर्प्रवाह	107222.13	107222.13	107222.13	107222.13	129108.86
14 TOTAL ADJUSTED VALUE					
कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य
Total Adjusted Value	Total Adjusted Value	Total Adjusted Value	Total Adjusted Value	Total Adjusted Value	Total Adjusted Value
129108.86	129108.86	129108.86	129108.86	129108.86	134289.92
75227.32	75227.32	75227.32	75227.32	75227.32	82051.87
171.62%	171.62%	171.62%	171.62%	171.62%	163.66%
171.62%	171.62%	171.62%	171.62%	171.62%	163.66%



ए. 8.2. गुणात्मक प्रकटीकरण

01 जनवरी 2015 से बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित कर दिया गया है।

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखे ताकि उसे अत्यधिक तरलता संबंधी तनाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों के लिए इसकी चलनिधि संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नकदी परिवर्तित किया जा सके। एलसीआर तथा निगरानी संबंधी उपाय प्रारंभ में दि. 1 जनवरी 2015 से भारतीय बैंकों के लिए समग्रतः बैंक स्तर पर लागू है अर्थात् शाखाओं के जरिए विदेशी परिचालन सहित स्टैंड अलोन आधार पर लागू हैं एवं बाद में दि. 1 जनवरी 2016 से समेकित आधार पर अर्थात् घरेलू एवं विदेशी अनुषंगियों सहित लागू होंगे।

एलसीआर के दो घटक हैं

- i तनावग्रस्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य - द न्यूमरेटर
- ii कुल शुद्ध नकदी बाह्य-प्रवाह : “शुद्ध नकदी बाह्य-प्रवाह को कुल अनुमानित नकदी बाह्य-प्रवाह” में से “कुल अनुमानित नकदी अंतर-प्रवाह” घटाने के बाद प्राप्त राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उपयोग (तनावग्रस्त अवधि के बाद) अगले 30 दिनों के लिए किया जाता है। दि डिनोमिनेटर

एलसीआर = उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों का स्टॉक/अगले 30 दिनों में कुल शुद्ध नकदी बाह्य प्रभाव >= 100%

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, एलसीआर चरणबद्ध रूप में लागू किया जाएगा जो 01 जनवरी 2015 से न्यूनतम 60% से आरंभ होकर 01 जनवरी 2019 तक न्यूनतम 100% तक होगा।

	जनवरी 01, 2015 January 01, 2015	जनवरी 01, 2016 January 01, 2016	जनवरी 01, 2017 January 01, 2017	जनवरी 01, 2018 January 01, 2018	जनवरी 01, 2019 January 01, 2019
न्यूनतम एलसीआर Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष मार्च, 2016 के लिए एलसीआर प्रकटीकरण एकल आधार पर किया है। दिनांक 1 जनवरी 2016 से भारतीय बैंकिंग उद्योग प्रणाली पर समेकित आधार पर प्रकटीकरण के लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जनवरी 2017 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए बैंक को एलसीआर प्रकटीकरण दैनिक औसत के आधार पर करना है, इसलिए बैंक ने मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए एकल एवं समेकित दोनों आधार पर दैनिक औसत पर एलसीआर की गणना की है।

एचक्यूएलए की संरचना

मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए दैनिक औसत के आधार पर अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियाँ एचक्यूएलए का अधिकतम हिस्सा अर्थात् 49.93% है उसके बाद तरलता कवरेज अनुपात का लाभ उठाने हेतु सुविधा, जो कि एचक्यूएलए का 35.50% है। स्तर-1 की आस्तियाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य की गई न्यूनतम 80% की एचक्यूएलए के सामने 98.69% है। स्तर-2 की आस्तियाँ जोकि स्तर-1 की आस्तियों की तुलना में गुणवत्ता में निम्न है, वह क्रमशः 40% एवं 15% के अधिकतम अनिवार्य स्तर के सामने कुल एचक्यूएलए का 1.31% है।

A-8.2 Qualitative Disclosure:

From 1st January 2015, the bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The LCR and monitoring tools are applicable for Indian banks initially w.e.f. 1st January 2015 at whole bank level only i.e. on a stand-alone basis including overseas operations through branches and subsequently at consolidated basis w.e.f. 1st January 2016 i.e. including domestic and overseas subsidiaries.

The LCR has two components:

- (i) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions –the numerator.
- (ii) Total net cash outflows : The term “Total net cash outflows” is defined as “Total expected cash outflows” minus “Total expected cash inflows” in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).-the denominator.

LCR = Stock of High Quality Liquid Assets/Total Net Cash Outflows over the next 30 calendar days > = 100%

According to RBI, the LCR will be introduced in a phased manner starting with a minimum requirement of 60% from January 1, 2015 and reaching minimum 100% on January 1, 2019.

As per the RBI guidelines dated 31st March 2015, the Bank has made LCR disclosure on solo basis for the financial year ending March 2016. In terms of extant guideline disclosure on consolidated basis is applicable to the Indian banking system from 1st January 2016 and onwards. As starting from January 2017, banks have to disclose LCR on daily average basis, the bank has computed LCR on daily average basis both for Solo and Consolidated Level for the quarter ended March 2017.

Composition of HQLA

Based on daily averages for the quarter ended March 2017, excess SLR securities constitute the highest portion of HQLA i.e. 49.93% followed by Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio which constitute 35.50% of HQLA. Level 1 Assets constitute 98.69% of HQLA against minimum 80% mandated by the Reserve Bank of India. Level 2 assets which are lower in quality as compared to level 1 asset as HQLA constitute 1.31% of total HQLA, against the maximum mandated level of 40% and 15% respectively.



उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	High Quality Liquid Assets (₹HQLAs)	एचक्यूएलए में औसत अंशदान प्रतिशत Average percentage contribution to HQLA
लेवल 1 आस्तियां	Level 1 Assets	
हाथ में नकदी	Cash in hand	1.76%
आधिक्य सीआरआर शेष	Excess CRR balance	1.48%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता के अलावा सरकारी प्रतिभूतियां	Government Securities in excess of minimum SLR requirement	49.93%
एमएसएफ के द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के तहत सरकारी प्रतिभूतियां (वर्तमान में एमएसएफ के लिए तथा अनुमत एनडीटीएल की 2 प्रतिशत सीमा तक)	Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL as allowed for MSF)	7.89%
बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 0% रिस्क वेटेड वाले विदेशी संप्रभुओं द्वारा जारी की गई अथवा प्रत्याभूत बाजार योग्य प्रतिभूतियां (मेमो क.सं. के अंतर्गत देशवार विवरण)	Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach (country-wise details to be provided under memo item no.1)	2.14%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता हेतु सुविधा (वर्तमान में एमएसएफ के लिए यथा अनुमत एनडीटीएल की 8 प्रतिशत सीमा तक)	Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (presently to the extent of 8 per cent of NDTL as allowed for MSF)	35.50%
कुल समायोजित लेवल, आस्तियां	Total Adjusted Level 1 Assets	98.69%
कुल लेवल 2ए आस्तियां	Total Level 2A Assets	0.87%
कुल लेवल 2बी आस्तियां	Total Level 2B Assets	0.44%
एचक्यूएलए के कुल स्टॉक = लेवल 1 + लेवल 2ए+ लेवल 2बी -15% सीमा के समायोजित - 40% सीमा के समायोजित.	Total Stock of HQLAs = Level 1 + Level 2A + Level 2B – Adjustment for 15% cap – Adjustment for 40% cap	100.00%

अंतः अवधि परिवर्तन तथा समयोपरांत परिवर्तन

कुल एचक्यूएलए में अतिरिक्त एसएलआर का स्तर विमुद्रीकरण के प्रभाव के कारण उच्च रहा, जिसके परिणाम स्वरूप जमा राशियों के रूप में भारी मात्रा में चलनिधि एकत्र हो गई और उस एसएलआर प्रतिभूति के रूप में निवेश किया गया और इसलिए एचक्यूएलए का स्तर बढ़ गया. एलसीआर का स्तर जनवरी 2017 में 195.28% के स्तर पर अधिकतम रहा, फरवरी 2017 में 149.46% पर एवं मार्च 2017 में 150.91% रहा.

निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण

निधियों के स्रोतों का कोई अनुचित संकेन्द्रण नहीं पाया गया और न ही निधियों के स्रोतों में जोखिम के संकेन्द्रण के परिप्रेक्ष्य में कोई काउंटर-पार्टियां महत्वपूर्ण रहीं. किसी भी काउंटर पार्टी का हिस्सा बैंक की कुल देयताओं के 1% से अधिक न था. महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि- एक एकल काउंटर पार्टी या महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों का जुड़ा हुआ या संलग्न समूह, जिनका कुल हिस्सा बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है.

उसी प्रकार कोई भी लिखत/उत्पाद बैंक की कुल देयताओं के 1% से अधिक का नहीं है. एक महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि- एक सिंगल लिखत/उत्पाद या वैसे ही लिखतों/उत्पादों का समूह, जिनकी सकल राशि बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है. निधिगत लिखत/उत्पादों का उदाहरण-हॉलसेल जमाराशियां जमाराशियों के प्रमाणपत्र, दीर्घावधि के आवधिक बॉण्ड इत्यादि. बैंक के एकल आधारित सर्वोच्च 10 जमाकर्ता का हमारी कुल जमाराशियों का 4.19% है.

Intra-period changes as well as changes over time:

The composition of excess SLR in total HQLA stands high due to demonetization impact, which resulted into accumulation of huge liquidity in form of deposit and was invested in excess SLR securities thereby increasing level of HQLA. The LCR was maximum at 195.28% as on January 2017, 149.46% in February 2017 and 150.91% in March 2017.

Concentration of funding sources

There has been no undue concentration of funding sources and no counterparty is significant in terms of concentration risk in sources of funds. No counterparty contributes more than 1% of the bank's total liabilities. A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

Similarly no instrument/product constitutes more than 1% of the bank's total liabilities. A "significant instrument/product" is defined as a single instrument/product of group of similar instruments/products which in aggregate amount to more than 1% of the bank's total liabilities. Example of funding instruments/products - wholesale deposits, certificates of deposits, long term bonds, etc. Top 10 depositors of the bank on solo basis constitute 4.19 % of our total deposits.



डेरिवेटिव एक्सपोजर एवं संभाव्य संपार्श्विक कॉलस:
बैंक का डेरिवेटिव एक्सपोजर निम्नानुसार है:

Derivative exposures and potential collateral calls:
The bank's derivative exposure is as under:

क्रम सं S.No.	विवरण	Description	(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)
1	डेरिवेटिव एक्सपोजर की काल्पनिक राशि	Notional amount of Derivative exposure	153229.09
2	चालू एक्सपोजर पद्धति के अनुसार एक्सपोजर	Exposure as per Current Exposure method	8274.87
3	अगले 30 दिनों के लिए डेरिवेटिव एक्सपोजर	Expected outflow for Derivative exposure for next 30 days	691.23

एलसीआर में मुद्रा-मिसमैच:

सभी महत्वपूर्ण मुद्राओं के लिए हम मुद्रा वार एलसीआर की गणना करते हैं। महत्वपूर्ण मुद्रा वह है जहां उस मुद्रा में सकल देयताओं की मूल्य-राशि बैंक की कुल देयताओं का 5% या अधिक हो, जैसे कि यूएस डोलर, यूरो, जीबीपी एवं अन्य।
इस विदेशी मुद्राओं के लिए एलसीआर निम्नानुसार है

Currency mismatch in the LCR:

Bank calculates currency wise LCR for all significant currencies. A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities viz USD, EURO, GBP and others.
The LCR for the significant foreign currencies is as under:

क्रम सं / S.No.	मुद्रा / Currency	एलसीआर का स्तर / LCR level
1	यूएसडी / USD	108.65%
2	जीबीपी / GBP	1.81%
3.	ईयूआर / EUR	2.22%

चलनिधि प्रबंधन की केंद्रीकरण की डिग्री का विवरण तथा समूह की इकाइयों के बीच पारस्परिक प्रभाव.

उद्यमवार आधार पर बैंक के लिए चलनिधि प्रबंधक की जिम्मेवारी निदेशक मंडल की है। निदेशक मंडल अपनी यह जिम्मेवारी निदेशक मंडल की समिति को जिसे 'जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति' कहा जाता है, सौंप देता है। यह समिति विभिन्न प्रकार के जोखिमों तथा चलनिधि पर इसके प्रभाव के बीच सहबद्धता परिवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

हमारे बैंक में ए.एल.एफ. पॉलिसी ग्रुप है जो समूह के भीतर चल निधि एवं ब्याज दर जोखिम को संचालित करने के लिए बृहद दिशा निर्देश देता है। विदेशों में परिचालित बैंक की इकाइयां अपनी परिचालन चल निधि या अल्पावधि चल निधि लगातार आधार पर या स्वयं ही प्रबन्ध कर लेती है। बैंक की चलनिधि एवं / विदेशी व्यापार के ब्याज जोखिम प्रबंधन की मॉनिटरिंग बैंक के जोखिम प्रबन्धन विभाग द्वारा की जाती है।

ए.एल.एम. समूह की पॉलिसी के संबंध में दिशा निर्देश, जब तक कि विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो, विदेशी परिचालनों में भी लागू किए जाते हैं। बैंक की सभी वैधानिक संस्थाएं अर्थात अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम तथा सहयोगी लगातार अपने निजी प्रयासों से अपने व्यवसाय मॉडल तथा चल निधि आवश्यकता के अनुसार अपना प्रबन्ध करती है। वे अपनी निजी ए.एल.एम पॉलिसी रखते हैं। चूंकि वैधानिक संस्थाएं बैंकिंग व्यवसाय करती है। वे उस देश के दिशा-निर्देशों साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों-इनमें से जो ज्यादा कड़े हैं, उनके अनुसार कार्य करती है।

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:

The liquidity management for the Bank on enterprise wide basis is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board". The Committee is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has Group ALM Policy which provides the broad guidelines under which all the entities within the Group operate in terms of liquidity and interest rate risk. The bank's entities operating in foreign countries manage their operational liquidity or liquidity in the short-term on their own on an ongoing basis. The monitoring of liquidity and interest risk management of the overseas operations of the bank is being done by the Risk Management Department of the bank.

The guidelines of the Group ALM policy, unless otherwise specifically exempted, apply to overseas operations as well. All the legal entities of the bank i.e.-subsidiaries, joint ventures and associates manage their operational liquidity on an ongoing basis at their own according to their business models and liquidity requirement. As to the legal entities carrying out banking business, they have their own ALM Policy in line with the host country guidelines as well as RBI guidelines whichever is more stringent

बी. इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

बी-1 लेखामानक -5 अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि अवधि मदों के पूर्व तथा लेखा पॉलिसियों में परिवर्तन.

बी-1.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) -15 के अनुसरण में अपने कर्मचारियों को लाभ प्रदान करती है. इसकी गणना बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है.

बी-2. एएस-15 कर्मचारी लाभ

बी-2.1 बैंक ने 07.12.2006 से प्रभावी आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (ए.एस.-15) को अपनाया है. यह मानक दिनांक 17.12.2007 को संशोधित एवं अधिसूचित किया गया.

बी-2.2 ग्रेच्युटी

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों को, जो कि बैंक सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवात्याग करते हैं, ग्रेच्युटी का भुगतान करता है. बैंक प्रत्येक वर्ष भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी की फंडिंग के लिए एक आंतरिक न्यास को अंशदान राशि प्रदान करता है. ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और सेवा छोड़ने वाले स्टाफ का अनुमान लगाते हुए, परिलक्षित इकाई ऋण बीमांकिक पद्धति के आधार पर ग्रेच्युटी देयता के बीमांकिक मूल्य की गणना की जाती है. निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है .

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना 3 विभिन्न योजनाओं के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता निर्धारण योजना जो कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है.

बी-2.3 पेंशन

बी-2.3.1 बैंक ऑफ बड़ौदा अपने कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को या उसके बाद परंतु 01.04.2010 के पूर्व बैंक सेवा में कार्यभार संभाला है, उन्हें विनिर्दिष्ट लाभ तथा सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान करता है. यह योजना कर्मचारियों को मासिक आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अधीन उनके बैंक छोड़ने के पश्चात् पेंशन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करती है. बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 अंतर्गत शामिल कर्मचारी, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है.

बी-2.3.2 नई पेंशन योजना

पेंशन का दुबारा विकल्प देने के बारे में भारतीय बैंक संयुक्त और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को या इसके पश्चात् बैंक की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं. जो कि बैंक ने संयुक्त नोट/समझौते दिनांक 27.04.2010 के अनुसार शुरू की है. यह योजना दिनांक 01.01.2004 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई तथा समय-समय पर यथासंशोधित नई पेंशन योजना के प्रावधानों से ही नियंत्रित होती है. अतः वे बैंक की भविष्य निधि योजना तथा पेंशन

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

B-1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies

B-1.1 Bank is providing for employee benefits in accordance with the accounting standard (AS) -15 issued by ICAI. The same is calculated by actuarial valuation.

B-2 AS-15 Employee Benefits

B-2.1 The Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI, effective from 07.12.2006. The standard has been revised and notified on 17.12.2007.

B-2.2 Gratuity

The Bank pays gratuity to employees who retire or resign from Bank's service, after initial service period of five years. Accordingly, the Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the rule of Gratuity Fund, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the Projected Unit credit actuarial method. The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

The gratuity payable is worked out by way of three different schemes and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

B-2.3 Pension

B-2.3.1 Bank pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from service of the Bank in terms of Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident fund.

B-2.3.2 New Pension Scheme

In terms of Bipartite Settlement and Joint Note dated 27.04.2010 between IBA and Employees Organizations' on extending another option for pension, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are eligible for the Defined Contributory Pension Scheme, which was introduced by the Bank in terms of the Joint Note / Settlement dated 27.04.2010, similar to the one governed by the provisions of New Pension Scheme introduced for the employees of Central Government w.e.f. 01.01.2004 and as modified from time to time. Hence they are not eligible for becoming members of Bank's Provident Fund Scheme and Pension Scheme. In respect of the employees of the Bank, who have



योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं. दिनांक 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात् बैंक सेवाओं में प्रवेश करने वाले बैंक के कर्मचारियों के संबंध में कुल परिलब्धियों से मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 10% की दर से नई पेंशन योजना के लिए कटौती और इसके समतुल्य ही बैंक द्वारा अंशदान किया जा रहा है.

बी-2.3 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए अपने कर्मचारियों, जो 31.03.2010 को अथवा उससे पूर्व सेवा में आए हैं, के सेवा निवृत्ति लाभों के एक भाग के रूप में भविष्य निधि की देखरेख सांविधिक आवश्यकता है. इस निधि का प्रबंधन आंतरिक न्यासियों द्वारा किया जाता है. प्रत्येक कर्मचारी द्वारा उसके मूल वेतन एवं पात्र भत्तों का 10% अंशदान किया जाता है और बैंक ऑफ़ बड़ौदा उस राशि के बराबर राशि इस निधि में अंशदान करता है. इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है.

बी-2.4 छुट्टी नकदीकरण

कर्मचारी अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामले में उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश का अधिकतम 240 दिनों के अधीन नकदीकरण के पात्र है.

तथापि, त्यागपत्र के मामले में कर्मचारी उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टियों के 50% तक का अधिकतम 120 दिनों के अधीन नकदीकरण के पात्र है.

बी-2.5 अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ

अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ योजना में यह प्रावधान है कि एक अधिकारी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ पाने का पात्र होगा, बशर्ते अधिकारी बॉब अधिकारी सेवा विनियमों में दर्शाई गई शर्तों को पूरा करता है.

उसी प्रकार अवार्ड स्टाफ सदस्य सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ पाने का पात्र होगा, बशर्ते उसने बैंक में 30 वर्षों की सेवाएँ पूरी की हो.

तथापि, बर्खास्तगी, सेवामुक्ति, सेवा-समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं त्यागपत्र के मामले में, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं होंगे, चाहे सेवा के कितने ही वर्ष पूरे किए हों।

joined the services of the Bank on or after 01.04.2010, deduction towards New Pension Scheme at the rate of 10% of the basic pay and dearness allowance from the salary with a matching contribution by the Bank is being made.

B-2.3 Provident Fund

The Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees who joined Bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the Bank. Each employee contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and the Bank contributes an equal amount to the fund. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

B-2.4 Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment to the tune of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

B-2.5 Additional Retirement Benefit

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer on Retirement/ Voluntary retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the officers satisfy the conditions mentioned in BOB officer's service regulations.

In the same manner, award staff member on Retirement/ Voluntary Retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the staff member had completed thirty-years of service in Bank.

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation, additional retirement benefit shall not be payable irrespective of any number of years of service.



बी-2.6 प्रकटीकरण

मूल बीमांकक अनुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त)

B-2.6 Disclosures

Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	ग्रेच्युटी Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
डिस्काउंट दर	Discount rate	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
ह्रास दर	Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न रेट	Expected Rate of Return on plan Assets	8.00%	N/A	8.00%	N/A

मृत्युदर : आईएएलएम (2006-2008)

नोट: भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र दि. 24 मार्च 2014 के अनुसार बैंक में अधिवर्षिता योजनाओं के लिये प्रावधान किया है. प्रबंधन का विचार है कि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पर्याप्त प्रावधान किया है.

Mortality Rate : IALM (2006-2008)

Note: The bank has provided for superannuation schemes as per the RBI letter dated March 24, 2014. The management is of the view that they have made adequate provision as per the RBI letter based on the actuarial valuation.

देयताओं के आरंभिक और अंतिम शेष का मिलान

Reconciliation of opening and closing balance of liability

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	ग्रेच्युटी Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
1/4/2016 को पीवीओ	PVO as at 01.04.2016	11947.17	881.23	1346.55	375.96
जोड़ें: ब्याज की लागत	Add- Interest Cost	862.74	64.07	91.20	25.68
जोड़ें: चालू सेवा लागत	Add- Current Service Cost	1239.76	44.45	105.25	11.81
घटायें: प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	888.00	53.92	261.00	67.15
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/लाभ (-)	Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	-350.67	-28.86	67.82	0.52
31.03.2017 को पीवीओ	PVO as at 31.03.2017	12811.00	906.96	1349.82	346.81

योजनागत आस्तियों के समूचित मूल्य के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान

Reconciliation of opening & closing balance of fair value of plan assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN	
		पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
01.04.2016 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of plan assets as on 01-04-2016	9031.10	1325.99
जोड़ें: योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	Add- Expected Return on Plan Assets	722.49	106.08
जोड़ें: अंशदान	Add- Contributions	3423.30	20.56
घटायें: प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	888.00	261.00
जोड़ें: बीमांकिक लाभ / (-) हानि	Add- Actuarial gain/(-)loss	348.78	48.14
31.03.2017 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2017	12637.67	1239.77



तुलन-पत्र में हिसाब में ली गई राशि

Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	ग्रेच्युटी Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
ए) 31.03.2017 को दायित्व का पीवी	a) PV of obligation as on 31.03.2017	12811.00	906.96	1349.83	346.81
बी) योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	b) Fair value of plan assets	12637.67	--	1239.77	--
सी) अन्तर	c) Difference	173.33	906.96	110.06	346.81
डी) अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	d) Unrecognised transitional liability	--	--	--	--
ई) तुलनपत्र में मान्य देयता	e) Liability Recognised in the BS	173.33	906.96*	110.06	346.81

(*पूर्ण राशि हेतु बही में प्रावधान)

(* Provision made in books for full amount)

लाभ-हानि खाते में हिसाब में ली गई राशि

Amount recognized in the P & L Account

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	ग्रेच्युटी Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
चालू सेवा लागत	a) Current Service Cost	1239.76	44.45	105.25	11.81
ब्याज लागत	b) Interest Cost	862.74	64.07	91.20	25.68
योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न	c) Expected Return on Plan Assets	722.49	0.00	106.08	0.00
शुद्ध बीमाकिक हानि/लाभ	d) Net Actuarial Loss/gain(-)	-699.46	-28.86	19.69	0.52
वर्ष के दौरान संक्रमणशील देयता	e) Transitional liability recognized in the year	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ हानि खाते में निर्धारित खर्च	Expenses Recognized in P&L	680.55	79.66	110.06	38.00



अगली अवधि (2017-18) के लिए अपेक्षित अंशदान

Expected contribution for next period (2017-18)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
संभावित अंशदान	Expected contribution	725
		175

निवेश पैटर्न

Investment Pattern

(in %)

विवरण	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	Central Govt. Securities	10.74
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	State Government Securities	22.31
कार्पोरेट (पीएसयू)	Corporate (PSU)	8.46
कार्पोरेट (निजी)	Corporate (Private)	3.08
अन्य	Others	55.41
कुल	Total	100.00
		100.00

बी-3. (ए.एस.-17) सेगमेंट रिपोर्टिंग :

B-3 AS-17 Segment Reporting

भाग - ए : कारोबार खंड

Part A – Business Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

कारोबार खंड	Business segment	ट्रेजरी Treasury		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
विवरण	Particulars	चातू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चातू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चातू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चातू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चातू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व	Revenue	17571.51	15534.36	18824.97	21867.42	11967.05	10918.08	594.46	740.26	48957.99	49060.13
परिणाम	Result	4771.84	2553.75	(2879.70)	-5943.86	2444.63	-1479.54	438.50	569.38	4775.27	-4300.28
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense									2302.57	2397.78
परिचालनगत लाभ	Operating Profit									2472.70	-6698.07
आयकर	Income taxes									1089.56	-1302.53
विशिष्ट लाभ/हानि	Extra-Ordinary Profit/ Loss									--	--
शुद्ध लाभ	Net Profit									1383.14	-5395.53
अन्य सूचना	Other Information									--	--
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	283240.71	264123.07	291020.91	293537.37	1097544.47	100901.13	0.00	0.00	684016.09	658561.57
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									10859.33	12814.90
कुल आस्तियां	Total Assets									694875.42	671376.47
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	266812.55	248308.57	274141.50	275961.67	103388.63	94859.63	0.00	0.00	644342.68	619129.88
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									10229.49	12047.60
कुल देयताएं	Total Liabilities									654572.17	631177.49
नियोजित पूंजी	Capital employed	16428.16	15814.49	16879.41	17575.69	6365.83	6041.50	0.00	0.00	39673.40	39431.68
अनाबंटित	Unallocated									629.85	767.30
कुल पूंजी	Total Capital									40303.25	40198.99



भाग - बी : भौगोलिक खंड :

Part B – Geographic Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सेगमेंट	Segments	घरेलू Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व	Revenue	43787.54	43974.54	5170.45	5085.60	48957.99	49060.14
आस्तियां	Assets	492400.63	443881.12	202474.79	227495.36	694875.42	671376.48

बी-4. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एस-18)

संबंधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध

ए) अनुषंगियां

- i) बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
- ii) बॉब कार्ड्स लिमिटेड
- iii) नैनीताल बैंक लिमिटेड
- iv) बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस लिमिटेड
- v) बैंक ऑफ बड़ौदा (केनिया) लिमिटेड
- vi) बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड
- vii) बैंक ऑफ बड़ौदा (गयाना) आईएनसी.
- viii) बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
- ix) बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
- x) बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (यूगांडा) लिमिटेड (बैंक ऑफ बड़ौदा यूगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)
- xi) बॉब त्रिनिदाद व टोबेगो लि.
- xii) बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि.
- xiii) बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.
- xiv) बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि.

(बी) सहयोगी इकाइयां

- i) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
- ii) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- iii) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
- iv) बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कं. लि.
- v) इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड
- vi) बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कं. प्रा. लि.

(सी) संयुक्त उद्यम

- i) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
- ii) इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.
- iii) इंडिया इंफ्राडेब्ट लि.

B-4 Related Party Disclosures (AS-18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

(a) Subsidiaries

- (i) BOB Capital Markets Limited
- (ii) BOB Cards Limited
- (iii) The Nainital Bank Limited
- (iv) Baroda Global Shared Services Ltd
- (v) Bank of Baroda (Kenya) Limited
- (vi) Bank of Baroda (Uganda) Limited
- (vii) Bank of Baroda (Guyana) Inc.
- (viii) Bank of Baroda (UK) Limited
- (ix) Bank of Baroda (Tanzania) Limited
- (x) Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)
- (xi) BOB Trinidad & Tobago Ltd.
- (xii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd.
- (xiii) Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
- (xiv) Bank of Baroda (Botswana) Limited

(b) Associates

- (i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
- (ii) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
- (iii) Baroda Gujarat Gramin Bank
- (iv) Baroda Pioneer Asset Management Company Limited
- (v) Indo Zambia Bank Limited
- (vi) Baroda Pioneer Trustee Company Private Limited

(c) Joint Ventures

- (i) India First Life Insurance Company Limited
- (ii) India International Bank (Malaysia) Bhd.
- (iii) India Infradebt Limited



(डी) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

(d) Key Management Personnel

S. NO	नाम NAME	पदनाम DESIGNATION	पारिश्रमिक REMUNERATION	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	श्री पी. एस. जयकुमार Shri P. S. Jayakumar	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	30,78,225/-	11,11,975/-
2	श्री मयंक मेहता Shri Mayank Mehta	कार्यपालक निदेशक Executive Director	26,20,322/-	3,35,420/-
3.	श्री अशोक कुमार गर्ग Shri Ashok Kumar Garg	कार्यपालक निदेशक (16.08.2016 से) Executive Director (w.e.f 16.08.2016)	16,01,143/-	0.00
4.	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता Smt. Papia Sengupta	कार्यपालक निदेशक (01.01.2017 से) Executive Director (w.e.f 01.01.2017)	6,04,537/-	0.00
5.	श्री भुवनचंद्र बी. जोशी Shri Bhuwanchandra B. Joshi	कार्यपालक निदेशक (31.12.2016 से) Executive Director (up to 31-12-2016)	21,65,205/-	20,70,397/-
6	श्री के. वेंकट रामा मूर्ती Shri K Venkata Rama Moorthy	कार्यपालक निदेशक (28.08.2015 से) Executive Director (up to 28-08-2015)	0.00	7,68,620/-
7	श्री रंजन धवन Shri Ranjan Dhawan	कार्यपालक निदेशक (30.09.2015 से) Executive Director (up to 30-09-2015)	0.00	17,41,686/-

आईसीएआई द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस) - 18 के पैरा 9 के मद्देनजर अनुबंधियों एवं सहायक (एएस) बैंकों से संबंधित लेन-देनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जैसा कि आईसीएआई द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस) - 18 के पैरा 9 में उल्लेख है, जिसमें अन्य सरकार नियंत्रित उद्यमों से संबंधित लेन-देनों से संबंधित प्रकटीकरण से छूट प्रदान की गयी है. अन्य उद्यमों हेतु, सभी संव्यवहार यथा मियादी जमा, उसपर ब्याज आदि सामान्य व्यवसाय के दौरान किए गए हैं, अतः प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

Keeping in line with para 9 of the (AS) -18 Related Party Disclosures issued by ICAI of The transactions with the Subsidiaries and Associate Banks have not been disclosed in view of para 9 of the (AS) -18 Related Party Disclosures issued by ICAI, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to transactions with other related state controlled enterprises. For other enterprises, no disclosure has been made as all the transactions are done in the ordinary course of business such as Fixed Deposits, interest thereon etc

बी-5. एएस-20 प्रति शेयर आय

B-5 AS-20 Earning per Share

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
कर के बाद शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	Net profit after tax (₹ in Crores)	1383.14	-5395.55
शेयरों की संख्या (वेटेड)	Number of Shares (weighted)	2304159598	2258462435
प्रति शेयर बुनियादी व डायल्यूटेड अर्जन	Basic & diluted earnings per share	6.00	-23.89
प्रति शेयर अंकित कीमत	Nominal value per share	₹ 2.00	₹ 2.00

बी-6. (एएस-22) आय पर करों का लेखांकन

B-6 AS-22 Accounting for Taxes on Income

बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी आय पर करों का लेखांकन पर एएस 22 की आवश्यकताओं को पूरा किया है तथा तदनुसार आस्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यांकन @ 34.608% अर्थात् वित्त बिल 2016 में किए गए प्रावधानों के अनुरूप किया है. 31 मार्च 2017 को आस्थगित कर देयता का शुद्ध शेष ₹ 4320.75 करोड़ है जिसमें निम्नलिखित का समावेश है

The Bank has complied with the requirements of AS 22 on Accounting for Taxes on Income issued by ICAI and has accordingly revalued assets and liabilities @ 34.608% i.e. the rate as per enacted Finance Bill 2016. The net balance of deferred tax Asset as on 31st March 2017 amounting to ₹ 4320.75 Crores consists of the following



(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
		आस्ति Asset	देयता Liability	आस्ति Asset	देयता Liability
ए. देशीय	A. DOMESTIC				
अचल आस्तियों पर आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास में अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	--	103.64	--	75.90
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत कटौती	Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	--	1770.86	--	1528.01
परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) प्रतिभूतियों पर मूल्यहास	Depreciation on HTM Securities	--	96.14	--	96.14
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित (वसूल न की गई)	Foreign Currency Translation Reserve(Unrealized)	--	121.93	--	--
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40(ए)(आईए) के अन्तर्गत गैर अनुमत राशि	Amount disallowed U/S 40 (a) (ia) of the IT Act	1.87	--	1.93	--
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	Provision for leave encashment	313.88	--	270.63	--
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	5093.81	--	3583.61	--
निवेश की खरीद पर परिशोधन बट्टा	Unamortized Discount on Purchase of Investment	0.00	--	39.49	--
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित (वसूल की गई)	Foreign Currency Translation Reserve (realized)	66.92	--	194.80	--
कुल	Total:	5476.48	2092.57	4090.46	1700.05
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां/ (देयताएं) (ए)	Net Deferred Tax Assets /(Liability) (A)		3383.91		2390.41
बी. वैश्विक	B. GLOBAL				
स्थायी आस्तियों पर बही मूल्यहास एवं आयकर अधिनियम के तहत मूल्यहास के बीच का अंतर.	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	--	103.64	--	75.90
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती.	Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	--	1770.86	--	1528.01
एचटीएम प्रतिभूतियों पर मूल्यहास	Depreciation on HTM Securities	--	96.14	--	96.14
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित (वसूल न की गई)	Foreign Currency Translation Reserve (Unrealized)	--	121.93	--	--
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40(ए)(आईए) के अन्तर्गत गैर अनुमत राशि	Amount disallowed U/S 40 (a) (ia) of the IT Act	1.87	--	1.93	--
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान.	Provision for leave encashment	313.88	--	270.63	--
संदिग्ध ऋणों एवं आग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	6030.65	--	4477.91*	--
निवेश की खरीद पर परिशोधन बट्टा	Unamortized Discount on Purchase of Investment	0.00	--	39.49	--
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित	Foreign Currency Translation Reserve	66.92	--	194.80	--
कुल:	Total:	6413.32	2092.57	4948.76	1700.05
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां/ (देयताएं) (ए)	Net Deferred Tax Assets /(Liability) (A)		4320.75		3248.71

* पूर्व प्रारक्षित निधियों में से ₹ 540.73 करोड़ तथा शेष राशि लाभ में से.

* ₹ 540.73 crores out of past reserves and balance out of profit.

बी-7. एएस-24 परिचालन बंद करना

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा को बंद करने संबंधी कार्यवाही नहीं की है, जिससे कि देयताओं को कम करके आस्तियों की वसूली की जा सके और संपूर्ण बैंक स्तर पर अपने परिचालन में किसी कार्यवाही की समाप्ति, जिससे उपरोक्त प्रभाव पड़े, संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है.

B-7 AS-24 Discontinuing operations

During the financial year 2016-17 the Bank has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect.

बी-8. एस-28 आस्तियों का अनर्जक बनना

लेखा मानक-28 “आस्तियों का इंपेयरमेंट” के खंड 5 से खंड 13 - के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण उल्लेख न होने के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में अचल संपत्ति का कोई भी इंपेयरमेंट जरूरी नहीं है।

बी-9. एस-29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

बी-9.1 देयताओं के लिए प्रावधानों का संचलन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

B-8 AS-28 Impairment of Assets

In view of the absence of indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of AS 28 Impairment of Assets, no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

B-9 AS-29 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

B-9.1 Movement of provisions for Liabilities (excluding provisions for others)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण विधिक मामले/आकस्मिकताएं	Particulars Legal Cases/Contingencies	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1 अप्रैल 2016 को शेष	Balance as on 1 st April 2016	33.65	30.41
वर्ष के दौरान प्रावधान	Provided during the year	6.54	3.24
31 मार्च 2017 को शेष	Balance as on 31 st March 2017	40.19	33.65
आउटफ्लो/अनिश्चितताओं का समय	Timing of outflow/ uncertainties	निवारण/क्रिस्टलाइजेशन का आउटफ्लो Outflow on settlement crystallization	

बैंक की पॉलिसी के अनुसार ऐसे ऋणों हेतु जिन्हें दावों के रूप में स्वीकार नहीं किया है, उनके लिए प्रावधान किया गया है।

As per the policy of the Bank, provision for the claims not been acknowledged as debt, has been provided for.

बी-9.2 आकस्मिक देयताएं

तुलनपत्र के शेड्यूल 12 की क्र.सं.(I) से (VI) में उद्धृत ऐसी देयताएं क्रमशः मांगी गई राशि, संविदा देयता शर्तें सम्बद्ध पार्टियों की मांग अदालत के निर्णय, पंच फैसले, अदालत के बाह्य निस्तारण, अपील का निपटारा पर निर्भर करती हैं। ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

B-9.2 Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

सी. लेखों पर अन्य टिप्पणियां
सी-1. बहियों का मिलान एवं समाधान

अंतर कार्यालय समायोजन के अंतर्गत लेखों के विभिन्न शीर्षों में नामे एवं जमा की बकाया प्रविष्टियों के प्रारंभिक मिलान का कार्य समाधान के प्रयोजन हेतु 31.03.2017 तक कर लिया गया है। इसमें उचित समाधान का कार्य प्रगति पर है।

C. Other Notes to Accounts
C-1 Balancing of Books and Reconciliation

Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.03.2017, the reconciliation of which is in progress.

सी-2. पूंजीगत प्रारक्षित निधि

पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि तथा लघु / मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल है।

C-2 Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries.

सी-3. निवेश

सी-3.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने “बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)” श्रेणी में निवेश के एक भाग को “परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)” श्रेणी में अंतरित कर दिया है। ₹ 12.38 करोड़ (गत वर्ष ₹ 11.05 करोड़) के परिणामी मूल्यहास को लाभ एवं हानि लेख में प्रसारित कर दिया गया है।

C-3 Investments

C-3.1 In terms of RBI Guidelines, during the year, the bank has transferred a portion of Investment from “Available for Sale (AFS)” category to “Held to Maturity (HTM)” category and from HTM to AFS category. The resultant depreciation of ₹. 12.38 Crores (previous year ₹. 11.05 Crores) has been charged to the Profit & Loss Account.



सी-3.2 एफसीएनआर (बी) आरबीआई के साथ स्वैप

भारतीय रिजर्व बैंक ने नयी एफसीएन (बी) जमाराशियां जो किसी भी अनुमत मुद्रा में संग्रहित की गयी हो उन्हें तीन वर्षों या उससे अधिक अवधि के लिए यूएस डॉलर-रु एफमेंरियायती दरों पर बदलने की शुरुआत की है. इस विंडोज के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी भी अनुमत मुद्रा में एकत्र की गई एफसीएनआर (बी) जमा राशियों के लिए बैंकों को स्वैप की प्रस्तावित की है.

बैंक ने संग्रहीत यूएस डॉलर 1710 मिलियन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सगामी अवधि के लिए स्वैप किया. चूंकि आरबीआई के साथ स्वैप वर्तमान 3.5% प्रतिशत तत्समय प्रवर्तमान दर 8% पर किया गया. इसके परिणाम स्वरूप प्रथम वर्ष और परिपक्वता तारीख पर लाभ प्रतिकूल हो सकता है. इस निहित प्रतिकूलता से बचाव एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार हमने स्वैप प्वाइंटस के अमोरटाइजेशन की पद्धति को स्वैप की पूरी अवधि के दौरान करने का निर्णय लिया है.

C-3.2 FCNR (B) Swap with RBI

RBI introduced US Dollar-Rupee concessional swap window for fresh FCNR (B), funds mobilized in any permitted currency for a minimum tenor of three years and above. In this window RBI offered a concessional rate of Swaps to banks only for fresh FCNR (B) deposits mobilized in any of the permitted currencies.

Bank has swapped USD 1,710 Million mobilized with RBI for the corresponding tenor. As the swaps done with RBI were at 3.5% as against the prevailing rate of around 8% there would have been a distortion in profits on the first year as well as on maturity date. To avoid this inherent distortion, and as prescribed by RBI, we have adopted the method of amortization of swap points to even out expenses throughout the tenor of swaps.

विवरण / Particulars	राशि करोड़ में Amt in Crores	
	चालू वर्ष Current year	पिछले वर्ष Previous Year
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	928.93	538.11
जोड़ें: अवधि के दौरान अमोर्टाईज्ड / Add: Amortized during the period	245.78	390.82
घटाएं: परिपक्वता पर वापस / Less: Reversed on maturity	-1,073.85	
कुल Total	100.86	928.93

सी-3.3 'परिपक्वता पर धारित' श्रेणी में ₹ 720.99 करोड़ से निवेशों की बिक्री पर लाभ, जिसे प्रारंभ में लाभ एवं हानि खाते में अंतरित किया गया था और उसके बाद ₹ 353.65 करोड़ की कर की राशि को आरक्षित निधि में अंतरित किया गया था, उसे पूंजीगत आरक्षित निधि में समायोजित किया गया.

C-3.3 Profit on sale of investment held under "Held to Maturity" category amounting to ₹ 720.99 crores, which has been transferred to Profit & Loss Account initially and thereafter an amount of ₹ 353.65 crores net of tax and transfer to statutory reserve has been appropriated to Capital Reserve.

सी-4 करों के लिए प्रावधान

C-4 Provision for Taxes

सी-4.1 करों हेतु प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए व अधिवक्ता के परामर्श से किया गया है.

C-4.1 Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

सी-4.2 सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित आयकर गणना एवं प्रकटीकरण मानदंडों (आईसीडीएस), जो दि. 01.04.2016 से प्रभावी हैं और सीबीडीटी द्वारा एफएक्यूज के माध्यम से जारी अस्पष्टीकरण के अधीन, गैर-अभिन्न परिचालनों की मौद्रिक मदों की विनिमय-अंतर से संबद्ध दि. 01.04.2016 की एफसीटीआर शेष राशि को पूर्व के वर्ष की आय-गणना में उस सीमा एवाय 2017-18 में निर्धारित किया जाना अपेक्षित है, जिस पूर्व में गणना में न लिया गया हो. दि. 01.04.2016 को एफसीटीआर की शेष राशि विधिक राय के अनुसार ₹ 2238.55 करोड़ है, जिसे बैंक की कराधेय आय की गणना के लिए एफसीटीआर की प्रारंभिक शेष के रूप में ध्यान में नहीं लिया है एवं परिणाम स्वरूप कर की ₹ 774.71 करोड़ की राशि का प्रावधान नहीं किया गया. साथ ही, आस्तितगत कर निर्धारण उस सीमा तक निर्धारित नहीं किया गया, इसलिए इस वर्ष के लाभ पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा.

C-4.2 In terms of Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) notified by CBDT which are effective from 01.04.2016 and the clarification issued by CBDT through FAQs, the FCTR balance as on 01.04.2016 pertaining to Exchange difference on monetary items of non-integral operations is required to be recognised in the income computation of the previous year relevant to AY 2017-18 to the extent not recognised earlier. The balance in FCTR as on 01.04.2016 amounts to ₹ 2238.55 Crs. Based on legal opinion, bank has not considered the opening balance of FCTR for computing taxable income and consequently tax amounting to ₹ 774.71 Crs has not been provided for. Further this will not impact the profit for the year since deferred tax assets has not been recognised to that extent.

सी-4.3 “अन्य आस्तियां” शीर्षक के अंतर्गत दर्शायी अग्रिम कर अदायगी / स्रोत पर कर की कटौती राशि ₹ 2857.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5360.77 करोड़) है, जिसमें विवादास्पद कर मांगों के संबंध में बैंक द्वारा भुगतान की गई / विभाग द्वारा समायोजित राशि ₹ 2405.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3616.78 करोड़) शामिल है. आयकर की विवादास्पद मांगों के लिए न्यायिक निर्णयों और / या कानूनी परामर्श अधिकारी की राय को ध्यान में रखते हुए इस मद के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये परिवर्तन / मनाही बनाये रखने लायक नहीं है.

सी-5. परिसर

सी-5.1 बैंक की कुल ₹ 23.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 64.97 करोड़) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है.

सी-5.2 परिसर के अंतर्गत निर्माणाधीन / कब्जे में ली जानेवाली ₹ 371.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 336.09 करोड़) की संपत्तियां शामिल हैं.

सी-6 बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड (बॉब एफएसएल), पूर्व में पूर्ण रूप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी द्वारा 24.09.1990 को कंपनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने का विशेष संकल्प पारित किया गया और उसके लिए एक परिसमापक की नियुक्ति कर दी गयी.

बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत दिनांक 28.02.1991 से बॉब एफएसएल की संपूर्ण आस्तियां एवं देयताएं उसके पूर्ण व्यवसाय के समापन के फलस्वरूप एक गोइंग कंसर्न/बिक्री के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को स्थानांतरित कर दिए गए. चूंकि कंपनी विचाराधीन कानूनी मामले के कारण पूर्ण रूप से परिसमाप्त नहीं की जा सकती थी अतः दिनांक 30 मार्च 2007 को बॉब एफएसएल की वार्षिक सामान्य बैठक में बॉब एफएसएल को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया.

निदेशक मंडल द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ मैसर्स बॉब फिसकल सर्विसेस लि. के समामेलन को बैंक की दिनांक 28.01.2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया और उच्च न्यायालय के सम्मुख बॉब के साथ बॉब एफएसएल समामेलन हेतु आवश्यक याचिका दर्ज करने के लिए प्रबंधन को प्राधिकृत किया.

सी-7 आरबीआई के स्पष्टीकरण के आधार पर कि संचयित लाभों के प्रत्यावर्तन का गैर-अभिन्न परिचालनों में हित का निपटान या आंशिक निपटान नहीं माना जाएगा, बैंक ने वर्ष के दौरान विदेशी कार्यालयों से निधियों के प्रत्यावर्तन पर प्राप्त आय के रूप में ₹ 193.36 के विनिमय-प्राप्तियों को निर्धारित नहीं किया है. गत वर्ष, बैंक ने विदेशी परिचालनों से लाभ के प्रत्यावर्तन पर एफसीटीआर में आनुपातिक विनिमय-प्राप्ति की लाभ एवं हानि खाते में ₹ 302.97 करोड़ की राशि को निर्धारित किया था. प्रबंधन की राय में, परिपत्र पूर्व प्रभाव से लागू नहीं है और यह वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू होता है और इसलिए गत वर्ष के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है.

सी-8 भारतीय रिजर्व बैंक की दि. 18 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. आरबीआई/2016-17/283 के अनुसार यदि आरबीआई द्वारा निर्धारित

C-4.3 Tax paid in advance/tax deducted at source appearing under “other Assets” amounting to ₹ 2857.69 (Previous year ₹ 5360.77 Crores) is inclusive of ₹ 2405.95 Crores (previous year ₹ 3616.78 crores) which represents amount adjusted by the department / paid by the bank in respect of disputed tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of the said demands, as in the bank’s view, duly supported by counsels opinion and/or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the assessing officer are not sustainable.

C-5 Premises

C-5.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties amounting to ₹ 23.86 Crores (Previous Year ₹ 64.97 Crores).

C-5.2 Premises include assets under construction/ acquisition amounting to ₹ 371.70 Crores (Previous Year ₹ 336.09 Crores).

C-6 BOB Fiscal Services Limited (BOBFSL), erstwhile wholly owned subsidiary of Bank of Baroda (BOB), had passed a special resolution for voluntary winding up of the Company on 24.09.1990 and the Liquidator was appointed for the same.

BOBFSL had entered into an agreement with BOB pursuant to which entire assets and liabilities of BOBFSL were transferred to BOB as a going concern / as sale in liquidation of the entire business w.e.f. 28.2.1991. As the Company could not be liquidated due to pending legal cases, a decision to merge BOBFSL with BOB was taken in the Annual General Meeting of BOBFSL held on 30th March 2007.

The Board of Directors of BOB has approved the merger of BOBFSL with BOB in its Board meeting on 28.01.2009 and authorized the Management to file necessary petition for merger of BOBFSL with BOB before the Bombay High Court.

C-7 Based on RBI’s clarification that the repatriation of accumulated profits shall not be considered as disposal or partial disposal of interest in non-integral foreign operations, the bank has not recognized exchange gain of ₹ 193.36 crore as income arising on repatriation of funds from foreign offices during the year. In the previous year, the bank had recognized an amount of ₹ 302.97 crores in the profit and loss account being the proportionate exchange gain in FCTR on repatriation of profits from overseas operations. In the opinion of the management, the circular is not retrospective in nature and has applied the same from financial year 2016-17 onwards and hence no adjustment has been made in respect of previous year.

C-8 As per the RBI notification vide RBI/2016-17/283 dated April 18, 2017 banks are required to disclose the



की गई अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकता, प्रकाशित किए गए कर के बाद के शुद्ध लाभ के 15% से अथवा आरबीआई द्वारा पहचान किए गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भगत अवधि को प्रकाशित किए गए वृद्धिगत सकल एनपीए के 15% से अधिक होते हैं तो बैंक का आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानों में विपथन का प्रकटीकरण करना आवश्यक है।

इस संबंध में, कोई अलग से प्रकटीकरण नहीं किया जाना है क्योंकि विपथन उपर्युक्त उल्लेखित मानदंड से अधिक नहीं हैं।

सी-9. बैंक ने जमानती अवमानक अग्रिमों के लिए 15% की विनियामक अपेक्षाओं की तुलना में @20% की दर से प्रावधान किया है। तथापि गैर जमानती अवमानक (सब स्टैंडर्ड) अग्रिमों के लिए बैंक ने विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप @25% की दर से प्रावधान किया है।

सी-10 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 76/21.07.001/2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 के द्वारा बैंकों में भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एएस) के कार्यान्वयन हेतु रूपरेखा निर्धारित की है तथा बैंकों द्वारा इंड-एएस कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति जिसमें इस संदर्भ में हुई प्रगति भी शामिल है, का प्रकटीकरण आवश्यक है। तदनुसार, बैंक ने इंड-एएस के कार्यान्वयन में सहायता के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया है। इस दिशा में हुई प्रगति की निगरानी हेतु बैंक ने एक स्थायी समिति का गठन भी किया है एवं इस विषय में निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति को समय समय पर अवगत कराया जाता है। उपर्युक्त परिपत्र में उल्लेखित आवश्यकताओं के अनुरूप, बैंक ने 30 सितंबर, 2016 को समाप्त छमाही हेतु इंड-एएस वित्तीय विवरण संबंधी प्रोफार्मा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कर दिया है।

सी-11 वर्तमान अवधि के अनुरूप तुलना योग्य बनाने हेतु, जहां आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

divergence in the asset classification and provisioning if the additional provisioning requirements assessed by RBI exceeds 15% of published net profit after tax or additional Gross NPAs identified by RBI exceed 15% of published incremental Gross NPA during reference period.

In this regard, no separate disclosure is made as the divergence is not beyond the above mentioned criteria.

C-9 The Bank has made provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advance as against the Regulatory requirement of 15%. However on unsecured sub standard advances, the bank has made provision @ 25% as per regulatory requirement.

C-10 The Reserve Bank of India (RBI) vide DBR.BPBC. No. 76/21.07.001/2015-16 dated 11th February 2016, has prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind-AS) in the Banks and the Banks needs to disclose the strategy for Ind-AS implementation, including the progress made in this regard. The Bank accordingly, has appointed a consultant to assist in implementation of the Ind-AS. The Bank has also constituted a Steering Committee to oversee the progress made and the Audit Committee of the Board is being apprised of the same from time to time. In terms of the requirement stipulated vide said circular, the Bank has submitted proforma Ind-AS financial statements to the RBI for the half year ended 30th September 2016.

C-11 Figures of previous year have been regrouped/ rearranged wherever necessary, so as to make them comparable with those of the current period



31 मार्च 2017 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा का नकदी प्रवाह विवरण पत्र

Statement of Cash Flow for the year ended 31st March 2017

(₹ in 000's अनंकित omitted)

	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2016
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	A. Cash flow from operating activities:	
कर से पूर्व शुद्ध लाभ	Net Profit before taxes	2472,69,67
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:	(6698,07,10)
अचल आस्तियों पर मूल्यांश	Depreciation on fixed assets	511,34,91
निवेशों पर मूल्यांश (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)	Depreciation on investments (including on Matured debentures)	501,32,72
बूटे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	29,31,39
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	7679,79,00
अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)	Provision for Other items (Net)	13765,89,25
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/(हानि) (निवल)	Profit/(loss) on sale of fixed assets (Net)	776,58,32
गौण ऋणों पर ब्याज हेतु भुगतान/प्रावधान, (अलग से लिया गया)	Payment/provision for interest on subordinated debt (treated separately)	16,68,55
अनुषंगी इकाइयों/अन्य से प्राप्त लाभांश (अलग से लिया गया)	Dividend received from subsidiaries/ others (treated separately)	(77,98,77)
उप-जोड़	Sub total	1130,73,39
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:	12487,68,54
निवेशों में (वृद्धि) /कमी	(Increase)/Decrease in investments	10443,59,82
अग्रिमों में (वृद्धि) /कमी	(Increase)/Decrease in advances	(9187,88,22)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) /कमी	(increase)/Decrease in other assets	(3918,40,48)
उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease)in borrowings	(7168,83,28)
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in deposits	(1258,80,26)
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	(3792,73,52)
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड की निवल राशि)	Direct taxes paid (Net of Refund)	27637,30,07
परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (क)	Net cash from operating activities (A)	4858,53,20
		1413,51,71
		17193,86,05
		(98416562)



(₹ in 000's अनंकित omitted)

		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2016
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	B. Cash flow from investing activities:		
अचल आस्तियों की खरीद / अंतरण	Purchase/ Transfer in of fixed assets	(731,94,16)	(4016,86,81)
अचल आस्तियों की बिक्री / अंतरण	Sales/ Transfer out of fixed assets	275,87,37	37,33,58
व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)	Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	(21,45,03)	(61,34,62)
अनुषंगी इकाइयों/अन्यों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from subsidiaries/ others	51,47,92	45,46,38
निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)	Net cash used in investing activities (B)	(426,03,90)	(3995,41,47)
ग. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	C. Cash flow from financing activities:		
शेयर पूँजी	Share Capital	-	18,53,27
शेयर प्रीमियम	Share premium	-	1767,46,72
गैर जमानती गौण बांड	Unsecured Subordinated Bonds	932,47,50	(375,72,50)
लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश	Dividend paid including dividend tax	-	(851,68,71)
गैर जमानती गौण बांडों पर प्रदत्त / देय ब्याज	Interest paid / payable on unsecured subordinated bonds	(1130,73,39)	(1174,31,77)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)	Net cash from financing activities (C)	(198,25,89)	(615,72,99)
नकदी एवं नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	Net increase in cash & cash equivalents (A) + (B) + (C)	16569,56,26	(144528008)
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	133900,34,99	148353,15,07
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the year	150469,91,25	133900,34,99
टिप्पणी:	Notes:		
1. नकदी तथा नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंक के पास बैलेन्स और मांग एवं अल्प सूचना पर धन समाविष्ट है.	1. Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.		
2. नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक	2. Components of Cash & Cash Equivalents	As on 31st March 2017	As on 31st March 2016
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैलेन्स	Cash & Balance with RBI	22780,21,33	21672,41,54
बैंकों के पास बैलेन्स और मांग एवं अल्प सूचना पर धन	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	127689,69,92	112227,93,45
कुल	Total	150469,91,25	133900,34,99



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditors Report

सेवा में,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारक

वित्तीय विवरण-पत्रों पर रिपोर्ट

- हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के 31 मार्च 2017 के वित्तीय विवरण-पत्रों जिनमें 31 मार्च 2017 का तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे, नकद प्रवाह विवरण और उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है, की लेखा परीक्षा की है जिसमें हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाएं, तथा एक विशिष्ट एकीकृत ट्रेजरी शाखा, लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 2638 शाखाएं और स्थानीय लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 48 विदेशी शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई शाखाओं का चुनाव बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है। तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाते में 2763 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल की गई हैं, जो लेखा-परीक्षा के अधीन नहीं थीं। ये अ-लेखापरीक्षित शाखाएं 5.91 प्रतिशत अग्रिम, 11.87 प्रतिशत जमाराशियां, 5.62 प्रतिशत ब्याज-आय और 11.19 प्रतिशत ब्याज-व्यय से संबंधित हैं।

वित्तीय विवरण-पत्रों के लिए प्रबंधन का दायित्व

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखा परीक्षा मानदण्डों के अनुरूप इन वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है। इस दायित्व में वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने हेतु आंतरिक नियंत्रण, कार्यान्वयन एवं रखरखाव सम्मिलित है और इनमें, जालसाजी या भूल की वजह से कोई तथ्यात्मक गलती संयुक्त है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

- हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरण-पत्रों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिकता का निर्वाह करते हुए लेखा परीक्षा कार्य सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप में इस प्रकार सम्पन्न करें कि हमें यह तार्किक आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरण-पत्र किसी भी प्रकार की तथ्यात्मक गलतियों से मुक्त हैं।
- लेखा परीक्षा में राशियों के साक्ष्यों एवं प्रकटीकरण की जांच हेतु वित्तीय विवरण-पत्रों में दी गई निष्पादन प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर है, इसमें वित्तीय विवरण-पत्रों में तथ्यात्मक गलतियों के जोखिम भले ही वह जालसाजी या भूल की वजह से हों, का मूल्यांकन / आकलन करना शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक इन वित्तीय विवरणियों की उपयुक्त प्रस्तुति हेतु इकाई के सम्बद्ध आंतरिक

To

The Shareholders of Bank of Baroda
Report on the Financial Statements

- We have audited the accompanying financial statements of Bank of Baroda as on 31st March, 2017, which comprise the Balance Sheet as on 31st March, 2017, and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches and one Specialized Integrated Treasury Branch audited by us, 2638 branches audited by statutory branch auditors and 48 foreign branches audited by local auditors in respective countries. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2763 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 5.91 per cent of advances, 11.87 per cent of deposits, 5.62 per cent of interest income and 11.19 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

- Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and



नियंत्रणों का अवलोकन करता है लेकिन संस्था के आंतरिक नियंत्रण की सार्थकता पर राय देने के लिए नहीं, ताकि परिस्थिति अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया निर्धारित की जा सके. लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का आकलन सम्मिलित है.

5. हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया हैं, वह हमारी लेखा परीक्षा राय प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त हैं.

6. राय

हमारी राय में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए अनुसार तथा हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

- i नोट के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और इसे यथोचित ढंग से बनाया गया है, जिससे कि, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप नोट के साथ पठित बैंक के 31 मार्च, 2017 के क्रियाकलापों का सही एवं यथायोग्य चित्र सामने आ सके.
- ii लाभ-हानि लेखा, उन पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप तथा खाते के वर्ष के लिए बैंक के सही हानि शेष को दर्शाता है; तथा
- iii नकदी प्रवाह-विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह का सही एवं स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है.

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

7. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा, बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फॉर्म 'ए' और 'बी' में बनाए गए हैं.

8. उपरोक्त अनुच्छेद 1 से 5 में वर्णित लेखा परीक्षा सीमाओं और बैंककारी (कंपनी उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) 1970/1980 और इनके अन्तर्गत प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन, हम सूचित करते हैं कि :

- ए. हमने अपने अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा हेतु आवश्यक सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं तथा उन्हें संतोषजनक पाया है;
- बी. बैंक के संव्यवहारों की जो जानकारी हमारे सामने आयी है, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं.
- सी. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा-परीक्षा हेतु सामान्यतः पर्याप्त पायी गयीं.

9. इसी क्रम में हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- ए. तुलन पत्र, लाभ / हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरणी मान्य लेखा मानकों के अनुरूप है.

fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

6. Opinion

In our opinion, as shown by books of bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The Balance sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as on 31st March, 2017 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- ii. The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- iii. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that;

- a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b. The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank;
- c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit;

9. We further report that:

- a. The Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns.



- बी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं तथा इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा उचित रूप से देखी गई हैं;
- सी. हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण मान्य लेखा मानकों के अनुरूप हैं।
- b. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.
- c. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

लेखा परीक्षक AUDITORS

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263N
For **Wahi & Gupta**
Chartered Accountants
FRN : 002263N

(अनुज गुप्ता)
भागीदार
एम नं. 076560
(Anuj Gupta)
Partner
M No. : 076560

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18 मई, 2017

कृते एस आर गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537C
For **S R Goyal & Co**
Chartered Accountants
FRN : 001537C

(निकिता गोयल)
भागीदार
एम नं. 142555
(Nikita Goyal)
Partner
M No.: 142555

Place: Mumbai
Date: 18th May 2017

कृते रोडी दबीर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846W
For **Rodi Dabir & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 108846W

(सुधीर दबीर)
भागीदार
एम नं. 039984
(Sudhir Dabir)
Partner
M No.: 039984

कृते कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 104607W/W100166
For **Kalyaniwalla & Mistry LLP**
Chartered Accountants
FRN : 104607W/W100166

(डेराइस फ्रेजर)
भागीदार
एम नं. 042454
(Daraius Fraser)
Partner
M No.: 042454



अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के स्टैंड अलोन वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल है।

We hereby declare that Auditors Report on Standalone Annual Accounts of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2017 contain unmodified opinion.

संजय कुमार
महाप्रबंधक
(एस पी एवं पी बी) तथा सीएफओ

Sanjay Kumar
General Manager
(SP & PB) and CFO

उषा ए. नारायणन
अध्यक्ष
निदेशक मंडल की लेखा समिति

Usha A. Narayanan
Chairperson
Audit Committee of Board

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

P S Jayakumar
Managing Director
& CEO

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263N
For **Wahi & Gupta**
Chartered Accountants
FRN : 002263N

(अनुज गुप्ता)
भागीदार
एम नं. 076560
(Anuj Gupta)
Partner
M No. : 076560

कृते एस आर गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537C
For **S R Goyal & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 001537C

(निकिता गोयल)
भागीदार
एम नं. 142555
(Nikita Goyal)
Partner
M No.: 142555

कृते रोडी दबीर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846W
For **Rodi Dabir & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 108846W

(सुधीर दबीर)
भागीदार
एम नं. 039984
(Sudhir Dabir)
Partner
M No.: 039984

कृते कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 104607W/W100166
For **Kalyaniwalla & Mistry LLP**
Chartered Accountants
FRN : 104607W/W100166

(डेराइस फ्रेजर)
भागीदार
एम नं. 042454
(Daraius Fraser)
Partner
M No.: 042454

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18 मई, 2017
Place: Mumbai
Date: 18th May 2017



बासेल III पिलर III प्रकटीकरण

Basel III Pillar III Disclosures

भारतीय रिजर्व बैंक के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2017 को पिलर III प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट के होम पेज पर बासेल III के तहत प्रकटीकरण के अंतर्गत अलग से प्रकट किए गए हैं. इस खंड का लिंक है <http://www.bankofbaroda.com/Disclosures.asp>.

इस खंड में निम्नलिखित प्रकटीकरण दिए गए हैं:

1. 31मार्च, 2017 को गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रकटीकरण

- एप्लीकेशन का स्कोप
- पूंजी पर्याप्तता
- ऋण जोखिम पर सामान्य प्रकटीकरण
- ऋण जोखिम - पोर्टफोलियो मानकीकृत पद्धतिके अधीन
- न्यून ऋण जोखिम
- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर
- बाजार जोखिम
- परिचालनगत जोखिम
- बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
- काउंटरपार्टी जोखिम

2. पूंजी के संघटक

3. पूंजी के संघटक - समाधान आवश्यकताएं

4. विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

5. विनियामक पूंजी लिखतों की संपूर्ण नियम एवं शर्तें

6. बैंकिंग बही स्थितियों के लिए इक्विटी प्रकटीकरण

7. लीवरेज अनुपात

Pillar III disclosures at March 31, 2017 as per Basel III guidelines of RBI have been disclosed separately on Bank's website under "Disclosure under Basel III" on the home page. The link to this section is <http://www.bankofbaroda.com/Disclosures.asp>

The section contains the following disclosures :

1. Qualitative and quantitative disclosures at march 31, 2017

- Scope of Applications
- Capital Adequacy
- General disclosures on Credit Risk
- Credit risk - Portfolio subject to standardised approach
- Credit risk Mitigation
- Securitisation exposures
- Market risk
- Operational Risk
- Interest rate risk in the banking book (IRRBB)
- Counterparty risk

2. Composition of capital

3. Composition of capital – reconciliation requirements

4. Main features of regulatory capital instruments

5. Full terms and conditions of regulatory capital instruments

6. Equities disclosures for banking book positions

7. Leverage ratio



सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मण्डल
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण) विनियम, 2015 की धारा 17(8) के साथ पठित धारा 33 की अनुपालना स्वरूप हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि

- ए. हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त पूरे वर्ष के वित्तीय विवरण-पत्रों की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:
- इन विवरण-पत्रों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है;
 - ये अभिकथन / विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.
- बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो.
- सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बद्ध आन्तरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आन्तरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से सम्बद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है.
- डी. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.
- अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरण-पत्रों के नोट्स में कर दिया गया है; और
 - हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी सम्बंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, जिसकी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग में अहम भूमिका हो.

संजय कुमार
महाप्रबंधक
(एस पी एवं पी बी) तथा सीएफओ

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the quarter/full year ended 31st March 2017

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, We hereby certify that:

- We have reviewed financial statements for the quarter/full year ended 31st March 2017 and that to the best of our knowledge and belief:
 - These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.
 - Significant changes in internal control over financial reporting during the period;
 - Significant changes in accounting policies during the period and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Sanjay Kumar
General Manager
(SP & PB) and CFO

P S JAYAKUMAR
Managing Director & CEO

Date : 18.05.2017

Place : Mumbai

दिनांक : 18.05.2017

स्थान : मुंबई



31 मार्च, 2017 का समेकित तुलन-पत्र

Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 2017

		(₹ in 000's)	
	अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016
पूंजी और देयताएं			
CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी	Capital	1	462,09,31
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves & Surplus	2	42605,47,94
मायनोरिटी इन्टरेस्ट	Minority Interest	2A	232,52,79
जमाराशियां	Deposits	3	617256,86,65
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	31242,00,17
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	5	27421,54,46
कुल	TOTAL		719220,51,32
आस्तियां			
ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	23915,13,47
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	130199,86,49
निवेश	Investments	8	140716,43,32
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	9	392262,29,65
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	5929,67,50
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	26197,10,89
कुल	TOTAL		719220,51,32
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	253394,60,14
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		37680,81,25
महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां	Significant Accounting Policies	18	
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19	

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

निदेशक		लेखा परीक्षक	
रवि वैकटेशन अध्यक्ष	पी एस जयकुमार प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.	उषा ए नारायणन निदेशक	कृते वाही एण्ड गुप्ता सनदी लेखाकार एफआरएन: 002263N
मयंक के मेहता कार्यपालक निदेशक	अशोक कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक	पापिया सेनगुप्ता कार्यपालक निदेशक	(अनुज गुप्ता) भागीदार एम नं. 076560
अशोक डंगायच उप महाप्रबंधक कार्पो. लेखा एवं कराधान	संजय कुमार महाप्रबंधक (एस पी एवं पी बी) तथा सीएफओ		कृते रोडी दबीर एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन: 108846W
स्थान: मुंबई दिनांक: 18 मई, 2017			(सुधीर दबीर) भागीदार एम नं.039984 स्थान: मुंबई दिनांक: 18 मई, 2017
			कृते एस आर गोयल एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन: 001537C (प्रवीण गोयल) भागीदार एम नं. 074789 कृते कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री एलएलपी सनदी लेखाकार एफआरएन: 104607W/W100166 (डेराइस फ्रेजर) भागीदार एम नं. 042454



31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा

Consolidated Profit & Loss Account for the Year ended 31st March, 2017

(₹ in 000's)

	अनुसूची SCHED- ULE	31 मार्च 2017 को Year Ended 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को Year Ended 31 st March 2016
I. आय	I. INCOME		
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13 44473,45,14	45798,99,02
अन्य आय	Other Income	14 7936,77,78	5992,17,52
कुल	TOTAL	52410,22,92	51791,16,54
II. व्यय	II. EXPENDITURE		
ब्याज व्यय	Interest Expended	15 29595,72,70	32107,44,03
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16 10349,80,38	9962,41,87
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions and Contingencies	19 (9) 10687,28,53	14774,39,39
कुल	TOTAL	50632,81,61	56844,25,29
माइनोरिटी इन्टरेस्ट से पूर्व समेकित लाभ और सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	Consolidated Profit before Minority Interest and share of earning in Associates	1777,41,31	(5053,08,75)
सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	Share of earnings in Associates	17 77,56,78	20,09,30
माइनोरिटी इन्टरेस्ट राशि कम करने से पूर्व वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ	Consolidated Net Profit for the year before deducting Minority interest	1854,98,09	(5032,99,45)
घटाएं : माइनोरिटी इन्टरेस्ट वर्ष के लिए समूह का समेकित लाभ	Less : Minority Interest	40,00,36	34,68,77
	Consolidated Profit for the year attributable to the group	1814,97,73	(5067,68,22)
आगे लाई गई लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि	Balance in Profit and Loss A/c brought forward	619,04,92	553,39,97
विनियोग हेतु उपलब्ध राशि	Amount available for appropriation	2434,02,65	(4514,28,25)
III. विनियोग	III. Appropriations		
सांविधिक प्रारक्षित निधि में अन्तरण	Transfer to Statutory Reserve	427,86,65	43,08,32
पूंजी प्रारक्षित निधियों में अन्तरण	Transfer to Capital Reserve	353,64,92	0
धारा 36(1) (viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Special Reserve u/s 36 (1) (viii)	352,93,60	2,16,30
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	Transfer to Revenue & Other Reserves	218,79,39	(5178,57,79)
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Dividend (Including Dividend Tax)	332,78,78	0
समेकित बेलेंसशीट में आगे ले जाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance Sheet	747,99,31	619,04,92
कुल	TOTAL	2434,02,65	(4514,28,25)
प्रतिशेयर आय (बेसिक व डायल्यूटेड) (₹)	Earnings per Share (Basic & Diluted) (₹)	19 (10.5) 7.88	(22.44)
(सांकेतिक मूल्य प्रति शेयर ₹ 2)	(Nominal value per share ₹ 2)		
महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां	Significant Accounting Policies	18	
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19	

ऊपर दर्शाई गई अनुसूचियां तुलन पत्र का एक अभिन्न भाग हैं

The Schedules referred to above form an integral part of Balance sheet

DIRECTORS

Ravi Venkatesan Chairman	P S Jayakumar Managing Director & CEO	Usha A. Narayanan Director
Mayank K Mehta Executive Director	Ashok Kumar Garg Executive Director	Papia Sengupta Executive Director
Ashok Dangaich Dy General Manager Corp. A/Cs & Taxation	Sanjay Kumar General Manager (SP & PB) and CFO	

AUDITORS

For Wahi & Gupta Chartered Accountants FRN : 002263N	For S R Goyal & Co Chartered Accountants FRN : 001537C
(Anuj Gupta) Partner M No. : 076560	(Praveen Goyal) Partner M No.: 074789
For Rodi Dabir & Co. Chartered Accountants FRN : 108846W	For Kalyaniwalla & Mistry LLP Chartered Accountants FRN : 104607W/W100166
(Sudhir Dabir) Partner M No.: 039984 Place: Mumbai Date: 18 th May 2017	(Daraius Fraser) Partner M No.: 042454

Place: Mumbai
Date: 18th May 2017



समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
Schedules to Consolidated Balance Sheet

		(₹ in 000's)	
		31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016
अनुसूची -1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी	AUTHORISED CAPITAL		
प्रति ₹ 2/- के 1500,00,00,000 शेयर	1500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each		
(पिछले वर्ष 1500,00,00,000/- प्रति शेयर ₹ 2/- के)	(previous year 1500,00,00,000/- shares of ₹. 2/- each)	3000,00,00	3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL		
प्रति ₹ 2/- के 231,78,27,098 इक्विटी शेयर	231,78,27,098 Equity Shares of ₹2/- each		
(पिछले वर्ष 231,78,27,098 इक्विटी शेयर प्रति ₹ 2/- के)	(previous year 231,78,27,098 shares of ₹ 2/- each)	463,56,54	463,56,54
मांगी गई पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL		
प्रति ₹ 2/- के 230,41,59,598 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 230,41,59,598 शेयर) जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 272.99 करोड़ राशि के 136,49,40,578 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 136,49,40,578 शेयर) शामिल हैं.	230,41,59,598 (previous year 230,41,59,598) Equity Shares of ₹ 2 each including 136,49,40,578 Equity Shares (previous year 136,49,40,578 Shares) amounting to ₹ 272.99 crores held by Central Government	460,83,19	460,83,19
जोड़े : जब्त किए गए शेयर	Add : Forfeited Shares	1,26,12	1,26,12
कुल	TOTAL	<u>462,09,31</u>	<u>462,09,31</u>
अनुसूची-2	SCHEDULE - 2		
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	RESERVES & SURPLUS		
I सांविधिक प्रारक्षित निधियां	I Statutory Reserves		
आरंभिक शेष	Opening Balance	9228,13,30	9187,62,78
जोड़ें : लाभ एवं हानि खाते से अंतरित	Add: Transfer from P&L Accounts	427,86,65	43,08,32
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन	Add /(Less): Adjustments during the year	(19,72,96)	(2,57,80)
		<u>9636,26,99</u>	<u>9228,13,30</u>
II ए) पूंजीगत प्रारक्षित निधियां	II a) Capital Reserves		
(₹ 3607.59 करोड़ के पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को शामिल करते हुए (पिछले वर्ष ₹ 4137.86 करोड़)	(including Revaluation Reserve of ₹ 3607.59 crores (previous years ₹ 4137.86 crores)		
आरंभिक शेष	Opening Balance	5108,40,66	1994,79,36



(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017		31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016	
जोड़ें : लाभ एवं हानि खाते से अंतरित	Add: Transfer from P&L Accounts	353,64,92		-	
जोड़े/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन	Add /(Less): Adjustments during the year	(516,00,36)	4946,05,22	3113,61,30	5108,40,66
ख) समेकन पर पूंजीगत प्रारक्षित निधियां	b) Capital Reserve on Consolidation				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	77,03,15		74,74,59	
जोड़े/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन	Add /(Less): Adjustments during the year	2,27,89	79,31,04	2,28,56	77,03,15
III शेयर प्रीमियम	III Share Premium				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	10786,20,93		9018,74,21	
जोड़े/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन	Add /(Less): Adjustments during the year	-	10786,20,93	1767,46,72	10786,20,93
IV राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	IV Revenue and other Reserves				
ए. धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधियां	a) Special Reserves u/s 36 (1) (viii)				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	4434,36,93		4432,20,63	
जोड़ें/ : लाभ एवं हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	352,93,60	4787,30,53	2,16,30	4434,36,93
बी. प्रारक्षित रुपांतरण	b) Translation Reserve		1734,29,68		2136,35,74
सी. निवेश प्रारक्षित	c) Investment Reserve Account				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	130,46,31		130,46,31	
लाभ व हानि समायोजन खाते से अंतरण	Transferred from P&L Appropriation A/c	-	130,46,31	-	130,46,31
घ. राजस्व निधियां	d) Revenue Reserves				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	9521,04,98		14211,97,61	
जोड़ें : लाभ और हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	218,79,39		(5178,57,79)	
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Add: Additions/ Adjustments during the year	17,73,57	9757,57,94	487,65,16	9521,04,98
V लाभ एवं हानि खाते में शेष	V Balance in Profit & Loss Account		747,99,31		619,04,94
कुल प्रारक्षित निधियां और अधिशेष (i से v)	Total Reserves & Surplus (I to V)		42605,47,94		42041,06,94



(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017		31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016	
अनुसूची - 2 ए- माइनोरिटी इन्टरेस्ट	SCHEDULE - 2A- Minority Interest				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	193,69,07		186,71,56	
जोड़ें / (घटाएं): वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	Add /(Less): Adjustments during the year	38,83,72	232,52,79	6,97,51	193,69,07
कुल माइनोरिटी इन्टरेस्ट	Total Minority Interest		<u>232,52,79</u>		<u>193,69,07</u>
अनुसूची - 3 जमा राशियां	SCHEDULE - 3 DEPOSITS				
क. I मांग-जमाराशियां	A. I Demand Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	2154,86,06		1114,41,76	
ii) अन्य से	ii) From Others	41580,69,40	43735,55,46	34429,71,70	35544,13,46
II बचत बैंक जमाराशियां	II Savings Bank Deposits		154327,11,08		119459,30,04
III मीयादी जमाराशियां	III Term Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	67035,22,74		82751,59,64	
ii) अन्य से	ii) From Others	352158,97,37	419194,20,11	348935,43,69	431687,03,33
कुल (I से III)	TOTAL (I to III)		<u>617256,86,65</u>		<u>586690,46,83</u>
ख. I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	B. I Deposits of branches in India	446707,17,81		399817,02,43	
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	II Deposits of branches outside India	170549,68,84		186873,44,40	
कुल (I और II)	TOTAL (I & II)	<u>617256,86,65</u>		<u>586690,46,83</u>	
अनुसूची - 4 उधार ली गयी राशियां	SCHEDULE - 4 BORROWINGS				
I. भारत में उधार ली गयी राशियां	I Borrowings in India				
i) भारतीय रिजर्व बैंक	i) Reserve Bank of India	-		-	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	424,91,52		395,91,13	
iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	2222,51,21		844,34,01	
iv) आईपीडीआई	iv) IPDI	4911,70,00		1911,70,00	
v) बॉण्डों के रूप में जारी हाईब्रिड ऋण पूंजी लिखत	v) Hybrid Debt Capital Instruments issued as bonds	3310,00,00		5230,00,00	
vi) गौण ऋण	vi) Subordinate debt	4190,00,00	15059,12,73	4190,00,00	12571,95,14
II. भारत के बाहर उधार ली गयी राशियां (300 मिलियन यूएस डॉलर अर्थात ₹ 1945.50 करोड़ के एमटीएन बॉण्ड सहित) (पिछले वर्ष 300 मिलियन यूएस डॉलर अर्थात ₹ 1987.65 करोड़)	II Borrowings outside India (includes MTN Bonds of USD 300 mn, INR equivalent of ₹ 1945.50 crores (previous year USD 300 mn, ₹ 1987.65 crores))		16182,87,44		21273,27,43
कुल (I एवं II)	TOTAL (I & II)		<u>31242,00,17</u>		<u>33845,22,57</u>
ऊपर I एवं II में शामिल जमानती उधार राशियां	Secured Borrowings included in I & II above		2448,92,50		2198,38,45



(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016
अनुसूची - 5 अन्य देयताएं एवं प्रावधान	SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I देय बिल	I Bills Payable	2200,46,39	1741,92,90
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued	3436,53,95	3992,72,15
III अन्तःकार्यालय समायोजन	III Inter office Adjustments	1258,22,50	391,93,64
IV आस्थगित कर देयताएं	IV Deferred Tax Liabilities	4,69,00	6,09,85
V मानक अग्रिमों के पेटे आकस्मिक प्रावधान	V Contingent Provision against Standard Advances	3542,27,05	2772,97,76
VI अन्य (प्रावधानों सहित)	VI Others(including provisions)	16979,35,57	19040,86,49
कुल (I से VI)	TOTAL (I to VI)	<u>27421,54,46</u>	<u>27946,52,79</u>
अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)	3051,58,62	3857,14,15
II भारतीय रिजर्व बैंक/केन्द्रीय बैंक के पास चालू खाते में शेष राशि	II Balances with Reserve Bank of India/ Central Bank :		
i) चालू खाते में	i) in Current Account	20593,42,18	18545,58,70
ii) अन्य खातों में	ii) in Other Accounts	270,12,67	408,02,49
कुल (I और II)	TOTAL (I & II)	<u>23915,13,47</u>	<u>22810,75,34</u>
अनुसूची - 7 बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I भारत में	I In India		
i) बैंकों के पास शेष राशि	i) Balances with Banks		
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	775,87,69	2189,35,27
बी) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	2557,91,35	3293,48,03
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	ii) Money at call and short notice		
ए) बैंकों के पास	a) with Banks	23300,00,00	6,000,000
बी) अन्य संस्थानों के पास	b) with Other institutions	68,34,01	45,00,00
कुल योग (i और ii)	TOTAL (i and ii)	26702,13,05	6127,83,30
II भारत से बाहर	II Outside India		
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	17027,84,13	13566,29,65
ii) अन्य जमा-राशि खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	62797,26,98	59530,30,19
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	iii) Money at Call and Short Notice	23672,62,33	34963,86,91
कुल (i, ii और iii)	TOTAL (i, ii and iii)	103497,73,44	108060,46,75
कुल योग (I और II)	GRAND TOTAL (I and II)	<u>130199,86,49</u>	<u>114188,30,05</u>



(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016
अनुसूची-8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS		
I भारत में निम्न में निवेश	I Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Govt Securities	113938,98,67	103090,09,11
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	2475,49,82	1607,52,80
iii) शेयर	iii) Shares	2357,45,93	1882,80,33
iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड	iv) Debentures and Bonds	4289,35,47	3668,89,34
v) सहयोगी इकाइयों में निवेश	v) Investment in Associates	798,99,89	736,49,59
vi) अन्य	vi) Others	5150,32,85	5796,04,21
कुल (i से vi)	TOTAL (i to vi)	129010,62,63	116781,85,38
II भारत से बाहर निवेश	II Investments Outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Govt Securities (incl. Local authorities)	7330,16,47	6481,69,55
ii) सहयोगी इकाइयों में निवेश	ii) Investment in Associates	93,38,45	78,16,25
iii) अन्य	iii) Others	4282,25,77	5552,34,52
कुल (i से iii)	TOTAL (i to iii)	11705,80,69	12112,20,32
कुल जोड़ (I एवं II)	GRAND TOTAL (I & II)	140716,43,32	128894,05,70
III भारत में निवेश	III Investments in India		
निवेशों का सकल मूल्य	Gross value of Investments	129787,08,73	117590,04,17
घटाएं: मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का जोड़	Less : Aggregate of Provisions for Depreciation	776,46,10	808,18,79
शुद्ध निवेश	Net Investments in India	129010,62,63	116781,85,38
IV भारत से बाहर निवेश	IV Investments outside India		
निवेशों का सकल मूल्य	Gross value of Investments	12022,63,16	12439,07,65
घटाएं: मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का जोड़	Less : Aggregate of Provisions for Depreciation	316,82,47	326,87,33
बाहर शुद्ध निवेश	Net Investments outside	11705,80,69	12112,20,32
		140716,43,32	128894,05,70



(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016
अनुसूची-9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES		
ए. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	46993,30,82	50008,11,34
ii) नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	163247,09,40	172186,59,00
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	182021,89,43	169291,28,19
कुल (i से iii)	Total (i to iii)	<u>392262,29,65</u>	<u>391485,98,53</u>
बी. i) मूर्त आस्तियों द्वारा संरक्षित (बही ऋण की एवज में अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (Includes advances against book debts)	272674,06,08	277052,02,55
ii) बैंकों/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	58905,50,22	68555,49,70
iii) गैर-जमानती	iii) Unsecured	60682,73,35	45878,46,27
कुल (i से iii)	Total (i to iii)	<u>392262,29,65</u>	<u>391485,98,52</u>
सी. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	105560,40,94	93768,22,50
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	14869,00,87	16325,12,18
iii) बैंकों	iii) Banks	1278,95,29	5739,32,88
iv) अन्य	iv) Others	159627,53,52	150225,21,09
		<u>281335,90,62</u>	<u>266057,88,65</u>
II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India		
i) बैंकों से प्राप्त	i) Due from Banks	54645,62,20	63346,54,91
ii) अन्यो से प्राप्त	ii) Due from Others		
ए. खरीदे गए और भुनाए गए बिल	a) Bills purchased & Discounted	4008,58,27	2844,78,29
बी. समूह ऋण	b) Syndicated Loans	18174,39,28	20570,59,92
सी. अन्य	c) Others	34097,79,28	38666,16,76
कुल (सी. I + सी. II)	Total (C. I + C. II)	<u>110926,39,03</u>	<u>125428,09,88</u>
		<u>392262,29,65</u>	<u>391485,98,53</u>



(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016	
अनुसूची-10 अचल आस्तियां	SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS			
I परिसर	I Premises			
विगत वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31 st March of the preceding year	6288,43,48	2946,55,07	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the year	266,32,95	3346,35,71	
		6554,76,43	6292,90,78	
वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	Deductions/adjustments during the year	167,36,92	4,47,30	
(पुनर्मूल्यित राशि सहित)	(Includes revalued amount)	6387,39,51	6288,43,48	
अद्यतन तारीख को मूल्यहास	Depreciation to date	1794,62,13	1254,74,46	5033,69,02
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित)	II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) :			
विगत वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31 st March of the preceding year	4479,64,29	3849,79,87	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the year	562,12,46	703,00,37	
		5041,76,75	4552,80,24	
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year	110,77,38	73,15,95	
		4930,99,37	4479,64,29	
अद्यतन तारीख तक मूल्यहास	Depreciation to date	3594,09,25	3154,16,16	1325,48,13
जोड़ (I एवं II)	TOTAL (I and II)	5929,67,50	6359,17,15	
अनुसूची -11 अन्य आस्तियां	SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS			
I उपचित ब्याज	I Interest Accrued	5169,23,56	5492,65,60	
II अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	II Tax paid in advance/tax deducted at source(net of Provisions)	2897,85,32	5393,42,84	
III स्टेशनरी एवं स्टैम्प	III Stationery and Stamps	9,19,13	10,03,74	
IV आस्थगित कर आस्तियां	IV Deferred Tax assets	4335,70,19	3262,98,51	
V अन्य	V Others	13785,12,69	13281,70,05	
कुल (I से V)	TOTAL (I to V)	26197,10,89	27440,80,74	



(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को As on 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को As on 31 st March 2016
अनुसूची -12 आकस्मिक देयताएं	SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES		
I दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	I Claims not acknowledged as debts	208,21,88	389,31,10
II आंशिक चुकता निवेशों के लिए देयता	II Liability for partly paid Investments	99,61,78	28,00
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III Liability on account of outstanding forward exchange contracts	157877,08,35	142340,20,48
IV संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां	IV Guarantees given on behalf of constituents :		
क) भारत में	a) In India	20048,56,01	21033,84,14
ख) भारत से बाहर	b) Outside India	5599,24,43	33083,55,99
V स्वीकृतियां, परांकन और अन्य बाध्यता	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations	18437,06,03	16896,56,73
VI आकस्मिक देयता की अन्य मदें	VI Other items of contingent liability	51124,81,66	37097,03,31
कुल (I से VI)	TOTAL (I to VI)	253394,60,14	229806,95,61



समेकित लाभ व हानि लेखा की अनुसूचियां
Schedules to Consolidated Profit & Loss A/c

		(₹ in 000's)	
		31 मार्च 2017 को Year Ended 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को Year Ended 31 st March 2016
अनुसूची-13 अर्जित ब्याज	SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED		
I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	I Interest/Discount on Advances/Bills	28483,51,33	30700,06,64
II निवेश पर आय	II Income on Investments	11709,02,36	11333,92,88
III भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अन्तर बैंक निधियों के शेष पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	2171,14,27	1469,87,76
IV अन्य	IV Others	2109,77,18	2295,11,74
कुल (I से IV)	TOTAL (I to IV)	<u>44473,45,14</u>	<u>45798,99,02</u>
अनुसूची -14 अन्य आय	SCHEDULE - 14 OTHER INCOME		
I कमीशन, विनिमय एवं दलाली	I Commission, Exchange and Brokerage	1690,93,70	1591,84,76
II भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	II Profit/(Loss) on sale of Land, Buildings and Other Assets (Net)	77,96,25	2,21,08
III विनिमय लेन-देन पर लाभ (शुद्ध)	III Profit on Exchange Transactions (Net)	1002,98,77	1277,35,53
IV निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	IV Profit on sale of Investments(Net)	2651,02,00	1189,56,54
V अर्जित प्रीमियम	V Premium earned	976,68,43	852,31,62
VI विविध आय	VI Miscellaneous Income	1537,18,63	1078,87,99
कुल (I से VI)	TOTAL (I to VI)	<u>7936,77,78</u>	<u>5992,17,52</u>
अनुसूची-15 खर्च किया गया ब्याज	SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED		
I जमा राशियों पर ब्याज	I Interest on Deposits	27629,96,95	29982,12,20
II भारतीय रिज़र्व बैंक/ अन्तर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	306,67,43	340,34,18
III अन्य	III Others	1659,08,32	1784,97,65
कुल (I से III)	TOTAL (I to III)	<u>29595,72,70</u>	<u>32107,44,03</u>



समेकित लाभ व हानि लेखा की अनुसूचियां Schedules to Consolidated Profit & Loss A/c

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को Year Ended 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को Year Ended 31 st March 2016
अनुसूची-16	SCHEDULE - 16		
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES		
I कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees	4888,66,18	5201,04,64
II किराया, कर एवं विद्युत	II Rent, Taxes and Lighting	989,12,91	903,91,31
III मुद्रण एवं स्टेशनरी	III Printing and Stationery	88,16,08	86,27,68
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity	111,39,56	83,49,88
V बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास	V Depreciation on Bank's Property	539,97,37	525,10,86
VI निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses	3,12,45	2,64,64
VII लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)	61,07,43	60,70,05
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges	67,04,25	58,29,71
IX डाक व्यय, तार एवं दूरभाष आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.	175,63,62	163,46,50
X मरम्मत एवं रख रखाव	X Repairs and Maintenance	625,21,80	550,74,24
XI बीमा	XI Insurance	519,84,15	503,16,51
XII अन्य व्यय	XII Other Expenditure	2280,54,58	1823,55,85
कुल (I से XII)	TOTAL (I to XII)	<u>10349,80,38</u>	<u>9962,41,87</u>
अनुसूची - 17	SCHEDULE - 17		
सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES		
I क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों	I RRB's	62,02,18	57,58,56
II अन्य	II Others	15,54,60	(37,49,26)
कुल (I और II)	TOTAL (I & II)	<u>77,56,78</u>	<u>20,09,30</u>

अनुसूची 18 : 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Schedule 18 : Significant Accounting Policies on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2017

1. समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने का आधार

1.1 तैयार करने का आधार

बैंक (मूल), इसकी अनुषंगियों संयुक्त उद्यमों और सहयोगी इकाइयों के समेकित वित्तीय विवरण-पत्र (सीएफएस) परम्परागत लागत के आधार पर बनाए गए हैं और सभी वास्तविक पहलुओं के संदर्भ में, भारत की शाखाओं/कार्यालयों के विषय में भारत में और विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के विषय में संबद्ध देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं विधियों के अनुरूप हैं, जब तक कि कोई अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

1.2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने में वित्तीय विवरण-पत्र की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि हेतु आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कुछ अनुमानों और आकलनों को आधार बनाना पड़ता है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं।

2. समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह के समेकित वित्तीय विवरण-पत्र (12 अनुषंगियां, 6 सहयोगी इकाइयों तथा 3 संयुक्त उद्यमों) सहित, निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

- बैंक ऑफ बड़ौदा (मूल) के लेखा-परीक्षित खाते
- अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय की प्रत्येक मद का मूल संस्था की संबंधित मद के साथ शब्दशः एकत्रीकरण तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक एएस-21 (समेकित वित्तीय विवरण पत्रक) के अनुसार सभी इन्द्रा ग्रुप शेषों/संव्यवहारों और वसूल न किए गए लाभ/हानि को कम करते हुए।
- सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखांकन लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण-पत्रों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी ए एस 23 ("अकाउंटिंग फॉर इनवेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कनसालिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स") इक्विटी प्रणाली के अनुरूप किया गया है।
- संयुक्त उद्यमों में ब्याज को, आईसीएआई द्वारा जारी एएस-27 (फायनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इन्टरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर) में निर्धारित "समानुपातिक समेकन आधार" पर समेकित किया गया है।

2.2 लेखांकन नीतियों में अन्तर होने की स्थिति में अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी इकाइयों के वित्तीय विवरण-पत्रों को, जहां कहीं आवश्यक तथा व्यावहारिक हो, मूल की लेखा-नीतियों के अनुरूप समायोजित किया गया है।

2.3 समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों के माइनोरिटी इन्टरेस्ट में अनुषंगियों की शुद्ध इक्विटी/लाभ में माइनोरिटी शेयरधारकों के अंश समाहित हैं।

2.4 मूल संस्था द्वारा इसकी अनुषंगियों में किए गए प्रारंभिक निवेश की लागत और अनुषंगियों में इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से की लागत अंतर को साख / प्रारक्षित पूंजी, जैसा भी मामला हो, के रूप में माना गया है।

1. BASIS OF PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

1.1 BASIS OF PREPARATION:

Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its subsidiaries, joint ventures and associates are drawn up on historical cost basis and conform in all material aspects to statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian offices / branches and respective foreign countries in respect of foreign offices / branches, unless otherwise stated.

1.2 USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. CONSOLIDATION PROCEDURE:

2.1 CFS of the group (comprising of -12- Subsidiaries, -6- Associates and -3- Joint Ventures) have been prepared on the basis of :

- Audited accounts of Bank of Baroda (Parent).
- Line by line aggregation of each item of asset/liability/income/expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit/loss as per AS 21 (Consolidated Financial Statements) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per AS 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the associates.
- Interests in Joint Ventures are consolidated on 'Proportionate consolidation method' as prescribed in AS 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by ICAI.

2.2 In case of difference in Accounting Policies, the Financial Statements of Subsidiaries, Joint ventures and Associates are adjusted, wherever necessary and practicable, to conform to the Accounting Policies of the Parent.

2.3 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.

2.4 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill/ capital reserve as the case may be.



3. निवेश

3.1 वर्गीकरण

मूल संस्था तथा इसकी घरेलू अनुषंगियों के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

- (ए) “परिपक्वता तक धारित” एचएफटी निवेश राशियों में परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल हैं।
- (बी) “व्यापार हेतु धारित” एचएफटी में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (सी) “बिक्री हेतु उपलब्ध” (एएफएस) में वे निवेश शामिल हैं जो उपरोक्त “ए” तथा “बी” में शामिल नहीं हैं अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।

3.2 अधिग्रहण लागत

निवेशों के अधिग्रहण की लागत-प्रोत्साहनों, फ्रंट एण्ड फीस एवं कमीशन का कुल योग है।

3.3 मूल्यांकन का आधार

एचटीएम के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अर्जित लागत पर लिया गया है, जबतक कि वह अंकित मूल्य से अधिक नहीं हैं। विपरीत स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है।

एचटीएम के रूप में वर्गीकृत निवेशों में ऐसे डिबेंचर/बांड्स शामिल हैं जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है (जिनके लिए अग्रिमों पर लागू आरिक्त वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हुए प्रावधान किया गया है।)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिलों, कमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाण पत्र में किए गए निवेशों को रखाव लागत आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

23.08.2006 के पश्चात् मूल (बैंक) द्वारा वीसीएफ की ईकाईयों में किए गए निवेश को आरम्भिक तीन वर्षों के लिए परिपक्वता तक एचटीएम के तहत श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तथा कीमत के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। संवितरण के तीन वर्षों के पश्चात् इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एएफएस तथा मार्केट-टू-मार्केट में अंतरित किया जाएगा।

“व्यापार के लिए धारित” (एचएफटी) एवं “बिक्री के लिए उपलब्ध” (एएफएस) के रूप में वर्गीकृत निवेश बाजार स्क्रिपवार चिन्हीत किया गया है तथा तुलन पत्र में प्रत्येक श्रेणी में दर्शाए गए परिणामी शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई है, को लाभ हानि खाते में स्थान दिया गया है। जब कि शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है। तथापि रुपांतरण के द्वारा प्राप्त किए गए निवेशों को भले ही वे मानक या एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए हों, किसी अन्य प्रतिभूति जो एएफएस श्रेणी के अंतर्गत रखी गई है किसी अधिमूल्यन के पेटे समायोजन नहीं किया गया है।

व्यापार के लिए धारित श्रेणी के तहत ट्रेजरी बिलों में प्राथमिक डीलर के रूप में मूल बैंक द्वारा किये गये निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

“व्यापार के लिए धारित” तथा “बिक्री के लिए उपलब्ध” श्रेणी के उद्घृत निवेशों के मूल्यांकन के लिए बाजार स्टॉक एक्सचेंज में उद्घृत

3. INVESTMENTS:

3.1 Classification

The Investment portfolio of the Parent and its domestic subsidiaries is classified in accordance with Reserve Bank of India guidelines into:

- (a) “Held to Maturity” (HTM) comprising investments acquired with the intention to hold them till maturity.
- (b) “Held for Trading” (HFT) comprising investments acquired with the intention to trade.
- (c) “Available for Sale” (AFS) comprising investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

3.2 Acquisition Cost

Cost of Acquisition of Investments is net of incentives and front-end fees.

3.3 Basis of Valuation

Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.

Investments classified as HTM includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the RBI prudential norms of assets classification and provisioning applicable to advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Parent’s investment in units of VCFs made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

Investments classified as HFT and AFS are marked to market, scrip-wise and the resultant net depreciation if any in each category disclosed in the Balance Sheet is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored. However, Depreciation on the Instruments acquired by way of conversion, whether classified as Standard or NPA, is not offset against the appreciation in any other securities held under the AFS category.

Investments made by the Parent as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category have been valued at carrying cost.

दरों हेतु प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (पीडीएआई)/ फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) / विदेशी विनिमय डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (एफईडीएआई) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है जो निम्नानुसार हैं :-

ए.	सरकारी/ अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	परिपक्वता आधारित आय पर
बी.	इक्विटी शेयर, पीएसयू एवं ट्रस्टी शेयर	-	नवीनतम तुलनपत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को ध्यान में लिये बिना) पर अन्यथा ₹ 1 प्रति कंपनी
सी.	अधिमानी शेयर	-	परिपक्वता आधारित आय पर, समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित
डी.	पीएसयू बॉन्ड	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर
ई.	म्युचुअल फंड की यूनिटें	-	फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/ शुद्ध आस्ति मूल्य / एनएवी पर
एफ.	उद्यम पूंजी	-	लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी या ब्रेकअप एनएवी जो कि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखा परीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हों तो ₹ 1/- प्रति वीसीएफ.
जी.	प्रतिभूति प्राप्तियां	-	भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा घोषित एनएवी

3.4 निवेशों का निस्तारण

‘परिपक्वता तक धारित’ के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि को संबंधित निवेशों की भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया गया है एवं ‘‘परिपक्वता तक धारित’’ वर्गीकरण में संबंधित निवेशों के बही मूल्य के समतुल्य लाभ को प्रारक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया है।

एएफएस/एचएफटी श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर हुए लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।

3.5 बैंक के द्वारा निवेशों के लिए, निपटान तारीख आधार पर समरूप लेखा प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है।

3.6 विदेशी शाखाओं में निवेश के सम्बंध में भारतीय रिजर्व बैंक अथवा मेजबान देशों के दिशा-निर्देशों का, दोनों में से जो अधिक सख्त हों, का अनुपालन किया गया है। ऐसी शाखाओं के मामले में जो ऐसे देशों में स्थित है जहां कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।

For the purpose of valuation of quoted investments in HFT and AFS categories, the market rates/quotes on the Stock exchanges, the rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under: -

a	Government / Approved securities	-	On Yield to Maturity basis.
b	Equity Shares, PSU and Trustee shares	-	At break up value (without considering 'Revaluation Reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.
c	Preference Shares	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
d	PSU Bonds	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
e	Units of Mutual Funds	-	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
f	Venture Capital	-	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.
g	Security Receipts	-	Declared NAV by the Asset Reconstruction Company as per RBI / SEBI guidelines.

3.4 Disposal of Investment

Profit / loss on sale of investments classified as HTM is recognized in the Profit and Loss account based on the weighted average cost / book value of the related investments and an amount equivalent of profit on sale of investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit /loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in Profit and Loss account.

3.5 The Parent is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis.

3.6 In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.



3.7 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की गई है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप मूल्यहास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया गया है।

3.8 देशी गैर-निष्पादक प्रतिभूतियों के संबंध में आय को नहीं लिया गया है, और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है।

3.9 रेपो / रिवर्स रेपो

बैंक ने पुनःखरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है। (भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र सं. आरबीआई/2016-17/ एफएमओजी सं. 116/01.01.001/2016-17 दि. 10-11-2016 के अनुसार तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित) रेपो एवं रिवर्स रिपो लेनदेनों को, सहमत शर्तों पर पुनःखरीद करने के समझौते के साथ संपार्श्विक उधार/ऋण के रूप में लिया गया है। रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां उन्हें रिवर्स रेपो के तहत निवेश व खरीदी गई प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है, तथा उन्हें निवेशों में शामिल नहीं किया गया है। लागत तथा राजस्व की गणना ब्याज व्यय/आय जैसा भी मामला हो, के रूप में की गई है।

3.10 डेरिवेटिव्स :

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याजदर स्वैप एकसचेंज ट्रेडेट रूपया, ब्याज दर फ्यूचर तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन, मुद्रा स्वैप एकसचेंज ट्रेडेट करेंसी फ्यूचर शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं। व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स को उपचित आधार पर लेखांकित किये जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन को बाजार चिन्हित किया गया है तथा परिणामी हानि, यदि कोई हो, को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया गया है। लाभ, यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है। ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय निपटान तारीख को लिया गया है। ट्रेडिंग स्वैप्स की समाप्ति पर हुए लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वैप के उचित मूल्य की गणना उस राशि के आधार पर की गयी है जो कि तुलनपत्र की तारीख को स्वैप समझौतों से संबंधित लेन-देन की समाप्ति पर प्राप्य या देय होगा। इससे संबंधित हानि, यदि कोई हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किए गए हैं जबकि लाभ, यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है।

विदेशी मुद्रा वाले डेरिवेटिव संविदाओं से संबंधित आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को एफडीडीआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रिपोर्ट किया गया है।

3.7 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.8 In respect of domestic non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation in the value of such securities as per RBI guidelines.

3.9 REPO / REVERSE REPO

The Parent has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions [including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/FMOD.MAOG. No.116/01.01.001/2016-17 dated 10-11-2016] Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under Investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in Investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.10 DERIVATIVES

The Parent presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Parent are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Exchange Traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt with by the Parent are Options, Currency Swaps and Exchange Traded Currency Future.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge / non-hedge (Trading) transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market. Derivative contracts classified as hedge and where underlying is not marked to market are recorded on accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on daily basis. Gains / losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income / expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4. अग्रिम

- 4.1 भारत में मूल संस्था तथा इसकी घरेलू सहयोगी संस्थाओं के अग्रिम मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और इन पर हुई हानि के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं। विदेशी शाखाओं तथा अनुषंगियों द्वारा किए गए अग्रिम के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के अथवा मेजबान देश, जिसमें अग्रिम दिया गया है, द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुरूप किया गया है।
- 4.2 अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, उच्चतम ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा खातों में प्राप्त एवं रखी गई राशि, प्राप्त दावों के लिए किए गए प्रावधान की शुद्ध राशि है।
- 4.3 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के लिए मौजूदा मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए प्रावधान किया गया है।
- 4.4 आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान के प्रयोजन से, बॉब कार्ड को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी है, जो गैर बैंकिंग वित्तीय (जमा राशि स्वीकार/धारण न करने वाली) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड (भारतीय रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007 के विस्तृत दिशा-निर्देशों के अंतर्गत शामिल है।
- 4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) / प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई आस्तियों के मामले में बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। वर्तमान में बैंक द्वारा अनुसरण किए जा रहे दिशा निर्देश ये हैं कि यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बही मूल्य घटाएं किया गया प्रावधान) से कम मूल्य पर हुई है तो कमी को दो वर्षों की अवधि के भीतर कीमत लागत अंतर की अवधि में लाभ हानि खाते में नामे किया जाए। यदि बिक्री मूल्य, शुद्ध बही मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो जिस वर्ष में अधिक राशि प्राप्त हुई है उस राशि को लाभ हानि खाते में रिवर्स कर दिया जाता है।

5. अचल आस्तियां

- 5.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, परिसर व अन्य अचल आस्तियां सामान्यतः परम्परागत लागत पर दर्शाई गई हैं, पुनर्मूल्यांकन पर हुई वृद्धि को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है। ऐसी बड़ी हुई राशि पर मूल्यहास हेतु किए गए प्रावधान को इसमें से घटा दिया गया है।
- 5.2 “परिसर” में भूमि तथा निर्माणाधीन भवन का समावेश है।

6. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों में प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

7. राजस्व का निर्धारण

1. आय (पैराग्राफ 7.2 में उल्लिखित मद से भिन्न) / व्यय का निर्धारण सामान्यतः उपचय आधार पर किया गया है। विदेशी कार्यालयों के मामले में सम्बद्ध देश जहां विदेशी कार्यालय स्थित है, स्थानीय नियमों के तहत आय का निर्धारण किया गया है।

4. ADVANCES:

- 4.1 Advances in India of the Parent and Subsidiaries are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and Provision for losses are made on these assets as per Prudential Norms of Reserve Bank of India. In respect of Advances made in overseas branches and overseas subsidiaries, Advances are classified in accordance with stringent of the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.
- 4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense; amount received and held in suit-filed Sundry Deposit and Claims Received.
- 4.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in present value terms as per RBI guidelines.
- 4.4 For the purpose of Assets Classification and provisioning, BOB Card, the wholly owned subsidiary of BOB, is governed under the broad guidelines of “Non Banking Financial (Non-Deposit, Accepting/holding) Companies Prudential norms (Reserve Bank) Directions, 2007”.
- 4.5 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account spread over a period of two years. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

5. FIXED ASSETS:

- 5.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost except revalued premises which are stated at revalued amount. The appreciation on such revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.
- 5.2 Premises include Land and Building under construction.

6. RESERVES AND SURPLUS:

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

7. REVENUE RECOGNITION:

1. Income (other than item referred in Paragraph 7.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.



2. शुल्कों के माध्यम से प्राप्त आय, सरकारी कारोबार को छोड़कर कमीशन, गारंटी, साखपत्र पर कमीशन, विनिमय, दलाली तथा अतिदेय बिलों/अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी ईकाईयों में शेयरों के लाभांश को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है.
3. गैर निष्पादित अग्रिमों तथा निवेशों के मामलों में आय की वसूली की अनिश्चितता के कारण ऐसी आय भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देशों के अनुसार केवल वसूल होने पर ही लेखांकित की गई है.
4. परिचालन लीज पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित लीज भुगतानों को आईसीएआई द्वारा जारी एस 19 (लीज) के अनुसार लीज टर्म पर लाभ एवं हानि लेखा के हिसाब में लिया जाता है.

8. जीवन बीमा कम्पनी

1. प्रीमियम आय

देय होने पर प्रीमियम (सेवा कर का निवल) को आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है. सहवर्ती व्यवसाय के लिए जब सहयोगी ईकाईयां सृजित की जाती हैं, प्रीमियम को गणना में लिया जाता है. टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में समझा जाता है.

व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रूप में लिया जाता है जब ऐसी पॉलिसियां पुनः चालू की जाती हैं.

पुनर्बीमा होने पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है जब पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्त होता है.

2. लिंक्ड निधियों से आय

लिंक्ड निधियों, जिसमें प्रीमियम आबंटन प्रभार, पालिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टलिटी प्रभार, निधि प्रबंधन प्रभार इत्यादि शामिल हैं, से प्राप्त आय को जारी की गई पॉलिसी की शर्तों एवं नियमों के अनुसार लिंक्ड निधियों से वसूल किया जाता है.

3. पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा की लागत को बीमाकर्ता के साथ की गई शर्त अथवा सिद्धांततः व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय हिसाब में लिया जाता है. पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन, पुनर्बीमा से प्राप्त प्रीमियम पर समायोजित किया जाता है.

4. प्रदत्त लाभ (दावों सहित)

प्रदत्त लाभों में पॉलिसी लाभ तथा दावा निपटान लागत, यदि कोई हो, शामिल हैं.

मृत्यु, अनुवृद्धि (राइडर) तथा अभ्यर्पण दावों को सूचना प्राप्त होने पर हिसाब में लिया जाता है.

उत्तरजीवी लाभ दावों तथा परिपक्वता दावों को देय होने पर गणना में लिया जाता है.

लिंक्ड पॉलिसियों के तहत आहरणों तथा अभ्यर्पणों को संबंधित योजनाओं में तब हिसाब में लिया जाता है, जब अनुषंगी इकाइयां निरस्त हो जाती हैं. दावों पर पुनर्बीमा वसूली को संबंधित दावों की उसी अवधि में हिसाब में लिया जाता है.

2. Income by way of Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.
3. In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/ Investments, such income is accounted for only on realization in terms of the RBI guidelines.
4. Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

8. Life Insurance company:

1. Premium Income:

Premium (net of service tax) is recognised as income when due. For linked business, premium is recognised when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Commission received on reinsurance ceded is recognised as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

2. Income from linked funds:

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

3. Reinsurance Premium:

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

4. Benefits paid (including claims):

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due.

Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.



5. अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागते ऐसी लागत हैं जो भिन्न-भिन्न होती हैं और प्राथमिक तथा बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से समबद्ध होती हैं और उस अवधि में व्यय की जाती हैं, जिसमें ये उपगत होती हैं.

6. जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयता

कंपनी की बीमांकिक देयताओं की गणना बीमा अधिनियम 1938, बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की आस्तियां, देयताएं तथा सोलवेंसी मार्जिन) विनियमन, 2000, भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देश नोट तथा सामान्यतः स्थापित बीमांकिक पद्धतियों के अनुसार की जाती है.

7. निवेश

बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियमन, 2000, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियमन, 2001 तथा समय-समय पर आईआरडीए द्वारा जारी किए गए अन्य परिपत्रों / अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किए जाते हैं.

9. कर्मचारी लाभ

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है जिसके तहत बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है. बैंक की बाध्यता ऐसे निश्चित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदानों को लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है

9.2 ग्रेच्युटी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा ग्रेच्युटी निधि नियमों एवं विनियमों के अनुसार ग्रेच्युटी देयता एक सांविधिक दायित्व है और इसके लिए संबंधित वर्ष की समाप्ति में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है. बैंक द्वारा ग्रेच्युटी के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है एवं इसका प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है.

9.3 पेंशन

9.3.1 बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता एक निश्चित हितबाध्यता है और इसके लिए संबंधित वर्ष की समाप्ति में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है. यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31.3.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन निधि न्यास द्वारा योजना के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है.

9.3.2 नई पेंशन योजना, जो कि बैंक में 1.4.2010 को अथवा इसके पश्चात सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है, एक परिभाषित अंशदायी योजना है. बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है. बैंक का दायित्व केवल निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

9.4 क्षतिपूरित अनुपस्थिति

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति जैसे कि अर्जित अवकाश (पीएल) तथा नहीं लिए गए रुग्ण अवकाश का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

5. Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

6. Liability for life policies:

Actuarial liabilities of the company have been calculated in accordance with the requirements of insurance Act.1938, Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000, Guidance Notes issued by Institute of Actuaries of India and generally established actuarial practices.

7. In vestments:

Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the insurance regulatory and Development Authority (investment) (Amendment) Regulations, 2001 and various other circulars / notifications issued by the IRDA in this context from time to time.

9 EMPLOYEES BENEFITS:

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 PENSION

9.3.1 Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

9.3.2 New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.



9.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी रियायत किराया (एलएफसी), और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ इत्यादि को बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

विदेशी शाखाओं एवं कार्यालयों के संबंध में कर्मचारियों से संबंधित लाभों को, प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को छोड़कर, संबद्ध देश में लागू कानून के आधार पर मूल्यांकित तथा लेखाकृत किया जाता है।

10. मूल्यहास

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यहास (नीचे दिए गए पैरा 10.3 एवं 10.4 में संदर्भित को छोड़कर) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यहास बही मूल्य पद्धति के आधार पर, पुनर्मूल्यित आस्ति को छोड़कर - जिसके संबंध में इन पुनर्मूल्यित आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि के आधार पर ज्यादा मूल्यहास किया जाता है, प्रदान किया गया है।

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यहास (नीचे दिए गए पैरा 9.3 में संदर्भित को छोड़) स्थानीय कानून अथवा संबद्ध देश में प्रचलित परंपराओं के अनुसार प्रदान किया जाता है।

10.3 कम्प्यूटरों तथा साफ्टवेयर जो भारत और भारत से बाहर कम्प्यूटर हार्डवेयर के अनिवार्य अंग हैं, उन पर मूल्यहास भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है। कम्प्यूटर साफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, उसे लाभ-हानि खाते से सीधे प्रभारित कर दिया गया है।

10.4 एटीएम पर मूल्यहास 20% प्रतिवर्ष की दर से सरल पद्धति (स्ट्रेट लाइन) से प्रदान किया जाता है।

10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास खरीद / उपयोग शुरू करने की तारीख से आनुपातिक आधार पर प्रावधान किया गया है।

10.6 पट्टाकृत भूमि एवं पट्टाकृत परिसर संबंधी सुधारों की लागत का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया गया है।

11. आस्तियों की क्षति

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) की क्षति, यदि कोई हो, का निर्धारण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 28 (आस्तियों की क्षति) के अनुसार किया जाता है और लाभ हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

12.1 विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 11 (विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तनों के प्रभाव) के अनुरूप किया गया है।

12.2 लेखा मानक एएस-11 के प्रयोजन के लिए बैंक के मूल एवं अनुषंगी विदेशी मुद्रा परिचालनों को (क) एकीकृत परिचालन एवं (ख) असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मूल संस्था की सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को असमाकलित परिचालन एवं विदेशी मुद्रा के घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना गया है।

12.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में रूपांतरण

(ए) रूपांतरण को प्राथमिक तौर पर फेडरल द्वारा सूचित की गई औसत साप्ताहिक दरों पर रिकार्ड किया गया है।

9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

10. DEPRECIATION:

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 9.3 and 9.4] is provided on the written down value method in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 9.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Computer software not forming part of an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

10.6 Cost of leasehold land & leasehold improvements are amortised over the period of lease.

11. IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with the AS 28 (Impairment of Assets) issued by ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

12. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by ICAI.

12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Parent and its Subsidiaries are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries of Parent are treated as Non Integral Operations; and Domestic Operations in Foreign Exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

12.3 Translation in respect of Integral Operations:

a. The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.



- (बी) विदेशी मुद्रा से संबंधित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर रुपांतरित किया गया है।
- (सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकन किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है।
- (डी) तुलनपत्र की तारीख को बकाया एवं ट्रेडिंग के लिए धारित विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं वायदा संविदाओं को क्रमशः एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम स्पॉट एवं वायदा दरों पर तथा अंतरिम परिपक्वता वाली संविदाओं को इंटरपोलेटेड दरों पर पुनर्मूल्यित किया गया है। एमटीएम के वर्तमान मूल्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार प्राप्त एमटीएम मूल्य का डिस्काउंट किया गया है। इस एमटीएम का प्रयोग पीवी आधारित स्पॉट एवं वायदा संव्यवहारों के पुनर्मूल्यांकन के लिए किया गया है। परिणाम स्वरूप, वायदा मूल्यांकन लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया गया है।

12.4 असमाकलित परिचालनों के संबंध में रुपांतरण

- (ए) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को एफईडीएआई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई अंतिम स्पॉट दरों पर रुपांतरित किया गया है।
- (बी) तुलनपत्र की तारीख को बकाया एवं ट्रेडिंग के लिए धारित विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं वायदा सापेक्ष देयताओं को क्रमशः एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम स्पॉट एवं वायदा दरों पर तथा अंतरिम परिपक्वता वाली संविदाओं को इंटरपोलेटेड दरों पर रुपांतरित किया गया है।
- (सी) आय एवं व्ययों को एफईडीएआई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई औसत तिमाही दरों पर रुपांतरित किया गया है।
- (डी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की गई है तथा इसे शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा रुपांतरण प्रारक्षित निधि" में रखा गया है।

12.5 वायदा विनिमय संविदा

लेखा मानक एएस 11 तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर (स्पॉट) एवं वायदा संविदाओं को तुलन पत्र की तिथि को फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदाओं एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को इंटरपोलेटेड दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है।

- b. Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- c. The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in Profit and Loss Account.
- d. Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

12.4 Translation in respect of Non Integral Operations:

- a. Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- b. Foreign Exchange Spot and Forward contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.
- c. Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- d. The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

12.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS 11, Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss is included in the Profit and Loss Account.



13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 आय पर कर हेतु लेखांकन के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच अन्तर से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं. आस्थगित कर को, आय एवं व्यय की उन मदों के संबंध में जो किसी एक समय बिंदु पर निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, विवेकपूर्ण नीति के अध्यधीन हिसाब में लिया जाता है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की गणना अधिनियमित कर दरों पर, उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में समय अंतरालों को रिवर्स करने की संभावना होती है. आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन हुए प्रभाव को उस अवधि को आय विवरण-पत्र, जिसमें ऐसे परिवर्तन को लागू किया गया है, के आधार पर हिसाब में लिया जाता है.

14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक द्वारा अपने बेसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार रिपोर्ट किया गया है. बेसिक प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को अवधि के लिए बकाया भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित की गई है. डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित ईक्विटी शेयरों एवं इस अवधि के दौरान डायल्यूटेड ईक्विटी शेयरों की संख्या में की गई है.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (प्रावधानों आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों) के अनुसार मूल कंपनी द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान विगत में हुई किसी घटना से उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया गया है. यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों की आवश्यकता हो और तब इस दायित्व हेतु राशि का विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सके.

जब तक आर्थिक लाभ के संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना अप्रत्यक्ष न हो तब तक आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण-पत्रों में नहीं माना गया है. क्योंकि यह ऐसी आय के निर्धारण के फलस्वरूप हो सकता है, जिसकी कभी वसूली नहीं हो सकती है.

13 TAXES ON INCOME:

This comprises of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

14 EARNINGS PER SHARE:

The Parent reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings per Share) issued by the ICAI. Basic earning per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earning per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per the AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by ICAI, the Parent recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.



अनुसूची - 19 : 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों पर टिप्पणियां

Schedule - 19 - Notes on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2017

1. समूह के समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों (सीएफएस) में बैंक ऑफ बड़ौदा (मूल संस्था) तथा निम्नलिखित अनुषंगियों/सहयोगी इकाइयों/संयुक्त उद्यमों के परिणाम शामिल हैं.
1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprise the results of the Bank of Baroda (Parent) and the following Subsidiaries/Associates/Joint Ventures:

1.1 अनुषंगियां	Subsidiaries	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on	31.03.17	31.03.16
1.1.1 देशीय अनुषंगियां	Domestic Subsidiaries				
ए) बैंकिंग	a) Banking:				
i) द नैनीताल बैंक लि.	i) The Nainital Bank Ltd.	भारत / India	98.57	98.57	
बी) गैर बैंकिंग	b) Non Banking:				
i) बॉब कैपिटल मार्केट लि.	i) BOB Capital Markets Ltd.	भारत / India	100.00	100.00	
ii) बॉब कार्ड्स लि.	ii) BOB Cards Ltd.	भारत / India	100.00	100.00	
iii) बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस लि.	iii) Baroda Global Shared Services Ltd	भारत / India	100.00	-	
1.1.2 विदेशी अनुषंगियां	Overseas Subsidiaries:				
ए) बैंकिंग	a) Banking:				
i) बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि.	i) Bank of Baroda (Botswana) Ltd.	बोत्सवाना / Botswana	100.00	100.00	
ii) बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि.	ii) Bank of Baroda (Kenya) Ltd.	केन्या / Kenya	86.70	86.70	
iii) बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि.	iii) Bank of Baroda (Uganda) Ltd.	यूगांडा / Uganda	80.00	80.00	
iv) बैंक ऑफ बड़ौदा (गयाना) आइएनसी	iv) Bank of Baroda (Guyana) Inc.	गयाना / Guyana	100.00	100.00	
v) बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि.	v) Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.	तंजानिया / Tanzania	100.00	100.00	
vi) बैंक ऑफ बड़ौदा त्रिनिदाद एवं टोबेगो लिमिटेड	vi) Bank of Baroda Trinidad & Tobago Ltd.	त्रिनिदाद एवं टोबेगो Trinidad & Tobago	100.00	100.00	
vii) बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि.	vii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd.	घाना / Ghana	100.00	100.00	
viii) बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैन्ड) लि.	viii) Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.	न्यूजीलैन्ड / New Zealand	100.00	100.00	
बी) गैर बैंकिंग	b) Non Banking:				
i) बॉब (यू के) लि.	i) BOB (UK) Ltd.	यूनाइटेड किंगडम / United Kingdom	100.00	100.00	

1.2 सहयोगी इकाइयां

समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों (सीएफएस) में समाहित सहयोगी इकाइयों के विवरण निम्नलिखित हैं :

1.2 Associates:

The particulars of Associates considered in the CFS are as under:

नाम	Name	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	मूल संस्था का हिस्सा (%) Parent's ownership Interest (%) as on	31.03.17	31.03.16
(ए) इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड	a) Indo Zambia Bank Limited	जाम्बिया / Zambia	20	20	



नाम	Name	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	मूल संस्था का हिस्सा (%) Parent's ownership Interest (%) as on	
			31.03.17	31.03.16
(बी) बड़ौदा पायोनियर असेट मैनेजमेन्ट कंपनी लि.	b) Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.	भारत / India	49	49
(सी) बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.	c) Baroda Pioneer Trustee Company Private Limited	भारत / India	49	49
(डी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:-	d) Regional Rural Banks			
i) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	भारत / India	35	35
ii) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पहले का बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक)	ii) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Erstwhile Baroda Rajasthan Gramin Bank)	भारत / India	35	35
iii) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	iii) Baroda Gujarat Gramin Bank	भारत / India	35	35

1.3 संयुक्त उद्यम

1.3 Joint Ventures:

नाम / Name	देश जहां विद्यमान है Country of Incorporation	मूल संस्था का हिस्सा Percentage of Ownership as on	
		31.03.17	31.03.16
a) इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. India First Life Insurance Company Ltd.	भारत / India	44	44
b) इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. India International Bank (Malaysia) Bhd.	मलेशिया / Malaysia	40	40
c) इण्डिया इन्फ्राडेब्ट लि. India Infradebt Ltd.	भारत / India	30	30

2. सहयोगी इकाइयों में निवेश का विवरण

2. Particulars of the Investment in Associates:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. नं.	विवरण	Sr. No.	Particulars	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
ए.	सहयोगी इकाइयों में निवेश की लागत	a.	Cost of Investment in Associates	257.49	257.49
बी.	उपर्युक्त (क) में शामिल अधिग्रहण पर साख	b.	Goodwill on acquisition included in (a) above	--	--
सी.	उपर्युक्त (क) में अधिग्रहण पर प्रारक्षित पूंजी	c.	Capital reserve on acquisition included in (a) above	25.27	25.27
डी.	पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि एवं विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के कारण परिवर्धन	d.	Additions on account of Revaluation reserve & Foreign Currency Translation reserve	2.66	2.46
ई.	अधिग्रहण उपरान्त साख / आरक्षित पूंजी के लाभ (शुद्ध) का अंश	e.	Share of post acquisition profits (Net) of Goodwill/ Capital Reserve	657.50	579.98
एफ.	31 मार्च को निवेश (क-ख-ग + घ + ड)	f.	Investment as at 31 st March (a -b-c+d+e)	892.38	814.66
जी.	भारत में निवेश	g.	Investment in India	799.08	736.50
एच.	भारत के बाहर निवेश	h.	Investment outside India	93.38	78.16
आई.	कुल (घ + ज)	i.	Total (g + h)	892.38	814.66

3. अनुषंगियों /सहयोगी इकाइयों के वित्तीय विवरण-पत्र

3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates:

3.1. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी इकाइयों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण-पत्र उसी रिपोर्टिंग तारीख के लिए, अर्थात् 31 मार्च, 2017 के लिए तैयार किए गए हैं, जिस तारीख के मूल संस्था के

3.1 The audited financial statements of the Subsidiaries, Joint Venture's and Associates have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e.



लिए तैयार किए गए हैं, सिवाय इनके बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लि.(इसकी संपूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बैंक ऑफ़ बड़ौदा कैपिटल मार्केट (यूगांडा) लि. को शामिल करते हुए), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि., बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि., बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि., इंडिया इन्टरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी, (आईआईबीएमबी) तथा इंडो जांबिया बैंक लि. को छोड़कर, जिनके विवरण पत्र 31 दिसंबर, 2016 की स्थिति के अनुरूप तैयार किए गए हैं. प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित 01 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2017 के बीच समायोजन योग्य ऐसे कोई उल्लेखनीय संव्यवहार अथवा अन्य कार्य नहीं हुए हैं.

3.2 बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस लि., बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि., बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा त्रिनिदाद व टोबेगो लि. के अलेखापरीक्षित वित्तीय परीणामों पर समेकन के उद्देश्य से विचार किया गया.

3.3 31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु निम्नलिखित देशीय अनुषंगियों के खाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अध्वधीन हैं :

- 1) बॉब कैपिटल मार्केट्स लि.
- 2) बॉब कार्ड्स लि.

4. पूंजीगत प्रारक्षित निधि

पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि से एचटीएम प्रतिभूति बिक्री पर लाभ (कर एवं सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरण का निवल) तथा निर्यात विकास परियोजनाओं, लघु / मध्यम उद्योगों के लिए / औद्योगिक निर्यात परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल हैं.

5. करों के लिए प्रावधान

5.1 आयकर का प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए तथा परामर्शदाताओं के परामर्श से किया गया है.

5.2 असमाकलित परिचालनों की मौद्रिक सामग्री पर विनिमय अंतर संबंधी सीबीटीडी द्वारा अधिसूचित आय गणना एवं प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस), जो कि 01.04.2016 से प्रभावी है, यह आवश्यक है कि कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के संदर्भ में विगत वर्ष की आय गणना में यह उस सीमा तक शामिल हो, जिस सीमा तक पहले शामिल नहीं हुआ. दि. 01-04-2016 को एफसीटीआर में शेष राशि ₹. 2238.55 करोड़ है. मूल बैंक ने परामर्शदाता की कानूनी राय के आधार पर कर योग्य आयकी गणना करने हेतु एफसीटीआर के प्रारंभिक शेष को शामिल नहीं किया गया है, परिणामस्वरूप ₹. 774.71 करोड़ कर की रसहि का प्रावधान नहीं हुआ है. इसके अतिरिक्त, यह वर्ष हेतु लाभ को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि इस पर आस्थगित कर राशि (डीटीए) को भी उस सीमा तक शामिल नहीं किया गया है.

6. प्रारक्षितों से आहरण द्वारा गिरावट

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के दौरान प्रारक्षितों से आहरण द्वारा गिरावट नहीं हुई है.

31st March, 2017 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd, (including its wholly-owned subsidiary Baroda Capital Markets (Uganda) Ltd.), Bank of Baroda (Kenya) Ltd., Bank of Baroda (Ghana) Ltd., Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB) and Indo Zambia Bank Ltd. which have been drawn up to 31st December, 2016. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during 1st January, 2017 to 31st March, 2017 requiring adjustment therein.

3.2 The Unaudited Financial Results of Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Baroda Global Shared Services Ltd, Bank of Baroda (Botswana) Ltd, Bank of Baroda (New Zealand) Ltd & Bank of Baroda Trinidad & Tobago Ltd are considered for Consolidation purpose.

3.3 The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31st March, 2017 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) of the Companies Act, 2013:

- 1) BOB Capital Markets Ltd.
- 2) BOB Cards Ltd.

4. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, profit on sale of HTM securities (net of tax and transfer to Statutory Reserve) and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects / Industrial Export Projects for small / medium scale industries.

5. Provision for Taxes

5.1 Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

5.2 In terms of Income computation and Disclosure Standard (ICDS) notified by CBDT, which are effective from 01.04.2016 pertaining to exchange difference on monetary items of non-integral operations is required to be recognized in the income computation of the previous year relevant to A.Y 2017-18 to the extent not recognized earlier. The balance in FCTR as on 01.04.2016 amounts to ₹ 2238.55 Crs. Based on the legal opinion of counsel, parent bank has not considered the opening balance of FCTR for computing taxable income and consequently tax amounting to ₹ 774.71 crores has not been provided for. Further, this will not impact profit for the year since Deferred Tax Asset (DTA) on the same has also not been recognised to that extent.

6 Draw Down from Reserves

During the Financial Year 2016-17, there has been no draw down from the reserves.



7. अस्थायी प्रावधान

7. Floating Provision

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
ए. अस्थाई प्रावधान खातों में प्रारंभिक शेष	a. Opening balance in the floating provisions account	466.12	466.12
बी. लेखा वर्ष में किए गए अस्थाई प्रावधानों का परिमाण	b. The quantum of floating provisions made in the accounting year	12.15	0.00
सी. लेखा वर्ष के दौरान आहरित राशि	c. Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
डी. अस्थाई प्रावधान खातों में अंतिम शेष	d. Closing balance in the floating provisions account	478.27	466.12

8. प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग-अलग विवरण

लाभ एवं हानि खाते में दर्शाए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग अलग विवरण निम्नानुसार है :

8. Break up of Provisions and Contingencies

The break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
बट्टेखाते डाले गए ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान	Bad debts written off / Provision made towards NPA	8151.19	14089.37
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज छोड़ देने हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in Restructured standard and sub-standard accounts	-327.16	-241.82
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management	-13.15	-12.81
करों के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	Provision for taxes (including deferred Taxes)	1246.93	-1179.58
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	Provision for depreciation on investment	34.46	340.38
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	779.34	-255.04
कर्मचारी कल्याण व्यय हेतु प्रावधान	Provision for staff welfare expenses	25.00	25.00
अन्य	Others	790.67	2008.90
कुल	Total	10687.28	14774.40

9. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों (एएस) की शर्तों के अनुसार प्रकटीकरण

9.1 एएस-5 इस अवधि, पूर्व की अवधि के लिए शुद्ध लाभ एवं हानि की मदों तथा लेखनीतियों में परिवर्तन

10.1.1 आईसीएआई द्वारा जारी लेखानमानक (एएस) - १५ के अनुरूप, मूल बैंक के कर्मचारी हितों प्रावधान किया है. इसकी गणना बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा की गई है.

9. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

9.1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies

9.1.1 Parent bank has been providing for employee benefits in accordance with the accounting standard (AS) -15 issued by ICAI. The same is calculated by actuarial valuation.



9.2 ए एस-15 - कर्मचारी लाभ (मूल)

प्रकटीकरण -

मूल बीमांकिक धारणा (भारित औसत के रूप में व्यक्त)

9.2 AS-15 Employee Benefits [Parent]

Disclosures

Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

		योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	उपदान Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
डिस्काउंट दर	Discount rate	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
गोस दर	Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ दर	Expected Rate of Return on plan Assets	8.00%	N/A	8.00%	N/A

मोर्टलिटी रेट : आईएएलएम (2006-2008)

टिप्पणी : बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र दिनांक 24 मार्च, 2014 के अनुसार अधिवाषिता योजना उपलब्ध कराई है. प्रबंधन का यह मानना है कि उन्होंने आरबीआई पत्र के अनुरूप बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पर्याप्त प्रावधान किया है.

देयताओं के आरंभिक और अंतिम शेष का समाधान

Mortality Rate : IALM (2006-2008)

Note: The bank has provided for superannuation schemes as per the RBI letter dated March 24, 2014. The management is of the view that they have made adequate provision as per the RBI letter based on the actuarial valuation.

Reconciliation of opening and closing balance of liability

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	उपदान Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
1/4/2015 को पीवीओ	PVO as at 01.04.2016	11947.17	881.23	1346.55	375.96
जोड़ें- ब्याज की लागत	Add- Interest Cost	862.74	64.07	91.20	25.68
जोड़ें- चालू सेवा लागत	Add- Current Service Cost	1239.76	44.45	105.25	11.81
घटायें- प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	888.00	53.92	261.00	67.15
जोड़ें- दायित्व पर बीमांकिक हानि/लाभ(-)	Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	-350.67	-28.86	67.82	0.52
31.03.2016 को पीवीओ	PVO as at 31.03.2017	12811.00	906.96	1349.82	346.81

योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक एवं अंतिम शेष का समाधान

Reconciliation of opening & closing balance of fair value of plan assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN	
		पेंशन Pension	उपदान Gratuity
1/4/2016 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of plan assets as on 01-04-2016	9031.10	1325.99
जोड़ें- योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	Add- Expected Return on Plan Assets	722.49	106.08
जोड़ें- अंशदान	Add- Contributions	3423.30	20.56
घटायें- प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	888.00	261.00
जोड़ें- बीमांकिक लाभ / (-) हानि	Add- Actuarial gain/(-)loss	348.78	48.14
31.03.2017 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2017	12637.67	1239.77



तुलन-पत्र में मान्य राशि

Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

			योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN			
			पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	उपदान Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
ए)	31.03.2016 को दायित्व का पीवी	a) PV of obligation as on 31.03.2017	12811.00	906.96	1349.83	346.81
बी)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	b) Fair value of plan assets	12637.67	--	1239.77	--
सी)	अन्तर	c) Difference	173.33	906.96	110.06	346.81
डी)	अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	d) Unrecognised transitional liability	--	--	--	--
ई)	तुलनपत्र में मान्य देयता	e) Liability Recognised in the BS	173.33	906.96*	110.06	346.81

(* पूर्ण राशि हेतु बही में किया गया प्राक्धान)

(* Provision made in books for full amount)

लाभ-हानि खाते में निर्धारित राशि

Amount recognized in the P & L Account

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

			योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN			
			पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	उपदान Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
क)	चालू सेवा लागत	a) Current Service Cost	1239.76	44.45	105.25	11.81
ख)	ब्याज लागत	b) Interest Cost	862.74	64.07	91.20	25.68
ग)	योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	c) Expected Return on Plan Assets	722.49	0.00	106.08	0.00
घ)	शुद्ध बीमांकिक हानि/लाभ (-)	d) Net Actuarial Loss/gain(-)	-699.46	-28.86	19.69	0.52
ङ)	वर्ष के दौरान निर्धारित संक्रमणीय देयता	e) Transitional liability recognized in the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित खर्च	Expenses Recognized in P&L	680.55	79.66	110.06	38.00

अगली अवधि (2016-17) के लिए संभावित अंशदान

Expected contribution for next period (2017-18)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN	
		पेंशन Pension	उपदान Gratuity
संभावित अंशदान	Expected contribution	725	175



निवेश पैटर्न

Investment Pattern

(%में / in %)

विवरण	Particulars	योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN	
		पेंशन Pension	उपदान Gratuity
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	Central Govt. Securities	16.28	22.00
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	State Government Securities	24.52	24.39
कार्पोरेट (पीएसयू)	Corporate (PSU)	13.91	18.61
कार्पोरेट (निजी)	Corporate (Private)	1.91	0.81
अन्य	Others	43.38	34.19
कुल	Total	100.00	100.00

10.3 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस 17)

लेखा मानक 17 - सेगमेंट रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण -
भाग ए: व्यवसाय सेगमेंट

10.3 Segment Reporting (AS - 17)

Accounting Standard 17 - Disclosure under Segment Reporting
Part A: Business Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

व्यवसाय सेगमेंट	Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		बैंकिंग एवं अन्य परिचालन Banking & Other Operations		कुल Total	
		2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व	Revenue	18346.05	16175.99	19399.58	22377.82	12661.90	11546.18	2002.70	1691.18	52410.23	51791.17
परिणाम	Result	5260.97	2706.92	-2823.12	-5748.45	2555.66	-1331.31	527.07	562.36	5520.58	-3810.49
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense									2458.67	2436.78
परिचालनगत लाभ	Operating Profit									3061.91	-6247.27
आयकर	Income taxes									1246.93	-1179.58
विशिष्ट लाभ / हानि	Extra-ordinary Profit/loss									--	--
शुद्ध लाभ	Net Profit									1814.98	-5067.68
अन्य सूचना	Other Information										
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	293047.22	272218.52	296655.70	297735.00	113585.32	105505.11	4689.42	2887.60	707977.66	678346.23
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									11242.85	12832.85
कुल आस्तियां	Total Assets									719220.51	691179.08
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	275499.28	255478.79	278891.69	279426.17	106783.73	99017.21	4408.61	2710.03	665583.32	636632.20
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									10569.63	12043.71
कुल देयताएं	Total Liabilities									676152.94	648675.92
नियोजित पूंजी	Capital Employed	17547.93	16739.73	17764.01	18308.83	6801.59	6487.90	280.81	177.57	42394.34	41714.02
अनाबंटित	Unallocated									673.23	789.14
कुल नियोजित पूंजी	Total Capital Employed									43067.57	42503.16



भाग-ख : भौगोलिक सेगमेंट

Part B: Geographical Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	देशीय परिचालन		अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन		कुल	
		Domestic Operations	2015-16	International Operations	2015-16	Total	2015-16
		2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व	Revenue	45976.70	45643.85	6433.53	6147.32	52410.23	51791.17
आस्तियां	Assets	505461.14	453678.00	213759.37	237501.08	719220.51	691179.08

टिप्पणी :

- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लेखांकन मानकों के अनुपालन में बैंक ने ट्रेजरी ऑपरेशन, होलसेल, रिटेल और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक कारोबार सेगमेंट और देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय को गौण / भौगोलिक सेगमेंट के रूप में अपनाया है।
- बैंकिंग एवं अन्य परिचालनों में अन्य बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग परिचालन शामिल हैं।
- सेगमेंट राजस्व, बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है।
- प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को सेगमेंट की आस्तियों के आनुपातिक तौर पर आबंटित किया गया है।

Notes :

- As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, parent bank has adopted Treasury Operations, Wholesale, Retail and other Banking Operations as Primary business segments and Domestic and International as Secondary / Geographic segments.
- Banking & Other operations includes other banking operations and non-banking operations
- Segment revenue represents revenue from external customers.
- Capital Employed for each Segment has been allocated proportionate to the assets of the Segment.

10.4 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18)

10.4 Related Party Disclosures (AS-18) (Parent)

S. No	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक Remuneration (₹)	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	श्री पी एस जयकुमार Shri P.S. Jayakumar	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ MD & CEO	30,78,225/-	11,11,975/-
2	श्री मयंक मेहता Shri Mayank Mehta	कार्यपालक निदेशक Executive Director	26,20,322/-	3,35,420/-
3	श्री अशोक कुमार गर्ग Shri Ashok Kumar Garg	कार्यपालक निदेशक (16.08.2016 से) Executive Director (w.e.f 16.08.2016)	16,01,143/-	0.00
4	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता Smt. Papia Sengupta	कार्यपालक निदेशक (01.01.2017 से) Executive Director (w.e.f 01.01.2017)	6,04,537/-	0.00
5	श्री भुवनचंद्र बी. जोशी Shri Bhuwanchandra B. Joshi	कार्यपालक निदेशक (30-09-2016 तक) Executive Director (up to 30-09-2016)	21,65,205/-	20,70,397/-
6	श्री के. वेंकट रामामूर्ती Shri K Venkata Rama Moorthy	कार्यपालक निदेशक (28-08-2015 तक) Executive Director (up to 28-08-2015)	0.00	7,68,620/-
7	श्री रंजन धवन Shri Ranjan Dhawan	कार्यपालक निदेशक (30-09-2015 तक) Executive Director (up to 30-09-2015)	0.00	17,41,686/-

10.5 प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

10.5 Earnings per Share (AS-20)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
i.	इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में) Net Profit after tax available for Equity shareholders (Rs in crores)	1814.98	-5067.68
ii.	इक्विटी शेयरों की संख्या Number of Equity Shares	230,41,59,598	225,84,62,435
iii.	₹ 2 प्रत्येक के प्रति शेयर मूल व डायल्यूटेड अर्जन Basic and diluted earnings per share of 2/- each (Rs)	7.88	-22.44
iv.	प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य Nominal Value per Equity Share	₹ 2	₹ 2



10.6 आय पर कर गणना (एस-22)

10.6 Accounting for Taxes on Income (AS-22)

ए. आस्थगित कर आस्ति (निवल)

a. Deferred Tax Assets (Net)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
		आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्तियां Asset	देयता Liability
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास के बीच अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	7.41	--	12.16	-
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कटौतियां	Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961				
अन्य	Others	--		0.66	-
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	6032.09		4439.48	-
एचटीएम प्रतिभूतियों पर मूल्यहास	Depreciation on HTM Securities				-
आयकर अधिनियम की धारा 40(ए) (आई ए) के तहत अमान्य राशि	Amount Disallowable U/S 40(a)(ia) of the IT Act	4.02		1.93	-
छुट्टी नकदीकरण एवं वेतन संशोधन हेतु प्रावधान	Provision for leave encashment & Wage Revision	317.83		276.71	-
विदेशी मुद्रा संव्यवहार प्रारक्षित	Foreign Currency Translation Reserve	66.92		194.8	
निवेश की खरीद पर अपरिशोधित बट्टा	Unamortized discount on purchase of Investment	--		39.49	
कुल	Total:	6428.27		4965.23	-
शुद्ध आस्थगित कर देयता / आस्तियां	Net Deferred tax Asset/ Liabilities	6428.27		4965.23	

बी. आस्थगित कर देयता (निवल)

b. Deferred Tax Liabilities (Net)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
		आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्तियां Asset	देयता Liability
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास के बीच अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act		103.64		75.90
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कटौतियां	Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961		1775.55		1534.52
एचटीएम प्रतिभूतियों पर मूल्यहास	Depreciation on HTM Securities		96.14		96.14
अन्य	Others				1.79
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances				
आयकर अधिनियम की धारा 40(ए) (आई ए) के तहत अमान्य राशि	Amount Disallowable U/S 40(a)(ia) of the IT Act				
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	Provision for leave encashment				
विदेशी मुद्रा संव्यवहार प्रारक्षित	Foreign Currency Translation Reserve		121.93		
निवेश की खरीद पर अपरिशोधित बट्टा	Unamortized discount on purchase of Investment				
कुल:	Total:		2097.26		1708.35
शुद्ध आस्थगित कर देयता / आस्तियां	Net Deferred tax Liability /Asset	4331.01		3256.88	



10.7 एस-24 परिचालन बंद करना

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा के परिचालन को बंद करने संबंधी कार्यवाही नहीं की है, फलस्वरूप देयताओं को कम करके आस्तियों की वसूली की जा सकी है और संपूर्ण बैंक स्तर पर अपने परिचालन में किसी कार्यवाही की समाप्ति, जिससे उपरोक्त प्रभाव पड़े, संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है।

10.8 एस-28 आस्तियों का अनर्जक बनना

लेखा मानक-28 "आस्तियों का अनर्जक बनना" एस 28 के खंड 5 से खंड 13 के अंतर्गत आस्तियों का अनर्जक बनने के विषय में कोई महत्वपूर्ण उल्लेख न होने के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में अचल आस्तियों की कोई भी क्षति अपेक्षित नहीं है।

10.9 एस-29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

देयताओं के लिए प्रावधानों का संचालन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

10.7 AS-24 Discontinuing operations

During the financial year 2016-17 the Group has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect.

10.8 AS-28 Impairment of Assets

In view of the absence of indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of AS 28 Impairment of Assets, no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

10.9 AS-29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

Movement of provisions (excluding provisions for others)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	मुकदमों / आकस्मिकताएं Legal Cases / Contingencies	
		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1 अप्रैल 2016 को शेष	Balance as on 1 st April 2016	34.13	30.72
वर्ष के दौरान प्रावधान किए गए	Provided/Adjustment during the year	6.23	3.41
31 मार्च 2017 को शेष	Balance as at 31 st March 2017	40.36	34.13
बहिर्गमन / अनिश्चितताओं का समय	Timing of Outflow / uncertainties	निपटान / क्रिस्टलीकरण का आउटप्लो Outflow on settlement / crystallization	

11. आकस्मिक देयताएं

तुलनपत्र की अनुसूची 12 के क्र. सं. (I) से (VI) में उद्धृत देयताएं क्रमशः अदालत के निर्णय / मध्यस्थ के फैसले / अदालत के बाह्य निस्तारण/ अपील के निपटारे किए जाने की शर्तानुसार मांगी गई राशि संबद्ध पार्टियों द्वारा संविदात्मक दायित्व की शर्तों, विकास एवं मांग ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

12. नियामक द्वारा लगाया गया जुर्माना

वर्ष के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की आयात के संबंध में फेमा के उल्लंघन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ₹. 5,00,00,000/- की पेनल्टी लगायी गयी , पेकेट में गंदे /जाली नोटों के लिए करेंसी चेस्ट पर ₹. 40,51,869/- की पेनल्टी लगायी गयी.

आस्तियों के जोखिम वर्गीकरण संबंधी विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का उल्लंघन के लिए ₹. 6,67,000/- की पेनल्टी लगाई गई. ओमान टैरिटरिजपर यूरो मास / बीजा (ईएमवी) उन्नयन परियोजना के लिए ₹. 8,70,000/- की पेनल्टी लगायी गई. युगांडा अनुषंगी पर देश के अंतर्गत

11. Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgement / arbitration awards / out of court settlement / disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

12. Penalty Imposed by Regulators

During the year penalty of Rs 5,00,00,000/- was levied by Reserve Bank of India for FEMA violations related to Import of Goods & Services, penalty of Rs 40,51,869/- was levied by RBI for forged/soiled notes in currency chest.

Penalty of Rs 6,67,000/- was levied on Kenya subsidiary for violation under prudential guidelines for risk classification of Assets and provisioning and violation of prudential guidelines on outsourcing. Penalty of Rs 8,70,000/- was levied in OMAN territory due to delay in Euro Master Visa (EMV) up-gradation project. Rs 57,04,000/- was levied as penalty in Uganda subsidiary



प्राथमिक डेटा सेंटर एवं डिजास्टर रिकरवी साईट की स्थापना न करने के लिए ₹ 57,04,000/- की पेनल्टी लगायी गई.

13. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूल बैंक एवं अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरण-पत्रों में प्रकट की गई अतिरिक्त सूचना का सीएफएस के सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण से संबंध नहीं है और साथ ही ऐसी मदों से संबंधित सूचना को, जो महत्वपूर्ण नहीं है, सीएफएस में प्रकट नहीं किया गया है.

13-1 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी अथवा आरिस्ट पुनर्निर्माण को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण.

वर्ष के दौरान मूल बैंक ने निष्पादक वित्तीय आस्तियों को बेच दिया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

for not establishing an in country primary data center and Disaster Recovery Site.

13. Additional Disclosures:

Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent and the Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the CFS and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.

13-1 Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company or Asset Reconstruction

During the year, the parent bank has sold Performing financial assets, the detail of which is as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
(i) खातों की संख्या	(i) No. of accounts	-	-
(ii) एससी/आरसी को बेचे गये खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	-	-
(iii) कुल स्वीकृति	(iii) Aggregate consideration	-	-
(iv) पिछले वर्षों में स्थांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त स्वीकृति	(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-
(v) शुद्ध बही मूल्य का कुल लाभ / (हानि)	(v) Aggregate gain/(loss) over net book value	-	-

13-2 लेखांकन मानक (एएस) 11 बैंकों द्वारा अनुपालन संबंधी दिशा-निर्देशों के विषय में आरबीआई के परिपत्र - स्पष्टीकरण दि. 18 अप्रैल, 2017 के अनुरूप, विदेशी परिचालनों से संचित लाभ अथवा प्रतिधारित उपार्जन का स्वदेश प्रत्यावर्तन पर, बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा संव्यवहार प्रारक्षित निधि में रखे गए समानुपातिक विनियम लाभों अथवा हानियों को लाभ-हानि खाते में शामिल करने की अनुमति नहीं है. तदनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान ₹. 193.36 करोड़ के विनिमय लाभ को विदेशी कार्यालयों से आय के रूप में निधियों की प्राप्ति / प्रत्यावर्तनको शामिल नहीं किया है.

इसके अतिरिक्त बैंक प्रबंधन का यह मत है कि उपर्युक्त परिपत्र की प्रकृति भूतलक्षी नहीं है, अतः ₹. 302.97 करोड़ के विनिमय लाभ को जिसे पिछले वर्ष विदेशी कार्यालयों से निधि प्रत्यावर्तन आय में शामिल किया गया था, पुनः वापस नहीं किया गया.

13-3 मूल संस्था ने जमानती अवमानक अग्रिमों के लिए 15% की विनियामक अपेक्षाओं की तुलना में @20% की दर से प्रावधान किया है. तथापि गैर जमानती अवमानक (सब स्टैंडर्ड) अग्रिमों के लिए बैंक ने विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप @25% की दर से प्रावधान किया है.

13-4 वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, समूह / कंपनी पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित / पुनःप्रस्तुत / पुनःसमुहिकृत किया गया है.

13-2 As per the RBI circular on 'Guidelines on compliance with Accounting Standard (AS) 11 [The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates] by banks - clarification' dated April 18, 2017, on repatriation of accumulated profits or retained earnings from overseas operations, banks are not permitted to recognize the proportionate exchange gains or losses, held in the foreign currency translation reserve, in the profit and loss account. Accordingly, the Bank has not recognized exchange gain of Rs. 193.36 crores, as income, arising on repatriation of funds from foreign offices during the years.

Further, the Bank management is of the opinion that the said circular is not retrospective in the nature, hence exchange gain of Rs. 302.97 crores recognized as income in previous year on repatriation of funds from foreign offices has not been reversed.

13-3 The Parent has made provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advance as against the Regulatory requirement of 15%. However on unsecured sub standard advances, the bank has made provision @ 25% as per regulatory requirement

13-4 Previous year figures of the group entities have been rearranged / recast / regrouped wherever considered necessary to conform current year's presentation.



31 मार्च 2017 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा का समेकित नकदी प्रवाह विवरण पत्र
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2017

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2016
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	A. Cash flow from operating activities:		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ	Net Profit before taxes	3061,90,71	(6247,26,62)
निम्नलिखित के लिए समायोजन	Adjustments for:		
अचल आस्तियों पर मूल्यांश	Depreciation on fixed assets	539,97,37	525,10,86
निवेशों पर मूल्य ग्राह्य (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)	Depreciation on investments (including on Matured debentures)	34,46,26	340,38,27
बूटे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/ गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	7824,03,31	13847,55,42
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	779,33,97	(255,03,67)
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other items	802,52,01	2021,07,77
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/(हानि)	(Profit)/loss on sale of fixed assets	(77,96,25)	(2,21,08)
गौण ऋणों पर ब्याज लाभ/प्रावधान, (अलग से लिया गया)	Payment/provision for interest on subordinated debt(treated separately)	1130,73,39	1174,31,77
उप जोड़	Sub total	14095,00,77	11403,92,72
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in investments	(11856,83,88)	(4495,47,53)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in advances	(8600,34,43)	30081,94,97
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(increase)/Decrease in other assets	(1251,87,67)	(8418,63,60)
उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease)in borrowings	(3535,69,90)	(1280,56,67)
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in deposits	30566,39,82	(43290,78,22)
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	(2800,46,43)	4617,53,76
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का शुद्ध)	Direct taxes paid (Net of Refund)	1248,64,54	1370,73,57
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी (क)	Net cash from operating activities (A)	17864,82,81	(10011,31,00)
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	B. Cash flow from investing activities:		
अचल आस्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	(828,45,41)	(4049,36,08)
अचल आस्तियों की बिक्री	Sale of fixed assets	277,83,07	44,26,48
निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)	Net cash from investing activities (B)	(550,62,35)	(4005,09,60)



(₹ in 000's)

		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2017	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2016
ग. वित्तीय प्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	C. Cash flow from financing activities:		
शेयर पूंजी	Share Capital	-	18,53,27
शेयर प्रीमियम	Share premium	-	1767,46,72
गैर जमानती गौण बांड	Unsecured Subordinated Bonds	932,47,50	(375,72,50)
लाभांश	Dividend	-	(851,68,71)
गैर जमानती प्रतिदेय बांडों पर प्रदत्त / देय ब्याज	Interest paid / payable on unsecured redeemable bonds	(1130,73,39)	(1174,31,77)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)	Net cash from financing activities (C)	(198,25,89)	(615,72,99)
नकदी एवं नकदी समतुल्य (क)+(ख)+(ग) में शुद्ध वृद्धि	Net increase in cash & cash equivalents (A) + (B) + (C)	17115,94,57	(14632,13,59)
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	136999,05,39	151631,18,98
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the year	154114,99,96	136999,05,39
टिप्पणी	Notes:		
1 नकदी तथा नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्पावधि नोटिस पर मुद्रा शामिल हैं.	1 Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.		
2 नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक	2 Components of Cash & Cash Equivalents	As on 31st March 2016	As on 31st March 2015
भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष	Cash & Balance with RBI	23915,13,47	22810,75,34
बैंकों के साथ शेष तथा मांग एवं अल्पावधि नोटिस पर मुद्रा	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	130199,86,49	114188,30,05
जोड़	Total	154114,99,96	136999,05,39



बैंक ऑफ़ बड़ौदा के समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

Auditors' Report on Consolidated Financial Statements of Bank of Baroda

सेवा में,

निदेशक मंडल,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

1. हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा ('द ग्रुप') के 31 मार्च, 2016 के संलग्न समेकित तुलन पत्र और उसके साथ संलग्न उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ-हानि विवरण और उक्त तारीख को समेकित नकदी प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है। इनमें निम्नलिखित के खाते शामिल किए गये हैं:
 - i. हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 13 मई 2016 के अनुसार हमारे द्वारा लेखा परीक्षित बैंक ऑफ़ बड़ौदा (द बैंक) के लेखा परीक्षित खाते,
 - ii. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 12 अनुषंगियों तथा 3 सहयोगी इकाइयों, 3 संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षित खाते,
 - iii. 3 सहयोगी इकाइयों के अलेखापरीक्षित खाते.

वित्तीय विवरण-पत्रों हेतु प्रबंधन का दायित्व

समेकित वित्तीय विवरण-पत्र बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है तथा इन्हें प्रबंधन द्वारा अनुषंगियों एवं सहयोगी इकाइयों तथा संयुक्त उद्यमों के अलग वित्तीय विवरण-पत्रों तथा अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों के बारे में हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर हमारी राय व्यक्त करना है।

2. बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों को लेखा मानक एएस-21 (समेकित वित्तीय विवरण-पत्र) और लेखा मानक एएस-23 (समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों में अनुषंगियों में निवेश हेतु लेखांकन) तथा लेखा मानक एएस-27 (संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग) के आधार पर इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमने समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों की लेखा परीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि हमें यह तर्क संगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरण-पत्र निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग के फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किए गए हैं, तथा सभी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में, जांच आधार पर परीक्षण, राशियों और वित्तीय विवरण-पत्रों के प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य शामिल हैं। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण और महत्वपूर्ण आकलन भी शामिल हैं। इसमें समग्र वित्तीय विवरण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारी राय का तर्क संगत आधार उपलब्ध कराती है।

To

The Board of Directors,

Bank of Baroda

- 1 We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of Bank of Baroda (the "Group") as at March 31, 2017, the Consolidated Statement of Profit and Loss for the year ended on that date and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date, annexed thereto, in which are incorporated:
 - i) Audited Accounts of the Bank of Baroda (The Bank), audited by us, vide our audit report dated May 18, 2017;
 - ii) Audited Accounts of 9 Subsidiaries, 5 Associates and 3 Joint Ventures, audited by other Auditors;
 - iii) Unaudited accounts of 4 subsidiaries and 1 associates.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Consolidated Financial Statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding subsidiaries, associates & joint ventures. Our responsibility is to express our opinion on these Consolidated Financial Statements based on our audit.

- 2 These Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of AS 21 (Consolidated Financial Statements), AS 23 (Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements) and AS 27 (Financial Reporting of Interest in Joint Ventures) issued by the ICAI and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

- 3 We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with the Auditing Standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.



4. समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों में निम्नलिखित शामिल है.

- ए) 9 विदेशी अनुषंगियों एवं 1 विदेशी संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण-पत्र, जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की है. इनके वित्तीय विवरण-पत्रों में 31 मार्च 2016 को कुल आस्तियां ₹ 10566.88 करोड़ का उल्लेख है और वर्ष के अन्त में ₹ 1066.01 करोड़ का कुल राजस्व तथा ₹ 259.54 करोड़ का नकदी प्रवाह है. इनमें से 4 विदेशी अनुषंगियां एवं 1 संयुक्त उद्यम जिनके लेखे 31 दिसंबर 2015 तक के तैयार किए गए हैं और जिन्हें समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों में शामिल किया गया है, प्रबंधन ने यह प्रमाणित किया है कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2016 की अवधि के दौरान कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुई है. उक्त अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण-पत्रों तथा वित्तीय सूचना की स्थानीय रूप से सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) की आवश्यकताओं के अनुसार दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गयी है. प्रबंधन द्वारा भारतीय जीएएपी की अपेक्षाओं के अनुसार इन वित्तीय विवरण-पत्रों को रू पांतरित किया गया है और इनकी स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है और हमारे विचार से उक्त अनुषंगियों के बारे में जहां तक समाविष्ट राशियों का संबंध है, ये मूलतः उन लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर तथा भारतीय जीएएपी में रू पांतरण के आधार पर है जैसा कि ऊपर बताया गया है.
- बी) 3 घरेलू अनुषंगियों तथा 2 घरेलू संयुक्त उद्यमों के आंकड़ें, जिनकी दूसरे लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षा की है. इनके वित्तीय विवरण-पत्रों में 31 मार्च 2015 को कुल आस्तियां 11361.02 करोड़ रू पये तथा वर्ष के अन्त में ₹ 1836.23 करोड़ का राजस्व तथा कुल आय एवं नकदी प्रवाह के रूप में ₹ (242.59) करोड़ का उल्लेख है. 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय परिणामों में समूह के शेयरों का ₹ (37.49) करोड़ का शुद्ध लाभ भी शामिल है और यह समेकित वित्तीय परिणामों में दर्शाया गया है. सहयोगी संस्थाओं के संबंध में जिनके वित्तीय विवरण-पत्र अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किए गए हैं व जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है एवं उनके समेकित वित्तीय परिणामों के बारे में हमारी अब तक की राय के अनुसार इन घरेलू अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों से संबंधित राशियां और प्रकटीकरण केवल दूसरे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.
- सी) समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों में उन 3 सहयोगी संस्थाओं के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरण हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं हैं उनके समेकित वित्तीय परिणामों में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के शेयरों का ₹ 57.59 करोड़ का शुद्ध लाभ भी शामिल है और इसे समेकित वित्तीय परिणाम में दर्शाया

4 Incorporated in the Consolidated Financial Statements are:

- a) Financial statements of 6 overseas subsidiaries and 1 overseas Joint Venture which have not been audited by us, whose financial statements reflect total assets of Rs. 10056.17 crores as at 31st March, 2017 and total revenue of Rs. 1158.54 crores and cash flows amounting to Rs. 260.18 crores for the year then ended. The Consolidated Financial Statement also includes the group's share of net profit of Rs. 15.02 crores for the year ended 31st March 2017 as considered in the consolidated financial statements in respect of 1 overseas associate, whose financial statement have been audited by other auditor. Out of which, 4 (four) overseas subsidiaries, 1(one) joint venture and 1 (one) associate have been drawn up 31st Dec 2016 and included in the Consolidated Financials Statement, the Management has certified that no significant changes have taken place during the period from 1st January 2017 to 31st March 2017. The financial statements and other financial information of said subsidiaries have been audited by other auditors as per the requirement of respective local Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). These financial statements have been converted as per the requirements of Indian GAAP by the management and audited by them and our opinion, in so far it relates to the amounts included in respect of those subsidiaries is based solely on the reports of those auditors and its conversion into Indian GAAP as stated above.
- b) Figures of 3 domestic subsidiaries and 2 domestic joint ventures which have been audited by other auditors, whose financial statements reflect total assets of Rs. 14598.56 crores as at March 31, 2017 and total revenue of Rs. 2400.49 crores and cash flows amounting to Rs. 376.95 crores for the year then ended. The consolidated financial statements also include the group's share of net profit of Rs. 37.85 crores for the year ended 31st March 2017 as considered in the consolidated financial statements in respect of 4 associates, whose financial statement have been audited by other auditors whose report have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these domestic subsidiaries, joint ventures and associates, is based solely on the reports of the other auditors.
- c) Financial statements of 3 overseas subsidiaries and 1 domestic subsidiary which have been unaudited, whose financial statements reflect total assets of Rs. 1855.00 crores as at 31st March, 2017 and total revenue of Rs. 109.84 crores and cash flows amounting to Rs. (105.50) crores for the year then ended. The consolidated financial statements also include the group's share of net profit of ₹ 24.70 crores for the year ended 31st



गया है. यह वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और विवरण हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और उनके समेकित वित्तीय परिणामों के बारे में हमारी अब तक की राय के अनुसार इन सहयोगियों से संबंधित राशियां और प्रकटीकरण केवल ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है. हमारी राय और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं विवरणों के अनुसार यह वित्तीय परिणाम समूह से संबंधित नहीं हैं.

5 राय

हमारी लेखा परीक्षा एवं अन्य लेखा परीक्षकों के अलग वित्तीय विवरण-पत्रों, लेखा परीक्षा न किए गए वित्तीय विवरण-पत्रों और घटकों की अन्य वित्तीय सूचना तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और उपर्युक्त पैराग्राफ 3 तथा 4 के साथ पठित हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी यह राय है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण-पत्र भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक एवं सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं:

- 31 मार्च 2016 को बैंक, बैंक की अनुषंगियों के कार्य व्यवहारों तथा बैंक की सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों (समूह) में हित से संबंधित समेकित तुलन पत्र के संबंध में;
- उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 'ग्रुप' के समेकित लाभ संबंधी समेकित लाभ हानि खाते के संबंध में, और
- उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 'ग्रुप' के नकदी प्रवाह संबंधी समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में.

March 2017 as considered in the consolidated financial statements in respect of 1 domestic associate, whose financial statement is unaudited. These financial statement are unaudited and have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these associates, is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanation given to us by the management, these financial statements are not material to the Group.

5 Opinion

Based on our audit, consideration of reports of other auditors on separate financial statements, consideration of unaudited financial statements and on the other financial information of the components, and to the best of our information and according to the explanations given to us read with paragraphs 3 and 4 above, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

- In the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank, its Subsidiaries and interests in its Associates/ Joint ventures (Group) as on 31st March 2017;
- In the case of the Consolidated Statement of Profit & Loss, of the consolidated Profit of the "Group" for the year ended on that date, and
- In the case of Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the "Group" for the year ended on that date.

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263N
For **Wahi & Gupta**
Chartered Accountants
FRN : 002263N

(अनुज गुप्ता)
भागीदार
एम नं. 076560
(Anuj Gupta)
Partner
M No. : 076560

कृते एस आर गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537C
For **S R Goyal & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 001537C

(प्रवीण गोयल)
भागीदार
एम नं. 074789
(Praveen Goyal)
Partner
M No.: 074789

कृते रोडी दबीर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846W
For **Rodi Dabir & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 108846W

(सुधीर दबीर)
भागीदार
एम नं.039984
(Sudhir Dabir)
Partner
M No.: 039984

कृते कल्याणीवाला एण्ड मिस्ट्री एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:
For **Kalyaniwalla & Mistry LLP**
Chartered Accountants
FRN : 104607W/W100166

(डेराइस फ्रेजर)
भागीदार
एम नं. 042454
(Daraius Fraser)
Partner
M No.: 042454

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18 मई, 2017
Place: Mumbai
Date: 18th May 2017



अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के समेकित वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल है।

We hereby declare that Auditors Report on Consolidated Annual Accounts of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2017 contain unmodified opinion.

संजय कुमार
महाप्रबंधक
(एस पी एवं पी बी) तथा सीएफओ

Sanjay Kumar
General Manager
(SP & PB) and CFO

उषा ए. नारायणन
अध्यक्ष
निदेशक मंडल की लेखा समिति

Usha A. Narayanan
Chairperson
Audit Committee of Board

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

P S Jayakumar
Managing Director
& CEO

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263N
For Wahi & Gupta
Chartered Accountants
FRN : 002263N

(अनुज गुप्ता)
भागीदार
एम नं. 076560
(Anuj Gupta)
Partner
M No. : 076560

कृते एस आर गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537C
For S R Goyal & Co
Chartered Accountants
FRN : 001537C

(निकिता गोयल)
भागीदार
एम नं. 142555
(Nikita Goyal)
Partner
M No.: 142555

कृते रोडी दबीर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846W
For Rodi Dabir & Co.
Chartered Accountants
FRN : 108846W

(सुधीर दबीर)
भागीदार
एम नं. 039984
(Sudhir Dabir)
Partner
M No.: 039984

कृते कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 104607W/W100166
For Kalyaniwalla & Mistry LLP
Chartered Accountants
FRN : 104607W/W100166

(डेराइस फ्रेजर)
भागीदार
एम नं. 042454
(Darius Fraser)
Partner
M No.: 042454

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18 मई, 2017
Place: Mumbai
Date: 18th May 2017



सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मण्डल
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण - समेकित

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण) विनियम, 2015 की धारा 17(8) के साथ पठित धारा 33 की अनुपालना स्वरूप हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि

- ए. हमने वर्ष 2016-17 (समेकित) हेतु वित्तीय विवरण-पत्रों की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:
- इन विवरण-पत्रों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है;
 - ये अभिकथन / विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.
- बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो.
- सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बद्ध आन्तरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आन्तरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से सम्बद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है.
- डी. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.
- अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरण-पत्रों के नोट्स में कर दिया गया है; और
 - हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी सम्बंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, जिसकी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग में अहम भूमिका हो.

संजय कुमार
महाप्रबंधक
(एस पी एवं पी बी) तथा सीएफओ

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the quarter/full year ended 31st March 2017 - Consolidated

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, We hereby certify that:

- We have reviewed financial statements for the year 2016-17 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:
 - These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.
 - Significant changes in internal control over financial reporting during the period;
 - Significant changes in accounting policies during the period and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Sanjay Kumar
General Manager
(SP & PB) and CFO

P S JAYAKUMAR
Managing Director & CEO

Date : 18.05.2017

Place : Mumbai

दिनांक : 18.05.2017

स्थान : मुंबई



लाभांश संवितरण नीति

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारक बैंक में शेयर-पूँजी में उनके निवेश पर दो तरीकों से प्रतिफल अर्जित करते हैं:

1. शेयर की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप पूँजीगत मूल्यवृद्धि, एवं
2. आवधिक लाभांश के रूप में नकद प्रतिफल.

बैंक मानता है कि शेयरधारकों को अपनी चलनिधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवधिक लाभांश की आवश्यकता होती है. साथ ही, लाभांश का भुगतान बैंक की भावी संभावनाओं के संकेत के रूप में देखा जाता है. बैंक के ये प्रयास रहते हैं कि अधिक की नकद राशि को अपने शेयरधारकों में संवितरित की जाए.

सामान्यतया, बैंक लाभकर्ता वर्षों में लाभांश का भुगतान करने की अपेक्षा करते हैं. कितनी राशि लाभांश के रूप में संवितरित की जाए, इसका निर्णय निम्नलिखित सहित कई तथ्यों को ध्यान में लेते हुए किया जाता है:

- ए) बैंक का वर्तमान एवं भविष्य का कार्यनिष्पादन.
- बी) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट पूँजी-पर्याप्तता संबंधी आवश्यकता
- सी) बैंक की निवेश एवं विस्तार की योजना, और
- डी) उसके प्रमुख शेयरधारक-भारत सरकार-एवं संस्थागत तथा खुदरा शेयरधारकों की अपेक्षाएं

चूंकि बैंक वैश्विक आधार पर परिचालन कर रहा है, उसके लाभांश संबंधी निर्णय घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों और नियामक-आवश्यकताओं पर आधारित होता है.

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग बैंक की पूँजीगत आवश्यकताओं तथा उसके निवेश के वित्तपोषण की आवश्यकताओं एवं विस्तार संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है. प्रतिधारित अर्जन अनपेक्षित घटनाओं के संबंध में कुशन उपलब्ध कराता है. बैंक निवेश की मांग के साथ उचित नकद प्रतिफल हेतु शेयरधारकों की आवश्यकता के संतुलन का प्रयास करता है.

आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए लाभांश के भुगतान के संबंध में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं:

- बैंक के पास निम्नलिखित होने चाहिए :
- ए) पूरे किए गए दो वर्षों के लिए तथा जिस वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है उस वर्ष के लिए कम से कम 9% का पूँजी से जोखिम वेटेड आस्ति अनुपात (सीआरएआर) तथा
- बी) शुद्ध एनपीए (गैर-निष्पादक आस्तियों) का 7% से कम का स्तर
- सी) यदि बैंक उपरोक्त सीआरएआर मानदंड की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, परंतु जिस वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है उस वर्ष के लिए उसका सीआरएआर कम से कम 9% स्तर पर है, तो उसके शुद्ध एनपीए 5% से कम होने चाहिए.
- लाभांश केवल चालू वर्ष के लाभ से ही भुगतान किया जा सकता है.
- लाभांश पे-आउट अनुपात (अर्थात् कर के बाद लाभ से लाभांश का अनुपात) 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए.

भारत सरकार ने निर्धारित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) 20% की प्रदत्त पूँजी या 20% कर-पश्चात का लाभ-इनमें से जो भी अधिक हो, कम से कम उतना भुगतान करेंगे. यदि कोई बैंक न्यूनतम लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ है तो उसे भारत सरकार से विशिष्ट अनुमति मांगनी चाहिए.

Dividend Distribution Policy

Bank of Baroda's shareholders earn a return on their investment in the Bank's share capital in two ways:

1. Capital appreciation resulting from increase in the share price, and
2. Cash return in the form of a periodic dividend.

The Bank recognizes that its shareholders need periodic dividend to meet their liquidity needs. Also, payment of dividend is seen as a signal of the Bank's future prospects. The Bank endeavours to distribute surplus cash to its shareholders.

Normally, the Bank expects to pay dividend in profitable years. The decision on how much to distribute as dividend takes into consideration a number of factors including:

- a) The Bank's current and prospective financial performance,
- b) Capital adequacy requirements specified by Reserve Bank of India (RBI)
- c) The Bank's investment and expansion plans, and
- d) The expectations of its principal shareholder – the Government of India – and the institutional and retail investors.

Since the Bank has operations worldwide, its dividend decision is based on an assessment of domestic and international economic and financial conditions and regulatory requirements.

Retained earnings are utilized to meet the Bank's capital requirements and finance its investment and expansion activities. Retained earnings also provide a cushion to tide over unexpected events. The Bank strives to balance the demands for investment with the shareholders' need for a fair cash return.

The RBI has laid down the following eligibility conditions, among others, for payment of dividend by all banks:

- A bank should have:
 - a) Capital-to-risk weighted assets ratio (CRAR) of at least 9% for two completed years and the year for which it proposes to declare dividend and
 - b) Net NPA (non-performing assets) of less than 7%.
 - c) In case a bank does not meet the above CRAR norm but has CRAR of at least 9% for the year for which it proposes to declare dividend, its Net NPA should be less than 5%.
- Dividend can be paid only out of current year's profits.
- The dividend payout ratio (i.e. the ratio of dividend to profit after tax) cannot exceed 40 per cent.

The Government of India has stipulated that Public Sector Banks (PSBs) shall pay a minimum of 20% of paid-up capital or 20% of post-tax profits, whichever is higher. In case a bank is unable to pay the minimum dividend, it should seek specific permission of the Government of India.



नोटिस / NOTICE

बैंक ऑफ़ बड़ौदा BANK OF BARODA
 (प्रधान कार्यालय - मांडवी, बड़ौदा)
 (H.O.: Mandvi, Baroda)
 कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर,
 सी-26, "जी" ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
 बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400051
 वेबसाइट - www.bankofbaroda.co.in
 Corporate Office: Baroda Corporate Centre,
 C-26, "G" Block, Bandra-Kurla Complex,
 Bandra (East), MUMBAI 400 051
 (वेबसाइट/website: www.bankofbaroda.co.in)

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक **शुक्रवार 30 जून, 2017** को प्रातः 10.15 बजे सर सयाजीराव नगरगृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी. -1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पाद्रा रोड, अकोटा, वड़ोदरा-390020 में संपन्न होगी:

सामान्य कार्यवाही :

मद संख्या 1:

बैंक के 31 मार्च, 2017 के तुलनपत्र, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे, लेखों में समाहित अवधि के कार्य निष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदन प्रदान करना व इन्हें स्वीकार करना.

मद संख्या 2:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लाभांश घोषित करना.

विशेष कार्यवाही:

मद संख्या 3:

निम्नलिखित संकल्प पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना एवं उचित पाए जाने पर परिवर्तन के साथ या परिवर्तन के बिना उसे पारित करना.

“संकल्प पारित किया जाता है कि सांविधिक/विनियामक अनुमोदन के अधीन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम

NOTICE is hereby given that the 21st Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on **Friday 30th June 2017, at 10.15 a.m. at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020**, to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

Item Number 1:

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2017, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2017, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item Number 2:

To declare dividend for the Financial Year 2016-17.

SPECIAL BUSINESS:

Item Number 3:

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a “**Special Resolution.**”

“**RESOLVED THAT** subject to Statutory/Regulatory approvals as per applicable laws/regulations, authority be and is hereby given pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (the Scheme) and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as

बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यक्षीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्कलोजर रिकवायरमेंट्स) विनियमन, 2009 (आईसीडीआर विनियमन), सेबी (सूचीकरण प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 यथा संशोधित, विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण) विनियमन, 2000 यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकारियों से समय-समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके पश्चात इसे 'बोर्ड' कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को भारत में या भारत के बाहर दस्तावेज द्वारा या प्रोस्पेक्टस द्वारा या ऐसे किसी दस्तावेज द्वारा भारत में या विदेश में रु. 6000 करोड़ (रु.छह हजार करोड़) की अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने के लिए अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), फॉलो ऑन पब्लिक निर्गम (एफपीओ)/अधिमान निर्गम/अधिकार निर्गम/एडीआर-जीडीआर/इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जैसे विविध प्रणालियों और अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण से बाजार मूल्य के प्रीमियम/रियायत जो वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी बैंक के रु. 3000 करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है और इस प्रकार जारी किए जाएं कि केन्द्र सरकार की शेयर धारिता हमेशा बैंक की इक्विटी पूंजी के 52% से कम न हो, चाहे वह डिस्काउंट पर हो या बाजार भाव के प्रति प्रीमियम पर सृजित, ऑफर, जारी और आबंटित (उस समय लागू विधि द्वारा अनुमति प्राप्त वैसे श्रेणी के व्यक्तियों और इश्यू के वैसे भाग को प्रतिस्पर्धी आधार पर और किसी फर्म को आबंटन के आरक्षण के प्रावधान सहित) करने हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी स्थानन निर्गम के या किसी अन्य तरीके से जो उपयुक्त कानूनों द्वारा प्रदत्त हो, के जरिए किया जाएगा। अति-आबंटन विकल्प और ऐसे किसी ऑफर के साथ या उसके बिना प्रतिभूतियों का निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटन जरूरतें), अधिनियम, 2009 (आईसीडीआर विनियमन) के प्रावधानों के अनुरूप किया जाए और सेबी, आर बी आई तथा

amended and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India), Regulation, 2000 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of **the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank** (hereinafter called “**the Board**” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) / prospectus or such other document (s), in India or abroad to raise additional capital **up to Rs 6000/- Cr. (Rupes Six Thousand Crore)** through equity capital by way of various modes such as Qualified Institutions Placement (QIP)/ Follow on Public Offer (FPO) /Preferential Issue/Rights Issue/ ADR-GDR/Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures and any other mode or combination of these at such premium/discount to the market price which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank of Rs.3000 crore, being the ceiling of the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the total paid-up Equity capital of the Bank.

“**RESOLVED FURTHER THAT**, such issue, offer or allotment of Securities may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP), public issue, preferential issue, rights issue, private placement or such other mode of issue as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking



ऐसे अन्य प्राधिकारी जैसा भी उपयुक्त समझा जाए और ऐसे समय या समयों में इस तरह से और ऐसे नियम व शर्तों पर जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर उन स्टॉक एक्सचेंज में, जहाँ बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, सूचीबद्ध किए जाएंगे।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्गम/निर्गमों के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार बोर्ड के पास होगा जो आईसीडीआर अधिनियमों में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए गए कीमतों से कम न हों, इस तरह से और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों के साथ विचार-विमर्श से और/या हमीदारों और/या अन्य सलाहकारों और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आईसीडीआर अधिनियमों, अन्य अधिनियमों और किसी और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों और/या, चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक में वर्तमान शेयरधारक हैं या नहीं।”

आगे यह संकल्प प्रारित किया गया कि आईसीडीआर अधिनियमों के अध्याय VIII के मुताबिक अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में-

- ए) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर अधिनियमों के अध्याय VIII के अंतर्गत आने वाले अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीददारों को ही किया जाएगा, इस प्रकार की प्रतिभूतियों का पूरी तरीके से भुगतान होगा और ऐसे प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प के दिन से 12 महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा या ऐसे किसी समय में जिसकी आईसीडीआर अधिनियमों में समय-समय पर अनुमति दी गई है।
- बी) बैंक आईसीडीआर अधिनियमों के अधिनियम 85(1) के प्रावधानों का अनुसरण करेगा जिसमें न्यूनतम कीमत पर अधिकतम 5 प्रतिशत के बट्टे पर शेयर देने का प्राधिकार दिया गया है।
- सी) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत निर्धारित करने की संबंधित तारीख आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते/देते समय अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रतिभूतियां एनआरआई, एफआईआई और या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को जारी और आबंटित की जा रही हैं तो वह विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की मंजूरी, जो भी लागू हो परंतु अधिनियम और

Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”) and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the Equity Shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed.”

“RESOLVED FURTHER THAT, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutions placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

- the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.
- The Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may



अन्य विनियामकों के तहत स्थापित उपर्युक्त समग्र सीमाओं के भीतर हो, जैसा भी लागू है, के अधीन होगी.”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले नए उक्त इक्विटी शेयर्स बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर व बैठक) अधिनियम, 1998 यथा संशोधित के अधीन होंगे और मौजूदा इक्विटी शेयर के साथ समरूप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों.”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो, और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी अग्रणी प्रबंधक(प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदारों, जमाकर्ताओं, कानूनी सलाहकारों और ऐसे सभी एजेंसियों, जो उपर्युक्त प्रतिभूतियों को ऑफर करने और ऐसे सभी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या ऐसे किसी अन्य तरीके से लाभ प्रदान करने, और इन एजेंसियों के साथ ऐसे सभी प्रबंधों, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को बनाने व उनको निष्पादित करने से संबद्ध हो या उसमें शामिल हो के साथ ऐसी व्यवस्था करे व उसे निष्पादित करे.”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को, अग्रणी प्रबंधकों, अंडरराइटर्स, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निर्गम(मों), जिसमें ग्राहकों की वो श्रेणी भी शामिल हैं जिनके लिए प्रतिभूतियों का आबंटन किया गया, प्रत्येक अंश में उनकी आबंटित संख्या, निर्गम कीमत (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूति के जारी/संपरिवर्तन, वारंट/शोधन के प्रयोग पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, शोधन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमानि शेयरों की संख्या या संपरिवर्तन करने पर अन्य प्रतिभूतियाँ या प्रतिभूतियों के शोधन या रद्द करना, कीमत, प्रतिभूतियों को निर्गम/संपरिवर्तन करने पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड तिथि का नियतन या बही बंदी तथा संबंधित या सहायक मामले, भारत तथा/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता का निर्धारण कर सकता है, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे.”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त शेयरों का, जो कि अभिदत्त नहीं हैं, बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार से उस प्रकार से निपटारा किया जा सकता है जैसा बोर्ड उचित समझे तथा जैसा विधि द्वारा स्वीकार्य हो.”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटारा करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं

be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended and shall rank in all respects *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) , Legal Advisor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/ exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/ conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the



और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दे दिया है.”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड की पूंजी प्राप्ति समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) को, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित करें.”

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा,

पापिया सेनगुप्ता

कार्यपालक निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 27.05.2017

नोट :

- व्याख्यात्मक विवरण** : बैठक की कार्यवाही के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ मद संख्या 3 में संलग्न है.
- प्रॉक्सी की नियुक्ति** : बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकेगा/ सकेगी (बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के अलावा अन्य को) और यह आवश्यक नहीं होगा कि नियुक्त प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो. प्रॉक्सी का कोई भी विलेख तब तक वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह इस सूचना के साथ संलग्न अथवा बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध फार्म “बी” में भरा नहीं गया हो. उक्त प्रॉक्सी तभी प्रभावी मानी जाएगी यदि वह बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् 25 जून, 2017 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केवायसी एवं एएमएल विभाग, 8वां तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, बड़ौदा- 390 005 स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाएगी और इसके साथ मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र की प्रति जो कि नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हो, उक्त मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र यदि पूर्व में बैंक में जमा और पंजीकृत न किया गया हो, को भी साथ में भेजा जाएगा.
- प्रतिनिधि की नियुक्ति** : कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक, जिसमें

end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Capital Raising Committee of the Board/Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director/ (s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By Order of the Board of Directors
FOR BANK OF BARODA

Papia Sengupta
Executive Director

Place: Mumbai

Date: 27th May 2017

NOTES:

- EXPLANATORY STATEMENT** : The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting at item no. 3 is annexed hereto.
- Appointment of Proxy:** A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form “B” as annexed to this Notice and also available on Bank’s website. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of the Bank situated at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on 25th June 2017 together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.
- Appointment of Representative:** No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall



यह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में अभिप्रायित न किया गया हो, बैठक की तारीख से चार दिन पूर्व अर्थात् 25 जून, 2017 को बैंक का कार्य समय समाप्त होने अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा न कर दिया गया हो.

- 4 **मताधिकार :** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार से भिन्न संबद्ध नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा.

बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन, 1998, यथा संशोधित, के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग दूरस्थ ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा.

- 5 **उपस्थिति - पर्ची सह प्रवेश पत्र-सह मत-पत्रक (उपस्थिति पर्ची) :**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस नोटिस के साथ ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड के आवश्यक विवरण सहित उपस्थिति पर्ची-सह -प्रवेशपत्र-सह-मतपत्रक संलग्न है. शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग सुविधा से मत देने का विकल्प है. जो ई-वोटिंग सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते वे वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख को बैठक स्थल पर अपना वोट दे सकते हैं. ऐसे सभी शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची में प्रिंट किए गए विवरण को जांच लें और यदि कोई खाली स्थान हो तो उसे भरें, उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द कर दें. "प्रॉक्सी" /शेयरधारक के "अधिकृत प्रतिनिधि", उपस्थिति पर्ची - सह प्रवेश पत्र में स्पष्ट करें कि वह "प्रॉक्सी" है या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में है, जो भी लागू हो. मतपत्रक पास/एंटी पास को चुनाव के समय मतपत्रक प्राप्त करने के लिए सुपुर्द करना होगा.

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा पहले से ही अपने मत का प्रयोग कर लिया है, बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु अपना वोट पुनः नहीं दे सकेंगे.

- 6 **दूरस्थ ई-वोटिंग तथा वार्षिक सामान्य बैठक में वोट के लिए निर्दिष्ट तारीख - शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :** बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) संशोधन विनियमन, 2008, के विनियम 12, के साथ पठित (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण की आवश्यकता) सेबी विनियमन, 2015 की विनियम संख्या 42 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं

have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on 25th June 2017.

4. **Voting Rights:** In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the meeting, if voting right is not exercised through remote e-voting.

5. **Attendance Slip-Cum Entry Pass Cum Voting Paper Pass (The Attendance Slip):** For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass-cum-Voting Paper Pass is attached with this Notice, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using remote e-voting platform. Those who do not exercise remote e-voting facility can cast their vote at the voting to be conducted at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The portion of Voting Paper Pass/ Entry Passes shall be surrendered to participate for Voting at the time of Poll.

Shareholders, who have already exercised their vote through remote e-voting, can attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

6. **Cut-Off Date For remote e-voting and voting at the AGM and Dividend Payment - Closure of Register of Shareholders:** Pursuant to Regulation No. 12 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended read with Regulations No. 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and Rule No. 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the



प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर **शनिवार 24 जून, 2017 से 30 जून, 2017** तक (दोनों दिन सहित) 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक के उद्देश्य से बंद रहेगा. तदनुसार शेयरधारक जिनके पास **शुक्रवार, 23 जून, 2017** तक बैंक के शेयर हैं, दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा बैठक में वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा बैठक की कार्यसूची पर मत देने के लिए प्राधिकृत होंगे.

7 लाभांश का भुगतान :निदेशक मंडल ने दिनांक **18 मई, 2017** को आयोजित बैठक में **31 मार्च, 2017** को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु ₹ 2/- प्रति पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर हेतु ₹ 1.20 (रुपए एक एवं पैसे बीस केवल) की दर से लाभांश की अनुशंसा की है. निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित एवं 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

ए) नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और द सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुरूप **23 जून, 2017** अर्थात् रिकॉर्ड तारीख को व्यवसाय की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर धारण करने के संबंध में सभी लाभार्थी धारक.

बी) **23 जून, 2017** अर्थात् रिकॉर्ड तारीख को व्यवसाय की समाप्ति तक बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद (आरटीए) के पास अंतरण अनुरोध दर्ज करने के संबंध में वैध अंतरण को प्रभावी करने के बाद भौतिक फॉर्म में शेयर धारण करने वाले सभी सदस्य.

सी) 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा.

8. दूरस्थ ई-वोटिंग : सेबी के (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है. इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

ए. बैंक ने ई- वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु कार्वी कंप्यूटरशेयर्स प्रा. लि. को दूरस्थ ई- वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है.

बी. दूरस्थ ई- वोटिंग हेतु पोर्टल मंगलवार, **27 जून, 2017** को सुबह **9.00 बजे** से गुरुवार **29 जून, 2017** को शाम **5 बजे** तक खुला रहेगा (दोनों दिन सहित).

सी. दूरस्थ ई-वोटिंग वैकल्पिक है. इस निर्दिष्ट तारीख अर्थात् शुक्रवार **23 जून, 2017** को मूर्त या अमूर्त (डिजिटैलरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे.

Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, 24th June 2017 to 30th June 2017 (both days inclusive)** for the purpose of 21st Annual General Meeting and dividend payment for FY 2016-17. Accordingly, shareholders holding Bank's Shares as on **Friday, 23rd June 2017** will be entitled to attend and vote for the Agenda of the meeting either through remote e-voting or voting at the meeting and to receive the dividend.

7. Payment of Dividend : The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 18th May 2017 has recommended dividend @ Rs.1.20 (Rupee One & Paise Twenty only) per equity share (Face Value of Rs.2/- each fully paid up) for the financial year ended 31st March 2017. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 21st Annual General Meeting will be paid as under:

a) To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on **23rd June 2017**.

b) To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad (RTA) on or before the close of business hours on **23rd June 2017**.

c) The dividends will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 21st Annual General Meeting.

8. Remote E-Voting : Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

a) The Bank has appointed Karvy Computershare Private Limited as the remote e-voting agency to provide the e-voting platform.

b) **The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Tuesday, 27th June 2017 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Thursday, 29th June 2017 (both days inclusive).**

c) **Remote e-voting is optional.** Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut – off Date i.e. Friday 23rd June 2017, may cast their vote electronically.



- डी. दूरस्थ ई-वोटिंग से संबंधित अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
- i. जो शेयरधारक उपर्युक्त कट-ऑफ-डेट को वोट देने हेतु पात्र हैं, ई-वोटिंग के लिए मंगलवार, 27 जून, 2017 को सुबह 9 बजे पोर्टल खुलने पर निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें : <https://evoting.karvy.com>
- ii. लॉग-इन क्रेडेंसियल की अर्थात् नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें.
- iii. उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें.
- iv. आप 'पासवर्ड बदलें' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A-Z), एक लॉअर केस (a-z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं. ई-मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. यह दृढ़तापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.
- v. आपको नये क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा.
- vi. सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको EVEN अर्थात् बैंक ऑफ बड़ौदा का चयन करने हेतु निर्देश देगा. वोटिंग पृष्ठ पर, निर्दिष्ट तारीख (23 जून, 2017) पर शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी. ASSENT अथवा DISSENT, जैसा भी मामला हो, पर क्लिक कर सकते हैं. पुष्टि करने हेतु OK पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु CANCEL पर क्लिक करें. एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प पर वोट देने के पूर्व कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है.
- vii. एक से अधिक फोलियो/डिमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो /डिमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करनी होगी. तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमति नहीं होगी.
- viii. उपर्युक्त अनुरूप पोर्टल बंद हो जाएगा एवं बंद होने पर यह सुविधा तत्काल समाप्त हो जाएगी.
- ix. बैंक ने श्री एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन, या उनकी अनुपस्थिति में मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं. के किसी भी भागीदार, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.
- d) The instructions for remote e-voting are as under:
- i. The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Cut-Off Date, to use the following URL for e-voting: <https://evoting.karvy.com> on opening of the same on Tuesday, 27th June, 2017 at 9.00 a.m.
- ii. Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip annexed on this Notice.
- iii. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- iv. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**
- v. You need to login again with the new credentials.
- vi. On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., Bank of Baroda. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the Cut-off Date (23rd June 2017) will appear. You will have option to vote for all the Resolutions in one go at the TOP by click on ASSENT or DISSENT. Alternatively you may vote individually for each Resolution separately by clicking ASSSENT or DISSENT for each Resolution. Click OK to confirm else CANCEL to modify. **Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.**
- vii. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Central Government is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- viii. The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.
- ix. The Bank has appointed M/s S.N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.



- X. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के अभिप्राणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति scrutinizer@snaco.net ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है।
- XI. ऐसे शेयरधारक, जो 21 वीं एजीएम के लिए नोटिस/संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के प्रेषण हेतु कट-ऑफ-डेट एवं ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ-डेट के बीच शेयर प्राप्त करते हैं तथा अपना ई-मेल आईडी अपने संबंधित डीपी के साथ रजिस्टर करते हैं, उन्हें इस संबंध में आरटीए के माध्यम से सूचना दी जाएगी। ऐसे अन्य शेयरधारक विवरण प्राप्त करने हेतु बैंक की वेबसाइट देखें।
- XII. आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप डाउनलोड अनुभाग <https://evoting.karvy.com> में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) का अवलोकन कर सकते हैं, अथवा मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. (यूनिट : बैंक ऑफ बड़ौदा), कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32 गचीबावली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद- 500 032 के उप महाप्रबंधक, श्री एस वी राजू, से ई-मेल raju.sv@karvy.com या दूरभाष संख्या 040 6716 2222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।
- x. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail : scrutinizer@snaco.net
- xi. Shareholders acquiring Shares between the Cut –Off Date for dispatch of the Notice for 21st AGM / Abridged Annual Report 2016-17 and the Cut-Off Date for E-voting and have registered their e-mail IDs with their respective DP, shall be sent communication by RTA in this regard. Such other Shareholders may visit Bank's website to get the details.
- xii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. S.V. Raju, DGM of Karvy Computershare Pvt. Ltd, (Unit : Bank of Baroda), Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 at e-mail raju.sv@karvy.com or phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free).

9. वार्षिक सामान्य बैठक में चुनाव प्रक्रिया

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, दूरस्थ ई-वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग के माध्यम से होगी। जो दूरस्थ ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करते वे बैठक की तारीख को वार्षिक सामान्य बैठक के स्थल पर आयोजित किए जाने वाले वोटिंग में अपना वोट देने के पात्र होंगे। बैठक के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में घोषणा किए जाने के तुरंत बाद वोटिंग पेपर/टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे और उपस्थित अंतिम शेयरधारक द्वारा वोट देने तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी।

इस प्रयोजन से नोटिस के साथ भेजे गए अथवा पंजीकरण के समय जारी किए गए वोटिंग पेपर पास को वापिस जमा करने के बाद शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों को काउंटर पर वोटिंग पेपर/टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। 21 वीं वार्षिक सामान्य बैठक हेतु कार्यसूची की सभी मदों के संबंध में वोटों की संख्या उनके द्वारा निर्दिष्ट तारीख अर्थात् 23 जून, 2017 तक धारित शेयरों की संख्या के समान होगी।

10. रिमोट ई-वोटिंग तथा मतदान का परिणाम

वार्षिक सामान्य बैठक में दूरस्थ ई-वोटिंग तथा मतदान के समेकित परिणाम की घोषणा दो दिनों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और कार्वी की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

11. चुनाव का संवीक्षक

श्री एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एवं इनकी अनुपस्थिति में मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एंड कं. प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का कोई भी भागीदार बैठक

9. **VOTING PROCESS AT THE AGM** : The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the meeting. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the venue of the AGM on the date of the meeting. Voting paper / tablet will be provided immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting and will continue till the last shareholder present, cast his vote.

Voting paper / tablet shall be provided at the Counters set up for this purpose to the Shareholders / Proxy holders/ Authorized Representatives on surrender of Voting Paper Pass dispatched along with the Notice or issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date i.e., 23rd June 2017 in respect of all the items of the Agenda for the 21st AGM.

10. **RESULTS OF REMOTE EVOTING AND POLL** : The consolidated results of remote e-voting and voting at the AGM will be announced within two days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Karvy.

11. **SCRUTINIZERS AT POLL** : M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co. Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of all the agenda items of the meeting. They shall also act as Scrutinizer along with



की कार्यसूची की सभी मदों के संदर्भ में संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे. वे बैठक के दौरान आयोजित होने वाली वोटिंग में अन्य शेयरधारकों के साथ संवीक्षक के रूप में भी कार्य करेंगे. अध्यक्ष किसी अन्य शेयरधारक की सहमति से, जो उपस्थित है तथा मत देने के लिए पात्र हैं, के नाम की घोषणा द्वितीय संवीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु कर सकते हैं.

12. पते में परिवर्तन / लाभांश अधिदेश

ए. लाभांश के भुगतान के लिए बैंक एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत बैंक खाते और संबंधित डिपॉजिटरी से बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) द्वारा डाउनलोड किए गए विवरण का उपयोग करेगा. इलेक्ट्रॉनिक फार्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनके बैंक विवरण संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन होने चाहिए जिससे कि बही बंदी के शुरू होने से पूर्व अद्यतन स्थिति प्राप्त की जा सके. बैंक या इसके रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट इलेक्ट्रॉनिक फार्म में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से बैंक विवरण या बैंक अधिदेश में किसी परिवर्तन हेतु सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है. इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही सूचित किया जा सकता है.

बी. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात् मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. हैदराबाद को दें. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन को अवश्य ही अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ रजिस्ट्रार करना चाहिए, बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.

सी. सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें.

13. फोलियो का समेकन

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से भौतिक शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सके. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

14. भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरण- एक विशेष अनुरोध:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारक अपनी शेयर धारिता का अभौतिकीकरण करने का अनुरोध कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें अपने उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करना चाहिए जहां उनका अपना

another shareholder at the meeting for the voting to be conducted at the Meeting. The Chairman may announce the name of any other shareholder present and entitled to vote to act as second scrutinizer subject to his consent.

12. Change of Address / Dividend Mandate:

a) The Bank for payment of dividend will use the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by Bank's Registrar and Transfer Agent (RTA) from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that their Bank particulars registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated the same before the commencement of the Book closure. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), i.e. Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must register change in address with their respective Depository Participant only and **not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.**

c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

13. Consolidation of Folios: The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

14. Dematerialization of Physical Holdings – A SPECIAL REQUEST:

All the Shareholders who are holding shares in physical mode are requested to convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account OR Open new accounts



डीमेट खाता है या अपने नजदीकी किसी भी पंजीकृत डिपॉजिटरी सहभागी के साथ नया खाता खोल सकते हैं. इसके परिणामस्वरूप अधिक सुरक्षा, त्वरित सेवाएं और इससे अधिक भारत सरकार की गो- ग्रीन पहल में सहायता होगी.

15. अंतरणों के लिए प्रस्तुतीकरण

शेयर प्रमाण-पत्र/पत्रों को अंतरण विलेख/विलेखों के साथ बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (अर्थात आरटीए) के पास निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए-

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.

(यूनिट- बैंक ऑफ़ बड़ौदा)

कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32,

गचिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,

नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली,

हैदराबाद - 500 032 फोन नं. 040 6716 2222, एवं टोल फ्री :1800 345 4001

ई-मेल : einward.ris@karvy.com

वैकल्पिक रूप में, यदि कोई शिकायतें हों, तो उन्हें निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है:-

निवेशक सेवाएं विभाग

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवीं मंजिल,

बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर

सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

ई-मेल - investorservices@bankofbaroda.com

16. दावा न किए गए/भुगतान न किए गए लाभांश, पिछले वर्ष का, यदि कोई हो

शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें.

"अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में अदावाकृत /अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2008-09 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2009-10 से आगे के अदत्त लाभांश के विवरण के लिए (2009-10 के लिए दिनांक 05-08-2017 को शीघ्र ही अंतरित किया जा रहा है) निवेशक बैंक की वेबसाइट "www.bankofbaroda.co.in" देख सकते हैं.

with any registered Depository Participant in their vicinity. This will result in enhanced safety, quick services and more so would support GOI initiative to Go Green.

15. Lodgments for Transfers: Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (i.e. RTA) at the following address.

Karvy Computershare Pvt. Ltd

(Unit :- BANK OF BARODA)

Karvy Selenium Tower B,

Plot No 31 & 32, Gachibowli,

Financial District, Nanakramguda,

Serilingampally, Hyderabad – 500 032

Phone No. 040 6716 2222, and Toll Free : 1800 345 4001

E- mail : einward.ris@karvy.com

Alternatively, complaints, if any can be lodged at following address:-

Investors' Services Department

Bank of Baroda, 7th Floor,

Baroda Corporate Centre,

C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai - 400 051.

E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

16. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any of previous years:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2008-09 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2009-10 onwards (**shortly transferring for 2009-10 on 05-08-2017**), the Shareholders may visit Bank's website "www.bankofbaroda.co.in", however, the detail about future due date for transfer is given below for the convenience of Shareholders:



क्र. सं. Sr. No	वित्तीय वर्ष Financial Year	लाभांश - अंतरिम / अंतिम Dividend –Interim / Final	अदत्त लाभांश खाता संख्या Unpaid Dividend Account Number	आईपीएफ को अंतरित करने की नियत तारीख / वह तारीख जब तक दावा आरटीए या बैंक के पास पहुंच जाना चाहिए Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank
1	2009-2010	अंतिम / Final	09540013206021	5 अगस्त, 2017 5th August, 2017
2	2010-2011	अंतिम / Final	09540015181257	7 अगस्त, 2018 / 7 th August, 2018
3	2011-2012	अंतिम / Final	09540015181299	2 अगस्त, 2019 / 2 nd August, 2019
4	2012-2013	अंतिम / Final	09540015181376	29 जुलाई, 2020 / 29 th July, 2020
5	2013-2014	अंतरिम / Interim	09540015181393	14 फरवरी, 2021 / 14 th February, 2021
6	2013-2014	अंतिम / Final	09540015181397	25 जुलाई, 2021 / 25 th July, 2021
7	2014-2015	अंतिम / Final	09540015181420	29 जुलाई, 2022 / 29 th July 2022

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2009-10 के बाद से (अभी तक आईपीएफ को अंतरित नहीं हुआ है) अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट हैदराबाद से उपरोक्त पते पर (पैरा 15) तत्काल सीधे संपर्क करें :

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years i.e. from FY 2009-10 onwards (not yet transferred to IEPF/refund orders of FPO/IPO) are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid addresses (para 15) immediately.

17. सदस्यों से अनुरोध

कृपया नोट करें कि संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 की प्रतियां, जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी डीपी/बैंक के साथ पंजीकृत नहीं कराई है उन्हें मूर्त रूप में भारतीय डाक द्वारा अलग से भेजा जा रहा है. और जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी संबंधित डिपोजीटरी/आरटीए/बैंक के साथ पंजीकृत करवा रखी हैं उन्हें ई-मेल द्वारा पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 की सॉफ्ट कापी के रूप में भेजी जा रही है. वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात् "www.bankofbaroda.co.in" पर भी उपलब्ध है. वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी, अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपनी प्रति साथ लेकर आएँ.

विशेष ध्यानकर्षण हेतु अनुरोध

- भारत सरकार द्वारा की गई हरित पहल को सफल बनाने हेतु उन सभी शेयरधारकों, जिन्होंने संबंधित डिपोजीटरी / आरटीए/बैंक के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाया है, से अनुरोध है कि ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य पत्र प्राप्त करने हेतु इस नोटिस में उल्लिखित पैरा 15 के अंतर्गत दिए गए पते/ ई-मेल आईडी पर ई-मेल भेजकर/लिखित रूप में अनुरोध कर संबंधित डिपोजीटरी में अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाएं.
- अभौतिकीकरण के लाभ
 - शेयर प्रमाणपत्र खोने का डर नहीं रहता
 - शेयर हस्तांतरण या स्टॉप ड्यूटी के लिए कोई शुल्क नहीं
 - आसान/बाधा रहित हस्तांतरण/ संचरण
 - नामांकन संभव

- Request to Members:** Please note that copies of the Abridged Annual Report 2016-17 in physical form are being **dispatched separately** using the services of Indian Post to those Shareholders who have not registered their email IDs with the DP/Bank. The full Annual Report 2016-17 in soft copy is being emailed to those Shareholders who have registered their email ids with the respective Depository/ RTA/Bank. The full and abridged version of Annual Report is also hosted on the Bank's website i.e. "www.bankofbaroda.co.in" The Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copy at the meeting.

SPECIAL ATTENTION REQUESTED:

- In order to support the green initiatives by Government of India, Shareholders who have not registered their email IDs with their respective Depositories/RTA/Bank, are requested to do so with their respective Depositories or by sending emails/request in writing to the RTA/Bank at the address/email ID stated at para no. 15 in this Notice in order to receive Annual Report and other communications over e-mail.**
- Benefits of Dematerialization**
 - No threat of loss of share certificate**
 - No share transfer fees or stamp duty**
 - Easy / hassle free transfer / transmission**
 - Nomination possible**



ई.) लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट किया जाता है।

एफ) एएसबीए/आईपीओ आवेदन संभव

व्याख्यात्मक विवरण

सेबी-आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VII अनुसार किए जाने के लिए यथा अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरणपत्र और प्रकटन.

मद संख्या 3

बैंक पिछले कई वर्षों से एक नियत वृद्धि दर पर सामान्य गति से विकास कर रहा है. लंबी अवधि के संसाधनों के जरिए कारोबार का विस्तार करने हेतु फंड की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और सामान्य कर्ज देने हेतु जैसा कि निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया हो, बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2009 और अद्यतन संशोधनों तथा इस संबंध में सेबी/भा.रि.बैं. के अन्य लागू विनियमों/ दिशा-निर्देशों के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन(क्यूआईपी)/ फॉलो ऑन पब्लिक निर्गम (एफपीओ)/ अधिमान निर्गम /अधिकार निर्गम/ एडीआर-जीडीआर/ इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/ अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जैसे विविध प्रणालियों और अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण के जरिए फंड जुटाने का प्रस्ताव करता है.

वर्तमान संकल्प बैंक के निदेशक मंडल को उपयुक्त समय, प्रक्रिया, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित है.

विशेष संकल्प के संदर्भ में इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गमन सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे. आपके निदेशकगण, सूचना में उल्लिखित विशेष संकल्पों की सिफारिश करते हैं.

किसी भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा यदि कोई हो, को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प हेतु हितबद्ध या सम्बद्ध नहीं समझा जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा,

पापिया सेनगुप्ता

कार्यपालक निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 27.05.2017

e) *Dividend directly credited to your Bank A/c*

f) *ASBA / IPO application possible*

EXPLANATORY STATEMENT

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII of SEBI ICDR Regulations.

Item Number 3

The Bank is growing at a normal pace at a reasonable growth rate over the last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds by way of Qualified Institutions Placement (QIP)/ Follow on Public Offer (FPO) /Preferential Issue/Rights Issue/ADR-GDR/Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures and any other mode or combination of these in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 and as amended up to date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue the equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws. Your Directors recommend, the Special Resolutions as set out in the Notice.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank

By Order of the Board of Directors

FOR BANK OF BARODA

Papia Sengupta
Executive Director

Place: Mumbai

Date: 27.05.2017



हरित पहल - शेयर धारकों से अपील

नोटिसें / वार्षिक रिपोर्टें तथा
अन्य पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना.

डिमेट खातों में शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेट खातों में ई-मेल आईडी दर्ज करें.

भौतिक रूप से शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -

इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें -

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि. (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट क्र. 31 व 32,
गाचीबॉवली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा,
सैरीलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032.
फोन नं. 040-6716 2222
फैक्स नं. 040 - 2342 0814
ई मेल : einward.ris@karvy.com

GREEN INITIATIVE-APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER
COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat accounts are
requested to: register an email ID in their Demat A/cs.

Shareholders holding Shares in Physical form are
requested to:

send their consent by filling up and signing the perforated
portion of this communication to our Registrars at their
address given hereunder :

M/S Karvy Computershare Private Ltd.,
(Unit: Bank of Baroda),
Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal,
Hyderabad - 500 032,
Phone No. 040 – 6716 2222
Fax No. 040 – 2342 0814
E-mail : einward.ris@karvy.com



बैंक ऑफ़ बड़ौदा की हरित पहल

दिनांक

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि.
(यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट क्र. 31 व 32,
गाचीबॉवली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा,
सैरीलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032.

प्रिय महोदय,

मैं / हम _____ बैंक ऑफ़
बड़ौदा कार्पोरेट गवर्नेंस के पर्यावरण सुरक्षा (हरित पहल) उपायों के एक
प्रयास के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा से सभी संदेश अपने नीचे दिए गए ई मेल
आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ / चाहते हैं. मेरे / हमारे पास बैंक के
_____ शेयर भौतिक रूप में हैं.

फोलियो नम्बर : _____

ई मेल आईडी : _____

मैं / हम इस आशय का वचन देता हूँ / देते हैं कि मेरे / हमारे ई मेल के माध्यम से
प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा हमें भेजे गए दस्तावेजों
की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं / हम यह भी वचन देता हूँ / देते
हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई मेल हमें सही रूप
में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं
उहरायेंगे.

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE OF BANK OF BARODA

Date:

M/S Karvy Computershare Private Ltd.,
(Unit: Bank of Baroda),
Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032

Dear Sir,

I/ We _____ holding _____
shares of Bank of Baroda in physical form, intend to receive
all communication from Bank of Baroda through our email ID
given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate
Governance of Bank of Baroda.

Folio Number: _____

Email ID: _____

I/ We also undertake that the communication received through
my/ our email ID will be treated as proper, legal and sufficient
delivery of documents sent to us by Bank of Baroda. I/ We
further undertake that we would not hold Bank of Baroda, any
of its employees, Registrars or its employees, responsible in
case the communication is not properly received at my/ our
email ID due to any technical/ other failures.

Signature of First Holder



प्रभावी व तत्काल सेवाओं के लिये शेयरधारकों से अपील

1. कृपया अपने भौतिक शेयर को डीमैट करें
2. कृपया लाभांश इलेक्ट्रॉनिक / सीधे अपने बैंक खाते में जमा करने के लिये अपना मैनुअल रजिस्टर करें
3. कृपया ई-मेल के माध्यम से सन्देश पाने के लिये अपना ई-मेल आईडी रजिस्टर करें

अभौतिकीकरण (डीमैटेरियलाइजेशन) के लाभ

1. शेयर सर्टिफिकेट के खोने का कोई डर नहीं
2. शेयर स्थानांतरण शुल्क अथवा स्टैम्प शुल्क खर्च नहीं
3. सरल / परेशानी रहित स्थानांतरण/ संचरण
4. नामांकन सम्भव
5. लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा
6. अस्बा (एएसबीए) / आईपीओ आवेदन सम्भव

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश भुगतान के लिए मैनुअल पंजीकृत कराने के लाभ

1. लाभांश भुगतान की तारीख को ही लाभांश प्रत्यक्ष जमा होना
2. लाभांश वारंट में देरी/ अप्राप्ति / पुनर्वैधता की कोई समस्या नहीं

ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लाभ

1. भारत सरकार की हरित पहल का हिस्सा बनें
2. कारपोरेट सूचनाएं तत्काल प्राप्त करना जिसमें एजीएम व ईजीएम/ वार्षिक रिपोर्ट / छमाही सूचना इत्यादि की तत्काल प्राप्ति भी शामिल है

Appeal to Shareholders for Efficient & Prompt Services

1. Please Demat your Physical Shares
2. Please register your Mandate for Electronic / direct credit of Dividend amount in your Bank A/c
3. Please register your E-mail ID for receiving communications through E-mail

Benefits of Dematerialization

1. No threat of loss of Share Certificate
2. No Share Transfer Fees or Stamp Duty Expenses
3. Easy / hassle free Transfer / Transmission
4. Nomination possible
5. Dividend directly credited to your Bank A/c
6. ASBA/IPO Application possible

Benefits of Registering Mandate for payment of Dividend through Electronic Mode

1. Direct credit of dividend on Dividend payment date itself
2. No problem of late / non-receipt / revalidation of Dividend Warrants

Benefits of Registering E-mail ID

1. Be a part of Green Initiative of Government of India (GOI)
2. Immediate receipt of Corporate communication including Notice of AGM & EGM / Annual Reports / Half Yearly communication, etc



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय - मांडवी, बड़ौदा 390 006

फार्म बी

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फोलियो नंबर	डीपी आईडी नं.
	ग्राहक आई. डी नं.
(यदि शेयर अभौतिक रूप में न हो)	(यदि शेयर अभौतिक रूप में हो)
शेयरों की संख्या	

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____

राज्य _____ बैंक ऑफ़ बड़ौदा का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती. _____

निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को या उनके न होने पर

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को **शुक्रवार, 30 जून, 2017 को**

सुबह 10.15 बजे सर सयाजीराव नगरगृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1, एफ.पी.549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वड़ोदरा - 390 020 में या इसकी किसी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली **वार्षिक सामान्य बैठक** में मेरी /हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

दिनांक _____ माह _____ 2017 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

नाम _____

पता _____

रसीदी
टिकट
यहाँ चिपकाएं

प्रथम नाम /एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं जमा करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी का लिखत निम्नानुसार होने पर वैध माना जाएगा -

- ए. एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
- बी. संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
- सी. निकाय कार्पोरेट के मामले में, लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.

प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है, तब यह तभी वैध माना जायेगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.

2. विधिवत स्टांपित होने एवं मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत हस्ताक्षर किए गये हैं अथवा उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तथा पूर्व में बैंक के पास जमा की गयी हो एवं बैंक /

बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेन्ट से पंजीकृत हो, प्रधान कार्यालय में केवायसी एवं एएमएल विभाग, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, आठवां तल, सूरज प्लाजा - I, सयाजीगंज, वड़ोदरा-390 005 के पास वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात 25 जून 2017 को सायं 5.00 बजे से पहले जमा किए जाने पर ही प्रॉक्सी को वैध माना जाएगा. यदी पहले से पंजीकृत हों, तो पंजीयन संख्या एवं तारीख का उल्लेख करें.

- 3. प्रॉक्सी का लिखत फार्म "बी" में होने पर ही वैध माना जाएगा.
- 4. बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी - लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगा.
- 5. विकल्प के तौर पर दो गारंटियों के पक्ष में दिए गए प्रॉक्सी-लिखत के मामले में, एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
- 6. प्रॉक्सी-लिखत निष्पादित करने वाला शेयरधारक वार्षिक सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप में मतदान का हकदार नहीं होगा.
- 7. किसी भी व्यक्ति को, जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, ऐसा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा.
- 8. प्रॉक्सी धारक प्रत्येक संकल्प के 'पक्ष' अथवा 'विपक्ष' में वोट कर सकते हैं.
- 9. प्रॉक्सी फार्म में किए गए सभी परिवर्तन विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए.



Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda - 390 006.

FORM "B"

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
No. of Shares			

I / We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder / shareholders of the Bank of Baroda, hereby appoint Shri/Smt _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him / her, Shri / Smt _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my / our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **Annual General Meeting** of the Shareholders of the **Bank of Baroda** to be held on **Friday, 30th June 2017 at 10.15 a.m.** at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020, and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2017

Signature of Proxy _____

Name _____

Address _____

Please affix
Revenue
Stamp

Signature of first named / Sole shareholder

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/ her attorney, duly authorized in writing, or
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing. Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark/thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Baroda.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 8th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara- 390 005, not less than **FOUR DAYS** before the date fixed for the Annual General Meeting, i.e. on or before 5.00 p.m. on 25th June 2017 together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a

- Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank/its Registrar and Share Transfer Agent. If already registered, the Registration No. and Date be provided.
- No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B"
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.
- The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
- The proxy holder may vote either "FOR" or "AGAINST" the each resolution.
- All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

21वीं वार्षिक सामान्य बैठक के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-मत पत्र पास
ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-VOTING PAPER PASS FOR 21ST ANNUAL GENERAL MEETING

दिनांक : शुक्रवार, 30 जून, 2017	Date : Friday, 30 th June, 2017
समय : दोपहर 10.15 बजे	Time : 10.15 a.m.
स्थान : सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390 020	Place : Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodra Mahanagar Seva Sadan, T. P. - 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara - 390 020

उपस्थिति-पर्ची ATTENDANCE SLIP

(प्रवेश के समय स्थान पर जमा किया जाए To be rendered at the time of entry to the Venue)

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member / प्रॉक्सी Proxy / प्रतिनिधि AR)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Signature of the Shareholder / Proxy/ Representative present X_____

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
प्रवेश पत्र ENTRY PASS

(पूरी बैठक के दौरान अपने पास रखें To be retained throughout the meeting)

 वार्षिक सामान्य बैठक : शुक्रवार, 30 जून, 2017 समय : दोपहर 10.15 बजे ANNUAL GENERAL MEETING : FRIDAY, 30TH JUNE, 2017. TIME : 10.15 A.M.

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member / प्रॉक्सी Proxy / प्रतिनिधि AR)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Signature of the Shareholder / Proxy/ Representative present X_____

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक हॉल में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र के साथ इस उपस्थिति पर्ची को बैंक के पास दर्ज नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश का अधिकार सत्यापन/जाँच, जैसा भी आवश्यक समझा जाए, के अधधीन होगा। किसी भी स्थिति में बैठक हॉल के प्रवेश द्वार पर डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

Shareholders / proxy holders / authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
मतपत्र पास VOTING PAPERS PASS

(मतपत्र प्राप्त करने के लिए मतदान कार्डों पर सौंप दें To be rendered to the Voting counters for issue of Voting paper)

 वार्षिक सामान्य बैठक : शुक्रवार, 30 जून, 2017 समय : दोपहर 10.15 बजे ANNUAL GENERAL MEETING : FRIDAY, 30TH JUNE, 2017. TIME : 10.15 A.M.

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member / प्रॉक्सी Proxy / प्रतिनिधि AR)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Signature of the Shareholder / Proxy/ Representative present X_____

कृपया बैठक में संलग्न नोटिस की प्रति अपने साथ लाएं।

Please bring a copy of the enclosed Notice for the Meeting.

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग विवरण ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

EVEN (ई-वोटिंग ईवेंट नंबर E-Voting Event Number)	यूजर आईडी USER ID	पासवर्ड PASSWORD

बैंक ऑफ बड़ौदा

इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए अधिदेश
(इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से)

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. पता :
3. शेयरधारक की फोलियो संख्या (भौतिक रूप में शेयरधारकों के लिए) :
डी. पी. आईडी / ग्राहक आईडी संख्या (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारकों के लिए)
4. बैंक खाते का विवरण :
 - क. बैंक का नाम :
 - ख. शाखा का नाम एवं शहर का पिन कोड :
 - ग. खाता संख्या (जैसा कि चेक बुक में दिया गया है) :
 - घ. खाता प्रकार (कृपया टिक करें) : बचत बैंक चालू नकद उधार
(बचत बैंक खाता/चालू खाता या नकद-उधार खाता)
 - ड. आईएफएससी कोड :
 - च. बैंक द्वारा जारी माइक्रो चेक में मुद्रित बैंक और शाखा की 9 अंकीय कोड सं. :
5. कृपया पहचान के प्रमाण स्वरूप अपने पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति तथा कोड संख्या की सत्यता की जांच के लिए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित, आपके बैंक द्वारा जारी चेक के पन्ने की फोटो कापी / कोरा रद्द किया गया चेक संलग्न करें.

घोषणा

मैं एतद्वारा यह घोषित करता/ती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही व पूर्ण हैं. यदि अपूर्ण जानकारी के कारणों से लेनदेन में देरी होती है या यह प्रभावी नहीं होता है तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/गी.

स्थान :

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

दिनांक :

टिप्पणी :

1. **यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं :** कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अद्यतन करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों सहित अपने प्रतिभागी डिपॉजिटरी को प्रस्तुत करें.
2. **यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं :** कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अपेक्षित दस्तावेजों सहित रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात् मैसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, गोची बाँवली, फाइनान्सियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500 032 अथवा बैंक ऑफ बड़ौदा, निवेशक सेवाएं विभाग, तीसरा तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051 के पते पर भेज दें.

BANK OF BARODA

Mandate for Payment of Dividend on Equity Shares (Through Electronic Mode)

1. First Shareholder's Name (in Block Letters) :
2. Address :
3. Shareholder's Folio number (for holding in physical form) :
D. P. ID / Client ID number (for holding in electronic form) :
4. Particulars of Bank Account :
 - A. Bank Name :
 - B. Branch Name & City Pin Code :
 - C. Account No. (as appearing on the cheque book) :
 - D. Account Type (please Tick) : SB Current Cash Credit
(SB Account / Current A/c. or Cash Credit A/c)
 - E. IFSC Code :
 - F. 9 Digit Code No. of the Bank :
Branch appearing on the MICR
Cheque issued by the Bank
5. Please attach a self-attested photocopy of your PANCARD as Proof of Identity alongwith a photocopy of a Cheque leaf / blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the Code numbers

DECLARATION

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not affected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Bank of Baroda responsible.

Place:

Signature of the First Holder

Date:

Note:

1. **If the shares are held in electronic mode:** Please complete the form, sign and submit alongwith the required documents to your Depository Participant for necessary updation.
2. **If the shares are held in physical mode:** Please complete the form, sign and mail alongwith the required documents at the address of Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e. M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32, Gochibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032 OR at Bank of Baroda, Investors' Services Dept. 3rd Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

जब आप सही टीम पर भरोसा करेंगे तो
लक्ष्य पाना होगा आसान

**GOALS ARE EASIER TO SCORE WHEN YOU
BANK UPON THE RIGHT TEAM**



बैंक ऑफ़ बड़ौदा, फीफा अंडर-17 विश्व कप का आधिकारिक राष्ट्रीय सहयोगी है। यह प्रत्येक भारतीय के घर में फुटबाल प्रशंसकों के सपनों को साकार करता है।

Bank of Baroda, the Official National Supporter of FIFA U-17 World Cup, brings alive the dream of football fans in every Indian home.

हर गली में गुंज

Har Gully mein Goonj

#FuturesBright




बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

NATIONAL SUPPORTER



**वार्षिक
रिपोर्ट**

**ANNUAL
REPORT
2016-17**

Call toll free no. | 1800 22 33 44
6 am - 10 pm | 1800 102 44 55
Web Chat-24X7
www.bankofbaroda.co.in

Follow us on   



**बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda**

India's International Bank